

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय ग्रंथमाला, संख्या २२.

भारतीय अर्थशास्त्र

लेखक

भारतीय राजन, इमारी राष्ट्रीय समस्याएँ, नागरिक शास्त्र,
और मनुष्य जानि की प्राप्ति, आदि
पुस्तकों के रचयिता

भगवानदास केला।

प्रकाशक

भारतीय ग्रंथमाला, दारागंज, इलाहाबाद

{ रा लक्ष्मण }.
(१००० प्रतियाँ)

मन् १६४६ द०

{ मूल्य
नार रप्ते

प्रकाशक :—
 भगवानदास केला
 व्यवस्थापक
 भारतीय अन्यमाला
 दासगंड (इलाहाबाद)

इस पुस्तक के संरक्षण

पहला शस्त्रण	२०००	प्रतियों	रु. १६२६	ई०
दूसरा „	६२५	„	,, १६३७	„
तीसरा „	५००	„	,, १६४२	„
चौथा „	१०००	„	,, १६५६	„

मुद्रक :—
 गवाप्रसाद विवारी, श्री० काम.,
 नारायण मेन,
 नारायण विलिंग्स, प्रयाग।

ॐ स्व० स्वामी आनन्दभिन्नु सरस्वती

की पुण्य-समृद्धि में

जीवन के वे दिन भी याद रहेंगे ! ओ० स्वामीजी ने तीन वर्ष गुरुकुल (बृन्दावन) की अवैतनिक सेवा करके प्रेम महाविद्यालय की दागडोर समाजी था, और मैं इस संस्था के मुख-पत्र 'प्रेम' के संगादक के नाते यहाँ आया था । स्वामीजी यानप्रस्थ आश्रम में थे, जिसे लोग व्यवहार में प्रायः मूल गये है, और मैं गद्दस्थ या जैसा-कि अविकांश आदमी जीवन-भर रहा करते हैं । स्वामीजी उम्र में यहै थे ही, अनुभव और पद में भी ऊँचे थे । पर उनके यात-व्यवहार में यहै-द्वौटे का भाव न था; स्नेह था, प्रेम था, सुप-दुन्व में साथ देने का विचार था । जीवन-यात्रा में जितने भी समय किमी ऐसे सबे मित्र का साथ मिन नाय, मनुष्य अपने आपको घन्य मानता है ।

स्वामीजी के बहु-मूल्य मतसंग की यादगार में, यह पुस्तक उन्हें अद्वा सहित समर्पित है । परमात्मा करे, उनकी भावना के अनुमार देश में इस विषय के शान की वृद्धि और प्रचार हो ।

—लेखक

निवेदन

भारतीय ग्रन्थमाला जैसी माधारण साधन वाली संस्था 'मार्तीय अर्थशास्त्र' का चीया सहकरण प्रकाशित करने का साइट कर रही है। इसका श्रेय उन विविध सज्जनों और सहायों को है, जिन्होंने इस माला के राजनीतिक और आर्थिक माहित्य की समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान किया है। उन सबको हार्दिक धन्यवाद !

इस पुस्तक को प्रथम बार लिखने का कार्य सन् १९१७ में आरम्भ किया गया था परन्तु विविध वाधाओं के कारण इसकी रचना में यथेष्ट प्रगति न हुई। आखिर १९२१-२२ में जब मुझे प्रेम महाविद्यालय में यह विषय पढ़ाने का प्रसंग आया, और उस संस्था के आनंदेरी जनरल मेनेजर स्वामी आनन्दभिज्ञुजी ने मुझसे इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध किया, तब इसे पूरा किया गया। श्री० प्रोफेसर दयाशक्ति जी दुबे एम० ए० द्वारा संशोधित होने पर इसका प्रथम सहकरण, दो भागों में गण पुस्तकमाला से सन् १९२५-२६ में प्रकाशित हुआ। बट सहकरण दस वर्ष तक नलता रहा। यह चातुर पुस्तक के पुनः प्रकाशन में उदासीनता बढ़ानेवाली ठहरी। अन्त में जब श्री० दुबे जी के कहने पर श्री० हुलारेलाल जी भार्गव मे मुझे इस पुस्तक को दूपाने का अधिकार दिया तो सन् १९३७ में आवश्यक संशोधन करके इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। उसके पाँच वर्ष बाद इसके तीसरे, और अब चौथे संस्करण का नम्र आया। मित्रवर श्री० दुबे जी का 'महयोग इस पुस्तक के द्वेष संस्करण में मिलता रहा है, इस बार भी आपने इस पुस्तक के संशोधन में, तथा कई उपयोगी बातों को बढ़ाने में कहुत सहायता दी। इसके लिए मैं आपका बहुत कृतश्च हूँ।

पिछले संस्करण में महायुद्ध से पैदा हुई कुछ समस्याओं पर प्रकाश

दाला गया था । अब महायुद्ध समाप्त हो गया है, तो भी उसकी कारों द्वाया हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ी हुई है, और उसकी कुछ बातें ही बहुत समय तक विचार करने की रहेंगी । इसलिए उन पर सोचने के लिए कुछ सामग्री दे दी गयी है ।

अब हम जनसाधारण को आर्थिक स्थिति के सुधार के उपायों का विचार कर रहे हैं । यहाँ उत्तर्ति की व्यवस्था किस प्रकार ऐसा हो कि जनता को आवश्यक भोजन वस्त्र आवश्य ही मिल सके ? उपभोग में लोकहित की दृष्टि में किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ? हमारे देशी तथा विदेशी व्यापार में क्या-क्या बाधाएँ हैं ? कुछ लोगों का निजी स्वार्थ या लोग जनता का कैसा अहित कर रहा है ? लगान, सूद और मुनाफेक्षोरों का किस प्रकार नियन्त्रण किया जाना चाहिए, और मजदूरों को मूलतम बेतन देने के लिए किन लिदान्तों का ध्यान रखना आवश्यक है ? इन सब बातों पर प्रसुगानुसार विचार किया गया है ।

पिछले सक्षरण के समय हमारे सामने कौपिस के लगभग ताड़ी माल का ग्रन्तीय शासन-कार्य था, और हमने उसकी मजदूरी सम्बन्धी नीति, किसानी सम्बन्धी कानून, और बुनियादी शिक्षा आदि का परिचय दे दिया था । अब तो काप्रेस बेन्द्रीय तथा ग्रामीय सभी शासन सूक्ष्म अहण करनेवाली है, इसलिए हमने इस पुस्तक के अन्त में उसकी आर्थिक नीति, उसकी ही घोषणा के अनुसार, दे दी है । इस तरह हम सक्षरण को भारतीय जीवन के निकट रखने का प्रयत्न किया गया है ।

इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई आर्थिक प्रयत्न—उत्तर्ति, उपभोग, विनियम, व्यापार या वितरण—घर्ष-विरोधी न हो । इन कितना ही आवश्यक क्षेत्रों न हो, वह मनुष्य की एकमात्र आवश्यकता नहीं है । मनुष्य वस्तुतः मुमांशाति की खोज में रहता है, और इसकी प्राप्ति सेवा, परोपकार, ईमानदारी, और मटूव्यवहार से ही होती है । पुस्तक में कहीं-कहीं, विगेयतया अतिम भाग में, भारतवर्ष की

प्राचीन आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है; तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे उदाहरण बहुत शिखाप्रद और मनोरजक प्रतीत होगे ।

इरेक नागरिक को देश को आर्थिक दशा का अच्छा ज्ञान होना चहुत ज़रूरी है। यह विषय किसमे-कहानियों या उपन्यासों की तरट गोचक अथवा रण-भूमि के वृत्तान्तों को तरह उच्चोक्त न होने पर भी धार्मिक प्रन्थों की तरह कल्पणाकारी है। इस समय देश राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वावलम्बन चाइता है। प्रत्येक मञ्चन का कर्तव्य है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति के मुद्दाएँ भरमब माग ले। केवल अनुमान के महारे भावुकता की बातें करने में, देश का वैषा ही अनिष्ट हो सकता है, जैसा किसी आनांदी वैद्य में रागों का। यहाँ जागृति हो रही है; अच्छे-अच्छे महिताक और दृदय देश-तेवा के लिए अपने आराम आर सुप को निलाजला दे रहे हैं। आशा है, ऐसे अवसर पर भारतीय राष्ट्र को अध-रोग से मुक्त करने के लिए 'भारतीय अर्थशास्त्र' अध्ययन करनेवालों की कमी न रहेगी ।

विनीत

नोट—पिछ्ले संस्करण की भाँति इस संस्करण में राजस्व और नारिमार्थिक शब्दावली नहीं दी गयी है। इनके लिए इमारी स्वतन्त्र पुस्तकों 'भारतीय राजस्व' और 'अर्थशास्त्र शब्दावली' देखिए ।

हिन्दी संसार ने, विशेषतया अर्थशास्त्र-प्रेमी सञ्चारों ने, इस वा अच्छा स्थागत किया। अखिल भारतवर्षीय हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग, गुरुकुल विश्वविद्यालय काशी, काशी विद्यापीठ, दिहार विद्यापीठ, महिला विद्यापीठ प्रथाग, आदि राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस प्रथा को अपनी परीक्षाओं को पाठ्य पुस्तकों को नूत्रों में स्थान देने की कृपा की।

गत वर्षों में भारत की आर्थिक दशा में बड़ा परिवर्तन हो गया है। अतः इस प्रथा को 'आप-टु-डेट' बनाने के लिए श्री० केलानी को यहुत परिवर्तन और परिवर्द्धन करना पड़ा। कठिन परिश्रम के बाद यह नवीन संस्करण तैयार हुआ है। इसमें भारत की प्रायः सभ आर्थिक तमस्याओं पर निष्पक्ष विचार गम्भीरता और निर्भौकना-पूर्वक प्रकट किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इस रचना से पाठकों को देशवानियों की सच्ची आर्थिक दशा समझने में बड़ी सहायता मिलेगी, और इसमें बताये हुए तरीकों से कार्य करने पर वहाँ आशातोत् आर्थिक सुधार होगा, और भारतवासी सुन्नी होगे।

आशा है, भारतीय अर्थशास्त्र के इस नवीन संस्करण का पहले में भी अविक्षय आदर होगा, और जिन यित्रा संस्थाओं के पाठ्य-अंगों की सूची में इसे अभी तक स्थान नहीं मिला है, वे इसे शीघ्र अपनाएँगी।

श्री दुबे निवास
दरागंज, प्रयाग। }
१२—३—१६४६ }
}

दयाशंकर दुबे,
एम. ए., एल-एल. बी.
अध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय।

विषय-सूची

पहला भाग विषय-प्रवेश

पहला अध्याय

भारतीय अर्थशास्त्र का विषय

अर्थशास्त्र—प्रथम या धन—राष्ट्रीय सम्पत्ति—अर्थशास्त्र एक मामाजिक विद्या है—अर्थशास्त्र के नियमों का व्यवहार—राष्ट्रीय अर्थशास्त्र—भारतीय अर्थशास्त्र—हमारी आर्थिक समस्याएँ—अध्ययन की आवश्यकता।

पृष्ठ १—६

दूसरा अध्याय अर्थशास्त्र के भाग

उत्पत्ति—उत्पत्ति के माधन—उपभोग—मुद्रा और बैंकिंग—विनियोग—वितरण। २।

पृष्ठ ६—१७

दूसरा भाग उत्पत्ति

पहला अध्याय

भारत-भूमि

प्राकृतिक—भारतवर्ष की प्राकृतिक विषयता—विस्तार—प्राकृतिक धन—जलवायु और उमका आर्थिक प्रभाव—वर्षा और उमका

आर्थिक प्रभाव—नदियों का आर्थिक प्रभाव—भूमि के भेद—जंगल—
अन्य भूमि—खनिज पदार्थ—लोहा—कोयला—अन्य खनिज पदार्थ—
खानों की रक्षा—प्राकृतिक शक्ति ।

पृष्ठ १८—२६

दूसरा अध्याय भारतवर्ष की जनसंख्या

प्राकृत्यन—भारतीय जनता—जनसंख्या और भूमि—जनसंख्या
की वृद्धि और खाद्य पदार्थ—जनसंख्या और कुल धनोत्पत्ति—
जनसंख्या पर सामाजिक और धार्मिक विचारों का प्रभाव—जनसंख्या
और पराधीनता—प्रवास—दूसरे प्रतिवन्धक उपाय—क्या भारतवर्ष
में अमज्जीवियों को कमी है ?

पृष्ठ २६—४१

तीसरा अध्याय भारतीय अम

उत्पादक अम; व्यक्तिगत और सामाजिक—भारतवर्ष में अनुत्पा-
दक—जाति-भेद—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली—इया धार्मिक विचार
आर्थिक उच्चति में वाघर है ।—भारतीय अमज्जीवी—कृषक—कृषकों
की शिक्षा—कृषकों का स्वास्थ्य—कृषिअमज्जीवी—खानों और कार-
खानों के मजदूर—कारीगर या स्वतंत्र अमी—श्रौद्धोगिक शिक्षा—
मानसिक कार्य करने वाले—घरेलू नौकर—कायंकुशलता की वृद्धि ।

पृष्ठ ४२—६०

चौथा अध्याय पूँजी

मूल धन या पूँजी—भारतवर्ष में पूँजी की दशा—किसानों की
पूँजी—पशुपालन—उद्योग-धंधों के लिए पूँजी—मरणोन्न—विदेशी
पूँजी का प्रयोग—मारत के काम में न आनेवाला धन—भारतीय
पूँजी की वृद्धि के उपाय ।

पृष्ठ ६०—७

पाँचवाँ अध्याय

ब्यवस्था, और वही मात्रा की उत्पत्ति

प्राकृथन—ब्यवस्था में प्रबन्ध का स्थान—साइस—भारतवर्ष में प्रबन्ध और साइस—उत्पत्ति के तीन क्रम—त्वावलम्बी समुदाय—छोटी मात्रा की उत्पत्ति—कारीगरों का जमाना—वही मात्रा की उत्पत्ति—कल-कारखानों का जमाना—मिश्रित पूँजी बाजी कमनियाँ—कारखानों के मज़दूरों का जीवन—कारखानों का कानून—जानों में मज़दूरों का जीवन—जानों का कानून—इडतालों के कारण—इडतालों के सम्बन्ध में म० गांधी के विचार—श्रमजीवियों की उन्नति के उपाय—श्रमजीवी सब—पूँजी और अम का संघर्ष—संघर्ष दूर करने के उपाय—समझौते की ब्यवस्था—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ ७१—८०

छठा अध्याय

खेती

इमारी खेती की उपज—बाधाएँ—किसानों की निर्धनता आर निरक्षण—खेतों के छोटे-छोटे और दूर-दूर होने को रोकने के उपाय—वे मुनाफे की खेती—ऐसी मूमि जिसमें खेती सम्भव है, पर को नहीं जाती—पड़ती मूमि का उत्तरयोग—विचार—खेतों के पशुओं आदि का सुधार—बड़िया तथा नयी किस्म की चौजों की उत्पत्ति—खेती और सरकार।

पृष्ठ ६०—१०२

सातवाँ अध्याय

उद्योग घंथे

भारतवर्ष का ओद्योगिक विभाजन—भारतवर्ष में छोटां दस्त-कारियों की विशेषता—किसानों के जिए उपयोगी सहायक घंथे—हाथ की कठाई-तुनाई—अन्य उद्योग घन्थे—ग्रामोद्योग संघ—घरू उद्योग-

धन्धों की उत्तरति के उपाय—चड़े चड़े कारखाने—खनिज पदार्थों का व्यवसाय—सचालन—शक्ति—ओटोगिक उत्तरति की आवश्यकता—एक समस्या और उसका हल—उद्योग धन्धों के लिए सरकारी सहायता—उद्योग-धन्धों का संरक्षण—युद्ध और उद्योग धन्धे ।

पृष्ठ १०२—१२०

आठवाँ अध्याय उत्पत्ति की वृद्धि और आदर्श

उत्पत्ति की वृद्धि; स्वावलम्बन को आवश्यकता—कैसी चीजों की उत्पत्ति को जानो चाहिए !—उत्पत्ति का आदर्श—पूँजीवाद—परमार्थवाद और मध्यम मार्ग—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १२०—१२४

दीसरा भाग

उपभोग

नवाँ अध्याय

उपभोग और आवश्यकताएँ

उपभोग में विचार की आवश्यकता—विचार न करने से हानि—आवश्यकताएँ—आर्थिक आवश्यकताओं के लक्षण ।

पृष्ठ १२५—१३०

दसवाँ अध्याय उपभोग के पदार्थ

जीवन-रक्षक पदार्थ—निपुणता-दायक पदार्थ—इतिम आवश्यकताओं के पदार्थ—आराम के पदार्थ—बिलासिता के पदार्थ—अधिक-
“पूरि” → पदार्थों के उपभोग का विचार; (१) अच—(२) नमक—(३) घी, दूध—(४) खाड़ और गुड़—(५) फण्डा—(६) चाय—(७) तम्बाकू—(८) मादक द्रव्य—भोजन वस्त्र आदि के उपभोग की विचि—उपभोग के पदार्थों के शुद्ध होने की आवश्यकता—

भागतवासियों के मकान—धरो का सामान—मामूदिक उपभोग के पदार्थ—युद्ध, और उपभोग का नियन्त्रण । पृष्ठ १३०—१४७

भारहवाँ अध्याय

रहनसद्वन और पारिवारिक आय-व्यय

रहनसद्वन पर प्रभाव डाननेवाली बातें—भारतवासियों का रहनसद्वन—रहनसद्वन के सम्बन्ध में सरकारी मत—जनता का मत—रहनसद्वन के दर्जे के ऊचे होने की आवश्यकता—रहनसद्वन का दर्जा ऊचा करने के साधन—युद्ध और रहनसद्वन का दर्जा—पारिवारिक आय-व्यय के शान की आवश्यकता—भारतवर्ष में पारिवारिक आय-व्यय-माहित्य—व्यय सम्बन्धी अनुमति—जीवि के जिए नंकड़ों का नमूना—नक्शे का कुछ स्पष्टीकरण । पृष्ठ १४८—१६१

धारहवाँ अध्याय

उपभोग का विवेचन

मदुपभोग—दुरुपभोग—मादक पदार्थों का उपभोग—विदेशी वस्तुओं का उपभोग—विदेशी वस्तुएँ सस्ती होती हैं । अम-निवारण—विना सोचेन्विचारे दान-घर्म—रीति-रस्म आदि में अपव्यय—मुकदम-चाजी—दुरुपभोग और आदतें—आवश्यकताओं का नियन्त्रण—उपभोग का आदर्श । पृष्ठ १६१—१७१

चौथा माग

मुद्रा और चैक

तेरहवाँ अध्याय

मुद्रा; रूपया पैसा

विनियम का माध्यम—माध्यम के झलकी गुण—सिक्का—माध्यम का चलन या करना—प्रामाणिक इके—भारतवर्ष में साकेतिक मुद्रा

(च)

भारतवर्ष से वर्तमान सिक्के—युद्ध का प्रभाव—भारतवर्ष के लिए सोने का सिक्का—नये सिक्के का विचार। पृष्ठ १७२-१८३

चौदहवाँ अध्याय

कागजी मुद्रा; नोट आदि

भारतवर्ष में नोटों का प्रचार—नोटों की अधिकता से बढ़ा और मँहगी—अत्यधिक मुद्रा-प्रसार—इसके दुष्परिणामों से बचने के उपाय—कागजी-मुद्रा-कानून—कागजी मुद्रा-कोप का रूप और स्थान—भारत-सरकार के नोट-आडिनेन्स। पृष्ठ १८३-१८४

पन्द्रहवाँ अध्याय

विदेशी विनिमय की दर

भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेनदेन—मुगलान की विधि—सरकारी हुंडी का भाव—विनिमय की दर का आधार—ठक्काली दर—भारतवर्ष की विनिमय-दर; छन् १८१६ तक—छन् १८१६ की करेन्सी कमेटी—चहुमत की सलग्ह—थी० दलाल की उलाइ—भारत-सरकार का निर्णय—इनका परिणाम—हिलटन यग कमीशन—विनिमय-दर जीचों होने का प्रभाव—विशेष बक्ट्र्य—युद्ध और विनिमय-दर।

पृष्ठ १८३-२०२

सोलहवाँ अध्याय

बैंक

साल का महत्व—महाजनी—बैंक—बैंकों के भेद—सहकारिता—सहकारी साल समितियाँ—सेन्ट्रल और प्रान्तीय सहकारी बैंक—मूमिन्द्र बन्धक बैंक—गोस्ट अफिस सेविंग बैंक—मिभित पूँजीवाले बैंक—इमोरियल बैंक—रिजर्व बैंक—एक्सचेज बैंक—बीमा कम्पनियाँ—उघति के उपाय—भारतवर्ष की बैंक सम्बन्धी आवश्यकताएँ—विलय-रिंग हाउस या चेक-बुकाँ भवन। पृष्ठ २०२-२२०

पाँचवाँ भाग

विनियम और व्यापार

सत्रहवाँ अध्याय

कीमत

विनियम और कीमत—पदार्थों का बाजार—कीमत की घटबढ़—कुद्रु विशेष पदार्थों की कीमत घटने-बढ़ने के कारण—सब पदार्थों की कीमत एक साथ घटने-बढ़ने के कारण—एकाधिकार में कीमत—कीमत की घटबढ़ का प्रभाव—कीमत बढ़ने का प्रभाव; कृपको पर—देहाती मज़दूरों पर—जमीदारों पर—हस्तों और शहरों के श्रमियों पर—कल-कारखाने वालों पर—निर्धारित बेतन पानेवालों पर—मूल्य-प्रस्त और सहूकारों पर—विशेष वक्तव्य—कीमतों पर सुद-समाचारों का प्रभाव—युद्ध और कीमत—नियन्त्रण।

पृष्ठ २२१-२३४

अठरहवाँ अध्याय

व्यापार के साधन

व्यापार के मार्ग—मङ्कों की आवश्यकता और उत्पत्ति—रेल—मोटर—रेल-नोड योजना—नदियाँ और नदरें—बन्दरगाह—इवाई बहाज—डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो—व्यापार के साधनों की उत्पत्ति और उसका प्रभाव—युद्ध और व्यापार के साधन।

पृष्ठ २३४-२५१

उनीसवाँ अध्याय

देशी व्यापार

देशी व्यापार के भेद—आन्तरिक व्यापार और उनके बेन्द्र—आन्तर्मात्रीय सहयोग की आवश्यकता—तटीय व्यापार—व्यापारी और उनका संगठन—तौल, माप और सिक्कों की विभिन्नता—क्रय-

विक्रय सम्बन्धी असुविधाएँ—दलालों की अधिकता—पदार्थों के भाव-तात्पर करने में विषय में—हाट-ब्यवस्था—माल का विचारण—व्यापारिक सफलता और ईमानदारी—युद्ध और देशी व्यापार।

पृष्ठ २५३—२६५

बीसवाँ अध्याय विदेशी व्यापार

प्राक्षयन—भारतवर्ष का प्राचीन व्यापार—व्यापार का परिमाण—व्यापार का स्वरूप—आयात की वस्तुएँ—रुइ और सूती माल—रेशमी और ऊनी माल—लोहि और फीलाद का सामान—चीनी—मिट्टी का तेल और पेट्रोल—कागज—आयात की अन्य वस्तुएँ—हमारे नियंत्रित के पदार्थ; जूट और उमका सामान—रुइ और सूती माल—खाद्य पदार्थ—तेलइन—चाय—चमड़ा और स्वाल—ऊन—चातु—व्यापार की बाकी—सीमा की राह से व्यापार—आयात-नियंत्रित सम्बन्धी विशेष वक्तव्य—विदेशी वहिष्कार और विश्वर्विधुत—विदेशों में भारतवर्ष का गोरव—युद्ध और विदेशी व्यापार—सुदूर व्यापार।

पृष्ठ २६५—२८३

इक्षीसवाँ अध्याय विदेशी व्यापार की नीति

संरचण नीति—मुक्तद्वारन्व्यापारनीति—इन नीतियों का व्यवहार—भारत की व्यापार नीति—नियंत्रित कर—सामाज्यान्तर्गत रियायत—सामाजिक सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप—सामाज्यान्तर्गत रियायत से भारत की हानि—व्यापारिक समझौते—व्यापार नीति और अन्तर्राष्ट्रीयता।

पृष्ठ २८४—२९२

(क)

छठा माग

विवरण

—०—

वाईसवाँ अध्याय

लगान

लगान के भेद—दस्तूर, आबादी और स्पर्दा का प्रभाव—त्रमी-दारी प्रथा की उत्पत्ति—बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त—स्थायी बन्दोबस्त के गुण-दोष—अस्थायी बन्दोबस्त—बन्दोबस्त का हिसाब—माल-गुजारी और लगान निर्धारित करने की विधि—बन्दोबस्त की अवधि—मयुक्षप्राप्ति का नया लगान-कानून—क्या जमीदारी-प्रथा हटा दी जानी चाहिए!—मुआवजे का सवाल; श्री समूर्णानन्द जी का मत—क्या रैयतवारी प्रथा निर्दोष है!—लगान की मावी व्यवस्था।

पृष्ठ २६३-२०६

तैईसवाँ अध्याय

मजदूरी

नक्कद और असला मजदूरी—मजदूरी की दर—अलग-अलग व्यवसायों के वेतन में करके क्यों होता है!—कृषि-श्रमियों की मजदूरी—न्वानों और कारखानों के अमज्जीवियों की मजदूरी—कारोगरों या स्वतंत्र श्रमियों की मजदूरी—शिक्षितों का वेतन—धरेलू नौकरों का वेतन—न्यूनतम मजदूरी—ग्राम-उद्योग-घंडे और चर्चा-साध का प्रयोग—उस्कार और न्यूनतम मजदूरी—वेतन सम्बन्धी समस्या—वेतन का आदर्श—युद्ध और वेतन।

पृष्ठ ३१०-३२८

चौबीसवाँ अध्याय

सुद

सुद का न्यवहार—सुद के दो भेद—झण-दाता—सुद की दर—कर्जदारी या गुण-प्रस्तरा—किसानों का कर्ज-भार—कर्जदारी के।

कारण और उनका निवारण—जंदारी और सरकार—कर्मदारों की रक्षा—रिजर्व बैंक की सिफारियें—किसानों की प्रश्न-मुद्दे—मन्त्रदूरों के आय की समस्या—अन्य व्यवस्थों का विवार—सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है ?

पृष्ठ ३२८-३४४

पचीसवाँ अध्याय

मुनाफ़ा

मुनाफे का अर्थ—मुनाफे के दा भेद—मुनाफे की कभी-वेशी का विवारण—किसानों का मुनाफा—हरिग-साहूकार का मुनाफा—गिल-साहूकार का मुनाफा—दुकानदारों का मुनाफा—आड़तियों का मुनाफा—आयात-विवरण करनेवालों का मुनाफा—कल-कारखाने वालों का मुनाफा—पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफा—मुनाफे का नियशण—मुनाफा और आदर्श—सूद और मुनाफा।

पृष्ठ ३४४-३५६

छब्बीसवाँ अध्याय

वितरण और समानता

असमानता का जन्म और वृद्धि—मन्त्रदूरों से पौंजी और राज्य क्षमता—असमानता का निवारण—घन-वितरण की पदति में सुशार—समानता का उद्योग—प्राचीन व्यवस्था—प्राचीन भारत का विवार—वर्णाधर्म धर्म और आर्थिक व्यवस्था—समाजवाद क्या है ?—भारतवर्ष और समाजवाद।

पृष्ठ ३५६-३६६

परिशिष्ट

कॉण्ट्रीस की आर्थिक नीति

दरिद्रता के से दूर हो ?—हृषि में वैशानिक सुशार—ग्रामोदयोग को प्रोत्साहन—मूर्मि-व्यवाली में सुवार—हृषि और उद्योगों का विकास—यित्ता और स्वास्थ्य का प्रश्न—मन्त्रदूरों के दितों की रक्षा—महाकारी कृषि पर जोर—पिछड़ी जातियों का उदार—कुञ्जवस्था का निवारण।

पृष्ठ ३६७-३७२

पहला भाग विषय-प्रवेश

पहला अध्याय भारतीय अर्थशास्त्र का विषय

इस पुस्तक का नाम 'भारतीय अर्थशास्त्र' है। इसे आरम्भ करने के लिए पहले हमें जान लेना चाहिए कि भारतीय अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसका आशय या मतलब क्या है। इसके बास्ते हमें यह विचार करना होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और अर्थ, धन यज उपकरण में कौन कौनसी चीज़ें गिनी या समझी जाती हैं।

अर्थशास्त्र— अर्थशास्त्र यह विद्या है, जो समाज में रहनेवाले आदमियों के आर्थिक या धन संबंधी प्रयत्नों और सिद्धान्तों का विवेचन करती है। मनुष्य अपने सुख के लिए, भोजन या दूसरी चीज़ें पैदा करके उन्हें खर्च करते हैं, वे उनका उपभोग करते हैं। अक्सर एक आदमी को दूसरे की बनायी वस्तु की आवश्यकता होती है, और वह उसके बदले में अपनी वस्तु या उसकी कीमत देता है। बहुत सी चीज़ों परसी हैं, जिन्हें पैदा करने या बनाने में दूसरे आदमियों से, अपवा उनके साधनों से, सहायता ली जाती है; उन्हें उनका प्रतिफल देना होता है। ऐसे ही आर्थिक या धन-संबंधी प्रयत्न या कोशिश है। अर्थशास्त्र इन प्रयत्नों को समझता है, इनका बयान करता है, और वह देशों की आर्थिक स्थिति या माली हालत, उच्चति और अवनति का विचार करता है।

इस शास्त्र को अर्थशास्त्र के अलावा संपत्ति-शास्त्र, धन-शास्त्र, अर्थ-विज्ञान, और धन-विज्ञान आदि भी कहते हैं।

अर्थ या धन— अर्थशास्त्र में धन या अर्थ के बज रूप-पैसे आदि सिक्कों, या सोने-चाँदी आदि धातुओं को ही नहीं कहते, बरन् इसमें वे सब पदार्थ समझे जाते हैं, जिनसे मनुष्य की किसी तरह की कोई आवश्यकता पूरी हो सकती हो, और जिनको देकर बदले में दूसरी उपयोगी वस्तुएँ मिल सकती हों। इस तरह अब्र, कोयना, लोहा, लकड़ी आदि चीज़ें भी धन हैं। संदेप में सब उपयोगी और विनिमय-साध्य चीज़ें धन हैं। कोई वस्तु 'विनिमय-साध्य' तब कही जाती है, जब उसे देकर उसके बदले में दूसरी उपयोगी वस्तु मिल सके। संसार में बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जो उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय-साध्य नहीं, इन वस्तुओं को अर्थशास्त्र में धन नहीं कहते। मिसाल के तौर पर हवा और शोशनी का विचार कीजिए। इनके उपयोगी होने में किसी को सन्देह नहीं है, परन्तु आम तौर से ये अपरिमित मात्रा में मिलती हैं, अतः ये विनिमय साध्य नहीं होतीं, और, इसलिए अर्थशास्त्र में धन नहीं मानी जाती। हाँ; विशेष दशाओं में, खान आदि में, ये परिमित परिमाण में होती है, इन्हें अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए अम अथवा धन खर्च करना होता है, तब यह विनिमय-साध्य होती है, और, इसलिए धन मानी जाती है। इससे मालूम होता कि धन होने के लिए, किसी चीज़ का, कम परिमाण में होना जरूरी है।

उपर धन के जो उदाहरण दिये गये हैं, वे भौतिक पदार्थों के हैं। उनके अतिरिक्त, अ-भौतिक धन भी होता है। एक शादमी दूसरे की, किसी प्रकार की सेवा करता है; यह उपयोगी है, इसके बदले में उसे द्रव्य या अब्र आदि अन्य आवश्यक वस्तु भी मिलती है। अतः उसकी सेवा धन है। इसी प्रकार किसी दुकान या कोठी की प्रतिदि या खारति उपयोगी भी है, और विनिमय-साध्य भी है; मानी इसका क्य कियर हो सकता है। इसलिए यह भी अर्थशास्त्र में धन मानी जाती है।

राष्ट्रीय सम्पत्ति— सपत्ति के दो भेद—निजी और राष्ट्रीय—

किये जा सकते हैं। कौन-कौनसी वस्तुएँ निजी संपत्ति मानी जायें, और कौनसी राष्ट्रीय संपत्ति समझी जायें, इस विषय में अकसर लेखकों में बहा मत-भेद होता है। पर यह स्पष्ट है कि बहुत सी चीजों निजी संपत्ति न होने पर भी राष्ट्रीय संपत्ति में सम्मिलित हो जाती है; जैसे सड़कें, पुल, नहरें, नदों नाले, सार्वजनिक मकान, शिहाज-मवन, अजायबघर, डाक, तार, रेल, बंदरगाह आदि।

भारतवर्ष को राष्ट्रीय संपत्ति में यहाँ की जनता की संपत्ति के अलावा भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकार, मुनिसिपल और लोकल बोर्डों तथा ग्राम-पंचायतों आदि संस्थाओं की और मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला आदि की संपत्ति सम्मिलित होनी चाहिए। इन सबके जोड़ में से वह रकम धटा देनी चाहिए, जो भारतवर्ष में दूसरे देशोंकी लगी हुई है, यानी जो दूसरों को देनी है। कुछ अर्थशास्त्रियों के मत से तो राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के अलावा देश के निवासी भी राष्ट्रीय संपत्ति के हिसाब में गिने जाने चाहिएँ; क्योंकि ये भी अपने देश के धन को बढ़ाते हैं। इससे स्पष्ट है कि देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का हिसाब लगाना बहुत कठिन एवं विवाद-ग्रस्त है।

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विद्या है—‘सामाजिक’ विद्या उस विद्या को कहते हैं, जो सामाजिक मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों का वर्णन और विवेचन करती हो। सामाजिक मनुष्यों से मतलब ऐसे मनुष्यों हैं, जो एक-दूसरे से मिलकर या पास पास रहते हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में तरह तरह के सम्बंध रखते हैं। बनों में या पर्वतों पर जुदा जुदा रहनेवाले साधु-सन्नाथी, या इधर-उधर अलग घूमते रहनेवाले असम्य मनुष्य, सामाजिक नहीं कहला सकते। किसी देश के नगरी और ग्रामों के रहनेवाले मनुष्य ही सामाजिक मनुष्यों की गणना में आते हैं। अर्थशास्त्र ऐसे ही सामाजिक मनुष्यों के आर्थिक सम्बन्धों का वर्णन करता है, इसलिए

यह एक सामाजिक विद्या है, अपवा समाजशास्त्र का एक भाग है।

अर्थशास्त्र के नियमों का व्यवहार—समाज में, सभी मनुष्यों का स्वभाव, आचार, व्यवहार एकसा नहीं होता, इसलिए अर्थशास्त्र के सब नियम सभी आदमियों के लिए लागू नहीं हो सकते। अर्थशास्त्र उन्हीं आर्थिक नियमों का विचार करता है, जो अधिकार जनता के लिए लागू हो सकते हैं।

इस शास्त्र के, और भौतिक विज्ञान आदि शास्त्रों के नियमों में मेंद है। भौतिक विज्ञान के नियमों की परीक्षा योड़े समय में, और सहज ही, हो सकती है। आदमी भौतिक पदार्थों के सम्बंध में, कोई जाँच करने के लिए अलग श्रलग परिस्थितियों पैदा करके अपना धान बढ़ा सकता है। परन्तु अर्थशास्त्र के विद्यायों को वे भूविद्याएँ प्राप्त नहीं हैं। उसके अध्ययन का विषय है मनुष्य-समाज के आर्थिक व्यवहार; और, इसके लिए हर समय योग्य साधन और विविध परिस्थितियों नहीं मिल सकती। उसे समाज के आर्थिक इतिहास का विचार करके कुछ अनुमान करना होता है। धीरे-धीरे विविध घटनाओं और परिस्थितियों के गुजरने पर उस अनुमान की जाँच होती है, और कुछ नियम निश्चिन्त होते हैं।

अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अर्थशास्त्र के विषय का विवेचन योड़े ही समय से होने लगा है। समाज के आर्थिक व्यवहारों के संबंध में जैन-जैसे विद्वानों का ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा, वह शास्त्र अधिकाधिक पूर्ण होता जायगा।

राष्ट्रीय अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र का आधार मनुष्यों के आपसी व्यवहार है। इन व्यवहारों में, देश के प्राकृतिक, सामाजिक सूक्ष्म, राजनीतिक परिवर्तन के कारण, अंतर पढ़ता रहता है। इसलिए अर्थशास्त्र के विद्वानों के प्रयोग में भेद उपस्थित हो जाता है।

हाथात के लिए इंगलैंड की ही बात लीजिए। बागहवीं और तेरहवीं सदी में वह कृषि-प्रधान देश था, मुद्रा का व्यवहार कम होने से बहु-

पदार्थों का क्रय-विक्रय न होकर उनका अदल-बदल ही होता था, और योङ्गी बहुत दामता की प्रथा से मेहनत-मज़दूरी का काम लिया जाता था। पीछे वर्द्धे दस्तकारी बढ़ने लगी, मुद्रा का चलन हुआ और व्यापार तथा व्यवसायों की समितियाँ बन गयीं। यह हालत अठारहवीं सदी के मध्य तक रही। बाद में किर विशेष आर्थिक परिवर्तन हुए; व्यावसायिक कानिंत हुई, धन की उत्पत्ति का कम बदल चला, दस्तकारी का स्थान कारखानों ने ग्रहण किया और यत्रों के उपयोग और नये-नये आविष्कारों से देश की उत्पादक शक्ति कई गुना बढ़ गयी। पूँजीपतियों तथा मज़दूरों के नये दल बन गये, नयी समस्याएँ पैदा हो गयीं। इसकिए अब वहाँ पहले के अर्थशास्त्र-सम्बन्धी व्यावहारिक नियमों का व्यवहार नहा हो सकता।

फिर, एक ही समय में दो देशों की हालत बराबर नहीं होती। मिसाल के लिए हम बीसवीं सदी के इंगलैंड और भारत की तुलना करते हैं। इंगलैंड में विश्वान का खूब प्रचार है, और वह कल-कारखानों का देश है। वहाँ के निवासी योङ्गे से मानसिक परिश्रम और दुर्दि-बल से बहुत सी मामूली चीजों को अमूल्य बना सकते, और बना रहे हैं। वहाँ साधारण शिक्षा तथा उद्योग-शिक्षा के लिए काफी प्रबन्ध है; और हरेक आदमी की दैनिक आय का औसत वर्तमान महायुद्ध के पहले दाईं रुपये था, और अब तो बहुत बढ़ गया है। इसके विपरीत, भारत-वर्ष कृषि-प्रधान देश है, कमो-कमी वर्षा ठीक समय तथा उचित मात्रा में न होने के कारण अथवा किसी वर्ष यहाँ से खाद्य पदार्थों की विदेशों में निकासी हो जाने से, ४०-५० फी-सदो मनुष्यों का निवाह कठिन हो जाता है। विश्वान यहाँ शुरू ही हुआ है। औद्योगिक शिक्षा के सुप्रबन्ध का तो जिक ही क्या, जब केवल अक्षर-शान का प्रचार ही सीखी-पुस्तकों में से केवल चौदह में हो। यहाँ के प्रत्येक मनुष्य की औसत दैनिक आय, अलग-अलग लेखकों के अनुसार, छः पैसे से तेरह पैसे तक है। ऐसी स्थिति में व्यापार और उद्योग आदि सम्बन्धी

अर्थशास्त्र के जो व्यावहारिक नियम इगलैंड के लिए हितकर होंगे, उनका भारत के लिए भी हितकर होना आवश्यक नहीं। मतलब यह कि भव देशों की स्थिति किसी एक समय में, अथवा किसी एक देश की स्थिति भव कालों में, यरावर नहीं रहती। इसलिए हरेक देश के लिए उसकी भौजूदा दालत के अनुसार अर्थशास्त्र के नियमों का व्यवहार जुदा-जुदा होना चाहिए। इस प्रकार के व्यावहारिक अर्थशास्त्र को किसी देश का, उस समय का राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहते हैं।

भारतीय अर्थशास्त्र—भारत-भूमि, भारतीय समाज, और भारतवर्ष की वर्त्तमान शासन-प्रणाली आदि को ध्यान में रखकर इस देश की आधुनिक स्थिति के अनुकूल व्यावहारिक नियमों और सिद्धान्तों के विचार से तैयार किया हुआ अर्थशास्त्र ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ कहलाता है। इसमें देश के आर्थिक प्रश्नों का राष्ट्रीय इष्टिकोण से विचार किया जाता है। इस शास्त्र के अध्ययन से हम यहाँ की विविध आर्थिक समस्याओं पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं।

लोगों की आर्थिक कियाओं पर उनकी रुचि, स्वभाव, शक्ति या विचार का प्रभाव तो पड़ता ही है; इसके अलावा मनुष्य के एक नामाजिक प्राणी होने के कारण, उस पर दूसरों के विचारों, पिछली परम्पराओं तथा वर्त्तमान अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ पूर्वों की सकृति उस पर असर डालती है, वहाँ माता-पिता, समाज या विरादरी आदि के संस्कार का भी उस पर प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। देश की धार्मिक, राजनीतिक, या आर्थिक दिप्ति, तथा नामाजिक रीति-रहम आदि भी उन सक्षारों के बनाने में बड़ा माग लेती है। भारतीय अर्थशास्त्र में इस प्रभाव को उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसका टोक अध्ययन, भारतीय परिवर्तियों के आधार पर ही किया जा सकता है। यह टोक है कि अर्थशास्त्र के मूल या बुनियादी सिद्धान्तों का संवर्धन मनुष्य मात्र से होता है, परन्तु हमें यह भी विचार करना चाहिए कि वे सिद्धान्त मारतीय समाज में किस

प्रकार और कहाँ तक लागू होते हैं।

हमारी आर्थिक समस्याएँ—भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को इस देश का विविध आर्थिक समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। मिशन के तीर पर यह सोचना चाहिए कि भारतवर्ष दूसरे देशों से गरीब क्यों है, यहाँ सर्वसाधारण स्वास्थ्यकर किसान इतने अमुण्डस्त या कर्जदार क्यों है, उनका उदार किस प्रकार हो सकता है, हमारे ग्रामों की वर्तमान दशा कैसी शोनमीश है, उसे किस तरह सुवारा जाना चाहिए, विदेशी माल की इतनी स्वतंत्र क्यों होती है, हमें अपने उद्योग घन्वों की उन्नति के लिए किन-किन उपायों को काम में लाना चाहिए, सावारण, भारतवासियों का रहन-सहन किसना नीचे दबें का है, उसे किस प्रकार ऊंचा किया जा सकता है, इत्यादि। आज दिन संसार के कई आद्योगिक देशों में पूँजीवाद अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद उसी का स्पन्नतर है, और उसके विशद प्रतिक्रिया हो रही है, जिसे समाजवाद कहा जाता है। यह लहर बढ़ती जा रही है। और, क्योंकि इस समय संसार में वैशानिक उन्नति के बारण, कोई विचार-धारा वहुत मुहूर्त तक किसी साध द्वारा में बन्द नहीं रहती; हम चाहें, या न चाहें, हमारे यहाँ भी विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता। हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि यहाँ किस सीमा तक तथा किस रूप में साम्यवाद या समाजवाद के प्रचार होने की संभावना है।

अध्ययन की आवश्यकता—अर्थशास्त्र मनुष्यों के रोजमर्ग के दाम का विषय है। प्रत्येक देश के आदमियों की भोजन वस्त्रादि एवं कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, जिनको पूरा किये विना निवार्द ही नहीं हो सकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के नियम क्या हैं, इनमें देश और समाज की परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि बातों का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र से मिलता है; इसलिए इसके अध्ययन की आवश्यकता साकृत ज्ञानिर है। फिर, इस समय तो यह

आवश्यकता और भी अधिक है; कारण, आजकल लोगों का रहन-सहन सरल नहीं है, रोजमर्रा की ज़रूरतें बढ़ गयी हैं, उनकी पूर्ति में ही जीवन का बहुत-सा समय और शक्ति लगानी पड़ती है—मानव जीवन अधिकतर आर्थिक विषयों में लगा रहता है, यहाँ तक कि इस युग को 'आर्थ-युग' कहना बहुत कुछ ठीक है। संसार आर्थिक चिन्ताओं और आर्थ-संकट में फ़सा हुआ है। भारतवर्ष की तो आर्थिक स्थिति और भी खराब है। चिरकाल तक सोने की चिड़िया समझी जानेवाली, दूध दही की नदियों के बास्ते विख्यात, आज इस मूमि को यह देखा है कि यहाँ करोड़ों आदमियों को स्खा-सूखा भोजन भी मर-पेट नहीं मिलता। यह देश पहले अपने बछ ये दूसरे देशों के निवासियों की लज्जा निवारण करता था, आज अपनी सन्तान को शरीर ढकने, और सर्दी-गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी बछ नहीं देता। इन बातों से विशाल भवनों में रहनेवालों, सरकारी दस्तूरों में काम करनेवालों, तथा बेबल सरकारी रिपोर्टों के आधार पर शान प्राप्त करनेवालों को भले ही आश्चर्य हो; बड़े-बड़े नगरों में बल्दी-बल्दी सैर-भराता करनेवाले रहते और याही यात्रियों को चाहे ये बातें कुछ बढ़ा कर कही हुई जान पड़ें, जनता से हिलमिल कर रहनेवालों को इन ही सचाई सहज ही मालूम हो सकती है। कोई आदमी देश के बड़े-बड़े बाजारों और मुख्य-मुख्य सड़कों को छोड़कर, अनदरहनी मागों में जाय, गाँवों और कस्बों में कुछ समय साधारण लोगों के साथ रहे तो उसे हमारे कथन का प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना न रहेगा। आर्थिक हाप्ति से इस दीन-दीन देश के उत्थान में माग लेने के अभिजापी, प्रत्येक स्वदेश-प्रेमी और हित-चिन्तक का यह अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है कि वह भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करे, और यहाँ की आर्थिक समस्याओं का विचार करे।

भारतवर्ष के आर्थिक प्रश्नों पर भली भाँति विचार करने के लिए, इसके भिन्न-भिन्न मागों की आर्थिक परिस्थिति तथा विविध समस्याओं

की सूक्ष्म जाँच करने की चड़ी आवश्यकता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जिज्ञासुओं को भारतीय जनता के सम्पर्क में आना चाहिए; और, क्योंकि यह देश अधिकाश में गाँवों का देश है, अधिकतर जनता गाँवों में रहती है, यहाँ के आम-जीवन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। इस पुस्तक में, जो श्रवने महान् विषय के विचार से बहुत छोटी ही है, कुछ मूल प्रश्नों या स्थूल बातों की भी साधारण ही विवेचना की जा सकती है।

दूसरा अध्याय

अर्थशास्त्र के भाग

अर्थशास्त्र का विवेचन करने के लिए इसे कितने भागों में बाटा जाय, यह बात बहुत-कुछ लेखक को करने या शैली पर निर्भर है। साधारण तौर पर इसके पाँच भाग किये जाते हैं:—धन की उत्पत्ति, उपभोग, सुदा और बैंक, विनियम, और वितरण। इस अध्याय में हम यह बतलाते हैं कि इन शब्दों का अर्थशास्त्र में क्या मतलब होता है। पदले उत्पत्ति को लीजिए।

उत्पत्ति—किसी चीज में उपयोगिता पैदा करना या बढ़ाना अर्थशास्त्र में उत्पत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक दर्जे कोट सी रहा है। वह कपड़े को यान में से काट-काट कर उसे ऐसे रूप में बदल रहा है कि पहननेवाले के लिए अधिक उपयोगी हो जाय। बुलाहे का काम देखो वह सूत को ऐसे रूप में बदल रहा है कि कपड़ा बन जाय और दर्जे के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाय। इसी तरह कातनेवाले के काम को लो, उसने कपास को ऐसे रूप में बदल दिया है कि सूत बन गया है, जो बुलाहे के लिए अधिक उपयोगी है। अच्छा, क्या कपास की खेती करनेवाले ने कुछ नयी चीज़ पैदा नहीं

की ? विचार करके देखा जाय, तो उसने उसके बीज (विनोले) को इस तरह खेत में रखा और उसे खाद तथा पानी आदि दिया कि वह बीज उनके तथा दवा के अंशों को लेकर ऐसे रूप में बदल गया कि उसकी पहले से अधिक उपयोगी बस्तु बन गयी। इसी तरह भेड़ का ऊन भी कोई नयी चीज़ नहीं है। यह उपयोगी ऊन ऊन खूराक से बना है, जो भेड़ ने खायी है, और यह खूराक उसी प्रकार मिट्ठी, पानी और दवा से बना है, जैसे कपास बनी थी। इस प्रकार अखल में मनुष्य कोई नयी चीज़ पैदा नहीं कर सकता, वह केवल उपयोगिता पैदा करता है। इसी को हम उत्पादन-कार्य कहा करते हैं।

क्या व्यापारी का कार्य उत्पादक है ? इसकी भी हमें उपयोगिता के विचार में ही जाँच करनी चाहिए। व्यापारी विविध बस्तुओं को ऐसे स्थान पर पहुँचाते हैं, जहाँ वे पहले की अपेक्षा अधिक आवश्यक अथवा अधिक उपयोगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कोयले की खान पर पहुँच हुए कोयले को किसी कारखाने में पहुँचा देने से उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है।

एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुँचने से भी, चीज़ों की उपयोगिता में अंतर आ जाता है। जिस आदमी के पास एक हजार मन अच्छ भए हुआ है, उसके लिए वह इतना उपयोगी नहीं है, जितना वह छोटे-छोटे बीदामरों के पास जाकर हो जाता है। साधारण गृहस्थों के यहाँ उस अन्तर की उपयोगिता और भी अधिक हो जाती है। इसलिए किसी चीज़ को बड़े-बड़े व्यापारियों से लेकर साधारण भेणी के आदमियों के पास पहुँचाने का कार्य भी उसकी उपयोगिता बढ़ाना है :

बहुत सी चीज़ों पर यही है, जो एक समय बहुत उपयोगी नहीं होती है लेकिन दूसरे समय उनको बहुत मर्ग हो जाती है। अपनी-अपनी शृङ्खल में बहुत सी घास जड़ी-बूटियाँ अपने आप ही बड़ी मात्रा में पैदा हो जाती हैं। जिस समय उनकी पैदा होने की शृङ्खल न हो, उस समय तक उन्हें समझ करके रखने से उनकी उपयोगिता बढ़ती है। इस्या

वेंक में जमा करना या व्याज पर उधार देना भी उपयोगिता बढ़ाने का उदाहरण है; ऐसा करने से व्यया सुरक्षित रहता है, और व्याज के रूप में उनकी जो वृद्धि होती है, वह रही अलग। विश्वापन या इश्तहार देने से वस्तुओं की माँग दूर-दूर तक होती है, उनकी विक्री बढ़ती है। इसलिए विश्वापन देना भी उपयोगिता बढ़ाने का काम है।

उपर, पदार्थों के रूप, स्थान, समय या अधिकारी में परिवर्तन होने से उत्पत्ति की, अर्थात् उपयोगिता बढ़ाने की बात समझायी गयी है। ये परिवर्तन भौतिक हैं। उनके बिना भी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए मदारी, मट, नांक गवैये आदि अपनी कला से दर्शकों और श्रोताओं को खुश करते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये भी उत्पादक हैं। इस प्रकार जज, पुलिस का सिपाही, सैनिक, डाक्टर, अध्यापक, तथा घर नीकर आदि अपनी सेवा से लागों की तरह तरह की ज़रूरतें पूरी करते हैं, और इसलिए उत्पादक हैं। इसके अलावा दुकानदार, बकील, डाक्टर या पडे आदि की प्रसिद्धि या ख्याति की भी उपयोगिता या आर्थिक मूल्य होने से उसे बढ़ाने की किया अर्थशास्त्र में उत्पत्ति कही जाती है। ये लोग सर्वसाधारण से जितना मेलजोल बढ़ाते हैं, उतना ही इन्हें ग्राहक, मुखिल, मरोज़ या जजमान अधिक मिलते हैं। इस तरह कुछ दशाओं में जनता से मेलजोल करना भी उपयोगिता बढ़ाने का अर्थात् धनोत्पत्ति का कार्य है।

अर्थशास्त्र में उत्पत्ति के दो भेद हैं, भौतिक और अ-भौतिक। भौतिक उत्पत्ति में किसी पदार्थ का रूप, स्थान आदि परिवर्तन करके उनकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ायी जाती है, और अ-भौतिक उत्पत्ति में कोई ऐसा सेवा-कार्य करके आदमियों की ज़रूरतें पूरी की जाती है, जिसके बदले में धन मिलते।

उत्पत्ति के साधन—प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने (भूमि या प्रकृति,

थम या मज़दूरी, और पूँजी }-ये तोन ही उत्पत्ति के साधन माने ये ।
लेकिन अब इनके अलावा व्यवस्था (अर्थात् प्रबंध श्रीर माल) को
भी उत्पत्ति का साधन माना जाना है, इस तरह आधुनिक भत से
उत्पत्ति के चार साधन हैं ।

कल्याना कीजिए, अब उत्पन्न करना है । खेती के लिए भूमि को
आवश्यकता होगी, किसान को इल चलाने और पानी देने आदि में
मेहनत करनी होगी, साथ ही उसे बीज, पैल आदि ऐसी चीज़ों की भी
ज़रूरत होगी, जिन्हें हम उसकी पूँजी कह सकते हैं । इस तरह
अनाज आदि कच्चे पदार्थ पैदा करने के लिए भूमि, अम और
पूँजी की आवश्यकता होती है । अब तैयार माल बनाने का उदाहरण
लें; कपड़ा सीने के काम का विचार करें । दर्जों को, उसके पैठने के
बास्ते स्थान (दुकान आदि) चाहिए; यह भूमि हुई । उसे इस कार्य
में अम करना होता ही है । उसे कपड़े, सुई-डोरे आदि की ज़रूरत
होती है, ये चीज़ों उसकी पूँजी है । इसी प्रकार छुहार, बड़द, झुनाई
आदि के कार्य का विचार किया जा सकता है । निदान, कच्चा माल दो
या तैयार; भौतिक उत्पत्ति में इन तीन साधनों की ज़रूरत होती है ।
अच्छा, अ-भौतिक उत्पत्ति के सम्बन्ध में क्या बात है । मिसाल के
तौर पर अध्यापक के कार्य पर विचार करें । उसे पढ़ने का काम
करने के लिए स्थान (पाठ्याला या मकान) चाहिए यह भूमि हुई ।
उसे अम करना पड़ता है, यह साफ़ ज्ञाहिर है । और, वह अपना काम
करने योग्य तभी हुआ है, जब उसने पहले सुद शिशा पा ली है,
जिसमें कुछ घन खन्द हुआ है । उस खन्द किये हुए घन के कारण उसे
अब अधिक घन मिलता है, इसलिए वह घन पूँजी है । इसी तरह जब,
सैनिक, या डाक्टर, आदि द्वारा होनेवाली अ-भौतिक उत्पत्ति के तीन
साधन होते हैं । अस्तु, भौतिक एवं अ-भौतिक उत्पत्ति के तीन साधन
साफ़ मालूम हो गये,—भूमि अम, और पूँजी । अब चौथे साधन—
व्यवस्था—का विचार करें ।

उत्पत्ति के साधनों में व्यवस्था को पहले अलग नहीं गिना जाता था। लेकिन अब कल-कारखानों में इकट्ठे बहुत-से आदमियों और बड़ी-बड़ी पूँजी से उत्पत्ति का काम होता है। इससे प्रबंध, इन्तज़ाम या निरीक्षण की आवश्यकता बढ़ गयी है। साथ ही कार्य बड़ा होने के कारण उसके सचालन की ज़िम्मेदारी या जोख़म अथवा साहस भी बहुत होता है। अब व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया है। व्यवस्था में प्रबंध और साहस दोनों ही समझे जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के ये साधन हुए—(१) भूमि, (२) श्रम, (३) पूँजी, और (४) व्यवस्था, अर्थात् प्रबंध और साहस। यह आवश्यक नहीं है कि ये सब साधन हर प्रकार की उत्पत्ति में अलग-अलग रूप से काम करते हुए दिखायी दें। सब का महत्व भी इमेशा बराबर नहीं होता। सुष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में भूमि और श्रम की प्रधानता रहती थी, आज-कल पूँजी और व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया है।

उत्पत्ति के साधनों में भूमि तो प्रकृति या कुदरत की देन है, दूसरे साधन मनुष्य (पुरुष) सम्बन्धी है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई; अर्थशास्त्र भी सृष्टि की धनोत्पत्ति सम्बन्धी विविध क्रियाओं का मूल कारण इन्हें ही बताता है।

अब उत्पत्ति के एक-एक साधन की बात लें। भूमि में यह विचार किया जाता है कि देश की प्राकृतिक या कुदरती ताकत कितनी है, जल-चायु, वर्षा, नदी, पहाड़, जगल, खान आदि कहाँ तक उत्पादन कार्य में सहायक हैं, और उन्हें कहाँ तक उपयोग में लाया जा रहा है। श्रम, मेहनत या मज़दूरी में जनता के सम्बंध में विचार होता है, जनसंख्या कितनी है, वह देश की उत्पादन शक्ति की तुलना में अधिक तो नहीं है, वह कहाँ तक बढ़ रही है, उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलक्ष आदि कैसी है, और देश की धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक स्थिति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है; श्रम करने की विधि कैसी है, और मज़दूर कहाँ तक अपनी योग्यता का उपयोग कर

मकते हैं। पूँजी के सम्बन्ध में यह सोचा जाता है कि देश के भिन्न-भिन्न वर्गों के पास कितनी पूँजी है, उससे कहाँ तक घन पैदा किया जाता है, वह किस तरह बढ़ायी जानी चाहिए, क्या विदेशी पूँजी का उपयोग लाभकारी है। व्यवस्था के द्वारे में विचार करने की बातें ये हीती हैं कि आधुनिक उत्पादन में इस की विशेष आवश्यकता क्यों होती है, कल-कारखानों में मजदूरों के स्वार्थ तथा उनके कुशलन्वेषण आदि के लिए किन-किन उपायों को काम में लाया जाना चाहिए। इन बातों के अलावा उत्पत्ति में खेती और उद्योग-धनों की स्थिति तथा उन्नति पर भी प्रकाश ढाला जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र में इस प्रसंग में इट विषय का भी विचार करना ज़रूरी है कि देश में जो उत्पादन कार्य हो, उसमें एक आदर्श हो, उसमें धार्मिक अर्थात् नैतिक नियमों की अवहेलना न की जाय। असल में घन तो लिंग एक साधन है, वह मनुष्य-समाज के लिए है। मानव समाज का अद्वितीय करके घन पैदा करना भारतीयों को, और इम कह सकते हैं, कि किसी भी ज्ञानवान् आदमी को अच्छा नहीं लगना चाहिए। उत्पत्ति का इतना विचार हो चुकने पर, अब हम अर्थशास्त्र के दूसरे भाग—‘उपभोग’—के विषय को सुप करते हैं।

• **उपभोग—अर्थशास्त्र में वस्तुओं के सभी प्रकार के स्वर्चं को उपभोग नहीं कहा जाता।** यह विचार करना हीता है कि उस वस्तु के स्वर्चं दोने से किसी आदमी को तृप्ति या संतुष्टि मिली या नहीं। उदाहरण के लिए एक आदमी एक रोटी खाता है, और दूसरा एक रोटी को आग में फेंक कर जला डालता है। दोनों दृश्याओं में रोटी स्वर्च हो गयी, उसकी उपयोगिता नष्ट हो गयी। परन्तु पहली दशा में रोटी से खानेवाले को संतुष्टि हुई, इस दशा में रोटी का उपभोग हुआ, यह कहा जायगा। इसके विपरीत, दूसरी दशा में रोटी के जलने से किसी आदमी को संतुष्टि नहीं हुई, इस दशा में, अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसका उपभोग होना नहीं माना जायगा।

अच्छा, एक कारखाने में कोयला खर्च होता है, उसके जलने से उसकी उपयोगिता नष्ट होती है। इसी प्रकार वहाँ मरीन धीरे-धीरे घिसती है, कमशः उसकी उपयोगिता घटती जाती है। क्या इसे उपभोग कहा जायगा ? यहाँ विचारने की बात यह है कि यद्यपि कोयले और मरीन के उपयोग से जो वस्तुएँ बनेंगी, उससे मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कोयले और मरीन के उपयोग का जो उद्देश्य उस समय सामने है वह किसी आदमी की तृतीय या संतुष्टि नहीं है बल्कि और अधिक धन की उत्पत्ति है, इसलिए इस किया को, अर्थशास्त्र में उपभोग न कह कर उत्पत्ति कहा जायगा ।

अस्तु अर्थशास्त्र में उपभोग का आशय किसी वस्तु (या सेवा) के ऐसे उपयोग से हाता है, जिससे किसी आदमी की तृतीय या संतुष्टि हो। अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो तरह तरह के पदार्थों का उपभोग करते हैं, वह कहाँ तक उनके देश के लिए हितकर है, और किन दशाओं में वह हानिकर है। इसी में परिवार या कुटुम्बों की आय-व्यय का भी विचार होता है, और यह भी सोचा जाता कि रहन-सहन का दर्जा कहाँ तक विद्यनायावदाना उपयोगी है, एवं वस्तुओं के उपभोग से अधिक-से-अधिक संतुष्टि किस प्रकार मिल सकती है ।

मुद्रा और चैकिंग—कोई मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें खुद ही पैदा नहीं कर सकता। इमें अक्सर अपने गुजारे के लिए भी दूसरों की पैदा की हुई या बनायी हुई चीजों की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं, जब उनके मालिक को बदले में कुछ अपने परिश्रम या मेहनत का फल दें। निदान, अदल-बदल समाज में रहनेवाले आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना उसका काम नहीं चलता। परन्तु हर समय हर एक चीज़ के अदल-बदल का सुभीता नहीं होता, इसलिए समाज ने वहे अनुभव से इस कार्य के लिए एक माध्यम या मुद्रा का निरचय किया है। मुद्रा या मिश्नों से विशेष संबंध

रखनेवाली संस्थाएँ बैंक कहलाती हैं।

अर्थशास्त्र में मुद्रा और बैंक के बारे में यह विचार किया जाता है कि देश में मुद्रा किस भाँति की और कितनी होनी चाहिए, तथा उसका विदेशी मुद्राओं से विनिमय किस दर से होना चाहिए, कागजी मुद्रा का चलन किस हद तक होना उचित है, उसके सम्बन्ध में किन नियमों का शालन होना जरूरी है, ऐक किस-किस उद्देश्य से खोले जाते हैं, उनका संचालन किस प्रकार किया जाय कि उनका दिवाला न निकले और उनसे जनता को योग्य लाभ होता रहे।

विनिमय—**पदार्थों** का अदल-बदल इसलिए होता है कि दोनों पदावालों को मुभैस्त हो; और, तभी तक होता है, जब तक कि दोनों को लाभ होता रहे। किसी भी पद का लाभ हटते ही यह कार्य बन्द हो जायगा। जब दो चीजों का अदल-बदल होता है, तो उनके परिमाण, राशि या मात्रा में कुछ अनुपात-सम्बन्ध रहता है, अर्थात् एक वस्तु के कुछ परिमाण के बदले, कुछ परिमाण में दूसरी वस्तु दी जाती है। इने इमउसका मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दस मेरचावल के बदले बोस सेर गेहूँ मिलें, तो दस सेर चावल का मूल्य बोस सेर गेहूँ हुआ, यानी एक सेर चावल का मूल्य दो सेर गेहूँ हुआ। जब किसी वस्तु की एक-इकाई का मूल्य मुद्रा में बताया जाता है, तो इम उसे उस चीज़ की कीमत कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में यदि एक सेर गेहूँ का मूल्य दो आने हो, तो गेहूँ की कीमत दो आने परी सेर हो रही। पदार्थों को ऐसे हिसाब से लेना-देना आधुनिक समय का विनिमय है। पुराने समय में, जब मुद्रा का प्रचार नहीं था, पदार्थों का अदल-बदल ही विनिमय था।

अर्पशास्त्र में विनिमय के बारे में यह विचार किया जाता है, कि देश के बुदा-बुदा स्थानों में तथा विदेशों में कहाँ तक कैसी-कैसी वस्तुओं का व्यापार होता है, उसमें क्या बाधाएँ हैं, और उन बाधाओं को किस प्रकार हटाया जा सकता है; विदेशी व्यापार से देश को

कोई हानि तो नहीं हो रही है, मरकार की व्यापार-नीतिका होनी चाहिए, यह विदेशों को मैजे जाने वाले या वहाँ से आने वाले माल पर, यानी आयात नियांत के पदार्थों पर, कर लगान में किन-किन बातों का ध्यान रखें।

वितरण——धनोत्पत्ति के विविध साधनों के मालिकों को उनका प्रतिफल मिलने का नाम अर्थशास्त्र में वितरण है। भूमि वाले को लगान, श्रम करनेवाले को वेतन, पूँजी वाने को सूद, व्यवस्था करनेवाले को मुनाफ़ा मिलता है। संभव है, किसी किसी उत्पादन कार्य में दो या अधिक उत्पादक साधनों का प्रतिफल पाने का अधिकारी एक ही आदमी हो, या कुछ आदमियों का एक समूह हो, तथापि हरेक के प्रतिफल का अलग-अलग मोटा हिसाव लगाया जा सकता है।

आजकल प्रायः उत्पादकों को उत्पन्न बस्तु का हिस्सा न देकर ऐसी रकम दे दो जाती है, जो उनके हिस्से की बस्तु के मूल्य के बराबर हो। किसी बस्तु ने प्राप्त होने वाले कुल मूल्य को कुल उपज रकम कहते हैं। उसमें से उत्पन्न बस्तु में लगी हुई कच्ची सामग्री और कारब्बाने की टूट फूट की संभाल तथा बीम आदि की रकम निकाल देने पर जो रकम शेष बचती है, उसे वास्तविक या असली उपज रकम कहते हैं। उत्पादक साधनों के मालिकों में असली उपज रकम का ही वितरण होता है। अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि इन मालिकों को लगान, वेतन, सूद आदि किस हिसाव से मिलना चाहिए; ऐसा तो नहीं होता कि भूमि वाला या पूँजी वाला अपना व्यवस्थापक उत्पन्न धन में से इतना अधिक भाग लेले कि अमियोंके लिए यहुत कम रह जाय, और सर्वसाधारण जनता को माली हालत खराब हो; देश में धन-वितरण यथा-सम्भव समान हो; ऐसा असमान न हो कि उससे असंतोष जाहिर करनेवाले विविध आन्दोलनों की नीत आये।

अर्थशास्त्र के विविध भागों—उत्पत्ति, उपभोग, मुद्रा और बैंकिंग, विनियम, और वितरण—का आगे अन्नग-अलग वर्णन करेंगे।

दूसरा भाग उत्पत्ति

पहला अध्याय भारत-भूमि

प्राक्षयन—जैसा कि पहले कह आये हैं, धनोत्पत्ति में भूमि का एक खास और महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के काम में आनेवाले सब पदार्थ, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, भूमि से ही पैदा हुए हैं। भूमि प्रकृति की देन है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, यह उसे चिना अम तथा दिना मूल्य मिली हुई है। प्रकृति से मिले हुए दूसरे पदार्थों में और भूमि में एक अन्तर है। दूसरे पदार्थ हवा, पानी आदि अपरिमित है, परन्तु भूमि को मात्रा (चेतकल) परिमित है। कोशिश करने पर दलदलवाली, समुद्र के किनारे की, रेगिस्तान या पर्वत आदि की कुछ भूमि अधिक उपयोगी बनायो जा सकती है, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, साथ ही उसे हम जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते; जितनी भूमि है, मनुष्य को आवश्यकता उससे अधिक की ही होती आती है। हवा आदि में यह बात नहीं; साधारण तौर पर यह जितनी चाहे उतनी ऊर्जा कर ली जाय, उसके बारे में किसी का यह विज्ञार नहीं होता कि यह मुझे कम मिलती है, दूसरे को ज्यादह।

धन की उत्पत्ति में पृथ्वी के क्षेत्र के तल के अलावा उसके भीतरी—भाग (मूर्गार्भ), जल-वायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इन

सब को भूमि के ही अंतर्गत समझा जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि में वे सब उपयोगी वस्तुएँ आ जाती हैं, जो मनुष्य ने न बनायी हो। मिसाल के तौर पर जगल, पहाड़, खान, नदी, भीज, तालाब, और समुद्र आदि, और इनसे अपने आप बिना मेहनत मिलने वाले विविध पदार्थ—लकड़ी, पशु-ची, शौधियाँ, घातुएँ, राख, मोती, मछलियाँ आदि—भी भूमि में ही शामिल हैं। इसी तरह जल-शक्ति, वायु-शक्ति, सूर्य का प्रकाश आदि भी भूमि के ही अंतर्गत हैं। इस अध्याय में भारतवर्ष सब वे इन बातों का विचार किया जायगा।

भारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति—भारतवर्ष एक विशाल भूखंड है।

इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची, बर्फ से ढकी दीवार है; बाकी तीन तरफ यह समुद्र से घिरा हुआ है। छुदा-छुदा जल-वायु, तरह तरह की भूमि, विचित्र विचित्र इश्य और मौति भौति की पैदावार देकर मानो प्रकृति ने इसे जगत् की प्रदर्शिनी या नुमायश बनादिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो यहाँ पैदा न हो सकती हो। कच्चे पदार्थों का भंडार होने के कारण इसे श्रीयोगिक पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने के लिए खास प्राकृतिक सुविधा प्राप्त है। पूर्वी गोलाद्ध का केंद्र होने से इसको स्थिति एशिया, योरप और अफ्रीका से व्यापार करने के लिए बहुत अनुकूल है। हाँ, इसे एक बड़ी बाया का सामना करना पड़ता है, यहाँ अच्छे बन्दरगाहों की कमी है। करीब तीन हजार मील लम्बा समुद्र-तट होते हुए भी, यहाँ व्यापार के लिए अच्छे उपयोगी बन्दरगाह होने-निने हैं। इस विषय का विशेष विचार व्यापार के लिलसिले में किया जायगा। भीतरी आमदरक्ष के विचार से दक्षिण भारत को तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी है; कारण कि वहाँ पर एक तो ऐसी नदियाँ हैं, जिनमें नाव अच्छी तरह जान्ता सकती हैं, दूसरे, वहाँ सड़कें और रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जबकि दक्षिण में पहाड़ या पर्याली भूमि होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

विस्तार—मोटे हिसाब से भारतवर्ष (जिसमें श्रवणमी शामिल नहीं है) का चेतकल १६ लाख वर्ग मील है, इसमें से पौने नौ लाख वर्ग मील विटिया भारत में है, और शेष देशी रियासतों में।

प्राकृतिक भाग—भारतवर्ष प्राकृतिक रूप से चारु भागों में बटा हुआ है :—(१) उत्तरी पठाड़ी भाग, (२) सिंध गंगा का मैदान (३) दक्षिण भारत, और (४) समुद्र-तट।

उत्तरी पठाड़ी भाग में हिमालय १५,००० मील तक बल लाता हुआ चला गया है। इस भाग की अधिक से अधिक चौड़ाई २०० मील है। हिमालय वही-वही नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा रखता है। इसके पश्चिमी भाग का जल विविध नदियों में पहकर सिंध में, तथा पूर्वी भाग का गंगा में जा मिलता है। इस भाग में बड़े मैदान नहीं हैं। यहाँ तरह-तरह की लकड़ियाँ और बनौपधियाँ (जगली दबाइयाँ) पैदा होती हैं। पठाड़ी नालों के जल में विजली का बड़ा भडार जमा है, परन्तु देश में विज्ञान का प्रचार कम होने से इसका अमी काफी उपयोग नहीं किया जाता।

सिंध गंगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों से बना हुआ है, और हिमालय की पश्चिमी शाखाओं से पूर्वी शाखाओं तक पैला हुआ है। इसका चेतकल तीन लाख वर्ग मील से अधिक है; यारा उत्तरी भारत इसमें सम्मिलित है। पश्चिमी रेतीले भाग को छोड़कर, यह बहुत उपजाल, व्यापार के अनुकूल, और धनी आवादी-वाला है। सिंध और गङ्गा आदि से इसकी सिचाई अच्छी तरह हो जाती है।

दक्षिणी भारत किन्ध और गङ्गा के मैदान के दक्षिण में पहाड़ों से दिया हुआ तिकोना पठार (ऊँचा मैदान) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ और भाड़ियों अधिक हैं; नदों पानी बहुत है या निकट है, वहाँ बड़े-बड़े झज्जों के नद्दियाँ भी हैं। पर्यटों से बनी हुई मिट्टी काले रस्ते की हैं।

इसमें आना-जाना तुरिकल है, सहके और गेले कीटिनाई ने बनवाई है। इस पठार की कौचाई १२०० में लेकर ३००० फुट तक है। यह भारत-वर्ष के ऊपर बनाये हुए दोनों मार्गों में कौचा तथा पुगना (आदिक उत्प्रवाना) है।

दक्षिण के पठार के दूबे और पश्चिम में सुनुद्र-तट वा नैदान है। इसका बहुत सा भाग सुनुद्र-तट ने दृक् हड्डी है, जो अदिक-नैदिक दो सौ गज़ गहरा है। पर्सियनी सुनुद्र-तट की चौड़ाई २० मील ने ६० मील तक है। पूर्वी सुनुद्र-तट की चौड़ाई ५० मील ने १०० मील तक है। इन सुनुद्र-तटों में नारियन के पेड़ बहुत हाँते हैं, और इनमें पैदावार अच्छी होती है।

जल-चायु और उम्रका आर्थिक प्रभाव—भारतवर्ष मूर्मध्यरेखा के पान (उत्तर में) है, परन्तु तान तरन सुनुद्र ने विरा दोने के कारण वहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होने पाया। जर्मीन की सबह वा घरातन सुनुद्र ने कहों तो अधिक कैंचा है और कहों कम। इससे सारे देश ने एक ही तरह का जल-चायु नहाँ रहता। अक्टोबर दृष्टिले में गरमी और ठंडरी पहाड़ी प्रदेश में सदौ रहती है; दीन में तरह-न-रह की जल-चायु भिजती है। मध्यभारत और राज-पूदाना सुनुद्र ने दूर है और सून्दे है। अतएव ये प्रायः बड़े में शीतल और गर्मियों में बहुत गर्म रहते हैं।

भारतवर्ष जैने प्राकृतिक शक्ति वाले देशों में थोड़ा-न्या ही परिश्रम करने से शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। गरम भागों में क्षयड़ की जाम ज़म्मरत नहीं होती। मामूली आदमी वर्ष का अधिक मध्य केवल लैंगोट या आँगोद्धा पहने बिता देता है। भोजन भी कम ही चाहिए। मक्कान की भी बहुत ज़म्मरत नहीं होती। गरम देश में मनुष्य ज़ल्दी थक जाते हैं, और बहुधा आरामतलव, गोगी, व्यसनी, दुर्घन, और अल्पायु अर्थात् कम उम्र वाले होते हैं।

विश्वान की सहायता से मनुष्य जल-वायु को कुछ हट तक बदल कर अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। भिलाल के तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि रेगिस्तान में बड़ी-बड़ी नहरें निकालने, तथा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने से जल-वायु में अन्तर किया जाय। भारतवर्ष में अभी विश्वान का इस दिशा में प्रचार तथा प्रयोग नहीं हुआ है। और, यह काम है भी इतने खर्च का, कि उरकार ही इसका बीड़ा उठा सकती है।

वर्षा और उसका आर्थिक प्रभाव—हृषि-प्रधान देश होने के कारण, वहाँ पैदावार को वर्षा का बहुत आतंरा रहता है। हास्तरत से अधिक याकम वारिया होने से कुसले मारी जाती हैं, और बहुत से आदमियों की जीवन-सप्ताह की कठिनाई बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा अलग-अलग होने से भारतवर्ष के किसी हिस्से में एक चौज की कुसल होती है, और किसी में दूसरोंचौज की। और, देश में लगभग सभी बौजें पैदा होती हैं। जनसंख्या का आवार भी कुछ अंश में वर्षा की मात्रा ही है; जहाँ वर्षा अन्दो होती है, और लोगों को खाने को आवानी से मिलता है, वहाँ आवादी प्रायः घनी होती है।

वर्षा के सम्बन्ध में, अन्य देशों से यहाँ यह विशेषता है कि भाल में दो मौसमी दृष्टियाँ निश्चित हैं। यद्यपि भिज-भिज प्रान्तों में पहाड़ आदि के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अप्रेल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम या समुद्र की ओर से, और अक्टूबर से मार्च तक उत्तर-पूर्व अर्पात् स्थल या खुरकों की ओर से इवा चलती है। इनमें से पहली इवा से ही वर्षा विशेष होती है।

मोटे हिसाब से, वर्षा की दृष्टि से, भारतवर्ष के चार दिशों किये जा सकते हैं:—

(१) अधिक वर्षा वाला। सो इंच से ऊपर वर्षा पश्चिमी तट, गंगा के डेल्टा, आसाम और सुरभाषाटी में होती है।

(२) अच्छी वर्षा वाला। चालीस से अस्सी इंच तक वर्षा गंगा को घाटी में इलाहाबाद तक, और पूर्वी तट पर होती है।

(३) खुशक या सखा। बीस से चालीस इंच तक वर्षा दक्षिण में, और मध्यभारत के पठार में होती है।

(४) बहुत खुशक। एक से दस इंच तक वर्षा आरावली पर्वत वै परिचम में, सिन्ध और विलोचिस्तान में होती है।

अक्सर यह ख्याल किया जाता है कि मारतवर्ष में जिस साल कम वर्षा होती है, उसी साल अकाल अधिक पड़ते हैं; पर यह बात पूरे तौर पर सत्य नहीं है। अकालों का मुख्य कारण जनता की बढ़ती हुई गरीबी भी है। वर्षा की बहुधा यहाँ कमी नहीं रहती; परन्तु इस देश में उसका पानी सचित करके नहीं रखा जाता; वह भूमि में जम्बू हो जाता है, अथवा नदियों द्वारा समुद्र में बह जाता है। उसे बड़ी-बड़ी झीलों में इकट्ठा करके उसका वैशानिक रीति से बटवारा करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ बहुत ज्यादह वर्षा से, या फ़सल पक जाने के समय की वर्षा से, कई स्थानों में बड़ी हानि होती है। डॉ बालकृष्ण जी ने लिखा है कि पश्चिमी देशों में ऐसे अवसर पर बादलों को तोपों से उड़ा देते हैं। कुछ वैशानिक इस बात का भी 'प्रयत्न कर रहे हैं कि आवश्यकता प्रतीत होने पर, विजली के द्वारा वर्षा करायी जा सके।

हिन्दुओं के प्राचीन शास्त्रों में ऐसे यज्ञों के होने का उल्लेख पाया जाता है, जिनका उद्देश्य वर्षा कराना था। आज-कल एक तो लोगों का इतनन्यश आदि में विश्वास नहीं रहा, दूसरे, इन कामों में इतना अधिक खर्च होता है कि मामूली हैसियत के आदमी इन्हें नहीं कर सकते। अस्तु, मारतवर्ष में खेती वर्षा के भरोसे, या आदपश्ची के सहारे ही की जाती है।

नदियों का आर्थिक प्रभाव—नदियों से व्यापार और कृषि में बड़ी सहायता मिलती है। उनसे बने हुए डेल्टों और टापुओं की

भूमि बहुत उपजाऊ होती है। नदियों की बाढ़ से बहुधा गर्वि नष्ट हो जाते हैं; खेती की उपज, पशु और अन्य माल-असवाच बह जाता है; लेकिन साथ ही उससे वह लाभ भी होता है कि कहीं-कहीं भूमि पर उपजाऊ मिट्ठी के परत जम जाते हैं, सूखे और वंजर स्थानों में तरावट पहुँच जाती है, एव ऊसर और रेहवाली मिट्ठी वह जाती है। नदियों द्वारा, पहाड़ों से लकड़ियों और लट्टे बहाकर मैदान में लाये जाते हैं। नदियों में से नहरें काटकर, वर्षा न होने के समय में भी खेतों की जासकती है।

भारतवर्ष में वजाच की वाचो नदी उसके अविकांश भाग को हरा-भरा रखती है। उनके द्वारा इस प्रात का माल सिन्ध तक जा सकता है। गंगा, अमृता ब्रह्मपुत्र, और गोदावरी तथा उनकी शाखाओं से पुर्वी भारत सीधा जाता है, और उनसे देश के कई हिस्से प्रेसे मिले हैं कि ग्रन्थ व्यापार हो सकता है। गंगा में एक दूजार मील तक तथा ब्रह्मपुत्र और सिन्ध में ८०० मील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज आ-जा सकते हैं। गंगा १५०० मील, और सिन्ध १८०० मील लम्बी है। दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी हैं, और माल दोने या सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं।

भूमि के मेद—जिदिया भारत की कुल भूमि लगभग ५८ करोड़ एकड़ है। उपज के विचार से इसके मेद इस प्रकार है:—

- १—जिसमें फसल बोयी जाती है
- २—जिसमें फसल नहीं बोयी जाती—

२१ करोड़ एकड़

(क) झंगल	७	"	"
(ख) परती भूमि	५	"	"
(ग) जिसमें खेती सम्भव है	६	"	"
(घ) खेती के अयोग्य	६	"	"
योग	५७	करोड़	एकड़

बोयी जाने वाली भूमि के बारे में पीछे, खेती के अध्याय में लिखा जायगा, यहाँ दूसरी ज़मीन का विचार करते हैं।

५९ जंगल—इनका आर्थिक प्रभाव बहुत है—(क) ये बारिश के पानी को जलदी बहकर चले जाने से रोकते हैं, और उसे ज़मीन में इकट्ठा करके उसे पीछे धोरेधीरे देते रहते हैं। (ख) पेड़ों के पत्ते हवा को तरी देकर उसकी गरमी कम करते हैं। (ग) इनसे पशुओं के चरने के लिए अच्छी चरागाहें होती हैं, तथा इमारतों और इंधन आदि के लिए लकड़ी मिलती है। (घ) इनसे कई व्यवसाय-सम्बन्धी पदार्थ मिलते हैं, जैसे गोद, रबड़, लाल, चमड़ा, रँगने के लिए पेड़ों की छाल, तारपीन, ममाले तथा कागज बनाने की घास आदि। (च) जंगलों में भूमि पर वर्षा भी अधिक होती है।

भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, आसाम और हिमालय प्रदेश में घने-घने जंगल अधिक हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के काम में आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्यप्रान्त की बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे, और हिमालय की तलहटी में, साल के पेड़ होते हैं। माझीन के दृढ़ मालाबार में अधिक होते हैं; इसकी लकड़ी कड़ी और ठोस होती है, तथा दोमक न लगने के कारण बड़ों टिकाऊ रहती है। देवदार और चीड़ के पेड़ हिमालय में होते हैं। आवनूस के पेड़ मैसूर और मालाबार के जंगलों में, तथा चन्दन के पेड़ मैसूर के जंगलों में, होते हैं। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे ही अधिक होते हैं। अनाजाम और केला गरम और तर जलवायु में पाये जाते हैं। हिमालय के मुख्य फल सेव, नास्पाती और अखरोट हैं। सिन्य और गगा के मैदान का, तथा दक्षिण का मुख्य फल आम है।

जंगल को आग से बचाने और छोटे-छोटे पेड़ों को काटने में रोकने के लिए सरकारी जंगल-विभाग सन् १८६१ ई० में स्थापित हुआ था। इस विभाग ने उपयोगी पेड़ों के लगाने का भी प्रबन्ध किया है। मदरास में क्षूर के पेड़ लगाने में सफलता हुई है। कई

प्रान्तों में महागनी और युक्तिपृष्ठस के पेहुँ लगाने का प्रयत्न हो रहा है। लाख उपजाने की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को इस विभाग से होनेवाला लाभ चट रहा है; लकड़ी तथा जैगल की दूसरी पैदावार की विक्री से उसे आमदनी होती है। इस के स्थापित होने से प्रजा को इतनी असुविधा भी हो गयी है कि बहुत-से स्पानों में लोगों को पशु चराने के लिए काफी भूमि नहीं मिलती; और लकड़ी के अधाव में गोवर के उपले अधिक जलाये जाने के कारण खेतों में खाद की कमी हो जाती है।

अन्य भूमि—परती भूमि के, तथा, तिस भूमि में खेती होना सम्भव है पर की नहीं जाती, उन के उपयोग का विचार आगे, खेती के सम्बन्ध में लिखते हुए, किया जायगा। कृषि के अधीन भूमि वह होती है, जिसमें कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। इस भूमि पर या तो भकान आदि बने हुए हैं, या नदी-नाले या मङ्कों हैं, अथवा उसका कृषि को छोड़कर अन्य कारों के लिए उपयोग हो रहा है।

खनिज पदार्थ—इस पहले कह आये हैं कि श्राव्यशास्त्र की दृष्टि से भूमि में खानों का भी समावेश होता है। प्राचीन ममय से यह देश 'खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसे रकार्मा भूमि कहते आये हैं। सोने-चौंदों के आमूर्यण, तांबे, पीतल, फूल आदि के वर्तन, लोहे के औजार और हथियार यहाँ चिरकाल से बर्ते जा रहे हैं। विविध खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं। बादर से आनेवाले बहुत में द्रव्य भी इस देश में मिल सकते हैं। इस यहाँ इस विषय की कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं।

लोहा—आजकल यत्रों और मशीनों का युग है और ये चीजें अधिकतर लोहे की ही बनती हैं। इसके अलावा हमारे परों के निर्माण में, तथा सामान बनाने में भी लोहे का खास स्पान है। इस तरह जिस देश में लोहा नहीं होता, उसे अपनी एक मुख्य आवश्यकता के लिए दूसरे के आसरे रहना पड़ता है। शीमांग से भारतवर्ष में यह पदार्थ

काफी मात्रा में मिलता है। बगाल, और विहार अपनी लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कोयले की खानी के नजदीक ही होने से विशेष उपयोगी है। इसके अलावा मध्यप्रान्त, मैसूर और घटराट में भी लोहा खासे परिमाण में मिलता है।

कोयला—आधुनिक श्रीबोगिक जगत में कोयले का बड़ा महत्व है। जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ रेल, यत्र और कल-कारखाने आसानी से जारी हो सकते हैं। भारतवर्ष का ६० की-सदी कोयला बगाल तथा विहार से मिलता है; कुल कोयले का आधा भाग भरिया से, और एक-तिहाई रानीगंज से, आता है। पश्चात, मध्यप्रान्त, मध्यमारत, आसाम, हैदराबाद, रीवा और बिलोचिस्तान में छोटी छोटी खाने हैं। अलग-अलग स्थानों के कोयले के माध्य में काफी फरक होता है: दूसरा कारण कोयले का गुण, उसकी गहराई, काम में आनेवाली मशीनें, मज़दूरी आदि के व्यवहार के बारे ही भिजलता है। वरन्तु जित रीति से यह यहाँ खानों से निकाला जाता है, वह ठीक नहीं है; उससे उसका भौतिक जल्दी समाप्त हो जायगा। उसमें सुधार की ज़रूरत है।

अन्य स्थनिज पदार्थ—ग्रैमनीज़ की खाने मध्यप्रान्त और मदराट में है। यह इस्पात बनाने के काम आती है। यह, विदेशी को भी भेजा जाती है। नमक की खान पंजाब में भेलम के किनारे से मिथ के पार कुछ दूर तक चली गयी है। यह पढ़ाई नमक कहलाता है। सौंपर की भोल में तथा समुद्री तटों पर खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है। शोरा ज्यादातर उत्तरी विहार में मिलता है। नोने की खाने कोलगर (मैसूर) में है। अध्रक की साने अजमेर, मदराट और विहार में है। संसार भर के झर्चे के लिए आगे से अधिक अध्रक भारत से ही जाता है। राजपूताना, मध्यप्रान्त, बम्बई, हैदराबाद तथा दक्षिण में इमारतों आदि के लिए पत्थर कई प्रकार का मिलता है। संगमरमर विष्वाचल थोणी में यहुत पाया जाता है।

कुछ समय से यहाँ अधिकाविक खनिज पदार्थ निकाले ना रहे हैं; लेकिन एक उद्योग-व्यंखेवाले वडे देश के लिए यह परिमाण कुछ बिरोप नहीं है। इगलैंड, जर्मनी, संयुक्तराज्य आमरीका आदि देश भारत से शक्तिशाकार और जनसंख्या में कहीं छोटे हैं; उनकी तुलना में भारत की खनिज पदार्थों की निकाली बहुत कम है।

खानों की रक्षा—भारत-भूमि में खनिज और शौद्धागिक पदार्थों का बड़ा भंडार है। पर इमारे देशवासियों के असान, आलस्य तथा पराधीनता के कारण उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जाता। योना आदि कई दब्य गुत पड़े हुए हैं। ताँचा, लोहा, कोयला आदि निकालने का ज्यादाहतर काम शरणरेखों के हाथ में है। अ-कुरुक्ष भारतीय मज़दूर मामूली मज़दूरी पाने हैं। ये पदार्थ इमारे देश से बाहर बहुत मेजे जाते हैं। इमरी खानों खाली हो रही हैं। इनमें 'कमागत-हास-नियम' लगता है; यानी एक सीमा पैसी आ जाती है कि उससे आगे जित अनुपात से पूँजी और अम बढ़ाया जाता है, उस अनुपात से उत्पत्ति नहीं बढ़ती। यह बात बहुत सोचने की है, क्योंकि खानों से जब एक बार प्रदार्थ निकाल लिये जाते हैं, तो वे सदा के लिए खाली हो जाती हैं; धारुएँ फिर पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए खानों की रक्षा का हमेशा विचार इन चाहिए, और उनसे निकले हुए पदार्थों का ज्यादातर उपयोग स्वदेश के लिए ही हीना चाहिए।

ग्राकृतिक शक्ति—भारतवर्ष में ग्राकृतिक शक्तियों के उपयोग की बड़ी सुविधा है। कोयले और इधन (लकड़ी) के बारे में पहले लिखा जा चुका है; इनसे मिलनेवाली संचालन-शक्ति का अनुमान हो सकता है। यहाँ साझार भर में सब से ऊचा हिमालय और दूसरे वडे-बड़े और ऊचे-ऊचे पहाड़ हैं, जिनमें बहुत से जल-प्रगत हैं। यहाँ बड़ी नदियों को भी कमी नहीं। इस प्रकार यहाँ जल-शक्ति भी स्वृप्त है। दौरानी, वह विजली के रूप में कहाँ तक काम में आने योग्य बनायी जायी है, तथा उसे कितना और बढ़ाया ना सकता है, यह दूसरी बात

है। इसका विचार आगे किया जायगा।

भारतवर्ष में बायु-शक्ति भी काफी है; परन्तु आजकल उससे काम लेना बहुत लाभदायक नहीं होता। भारतवर्ष का अधिकतर भाग उष्ण कटिबंध में होने से वहाँ सूर्य के प्रकाश (रूप) से मिलनेवाली शक्ति भी अनन्त है। परन्तु विश्वान की उच्चति न होने से, उसे वहाँ एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाता, और सनातन शक्ति के रूप में उसका प्रायः कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है।

भूमि सम्बन्धी विविध वातों का विचार करके हम सहज ही इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भारत-भूमि को स्वर्ण-भूमि, रत्न-गर्भा, या अनन्त-रांचि का श्रोत कहना ठोक है। यहाँ की जनता सुखी और सतुष्ट नहीं, तो इसका कारण स्वयं जनता की ही कोई कमी या दोष है। जनता के सम्बन्ध में, आगे जिखा जायगा।

दूसरा अध्याय

भारतवर्ष की जनसंख्या

प्राकथन—विछ्ले अध्याय में भारत-भूमि का विचार किया गया है। परन्तु भूमि बिना मेहनत, केवल घोड़े-से, सूँ मी कच्चे पदार्थों को पैदा कर सकती है। जंगलों में अपने आप पैदा होने वाले पदार्थ, मेहनत के बिना, मनुष्य के लिए विशेष उपयोगी नहीं होते, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। भिन्न-भिन्न उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करके रखने में या उन्हें ऐसे-रूप में लाने में कि वे मनुष्य की ज़रूरतें पूरी कर सकें, परिश्रम आवश्यक है। अर्थशास्त्र में, अम वे अतर्गत किसी मनुष्य द्वारा किया हुआ मानसिक या शारीरिक चह सब प्रमत्न समझा जाता है, जिसका उद्देश्य उन मनुष्य का मनो-रंजन न होकर घनोत्पत्ति हो, जो उत्पादक हो। अस्तु, अम पर विचार

करने के लिए पहले इस अध्याय में भारतवर्ष की जनसंख्या सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें लिखी जाती हैं।

भारतीय जनता—(बर्मा को छोड़ कर) भारतवर्ष की जनसंख्या पिछली (मन् १९४१ ई० की) मनुष्य-यणना के अनुसार, १८ करोड़ ८८ लाख है। इसमें से २६ करोड़ ८८ लाख मनुष्य विटिया भारत में हैं, और शेष देशी रियासतों में। कुल आवादी में से करीब नब्बे की सदी आदमी गांवों में रहनेवाले हैं, और शेष आदमी नगर निवासी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारतवर्ष का महार में एक विशेष स्थान है; समस्त मानव जनता का लगभग छठा हिस्सा भारतीय जनता है। यदि इतने आदमी भली भाँति शिक्षित, कृशल, स्वस्थ और स्वार्थी रहकर थम करें, तो देश का श्री-नृदि का दया ठिकाना है। परन्तु भारत की आर्थिक दुर्दशा तो प्रतिद्वंद्वी है, इसका एक कारण यह भी है कि कुछ आदमी तो रोगा या आलसी होने से अपनी आजीविका के लिए उद्योग नहीं करते, और बहुत-से आदमियों को यथोचित साधन या सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए उनके पास कानी भूमि ही नहीं है।

जनसंख्या और भूमि—विटिया भारत में कुल २२ करोड़ एकड़ भूमि जोती जाती है। इसमें प्रायः वह सब भूमि है, जो काम में लायी जा सकती है, योड़ी भी ही जमीन और है, जो परिश्रम करने में व्यवहारोपयोगी बनायी जा सकती है। इस प्रकार विटिया भारत के आदमियों के हिसाब से श्रीमत लगाने पर एक आदमी पीछे एक एकड़ भूमि भी नहीं आता। भारतवर्ष में हर सी मनुष्यों में ६६ भिं्ब वेतो ने गुजारा करते हैं; यदि केवल इन्हीं लोगों की दृष्टि में भूमि का विचार किया जाय, तो भी एक आदमी पीछे भवा एकड़ से अधिक भूमि नहीं पड़ती।

यदि मनुष्य-संख्या बढ़ती ही गयी, और लोग दूसरी ओर न जाकर

रेती पर ही मरोका करते रहे, तो या तो जिस ज़मीन पर खेती ही रही है, उसमें, अधिक पैदावार करने का प्रयत्न करना होगा, अथवा नयी ज़मीन पर खेती करनी होगी। अधिक पैदावार करने में 'कुमागत-हासु'-नियम की लगता है। और, नयी ज़मीन भी मव अच्छी ही नहीं निकलेगी, उसमें से बहुत-सी खराब भी होगी। इस प्रकार जनसंख्या की समस्या हमारे मामने उपस्थित होनी है, खामकर जबकि यह बराबर बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या की वृद्धि, और खाद्यपदार्थ—किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दो चातों पर निर्भर होती है, (क) मृत्यु-मृत्यु या की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होना, (ख) देश से बाहर जाकर बसनेवालों की अपेक्षा, विदेशियों का अधिक होना। भारतवर्ष में कुछ विदेशियों ने निवास कर रखा है, तो यहाँ के भी कुछ आदमी बाहर जाकर बसे हुए हैं; और, विदेशियों की संख्या यहाँ की जनसंख्या की तुलना में बिशेष महत्व नहीं रखती; उसका यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि में बिशेष भाग नहीं है।

यहाँ जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण, मृत्यु-मृत्यु या की अपेक्षा जन्म-मृत्यु का अधिक होना ही है। जनसंख्या के अंक समय-तमस पर बदलते रहते हैं। अक्सर जैसे-जैसे जन्म साख्या बढ़ती है, वैमे-वैमे मृत्यु-साख्या भी अधिक होती है। तथापि यहाँ जनता की वृद्धि हो रही है। मन् १८७१ वं० भारतवर्ष और बर्मा की जनसंख्या २००५ करोड़ थी, १८८१ में २५०४ करोड़, १८९१ में २८०७ करोड़, १९०१ में

* इसका अद्यत यह है भूमि की पैदावार में, एक खास सौमा के भाने पर, यह मूलधन और परिव्राम विस अनुपात में बढ़ाया जाता है, पैदावारा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है। चतुर्ति का यह अनुपात आगे चलकर कमशः कम होता जाता है। अधिक परिव्राम और मूलधन लगाने से जो अधिक कमशः कम होता जाता है। अधिक परिव्राम और मूलधन लगाने से जो अधिक कमशः होती है, वह परिव्राम और मूलधन की अधिकता के अनुपात में नहीं होती; उसमें कम होती है।

२६.^४ करोड़, १९११ में ३१.^५ करोड़, १९२१ में ३२ करोड़, और १९३१ में ३५.^३ करोड़ रही। सन् १९४१ में भारतवर्ष की जनसंख्या ३८ करोड़ पद्दलाल थी।^५

इन वर्षों में खाद्य पदार्थों की मात्रा किस अनुपात से बढ़ी है, इस विषय में हिसाब लगानेवालों में मत-भेद है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से अधिक हुई है। कुछ लेखक इससे सहमत हैं। इनका यह भी अनुमान है कि सिचाई और कृषि सम्बन्धी उन्नति से, पैदावार अभी और भी बढ़ रहती है। लेकिन दूसरे विद्वानों का मत है कि खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की वृद्धि उक्त अनुपात से कम हुई है। यही नहीं, इनका कथन है कि अब खेती-योग्य भूमि बढ़ाने की ज्यादह गुजाइश नहीं है। नहीं आदि के निकालने से खाद्य पदार्थों का परिमाण कुछ अर्थ में और भी बढ़ाया जा सकेगा, पर वह अब अवनी चरण सीमा के नजदीक आ रहा है। एक सीमा के बाद यह परिमाण बढ़ाना कठोर-कठोर असम्भव होगा। जो लेखक यह मानते हैं कि विगत वर्षों में खाद्य पदार्थों की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से कुछ अधिक हुई है, वे भी यह स्वीकार करते हैं कि सर्वसाधारण की हितति में विशेष मुधार नहीं हुआ। जितने आदमी पहले भूले या अघ भूले रहते थे, अब भी भूले या अघ-भूले रहते हैं। यदि देखने में हमारी आर्थिक अवस्था पहले को सी ही हो, तो भी असली अवस्था में अवश्य अतर आ गया है; अब मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत बढ़ गयी हैं, जीवन के आदर्श बदल गये हैं। पहले जितनी चीज़ों से निर्वाह हो जाता था, अब उतनी चीज़ों से काम नहीं चलता। ऐसी दशा में जनसंख्या का बराबर बढ़ते रहनों^६ चिन्ता की बात है; कारण, इसका नतीजा अकाल या महामारी

* सन् १९४१ की मनुष्य-गणना द्वारे लो डस्टी पहले सन् १९३८ के निष्ठान से दर्मा दो भारतवर्षी है जुदा कर दिया गया था।

होता है।

जनसंख्या और कुल धनोत्पत्ति—कुछ लेखकों का मत है कि “जनसंख्या का, खाद्य पदार्थों को उपज की विधि से विचार करना युक्तिसंगत नहीं।” हमें देखना चाहिए कि देश की कुल धनोत्पत्ति से उस का क्या अनुपात है, हरेक आदमी के हिसाब से देश में जितनी औसत धनोत्पत्ति होती है, वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है या नहीं। इस समय व्यापार का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय होने से जनसंख्या की समस्या का स्वरूप बदल गया है। यदि हमारे देश में काफी खाद्य पदार्थ नहीं होते तो आदमी देश में योग्य सपत्ति है तो खाद्य पदार्थ विदेशी से मोल मँगाये जा सकते हैं।” ये लेखक यह मिठ्ठा करते हैं कि चाहे खाद्य पदार्थों की विधि से भारतवर्ष की वर्तमान जनसंख्या अधिक हो, परन्तु देश के औद्योगिक करण से यानी उद्योग धन्यों की काफी उन्नति से मह बात न रहेगी, उससे लोगों की समस्ति अधिक होगी। किर, उनके लिए खाद्य पदार्थों की समस्या उपस्थित न होगी; महां आवश्यक सामग्री न मिलने पर वह; कुछ महँगे भाव से ही सही, विदेशी से सहज ही मँगायी जा सकेगी।

देश में उद्योग-धन्यों की वृद्धि को हम भी आवश्यक और उपयोगी मानते हैं, (इसके सम्बन्ध में विशेष विचार आगे किया जायगा), और यह भी ठीक है कि कुछ अश्य में उससे जनसंख्या की समस्या डल होने में

* मानवसं सामरक अधिकारी का यह सिद्धात है कि यदि कोई बाधा उपस्थिति न हो, तो देश की जनसंख्या उचित वित्तीय अवधि १, २, ४, ८, १६, ३२ या १, ३, ९, २७, ८१, २४३ आदि के दिसाब से बढ़ती है। खाद्य पदार्थ १, २, ३, ८, १६ या १२८, २, २४३, २१६ आदि के दिसाब से बढ़ती है। खाद्य पदार्थ १, २, ३, ८, १६ या १२८, २, २४३, २१६। आदि अर्थात् अकर्गाण्यन की वृद्धि के दिसाब में बढ़ती है। यदि जनजा को वृद्धि नियमित रूप से न रोकी जाय तो दर्दिता (जो अनियमित वृद्धि का आवश्यक परियाम है) या इंद्रवीह को दाता उम्मीद होता है, राज्यों में घटस्पर युद्ध विद्य जाता है, औनि-भौनि के रोग किनते हैं, और बालकों की सूख-संख्या बढ़ जाती है।

सहायता मिलेगी। परन्तु वह इस समस्या का स्थाई हल नहीं है। अन्य देश भी श्रीदोगिककरण में लग रहे हैं, तथा लगेंगे। यदि समाजकेहोठे देश के आदमी अपने गुजारे की खाच सामग्री के लिए बूझे देशों के आउरे रहने लगें तो क्या परिणाम होगा, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। फिर, आजकल तो हर समय युद्ध के बादल छाये रहते हैं, और किसी भी देश के, युद्ध में फसने की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अपने खात्र पदार्थों के लिए परावलम्बी यना रहना जीवनम से खाली नहा। अस्तु, भारतवर्ष का अपनी जनसंख्या के सम्बन्ध में असाधारण रहना उचित नहीं; चाहे इसकी समस्या आज उतनी उम्र न हो, जितनी कुछ सज्जन बुलाते हैं।

जनसंख्या पर सामाजिक और धार्मिक विचारों का

प्रभाव— भारतवर्ष में जनसंख्या बढ़ने का कारण कुछ अंश में यहाँ की जलवायी गर्म होना, शिक्षा का प्रचार न होना, और लोगों की गरीबी है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आधिक उन्नति होने पर जनसंख्या बढ़ने में कुछ रुचावट होने की आशा है। अस्तु, इस यहाँ विशेष विचार सामाजिक रीतियों और धार्मिक विश्वासों का करते हैं, जिनका जनसंख्या की वृद्धि पर खास प्रभाव पड़ रहा है।

यद्यपि भारतवर्ष में जुदा-जुदा जातियों के, और एक ही जाति के भिन्न-भिन्न आदमियों के, विचारों में योड़ा-बहुत फरक है, यहाँ हिन्दुओं में, जो दूसरी सब जातियों के आदमियों से अधिक सख्त्या में हैं, खासकर कन्या का विवाह अनिवार्य माना जाता है। पुत्रपैदा करना धार्मिक कर्तव्य समझ जाता है। शाष्ट्रों में कहा गया है कि 'अपुत्रस्य मनिनांस्ति'। ग्रामीन बाल में, जब नवोन्नयी भूमि में बस्ती होने लगी होगी, तब देश में जनसंख्या बहुत कम होगी, और आधिक या अन्य कारणों से उसे बढ़ाने की बहुत ज़मरत भालूम हुई होगी। अब यह बात नहीं रही, परन्तु भगवाज से किसी प्रकार के विचार, एक बार घर कर लेने के बाद जल्दी नहा इटते। शिक्षा आदि

का यथेष्ट प्रचार न होने के कारण अधिकार मारतवासी स्वतन्त्र विचार करके, प्राचीन प्रथाओं और रीति रसमा में, देश-काल के अनुसार परिवर्तन नहीं करते, और जनसंख्या सम्बन्धी उपर्युक्त विचारों को अपनाये हुए हैं।

इसके अलावा प्राचीन काल में, इस सम्बन्ध में जो मर्यादाएँ था भीमाएँ था, वे भी अब नहीं रहा। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष पञ्चीस वर्ष तक, और कन्याएँ सोलह वर्ष तक ब्रह्मचर्य आधम में रहें, और पढ़ें; शारीरिक, मानसिक और नितिक योग्यता प्राप्त करें; अपनी आजीविका प्राप्त करने और पर गृहस्थी चलाने योग्य यन जार्य तब जाकर गृहस्थ आधम में दाखिल हो। फिर गृहस्थाधम भी चार आधमों में से एक था; इसकी मियाद आयु के नौवाह द्विसे अर्थात् पञ्चीस वर्ष की ही थी। इसके बाद मन्तान नहीं होती थी। गृहस्थाधम पूरा करने पर जीवन आत्मोन्नति तथा परोक्षकार में लगाया जाता था। पिछली सदियों में इन बातों का विचार न रहा। बाल-विवाह प्रचलित हो गया, छोटे-छोटे बच्चे-बचियों के विवाह होने लगे। बानप्रस्थ और सन्याम आधम के बल घर्म-प्रभ्यों में रह गये, व्यवहार में आदमी इन्हें मूल में गये। विवाह होने के बाद आदमी जन्म भर गृहस्थाधम में रहने लगे। पुरुष की एक खी मर जाने पर उसका दूसरा, तीसरा, और कुछ दराओं में इसके बाद भी विवाह होने लगा। हाँ, कैंची जातियों में विवाह क्रियों के पुनर्विवाह की प्रथा नहीं रही, वे ब्रह्मचर्य का जीवन विताने के लिए मदावूर को जाने लगी।

नतीजा यह हुआ कि एक और तो अनेक हौड़ी उम्म के लड़के-लड़कियों के मन्तान होने लगी; दूसरी और कितने ही बूढ़े आदमियों के बेमल विवाहों से जनसंख्या बढ़ा इससे बच्चों का दुर्बल, रोगी और अत्यायु दोना स्वामानिक हो गया। अब कुछ समय में इसमें धीरे-धीरे मुघार हो रहा है। निटिश मारन में तथा कुछ देशी गज्यों में बाल-विवाह बन्द करने के कानून बन गये हैं, समाज-सुधारक भी इस दिशा में

आन्दोलन कर रहे हैं। हाँ, और भी बहुत कार्य होने की गुंजाइश है। शिक्षा के प्रचार, आधिक साधन, कुछ लोगों के रहन-सहन का दर्जा लेना होने, और मनवादा आज्ञाद जीवन विताने की इच्छा से भी जनसंख्या की वृद्धि पर कुछ रकावट होने लगी है। तो भी वर्तमान अवस्था में यहाँ आवादी की अधिकता की समस्या थोड़ी-बहुत है ही। और, कई कारणों से यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर रहने की भी काफी सुविधाएँ नहीं हैं।

जनसंख्या और पराधीनता—यह भी विचार कर लेना ज़रूरी है कि पराधीनता का जनसंख्या पर क्या असर पड़ता है। पहले कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ने में यहाँ की शिक्षा की कमी तथा गरीबी भी सहायक हैं। देश के स्वाधीन हो जाने पर इन बातों का दूर होना स्वाभाविक है, उस देश में जनसंख्या की वृद्धि में भी कुछ रकावट होगी।

स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन से भी जनसंख्या की वृद्धि कुछ अंश में रुकी है, साथकर जबकि आन्दोलन लगातार लग्बे समय तक चलता है। उस समय पुरुष ही नहों, महिलाएँ भी राष्ट्रीय कार्य-क्रम को पूरा करने में लगे जाती हैं, और लोकमत सन्तान पैदा करने के विश्व हो जाता है। पिछले राष्ट्रीय आन्दोलन में यहाँ स्थान-स्थार पर यह बात मुनने और पढ़ने में आयी कि पराधीनता के समय सतान बढ़ाना अनुचित है। कितने ही पुरुषों और लियों ने, सरकार के दमन से, जेल में जाने के कारण, और कुछ ने स्वयं अपनी इच्छा से अपना विवाह करना स्थगित कर दिया। इस तरह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के आन्दोलन से, एवं स्वराज्य प्राप्त होने पर, देश में जनसंख्या की वृद्धि कम होने की सम्भावना है।

प्रवास—जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का एक उपाय यह है, कि आदमी काफी संख्या में, विदेशों में जाकर रहते रहें। आज इल आमदरम् के साधन बढ़ने के कारण जनता का दूसरे देशों में जाना-

आना सुगम हो गया है; किन्तु सर्वसाधारण की, अपना निवास-स्थान छोड़ने की, प्रवृत्त बहुत कम है। इसका एक कारण तो यही है कि कितने ही आदमी खेंवी-बाही करते हैं, जिसे नहिं सुडौडा नहीं जा सकता। इसके अलावा बहुत से आदमियों के शृणु-प्रस्तुत या कर्जदार होने से उनका माहूकर मी उनके दूसरी जगह जाने में वाक द्वेषी है। परन्तु आर्थिक आवश्यकताएँ लोगों से उनके घर का मोह छुट्टा रही है। कुछ आदमी नौकरी आदि की तलाश में बाहर जाते रहते हैं; यद्यपि इनमें से ज्यादहर की पहुंच पास के नगर या डुस्चे तक होती है; कुछ आदमी दूर-दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपने प्रान्त को छोड़ कर दूसरे प्रान्त में जा चलते हैं। उदाहरण के लिए भारतवाही इस समय बंगाल, आसाम, हैदराबाद आदि प्रनेक भागों में फैले हुए हैं, और वहाँ के व्यापार में खासा भाग ले रहे हैं। प्रायः अधिकित होते हुए भी उन्होंने दूर-दूर जाकर वहाँ की भाषा सीख कर अपना कारोबार जमाने और किफायत से काम चलाकर खासा धन जाहने में यहाँ साहस और कोशल दिखाया है। इसी प्रकार गुजराती बगाली, पंजाबी, आदि मी प्रवास में खासे उद्योगी रहे हैं।

यह सो हुई, अन्तप्रन्तीय प्रवास की बात। विदेश-गमन की कठिनाइयों का अधिक होना साक द्वी है। नयी भाषा, और नये रहन-सहन आदि के अलावा यहाँ इन्तुओं की समुद्र-यात्रा में धार्मिक और सामाजिक वाधाएँ भी हैं, यद्यपि ये अब कम हो रही हैं। हाँ, एक नयी याधा और बढ़ रही है; अपनी चढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिन्ता के कारण हरेक देश के निवासी यथा-सम्भव बाहर खालों को अपने यहाँ आकर बसने से रोकते हैं। नये उपनिवेश बसाने के समय आरम्भ में तो दूसरे देशों के आदमियों को बुजाने के लिए तरहतरह की मुविधाएँ तथा प्रलोभन दिये जाते हैं, पर कुछ समय बाद यह बात नहीं रहती। इस तरह जो भारतीय यहाँ का आर्थिक कठिनाइयों से अथवा साहस करके बाहर गये भी, उन्हें अक्षर अच्छा अनुभव

नहीं हुआ; उन्हें वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और श्रव भी करना पड़ रहा है। इसका एक खास कारण यह है कि वे पराधीन हैं, यहाँ की सरकार विदेशी में उनके स्वाधों की समुचित रक्षा नहीं करती। उधर, उपनिवेशों में प्रायः वर्ण-विद्वेष या रग-भेद आदि की बातें हैं, पराधीन देश बालों की तो वहाँ कुछ गुजर ही नहीं; वे कुलीगोरों या मामूली मज़दूर बरके भी केवल उस सत्य तक वहाँ रह सकते हैं, जब तक वहाँ के निवासी इसमें अपना स्वार्थ सिद्ध होता देखें। इस तरह मारतवासियों के लिए जनसाख्या की तृदि रोकने के बास्ते प्रवास का मार्ग प्रायः बद ही है। स्वराज्य प्राप्त होने पर यहाँ के आदमी खासकर उन देशों में जाकर बस सकेंगे, जिनके आदमी यहाँ आकर बसेंगे, अपवा यहाँ से लाभ उठाना चाहेंगे।

दूसरे प्रतिबन्धक उपाय——इस विषय में तो करीब-करीब सभी विचारशील एक मत है कि यहाँ जनसाख्या की तृदि में कमी होनी चाहिए, परन्तु उसके लिए उपायों के बारे में दो मत हैं। एक पक्ष का कहना है कि सायम और ब्रह्मचर्य का सिद्धात बहुत अच्छा अवश्य है, किन्तु यह केवल जैसे विचारवालों के बास्ते है, सर्वसाधारण के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, उन्हें कृत्रिम उपायों से सातान-निप्रह करना चाहिए। ये लोग जनता में इस प्रकार के विचारों का, अपने भाषणों तथा लेखों आदि से प्रचार कर रहे हैं। कुछ स्थानों में सातान-निप्रह की यिद्धा देने की भी व्यवस्था हो चली है। यह मत यहाँ पोइंट भयम से ही प्रचलित हुआ है; पर इस मत के पद्धतिवालों की सीख्या धोरे-धीरे बढ़ती जा रही है; सामन्तर नव यिद्धियों की प्राप्ति इस और बढ़ रही है। तो भी अधिकार समाज इन बातों को भयकर आयका और घणा की दृष्टि से देखता है। वह मारतवर्य की प्राचीन सकृति, नीति और धर्म के नाम पर उसका विरोध करता है, तथा

यह भी बताता है कि उन देशों में जहाँ ये उपाय विशेष रूप से काम में लाये गये हैं, समाज को बहुत हानि उठानी पड़ी है; यहाँ तक कि वहाँ कितने ही समाज-द्विषयी इनका घोर विरोधी रहे हैं।

जनसंख्या की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए ये उपाय काम में लाये जाने चाहिएँ^४ :—

(१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि रहन-सहन का दर्जा कौचा करें। आदमी अच्छे मन्त्रान तथा उत्तम भोजन-बख्त का उपयोग करें, और अपनी सन्तान के लिए भी इन चौड़ों का ठीक प्रबन्ध करें। रहन-सहन का दर्जा कौचा रखनेवालों में सतान की इच्छा कम होती है।

(२) बालक-बालिकाओं की ऊँची-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, जिससे वड़े होने पर वे अपने उत्तरदायित्व को पढ़िचानें, दूरदर्शी बनें, आदमी सतान पैदा करने की इच्छा होने पर आगे-पांछे की दरिस्तति का विचार करके उसका यथा-मम्भव दमन करें; और कई आयोग्य सन्तान की अपेक्षा एक-एक दो-दो सुयोग्य सन्तान पैदा करने का ही विचार रखें।

(३) यालक-बालिकाओं को सदाचार और सायम की खिक्का दी जाय, तथा विवाह करने की उम्र बढ़ायी जाय; और, बहुत ज्यादह उम्रवालों के विवाह (कुछ साल हालातों को छोड़कर) बन्द किये जायें। इस मम्भव में हिन्दुओं की आधुम-व्यवस्था का उल्लेख पहले किया जा सकता है।

(४) निर्बल, दारिद्र, वैशानुगत रोगी, पापज, या ऐसे शारीरिक या मानसिक विकारवाले आदमियों के विवाह बन्द होने चाहिए, जिनकी सन्तान सुदृढ़ और सुयोग्य होने की सम्भावना न हो।

(५) विदेशों के उन्हीं आदमियों को, तथा उसी दशा में, शाकर चमने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब वे यहाँ का घन यटाने में

* 'धन की उत्तर्ति' के आधार पर।

महायक हो, अथवा जोचे नेतिक विचारो का प्रचार करनेवाले हों।

(६) स्वराज्य प्राप्त किया जाय, जिससे देश को विशेषतया आर्थिक स्थिति का सुधार हो।

इन उपायों से भारतवर्ष को जनसंख्या बढ़ने की समस्या बहुत दुःख हल होने की आशा की जा सकती है।

क्या भारतवर्ष में अमज्जीवियों की कमी है?—इमने ऊपर कहा है कि भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि को यथा-सम्भव रोकने की आवश्यकता है। परन्तु बहुधा पूँजीपतियों को अमज्जीवियों की कमी की शिकायत होती है। देखी दराए में यह विचार करना चाहिए कि असली बात क्या है। क्या यहाँ अमज्जीवियों की सचमुच कमी है? क्या इस बात से ही कि यहाँ अब मज़दूर पहली बात नहीं पर नहीं मिलते, यह समझा जाय कि उनकी कमी है? इस समय विविध ब्रिटिश उपनिवेशों में बीस लाख से अधिक भारतीय अमज्जीवी काम कर रहे हैं, और प्रतिवर्ष हज़ारों कुली, बहुधा झुठे प्रलोभनों में फैसले, ठेके पर या स्वतन्त्र रूप से बहाँ जाते हैं। यदि उन्हें वर्तमान मौहमी के अनुसार मज़दूरी मिले, तो वे यहाँ ही न काम करें; घर का मोह छोड़कर विदेशों में क्यों भटकते फिरे? इमें यह भी नहीं भूमना चाहिए कि देश में बेकारों की किंतनी विकट समस्या उपस्थित है! यद्यपि यहाँ सरकारी तीर में भग्ह किये हुए प्रामाणिक अक्तैयार नहीं हैं, समय-समय पर होनेवाली बेकारों को आत्म-हृष्या, तथा एक साधारण वेतन वाली नौकरी के लिए संकहों उम्मेदवारों का प्रतियोगिता करना, अनेक उच्च धरानों के व्यक्तियों का, जोचे दर्जे के समके जानेवाले कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, आदि ऐसी पठनाएँ हैं कि बेकारों का विकास इतरूप छिपाये नहीं छिपता।

इम यह भी याद रखें कि यहाँ लगभग पौचंकरोड़ आदमी अवृत्त माने जाते हैं। यदि इनके प्रति सहयोग और भाईचारे का भाव रखा जाय, तो इनमें से बहुत से आदमी अच्छे-अच्छे कामों में सदायक

हो सकते हैं। आज उनकी दशा अच्छी नहीं, वे अशिक्षित और गदे हैं, परन्तु उच्चोग करने पर वे घनोत्पत्ति का अच्छा काम कर सकते हैं; सुधार-आनंदोलन के कारण कुछ आदमी तो काम कर भी रहे हैं। जरायम-पेशा जातियों के आदमियों से वर्तमान अवस्था में बहुत कम काम लिया जा रहा है, इनका उद्धार हो जाने पर वे भी अमियों की संख्या के बढ़ने में काफी सहायक हो सकते हैं। कई स्थानों पर किये गये प्रयोगों के अनुभव से सिद्ध हो गया है कि चोर और डाकू यथेष्ट परिस्थिति मिलने पर भले आदमी और उपर्योगी नागरिक बन सकते हैं।

पुनः हमारे फ़कीरों (यनावटी साधुओं) से भी देश के घनोत्पादन-कार्य में कुछ योग नहीं मिल रहा है। बहुत से आदमी के बल सुझ का खाने और मेहनत से बचने के लिए गोशह कपड़े पहन लेते हैं, अथवा यों ही फ़कीरों धारण कर लेते हैं। ये लोग साधारण शृङ्खला के लिए भारत-रूप, और देश की आर्थिक उन्नति में बाधक हैं। हर्ष की बात है कि अब सभा-समाजों में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि इनका कैसे उत्पान हो और देश की आर्थिक उन्नति में इनसे कैसे सहायता मिले। आशा है, धोरे-धोरे इस दिशा में भी सुधार होगा।

अर्थु, वर्तमान अवस्था में अचूत, जरायम-पेशा, और फ़कीर-काफ़ी संख्या में है, विदेशों में भी लाखों मारतीय अमो-काम-कर-रहे हैं। फिर भी यहाँ इतनी बेकारी है। इससे यह भली भौंति सिद्ध है कि यहाँ अमियों की संख्या कम नहीं है; कल कारखाने वाले जितनी कम मज़बूरी पर उनमें काम लेना चाहते हैं, उननी पर काओं शमी न मिले। यह दूसरी बात है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि अमों जैसे कुशल बाहिएं, वैसे कम हैं। इसका उगाय यह है कि उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए यथोचित रिक्ता आदि की व्यवस्था की जाय। इसके सबंध में सुलासा अगले अध्याय में लिखा जायगा।

दीसरा अध्याय। भारतीय श्रम

पिछले अध्याय में भारतवर्ष की जनसंख्या का विचार किया गया है। जनसंख्या के अलावा, घनोत्तरति पर इन बातों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्यों का श्रम उत्पादक है या अनुत्पादक, और उपर श्रम की कुशलता कितनी है। इन अध्याय में इन बातों का विचार किया जायगा। पहले श्रम की उत्पादकता का विषय लेते हैं।

उत्पादक श्रम; व्यक्तिगत और सामाजिक—जिस श्रम से कोई ऐसी वस्तु बनायी जाती है, जो धन की उत्पत्ति या वृद्धि में सहायक हो, अथवा जो श्रम दूसरों को घनोत्पादक व्यक्ति बढ़ाये, उसे उत्पादक श्रम कहा जाता है। मनुष्य को ऐसा ही श्रम करना चाहिए, जो उत्पादक हो। परन्तु इसमें भी उसकी दृष्टि व्यक्तिगत न रह कर सामाजिक होनी चाहिए। इसका आशय समझने के लिए इसमें जानना चाहिए कि कुछ श्रम ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक होने हुए भी सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक होते हैं; इसी प्रकार कुछ श्रम सामाजिक दृष्टि से उत्पादक होते हैं, परन्तु वे व्यक्ति की दृष्टि से अनुत्पादक हो सकते हैं। एक आदमी, चोरी करके धन लाता है, उसका श्रम उस व्यक्ति की दृष्टि से घनोत्पादक है, परन्तु समाज को इससे कोई लाभ नहीं, वरन् बहुत दानि है। आतंशशांति, नशे और विलासिताश्चों की चीजों की उत्पत्ति में लगानेवाला श्रम भी व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादक गिना जाता है। इसने समाज का द्वित नहीं होता, उसकी दृष्टि से यह अनुत्पादक है। ऐसे कुछ अन्य श्रम जो व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादक, और समाज की दृष्टि से अनुत्पादक हैं। उन वर्क्स और जमोदारी आदि के हैं, जो देश में मुद्रणनेशांति बढ़ाने या किसानों

को दग्धा चिंगाहने में सहायक होने हैं। ऐसे अम के करनेवाले अरने व्यक्तिगत स्वार्थ का ध्यान गव्व कर काम करते हैं।

परन्तु उमार में ऐसे परोपकारी, महास्माच्छ्री, उत्तो और स्वयसेवकों का अभाव नहीं है—हाँ, उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम रहती है—जो व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ की प्राप्ति अवहेलना करके मी अपना जीवन अपनी जाति, देश या मानव समाज के हित के लिए अपेक्षण करते हैं। जब कोई आदमी बहुत कष्ट उठाकर लेखक या वैद्य आदि के स्वय में समाज की सेवा करता है, और घनोत्पत्ति का उद्देश्य नहीं रखता, उस अम के उपलब्ध में कोई घन न लेकर सब कायं अवैतनिक स्वरूप से करता है, तो यह अम समाज की इटिंग में उत्पादक और व्यक्ति की इटिंग में अनुत्पादक कहा जाता है। भारतवासियों की स्वदेशोन्नति के लिए ऐसा अम भी काफ़ी परिमाण में करना चाहिए।

सामाजिक इटिंग से अनुत्पादक या इनिकर अम दो प्रकार के होते हैं। इसमें में कुछ तो शम्भु को और ने दरडनीय माने जाते हैं, और कुछ के लिए दरड नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में जोगी या लूट मार आदि करने वाली को दरड मिलता है, परन्तु आनंदवाजी की जीज़े, या अनेक प्रकार के मादक पदार्थ (जो औपचियों के लिए काम में नहीं लाये जाते) बनानेवालों के, और मुकदमावाजी बढ़ानेवाले वकीजों के हानिकर अम को दरडनीय नहीं माना जाता। आज-कल शहरों में ‘कार्नियल’ होने रहे, उनमें प्रतियोगिता के नाम पर नये-ये दैंग के जुर में दर्शकों का घन अपटरण किया जाता है। तरह तरह की लाटरियाँ निकालकर उनमें लोगों को फँसाया जाता है। इन कामों के करनेवालों के अम भी कानून में वर्तित नहीं है। किन्तु इसमें चाहिए कि कानून की न्यूनता, त्रुटि या दोष से अनुचित लाभ न उठावें। शम्भु में दरड मिलने की व्यवस्था हो, या न हो, हम कोई कायं ऐसा न करें, जो सामाजिक इटिंग में हानिकर हो।

भारतवर्ष में अनुत्पादक—यो तो सभी देशों में कुछ-न-कुछ

आदमी ऐसे होते हैं, जो उत्पादक श्रम नहीं करते, किन्तु भारतवर्ष में तो वे बहुत ही अधिक हैं। छोटे वालकों को उत्पादक कार्य न करने के लिए दोप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे इसके बोग्य नहीं हैं। यदि वे उपयोगी कार्यों की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो समझना चाहिए कि वे अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार लैंगड़े लूले, या अपाहिज्ञ तथा बेकार भी अनुत्पादक होने के कारण दोगी नहीं ठहराये जा सकते; कारण कि वे ऐसा होने के लिए वाध्य हैं। परन्तु जो आदमी हट्टे-कट्टे और काम करने योग्य होते हुए भी भिन्ना आदि से अपना निवांद करते हैं, वे (परोपकारी संघ महात्माओं को छोड़कर) दूसरों पर भार हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषतः सायुक्त परिवारों में अनेक आदमी और औरतें ऐसी हैं जो उत्पादक कार्य नहीं करतीं। अनेक रईस, घनवान, या सेठ बाहुकार तथा उनके लड़के भी अपने हाथ से कोई उत्पादक कार्य करना अपनी ज्ञान के लिनाऊ समझते हैं। किनने ही पुजारी और महन आदि भी ऐसे हैं जो समाज के लिए विशेष उपयोगी कार्य नहीं करते और मजे से विलासिता का जीवन विताते हैं।

इन सब बातों का निवारण किया जाना आवश्यक है। इसका एक उल्लम उपाय यह है कि भुक्तन्वोरी और परावनग्वन वे विद्वद् लोकमत समर्गित किया जाय। जो आदमी जिन श्रम किये खाता-पीता है, उसे समाज में प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए, जाहे वह स्वयं अपने ही पूबजों की कमाई खाता हो, या सरकार की विसी विशेष कृषा के कल-स्वरूप बड़ा आदमी कहा जाने लगा हो।

१. जाति-मेद—‘श्रम’ में शारीरिक बल के अलावा मनुष्यों के शान, फौजल, रिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, रीति-रस्म, रहन-उहन आदि को बहु सब योग्यता समझ ली जानी है, जो धनोत्पादन में सहायक हो सके। इस लिए भारतीय श्रम के सम्बन्ध में विचार करने में

हमें यहाँ के निवासियों की इन बतों का भी विचार करना होगा। पहले जाति-भेद को सेते हैं। प्राचीन काल में वेद-शास्त्रों के अनुसार बहुत समयतक यहाँ मुण्ड-कर्मनुसार चार जातियाँ रहीं, जो अपने-अपने निर्धारित कर्तव्य का नियम-पूर्वक पालन करके देश को सुखी और खनवान रखती थीं। पीछे समय के फेर से वे सहस्रों छोटी-छोटी जातियों में विभक्त हो गयी। बहुत से लोगों का मेल-जोल रहन-सहन, खान-पान, विवाह-सम्बन्ध आदि प्रायः उनके छोटे-छोटे दायरे (क्षेत्र) में ही होता है। इस प्रकार जन-साधारण के विचार तथा कार्य का केन्द्र बहुत परिमित हो गया। पिछली दशान्दियों में इस हिति में कमशः परिवर्तन हुआ है। वर्तमान शिक्षा, सम्यता, धार्मिक जागरूति, आजीविका-प्राप्ति की कठिनाइयों और राष्ट्रीय आनंदोलन ने भी इस परिवर्तन में कुछ भवायता पहुँचायी है।

आर्थिक हिति ने जाति भेद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैं:—
 (अ) इससे वंशानुगत कार्यकुशलता की प्राप्ति होती है, बाप-दादे के किये हुए काम की शिक्षा और उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते हैं। (आ) हर एक जाति वालों का संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की मदद करते हैं, तथा काम की मजदूरी नियमानुसार बनाये रखने में सहायता होते हैं। (इ) इसमें कुछ अंश तक स्थूल अमनविभाग होता है, एक जाति के पुरुष एक कार्य करते हैं; हरा, उन्हें किसी नवान कार्य का आरंभ करना कठिन नहीं हो जाता है।

जाति भेद से होनेवाली मुख्य दानियाँ ये हैं—(क) घ-घं या पेशे के बदलने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों को नये ढंग से अपना कार्य चलाने में बाधा होती है। (ख) कई जातियों को अल्लूत या नीच मानेजाने से समाज में अम का यथेष्ट गौरव या महिमा नहीं रहती। (ग) कल-कारखाने आदि बड़े-बड़े कारों के संगठन के लिए जाति-भेद बाधक होता है। (घ) चौके की कुछ अल्लूत के कारण बहुत अव्यय होता है। जब भिन्न-भिन्न-जाति के आदमी

अपना-अपना मोजन अपने ही हाथ से पक्षते हैं, तो उसकी अलग-अलग व्यवस्था करने में स्थान, इंधन आदि की अधिक आवश्यकता होती है; तथा बुद्धिमान् आदमी को, जो बहुमूल्क कार्य कर सकता है, अपना बहुत सा समय खाना पक्षाने के काम में ही लगा देना पड़ता है, जिसे सम्भव है, वह अच्छी तरह करना न जानता है।

जाति-मेद के बत्तमान दोषों को देख कर बहुत से आदमी जातिपाँत को समूल नष्ट करना चाहते हैं। कुछ बघों से जातिपाँत तोड़क महल इस दिशा में कुछ सगठित कार्य कर रहा है। परन्तु विद्याल सामाजिक कानि के बिना, ऐसे प्रयत्नों में विशेष सफलता नहीं हो सकती। यह सफलता तो बहुत-कुछ शिक्षा-प्रचार पर निर्भर रहेगी। जब धर्म-धर ज्ञान का प्रकाश होगा विशेषतया महिलाएँ-शिक्षित होंगी तो जातिपाँत की सृष्टि या प्रथा को तोड़ने में समुचित सहयोग मिलेगा। बत्तमान अवस्था में अधिकतर जनसमूदाय कृषि-कार्य में लगा है, वह पुराने विचार बाला है; देश के श्रीदेविकरण से इस मनोवृत्ति में क्रमशः सुधार होगा।

संयुक्त-कुटुम्ब प्रणाली—भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक कुटुम्ब या परिवार के आदमी इकट्ठे रहते, और मिल कर घन घैदा तथा व्यय करते हैं। सब कमानेवालों की आमदनी घर के एक बड़े-बड़े के पास नमा होती है। वह सबकी झारहतें पूरी बरने की कीयिता करता है। इससे अनाधी की शिक्षा तथा परवरिश में कुछ सुविधा होती है; तथा बीमारी या बुढ़ापे में कोई आदमी असहाय या बिना सहारे के नहीं होता। लेकिन इससे कई हाँनदारी मो होने लगती है—

(१) कोई आदमी अपनी मेहनत का तमाम पल अपनों रातान के लिए ही नहीं छोड़ सकता, अतः घनोपार्जन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता।

(२) सब को शोटी-कपड़ा मिलने का भरोसा रहता है। इसलिए कई एक आदमियों में स्वावलम्बन तथा साइर नहीं होता। कोई-

कोई आदमी मुफ्त में ही बेकार रहता हुआ अपने दिन काटा करता है।

(३) इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भावों का विकास नहीं होता। बहुधा पुराण पराधीनता में कज़ह और दुःख का जीवन व्यतीत करते हैं, जो आर्थिक हड्डि से इनिकर है।

आज-कल लोगों में वैयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रही है। पहले प्रायः एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-घन्थे से आजीविका प्राप्त करते थे। अब आमदरफत की वृद्धि और यातायात की सुविधाएँ अधिक होने से, और जीवन समाज की कठिनाइयों दिनोदिन बढ़ने से, परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार के कार्य करने का अवसर मिल जाता है, वह वहाँ बैसा करने लगता है। इस तरह परिवार के सदस्यों के दूर-दूर रहने का प्रश्न बढ़ता जाता है। अनेक दशाओं में जब कि एक आदमी गौव में सेती करता है, उसका एक लड़का उसके साथ रहता है, दूसरा किसी नगर में कलर्की आदि का कार्य करता है, और तीसरा किसी अन्य नगर के कल-कारखाने में अम करता है। इससे संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली का हान होता है। यद्यपि स्वावलम्बन और विचार-स्वातंत्र्य का यथेष्ट भइत्व है, तथापि समराज की उन्नति के लिए पारस्परिक सहानुभूति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त-कुटुम्ब प्रणाली में जो गुण हैं, उन की वृद्धि हो, और इसके दोषों का निवारण हो।

क्या यहाँ धार्मिक विचार आर्थिक उन्नति में वाधक हैं?—प्रायः यह कहा जाता है कि भारतवर्ष को आर्थिक स्थिति पर यहाँ के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव है, और अधिकतर आदमी परलोक की बातोंमें लगे रहने के कारण मानविक विषयों की और मनुचित ध्यान नहीं देते। ऐसा कथन कुछ अत्युक्त-पूर्ण है। निस्सन्देह

यहाँ कुछ आदमी अपना खास समय और शक्ति पूजा-पाठ या तीर्थ-यात्रा आदि धार्मिक कार्यों में लवच करते हैं, परन्तु उसे धनोत्पत्ति की हृष्टि से व्यर्थ नहीं कह सकते। इससे उन्हें यानित और सन्तोष होता है; दानि-लाभ में, मुख-दुख में भी व्यर्थ बनाये रखने में सहायता मिलती है, जो आर्थिक आर्थिक जीवन की सफलता के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ आदमी तीर्थ-यात्रा के सिलसिल में अनेक स्थानों, चाजारों और मटियों का निरीक्षण करते हैं, और व्यापारियों से मिल-मुलाकात करते हैं, जिससे उन्हें बीचे आर्थिक लाभ भी होता है। हाँ, ऐसी हृष्टि योड़े ही व्यक्तियों की होती है, दूसरे आदमी भी चाहें तो उस समय और द्रव्य को बहुत-कुछ धनोत्पत्ति में लगा सकते हैं; संतोष-वृत्ति के कारण, वे ऐसा नहीं करते। अस्तु, कुल जनता का विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि सर्वसाधारण पर उनके धार्मिक विचारों का ऐसा प्रभाव नहीं है कि वह धनोत्पत्ति में विशेष वाधक हो। उदाहरणवत् मारवाड़ी, जैन और भाटियों ने, धार्मिक विचारों से कहर होते हुए भी, उचोग व्यापार आदि में यथेष्ट रुपाति प्राप्त की है। इसी प्रकार, यद्यपि मुसलमान ब्याज पर रुपया देना-लेना धार्मिक हृष्टि से बुरा मानते हैं, आर्थिक व्यवहार में वे इसे नियिद नहीं समझते।

भारतवर्ष में बहुत से आदमी बहुत-कुछ भाग्यवादी अवश्य हैं; पर इसका कारण धर्म के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी रियति भी है। पर शतान्द्रियों में देश में शाति और सुख-वस्था कम रहने से लोगों का जीवन प्रायः अस्थिर और संकटमय रहा है। उनकी आर्थिक रियति बीड़ी-दर-बीड़ी ऐसी तराच रही है कि उनकी कार्यक्षमता और उत्साह घट गया है। इसलिए उनमें उचोग-बाद या कर्मवाद के मावों की कमी है। फिर, अधिकारा भारतवासी नेतृत्व के काम में लगे हुए हैं, जो प्रायः बुरी पर निर्भर है और, वर्षा अनिश्चित रहती है; कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा। कभी कभी

बाढ़ या भूकम्प आदि का भी अनुभव होता रहता है, अनेक धार कीड़ा आदि लाग जाने से भी फ़रल स्वराच हो जाती है। विश्वान का ज्ञान न होने की दशा में वेचारा दीन हीन किसान मार्गवादी न हो तो क्या हो।

// ४७ //

इस प्रसंग में हमें यह सुलाना उचित नहीं कि वर्तमान काल में जब कि सर्वसाधारण में शिक्षा की बहुत कमी है, धार्मिक भव्य उनके नैतिक चरित्र को अपेक्षाकृत ऊँचा बनाने में सहायक है। धार्मिक भावना के कारण भारतवर्ष का एक औसत दर्जे का आदमी झूठ बोलने, चोरी या बेर्इमानों करने, अपने सहयोगियों से लड़ने-झगड़ने, मालिकों को इनि पहुँचाने, तथा नशा करने आदि से परहेज़ करता है। वह शौच, स्नान सहाइ आदि को उपयोगिता को भली भाँति न समझते हुए भी उसका ध्यान रखता है। अस्तु, यद्यपि यह आवश्यक है कि नहा रान का भव्यात्मा वार्षिक भुगतान हो; तथापि यह कहा जा सकता है कि यहाँ की प्रचलित धार्मिक भावना आधिक दृष्टि से उतनी हानिकर नहीं है, जितनी प्रायः समझी जाती है।

भारतीय श्रमजीवो—जैसा कि पहले कहा गया है, श्रमजीवियों में वे सभी व्यक्ति समझ लिये जाते हैं, जो किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के भारतीय श्रमजीवियों के सम्बन्ध में विशेष बातें आगे कही जायेंगी। यहाँ कुछ साधारण बातें, जो योड़ी-बहुत सभी के लिए लागू होती हैं, बतायी जाती हैं। अधिकतर आदमियों को अपने घर और निवास-स्थान का बहुत मोहोता है। विज़कुल ही लाचारी हुए बिना, वे दूसरी बगह जाकर काम-धन्या करना पसन्द नहीं करते; और लौट बाहर जाते हैं, तो वहाँ कुछ स्पष्ट जमा हो जाते ही घर लौट आते हैं। अधिकतर जनता ग्रामों में रहनेवाली है। गाँवों के श्रमजीवों प्रायः नगरों में उन दिनों में अधिक ठहरते हैं, जबकि उन्हें गाँवों में खेती की कसल आदि का काम नहीं होता।

भारतीय धर्मो अधिकतर सतोप-हृति वाले होते हैं; किंतु-तरह निर्बाद्योग्य आय हो जाने पर, वे और अधिक आय के लिए प्रयत्न नहीं करते। उनका रहन-सहन का दर्जा बहुत निम्न श्रेणी का तथा जीवन सखल और सादा होता है, वे अपने कष्टों को बहुत सीमा तक सहन कर लेते हैं, वे उनके बारे में शिकायत या अन्दोलन बहुत कम करते हैं। इन बातों में क्रमशः परिवर्तन हो रहा है।

७ सर्वसाधारण जनता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, खाने-पीने, विश्राम, श्रीपञ्च आदि की व्यवस्था न होने से वे बहुधा रोगी रहते हैं और अस्पायु होते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता का यथेष्ट उपर्योग नहीं हो पाता। साधारण तौर से श्रीदोगिक शिक्षा की भी कमी है। इससे अमियों की कुशलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

आगे दिया हुआ व्योरा सन् १९४१ की मनुष्य-गणना में नहीं दिया गया है, इसलिए यदों १९३१ ई० की मनुष्य-गणना के अनुसार दिया जाता है। उसके द्वितीय से भारत और बर्मा में प्रति सैकड़ा ४५ आदमी वास्तविक कार्य करने वाले और ५६ उनके आधित थे। ५४ उत्तरादको में मोटे द्वितीय से ३६ आदमी मुख्य काम करते हैं, और ८ उनके सहायक हैं। इन ३६ कार्यकर्त्ताओं में २८ पुरुष और ८ लियाँ हैं, तथा ८ सहायकों में से दो पुरुष और ६ लियाँ हैं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में जो प्रति सैकड़ा ४४ उत्तरादक है, उनमें ३० पुरुष और १४ लियाँ हैं। इनमें श्रीमतन चार पुरुष और दो लियाँ अपने मुख्य पेशों के अतिरिक्त कुछ और भी काम करती हैं। मोटे द्वितीय से यहाँ कुल जनता में पीछे सैकड़ा ५१ पुरुष और ५८ लियाँ मानी जा सकती हैं। इस प्रकार मालूम होता है कि प्रति सैकड़ा २१ पुरुष और ४५ लियाँ आधित हैं; ये स्वयं कुछ काम नहीं करती, दूसरों की कमाई करती हैं। इन आधितों में बच्चे तथा बूढ़े भी सम्मिलित हैं।

भिन्न-भिन्न पेशों के अनुसार जनवा (कार्य करनेवाले और उनके आधित व्यक्तियों) के अंक प्रति दर इजार इस प्रकार हैं:—सेती

और पशु-पालन ६,५६०; खनिज पदार्थों की निकासी २४; उद्योग-धन्धे १,०३८; माल डुलाई १६५; व्यापार ५५३; सेना ५६; सरकारी नौकरी ६६; कलकं, अध्यापक वकील, डॉक्टर आदि, १६१; विविध (घरेलू नौकर, अनिश्चित आय वाले, और अनुत्पादक आदि) १३७४।

कृपक—भारतीय जनता में दो-तिहाई कृपक या कृषि-अमज्जीवी है। प्राचीन काल में ऐसा न था; उस समय यह देश अपने उद्योग-धन्धों की उच्चति के कारण विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया करता था। जब योरप में ओर्योगिक क्रान्ति हुई और साथ ही भारत-वर्ष में घोरे-घोरे अगरेजों का अधिकार हुआ तो ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में यहाँ की उत्तमोत्तम दस्तकारियाँ नष्ट करके इसे जबरदस्ती विद्युत कारखानों के लिए काढ़ा माल देनेवाला बनाया गया। अनेक भारतीय कारीगरों को जब दूसरा काम न रहा तो वे खेती की ओर झुक गये और देश की कृपक-जनता के रूप में मूर्मि का भार बढ़ाने वाले हो गये। अब, अनेक किसानों के पास भूमि इतनी कम है, कि उससे उनका निर्बाह नहीं हो सकता।

भारतीय कृपक को लोग बहुधा गँवार, अयोग्य और कूट-मम्ज ममझते हैं। यद्यपि वह नवीन कार्य-प्रणाली से अपरिचित और पुराने विचारवाला होता है, तथापि उसे अनन्त वंशानुगत या पुरतीनी कार्य का स्वाभाविक ज्ञान होता है। वह चिना सिखाये ही यह जानता है कि कौनसी फसल कब और कैसी ज़मीन में बोनी चाहिए, और किस भूमि में एक फसल के बाद दूसरी कौनसी फसल बोना लाभकारी होगा। उसके साधन प्रायः अपर्याप्त होते हैं; आर्थिक बुधाएँ उसके मुद्दर-कायों में पग-नग पर बाधक होती हैं। वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करने, बड़े-बड़े लेन रखने, अच्छी खाद देने, गहरी जोड़ाई, और कारी आवश्यकी करने के लिए बड़े पूँजी चाहिए। पूँजों न होने वे कारण कृपक इन सुव्यारों का उपयोगिता-ज्ञानता हुआ भी, उन्हें अमल में नहीं ला सकता।

कृपकों की दशा बहुत-कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्भर रहती है; जिन स्थानों में वर्षा निश्चित समय पर होती है, अथवा आवस्यकी के काफ़ी साधन है, वहाँ किनान उत्पाद, खुर्ति और परिश्रम से काम करता है। इसके विपरीत, जहाँ परिस्थिति खराब होती है, वह आलसी, भाग्यवादी और निराशवादी तथा कंगाल हो जाता है। इस कथनमें कुछ सचाई अवश्य है कि बातावरण या परिस्थिति के सुधार होने पर कृपक स्वयं सुधार जाता। परन्तु बास्तव में कृपक और उसके बातावरण दोनों के ही सुधार की आवश्यकता है। किनानों को योग्य पूँजी मिलने की सुविधा होने, लगान की मात्रा घटाने, और लगान बदल करने की पदति में सुधार होने आदि के सम्बन्ध में विशेष विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। यदौ इम उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में ही कुछ लिखते हैं।

कृपकों की शिक्षा—मारतवर्ष में 'किनान' शब्द का अर्थ अनपढ़ माना जाता है। जब कि यहाँ कूल जनता में पद्म-लिखे आदमी १२ फी ऊँचे हो हो, तो दीन-हीन कृपकों में उनकी संख्या और भी कम होना स्वाभाविक है। इस और कमतः व्यान दिया जाने लगा है। बुनियादी शिक्षा के बारे में आगे, श्रीयोगिक शिक्षा के प्रसंग में, लिखा जायगा।

कृपक-आलको के लिए वही शिक्षा पदति उपयोगी हो सकती है, जिससे शिक्षा पाकर वे कृषि-कार्य को अच्छी तरह कर सकें; ऐसा न हो कि वे उसे घटिया समझें और दफ़्तरों में कलंकों आदि करने के लिए उत्सुक होने लगें। उनका पाठ्यक्रम ऐसा हो, जो मविध्य में उनके काम आवे। उनकी शिक्षा का समय तथा जूही में भी कृषि की सुविधा का व्यान रखा जाय। उनके अध्यापक ग्राम-सेवाभिलादी हो। खियों की शिक्षा की भी आवश्यकता है, उसके बारे खी-अध्यायिकाएं तैयार करने के लिए विशेष उद्दोग होना चाहिए। श्रीड़शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए रात्रि-याठशालाओं और बाचनालयों की

स्थापना करने, तथा मेजिक लालटेन के हश्य दिखाने की काफी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसो कृषि-प्रदर्शनियाँ भी बहुत उपयोगी होती हैं, जिनमें सेती की विकसित पद्धति, अच्छे औजार, बीज, और अच्छी नस्ल के पशु दिखाये जाते हैं, तथा कृषि-गम्भन्धी बातें अमली या व्यावहारिक ढंग से समझायी जाती हैं।

कृपकों का स्वास्थ्य—कृपक-जनता अधिकतर गाँवों में रहती है, और यद्यपि वहाँ नगरों की तरह धनी आचादी अथवा मिलों या कारतानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ की मरमार नहीं होती, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, यह पाठकों को विदित ही होगा। मलेरिया जबर, स्ट्रेग, हैमा, चेचक, खाँसी आदि की शिकायतें व्यापक रूप से रहती हैं। वहाँ चिकित्सा को व्यवस्था नहीं नी है। इससे मृत्युखल्या तो बढ़ती ही है; अनेक आदमी जो इन बीमारियों के शिकार होते हुए जीवित रह जाते हैं, बहुधा स्थायी रूप से निर्दल रहते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम होती है। बीमारियों का मुख्य कारण लोगों की निर्धनता तथा अशान है। किसानों के अशान की बात तो सब कहते हैं, पर उनकी निर्धनता का विचार बहुत कम किया जाता है। कितने हो आदमियों को साधारण समय में भी अच्छा काफी भोजन नहीं मिल पाता। किसान लोग जो चट्टिया अद्व, फल या शाक आदि अच्छी बलुएँ पेदा करते हैं, वे सब विकने के बाह्य होनी हैं, जिससे किसान अपना लगान तथा शृण का घद जुका सकें। इनके बच्चों को दूध भी बहुत ही कम मिल पाता है। ये बातें इनकी आर्थिक हीनता के कुछ उदाहरण मात्र हैं। फिर, जबकि ये बातें साधारण अच्छे समझे जानेवाले वर्षों की हैं, तो दुर्भिक्ष के समय की हिति का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। अस्तु, इनके स्वास्थ्य को सुधारने तथा इनमें शिक्षा प्रचार करने को अत्यन्त आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कार्य होने लगा गया है। कृपकों की दशा सुधारने के लिए कानून बन रहे हैं।

कृषि-अमज्जीवी—कृषि-अमज्जीवियों या देहाती मज़ादुरों की हालत कृपको से भी गयी-नीती है। इसका कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है कि वे वेचारे यह अनुभव ही नहीं करते कि उनकी मुमीयतें किसी शश में कम हो सकती हैं। उनका कोई सज्जठन भी नहीं है, जिससे वे अपनी हिथति दूसरों के सामने रखें। पल-स्वरूप उनकी दशा का वास्तविक ज्ञान, बहुत कम लोगों के है। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे बहुत गरीब और सज्जठन-प्रस्तु हैं। हिटाव से मालूम हुआ है कि भारतवर्ष में १०० काल्पकार औरतन २५ अमज्जीवी रखते हैं। यदि संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक्-पृथक् है। कृषि-अमज्जीवी संतोषी, परिश्रमी और सहनशील होता है। किसी-किसी के पास यदुघा कुछ मूमि अपनी भी होती है, परन्तु उससे उसका निर्वाह नहीं हो सकता। अतः वह जमीदार की जमीन के साथ ही इसे जोतता है। किसी-किसी के पास बैलगाही होती है, वह उसमें किराये पर सवारियाँ ले जाता है, या माल ढोता है। कभी-कभी वह पास के कल-कारखाने में मनदूरी कर लेता है। औरतें खेतों में निराई कटाई आदि कार्य करती हैं, इधन वेचती हैं, गोदर के उपले या करड़े धापती हैं (जो नज़दीक के कस्बों में विकते हैं), कपास लोडती हैं, यत कारती है और दूसरे काम करती हैं। इन प्रकार कृषि-अमज्जीवों का ध्यान कई ओर रहता है, एक ही घोड़े से उसका गुजारा नहीं हो पाता।

वर्तमान कृषि-अमज्जीवियों में बहुत से पहले किसान थे। इन्होंने दुर्भिन्न के दिनों में अपनी उदर पूर्ति के लिए, या अपनी संतान की विवाह-शादी, या किसी मृत्यु-भोज आदि सामाजिक प्रथा या दरड के लिए, या लगान चुकाने आदि के लिए जमीन गिरवी रखकर अदृश्य लिया और पीछे उसे न चुका सकने के कारण वे जमीन से वचिन हो गये। कृषि-अमज्जीवियों में कुछ आदमी हरिजन जातियों के भी हैं, जो सामाजिक कठोरता, के कारण जमीन आदि के अधिकारी नहीं होने पाते। इन अमज्जीवियों में पढ़े-लिखे आदमी बहुत ही कम है। खियाँ

तथा यही उम्म के बालक भी आजीविका की किंक में रहते हैं। जिस ज़मीदार या बड़े किमान का इन्हें कर्ज़ी चुकाना होता है, उसके ये प्रायः जन्म भर गुलाम बने रहते हैं। बहुत सामूली मज़दूरी पर इन्हें उसके यहाँ काम करना होता है। यह मज़दूरों उन्हें साज़ के बारहों महीने नहीं मिलता रहती। बहुधा फनल के दिनों में भी उनकी इतनी आय नहीं होती कि पांचवार का कुछ अच्छी तरह गुजारा हो सके। फिर साल के पाँच छुः महीनों में, जबकि खेतों में काम नहीं होता, इनकी तुरंशा का व्या ठिकाना ! ये घटिया अज्ञ और "शाक-माजी आदि खाकर रहते हैं, और उसके भी न मिलने पर कुछ आदमी तो मरे हुए गाय-वैलों का मात तक लाते हैं, मूत्र से व्याकुल होकर अब आदि को चोरी करते हैं। कितने ही देहाती मज़दूर आधे पेट खाते हुए ही किसी तरह अपने दिन काटते हैं। कपड़े के अभाव में बेचारे आधे नंगे रहते हैं और मर्दी-नारमी सहते हैं। इनकी वस्ती तथा रहने की भोगियाँ गन्दी और चद्वूदार होती हैं। इन बातों के फल स्वरूप ये रोगी और अत्यायु होते हैं। इनके जीवन में आशा और उत्साह का, तथा इनके कार्य में कुशनता और स्फुर्ति का अभाव होना स्थाभाविक ही है।

खानों और कारखानों के मज़दूर—मारनवर्ष अभी कृषि-प्रधान है, कारखानों में काम करनेवाले बहुत से मज़दूर भी गाँवों से आते हैं; जब उन्हें खेतों का कुछ काम नहीं रहता, वे आजीविका के लिए कल-कारखानों की शरण लेते हैं। पिछले इन्हों में यहाँ शरण-खोरी यढ़ गयी है (जो खेदजनक है), तथापि पाइवात्य देशों के मुकाबिले में यहाँ बहुत कम नशा होता है। यहाँ के श्रमजीवी धार्मिक आचार विचार के कारण स्वभाव से ही सन्तोषी होते हैं। उनका रहन-चहन साधारण, और आवश्यकताएँ कम रहती हैं। उनकी मेहनत प्रायः घटिया दर्जे की, या कम उत्तादक होती है, इसलिए यह बहुधा वस्तो दिलतायी पड़ने पर भी अन्य उन्नत देशों की अपेक्षा बास्तव

में मौँहगी पढ़ती है। इसके कई कारण हैं। उन्हें काम का योग्यतित शान नहीं होता, वे यथेष्ट पुष्टिकर भोजन भी नहीं पाते। उनके रहन-सहन, निवास स्थान आदि के लिए समुचित व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यकता है। बड़े-बड़े कारखानों या मिलों में काम करने वालों की शिक्षा के लिए अलग प्रबन्ध होना चाहिए। खानों के मज़बूरों के लिए उनके आमतात्पर ही स्कूल खोलना उचित है, वहाँ मृत्त्वविद्या के साथ खान खोदने की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय। धातुओं को गलाने और बल-पुऱ्जी ढालने के लिए लोहे के कारखानों से लगे हुए स्कूल उपयोग है। इन सब प्रकार की शिक्षाओं के लिए आवश्यकता होने पर, सरकार कारखानों को आर्थिक सहायता दे।

कारीगर या स्वतन्त्र श्रमी—साधारण तौर से हमारे कारीगर अपने पुरूषोंनी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं; हाँ, उन्हें सुश्रवस्तर मिजना चाहिए। माँ-बाप की निर्धनता के कारण अनेक व्यक्तियों को बहुत योड़ी उम्र में ही, आजीविका-ग्राति के काम में लग जाना पड़ता है, इससे उनकी योग्यता का विकास नहीं होने पाता। अविकौश आदमी पुराने घन्घों को, पुरानी ही शैली से, करने के आदी होते हैं, नये काम उन्हें नहीं रखते; और, यदि उचिकर भी ही तो आजीविका के यथेष्ट साधनों के अभाव में, वे उसके लिए साइर नहीं कर सकते; कारण कि ऐसा करने से उन्हें मूला मरने की आशंका रहती है। देश में सर्वसाधारण की निर्धनता के कारण अब सस्ती चीजों की मौजा बढ़ रही है, कारीगरी की कदर करने वाले कम हैं। कुछ राजा महाराजा, राज्ञि, या बड़ी-बड़ी वेतन पानेवाले आदमी अवश्य कारीगरी की चीजों के शैक्षीन होते हैं, पर उससे कितने कारीगरों का भना हो, सकता है। उनकी दशा के सुधारने में, श्रीयोगिक शिक्षा के प्रचार से कुछ उपलब्ध अवश्य मिल सकती है।

श्रीयोगिक शिक्षा—खेद है कि श्रीयोगिक शिक्षा के सम्बन्ध

यथा-सम्भव उपर्युक्त दस्तकारी से होना चाहिए; इस दस्तकारी का उनाव बालकों के बातावरण, और स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रयोग के लिए कनाई-बुनाई शुनियादी दस्तकारी मानी गयी,- स्थान-स्थान पर बुनियादी-शिक्षा-स्थार्य-स्थापित की गयी, और उनका कार्य वडे उत्तराह से किया जाने लगा था। परन्तु सन् १९३६ में काग्रेस-भविमहलों के इस्तीफा देने के बाद इस और उपेक्षा की जाने लगी; तब से सन् १९४५ तक यद्यपि समय-समय पर शिक्षा-प्रचार सम्बन्धी सरकार योजनाएँ बनी हैं, पर वे कार्य-रूप में नहीं आयी। भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों का प्यान अधिक तर युद्ध सम्बन्धी उद्योगों की ओर रहा। युद्ध समाप्त हो जाने पर भी उसका प्रभाव बना हुआ है। अब सन् १९४६ में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने, और शिक्षा को और काफी प्यान दिये जाने की आशा है।

मानसिक कार्य करनेवाले—मारतवर्द्द में शिक्षा-प्रचार बहुत, कम है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा, विशेषतया उच्च शिक्षा, बहुत महंगी या खर्चाऊ है। माध्यराण गृहस्थों के लिए अपने बालकों को कालिज में भेजना तो दूर, मेट्रिक या हाई स्कूल क्लास तक की शिक्षा दिलाना भी कठिन है। पिर, जन शिक्षित व्यक्तियों को भी अपनी आजीविका के लिए भटकना पड़े तो शिक्षा की ओर जनता की अद्वितीय होना स्वामरिक ही है। हाँ, और भी कोई रास्ता खुला न होने से अनेक मौनाप जैसेनेस, कुछ दशाओं में तो शृण लेकर, अपने बालकों के लिए इसी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अस्तु, उच्च-शिक्षा, यदौ बहुत हुल्लंभ है; यद्यपि वेकारी के कारण यदौ शिक्षिवों की संख्या कभी-कभी कुछ अधिक समझी जाती है, देश की कुल जनसंख्या का विचार करते हुए वह अत्यन्त कम है। इसका मुख्य कारण, जैसा कि क्षया कहा गया है, इसका महगापुन है। आवश्यकता है कि विद्यार्थियों

की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए फ़ीस आदि कम की जाय। पर सरकार का इस और ध्यान नहीं है, सरकारी स्कूलों और कालिजो की फ़ीस प्रायः बढ़ती ही जाती है। हाँ; कुछ राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ अल्प-व्यय से शिक्षा देरही हैं।

हमारे अनेक उच्च शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर नहीं मिलता; विविध उच्च पदों पर अभी तक भी अगरेजों की, या सरकार के विशेष कृपापात्रों की नियुक्ति होती है, जिसमें जातिगत या मान्महान् लिहाज़ रहता है। यह बात उच्च शिक्षा की प्राप्ति में बाधक है, और हटायी जानी चाहिए।

घरेलू नौकर—पहले कहा जा सका है कि अधिकाश भारत-वासियों की आर्थिक हिपति अच्छी नहीं है। इसके फ़ल-स्वरूप देश में बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो नौकर रखने में समर्प हो; फिर, जो आदमी नौकर रखते भी हैं, उनमें से अधिकाश चोके-वर्तन, भगड़-बुद्धारी या रसोई आदि के काम के लिए नौकर रखते हैं, जिसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती; इन कामों को अकुशल अभी भी भली भाँति कर सकता है। ऐसे भूमिकों की संख्या देश में पर्याप्त है। अस्तु, इनमें से अधिकाश की दशा अच्छी नहीं है, कुछ तो अपने निर्वाद के लिए दो-दो तीन-चारों घरों में काम करते हैं। इनका कोई संगठन नहीं होता। यहुधा एक मालिक के यहाँ से बरखास्त किये जाने पर इन्हे बहुत समय तक दूसरी जगह नौकरी की खोज करनी पड़ती है।

कार्य-कुशलता की वृद्धि—भिन्न-भिन्न प्रकार के अमज्जीवियों सम्बन्धी उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उनकी कुशलता बहुत कम है, और उसके बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अमज्जीवियों की कार्य-कुशलता जन-चारु, जाति, भोजन, वस्त्र, रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य करने की स्वतन्त्रता, उन्नति और लाभ की आशा, कार्य-क्रम की विभिन्नता जिससे भूमि बहुत निरस प्रतीत न हो, आदि बातों पर

निर्भर होती है। यहाँ कुशलता-वृद्धि में एक मुख्य वाधा लोगों की गरीबी भी है। उद्योग करने पर, उनमें विविध प्रकार की शिक्षा का प्रचार करने से, उसमें बहुत-कुछ सुधार हो सकता है।

चौथा अध्याय

पूँजी

मूलधन या पूँजी—मूमि के अलावा जो धन और अधिक धन पैदा करने में लगाया जाय, वह मूलधन या पूँजी कहलाता है। सब मूलधन तो धन होता है, परन्तु सब धन मूलधन नहीं कहा जा सकता। यदि एक मनुष्य के पास कुछ अब है, और वह चिना अम किये उस अब को खाता रहे, तो वह अब उसका धन तो है, पर मूलधन नहीं कहा जायगा। हाँ, यदि वह इसका खर्च करते समय धन-उत्पादन का कार्य कर रहा है, तो वह अब मूलधन गिना जायगा। इसी प्रकार, यदि हम अपना धन किसी दूसरे आदमी को ब्याज पर दें, तो उस धन में कुछ कमी न होहर इमें उससे कुछ आमदनी होती रहेगी; इस दशा में भी हमारा धन मूलधन ही कहलायेगा, यद्यपि ब्याज पर देना उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं है।

मारत्वर्ष में पूँजी की दशा—यहाँ जनशाधारण के पास पूँजी बहुत कम है। अधिकांश आदमी 'जो आया, सो खाया' का हिताच रखते हैं। जैसे तैसे निर्बाह करना भी उनके लिए यहाँ कठिन है। हाँ, कुछ आदमी ऐसे भी हैं, जो यदि चाहें, तो अपनी आय में से घोरे-घोरे योड़ी-योड़ी बचत करके उसे अधिक धनोत्पादन के कार्य में लगा सकते हैं। परन्तु उनमें में बहुत-से कुछ बचाते ही नहीं। कुछ

आदमी हानि की आशका और साइर की कमी के कारण अपनी योड़ी वचत से कुछ काम नहीं लेते, उसे घर पर ही नकदी, धारु या आमूल्य के रूप में रखे रहते हैं। ये लोग अपनी पूँजी से अलग-अलग काम करें तो इन्हें विशेष लाभ भी न हो। परन्तु यदि वहुत-मे आदमी अपनी योड़ी योड़ी पूँजी इकट्ठा करके उससे कोई बड़ा कार्य करें, तो उस पूँजी की घनोलमादक शक्ति बढ़ सकती है। हमारे कितने ही राजा-महाराजों, जमीदारों तथा महन्तों आदि के पास खाता थन है। यदि वे इसे व्यवसायिक कार्यों में लगावें, तो देश का बड़ा हित हो; परन्तु इनमे से बहुतों को अपनी शीकीनी तथा विलास-प्रियता से ही छुटकारा नहीं। इन सब कारणों से यहाँ पूँजी बहुत कम है।

इधर कुछ बापों से व्यवसायों में मारतीय पूँजी की मात्रा कमशः बढ़ती जा रही है। मिथित पूँजीवाली जो कम्पनियों स्थापित हो रही है; उनकी पूँजी भव यहाँ से इकट्ठा होती है। अब लोग यैंको में सभ्या जमा कराने में अधिक उत्सुहित पाये जाते हैं। कई काम अब हिन्दुस्तानियों के हाथ में हैं, जैसे जीन, प्रेस, सोडावाटर या तेल की फैक्ट्रियौं, चीनी के कारखाने, कपड़े और जूट की कुछ की मिलें, और कायले की कई खानें, इस्तात के कारखाने आदि। रेल, तार, डाक, डाक और नहर आदि का काम सरकार ने विदेशी पूँजी से किया है। उन की मिलें, स्वनिज पदार्थों के निकालने के काम, चाय और कहवे की खेती, चमड़े के कारखाने प्रायः योरपियनों के हाथ में हैं।

किसानों की पूँजी—हमारे देश के किसानों को नकद पूँजी, नहीं के बराबर है। ग्राम के बास्ते इन्हें कड़ा शुद्ध देना पड़ता है। तो भी देशातों में कानी सभ्या नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के महाजन भी तो गरीब हैं। किसानों की साधारण पूँजी हन, फाल, खुरपी, कुदाली, पानी छीचने का चरेमा या रहठ आदि होती है। किसी-किसी किसान के पास देज तथा बेलगाहों भी रहती है। तुरस्त

के दिनों में वह इल के बैलों को गाढ़ी में जोत कर बोझ लादने का काम करता है। इन वस्तुओं में बीज, जो किसान खोता है, और खाद, जो खेतों में ढालता है, इनको शामिल कर लेने से प्रायः किसानों की पूँजी का व्योरा पूरा हो जायगा। वहुधा किसानों के पास खाने से कुछ बच ही नहीं सकता। उन्हें डेवड़े या सबादे के करार पर महाजनों से बीज उधार लेना पड़ता है। ऐसे किसान बहुत मिलेंगे, जिनकी सब पूँजी अपनी है, और जो कामचलाक पूँजी के अलावा मावी आवश्यकता के लिए कुछ जमा भी रख सके। मारतवर्ष में चीमा करने की प्रथा अपेक्षाकृत कम है; किसानों में ही पहल मानो आरम्भ ही नहीं हुई। उनकी जिन्दगी फ़ा, या चारे, फ़सल, बैल आदि का चीमा नहीं होता। सुरक्षित पूँजी का प्रायः अमावस्या होता है। ही, कुछ किसान अच्छी फ़सल होने की दशा में, अपनी अन्य आवश्यकताओं की मर्यादित रख कर कमी-कमी विशेषतया खियों के लिए योड़े-बहुत जेवर बनवा देते हैं; ऐसे के सुंकट या तंगी के लकड़ इन्हीं पर उनकी नज़र पड़ती है। यही कारण है कि दुर्भिक्ष आदि के अवसर पर असख्य किसानों की योही-योही चाँदी और कुछ दशाओं में खोना मिल कर इन घातुओं की काफी मात्रा बाज़ार में बिकने के लिए, तथा निर्यात के लिए आ जाती है।

पशु-पालन—अन्य उपयोगी पदार्थों की तरह पशु भी देश की चढ़ी सम्पत्ति है। कृषि-प्रधान मारत के लिए तो इनका महत्व और भी अधिक है। बैल और भैंसे आदि से ही यहाँ सेती होती है। वेनी करने के अलावा पशु बोझ ढोते और सवारी से जाते हैं। परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष पशु-धन में बहुत दरिद्र है। इन्हें लैरड, अमरीका आदि कई पश्चिमी देशों में, जो कृषि-प्रधान भी नहीं हैं, प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या अधिक है; तथा ही वहाँ के पशु अधिक बलवान, तथा नीरोग हैं, और अधिक दूध देने वाले हैं। सेव है कि यहाँ बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जिनके पास बैल या भैंसों

की एक भी जोड़ी अपनी नहीं है। यहाँ पशुओं को प्रायः मैला-कुचैला पानी तथा घाटया दर्जे का और कम चारा दिया जाता है, इससे उनकी आयु घट जाती है; उनके अम तथा रोग की और थेष्ट प्यान नहीं दिया जाता, उनके रहने की जगह अच्छी नहीं होती और उनकी नस्ल उन्नत करने का उपाय भी बहुत कम किया जाता है।

पशुओं की उन्नति के लिए दो सरकारी विभाग हैं। कौजबाले उन पशुओं के पालने तथा नस्ल सुधारने का काम करते हैं, जो कौजी रिसाले में लिये जाते हैं। सिविल-विभाग साधारणतः बैल, भैंस, घोड़ा, खाद्यर आदि पशुओं की उन्नति और चिकित्सा का प्रबंध करता है। कुछ नगरों में पशु-चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, तथा ऐसी सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं। जहाँ पशुओं के रोग और उनकी चिकित्सा का अनुसधान होता है। ज़िला-बोर्डों की तरफ से सब-डिवीजनों में पशु-चिकित्सक रखे जा रहे हैं। पर इससे कोई सैकड़ा बहुत थोड़े ही आदमी लाभ उठा पाते हैं।

पशु-नालन से चारे का विनिष्ट सम्बन्ध है। अब बहुत से घनी वस्तीबाले स्थानों में पशुओं के चरागाह तक जोत ढाले जाते हैं, और पशुओं को भरपेट चारा नहीं मिल सकता। यद्यपि प्रत्येक दिन्दू गृहस्थ के लिए एक गाय रखना आवश्यक कर्तव्य माना जाता है, परन्तु यत्कामन अवस्था में यह कार्य बहुत ही कठिन है। बहुत-से आदमी चारे के अभाव में अपने गाय-बछड़ों को यदि कपाई द्वापर नहीं बेचते, तो उसे किसी गोदाला या पिंजरापोल में छोड़कर उससे निश्चन्त हो जाते हैं। बास्तव में पशु-नालन के लिए चरागाहों को बड़ी आवश्यकता है। जंगलों में बहुत-सी घास बरबाद हो जाती है। उसे सरकारी प्रामों की तरह संचय करके रखने का प्रबन्ध इन्होना चाहिए, तथा अन्य चारों को अधिक मात्रा में पैदा करना और उन्हें आवश्यकता ये समय के लिए बचा कर रखना चाहिए।

गोवंश का मरणकर दास—भारतवर्ष में गाय का बहुत मान

किया जाता है। खेती ज्यादातर गो-संतान (बैलो) पर ही निर्भर है। और खासकर हिन्दुओं के लिए कई पद्मार्थ घी दूध से बढ़ कर पौष्टिक नहीं है। बच्चों, रोगियों और वृद्धों के लिए तो गाय का दूध एक नियमित ही है। प्राचीन बाल में यहाँ दूध दही की ऐसी बहुतायत थी कि अनेक स्थानों में इन चीजों को बेचना अनुचित समझा जाता था। मुसलमानों के शासन में भी इन पदार्थों की विशेष कमी नहीं हुई। अंगरेजों की अमलदारी होने के बाद इनकी बहुत कमी होने लग गयी। इस समय यहाँ प्रति मनुष्य प्रति दिन औसतन तीन छुटाक दूध मिलता है, इसमें से भी पूर्ण प्रतिशत खोया बनाने में, २७ प्रतिशत था और १० प्रतिशत दूसरी चीजों के बनाने में खर्च हो जाता है। इस प्रकार दूध के रूप में पाने के लिए प्रति मनुष्य, प्रतिदिन तान छुटाक का प्रायः ५ प्रतिशत भाग यानी सिर्फ नी मात्रों रुद्ध जाता है।

भारतवर्ष में अब गड़ओं की कमी के मुख्य कारण ये हैं—(१) चमड़े के निए लाखों गायें प्रति वर्ष मारी जाती हैं, यहाँ से बहुत सी शाल विदेशी को भी भेजी जाती है। (२) जौजी गोरे गोमास ज्वाते हैं। इनके बास्ते ढेहन्दो लाख पशु प्रति वर्ष मारे जाते का अनुमान है (३) मुख्लमान गाय की कुर्बानी करते हैं; राष्ट्रीय जगत् हीने से इसमें कमी भी होने की आशा है। (४) बहुत सी अच्छी-अच्छी गड़ें विदेशी को भेज दी जाती हैं। इन बातों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है।

प्रकार ने इस और बहुत कम ध्यान दिया। योरपीय महायुद्ध (१९३९-४५) में अंगरेज और अमरोकन फौजों के लिए गोबध बहुत ही अधिक हुआ। नवम्बर १९४३ में सरकार ने गाय बैलों के बध पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये। पीछे सन् १९४४ में उसके आदेश से, पजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को छोड़ कर शेष सब प्रान्तों में फौजी अधिकारियों ने नीचे लिखे पशुओं के बध पर, तथा बध के लिए बेचने पर, प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार किया—(१) तीन वर्दि से कम के

सातोप्रजनक है। यहाँ वेंको को सुविधा अधिक है, और आदमियों में अपनी चचत उच्चोग तथा व्यापार में लगाने की प्रवृत्ति भी अधिक है। यहाँ जब अच्छे हीशियार आदमी कोई श्रीयोगिक कार्य करना चाहते हैं तो वहुधा उन्हें आवश्यक पूँजी मिल सकती है। परन्तु यहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। वर्तमान वेंको की पद्धति श्रीयोगिक हाउट से हितकर नहीं है। उच्चोग-घंघो के बास्ते दपया बड़ो अवधि के लिए चाहिए और उसके मिलाने की सगठित व्यवस्था नहीं है। मध्य थेशी के आदमियों को श्रीयोगिक कार्यों के लिए पूँजी जुटाने में बहुत कठिनाइ होती है; कारण, वे आवश्यक ज्ञानान्त नहीं दे सकते, और ऐसे प्रसिद्ध भी नहीं होते कि उनको यथेष्ट माल हो। मझकारी वेंक जुलाहो आदि छोटे कारोगरों के लिए ही उपयोगी होने हैं। अस्तु, उच्चोग घंघो की उचति के लिए यथेष्ट पूँजी को व्यवस्था होने की सुनून ज़रूरत है। प्रत्येक प्रौत में वहाँ की परिहिति और आवश्यकताओं के अनुपार, अच्छे श्रीयोगिक वेंक होने चाहिए।

५१ मरीने—आजकल श्रीयोगिक संसार में अचल पूँजी लगाने वा चल पूँजी को अचल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।* एक काम पहले मझदूरी द्वारा होता है। कुछ समय में उसके करने के लिए किसी मरीन का अविक्षार हो जाता है। तब मझदूरों को दी जानेवाली चल पूँजी मरीन में बदल दी जाती है। इससे मझदूरों की आवश्यकता कम रह जाती है; उन्हें ही जानेवाली वेतन की कुल रकम में कमी हो जाती है, और व्यवस्थापकों को लाम अधिक होने लगता है। अरद्ध,

* जो पूँजी द्वारा दिनों तक काम नहों देती, एक ही बार के उपयोग में खर्च हो जाती है, उसे चल पूँजी कहते हैं। जैसे मजदूरों को दिया जानेवाला वेतन, भट्टी में काम जानेवाला खोयला, खेती का बीज आदि। जो पूँजी द्वारा सध्य तक काम देती रहती है, एक ही बार के उपयोग में व्यय नहीं हो जाती, वह अचल पूँजी कहलाती है। इसमें हिन्दूशास्त्र, दक्ष, भीमार, रैन, जहाज, खेती में काम करनेवाले वैन या घोड़े आदि भी गिनती होती है।

इस समय भारतवर्ष में भी मरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इनमें लाभ यह है कि मान अधिक मात्रा में तथा कम व्यवर्च में तैयार होने लगता है और वह सस्ता पड़ता है। परन्तु मरणोंने बन्धन अवस्था में बेहारी बढ़ाती है, और इनमें पूँजी और मज़दूरी के पारस्परिक झगड़े भी होते हैं। कनकारनामों में मज़दूरों का स्वात्म्य और चरित्र भी घटाव होता है। इन दोनों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में, अगले अध्याय में लिखा जायगा।

विदेशी पूँजी का प्रयोग—भारतवर्ष के उद्योग-बन्धो और वेही में जिनमों स्वदेशी पूँजी लगते हैं, उसकी अपेक्षा विदेशी पूँजी कहा अधिक है। किंतु, सुरक्षा ने जा रेल, डाक, तार, नदर आदि का कार्य किया है, वह अर्थक्षर विदेशी पूँजी में हिया है; अकेले रेलों में आठ नो अख्य रथये लगे हुए हैं। इसी से यहाँ विदेशी पूँजी के विशाल परिमाण का अनुमान हो सकता है। अस्तु, यहाँ इसके प्रयोग की समस्या विशेष विचारणाय है।

साधारणतया विदेशी पूँजी ने भी धनोत्तरि करना लाभकारी होता है। परन्तु यहाँ भारतवर्ष में विदेशी पूँजी का प्रयोग इमारी इच्छानुसार नहीं किया जाता। उसके साथ उसे लगानेवाले विदेशी व्यवसायी भी आ जाते हैं। वे बहुधा इमारी कारीगरों को नष्ट करके अपना भनमाना कारोबार करते हैं, जिसमें वे बेडबल लाभ उठाते हैं। यह दिलायी देने लगता है कि (विदेशी पूँजी वे सहारे) अनुक कारनामा नया मूल गया; परन्तु उस कारनामे को 'भारतीय' कहना बही तक ठोक है, जिसमें भारतीयों की कुचियों की मज़दूरी छोड़कर दूद विशेष आय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि विदेशी से जो पूँजी आय, उसका उपयोग यहाँ वानों के हाथ से होना चाहिए। प्रायः पर्यन्तमी देशों में मज़दूरी यहाँ की अपेक्षा बहुत मईगी है, तथा वहाँ कर्वने माल की भी कमी रहती है। इस वात का विचार करके, अनेक विदेशी इमानियों की अपना कारनामा भारतवर्ष में चलाना

लाभदायक रहता है। यहाँ लोकमत से प्रभावित होकर सरकार जो संरक्षण-कर लगाने लगी है, उसका लाभ ये कम्पनियाँ भली माँति उठाती हैं। यदि यहाँ ऐसा नियम किया जाता है कि सुविधाएँ उन्ही कम्पनियों को दी जायें जो भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ शिक्षा दें, तो ये कम्पनियाँ अपना मतलब गाँठने के लिए शिक्षा देने का कुछ दिलाकरी कार्य कर देती हैं।

वर्तमान अवस्था में विदेशी पूँजी से देश की राजनीतिक पराधीनता भी बढ़ती है। अमरीका के मूलपूर्व राष्ट्रति विलयन का कथन है कि “जिन्होंने ही विदेशी पूँजी देश में आकर लगाती रहती है, उनमा ही विदेशियों का प्रभाव बढ़ता रहता है। इसलिए पूँजी की चालें विजय की चालें हैं।” भारत-सरकार पर गोरे व्यापारियों का प्रभाव प्रमिद्ध है, उसके मामने प्रायः भारतवासियों के हितादित का विचार नहीं होने पाता। जब कभी कोई राजनीतिक सुधार होने की बात उठती है, तो विदेशी पूँजी वाले हमारे भविष्य को निर्णय करने का अधिकार माँगते और हमारे पराधीन बने रहने में सहायक होते हैं।

योरपीय महायुद्ध (१९३९-४५) के बाद अमरीका और इंग्लैंड में जो आर्थिक संधि, तथा इंग्लैंड को झुण देने की जो योजना हुई है, उससे भारतवर्ष पर अमरीका की पूँजी के दमले की चेतूत आयींका है। इसे रोकने के तीन उपाय हैं—(१) विदेशी माल न खरीदना, (२) विदेशी बैंक या बीमा कम्पनी के स्थान पर भारतीय बैंक तथा भारतीय बीमा कम्पनियों से काम लेना और, (३) भारतीय उद्योग घन्घो की प्रगति के लिए भरतक प्रयत्न करना।

देश की ओद्योगिक उत्तरति के लिए अभी कुछ समय तक विदेशी पूँजी की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। ही, यह ज़रूरी है कि दम न तो उसे निर्दोष रूप में ले, और न अत्यधिक परिमाण में ही। उस पर बाधाएँ इस प्रकार सोब-विचार कर लगायी जानी चाहिए कि उससे लाभ अधिक-से-अधिक, और

हानि कम-से-कम हो। सरकार को अूर्ध्व कम सूद पर मिल सकता है। उसे चाहिए कि अपने नाम और अपनी ज़िम्मेदारी से दृष्टया उधार लेफुर भारतीय व्यवस्थायों की महायता करे। साथ ही, देश में जौ धन ही, उसका भी यथेष्ट उपयोग किये जाने की ज़रूरत है। इमारा अन्तिम लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि देश की नयी-नयी आद्यगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी पूँजी न लेनी पड़े; यथा-समव सब काम देशी पूँजी से हो सके। विदेशी पूँजी की समस्या का वास्तविक इल इसी बात में है कि देश के पूँजी सम्बन्धी अपने साक्षों को यथेष्ट उच्चति की जाय।

भारत के काम में न आनेवाला धन—भारतवर्ष में कुछ धन ऐसा है, जो काम में नहीं आता, आदमी उसे ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं, अथवा आमूर्यों आदि में लगा देते हैं, उथोग-बंधो आदि उत्पादक कार्यों में नहा लगाते। रूपये को ज़मीन में गाड़कर रखने से वह अविक उत्पत्ति नहा करता, उतना-कान्तुतना ही बना रहता है, और ज़ोवरों में लगाने में तो वह क्रमणः कम होता जाता है। अनेक स्थानों में ऐसा हुआ है कि ज़मीन में गड़ी हुई संभत्ति का पता घर के केवल चड़े-बूढ़े को था, उसकी कहीं कुछ लिखित सुनना न थी; संयोग से परं का बड़ा-बूढ़ा ऐसी अवस्था में मर गया कि वह अपने उत्तराधिकारियों या बारिसों को उसके विषय में कुछ न बता सका। नतीजा यह हुआ कि घर में सम्भति गड़ी रहने पर भी उस परिवार के आदमी बहुधा चड़े आर्थिक स्रुट में फ़से रहे। इस समय भी किसी-किसी देशी राज्य में पूर्वजों के नुमय का सचित ऐसा द्रव्य मीजूद है, जिसका स्वयं शासक को टीक-ठीक पता नहाँ। राज्य पर अूर्ध्व हो जाता है, उसका सूद देना पड़ता है; परन्तु सचित द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता, अथवा यो कहें कि उपयोग किया नहीं जा सकता। इसी प्रकार कुछ मनिदरों में आरती आदि की, और मठों में धर्मादे की, कुछ सम्भति ऐसी रहती है, जो किसी काम में

नहीं आनी और कमशः बढ़ती रहती है। ऐसी सम्पत्ति ने प्राचीन काल में कभी-कभी विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है, तथा आज-कल भी उसके कारण कभी-कभी मन्दिरों या मठों में चोरी होने के उदाहरण सामने आते हैं। अस्तु, संचित धन को यथा-सम्भव किसी उपयोगी अर्थात् उपादक काम में लगाते रहना चाहिए।

भारतवर्ष में उपर्युक्त धन के अलावा और भी बहुत सा धन ऐसा है, जिसका यथेष्ट उपयोग नहीं होता। पिछले वर्षों में यहाँ के मुद्रा-दलाइ-स्लाम-कोप (गोल्ड स्टॉडर्ड रिजर्व) का कितने ही करोड़ रुपया इगलेंड में रहा है, और भारत-सरकार उसका उपयोग नहीं कर सकी है। योरपीय महायुद्ध (१९३९-४५) के समय इगलेंड और अमरीका आदि मिश-राप्ट्रो को भारतवर्ष के कचे माल की बहुत ज़रूरत रही, और बदले में यहाँ तैयार माल काफी न आने के कारण उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सका। इस लिए भारत के रिजर्व बैंक को लान्दन में बदले के समय भी इसके लिए दी गयी, और उनके अधार पर भारत में कागजी मुद्रा छायी गयी। इसके अलावा भारतवर्ष ने जो माल अमरीका मेंजा, उसके मूल्य के रूप में अमरीका ने जो 'हालर' दिये, उन्हें भी विटिश सरकार ने ले कर उनके बदले में भी भारत को स्टर्लिंग हुँडियाँ दे दी। इस प्रकार भारत के स्टर्लिंग पावने की रकम धीरे-धीरे बढ़कर लगभग चौदह सौ करोड़ रुपये हो गयी। यह रकम भारतवर्ष के काम नहीं आ रही है। इन पक्षियों के लिखे जाने के समय तक विटिश सरकार ने यह साफ तौर से तथा नहीं किया कि वह इस रकम को पूर्ण रूप से, तथा भारतवानियों की इच्छानुसार चुकायेगा।

भारतीय पूँजी को वृद्धि के उपाय—पूँजी बचत का फल है। आदमी जिनका धन पेश करते हैं, यदि उस सब को सचें कर दालें, भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछ बचा करन रखें, तो पूँजी कहाँ से आये। अतः सचें करने में मित्रव्यविधा

का विचार रहना आवश्यक है; फल्गुलखर्चों रोकी जानी चाहिए। असम्भवता, कुहथवस्था या अराजकता की दशा में, मनुष्य अपनी भावी आवश्यकताओं के बास्ते अथवा भविष्य में घनोत्पादन करने के लिए, अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग बचा कर रखना नहीं चाहते। जहाँ आदमी अधिकतर गरलौकिक विषयों का विन्दन करते और यही सोचते रहते हैं कि न मालूम क्व मर जायें, वहाँ भी घन विशेष जुड़ने नहा पाता। भारतवर्ष में पूँजी की वृद्धि के लिए जनता में शिक्षा के अतिरिक्त, भितव्ययिता और दूरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए; व्याह-शादी, नाच-रंग और जन्म-मरण आदि सम्बन्धी फल्गुलखर्चों की विविध रीति-रस्ते हटनी चाहिए; तथा खेती, उद्योग-धन्यों, और विणिज व्यापार आदि के ऐसे वैंकों और कम्पनियों के खोलने तथा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिनमें आदमी, सभीदारी के नियमों से अपना घन लगाने में उत्तमाद्वित हो। इनका विशेष विवेचन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।



पाँचवाँ अध्याय

व्यवस्था और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति



प्राकथन—भारतवर्ष के उत्पत्ति के तीन साधनों—भूमि, श्रम और पूँजी का विचार हो चुका। परन्तु उत्पादन-कार्य तभी सम्भव है, जब इन तीनों की समुचित व्यवस्था हो। अब तो बहुत-सा घनोत्पादन बड़ी मात्रा में, तथा कल-कारखानों द्वारा होने के कारण व्यवस्था की आवश्यकता और भी बढ़ गयी है।^{*} इस अध्याय में व्यवस्था और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

* कुछ लेखक व्यवस्था को जगह 'संगठन' शब्द का भी व्यवहार करते हैं।

व्यवस्था में प्रबन्ध का स्थान—व्यवस्था में दो कार्य शामिल हैं—प्रबन्ध और साहस। कल-कारखानों में आलग-आलग आदमी के अम के स्थान पर चहुत-से आदमियों की इकट्ठे काम करना होता है। इस दशा में निरीहण या प्रबन्ध करनेवाले को झरनत पड़ती है। प्रबन्धक सदैव यह विचारता रहता है कि उत्पादक साधनों से किस प्रकार तथा किस अनुपात में काम लिया जाय कि उत्पत्ति अधिक-से-अधिक हो। जो रीति या साधन महगे होंगे, उनके स्थान में वह सहते की खोज करके, उन्हें बदल देगा। प्रबन्धक के कार्य निम्नलिखित होते हैं :—

(१) कारखाने में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यक योग्यतावाले मनुष्यों को इकट्ठा करना और उनसे अम-विमान के उद्घान्तों वे अनुसार अधिक-से-अधिक काम लेना।

(२) कारखाने की जापदाद की देखभाल करना और अच्छे, बढ़िया यंत्रों और श्रौतारों को इस्तेमाल करना।

(३) उत्पत्ति के मेड, मात्रा तथा समय का निश्चय करना।

(४) आवश्यक क्षेत्र पदार्थों को समय पर तथा उचित मात्रा में मोज लेना, तैयार माल को अच्छे भाव से बेचने का प्रबन्ध करना।

(५) व्यापार के उत्तार-चढ़ाव का जान रखना और उससे समुचित लाभ उठाना।

साहस—व्यवस्था में प्रबन्ध के अतिरिक्त, दूसरा कार्य साहस होता है। घनोत्पादन के लिए कोई चीज़ बनाने या पैदा करने का विचार पहले किसी एक आदमी के मन में आता है; इस विचार को उसे कार्य-रूप में परिणत करने का साहस करना चाहिए। सम्भव है, दूसरे आदमियों को उसकी सफलता में संशय हो। साहस को अपने उत्पादन-कार्य के लिए हानि-लाभ की ओर से उठानी पड़ती है। उसका काम पूँजी लगानेवालों के काम से भिन्न प्रकार का है।

माहसी, पूँजी उधार लेकर, अथवा कम्पनियों की सहायता से, अपना काम चला सकता है। वह उस काम के संचालन और हानि-लाभ आदि को सब ज़िम्मेदारी उठाता है। बहुत से आदमी बिना जोखम की, और निश्चित आमदनी चाहते हैं। साहस का प्रतिकल अनिश्चित और अस्तिवर होता है। जब किसी चीज़ के बनाने में कुछ दानि होगी तो उसका धक्का पहले साहसी को ही लगेगा। दौर्ष, वह पांछे भूमि, अम और पूँजी की मात्रा कम करके इस धक्के की घनोत्पत्ति के अन्य साधनों तक पहुँचा देगा। यदेष्ट व्यावसायिक बृद्धि के लिए ऐसे आदमियों की ज़रूरत है, जो बड़े दिलवाले हों, कभी हानि भी बढ़नी पड़े तो हिमत न हारें; और, नये-नये कार्यों के लिए सदा साहसी रहें।

५ मारतवर्ष में प्रवंध और साहस—भारतवर्ष में प्रवंध और साहस की कमी है। यह कार्य ऐसे हैं, जो बहुत कुछ आदमी के व्यक्तित्व पर निर्भर होते हैं। यिन्हा से इनकी यदेष्ट योग्यता प्राप्त नहीं की सकती। दौर्ष, व्यावहारिक अनुभव इसके लिए बहुत उपयोगी है, और यह शिल्पकार्यालयों तथा कारखानों में मिल सकता है। आवश्यकता है, जिन आदमियों की सूचि और प्रवृत्ति इस ओर हो, उन्हें समाज तथा राज्य की ओर से समुचित सुविधाएँ दी जायें। जो आदमी दूरदर्शी, विश्वसनीय, उत्पत्ति की बड़ा-बड़ी योजनाएँ बनानेवाले और औद्योगिक नेतागिरी के गुणवाले प्रतीत हों, उन्हें अपने विचारों को अमल में लाने का अवसर मिले, तो कभी-कभी विफ़ज़ता होने पर भी कुल मिलाकर घनोत्पत्ति में लाभ ही होगा।

उत्पत्ति के तीन क्रम—पहले कहा गया है कि आधुनिक समय में उत्पत्ति का अधिकाश कार्य कल-कारखानों द्वारा होने के कारण, व्यवस्था अर्थात् प्रवंध तथा साहस को आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है। इसे यह जान लेना चाहिए कि कल-कारखानों के बनाने से पहले घनोत्पत्ति किस तरह होती थी, अथवा अब भी जहाँ कल-कारखाने नहीं हैं, वहाँ उत्पत्ति किस तरह होती है। घनोत्पादन के ग्रायः तीन

कम होते हैं—

(१) स्वावलंबी समुदायों का ज़माना ।

(२) छोटी मात्रा की उत्पत्ति—कारीगरों का ज़माना ।

(३) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति—कारब्लानों का ज़माना ।

प्रारंभिक अवस्था में सभी देशों में पहला कम होता है 1 धीरे-धीरे दूसरे और तीसरे का कार्य होता है। योरप अमरीका आदि में तीसरे कम की बहुतायत है। भारतवर्ष में इसका अभी प्रारंभ हुआ है।

स्वावलंबी समुदाय—प्रारंभिक काल में मनुष्य प्रायः गाँवों में रहते हैं। प्रत्येक गाँव के रहनेवाले बहुधा अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ स्वयं पैदा करते हैं, वे उनके लिए बाइर के आदमियों पर निर्भर नहीं रहते। इस अवस्था में तीन श्रेणियों के मनुष्य रहते हैं—
 (१) किसान जो खेती करते हैं, (२) मज़दूर जो किसानों के लिए काम करते हैं, (३) कारीगर, जो रोजमर्रा काम आनेवाली बस्तुएँ बनाते और दूटी फूटी चीज़ें बुधारते हैं; और नीकर जो इन सब कामों में सहायता पहुँचाते हैं। इस अवस्था में, लोगों की आवश्यकताएँ बहुत कम रहती हैं। उनका काम अधिकतर खेती से पैदा होनेवाली चीज़ों से चल जाता है। उदोग या शिल्प की ज़रूरत कम होती है, और वे ही चीज़ें तैयार की जाती हैं, जो स्थानीय उपभोग के लिए आवश्यक हो। साथ ही उनका परिमाण भी यथा-सुभव उतना ही रखा जाता है, कि वे वहाँ खप सकें। इससे स्पष्ट है कि इस दशा में उत्पत्ति छोटी मात्रा की होती है, और वास्तव रूपानीय चेत्र की ही मौग का घ्यान रखा जाता है।

स्वावलंबी समुदायों का बहुत अन्द्या उदाहरण भारतवर्ष की प्राचीन ग्राम-संस्थाएँ हैं। ये संस्थाएँ सभी अंगों से पूर्ण तथा स्वावलंबी होनी थीं। हर गाँव में कुछ पुरतीनों कार्यकर्ताँ होते थे; जैसे दंडित, पुजारी, महावन, मुनार, तेली, नाई, छुदार, धोवी, खुलादा, कुरदार, चमार, मैगी, और बहुधा भिरारी आदि भी। जो चंड़ी गाँव

में नहीं मिल सकती थी, वह बाज़ार हाट लगने के समय लेली जाती थी। ऐसी हाट सप्ताह में एक या दो बार, कई गाँवों के किसी केन्द्रीय स्थान में, लगती थी। किर तीर्थ स्थानों में, साल में एक-दो बार मेले लगते थे, जहाँ दूर-दूर के व्यवसायी तथा व्यापारी इकट्ठा होकर खरीद-फरोज़न करते थे।

M^१ छोटी मात्रा की उत्पत्ति, कारीगरों का ज़माना-
अब धनोत्पत्ति की दूसरी अवस्था का विचार करें। इसमें भी उत्पत्ति होटी मात्रा की ही होती है, परन्तु वह अधिकतर खेती से पैदा होने वाली चीज़ों की ही नहीं होती; कारीगरों की चीज़ों का अनुपात रासा बढ़ जाता है। यह अवस्था तब आती है, जब लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ने लगती हैं। इस दशा में ग्रत्येक कारीगर या उसका परिवार स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है। वह उसका स्वयं निरीक्षक या प्रबंधकता होता है। वह अपनी ही पूँजी लगाता, अथवा सूद पर इयां उधार लेकर काम चलाता है। जो वस्तु वह बनाता है, उसका वही मालिक होता है। उसे वह अपने नगर में या कुछ दूर मेज़कर बेच डालता है।

भारतवर्ष में मुसलमानों के शासन-काल तक बहुत-सी दस्तकारियों की बड़ी उन्नति हुई। १८ वाँ शताब्दी तक भारतवर्ष से बढ़िया-बढ़िया माल बाहर जाने के कारण वहाँ का हर एक नगर दूर-दूर के देशों में किसी-न-किसी त्रास चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया था। अब मठीनी के युग में वे बातें इवा हो गयी, तथापि भारतवासियों के श्रीबोगिक जीवन में हाय की दस्तकारियों का बड़ा स्थान है।

M^२ बड़ी मात्रा की उत्पत्ति; कल-कारखानों का ज़माना-
क्रमशः लोगों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ़ गयीं; और उत्पादन के लिए मार, श्रीरपीछे विजली आदि से चलनेवाले यन्त्रों का आविष्कार हो गया। साथ ही आमदारक के साथों की वृद्धि हुई। इस अवस्था में लोगों को अपनी चीज़ें खपाने के लिए अपने नगर या देश

तक परिमित न रह कर, दूर-दूर के देशों में जाने का विचार हुआ। चीजों बहुत बड़े परिमाण में बनायी जाने लगी। उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगी। कल-कारखानों का जमाना आ गया; अब मज़दूर कोई बस्तु प्रायः अपने लिए नहीं बनाते; वे हजारों की सख्त्या में हकटे होकर एक पूँजीवाले व्यक्ति या कपनी के अधीन काम करते हैं। जो सामान बनता है, उस पर कारखाने वाले का अधिकार होता है; मज़दूरों को केवल उनके काम की मज़दूरी मिल जाती है। इस दशा में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होती है। आधुनिक व्यावसायिक जगत के उन्नत देशों में कल कारखानों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, और बड़े-बड़े कारखानों की सख्त्या भी बढ़ रही है।

इस अवस्था में बस्तुओं का लायत-खर्च और सतन कम होता है, चीजें अपेक्षाकृत सस्ती बेचने पर भी खूब मुनाफ़ा रह सकता है। हाँ, पूँजी की आवश्यकता बड़े परिमाण में होती है। बहुत से मज़दूरों के एक ही जगह इकट्ठे काम करने से, उनके स्वास्थ्य तथा रहन-सहन आदि की समस्या उपस्थित होती है। बेतन का भी सबाल पैदा होता है। मज़दूरों के असतुष्ट रहने की दशा में हड़ताल होती है। अपवा, कमी-कमी पूँजीपति ही अपनी शर्तें मनवाने के बास्ते, उन पर दबाव ढालने के लिए उनका काम पर आना चढ़ कर देते हैं, इसे 'द्वाराबोध' या 'तालापन्दी' कहते हैं। इस प्रकार पूँजीपतियों और श्रमजीवियों का हित-विरोध होता है। इन पश्नों पर आगे विचार किया जायगा।

मिथित पूँजीवाली कंपनियाँ—आज-कल बड़ी मात्रा में उत्पत्ति होने और कल-कारखानों से काम लेने में बड़ी-बड़ी पूँजी की ज़रूरत होती है, और व्यवस्थापक को इसका प्रबंध करना पड़ता है। प्रायः एक व्यक्ति अकेला ही इतनी पूँजी व्यवसाय-कार्य में नहीं लगा सकता, इसलिए बहुत से आदमियों की योड़ी-योड़ी पूँजी मिलाकर 'जोयंट स्टार्क' अर्थात् मिथित पूँजी की कंपनियाँ स्थापित की जाती हैं। भारतवर्ष में इन कंपनियों का कार्य कमशः बढ़ रहा है। बहुत से

योरपियन उथोग इसी प्रणाली से आरंभ हुए थे। वे भारतवासी मी, जिन्हे नये अद्योगिक कार्य आरंभ करने या बढ़ाने होते हैं, बहुधा ऐसी ही कम्पनियाँ बनाते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं—परिमित देनदारी की या 'लिमिटेड', और अपरिमित देनदारी की या 'अनलिमिटेड'।

परिमित देनदारी की कंपनी के बंद होने पर उसके हिस्मेदारी की जिम्मेदारी, उसका सब ऋण चुकाने की, नहीं होती; केवल अपना-अपना हिस्सा चुका देने की होती है। अपरिमित देनदारी की दशा में प्रत्येक हिस्सेदार पर कंपनी का सब ऋण चुकाने की जिम्मेदारी रहती है। अपरिमित देनदारी वाली कम्पनियों की साख तो अधिक होती है, परन्तु उसमें हिस्सेदारों की हानि की बहुत सम्मावना होती है। अधिकतर कम्पनियाँ परिमित देनदारी वाली ही खुलती हैं।

कम्पनी के हिस्सेदार 'शेयरहोल्डर' कहलाते हैं; और, उनकी ओर से कार्य-सञ्चालन करनेवाले व्यक्ति, डायरेक्टर या सञ्चालक। सञ्चालक अपने ग्रन्थ सम्बन्धी अधिकार प्रायः एक ऐसी कम्पनी या कर्म को मौंप देते हैं, जो मिश्रित-पूँजी कम्पनी में या तो स्वयं विशेष पूँजी लगाती है, या दूसरे पूँजीपनियों को विशेष पूँजी लगाने के लिए तैयार करती है। ग्रन्थ सम्बन्धी अधिकार वाली इस कर्म को 'मेनेजिंग एजेंट' कहते हैं। भारतवर्ष में ये कर्म अधिकांश में योरपियन हैं। इससे भारतवासियों को उथोग घन्थों के सम्बन्ध में यथेष्ट ग्रोत्साहन नहीं मिलता। मेनेजिंग कर्म मिश्रित-पूँजी-कंपनी की कर्ता धर्ता हो जाती है। इसके अधिकार बहुत अधिक होते हैं, यहाँ तक कि किसी मेनेजर का रहना न रहना बहुत-कुछ इसी की इच्छा पर निर्भर रहता है। मेनेजिंग एजेंट बहुधा शेयरहोल्डरों के लाभ-हानि का यथेष्ट विचार नहीं करता, अतः जनता का उसके प्रति बहुत असंतोष रहता है। वर्समान अवस्था में मेनेजिंग एजेंट की प्रथा हटायी तो नहीं जा सकती, हाँ, उसके अधिकारों पर समुचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

हर एक कंपनी को रजिस्टरी करानी होती है, और इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। योग्यता-प्राप्त 'आडीटर, अर्थात् लेखा-परीक्षक कंपनी के वार्षिक हिसाब की नियमानुसार जाँच करता है'। यह जाँच हो चुकने के बाद हिसाब सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिससे सब आदमी कंपनी की अर्थिक स्थिति भली प्रकार जान लें; यथा-संभव किसी को उसके सम्बन्ध में घोखा न रहे।

युद्ध काल में तो अस्वाभाविक स्थिति होती है, उस समय के अंको से साधारण स्थिति का शान नहीं होता। इस महायुद्ध से पहले (उन् १९३८-३९ हैं) के अन्त में), कंपनियों के रजिस्टरी-कानून के अनुसार, यहाँ कुल मिलाकर १०,०७० कंपनियाँ ब्रिटिश भारत में, और १,०४४ देशी कंपनियाँ रियासतों में थीं। ब्रिटिश भारत की कंपनियों की प्रात्-हिसाब पूँजी दीने तीन सौ करोड़ रुपये, और रियासतों की कंपनियों की १५ करोड़ रुपये थीं। ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक कंपनियाँ व्यापार करने और तैयार माल बनाने वाली थीं, इनकी संख्या ४,४२१ थी। इनसे कम संख्या कमशः बैंकिंग और उधार देने वाली, तथा चाय और दीमा की कंपनियों की थी। प्रातों के हिसाब से, अकेले बंगाल में ४,६३१ थीं, बम्बई में १,४००, और मदरास में १,५८१ थीं। संयुक्तप्रान्त इस विषय में बहुत पीछे है, यहाँ केवल ४६२ ही कम्पनियाँ थीं। देशी रियासतों की कंपनियों में से लगभग आधी, बैंक सम्बन्धी थीं; और ४७८ कंपनियाँ अर्थात् लगभग ४७ प्रति सदी अकेले जावंकोर राज्य में थीं। अस्तु, भारतवर्ष में मिश्रित पूँजी वाली कंपनियाँ अमीं बहुत कम हैं, इसी-लिए यहाँ बहै-बड़े कल-कारखानों की भी कमी है। इन कम्पनियों के विषय पर कुछ विचार आगे, बैंकों के खिलिलों में भी किया जायगा।

कारखानों के भजदूरों का जीवन—कारखानों में काम करनेवालों का जीवन उतना स्वतंत्र नहीं हो सकता, जितना गाँव-

वालों का, अथवा घर उद्योग-वन्धों का काम करनेवाले, बढ़ौं, लुहार आदि कारोगरों का, होता है। यद्यपि इमारे देहात प्रायः मैले-कुचैले हैं, फिर भी वहाँ खुली हवा और रोशनी का नाम अर्थिक है। कारखानों में हरदम शोर मचानेवाली मशीन के पास घटों काम करते रहने से अमज्जीवियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमज्जीवियों पर, कारखानों के जीवन से, सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी बहुत बुरा होता है, खासकर इसलिए कि वहाँ श्रीरत्ने भी काम करती हैं। घर पर छोड़े हुए बचों की देख-भाल नहीं होती।

भारतवर्ष की बहुत-सी मिलों में टेकेदार मज़दूरों को भरती करते हैं। इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलता है। इस पद्धति से मिलों के संचालक, अमज्जीवी एकत्र करने की चिंता से मुक्त रहते हैं, परन्तु अमज्जीवी प्रायः एक लोभी आदमी के अधीन हो जाते हैं। बालकों से भी काम लिया जाता है, जब कि चाहिए वह कि वे खुली हवा में स्वतंत्र जीवन, व्यतीत करें; इससे नवयुवकों के शरीर का बड़ा हात होता है।

कारखानों का कानून—कारखानों का पहला कानून सन् १८८१ ई० में पास हुआ। इसका संशोधन सन् १८८१ में और पुनः सन् १८९१ ई० के कानून से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर कानफ्रैंस के मंतव्यों के अनुसार, सन् १८२२ ई० में इसमें कुछ संशोधन हुआ, तदनंतर सन् १८२३ और सन् १८२४ ई० में मी कुछ सुधार हुआ। सन् १८२६ ई० में मज़दूरों की दशा की जाँच के लिए शाही कमीशन नियम हुआ था। उसकी विकारिशी का ध्यान रखते हुए सन् १८३४ ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने नया कानून बनाया, जिसमें पुराने कानून की आवश्यक वातों का समावेश कर दिया गया। यह नया कानून जनवरी १८३५ ई० से अमल में आने लगा।

इस कानून की मुख्य-मुख्य वातें निम्नलिखित हैं :—

(१) शीर आदमियों से काम लेनेवाले कारखानों पर मी, अगर वहाँ मशीन से काम लिया जाता हो, यह कानून लागू होता है। प्रान्तीय

सरकारों को अधिकार है कि वे उन कारखानों को भी जहाँ दस या अधिक अदमी काम करते हों, इम कानून के अदर ले सकती है।

(२) काम करने के लिए बालकों की कम-से-कम उम्र बारह वर्ष निश्चित की गयी है। पदरह वर्ष तक तो वे बालक माने हो जाते हैं। पन्दरह वर्ष से सतरह वर्ष तक के बे लड़के भी जिन्हें बालिगों का, काम करने का प्रभाणपत्र न मिला हो, बालक समके जाते हैं। बालकों से अधिक-से-अधिक छुः घटे काम लिया जा सकता है। उन्हें श्रौत से हर साढ़े पाँच घटे में आध घटे का अवकाश देना आवश्यक है, तथा उनसे लगातार चार घटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।

(३) निरतर साल भर चलनेवाले कारखानों में काम करने का अधिक-से-अधिक ५४ घटे का सताह नियत है, और किसी एक दिन में १० घटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। किसी भौतिक नियम में काम करनेवाले (बीन, प्रेत, चाय, चीनी, रवड़ आदि के) कारखानों में काम करने के अधिक-से-अधिक घन्टे साधारणतया प्रति दिन चारदु, और प्रति सताह साठ निर्धारित हैं।

(४) स्कियों को, और १८ वर्ष से कम आयु के लड़कों को, जो खाम के कुछ काम करने का निषेध है।

(५) कारखाने के मालिक पर अम-संवंधी अपराध में ५००) तक खुरमाना हो सकता है। चोट-चपेट लगने पर जख्मी मज़दूरों की सहायता करने की, और चोट-चपेट के कारण मर जाने पर उष्णके कुट्टें बे के लिए कुछ धन देने की, व्यवस्था है। मज़दूरों वे कुशल-दोम तथा द्वा पानी आदि कुछ अन्य चातों के लिए भी नियम निर्धारित हैं।

सन् १९३५ के शासन-निधान के अनुसार अप्रैल १९३७ में 'ग्रान्तीय स्वराज्य' कायम हुआ। मदरात, बम्बई, चगाल, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, और उड़ीसा में 'कायेश-सरकारे' काम करने लगी।

सन् १९३६ की निर्वाचन-घोषणा के अनुसार कांग्रेस की मज़दूरों सम्बन्धी नीति इस प्रकार बतायी गयी थी, (और पीछे सन् १९४५ में भी इसी आशय की घोषणा की गयी) — मज़दूरों के रहन-सहन के दर्जे को कँचा करने, तथा काम के समय को नियमित करने को और ध्यान दिया जायगा। देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मज़दूरों की हालत सुधारी जायगी, मालिकों और मज़दूरों के भगड़े निपटाने की कोशिश की जायगी। बुदापा, बीमारी और बेकारी के खतरे से बचने का आयोजन होगा। मज़दूरों को अधिकार होगा कि वे अपना संघ बनायें और अपनी दितन-द्वा के लिए हड्डताल करें। सन् १९३७ और १९३८ के बीच में जब प्रान्तों में कांग्रेस-शासन था, प्रान्तीय सरकारों ने यथासम्भव इस नीति के अनुसार काम किया। बम्बई, विहार, मध्यप्रान्त और संयुक्तप्रान्त की सरकारों ने विविध जौंच कमेटियाँ नियुक्त कीं, और यथा-सम्भव उनकी सिफारिशों को कार्यस्पृष्ठ में परिणत किया।

सन् १९३८ में केन्द्रीय व्यवस्थापक भड़ल ने इस आशय का कानून बनाया कि १५ वर्ष से कम आयु के बालकों से रेलों या जहाजों के यातायात-कार्य में मज़दूरी न करायी जाय। अगले वर्ष यह नियम किया गया कि बारह वर्ष से कम आयु के बालकों से बीड़ी बनाने; कालीन बुनने; सीमेंट बनाने; कपड़ा छापने, बुनने या रंगने; दियासलाई, आतशबाजी या विस्कोटक पदार्थ बनाने; ऊन साफ करने और अभ्रक तथा लाख (चपरा) आदि के कारखाने में काम न लिया जाय।

खानों में मज़दूरों का जीवन—भारतवर्ष में दाई लाख से कुछ अधिक आदमों खानों में काम करते हैं, इनमें से लगभग दो-तिहाई कोयले की खानों में है। अधिकतर खानों में, मज़दूरों को जमीन के अदर, तथा बहुत नीचे काम करना होता है। कोयले की खानों में आग लगने की बहुत चार्यांका रहती है। पिछले दिनों ऐसी हुंधटनाएँ

विशेष हुई है। कुछ खानों में किनारे पर पानी निकलता है, और इससे वहाँ बहुत सील रहती है। वही खानों में ताज़ी दूध जाने-आने का प्रबन्ध किया हुआ रहता है, पर छोटी खानों में यह बात नहीं होती। सूखे का प्रकाश तो खानों में जा ही नहीं पाता। अतः इनमें मज़बूरों का स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ने लग जाता है। फिर, मज़बूरों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, (दुमांग से कितने ही स्थानों से शराब, खानों के पास ही मिलने की व्यवस्था है), उससे वे अपनी कमाई—जो मामूली होती है—बहुत-कुछ उसमें उड़ा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपने भरण-पोषण के लिए भी उनके पास काफ़ी पैसा नहीं रहता; फिर, दूध आदि की तो बात ही क्या। अधिकौश मज़बूर कर्ज़ में फ़से रहते हैं, साहूकार उनसे खूब ब्याज बसूल करता है। इससे उनकी आमदनी में और भी कमी हो जाती है। ऐसी दशा में उनके पास स्वास्थ्यप्रद मकान होने की आशा नहीं की जा सकती; प्रायः के बहुत तंत्र, रसी, चर्के और चंचले स्पर्शों द्वारा झुक़ जाते हैं, और विविध बीमारियों के शिकार बनते हैं।

खानों का कानून—इस कानून द्वारा कुछ बातों का सुधार होने में सहायता मिलती है। इस समय सन् १९३५ ई० का कानून अमल में आ रहा है, उसके पूर्व सन् १९२१ ई० के कानून के अनुसार व्यवहार होता था, जो १९०१ ई० के कानून का संशोधित स्वरूप था। वर्तमान कानून की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(१) कोई मज़बूर सप्ताह में छः दिन से अधिक काम में नहीं लगाया जा सकता।

(२) अमजौबी जमीन के कपर एक सप्ताह में ५४ घण्टे, और एक दिन में दस घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता।

(३) जो अमीरी जमीन के अन्दर काम करते हैं, उनका समय, जमीन के अन्दर जाना आरंभ करने से, लौट कर उपर आने तक दिना जाता है। यह सब समय नौ घण्टे से अधिक नहीं होना

चाहिए।

(४) पन्द्रह वर्ष से कम उम्र वालों से खानों में काम नहीं लिया जा सकता। लियो से जमीन के अन्दर काम लेने का निपेघ है। *

इन मज़दूरों की उत्तरि के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ वे ही जाते हैं, जो कारखानों के मज़दूरों के विषय में पहले बतायी जा चुकी हैं।

हड़तालों के कारण—बहुधा यह कहा जाता है कि 'अधिकाश औद्योगिक भंगडों का, अधवा कम से कम इनके बढ़ने का, मुख्य कारण साम्यवाद, कम्यूनिज्म, वर्गवाद या बोल्शेविज्म आदि को लहर है; नेतागिरी चाहनेवाले आदमी मज़दूरों को उनके मालिकों के विशद भड़का देते हैं, इससे वे हड़ताल करने पर उतार हो जाते हैं; पीछे हड़ताल कमशः व्यापक रूप धारण लेती है। 'इन बातों में तक और सत्यता कहाँ तक है? श्रमजीवियों के बास्ते हड़ताल का अर्थ प्रायः अपनी बँधी हुई आजीविका के साधन को छोड़ना, मूखान्नंगा रहने के लिए तैयार होना, तथा अपने बल-बचों को संकट में डालना है। ऐसा यह कार्य ऐसा सरल और मनोरंजक है कि इसे मज़दूर चाहे जब, किसी के बढ़काने मात्र से, कर सकते हैं। बास्तव में बात यह है कि संसार में निम्न श्रेणी के श्राद्धमियों में अब चेतनता आ रही है। वे अब तक जो कठुंग्रद जीवन व्यतीत करते आ रहे थे, उसे अब सहन नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि हमारे 'मालिक' अधिकाधिक सम्पत्ति के स्वामी होते जा रहे हैं, और इसे अपनी प्राणन्देश भी दुलंभ है।

हड़तालों के कुछ मुख्य कारण ये हैं:—(क) जीवन निवांह के 'पदार्थों' की 'मैंहगायी', मज़दूरी या दोनों कम मिलना, या समय पर न मिलना। (ख) कुछ मज़दूरों को काम पर से हटा देना, और

* महासुद (१९३९-४५) के समय लियो से जमीन के अन्दर खानों में काम लिया गया था; इसका जनता ने बहुत विरोध किया।

उनके संगठन को अस्वीकार करना। (ग) मज़दूरों की वरदान्तगी तथा अन्य असुविधाएँ। (घ) अधिक समय (घन्टे) तक काम लेना। (इ) अफसरों तथा फोरमेनों का दुर्बंधवदार। (च) काम करने की जाइ का स्वास्थ्यप्रद न होना, और रहने के स्थान का योग्य प्रबन्ध न होना।

हड्डतालों के सम्बन्ध में म० गांधी के विचार—
इस विषय में म० गांधी के विचार जानने योग्य है। उनका कहना है—‘हड्डताल उफाल हीने वे लिए यह आवश्यक है कि हड्डताली लोग हड्डताल के दिनों में जनता के दान पर निर्भर न रहें। उनका अपना एक काम पेसा अवश्य होना चाहिए, जिसे वे मंकट-काल में कर सकें। अहमदाबाद के मज़दूरों ने जब २६ दिन की हड्डताल को थोंको मैं ने कपये दान देने के बदले उन्हें काम दिया था। दान देने से वे खराब हो जाते हैं। चर्खा कातना उनके लिए बहुत अच्छा है। हड्डताल का संगठन मिरमालियों के प्रति विद्रोह की भावना रख कर नहीं, बल्कि अपने उचित अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। इक और कर्तव्य दोनों साथ है।’

अमज़ीवियों की उचिति के उपाय—अमज़ीवियों के हित के लिए कई कुछारों की आवश्यकता है। वेतन के शारे में आगे लिखा जायगा। सन् १९१८ ई० से विविध प्रान्तीय व्यवस्थापक समाजों द्वारा, प्रारंभिक रिक्षा के अनिवार्य करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार हो जुका है, परन्तु अधिकारी व्यानों में इसके लिए योग्यता व्यवस्था नहीं हुई है। स्कूलों के अतिरिक्त युलकालय और वाचनालय भी जरूरी हैं। मज़दूरों के स्वास्थ्य और, रहने के लिए, मकान आदि का उचित प्रबन्ध करना आवश्यक है। जहाँ मिलें नगर के बाहर हो और व्यान काफी हो, वहाँ उनके लिए एक मंजिल के नारे मकानों की सदृश व्यवस्था हो सकती है। इस काम के लिए मिलों के निकट भूमि प्राप्त

करने में सरकार को पूँजीपतियों की सहायता करनी चाहिए, और कुछ नियमों के अनुमार श्रमजीवियों की वस्तियाँ बनाने की आशा देनी चाहिए। बहुत से मजदूरों को भूय लेने की बुरी आदत पहुँचाती है। महाजन इससे अनुचित लाभ उठाते हैं। इनसे उनकी रक्षा की जाने की आवश्यकता है। कारखानों के मालिकों को चाहिए कि किसी खास महाजन को श्रमजीवियों के लिए आवश्यक और अच्छी वस्तु, आवारण दर में देने का ठेका दें। सहकारी समितियों से उनका बड़ा उपकार हो सकता है। मजदूरों के दिल-बदलाव और खेल-कूद का, तथा उन्हें शराब और जुट आदि की बुरी आदतों से बचाये रखने का, प्रबन्ध होना चाहिए; रोगियों के लिए चिकित्सा, और बुढ़ापे के समय के बास्ते प्रोविडेंट फन्ड की व्यवस्था होना आवश्यक है। मजदूरों के स्वतंत्रों की रक्षा के लिए उनके समर्थन की बड़ी जरूरत है।

इल में मजदूरों का बीमारी-धीमा किया जा रहा है। योजना यह है कि कुछ रकम सरकार दे, कुछ रकम कारखानों के मालिक, और कुछ स्वयं मजदूर लोग। इस प्रकार बनाये हुए कोप से मजदूरों को बीमारी के समय सहायता दी जाय, जिससे उन्हें बीमार पहुँचे की हालत में आर्थिक कठिनाइयाँ विशेष न हो।

श्रमजीवी संघ—भारतवर्ष में पहले एक-एक व्यवसाय वालों की—जूहार, बट्टई आदि एक-एक सागठित जाति थी। किन्तु अब व्यवसाय और जाति का सम्बंध शिथिल होना जा रहा है, और स्वतंत्र व्यवसायियों की अपेक्षा कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की सख्ता बढ़ती जा रही है। इन्हें कमशु: वह अनुमत होने लगा है कि 'यदि हम इन संगठन के अलग-अलग रहेंगे, और कम मजदूरी स्वीकार करने के सम्बन्ध में आपस में प्रतियोगिता करेंगे, तो कारखाने का मालिक हमारी फूट से लाभ उठायेगा, और मजदूरी कम-से-कम देगा; इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस विचार से अब

मजदूर अपना एक संगठित संघ बनाते हैं। संघ के सभापद नियमानुसार चदा देकर एक कोष स्थापित कर लेते हैं। जब कोई सभापद बीमार पड़ जाता है, या किसी दुर्घटना अथवा दृढ़तास्त्र आदि के कारण काम करने योग्य नहीं रहता, तो उसे इस कोष से सहायता दी जाती है। यदि किसी के व्यवसायोपयोगी श्रीजार आदि नष्ट हो जाते हैं, तो वे सरोद दिये जाते हैं। यह साध मजदूरों के सुधार, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य आदि के विषय में यथानुचित ध्यान देता रहता है। मजदूरों की दर कँची रखने के लिए कमी-कमी छोटे-छोटे अमज्जीवी-संघ इस बात की भी कोशिश करते हैं कि उनके ज्ञेत्र में काम करनेवालों की संख्या परिमित रहे। ये बाहर से आये हुए नये मजदूरों की, वह काम नहीं करने देते, जिसे ये खुद करते हैं। इन संघों का बहुधा यह काम भी रहता है कि वे निर्बल मजदूरों को समर्थ पूँजीपतियों का सामना करने की गाँठ प्रदान करें।

भारतवर्ष में पहला ट्रेट्यूनियन या मजदूर-संघों का सुन्नपात सन् १८८० से हुआ। पिछले महायुद्ध के पश्चात् क्रमशः इनकी वृद्धि होती गयी; बायई और बंगाल में विशेष प्रगति हुई; अब तो भारतवर्ष के सभी मुख्य औद्योगिक स्थानों में मजदूर-संघ कार्य कर रहे हैं। सन् १९३८-३९ में ब्रिटिश भारत में रजिस्टर्ड मजदूर-संघ, ५५५ थे। इनमें से ३८४ का हिताव प्रकाशित हुआ; उनके लगभग चार लाख सदस्य थे, जिनमें से करीब ११ हजार लियाँ थी। उनकी आय लगभग नौ लाख रुपये थी। अधिकतर स्थानों में उनका संगठन या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मजदूर-संघ कानून सन् १९२६ में बना। संघों का प्रबन्ध प्रान्तवार है; जिस प्रान्त में किसी संघ का प्रबान कार्यालय होता है, उस में संघ के सात या अधिक सदस्य उसकी रजिस्टरी करा सकते हैं। पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के आदमी रजिस्टर्ड संघ के सदस्य नहीं हो सकते।

भारतवर्ष में अहमदाबाद आदि कुछ स्थानों में मजदूर-संघ बहुत-

कुछ म० गांधी के आदेशानुसार काम करते हैं, बम्बई में वे ग्रायः कम्पुनिष्ट तथा दूसरे लोगों के नेतृत्व में हैं। और, कानपुर आदि कुछ हथानों में दोनों ही तरह के सब हैं। जहाँ एक जगह दोनों तरह के सब हैं, वहाँ उनमें अक्सर आपन में ही विरोध और संघर्ष होता रहता है। कुछ लोगों का यह आरोग है कि म० गांधी या कांग्रेस के आदेशानुसार काम करने वाले सब तो एक प्रकार से पूजीपतियों की छुट्टी-च्छाया में ही काम करते हैं, वे अपने अधिकारों के लिए पूजीपतियों से टक्कर किस प्रकार ले सकते हैं! इस विषय में महात्मा जी का कथन है कि 'मेरा पूजीपतियों ने सम्बन्ध है, और मैं उनके घन से गरीबों की सेवा करता हूँ। कांग्रेस अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पूजीपतियों का घन और महयोग लेती है तो इसका यह मतलब नहीं है और न ही सकता है कि कांग्रेस पूजीपतियों की सहस्रा है। कांग्रेस किसी के भी विश्व भज्जूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिशब्द है।'

म० गांधी का मत है कि 'अहमदाबाद का मजदूरसाह एक आदर्श संस्था है। यह सासार में शायद सब में अच्छा मुश्तगित मजदूर-संघ है। इस संघ का अपना सैराती अस्वताल है। बचों के लिए स्कूल है, और संघ के ही कोष से सस्ते अनाज की दुकानें हैं। उसने कई सफल इतालों भी की है।' इताल के विषय में महात्मा जी का विचार पहले दिया जानुका है।

पूजी और थम का संघर्ष—आधुनिक श्रीदीगिक संसार में पूजी और थम का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में, सन् १९३५ में श्रीदीगिक भगड़े १३४ हुए, और सन् १९३३ ई० में १४६। सन् १९३६ में तो इनकी संख्या ४०६ हो गयी। इन भगड़ों में ४ लाख हृदज्ञ आदमी लगे हुए थे। और, इनके कारण इतने काम की ज्ञाति हुई, जिन्होंना एक लाख आदमी मिल कर पचास दिन में कर सकते हैं।

संघर्ष दूर करने के उपाय—आजकल भारतानों के मालिक

यदा-कदा द्वारावरोध या तालाबन्दी करते हैं, और इड़ताल तो मामूली चात ही गयी है। द्वारावरोध हो या इड़ताल, इनसे मालिक और मजदूर दोनों का ही नुकसान है। जनता के भी दुःखों का अत नहीं; घनोत्पत्ति में भी ये बहुत बाधक हैं। इनसे बचने के लिए पूँजी और श्रम के पारस्परिक सघर्ष को दूर किया जाना चाहिए। इसे रोकने के उपाय ये हैं:—(१) कारखाने से होनेवाले लाभ का काफ़ी अंश मजदूरों में बाँट दिया जाय (२) मजदूर अपनी शोहँ-योहँ पूँजी इकट्ठी करके कारखानों में लगाएं और इस प्रकार कारखाने से होनेवाले लाभ में हिस्सा लें, (३) सब मजदूर एकमात्र अपनी ही पूँजी से (और अपने ही श्रम से) कारखाने को चलाएं; इस दशा में कारखाना उनका ही होगा, दूसरा पक्ष होगा ही नहीं, और इस लिए विरोध की वार मी न रहेगी।

समझौते की व्यवस्था—प्रारंभ-सरकार ने अन् १९२८ ई० में एक कानून बनाया था; १९३८ में इसमें संशोधन किया गया। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि जब मालिक और मजदूर दोनों पार्दियाँ न्याहें, तो सरकार तदस्य आदमियों की जाँच-अदालत या समझौता-बोर्ड स्थापित करे। इसको रिपोर्ट प्रकाशित की जाया करे। रेज, डाक, तार, टेलीफोन, ट्राम, या पानी के नल आदि चार्व-जनिक उपयोगिता के कामों में मालिक बेतन पर लगे हुए मजदूर इड़ताल करने से निर्धारित समय पूर्व सूचना दिया करें; मालिक भी, पढ़ले में सूचना देकर द्वारावरोध किया करें। जिस इड़ताल या द्वारावरोध का उद्देश्य श्रीयोगिक भगड़े को अपने निर्धारित लेने से अधिक बढ़ाने का हो, अथवा जिससे जनता को बहुत कष्ट हो, उसे गैर-कानूनी ठहराया जाता है।

प्रान्तों में, इस विषय की कानूनी व्यवस्था खालकर बम्बई में हुई। वहाँ इस विषय का पिछला कानून अन् १९३८ में बना, उसमें अन् १९४१ में संशोधन हुआ। उसके अनुसार यह आवश्यक है कि किसी

उद्योग-घन्थे का मालिक पहले ऐसे नियमों का मस्तिष्ठा दनये, जो वह मजदूरों के सम्बन्ध में काम लाना चाहता है। इस मस्तिष्ठे पर 'लेघर कमिशनर' मजदूरों को ट्रिट न भी मज्जी भाँति विचार करके, उसका निश्चय करे। मालिक या मजदूर, जिन पक्ष के कुछ शिकायत रहे, वह औद्योगिक न्यायालय में आपील कर सकता है, जिसकी स्थापना कानून के अनुसार होती है। वेतन, काम के घन्टे, और काम करने की शर्तों सम्बन्धी निश्चित किये हुए नियमों को मालिक या मजदूर बदल नहीं सकते, जब तक कि एक पक्ष दूसरे को इसकी सुनवाना न दे; और, दोनों पक्ष विचार-विनिमय करके सहमत न हो जायें। यदि दोनों पक्ष सहमत न हो तो सूचना देनेवाला अपना पूरा वक्तव्य 'कॉमिश्न-एटर' (समझौता करानेवाले) और रजिस्ट्रार आदि अधिकारियों के पास भेजे, जो निर्धारित विधि से समझौता कराने का प्रयत्न करे। आवश्यकता होने पर समझौता-बोर्ड स्पष्टित किया जा सकता है, जो इस विषय की गवाहियाँ ले और कागजात की जाँच करे। यदि किसी औद्योगिक भरगडे से यहुत से आदमियों को कठिनाई या कष्ट हो तो सरकार दोनों पक्ष को समझौता करने लिए वाप्त कर सकती है। जिन दृढ़तालों या द्वारावरीयों के सम्बन्ध में समझौते को यथोप्त कार्रवाई न की गयी हो, वे गैर-कानूनी ठहराये जायेंगे।

साधारणतया मजदूर समझौता सम्बन्धी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था से असुरु है। उनमें शिकायत है कि कानून में मजदूरों के दिनों का यथोप्त संरक्षण नहीं किया गया है।

विशेष वक्तव्य— अन्य औद्योगिक देशों की दुलना में, भारत-बंगल में मजदूरों के संगठन बहुत कम है। यहाँ जो-कुछ संगठन है, वह प्रायः छहसौ में स्थानेवाले, तथा कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों का है। परन्तु यद्युपि मजदूरों में स्थानी बड़ी संख्या उन लोगों की भी है, जो ऐती पर काम करते हैं, और गाँवों में रहते हैं। इनका मजदूर-संघ आदि के रूप में कोई संगठन नहीं है। इनकी जातिगत पंचायतें

आवश्य है, पर वे केवल सामाजिक विषयों का विचार करती है, और जिन्हें अपराधी समझती है, उन्हीं दण्ड देती हैं। वे मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की ओर ध्यान नहीं देती। इन मजदूरों को भिन्न-भिन्न जातियों को पंचायतों में परस्पर में कोई सहयोग नहीं होता। इस प्रकार देहाती मजदूरों की शिकायतें दूर करने का सागर्ठित प्रयत्न प्रायः कुछ भी नहीं हो रहा है। इस ओर बहुत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

स्मरण रहे कि मजदूरों के सागर्ठन जितने शुक्रियाली होंगे, उतने ही उनके विषद् पूँजीपतियों के भी प्रबल सागर्ठन होंगे। इन स्पर्द्धा-पूर्ण समठनों से यह चारण हो जाती है कि पूँजीपतियों और अधिकारियों को यलाई में आवश्यक और अनिवार्य विरोध है। प्रत्येक को यह चिन्ता बनी रहती है कि कहीं विरोधी पक्ष का पलड़ा अधिक मारी न हो नाय। इसलिए इम इन सभों की स्थापना को एक सामरिक युक्तिमात्र समझते हैं; यह हमारा आदर्य नहीं। परमात्मा करे, औद्योगिक सासार के लिए वह समय शीघ्र आ जाय, जब एक दूसरे के विषद् दलबन्दी करने की जरूरत हो न रहे; दोनों पक्ष पारस्परिक द्वितीय का यथेष्ट ध्यान रखें।

छठा अध्याय

खेती प११

उत्तरित के विविध लाभों—मूमि, अम् पूँजी, और व्यवस्था—का मारतीय दृष्टि से विचार कर लुकने पर अब यहाँ की खेती और उद्योग-धंधो पर विचार करना है। इस अध्याय में खेती का विषय लेते हैं।

हमारी खेती की उपज—जैसा कि पहले यताया जा सका है, ब्रिटिश भारत में २१ करोड़ एकड़ भूमि ज्ञोनी जाती है। यहाँ के मिन्न-भिन्न भागों की जल-चायु, उष्णता, तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने में, यहाँ प्रायः छवि प्रकार के लाद पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अन्नों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, जौ, मकई, आदि मुख्य हैं। दालों में मूँग, ठहर, अरहर, मटर, मसूर, आदि पैदाहोनी है। तेलहन में तिल, सरसों, अलसी आदि प्रधान है। अन्य लाद पदार्थों में गन्ना, तथा विविध कल, सब्ज़ी, मसाले और मेवा आदि होती है। अन्य लाद पदार्थों को पैदावार में कपास, सन (जट), नील, अङ्गीम, कहवा, चाय, तमालू और पशुओं का चारा विशेष उल्लेखनीय है। खेती से उत्पन्न पदार्थों की मात्रा की दृष्टि से भारतवर्ष का संलग्न में तीसरा नम्बर है। सब देशों की सन द्वी माँग यहाँ पूरी करता है। गेहूँ, कपास, चावल आदि की पैदावार में भी, यह अच्छा स्पान रखता है। परंतु देश-निवासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ की उपज कम है। तुलना करने पर मालूम हुआ है कि यहाँ की एकड़ गेहूँ, जौ, कपास, गन्ने आदि की उत्पत्ति, कई देशों में कम होती है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारी भूमि दूसरे देशों की ज़मीन से कम उज्जाऊ है, क्योंकि कृषि-विभाग के अफसर इसी ज़मीन पर नये तरीकों से खेती करके उपज दूनी-तिगुनी कर लेते हैं। वर्वर्दि-प्रात के कृषि-विभाग के मूलपूर्व डायरेक्टर श्री० कोटिङ का कहना है कि भारत में नये तरीकों के उपयोग से अस्थी भी सेकड़ा टपज आमानी से बढ़ायी जा सकता है। परन्तु इसके लिए हमें किसानों की असुविधाएँ दूर करने की आवश्यकता है।

बाधाएँ—भारतवर्ष में कृषि संबंधी मुख्य-मुख्य बाधाएँ ये हैं—

१.—किसान आशिक्षित और निर्धन हैं। उन्हें ब्याज बहुत देना होता है। गैर-मोर्दमी, और यिकमी-दर-यिकमी काश्तकारों से लगान

बहुत लिया जाता है।

२—उनकी जमीन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त है, नो बहुधा दूर-दूर भी है।

३—कुछ जमीन ऐसी है कि उसमें खेती करना लाभदायक नहीं है।

४—बहुत सी जमीन ऐसी हैं, जिसमें खेती सम्भव है, पर की नहीं जाती।

५—बहुत सी भूमि परती छोड़ दी जाती है।

६—देश के कई भागों में सिचाई के साधन नहीं हैं।

७—उचम बैल, बीज, खाद और ओजारो की कमी है।

८—यदौं बढ़िया और नयी किस्म की चीज़ें पैदा नहीं की जाती।

किसानों की निर्धनता और निरचरता—किसानों की निर्धनता कितनी अधिक है, यह पहले बताया जा चुका है। उनकी आय का बड़ा भाग लगान और सूद में चला जाता है। इन दोनों मदों में कमी की जानी चाहिए। इस विषय में विशेष आगे प्रसगानुसार लिखा जायगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान अवस्था में किसान अपनी शेष आय का खासा भाग सुकदमेवाज़ी, या विवाहशादी और मृतक-भोज आदि सामाजिक कार्यों में खर्च कर डालते हैं, इसे भी कम करने की आवश्यकता है। इसमें विशेष खफलता, किसानों में शान का प्रसार होने पर मिलेगी। उनकी शिक्षा कैसी हो, यह पहले बताया जा चुका है।

खेतों के छोटे-छोटे और दूर-दूर होने को रोकने के उपाय—भारतवर्ष में बहुत से खेतों का क्षेत्रफल एक-एक दो-दो एकड़ मी नहीं है। कितने ही खेतों का विस्तार सो केवल आधा-आधा एकड़, अथवा इससे भी कम है। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों के पास एक से अधिक खेत हैं, जो ग्रामः एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। इससे

काश्तकारों को बहुत नुकसान होता है। आने-जाने में उनका बहुत सा भ्रमय नहीं हो जाता है, उन्हें वैशानिक यत्र इत्यादि का उपयोग करने में बहुत असुविधा होती है, तथा वे उससे वयेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। रखबाली करने में बहुत दिक्कत होती है। उन खेतों के मेंढ़ तथा उनमें जाने के लिए रास्ता बनाने में, और उनमें नहर से पानी ले जाने में, बड़ी अड़चन पड़ती है, और काश्तकारों का पारस्परिक झगड़ा भी बढ़ता है। इन हानियों को हटाना आवश्यक है, और उसका एक-मात्र उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जीत के लिए एक स्थान में—एक चक में—हो जायें, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बौद्धा जाना कानून से रोक दिया जाय। इसका तरीका यह है कि जिस गाँव के किसान चकबंदों के लाभ समझ जाते हैं, वहाँ एक सदकारी समिति सब किसानों से ग्रायः चार वर्ष तक के लिए उनकी जमीन का त्याग-पत्र लिखा लेती है, और, सब जमीन के चक बनाकर उन्हें किसानों में उन्नित परिमाण में इस तरह बैंट देती है कि प्रत्येक किसान की भूमि एक ही स्थान में हो जाय, और, इर एक किसान को दी जानेवाली भूमि का मूल्य उतना ही हो, जितना पहले उस किसान की जमीन के विविध टुकड़ों का था। जमीन के इस बैंटवारे में सदकारी समिति के दो-तिहाई सदस्यों का सहभत होना आवश्यक है। चार वर्ष के बाद, यदि किसी किसान का विरोध न हो (और, ग्रायः विरोध नहीं होता) तो, जमीन के बैंटवारे की यह व्यवस्था स्थायी कर दी जाती है।

आजकल खेतों के बैंटवारे का सुख्य कारण हिन्दू और मुसलमानों का दाय-विभाग-कानून है। इस कानून में ऐसा परिवर्तन हो जाना चाहिए कि किसी हकदार को जीत के उतने भाग से कम मिलना नाज्ञायज्ञ समझा जाय, जितने से उसके परिवार का निर्वाह हो सके। और, जब कोई ऐसा प्रसुंग आये, तो, पूरा जीत सब हकदारों में ही नीलाम कर दिया जाय। जो कोई उसके लिए मवस्ते ज्यादह रुपये देने को तैयार हो, उसी को वह सेत मिले; दूसरे हकदारों को उनके दिस्ते

के अनुसार रूपया दिला दिया जाय। इम सारी जमीन वडे लड़के को दिये जाने के पक्ष में नहीं है ऐना करना दिनदू और मुसलमान, दोनों के घर्मणाली के सिद्धात के विषद्ध होगा। उपर्युक्त योहेसे परिवर्तन से ही उद्देश्य सिद्ध हो सकता है।

वेमुनाफे की खेती—ऊपर खेतों की चकवन्दी की बात कही गयी है। लेकिन चकवन्दी होने पर भी बहुत से खेत इतने छोटे-छोटे रहेंगे कि उनमें अलग-अलग खेती करने से कोई लाभ न होगा; यहाँ तक कि किसानों को अपनी मेहनत का उचित पारिष्ठमिक भी न मिलेगा, और उनका गुजारा न होगा। इसे दूर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ राज्य की ओर से रूप की तरह सामूहिक खेतों की व्यवस्था की जाय। कई-कई गांवों के, और कम-से-कम एक गांव के सारे किसानों को भूमि में इकट्ठी खेतों की जाय; तब किसानों का उसमें सहयोग हो; बीज, बैल, औजारों तथा अन्य दूजी के लिए इकट्ठा प्रबन्ध हो। फसल पैदा करने से लेकर उसकी विक्री और वितरण तक के सभी कामों में सहकारिता हो। हरेक किसान को आमदनी उसको साचारण आवश्यकताओं के अनुमार तो अवश्य ही हो; जिन किसानों की भूमि अधिक हो, या जो अधिक मेहनत करे, उन्हें अपने जीवन निर्वाह कर सकने से अधिक आमदनों होती रहे।

ऐसी भूमि जिसमें खेती सम्भव है, पर की नहीं जाती—विदेश मारत में या सेकड़े लाखभगा १८ भूमि ऐसी है, जिसमें कहुल पैदा होना सम्भव है, पर की नहीं जाती। विदेशी तथा दूसरे ऐसे आदमी जो यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को नहीं जानते, मारतवर्य में इतनी अधिक भूमि के बेकार बने रहने पर आधर्य किसी करते हैं। बात यह है कि इस भूमि में खेती करने में कई तरह की वाधाएँ हैं। कहीं तो कुप्र नाम का घास डुगा रहता है, जिसकी जड़ जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गयी हुई होती है। इस घास की

निश्चालना, और इस मूर्मि में हल चलाना या बीज बोना नहीं हो सकता। कुछ जमीन दलदल वाली है, इसलिए उसमें सेती नहीं को जा सकती। कहा की आवहवा स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वराच है। कुछ जगहों में घना जगत है, पर ऐसा नहा, जिसे ब्राज दे अप में उपयोग किया जाय। कुछ जगह ऐसी है, जहाँ जाने आने के लिए रात्ने न होने से वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जाता। मड़क यन जाने से इस भूमि का नेती के लिए उपयोग ही सकता है। उपर जिक की हुई दूसरी जमीन को भी कोशिश करके ऐसा बनाया जा सकता है कि वहाँ सेती हो सके। बहुत ने स्थानों को, जहाँ पहने बीमारी बहुत होगी थी, अब विहान के सहायता से स्वस्थ और रहने योग्य बनाया गया है। इसी तरह कहीं कहीं दलदल वाली जमीन भी मुखारी गयी है, और अब उसमें सेती भजी भाजि हो सकती है। अबस्थ हीं ऐसे कामों में कुर्च बहुत होता है, इसलिए ये जनता के बग्गे के नहीं। इन्हें सरकार ही कर सकती है, और उने ये कार्य करने चाहिए; कारण, इनसे देश की आय बढ़ती है, और अनाज की कमी दूर होने में सहायता मिलती है।

कुछ मूर्मि में सेती न करने का कारण यह होता है कि वह बंजर होती है। विज्ञान की सहायता से इस मूर्मि की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। इसके लिए पहले मिट्टी का परीक्षण और विरलेपण करके यद मालूम किया जाता है कि इसमें कौन-कौन से तत्व किम परिमाण में विद्यमान है, कृषि की विधि से कौनसा तत्व अधिक है, और कौनसा कम। परनात् उसमें ऐसा कृत्रिम रथा रासायनिक ग्राद दिया जाता है, जिससे विविध तत्वों का अनुपात ऐसी मात्रा में हो जाय कि उस मिट्टी में कोई उपयोगी क्षमता भजी भाजि पैदा हो सके। जमीनों अदि देशों में, यह कार्य बहुत सुरक्षित पूर्वक किया गया है। मारत्वर्ष में भी इसके प्रयोग की बहुत आवश्यकता है। यहाँ कुछ स्थानों में यह अनुभव किया गया है, कि बिन मूर्मि में ग्राद अविक हो, उसमें गुड़ के ऊपर का लाद देने से वह

काफी उपजाऊ हो सकती है।

परती भूमि का उपयोग—यहाँ प्रति वर्ष लगभग १० फी से कड़े भूमि ऐसी होती है, जिस पर एक फसल बोकर बाद में उसे परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वह आराम करले। और उसके जो-जो तत्व फसल बोने से चले गये हैं, वे वायु-मंडल द्वारा उसमें आ जायें। विचार-पूर्वक फसलों को हेर-फेर से बोने का सिद्धान्त काम में लाने से परती भूमि पर खेती की जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि भूमि में एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल बोयी जाय, जो उन तत्वों को लेने वाली हो, जो पहली फसल के तैयार होने के बाद शेष रहे हों। इस बीच में वायु-मंडल द्वारा अन्य तत्वों की पूर्ति हो जायगी। उदाहरणार्थं नील या सन के बाद गेहूँ; मकई या ज्वार के बाद चना, मसूर या मटर; कगान के बाद मकई; जूट के बाद चावल; और, ज्वार-न्याजरे या गेहूँ के साथ-साथ दालें बोयी जा सकती हैं। इस प्रकार भूमि बारहो महीने जोती जा सकती है, और वे कार परती छोड़नी नहीं पड़ती।

सिंचाई—पहले वकाया जा चुका है कि भारतवर्ष के कुछ भाग ऐसे हैं, जिनमें वर्षा बहुत कम होती है, तथा कुछ भागों में वर्षा काफी होने पर भी अनिरिच्चत रहती है। फिर, चावल और गन्ने आदि की कुछ फसलें ऐसी हैं, जिन्हें जल काफी और नियमित रूप में मिलना चाहिए; वर्षा से बहुत कम स्थानों में ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या की वृद्धि के कारण साल में दूसरी फसल की आवश्यकता होती है; अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आन्धार कृपि ही है। इन सब कारणों से यहाँ सिंचाई की आवश्यकता स्पष्ट है।

सिंचाई के लिए यहाँ कुएँ और तालाब तो प्राचीन काल से हैं, परन्तु नहरों का उल्लेख विद्युतया मुख्लमानों के समय से ही मिलता

है। संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मदरास, बम्बई और विहार में नहरों से भी बहुत काम लिया जाता है। मैसूर, हैदराबाद, पूर्वी मदरास, राजपूताना, और गुजरात में तालाब मिचाई के काम आते हैं; मदरास के पूर्वी भाग में कुछ तालाबों का धेरा कई-कई मोन है। कुछ प्रायः किसानों के बनवाये हुए हैं, कहीं-कहीं घनी-माना या परोपकारी सज्जनों ने बनवा दिये हैं; सरकार ने भी कुछ दशायों में उनके लिए सहायता दी है। तालाब जनवा तथा सरकार दोनों के ही द्वारा बनवाये गये हैं। नहरों का बनवाना साधारण आदमियों के बश की बात नहीं, इन्हें तो राजामहाराजा अथवा सरकार ही बनवा सकती है।

भारतवर्ष में सरकारी नहरों के दो मेंद हैं:—(१) उत्तापक; जिनसे इतनी आय हो जाय कि उनकी व्यवस्था का सचं तथा उनमें लगी हुई पूँजी का सूद आदि निकल सके और कुछ लाभ भी हो जाय। (२) रक्षात्मक; जिनसे ऐसी आय नहीं होती कि आधश्यक सचं निकलने के बाद, उनमें लगी हुई पूँजी का सूद निकल सके। ये दुमिश्व निवारण के लिए बनायी जाती हैं। मारनवर्ष में नहरों के पनिर्माण की और विशेष प्यान इसी शतान्द्रों में दिया गया है। सन् १९०३ ई० के आवासीय-कमीशुन की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पवार में नहरें निकालने से कई जगह अच्छी सुन्दर नहरों बस्तियों या उपनिवेश (कालोनी) हो गये हैं। सिंचाई के साधनों की दृष्टि से, पवार के बाद दूसरा स्पान मदरास प्रान्त का है। संयुक्तप्रान्त में शारदा नहर निकाली गयी है, इसने कई लाख एकड़ मूर्मि में आवागायी होती है। मिन्द में भक्तर बाँध बनाया गया है, जिससे मिन्द की लालों एकड़ बंजर भूमि हरी भरी और खूब उपजाऊ हो गयी है।

सन् १९३८-३९ में निटिश भारत में सरकारी नहरों से २४४ लाख एकड़ मूर्मि सौची गयी, जिन्हीं नहरों से ३५ लाख, तालाबों से ४८ लाख, कुओं से १३२ लाख, और अन्य साधनों से ६७ लाख एकड़। इस प्रकार सब साधनों में कुल मिलाकर ५३७ लाख एकड़

मूमि सीची गयी थी, जब कि जोती हुई सम्पूर्ण मूमि का क्षेत्रफल २,०६३ लाख एकड़ था। अब २५८० एकड़ मूमि जोती है, और उसमें से ५६० एकड़ मूमि में सिचाई होती है। यह स्पष्ट है कि अधिकांश मूमि की खेती का आधार वैवल वर्षा है। यह ठोक नहीं। नदीों की कृदि की यहाँ बहुत आवश्यकता है। विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यप्रान्त, सिन्ध और राजपूताने के अनिश्चित वर्षावाले इलाकों में। समुद्र के निकटवर्ती तथा वैन्य जिन प्रान्तों में हवा निरन्तर चलती है, वहाँ हवा से चलनेवाले रेहैंट द्वारा कुशों से जल निकालने की विधियहुत लाभकारी हो सकती है। सुयुक्तप्रान्त आदि कुछ प्रान्तों में 'टमूव बेल' नामक कुओं का प्रचार बढ़ता जा रहा है; इन्हे 'पातान-फोइ' कुएँ कहते हैं। इनकी गदराई बहुत अधिक होती है; इन से पानी का अनन्त थोत मिलता है। जल निकालने का काम विद्युत शक्ति से लिया जाता है, जिसके विषय में अन्यत्र लिखा गया है।

श्री० डा० चालकृष्ण जी ने लिखा है कि आजकल कई उन्नत देशों में यिन सिंचाई की खेती ('हाई फार्मिङ') का कार्य बढ़ रहा है। अमरीका में जल की कमी से फसलें नहीं मर सकतीं, योकि किमान लोग वर्षा शृंखला में ही अपने खेतों को ऐसा तैयार कर सकते हैं कि उनके नीचे काफी जल रहता है जिस मूमि पर याहाँ इच्छी वर्षा होती हो, वह लाललाइटे खेतों में परिवर्तित की जा सकती है। भारतवर्ष में इस रीति के प्रचार का विचार दोना चाहिए। यहाँ राजपूताना, सिन्ध आदि प्रदेश बहुत खुरक हैं।

खेती के पशुओं आदि का सुधार—भारतवर्ष में खेती पशुओं से, और खादक बैलों से, की जाती है। यहाँ इनकी दशा, कैसी है, यह पहले बताया जा चुका है। इनकी नस्ल सुधारने की, इनके लिए चरागाहों का प्रयोग की, और स्वयं किसानों की आर्थिक दशा ऐसी होने की आवश्यकता है कि वे उन्हें पेट-भर और पौधिक मोजन दें सकें, स्वास्थ्यप्रद स्थान में रख सकें और आवश्यकता होने पर

उनको निकिरणा आदि की मसुचित व्यवस्था कर सकें। दर्तमान अवस्था में यहुत कम किसान अच्छे बढ़िया बीज, खाद और औजारों का उपयोग करते हैं। महकारी समितियों, तथा सरकारी कृषि-विभाग से इस विषय में योग्य लक्षण नियमित चाहिए।

बढ़िया तथा नयी किस्म की चीजों को उत्पत्ति—

हमारे किसान जैसे-तैसे पैदाचार का परिमाण बढ़ाने की तो किस करते हैं, परन्तु उसे बढ़िया प्रकार का करने का प्रयत्न नहा करते। अन्य अनेक देशों में कई पदार्थों का रूप रंग और आकार आदि बदल कर उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ा दी गयी है, और दूसरे पदार्थों के सम्बन्ध में ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। मारतवर्ष में ऐसा उफल प्रयत्न विशेषतया रुई में हुआ है। अब यहाँ मिथ की तरह की रुई पैदा की जाने लगी है, जिसका यह बहुत महीन होता है। सरकारी फार्मों में कुछ अन्य पदार्थों के प्रयोग हुए हैं, पर अभी जनता में उनका योग्य प्रचार नहीं हुआ। कुछ समय से ग्राम-उद्योग-सम्प्रदाय, जिसके सम्बन्ध में अपले अध्याय में लिखा जायगा, ऐसे प्रयोग कर रहा है। यहाँ दिनों उसने 'सोयाचीन' के गुणों की परीक्षा की, और किसानों को उसकी खेतों के लिए प्रोत्साहित किया। इस दिशा में कार्य करने के बास्ते बहुत चेत्र पड़ा है। उत्तमाही आदमियों को मिल-जुल कर उद्योग करना चाहिए।

प्रायः खेतों की पैदाचार विकास की योग्य व्यवस्था नहा है। नहुचा उसके अच्छे दाम नहीं उठते। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों में बेमुनाफे की खेती होती है। किसान को अपनी मेहनत का योग्य प्रतिफल नहा मिल पाता। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। इसका विशेष विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

खेती और सरकार—मारतवर्ष में यह बात अति प्राचीन काल से मानी जाती है कि राज्य को खेती और किसानों की उभति में योग्य भाग लेना चाहिए। हिन्दू राजा तो इस और अपना महान

कर्तव्य पालन करते ही थे, मुख्यमान शासकों ने भी देश को आर्थिक उन्नति के लिए इस दिशा में समुचित प्रयत्न किया। अंगरेजी शासन में एक विशेष सरकारी विभाग द्वारा कृषि की उन्नति करने का विचार सर्व-प्रथम सन् १८६६ में, उड़ीसा में अकाल पड़ने के आवसर पर, हुआ। सन् १८८० के अकाल-कमीशन ने भी इस विषय को लिप्तारिश की।^१ फल-स्वरूप विविध प्रान्तों में कृषि-विभाग स्थापित किये गये, परन्तु बहुत समय तक इनसे विशेष कार्य न हुआ। सन् १८०५-१० में इन विभागों के संगठन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया, और एक वेन्द्रीय कृषि-विभाग (बोर्ड) स्थापित किया गया। इस विभाग के प्रबलों से, विशेषतया भिज-भिज प्रकार की जमीनों में उचित खादी के उपयोग, अच्छे बीज, पौधों के रोग और उनके निवारण, नयी तरह के औजारों के उपयोग, पशु-चिकित्सा और नये तरीकों से खेतों करने के सम्बन्ध में कई उत्तम बातों का ज्ञान प्राप्त होता है; परन्तु उस ज्ञान का सर्वसाधारण में यथेष्ट प्रचार करने के लिए कुछ सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं किया जाता। पूछा (विदार) में एक वेन्द्रीय अनुसन्धान संस्था (इमरीरियल रिसर्च इन्सटीच्यूट) स्थापित की गयी थी; सन् १८३६ से वह देहली में है। कुछ खाद्यन्दार नगरों में चीनी, दूध, मक्कलन, रुद, मन्दा आदि के लिए भी अनुमन्यान-संस्थाएँ हैं। इनके सम्बन्ध में भी उपर्युक्त बात ही लागू होती है।

सन् १८२६-१० में यहाँ एक शाही कृषि कमीशन नियत हुआ। था। उसने अपनी रिपोर्ट से कृषि-सम्बन्धी उन्नति, अनुसन्धानों, मूर्म-विभाजन, कृषि-प्रदर्शनियों (नुमायशो), पशु-चिकित्सा, आवश्यकी, देहाती जीवन, कृषि-शिक्षा; सरकारी-जात-मितियों और कृषि सम्बन्धी, नौकरियों पर अपने विचार प्रकट किये थे। इस रिपोर्ट के आधार पर

* 'लंदाशाहर के कपड़े के कारखाने' वाले भी बहुत चाहते थे कि भारतवर्ष में लम्बे रेतोंवाले झुंड पैदा की जायः उन्होंने इस उद्देश्य से सरकार का ज्ञान कृषि सम्बन्धी उन्नति की ओर दिलाया।

एक कृषिकौंसिल बनायी गयी है, जिसका कार्य खेती की उत्तरति का विचार करना है। १९३५ ई० से भारत-सरकार ग्रामोन्नति के लिए कुछ कार्य करने लगी है, उसका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा। यहाँ दूसरी बातों का विचार करना है।

सन् १९३५ के शासन विधान से पहले बर्मा भारतवर्ष का ही थ्रंग था, इस लिए बर्मा में पैदा होनेवाला चावल इसी देश की पैदावार माना जाता था। उस दरामें यहाँ खासकर गोहू की कमी होनी थी। गोहू आस्ट्रेलिया और कनाडा से भगाकर वह कमी पूरी की जाती थी। जब बर्मा भारत से अलग कर दिया गया तो बर्मा-रहित भारतवर्ष में चावल की कमी होने लगी। सन् १९३६ से दूसरा योरपीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। सुदूर के समय बाहर से अन्न आदि आना बहुत कठिन होता ही है। इसके अलावा भारतवर्ष में उस समय सरकारी प्रबन्ध भी बहुत खराब रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि बगाल में, सन् १९४३ में बहुत भयकर अकाल पड़ा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें १५ लाख, और दूसरे दिनाव लगाने वालों के मत से इसमें ३५ लाख आदमी मर गये। जो आदमी इस अकाल में रोग-प्रस्त होकर कष्ट पाते रहे, उनकी सख्त्या रही अलग। इस अकाल की जात्य करनेवाले तुड्डेड कमीशन ने अकाल के जो कारण बताये हैं, उनमें से कुछ ये हैं—(१) बर्मा का चावल न आना, (२) बंगाल-सरकार प्रान्त में अनाज का संग्रह * और वितरण करने में असफल रही (३) जनता का बगाल की सरकार में विश्वास नहीं रहा था। (४) भारत-सरकार ने अपनी अनाजनीति निर्धारित करने में गजती की। (५) बंगाल में अनाज की कमी होते हुए भी चावल बाहर मेज़ा गया। (६) चौर-बाजार (ब्लैक बार्केट), और शूसन्नोरो का जोर रहा; सरकार जरूरत के समय जनता को अनाज न दे सकी, इसमें अनाज की कोमत छः गुनी चढ़ गयी। (७) जागानी आकमण के भय से नावों आदि पर सरकारी कब्जा हो जाने से भीदरों ब्यापार चौपट हो गया। (८)

सन् १९४२ की 'अमल की' कमल अच्छी न थी।

आवश्यकता है कि देश में खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ायी जाय, और जनता भी जन के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो। वर्तमान सुद के समय सरकार ने किसानों को कहा कि 'खाद्य सामग्री अधिक उपजाओ।' परन्तु ऐसा कहने मात्र से क्या लाभ, जब तक कोई सुमग्ठित योजना साय में न हो। किसानों को कुछ सुविधाएँ दी जानी आवश्यक थी। यह ज़रूरी था कि सरकार ऐसोब्यवस्था करे कि किसानों को खेती के निए अच्छा बीज और काफ़ी पानी मिले; और जो किसान अधिक अच पैदा करे, उसे आवश्यकी और लगान अपेक्षाकृत कम देना पड़े; और, अनाज के उचित दाम मिलें। सरकार द्वारा ऐसा प्रोत्साहन मिलने पर ही, खेती द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थों को कमी का संकट दूर हो सकता था। भारतवर्ष में सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ सहोपजनक कार्य नहीं किया गया। कुछ योजनाएँ बनी हैं, पर उन्हें अभी अमल में नहीं लाया गया।

जनवरी सन् १९४६ ई० में भारत-सरकार ने एक अस्तिल भारतीय कृषि और खाद्य नीति की घोषणा की है। नीति का उद्देश्य यह है कि जनता के रहनसहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाय, उसे भीजन-सामग्री अधिक मात्रा में और अच्छी प्रकार की मिले। देखना है कि इस नीति के अनुसार कहाँ तक काम होता है।

सातवाँ अध्याय

उद्योग घन्थे

केवल खेती से पैदा होनेवाली वस्तुओं से हो इमारा काम नहीं चल जाता; इसे अनेक प्रकार के तैयार मात्र की भी अस्तर होती है, इसलिए उसकी उत्पत्ति की जाती है। दस्तकारियों और उद्योग-घन्थों

का, खेती से गहरा सम्बन्ध है; कारण कि इनके लिए जो कच्चा माल आवश्यक होता है, वह खेती ने ही भिन्ना है। खेती सम्बन्धी विचार कर चुकने पर अब हम उद्योग घन्यों पर विचार करते हैं।

भारतवर्ष का आँद्रोगिक विभाजन—भारतवर्ष की भूमि उद्योग-घन्यों से उत्तम द्रव्यों और उनके व्यापार के नाते चार भागों में बटी जा सकती है * :—

(१) आसाम, बंगाल, बिहार और उडीसा। यहाँ रवर, तेलहन, तेल, लाल्व, नील, जट, कागज, चमड़ा, रेशम, अफीम, नम्बानू, चाय, चीनी, चावल, कोयला, लोहा, रोरा, अध्रक आदि द्रव्य पैदा होते या पाये जाते हैं। दस्तकारी में हाथीदात का काम, छाताचनाना, सीर, गुंख का काम, दोके का मलमल, झरदोजी, या बेज-बूटी का काम, और चटाई बुनने का काम मण्डूर है।

(२) उत्तर-भारत, बिससे सुनुकप्रान्त, मध्यप्रदेश, राजपूताना, मध्यभारत, पंजाब, सोमाप्रान्त और कठुमीर शामिल हैं। यहाँ राल, धूप, लाल्व, तेलहन, इत्र, मातुन, मोमबत्ती, कत्था, हर्दी, बहेड़ा, फई, कन, तैयार चमड़ा, दरी, गोहू, विश्वकृष्ण, अफीम, चाय, चीनी, रोरा, रेशम, शीशम, देवदार की लकड़ी, अस्ता, नम्बू, रोरा, सोहागा, लारी मिट्टी आदि पदार्थ पाये जाते या पैदा होते हैं। दस्तकारी में टीन के मामान, लाल्व में रंगे धानु के मामान, इनामिन, सोने, चौदो, तवि पोटल और पीनाद के मामान, पश्चिम सौदने और काठने का काम, मिट्टी का काम, लकड़ी, हाथीदात तथा चमड़े का काम, रंगने-दूधने का काम, रुद्दी, रेशम तथा कन के कपड़े, शाल-दुशाना, दरी, जाजम, गन्धीचे आदि के काम मण्डूर हैं।

(३) पर्याम-भारत (बम्बई प्रान्त, बरार और विलोचिस्तान)। यहाँ गोद, तेलहन, फई, कन, चमड़ा, जड़ी-बूटी, नम्बू और गोहू,

* भारत की सारठिक अवस्था से।

पैदा होता है। सोने-चादी के सामान, लकड़ी, सीप, चमड़े, छड़ी, ऊन, तथा जरदारी से मध्यवर्ष रखनेवाली दस्तकारिया मशहूर हैं।

(४) दक्षिण-भारत (गदराम प्रान्त, हैदराबाद, मैसूर और कुर्ग)। यहाँ तेजहन, धी, चर्चा, नील, छड़ी, नारियल के छिलके के सामान, हाथीदाँत,^१ चमड़ा, चाय, काढ़ी, मिगार, मिर्च, दालचीनी, शराब, चावल, चदन की लकड़ी, मोतो, मैगनीज, सीसा, सीमेंट आदि द्रव्य पाये जाते हैं। दस्तकारी में सोने, चौदी, लांबे, पीतल का सामान, पत्थर, लकड़ी और हाथीदाँत का काम, कपड़ा रेगना-छापना, रेशमी कपड़ा बुनना, और चिकन का काम मशहूर है।

इस प्रकार बंगाल और विहार में कृषि से उत्पन्न द्रव्यों की प्रचुरता है, पर दस्तकारी की कमी। पश्चिमी भारत में द्रव्यों तथा कारीगरियों दोनों की कमी है; दक्षिण-भारत में इनकी व्युत्पत्ति व्यापक है। उत्तर-भारत में कारीगरियों की कमी नहीं है।

मारतवर्ष में छोटी दस्तकारियों की विशेषता— भारतवासी अधिकाश तीवार पदार्थ शब्द विदेशी से भीगाते हैं। यह ज़माना गया, जब यहाँ की बनी चीजें दूर दूर तक आदर, आश्चर्य और ईर्ष्या की दृष्टि से देखी जाती थीं। किस प्रकार कम्पनी खेल समय में हमारे उच्चोग-घन्थों का हास हुआ, और हमारी जगतन्विलक्षणत कारी-गरियाँ नड़ को गयीं, उज्जीवी लदी के भिज्जुले दिस्ते में यहाँ की श्रौद्धोगिक जागृति को किस प्रकार रोका गया, ये बातें हम अपनी 'मारतांय जागृति' पुस्तक में बता सुके हैं। अस्तु, धीरे-धीरे अनेक वाधाओं का सामना करते हुए, यहाँ कुछ बड़े-बड़े कल-कारखाने खुले हैं; परन्तु अधिकाश भागों में छोटी दस्तकारियों की ही व्युत्पत्ति है। इसके कुछ विशेष कारण ये हैं—

(१) जति-पथा के कारण जुलाई, कुम्हार आदि अपने पूर्वजों के ही काम करते हैं। आजीविका के नये साधन प्राप्त करने से उन्हें बहुधा जाति से बाहर रहना पड़ता है।

(२) यहुधा मनुष्यों को अपनी इच्छातुसार काम करने की आदत पड़ी हुई है; वे कारखानों में निश्चित घटे काम करना, अथवा अन्य कायदे-कानून के बन्धन में रहना पसन्द नहीं करते।

(३) कुछ लाम-बास बेन्द्रीय स्थानों को छोड़ कर कारखानों में मिलनेवाली मजदूरी इतनी अधिक नहीं हुई कि गाँव के लोग सहसा नगर में रहने की असुविधाएँ और खर्च नहन करने लगे।

(४) अधिकतर आदमी अपने गाँव या कस्बे में ही रहना पसन्द करते हैं। स्थान-परिवर्तन उन्हें रुचिर कर नहीं होता; वे भूखे रहने या कर्जदार होने पर ही लाचार होकर, घर या कुटुम्ब का मोह छोड़ते हैं।

(५) परदे की प्रथा के कारण अनेक औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती; वे घर धंधों में ही भाग ले सकती हैं।

(६) किसानों को साल में प्रायः चार महीने से छुः महीने तक बेकार रहना पड़ता है; और वाकी महीनों में उनकी आय से जैसे-तैसे काम ही चलता है, बेकारी के समय के लिए वे कुछ बचा कर नहीं रख सकते। अतः उन्हें ऐसे उद्योग-धन्धे के कार्य की आवश्यकता होती है, जिसे वे अपने गाँव में ही कर सकें। इसका अभिप्राय यह है कि देश की दो-तिहाई जनता के लिए घर उद्योग-धन्धों का बड़ा महत्व है।

किसानों के लिए उपयोगी सहायक धन्धे—हमने ऊपर कहा है कि वर्तमान अवस्था ने एकमात्र खेतों के आसरे रहने से किसानों का बारहो महीने काम नहीं चल सकता। अपने निर्वाह वे लिए उन्हें उसके साथ दूसरे कार्य भी करने चाहिएँ। अवश्य ही ये कार्य ऐसे होने चाहिएँ कि इनसे खेतों में कोई बाधा न हो; ये यथासम्ब उसमें सहायक ही हो। इस दाढ़ से किसानों के लिए एक मुख्य उद्योग पशु-पालन का है। दूध देनेवाले पशु के रखने से किसान को दूध या घी की यिकी से आय ही सकती है, और उसके बच्चों को यदि

दूध नहीं, तो मट्टा तो मिल ही सकता है। गाय के बछड़ों का अच्छी तरह पालन-पोषण होने पर वे अच्छे बैल बन सकते हैं, जो खेती के बहुत काम आते हैं। गोरर से खाद का बड़ा लाभ है।

खेती के साथ एक छोटा-सा बगीचा मामूली लंबे से सहज ही लगाया जा सकता है, जिसमें स्पानीय परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार भौति-भौति के फूल, दब्जी (तरकारी), या फल लगाये नायें। इसमें यह विचार रखा जाय कि प्रत्येक शृंखु में उसके अनुकूल पठार्थ उत्पन्न किये जायें, जिससे बारहों महीने कुछु-न-कुछु आमदनी होती रहे। अगर फल आर्द्ध के बेचने की व्यवस्था किसान खुद न कर सके तो बगीचा ठेके पर उठाया जा सकता है। जो जमीन खेती के योग्य न हो, उस पर पेह लगा देने से बढ़िया लकड़ी बेचने चै, और मामूली लकड़ी जलाने चै, काम में जा सकती है। किसान रस्ते बढ़ने, टोकरी बनाने, रंगने, छापने आदि का काम भी बखूबी कर सकते हैं।

दाय की कराई-युनाई—किसानों के लिए सबसे महत्वार्थी घंघा दाय की कराई-युनाई का है; कारण, भोजन के अलावा कपड़े को ज़रूरत सब को होती है। राष्ट्रीय जागृति में इस घन्थे की उन्नति की ओर नेताश्चों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। इसका विशेष संगठित प्रबल उन् १६२५ ई० से हुआ, जब कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षीय चर्चा सभा की स्थापना हुई। ध्यान-स्थान पर इसके सेकड़ों खादी-केंद्र हैं।

इस घन्थे के बारे में दूसरे महायुद्ध से पहले की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं—इस घन्थे से कम-से-कम बीस लाख जुलाहो और कई लाख कत्तिनों (काटनेवालों) को भोजन-वस्त्र मिलता है। बारे दिनुसंवान में कुत्ता पांच सौ करोड़ गज कपड़े की खपत है। दाय की खाड़ियाँ हर साल १४० करोड़ गज कपड़ा तैयार करती हैं, जो बगैर किसी सरकारी अधिकार जनता की सहायता के बिक जाता है। यह कपड़ा मिल के सूत

और हाथ के सूत दोनों का होता है। कुछ कपड़ा तो केवल मिल के ही सूत का होता है, कुछ मिलावटी सूत का, और कुछ चिलकुल हाथ के ही कते सूत का होता है। अगर इस धन्धे को अपनी खोई हुई बपौनी किर से प्राप्त करनी है, तो इने मणीनों के सूत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मिल का सून यद्यपि पूरा इकलार होता है तो भी हाथ के सूत के मुकाबले में मजबूत नहा होता। पिछले सालों में चखा सब ने सूत में बहुत-कुछ सुयार किया है। सब हर साल लगभग ३५८ लाख की खादी तैयार करता है; और ढाई लाख कत्तिनों और दस हजार बुनकरों को काम देता है। अगर हाथ की खड्डियाँ, मिल के सूत की जगह, केवल हाथ का कता सूत काम में लावें, तो दरिद्र किसानों की दरिद्रता बहुत हद तक रुक हो सकती है।

अगस्त १९४२ में देश में, राष्ट्रीय आन्दोजन का जो भव्यंकर दमन हुआ, उससे कई प्रान्तों में चखा-सघ पर कठोर प्रदार हुए। छोटे-बड़े बहुत से कार्यकर्ता जेलों में बन्द रहे, इसलिए सघ का काम व्यवस्थित रूप से न चल सका। और, उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हो सकी। केन्द्रीय कार्यालय जो जानकारी साप्रद कर सका है, उसके आधार पर उसने शुल्क १९४२ से जून १९४४ तक का कार्य-विवरण प्रकाशित किया है। उससे मालूम होता है कि सन् १९४३-४४ में सघ की शाखाओं और सभ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं में कुल १३० लाख ८० को खादी तैयार हुई; इसका परिमाण ११२ लाख बर्ग गज था, और यह बज्जन में ३४,८५,४६६ पौँड थी। उक्त वर्ष में चखा-सघ की शाखाएँ ८,१५२, और उसके द्वारा प्रमाणित संस्थाएँ १,३५४ थीं। इनमें कुल कत्तिने २,३६,३२२, बुनकर २१,०४१, और अन्य काम करनेवाले ३,५०६ थे।

अन्य उद्योग-धन्धे; ग्राम-उद्योग-संघ—हाथ की कताई बुनाई एक महान उद्योग है। परन्तु, देश में दूसरे भी ऐसे उद्योग-धन्धे हैं, जो

यदौं के लास्तो करोड़ों आदमियों के लिए जीवन-स्वरूप है, और जिनके सागठन की प्रबल आवश्यकता है। इसके बास्ते पहले जरूरत इस बात की होती है कि प्रत्येक उद्योग-घंघे के बारे में यथोष्ट जानकारी दाखिल की जाय, और इस जानकारी को ऐसे आदमियों के पास पहुँचाया जाय, जो वैसे ही उद्योग-घंघों में लगे हुए हो। कांग्रेस ने आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद अक्टूबर बन् १९३४ ई० में शौद्धोगिक उच्चति के कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया।

इस वर्ष के अंत में वर्धा (मध्यप्रात) में 'अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघ' की स्थापना, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, हुई। इसका उद्देश्य है—ग्रामों का पुनःसागठन, ग्रामोद्योगों को प्रोत्तमाद्वित करना, उनमें आवश्यक सुधार करना; और, ग्राम-निवासी जनता की नैतिक और शारीरिक उच्चति करने की चेष्टा करना। शाख का हांचालन एक मंडल के अधीन है, जो समय समय पर ग्राम सुधार अपवा ग्राम-रचना साधी अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है; भिन्न-भिन्न केन्द्रों में जिन एकत्रियों अपवा नीति से काम लिया जायगा, उनका समन्वय और सुधार करता है; ग्रामवासियों की आधिक, नैतिक और शारीरिक अवश्या साधी, एवं ग्रामों के पिछड़े हुए तथा विकासशील उद्योग-घंघों की वास्तविक स्थिति सांघी खबरें, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से प्राप्त कर, उनका घोषकरण कर, उन्हें सर्वत्र पैलाता है; विरोधीयों की सद्व्यवहार से खोज का काम करता है; तथा द्वानीय ग्रामवासियों की जरूरतों को पूरी करने के बाद वचे हुए तैयार माल के लिए बाजार ढूँढ़ता है, या पैदा करता है।

इस संघ की सरक्षता में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं—१—घान से चाबल निकालना, २—आटा पीसना, ३—गुड बनाना, ४—रेल निकालना, ५—भू-गफली छीलना, ६—शहद की मूँकिवयों पालना, ७—मछली पालना, ८—दूध-याला, ९—नमक बनाना, १०—कपास छुड़ाई, ११—कम्बल बनाना, १२—

रेशम और टसर का माल बनाना, १३—सन की कताई और बुनाई, १४—कालीन बनाना, १५—कागज बनाना, १६—चटाई बुनना, कवियों बनाना, १८—चाकू कैंची आदि बनाना, १९—साबुन बनाना, २०—पत्थर की कारीगरी, २१—मरे हुए जानवरों की लाशों का उपयोग करना, और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएँ बनाना।

आशा है, संघ उच्चरोमर उन्नति करेगा। कार्य करने के लिए चेत्र विशाल है। आवश्यकता इस बात की है कि सब देश-प्रेमी सज्जन अपनी शक्ति भर इसको सहयोग प्रदान करें।^{१४}

घरु उद्योग-धन्दों की उन्नति के उपाय—घरु उद्योग-धन्दों को जीवित रखने तथा उनको उच्चरोमर वृद्धि करने के लिए कई बातों को आवश्यकता है। पहले तो लोगों के मन में से यह गलत धारणा निकल जानी चाहिए कि हाथ का काम नीचे दर्जे का काम है। नागरिकों के मन में बचपन से ही शारीरिक श्रम का गौरव दैठाया जाना चाहिए। इसके लिए श्रीयोगिक शिक्षा को व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। गाँवों की प्रारम्भिक पाठशालाओं में, छोटी-छोटी कारीगरी के लिए उपयोगी, अच्छे श्रीजार काम में लाने आदि की शिक्षा, और भिन्न-भिन्न रोजगार सम्बन्धी विविध ज्ञानकारी, मिलने का योग्य प्रबन्ध होना चाहिए। सहकारी समितियों को भी यहुत यढाने और संगठित करने की ज़रूरत है, जिससे आवश्यक कच्चा माल खरीदने और तैयार माल बेचने में अधिक लाभ और सुभीता हो। इन समितियों के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा।

घरु उद्योग धन्दों की उन्नति के लिए मन्चालन-एकी की ऐसी

* इस विषय में रिशेष जानने के लिये पाठक आम-उद्योग-संघ, दर्ढा, कर विवरण तथा संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य अवलोकन करें।

व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने-अपने गाँव में ही नहीं, अपने-अपने घर में उसका उपयोग कर सके। बहुत से उद्योग-धनधों परेसे है कि उनमें कहे परिवर्म की आवश्यकता होनी है। यदि लोगों को अपने-अपने स्थान में विजली की शक्ति मिल सके तो वे उन उद्योग-धनधों का काम आसानी में कर सकें, तथा उनका परिमाण भी बढ़ा सकें। सचालन-शक्ति के बारे में विशेष आगे लिखा जायगा।

इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर हाथ की बनी स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनियों (तुमायरों) तथा विश्वापन की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे लब्जावारण यह जान सकें कि कैसी कैसी चाजे कहाँ-कहाँ बनती है, और, उत्तमादी सज्जनों को वैसी चीजें बनाने तथा उनमें सुधार करने की प्रेरणा हो। साथ ही प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम या कस्बे में स्थानीय आवश्यकता की वस्तुओं का एक स्वदेशी भंडार रहना चाहिए, जहाँ आदमी अपने लिए जरूरी वस्तुएँ खरीद सकें। लोगों को चाहिए कि वे आनंद पास की ही वस्तुओं से काम चलावें, और इन प्रकार अपने कारीगर भाइयों की सहायता करें। देश प्रेम सम्बन्धी यह एक आवश्यक कर्तव्य है, जिसकी किसी व्यक्ति को अवहेलना न करनी चाहिए।

सरकार द्वारा भी उद्योग-धनधों की वृद्धि में बहुत सहायता मिल सकती है। ऊपर श्रीद्योगिक शिक्षा के प्रचार सथा सदकारी समितियों की स्थापना की बात कही गयी है, यह कार्य विशेषतया सरकारी सहायता से ही करने का है। सरकार द्वारा उद्योग-धनधों को आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। यहाँ विटिश मारत के प्रत्येक प्रान्त में एक श्रीद्योगिक विभाग है, वह उद्योग-धनधों के विषय में विचार करता है। उसके द्वारा विविध प्रकार का कार्य होता है। पर उसे अक्षमर धन की कमी की शिकायत बनी रहती है, और प्रायः अधिकारी कार्यकर्त्ता जनता के मम्पक में नहीं आते। इसलिए जैमा चाहिए, वैसा काम नहीं होता। यदि सरकार का समुचित सहयोग

प्राप्त हो तो उद्योग-धन्धों की उचति विनाशण व्यप से ही सकती है। अन्यान्य वातों में सरकार अपने विविष विभागों के लिए यहाँ हाथ से तैयार किया हुआ माल नवीद कर इस दिशा में बहुत महाबक हो सकती है।

यह उद्योग-धन्धों की उचति को लिए यह भी आवश्यक है कि उनमें तैयार होने वाले माल को न मिर्क विदेशी माल की प्रतियोगिता में बनाया जाय, बरन् देश वे कारबानों के माल के मुकाबले से भी उसकी रक्षा की जाय। उसके लिए पहले उन व्यास-वास धर्म उद्योगों को छृष्टि लिया जाना चाहिए, जिनकी रक्षा करना अर्थात् हो। किर कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस तरह का माल देश के कारबानों में भी न बने, विदेशों से उसका आना नो सरकारण-करो द्वारा रोक दी दिया जाय। उदाहरण के लिए खादी को बात लीजिए। इस समय बहुत ने आदमी इसे महगी होने पर भी, भावना-घरा इस्तेमाल करते हैं; परन्तु इस तरह कव तक नहीं जानेगा! जब देशी मिले बढ़ जायेंगे और देश के लिए यहाँ काफी कपड़ा बनने लगेगा, तब अगर मिले ही मोटा कपड़ा भी तैयार करने लगा, तो माधारण्डतया ग्राहक उनके मस्ते कपड़े को ही भरादेंगे, और हाथ की कठी और बुनी खादी को न पूछेंगे। इसका उपाय यही है कि कानून द्वारा मिलों को एक व्यास इद में अविक मोटा कपड़ा न बनाने दिया जाय। तभी खादी का घर उद्योग-धन्धा ठिक सकेगा। इसी तरह दूसरे उद्योग-धन्धों के बारे में विचार किया जा सकता है।

चड़े-चड़े कारखाने—चौटे-चौटे उद्योग धन्धों का विचार करके अब इस बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का विषय लेते हैं। मन् १९३६ ई० में ब्रिटिश भारत में कुल मिला कर १०,४६६ कारखाने थे, जिसमें में कुछ निरंतर वाज़-मर चलने वाले थे, और कुछ मौमयी, अर्थात् किसी भूतु विरोग में चलनेवाले। कुल कारखानों में प्रतिदिन श्रीमतन साड़े

संतरह लाल आदमी काम करते थे। प्रान्तों की हड्डि से सब से अधिक कारखाने कमशः बवाई, मदराष और बंगाल में थे; इन प्रान्तों के कारखानों की संख्या ३१२०, १८११, और १७२५ थी, अर्थात् तीनों को मिलाकर ६६४६ थी। इस प्रकार देश भर के कुल कारखानों के अधे से अधिक इन्होंनीन प्रान्तों में थे। इन तीनों प्रान्तों के धरमजीवियों की संख्या साढे बारह लाख (कुल धरमजीवियों की संख्या की सत्तर फी-सैकड़े) थी। संख्याएँ में कारखाने ५४६ थे, और उनमें कार्य करनेवाले श्रमियों को संख्या १,५६,७३८ थी। इन कारखानों में कुछ मरकारी तथा स्थानीय-स्वराज्य-स्थानों के भी थे। कारखाने विशेषतया लाल पदार्थों, रुई (कातने-नुनने), कागज, जट, इंजिन-यरिंग, खानिज द्रव्यों रासायनिक द्रव्यों, और रंगों, जीन, प्रेस, चमड़े, शीशे, लकड़ी और पस्पर के थे।

देशी रियासतों में सन् १८३८ई० में कुल १७१७ कारखाने थे। इनमें प्रति दिन औसतन लगभग तीन लाख आदमी काम करते थे। इस वर्ग ब्रिटिश भारत के कारखानों में काम करनेवालों की संख्या १७ लाख ३८ हजार थी। इस प्रकार महायुद्ध से पहले ब्रिटिश भारत और देशी रियासियों में, कुल कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग साढ़े बीच लाख थी।

सन् १८४२ में ब्रिटिश भारत के कुल कारखाने १२,५२७ थे, और उनमें प्रतिदिन औसतन २१,८१,५२३ आदमी काम करते थे। इस शुद्ध का कारण कुछ अश में युद्ध-काल की परिस्थिति भी है।

खनिज पदार्थों का व्यवसाय—भारतवर्ष में खानों से जो पदार्थ निकाले जाते हैं, उन्हें या तो मामूली तौर से साफ करके यहाँ काम में ले आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नमक आदि; अथवा, उन्हें विदेश में देते हैं, जैसे अभ्रक या मैग्नीज; वहाँ वाले उनमें मिली हुई चौजों को वैज्ञानिक पद्धति से जुदा-जुदा करके काम में लाते

है, या अगर जहरत से ज्यादा समझा, तो वह शुद्ध किया हुआ माल भारतवर्षे को अधिक दामों पर भेज देते हैं। मारतवासियों का ध्यान वैसे मिथित खनिज द्रव्यों के उपयोग की और नहीं गया है, जिनसे निकले हुए द्रव्यों का व्यवहार रासायनिक पदार्थों के बनाने या अन्य किसी खनिज द्रव्य के शुद्ध करने में होता है। इससे बहुत हानि होती है। उदाहरण के लिए खानों में तौबा प्रायः गंधक के साथ मिला हुआ रहता है। यदि देश में तिकं तौबे की माँग हो, तो कच्ची धातु से तौबा तो टाक करके निकाल लिया जायगा, और गंधक यो ही पड़ा रहेगा। यह तौबा महँगा पड़ेगा। यदि साथ में गंधक निकालने और काम में लाने का भी प्रयत्न हो, तो तौबा और गंधक दोनों सहते पड़ें। पर गंधक की माँग तभी हो सकती है, जब कि देश में गंधक के तेजाप के, और उससे सम्बन्ध रखनेवाले खनिज तेल, लज्जी, साबुन, कौच, रंग आदि विविध प्रकार के रासायनिक व्यवसायों के कारखाने स्थापित हो। जब तक देश में व्यावहारिक रसायन-शास्त्र का प्रचार न होगा, तब तक तौबे की तरह मिथित रूप में मिजनेवाली धातुओं का यूपेष्ट उपयोग नहीं हो सकता। यद्यों के लोगों को या तो घाटा सहकर अपनी चीज़ें खान से निकालकर विदेश भेजनी पड़ेगी, या उन्हें यो ही छोड़ना पड़ेगा, तथा रासायनिक प्रयोग से बननेवाली दूसरी चीज़ें विदेश से मंगानी पड़ेंगी १९३ सन् १९३६ ई० में भारतवर्ष में ऐसी खानें, जिनपर खानों का कानून लगता था, १८६४ ई० ; और उनमें तीन लाख एक हजार आदमी काम करते थे। सन् १९४१ में, खानों में काम करने वालों की संख्या ३,५७,०१८ थी।

संचालन-शक्ति—‘आधुनिक उद्योग-धन्धों और कल-कारखानों

की जान कोपला है। भारतवर्ष में संचालन-शक्ति के लिए इसका ही उपयोग बहुत किया जाता है, और यह यद्यों खासी माझा में है भी; तथा यह चिंता तो है ही कि यह भट्ठार धोरे-धीरे पटता जा रहा है।

* ‘भारत की साम्बन्धिक भविष्यत’ के भाष्पर पर।

इसलिए दूसरे साथनों से काम लिया जाना चाहिए। मारतवर्षमें तेलों का भी बहुत उपयोग हो सकता है। उसकी एक सीमा है। मध्यिष्य में हाहड़ों-इलेक्ट्रिक अर्थात् जल से पैदा होनेवाली विजली को योजनाओं के अधिकाधिक प्रयोग होने की सम्भावना है। यह विजली सस्ती और अच्छी होती है। इसमें कष्टप्रद धुआँ भी नहीं होता। भारतवर्ष में सबसे पहले मैसूर-दरबार ने इस शक्ति से काम लेना शुरू किया था। आगकल इससे कोलार की सोने की खानों का काम चलता है। कश्मीर राज्य ने बारामूला के पास केलम नदी से जल-प्रपात द्वारा विजली निकाली है। उससे थीनगर में रोशनी की गयी है, और रेशम का सरकारी कारखाना चलाया जा रहा है। दक्षिण में कावेरी-बक्सर और टाटा बक्सर में इच्छी प्रकार विजली निकाली जा रही है।

यह पन्द्रह वर्षों में, संयुक्तप्रान्त में विजली की खाती उन्नति हुई है। इस प्रान्त के पश्चिमी भाग में, विजली केवल बड़े-बड़े नगरों में ही नहीं, कुछ छोटे नगरों में भी; पहुँच गयी है। विजली जितनी अधिक पैदा की जाती है, उतनी ही वह सस्ती पहुँचती है। उपर्युक्त स्थानों में उसकी दर सस्ती होने का कारण यही है कि वहाँ बिंचाई के लिए नदियों और 'ट्यूब बेल' से कान्ते पानी निकालने के लिए विजली बहुत पैदा की जाती है। अब इस प्रान्त के दूर्वालियोंमें, और विहारमें, विजली की योजना को सफल करने का प्रयत्न हो रहा है। मारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में भी नदी और जल-प्रपात बहुत हैं। उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

सन् १९४५ में एटम बम का आविष्कार किया जाकर उसका, उपयोग जापान के दो नगरों को नष्ट करने और जापान को मुद्र में परास्त करने में किया गया। वैज्ञानिकोंका विश्वास है कि परमाणुओं की अपरिमित शक्ति को कावू में लाकर मनुष्य-द्विद के कामों में लगाया जा सकेगा। मुना है अमरीका में परमाणु-शक्ति से चलनेवाला

एजिन बनाने में कुछ सकृतता मिली है; आगे इस शक्ति से विविध कल-कारखाने चलाये जाने की आशा है।

सूर्य के तेज के उपयोग का विचार हो रहा है। अभी इसमें खर्च बहुत पहुंचा है। कमशः वैशानिक उन्नति होने पर उसके सहित होने की सम्भावना है। कुछ आश्चर्य नहीं, यदि किसी समय साथार के कल-कारखानों का सचालन सूर्य की शक्ति से ही होने लगे। किर तो, मारत-जैसे गर्म देशों की खूब यन आयेगी।

ओद्योगिक उन्नति की आवश्यकता—कुछ वर्षों से भारत-वर्ष की ओद्योगिक उन्नति हो रही है, परन्तु यह उन्नति, इस देश की जनसंख्या और चेत्रकल को देखते हुए जैसी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है।^{३४} इससे कई लाभ होगे—

(१) कृषि पर निर्बाह करनेवालों की सख्त्या घटेगी, और फसल खराच होने को दशा में आर्थिक संकट बहुत अधिक न होगा। (२) राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी, और लोगों का रहनसहन का दर्जा ऊँचा होगा। इससे उनकी कार्यक्रमता और उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी, जिसके परिणाम-स्वरूप पुनः जनता की आय बढ़ेगी। इस प्रकार लाभ बढ़ता रहेगा। (३) सरकार तथा म्युनिलपेलटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की आय बढ़ेगी और वे सार्वजनिक उपयोगिता के अधिकाधिक कार्य कर सकेंगी। (४) अनेक आदमियों को रोजगार मिलेगा, और उनकी बेकारी दूर होने में सहायता मिलेगी। (५) देश स्वावलम्बी होगा। आवश्यक वस्तुएँ यहाँ ही बनायी जा सकेंगी, उनके लिए विदेशों को दृष्टा मेजना, तथा भारतवर्ष को उनके आभित रहना न होगा। (६)

*३४० अकाहरलाल जी नेहरू के सनातनित में राष्ट्रीय आर्थिक निर्माण दोकान समिति ('नेशनन प्लेनिंग कमेटी') काम कर रही है। इसकी लगभग सौसे उप-समितियाँ हैं। प्रस्त॑र उपसमिति के अधीन देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है।

लोपों की, घन गाह कर रखने, या उसे ज्ञेवर आदि अनुल्यादक कार्यों में लगाने, की प्रवृत्ति में सुवार होगा। भिशित पूँजी की व्यवस्था से लोगों की बचत की छोटी-बड़ी रकमों का भी उपयोग हो सकता है, जो वेकार पड़ी रहती है। (७) लोगों के विचारों की संकोरणता दूर दौगी, उनका दृष्टिकोण उदार होगा। वे परम्परा के अंध-भक्त न रहेंगे, हानिकर स्वदियों को तोड़ते हुए समाजसुवार के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। (८) कृपि को भी लाभ होगा। देश, में घन अधिक होने से, उसकी उन्नति के लिए आवश्यक पूँजी मिलना आवान होगा। उद्योग-धर्मों में कुछ अधिक अभियों के लाग जाने से कृपि-अभियों के वेतन में वृद्धि होगी, और उनका रहनघनतपा कार्यक्रमता बढ़ेगी।

एक समस्या और उसका हल — विदेशी व्यवसायी शरने सहते पदार्थों से हमारा घन खांचे ले जा रहे हैं। आपिक संप्राप्ति में अपने आपको सुदृढ़ बनाये रखने के लिए हमें स्वदेशी सामान की उत्तरता खूब चाहानी चाहिए; परंतु इसमें पारचात्य देशों से मुकाबला करने के लिए उनके ढंग (मशीनों का बहुत अधिक उपयोग) इकित्यार करना हमारे बास्ते कहाँ तक दितकर होगा! ऐसी घनवृद्धि भी किस काम की, जो जनता का हास करने लागे! इसपर हमारे ढामने यह सबाज़ आया है कि यदि हम मशीनों का काझों उपयोग न करेंगे, तो विदेशी माल हमारे याज्ञारों में आकर सहस्रा पड़ता रहेगा, स्वदेशी माल को खपत कम होगी, हमारे उद्योग-धर्मों का और भी हास होगा, और हम कृपि पर अधिकाधिक आश्रित रहेंगे। इसका उपाय क्या है? यह एक बड़ी विकट समस्या है। इसे हल किस प्रकार किया जाय?

प्रथम तो मिलो और मशीनों का इस्तेमाल खालकर उन कार्यों के लिए किया जाय, जो उनके बिना हो नहीं सकते, और जिनके बिना देश का काम नहीं चल सकता। मिलों में जो हानियाँ बच्चमान सभव में नजर आती हैं, उन्हें रोकने का भी भरपुर प्रयत्न किया जाय।

मिली के मालिक के बल घन पैदा करने की ओर ही लक्ष्य न रखकर इस वात की ओर मी ध्यान दें कि हजारों-लाखों आदमी अपेक्षाकृत अच्छी आमदनी के लालच में पांस कर अपना जीवन वर्दी न करें। अमज्जीवियों की यिच्छा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और विकास के लिए समुचित साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए; इस विषय की कुछ वातें पहले व्यवस्था के प्रसाग में कही जा सकती हैं। दूसरा उपाय यह है कि विज़ली आदि की संचालन-शैली की यथेष्ट व्यवस्था की जाय, जिसमें वह काफी सस्ती हो, और उसका उपयोग करते हुए अमी अपने पर में, अपने परिवार के आदमियों के साथ इतें हुए स्वतंत्रता-पूर्वक उद्योग-धन्धे का काम कर सकें; मिली और कारबानों की बुराहों से बचे रहें। तीसरा उपाय यह है कि ऐसा प्रयत्न किया जाय कि विदेशों का सस्ता माल यहाँ न लाए जाए, और वह इसारे स्वतंत्र व्यवसायों को नीपट न कर सके। यह कैसे! सरकारी सहायता तथा सरुद्धण्डकरों से।

उद्योग-धन्धों के लिए सरकारी सहायता—दोटे उद्योग-धन्धों संबंधी सरकारी सहायता के विषय में जो वातें पहले हिली जा सकती हैं, उनमें से कुछ, वहे उद्योग-धन्धों की उन्नति के बास्ते भी उपयोगी होती हैं। वहे उद्योग-धन्धे में एक मुख्य प्रश्न पूँजी का रहता है। कभी-कभी सरकार उसके लिए चानार दर से कम ब्याज पर रुपया उधार देती है, या कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती है जिसे वह वापिस नहीं लेनी, या उसके बदले, एक स्वाम परिमाण में, उपलब्ध बहुत लेती है। सरकारी सहायता का एक रूप यह भी हो सकता है कि सरकार कुछ मर्याने उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धारित अवधि तक किराया दे नुक्कने पर मर्याने उत्पादकों की ही हो जायें। सरकार किसी आदमी या संस्था को, किसी वस्तु की उत्पत्ति का एकाविकार देकर भी उद्योग-धन्धे की सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए विज़ली आदि का ठेका किसी स्थान कम्पनी को दिया जाता है, इससे वह कम्पनी

नगर भर के लिए विजली का प्रबन्ध करती है, और उसकी दर काफी सस्ती रखती है। अगर दो या अधिक कम्पनियाँ अलग-अलग इस काम को करें, तो ग्राहकों के बैंट जान से प्रत्येक कम्पनी को विजली कम पैदा करनी हो, फल-व्यवहर विजली की दर कँची रहे, और इस घन्घे की वैसी उन्नति न हो।

उद्योग-घन्घों का संरक्षण——सरकारी महायुद्ध का एक व्यापक रूप उद्योग-घन्घों का संरक्षण है। सरकार जिस नये उद्योग-घन्घे का संरक्षण करना चाहती है, उसकी विदेशी आपात (विदेशी से आनेवाले माल) पर काफी मारी कर लगाकर उसे मँहगा कर देती है। इससे देश में स्वदेशी वस्तु को विक्री को महायुद्ध मिलती है। कुछ समय के बाद यह बहुत यहाँ सहस्रों पड़ते लगती है, और विदेशी वस्तु की प्रतियोगिता में ठहरने योग्य हो जाती है। भारतवर्ष में सरकार ने पिछले महायुद्ध से पहले उद्योग-घन्घों का संरक्षण नहीं किया। उस महायुद्ध के समय, तथा उसके बाद उसकी नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। सन् १९१६ ई० में यहाँ की ओद्योगिक परिस्थिति की जांच करने के जिए कमीशन बैठाया गया। पश्चात् सन् १९२१ ई० में एक आर्थिक जांच-समिति नियुक्त हुई। इसने सिफारिश की कि मारतीय उद्योग-घन्घों की रक्षा के लिए बाहर से आनेवाले माल पर विशेष कर लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ ‘ट्रिक्वोर्ड’ बायम किया गया, और उसकी सिफारिश के अनुसार विदेशी लोहे, फौजाद के सामान, कागज, कपड़े, सीमेंट और चीज़ों की आपात पर कमरा: ऐसा कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी उन चीजों से कुछ मँहगी हो गयी। इससे इन वस्तुओं के स्वदेशी उद्योग-घन्घे को प्रोत्साहन मिला, अस्तु, संरक्षण नीति से स्वदेशी उद्योग-घन्घों की उन्नति होती है। परन्तु यह कोई स्थाई या एकमात्र उपाय नहीं है। अतः इससे पूर्व जो बातें कही गयी हैं, उनका सुनिश्चित ध्यान रखा जाना चाहिए।

युद्ध और उद्योग-धन्धे—युद्ध का उद्योग-धन्धो पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। शान्ति-काल में इम् बहुत-मा तैयार माल विदेशी का काम में लाते हैं; युद्ध के समय उसका आना चन्द हो जाता है, और जनता स्वदेश में यने हुए माल से काम चलाने पर वाध्य होती है। कुछ आदमी अपनी आवश्यकताएँ नियंत्रित करते हैं, तो भी देश में उत्पादन-कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। देशी माल विदेशी की अपेक्षा कुछ मौद्या होने पर भी उसकी खूब मौग रहती है। सरकार कुछ पदार्थों की कीमत नियंत्रित करती है, तथापि कल-कारखाने बालों को काफी लाभ हो जाता है। उन्हें सरकार भी माल बनाने के लिए आर्द्ध देती है, उदाहरण के तौर पर सैनिकों की वर्दी का कपड़ा, कम्बज, थैले, बोरे, तम्बू आदि बनाने का आदेश किया जाता है। इस प्रकार उन्हें खूब काम रहता है, और उनके पास पहले से कहीं अधिक मज़बूर काम करने लगते हैं। वे पहले की अपेक्षा बड़े पैमाने पर काम करते हैं, इससे उनके लाभ का परिमाण बढ़ना स्वाभाविक ही है।

युद्ध के कारण उद्योग-धन्धो में एक बाधा भी होती है। विदेशी से आवश्यक मशीनें नहीं आ सकती, यदि आती भी हैं तो उनकी कीमत बड़ी हुई होती है; फिर, उनका मार्ग-व्यवहार बीमा-खर्च आदि अधिक देना होता है। भूमीनों समन्वयी इस बाध से कोई नया कारखाना खोलना या किसी काम को बहुत अधिक बढ़ाना हृदिन होता है।

युद्ध-काल में कई नये उद्योग-धन्धो की आवश्यकता होती है; जैसे शब्दाख, यांत्रिक गाड़ियाँ, बायुयान, जहाज और अन्य युद्ध-सामग्री। यदि सरकार भी नीति अनुकूल हो तो ये चीजें विदेशी से न मौगकर स्वदेश में बनायी जा सकती हैं। परन्तु भ.रत-सरकार ने तो इस और घोर उपेक्षा की है। भारतीय व्यवसाय के विशेषज्ञ श्री० विश्वेश्वरेया ने बताया है कि (१) जहाजी यात्रा की जोखिम उठाकर भी भारत से कमा लोहा इन्हीं इसलिए भेजा गया कि उसको

फौलाद बनायी जाकर भारत भेंगायी जाय। (२) भारतवर्ष के लिए जहाज यहाँ न बनवा कर आस्ट्रेलिया बनवाये गये। (३) भारत-सरकार ने यहाँ की मोटर कम्पनी को किसी प्रकार की मदद देने से इनकार किया; उसने यह भी स्वाच्छार न किया कि अपनी जरूरत संथा पौजे के लिए इस के रखने की मोटरें लारी दे, और इस कारबाने के प्रयत्नों को युद्ध-प्रयत्नों में शामिल करे।

अमरीका से एक श्रोद्योगिक कमीशन भारतवर्ष आया था। उसने युद्ध सम्बन्धी उद्योगों के लिए विविध लिपारियें की। भारत-सरकार ने उनके अनुसार कुछ कार्य किया, पर वह काफी नहीं रहा। इन बातों के कारण युद्ध-काल में भी मार्गीय उद्योग धनशो की विशेष उन्नति न हो सकी; सरकार की इस विषय मामूल्यी नीति बहुत स्लेह-जनक रही। देश में राष्ट्रीय सरकार होने पर ऐसा न होगा।

आठवाँ अध्याय

उत्पत्ति की वृद्धि और आदर्श

पिछले अध्यायों में भारतवर्ष में होनेवाली उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध बातों का विनार किया जा चुका है। अब हमें यह सोचना है कि क्या यहाँ उत्पत्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, तथा उत्पत्ति के विषय में हमारा आदर्श क्या रहना चाहिए। आदर्श हीन तो कोई कार्य उचित नहीं है।

उत्पत्ति की वृद्धि, स्थावरस्वन की आवश्यकता—
इम पहले बता चुके हैं कि भारतवर्ष में यहाँ की जनसंख्या को देखने हुए उत्पत्ति का परिमाण बहुत कम है, और इसलिए लोगों की आर्द्धिक

अवस्था अच्छी नहीं है। उपज की मात्रा कम होने के कारणों पर प्रसादानुसार विचार किया जा चुका है। एक मुख्य कारण यह है कि अनेक आदमी यहाँ ऐसे हैं, जो उत्पादन में भाग नहीं लेते। जब कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन-बन्ध आदि की विविध वस्तुओं का उपभोग करता है, अर्थात् अपने-बच्चों को लिलाता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी सामर्थ्य और सुविधानुसार उन चीजों को इदिकरे। किसी व्यक्ति का निठल्हा या निरुद्यमी रहना अनुचित है; यह एक अपराध है, पाप है। इस दृष्टि से वे सब आदमी दोषी हैं, जो ममर्थ होते हुए भी दूसरों को कमाई खाते हैं, या बड़े सेठ-साहूकार, पूँजीपति, जमीदार आदि होकर कुछ काम नहीं करते, और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु, उन आदमियों के दोषी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है, जो समाज के लिए कुछ भी सेवाया उपकार न करते हुए भिजा, या दान-हृति आदि से अपनी गुजर करते हैं। जनता की अद्दा या धार्मिक भावनाओं का इस प्रकार लाभ उठाया जाना निन्द्य है। हाँ, जो व्यक्ति अपने किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण कुछ उत्पादन-कार्य नहीं कर सकते, उनका दूसरों के आंभित रहना मुश्य नहीं। यचो, लंगड़े-लूले अपादिजो, या रोगियों के निर्वाह की समुचित व्यवस्था करना उनके परिवारवालों तथा समाज का कर्तव्य है। अस्तु, यदि इन बातों का ध्यान रखा जाय, और अम करने योग्य हरेक आदमी स्वावलंबी हो तो देश में उत्पत्ति व्यष्टि हो जाय, कुछ कमी न रहे, यह स्पष्ट ही है।

कैसी चीजों की उत्पत्ति की जानी चाहिए ?— अच्छा, क्या ऐसी प्रत्येक चीज बना ली जाया करे, जो विनियम-साध्य हो ? इम पहले बता चुके हैं कि कई प्रकार की वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनके बनाने का भ्रम व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक माना जाने पर भी सामाजिक दृष्टि से उत्पादक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक आदमी ऐसी मादक वस्तुएँ बनाता है, या उन्हें ऐसे परिमाण में बनाता है कि उनका

श्रीपंथियों आदि से उपयोग न होकर नशे के वास्ते सेवन किया जाता है। अथवा, कोई आदमी श्रातिशब्दाजी या विलामिता की चीज़ों बनाता है। यह ठीक है कि समाज की मौजूदा हालत में उस आदमी को उन चीज़ों का मूल्य मिल जाता है, और वह अपने आपको उत्पादक कह सकता है। परन्तु उसके समय या शक्ति से समाज को कुछ भलाई न होकर, हानि ही होती है। यदि यह आदमी -न-बढ़ आदि बनाता, कृषि के लिए उपयोगी जीज़ार बनाता, दूध देनेवाले पशुओं के भरण-पोषण का काम करता, अथवा किसी उद्योग-धर्षे में लगता तो उसको लाभ होने के साथ-साथ उससे समाज का भी बहुत हित-साधन होता। इसलिए हमें ऐसी ही चीज़ों की उत्पत्ति करनी चाहिए, जो केवल हमारे लिए कुछ आमदनी का साधन न हो, बरन् उनसे समाज की भी भलाई हो।

यही नहीं, समाज की मुख्या और विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि कुछ आदमी अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने अम का लाभ जाति और देश को पहुँचाएँ, वे ऐसी 'चीज़े' बनाएँ, ऐसे आविष्कार या अनुभवान करें, जिनसे समाज की मौजूदा समस्याओं का हल हो। वे ऐसी सेवाएँ करें, जिनसे चाहे उन्हें विशेष आमदनी न होपर समाज का हित अवश्य हो। भारतवर्ष में बहुत से माधु-सह, महात्मा, कथावाचक, लेखक, कवि, चिकित्सक आदि समय-समय पर अपना जीवन समाज के लिए अर्पण करते रहे हैं। इस समय भी स्वार्थ-त्याग करनेवाले परोपकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अमाव नहीं है। हाँ, राष्ट्र की वर्तमान अवस्था में ऐसे आदमी काँड़ी अधिक सुख्या में होने चाहिए।

उत्पत्ति का आदर्श; पूँजीवाद ॥—आज-कल पूँजीवाद के के मावों का प्रचार यहुत है। अनेक आदमी उसी बस्तु की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उन्हें नफा हो। वे किसी बस्तु की उत्पत्ति उस सीधा तक करते हैं, जहाँ तक करने से उन्हें अविक-से-अधिक लाभ होता

हो। उनका मुख्य लक्ष्य अपने मनाफे का रहता है।* उनके कार्य में समाज का हित होना है, या नहीं, अथवा उनकी उत्पादन-विधि में अमज्जीवियों के कुशलन-चेम को रक्षा और वृद्धि होती है या नहीं, यद्यपि यात पूँजीपतियों के लिए गोण रहती है; वे इस पर उतना ही ध्यान देने हैं, जिसने वे कानून को एकड़ में न आवें। आधुनिक उत्पादन में पूँजी और मजदूरी के भगड़े नित्य बने रहते हैं, द्वारावरोध और हड़तालों को आशका रहती है। इनके निवारण के लिए कानून की व्यवस्था की जाती है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं होती। प्रायः पूँजीपतियों और सरकार का बहुत-कुछ महयोग होता है। अधिकाश पूँजीपति शासनपद्धति को प्रजातंत्रमूलक होने देने में यथा-संभव बाघक ही रहते हैं। वे एक प्रकार से तानाशाही, तथा एकतंत्रवाद के समर्थक, और साम्भास्य के आधारस्तंभ होते हैं; और, पराधीन देश को स्वतंत्रता में, रोड़ अटकाया करते हैं। फिर, असुख्य अमज्जीवियों के निर्धन, अशिक्षित तथा रोगी होने, और उनके निवास-स्थान और रहनसहन बहुत निकृष्ट होने का परिणाम पूँजीपतियों के लिए भी द्विनिकर होता है। दूसिया वातावरण में किसी को सुख-शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार, पराधीन देश का विविध प्रकार से अनिष्ट होता है।

पूँजीवादी, जिस देश में उसका माल स्वपने की मम्मावना हो, उसी पर (सम्यता प्रचार की आड़ में) ‘आर्थिक आकमण’ करने को तैयार, रहता है। अर्थने इस कार्य में उसे अर्थने देश की सरकार की सहानुभूति और महयोग मिल जाता है। निर्यल और असंगठित देशों पर, इन पूँजीपतियों को ललचायां हुई आएं लगी रहती है। इस तरह पूँजीवाद से संसार में महायुद्ध की आशका हर दम बनी रहती है।

* अमरीका आर्टिके पूँजीपति जब यह देखते हैं कि उत्पत्ति का परिमाण इनना अधिक हो गया है तिनस्तु को दर गिरने, और उन्हें साम कर्म होने की समरना है, तो इसपरी-सायो आदिवियों के, उस बस्तु के लिए, तरसने दूर नहीं, वे उस बस्तु की समुद्र या अग्नि की भेट करने में सकोच नहीं करते।

परमार्थवाद और मध्यम मार्ग—इससे यह साफ़ जाहिर है कि यौंजीवाद या स्वार्थवाद, उत्पत्ति के आदर्श की दृष्टि से, अनुचित और हानिकारक है। इसमें वह सुख और शान्ति कहाँ, जो परमार्थवाद में है। भारतीय इतिहास ऐसे अनेक सज्जनों के चरित्रों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने अम का बहुमूल्य प्रतिफल देश और जाति की सेवा में अर्पण करके, विलक्षण सुख और संतोष का अनुभव किया। पर ऐसा आदर्श रखने का सौमान्य कुछ थोड़े से ही आदमियों को मिलता है। उर्वसाधारण के लिए उत्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारिक आदर्श मध्यम मार्ग है; वह यह कि उत्पत्ति से उत्पादक को लाभ हो, पर कष्ट या हानि किसी की न हो। हमारे कार्य से दूसरों को, समाज की, भी मलारह ही।

विशेष वक्तव्य—कुछ आदर्मी बहुत कुछ कल्याज्ञगत में रहते हुए यह उपदेश किया करते हैं कि धन बहुत बुरी चीज़ है, इसकी उत्पत्ति या कृदि नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश कहाँ तक समाज-हितकर है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस उपदेश के अनुसार व्यवहार करने से मनुष्यों का जीवन धारण तथा विकास ही किस प्रकार हो सकता है। इसलिए दूरदृशों आचार्यों या शास्त्रकारों ने यही आदेश किया है कि धन की उत्पत्ति करो; चाहे जितना धन उत्पन्न करो, पर इस बात का ध्यान रखो कि यह कार्य घर्मपूर्वक हो, किसी को कष्ट या हानि पहुँचा कर नहीं। दूसरों के स्वार्य का भी ऐसा ही ध्यान रखो, जैसा स्वर्य अपने स्वार्प का। घर्मपूर्वक पेदा किये हुए धन से ही व्यक्ति का, देश का, और मानव समाज का धार्मविकास हित-साधन होता है।

तीसरा मार्ग उपभोग

नवाँ अध्याय

उपभोग और आवश्यकताएँ

किसी पदार्थ की उत्तरि, उसके उपभोग किये जाने के लिए ही की जाती है। इस विचार से हम यह कह सकते हैं कि उपभोग और उत्तरि का, कारण-ओत-कार्य का सम्बन्ध है। मनुष्यों को विविध प्रकार के 'पदार्थों' की आवश्यकता होती है। वे उन 'पदार्थों' को खर्च या उपभोग करना चाहते हैं। इसीलिए संसार में तरह-तरह के काम-धर्घे दिनलाई बहते हैं। यदि इसारी आवश्यकताएँ कुछ भी न रहें, तो बहुत-से कार्य बन्द कर दिये जायें। पिर, जो पुरुष यथंष्ट पदार्थ स्वायेपियेगा ही नहीं, उसकी उत्तरादन-शक्ति का हास ही जायगा। इस दृष्टि से भी उत्तरि का उपभोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

उपभोग में विचार की आवश्यकता—^{धन की उत्तरि} यहूधा बहुत कठिन समझी जाती है, और उसे बढ़ाने के नये-नये ढङ्ग, निशालने के लिए बड़े-बड़े दिमाग काम करते हैं। परन्तु उपभोग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि थी० एफ. प. बाकर ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, लोग बिना पड़े-लिखे ही अपने आप को इन विषय का पूर्ण शाता समझते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र के मिदांतों पर ध्यान देने से मालूम होता है कि असल में प्रति सैकड़ा ६६ मनुष्यों

के सिर प्रवचययी होन का दोष मटा जा सकता है। इस बात की सचाई की जाँच के लिए आप खुदाजुदा आदमियों के एक महीने के खर्च पर तहम विचार करें। आपको निर्दित हो जायगा कि प्रायः इरेक आदमी ने कुछ खर्च ऐसा अवश्य किया है, जो उसे न करना चाहिए था, अर्थात् उसने जिस वस्तु को खरीदने में खर्च किया है, उसकी अपेक्षा कोई अन्य वस्तु उसके लिए अधिक उपयोगी है। इसका कारण यह है कि कोई मनुष्य वह अच्छी तरह नहीं जानता कि किस वस्तु के उपयोग में वास्तविक उपयोगिता कितनी होगी। कभी-कभी जब हम बाजार से चीज़ों से आते हैं तो पांच ऐसा मालूम होता है कि उन चीज़ों में एक-दो ऐसी हैं, जो वास्तव में उतनी उपयोगी नहीं है, जितनी हम उन्हें समझते हैं; और, कोई दूसरी चीज़ जिसे हम खरीद कर नहीं लाये हैं, हमारे लिए अधिक उपयोगी थी। ऐसी बातों में यह स्पष्ट है कि उपयोग के विषय का विचार करने की कितनी आवश्यकता है।

उपयोग का महत्व केवल उपयोग की ही दृष्टि से नहीं है। उत्पादकों को भी इसके विचार की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन वस्तुओं को हम उत्पन्न करें, वे ऐसी हों, जिनका उपयोग होता है। पर इसका यह आवश्यक नहीं कि हम अपने लाभ के बास्ते ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करें, जो सामाजिक दृष्टि से हानिकार हो; इस सबध में पहले लिखा जा चुका है।

विचार न करने से हानि—यदि कोई आदमी उपयोग के बारे में अच्छी तरह विचार नहीं करता तो उसका जीवन बहुत हाप्तमय हो जाता है। भोजन के ही विषय को लें। हमारा मन नाहता है कि जो चीज़ स्वाद हो, खुर खट्टी-भीटी या चटपटी हो, उनका उपयोग करें। प्रायः इम उनका उपयोग करते भी हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा पैसा ब्यर्थ जाता है, उसकी हानि तो होती ही है; स्वास्थ की भी हानि होती है। फिर, किसी आदमी या परिवार की आय की

एक सीमा होती है। यदि वह किसी के बढ़काये में, या विज्ञापनबाजों के घोरते में आकर, बहुत-सा पैसा कम उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में लचं कर डालता है, तो उसे अपने जीवन-निर्वाह में कठिनाई उपस्थित होगी। यह कोई कल्पित बात नहीं है। इम रोज देखते हैं, बहुत से मज़दूर अपने बेतन का सापा मांग मादक वस्तुओं के उपभोग में लचं कर डालते हैं; और, कितने ही युवक 'टाकी', चल-चित्र, मिनेमा या नाटक आदि में बहुत-सा पैसा उड़ा देते हैं। वे थोड़ी देर का आनंद लेते हैं, पर पीछे उन्हें कष्ट भी बहुत उठाना पड़ता है। अपनो अन्य आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए उनके पास धन नहीं रहता, वे सारी उप ग्रदृशी या कज़दार रहते हैं।

जब किन्हीं दो परिवारों की आमदनी बराबर हो, और दोनों के आदनी भी सख्ता में समान हो, एवं उनकी आवश्यकताएँ भी बहुत-कुछ एक-सी हो, तब यदि एक परिवार अपना निर्वाह अच्छी तरह कर रहा है, और दूसरा वहें कष्ट में हो तो समझना चाहिए कि उनके इम अंतर का एक प्रधान कारण यह है कि पहले परिवार का उपभोग-कार्य विचार-पूर्वक है, और दूसरे का ऐसा नहीं है।

बहुधा मिथों को घर में तरह-तरह की चोज़े रखने का शोक होता है। वे बाजार या मेले-तमाशे में जाते हैं तो सजी हुई दुकानों को देखकर उनका मन अनेक चोज़ों को तरफ चला जाता है, और वे बहुत-सी चटक-मटक की, या अनावश्यक वस्तुएँ खरीद लेती हैं; अथवा, उन्हें प्रमाण करने के लिए आदमी ही वैसी चोज़े खरीद लाते हैं। इसने बहुधा, खासी अच्छी आदमाले नरिवार को भी आर्थिक हालत खारब रहती है।

इम छिसी वस्तु का उपभोग इमनिए करते हैं कि इमें उम वस्तु के उपभोग की आवश्यकता प्रतीत होती है, और इम अपनी उम आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं। इस प्रधार उपभोग का मूल है, आवश्यकताएँ। उनके विषय में कुछ जरूरी बातें ज्ञान लेनी चाहिए।

आवश्यकताएँ—मनुष्यों की विविध आवश्यकताओं के दो भेद किये जा सकते हैं :—(१) वे आवश्यकताएँ, जो धन या सम्पत्ति द्वारा पूरी ही सकती है; जैसे भूल-प्यास तथा सदोन्नामी के लिए भोजन, और बलादि की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ धन या सम्पत्ति द्वारा मिल सकते हैं। (२) वे आवश्यकताएँ जो धन या सम्पत्ति द्वारा पूरी नहीं ही सकती; जैसे कुटुम्ब का प्रेम आदि। अर्थशास्त्र में इन दूसरी प्रकार की आवश्यकताओं का, विचार नहा किया जाता। यह शास्त्र उन्हीं आवश्यकताओं का विवेचन करता है, जो धन या सम्पत्ति द्वारा पूरी ही सकती है। इन्हें 'आर्थिक आवश्यकताएँ' कहते हैं।

आर्थिक आवश्यकताओं के लक्षण—आदमियों की आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण ये हैं—

(१) उनकी संख्या अनन्त है। आम तौर से मनुष्य को भौति-भौति के भोजन, तरह-तरह के बल, नयी-नयी पुस्तकों और दूसरी चीजों की इच्छा चाही रहती है। सम्यता के साथ-साथ ये आवश्यकताएँ अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं, तथा मानविक शक्ति बढ़ने से नयी-नयी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं।

(२) यदेष्ट माध्यन होने पर मनुष्य की प्रथेक आर्थिक आवश्यकता अलग-अलग पूरी सकती है; परन्तु ज्यों ही एक आवश्यकता पूरी होती है, त्योहाँ दूसरी आ लड़ी होती है। इस प्रकार नयी-नयी जस्तरते पैदा होते रहने से माधारण मनुष्य की सब-की सब आवश्यकताओं की पूर्ति होना कठिन है। फिर, प्राकृतिक, प्रारम्भिक या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक सरल और समझ है, परन्तु कृत्रिम आवश्यकताओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं होती। उदाहरण के लिए यह तो अनुमान किया जा सकता है कि एक आदमी कितना भोजन करेगा ; लेकिन यह सदसा नहीं कहा जा सकता कि कितने द्रव्य, धन, या आमूलयों आदि से कोई पुरुष या छोटे सन्तुष्ट होगा।

(३) एक ही प्रकार की आवश्यकताओं में वहुधा प्रतियोगिता रहती है। एक आवश्यकता उसी प्रकार की दूसरी आवश्यकता को हटाकर उसकी जगह लेने का प्रयत्न करती है। दूध पीनेवाले वहुत से आदमियों को दूध महँगा होने को दशा में चाह या कहवे का अस्थान हो जाता है। सवारी के लिए भारतवर्ष में रथ या बैलगाड़ी की आवश्यकता का स्थान अब इक्ष्या-वर्षी की आवश्यकता ने ले लिया है; अधिक समर्थ आदमी तो मोटर की अभिलाप्ता रखते हैं। गेहूँ पानेवाले अकाल के समय ज्वार, बैमर या मकई आदि से, और इनके भी अभाव में शाक-भाजी या बूद्दों की पत्तियों तक से निर्वाह करते हैं।

(४) आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक या पूरी करनेवाली होती हैं। यहुधा किसी वस्तु की पृष्ठ का आवश्यकता कम होती है; उसके साथ अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है; जिसे शाक-भाजी के साथ मसाले, ईधन और पर्तनों की आवश्यकता होती है। हाँ, उसका इके के साथ कोई सम्बन्ध नहा है, परन्तु इके के साथ घोड़े और साज आदि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आदमियों की आवश्यकताओं के कई समूह हैं। एक समूह की एक वस्तु का, उसी समूह की अन्य वस्तुओं से, परस्पर सम्बन्ध होता है।

(५) आवश्यकताओं की प्रवृत्ति आदत बनने की रहती है। जब एक चीज़ किसी देश में चराचर एक-दो पीढ़ी तक चरती जाती है, तब वहाँ वालों को उसकी आदत पड़ जाती है। इस प्रकार कृत्रिम आवश्यकताएँ प्राकृतिक आवश्यकता का स्वरूप धारण कर लेती हैं। योरप के देशों में नेकटाई या काजर, बछ का एक प्रधान श्रेण माना जाता है। अनेक मज़दूरों के लिए शराब एक आवश्यक वस्तु है। इस प्रकार आवश्यकताओं के बदलने या घटनेभवन से समय-समय पर रद्दनशहन का दर्जा बदलता रहता है।

(६) आवश्यकताएँ एक सीमा तक रोकी जा सकती हैं—उनका

नियंत्रण हो सकता है। प्रायः इस दात को आदमी मूल जाते हैं; अर्थशास्त्र के ग्रन्थों में भी इसका बहुत कम विचार किया जाता है। इस पर कुछ विशेष प्रकाश आगे वारदवें अध्याय में दाला जायगा।

दसवाँ अध्याय उपभोग के पदार्थ

मनुष्य जिन 'अनेक पदार्थों' का उपभोग करते हैं, उनके माधारणतया पाँच मेद किये जा सकते हैं:—(१) जीवन रक्तक पदार्थ, (२) निपुणतादायक पदार्थ, (३) कृत्रिम आवश्यकताओं के पदार्थ, (४) आराम के पदार्थ, और (५) विलासिता के पदार्थ।

जीवन-रक्तक पदार्थ—वे पदार्थ जो प्राणघारण करने के लिए आवश्यक हैं; जैसे माधारण अन्न, माधारण वस्त्र, माधारण मकान आदि। इन पदार्थों की मौग कम लोचदार होती है; क्षि जैसे-जैसे इनकी कीमत बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इन पदार्थों पर होनेवाला कुल खर्च बढ़ता जाता है।

निपुणतादायक पदार्थ—निपुणतादायक पदार्थ वे पदार्थ हैं, जिनके उपयोग से मनुष्यों की कार्य-कुशलता बढ़ती है, और उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका मूल्य इन पदार्थों के मूल्य से अधिक होता है, जैसे पुस्तिकारक भोजन, स्वच्छ वस्त्र, अच्छे द्वादार। मकान आदि। इनकी भी मौग कम लोचदार होती है; जैसे-जैसे इनकी कीमत बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इन पर होनेवाला कुल खर्च भी बढ़ता है।

* कीमत के अल्प परिवर्तन से किसी वस्तु की मौग के बढ़ने या घटने के गुण को 'मौग की लोच' कहते हैं। यह किसी चीज की मौग, कीमत में बोटा-सा परिवर्तन होने से ही बहुत घट-घट जाती है, तो यह यहा जाता है कि बहुधी मौग लोचदार है।

एक ही आदमी के लिए भी पदार्थ को कीमत बढ़ जाने पर, अथवा उस व्यक्ति के निर्धन हो जाने पर, निपुणतादायक पदार्थ आराम या विलासिता का पदार्थ हो सकता है।

अधिकतम तृप्ति—विविध पदार्थों का उपभोग इसलिए किया जाता है कि तृप्ति मिले। अब प्रश्न यह है कि किसी आदमी को अपनी आय किस प्रकार सच्च करना चाहिए कि उसे अधिक-से अधिक तृप्ति हो। इसके बास्ते उसे चाहिए कि वह विलासिता के पदार्थों का उपभोग छोड़ दे, और आराम के पदार्थों का उपभोग यथा-शक्ति कम करे। कृतिश आवश्यकताओं का सच्च मनुष्यों की आदतों और रीतिनृस्मौ पर निर्भर रहता है, और ये सदैसा नहीं बदलती। इसलिए इन पर किया जानेवाला सच्च एकदम घटाया नहीं जा सकता; परन्तु धीरे-धीरे प्रयत्न करने से, कुछ समय में, योद्धा-वहुत युक्तता मिल सकती है। इस प्रकार इन मदों से अपने सच्च की बचत करके मनुष्य को उसे निपुणतादायक पदार्थों के उपभोग में लगाना चाहिए। इससे अत में उसे अधिक तृप्ति होगी। यह बात पहले-पहल ठीक न जँचेगी। वहुधा आदमी जल्दी मिलनेवाली तृप्ति की ओर ध्यान देकर, अपनी आय उसकी प्राप्ति के लिए सच्च करना अच्छा समझते हैं। परन्तु यदि वे दूरदृश्यता से काम लें, और अपने उपभोग में उपसुच परिवर्तन करें, तो उन्हें अपनी भावी आवश्यकताओं के लिए चिन्ता करने का अवसर ही न मिले। ऐसा करने से उनकी कार्यकुशलता, उत्पादन-शक्ति एवं आय बढ़ेगी। फिर, इस बढ़ी हुई आय का भी उसी प्रकार उपभोग करने पर वे अधिक लाभ का, एवं भविष्य में तृप्ति बढ़ाने का, प्रबन्ध कर सकेंगे।

कुछ पदार्थों के उपभोग का विचार ; (१) अब—
अब कुछ पदार्थों के उपभोग का विचार करें। पहले अब का विषय लेते हैं। समय-समय पर कुछ लेन्वको ने यह दिसाय लगाया है कि

समय समय पर प्री-मन आठ आने से, ढाई वर्षे मन तक रहा है। यह कर लोपों को बहुत अखरता है, और इसका यहाँ वे नेताओं ने दृगेशा विशेष किया है। यहाँ आदमी बहुत गरीब है। इसलिए इस पदार्थ के जीवन-रक्षक होने पर भी, कीमत बढ़ते ही इसके उपभोग के कम हो जाने की समावना हो जाती है। अन्य देशों में नमक के उपभोग का प्रति मनुष्य वार्षिक श्रीसत भारत से बहुत अधिक है। इसकी आवश्यकता आदमियों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी होती है। परन्तु मैंही के समय भारत के पशुओं की कीम कहे, आदमियों को भी नमक काफी मही मिलता।

धी-दूध—जैविक जीवन-रक्षक पदार्थों—अब और नमक— के उपभोग को यह देखा है तो धी-दूध आदि पौधिक पदार्थों के उपभोग की कमी का उहज ही अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष में गाय भैंसों की संख्या, जनसंख्या की हास्त्र से बहुत कम है। पर, अधिकतर गाय-भैंस रखनेवाले किसान लोग हैं, जिनकी दरिद्रता सब जानते ही हैं। इनकी गाय भैंसें जो दूध देती है, वह या तो पास के नगरों में चिकने चला जाता है, या उसका धी निकाल कर बेचा जाता है। किसी तथा इनके बच्चों को मट्टा या छांदू मिल जाय, यही बहुत है; धी-दूध को चीझें तो किसी त्योहार या सामाजिक भोज के अवसर पर नहीं होती है। भारतवर्ष में एक समय या, जब घरन्घर गाय-भैंस, और खासकर गाय होने से किसी को दूध, दही या धी आदि खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज दिन वह है कि दाम देकर भी यह चीज़ें, विशेषतया शहरों में, मिलना कठिन होता है। पर, दाम देकर खरीदने की सम्भाव्य ही यहाँ प्रतिशत या प्रति सदस्य किनने आदमियों को है !

बचों के भरण-पोषण के लिए, रोगियों की चिकित्सा के लिए, और घूँघों की शक्ति की रक्षा के लिए गाय का दूध अमृत है। पर सर्व-साधारण के लिए दूध है कहाँ ! नतीजा यह है कि भारतवासियों

की शक्ति का हास हो रहा है और उनकी कार्य-कुशलता बहुत कम होती है। यही नहीं, वे निर्वल और रोगी होने के साथ, संकार के अनेक देशों के आदमियों को अपक्षा, अल्पायु होते हैं—जल्दी मर जाते हैं।

(४) **खाँड़ और गुड़**—मास न खाने वाले गरीब मतुष्यों के लिए स्वाद पदार्थों में खाँड़ ही एक विलास-मामग्री है। यह मिठाइयों में बहुत खर्च होती है, जिन्हें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और योरपियन भी जन्मोत्सव, व्याह-शादी, मृतक-संस्कार अथवा अन्य त्योहारों या दावतों में बहुत खाते हैं। नगरों में बहुत-से विद्यार्थीं तथा अन्य पेशेवाले बहुधा मिठाई का नाश्ता करते हैं। सन् १९३२ ई० पूर्व यहाँ विदेशी खाँड़ की खपत बहुत होती थी। उस वर्ष मुरकार ने विदेशी खाँड़ पर कानून कर लगा कर स्वदेशी खाँड़ के व्यवसाय को सरक्षण दिया, तब से यहाँ स्वदेशी खाँड़ अधिक तैयार होने लगी। अब यह पहले को अपेक्षा काफ़ी अधिक खपती है। तो मौं बहुत से आदमियों को यह मर्ही मालूम होता है, इसलिए वे इसका उपमोग नहीं कर सकते। यदि इसके तैयार करने की लागत में कमी हो जाय और इसकी कीमत कम हो जाय तो यहाँ इसकी खपत और भी बढ़ सकती है।

अस्तु, अभी यहाँ जन-साधारण में गुड़ का ही उपमोग अधिक है। जैसा कि आ० भा० ग्राम-उद्योग सब द्वारा प्रकाशित सूचना में कहा गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाँड़ को अपेक्षा गुड़ कई ज्यादा कायदेमन्द है; गुड़ में शरीर के लिए बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे पोषक द्रव्य और जीवन-तत्त्व रहते हैं, जो खाँड़ में विज़कुल नहीं रह जाते। गुड़ जल्दी हज़म हो जाता है और अकेला भी पेट का आधार हो सकता है, पर खाँड़ अकेली नहीं खायी जाती। गुड़ खाँड़ से सस्ता भी है।

गुड़ का उद्योग बना रहने से उसका पैसा नौंबों में ही रहेगा,

और शहरों में भी गुड़ का प्रचार होने से खाँड़ पर खर्च होनेवाला बहुत-सा पैसा गरीब गाँववालों को मिलेगा, जिससे उन्हें बहुत सहायता मिलेगा। जो लोग खाँड़ लाना न लाँड़ रक्कें, उन्हें हाथ की बनी शकर को इस्तेमाल करके गरीबों की उदायता करनी चाहिए। सरकारी कृषि-रसायन-विशेषज्ञ रायबहादुर डॉ० एल० सहस्रबुद्धे का मत है कि हिन्दुस्तान में हर साल लगभग तीन लाख टन गुड़ बनता है; यदि उसको खाँड़ बनायो जाय तो सिर्फ़ साढ़े इक्कीस लाख टन ही होगी। कोई कारण नहीं है कि साढ़े आठ लाख टन स्वास्थ्यप्रद दृढ़िया खाद्य पदार्थ का इस तरह तुकमान किया जाय। हाँ, गुड़ बहुत शुद्ध और साफ़ बनाया जाना चाहिए।

(५) कपड़ा—भारतवर्ष में विशेषतया चार प्रकार का कपड़ा इस्तेमाल होता है—(क) विदेशी, (ख) भारतीय मिलों के घृत का मिलों में ही बुना हुआ (ग) भारतीय मिलों के घृत का, गुलादी द्वारा हाथ से बुना हुआ, और (घ) हाथ से कते घृत का, हाथ से बुना हुआ।

यह सब मिलाकर मी यहाँ बहुत से आदमियों को आवश्यकतानुसार कपड़ा नहीं मिल पाता। इस बात का जीता-जगता प्रमाण हर घड़ी हमारे सामने रहता है। यह ठीक है कि विवाह-शादी अथवा मेले-तमाशों में कुछ आदमी तरह-तरह के चटकीले-भड़कीले और कुछ बढ़िया बछ पहनकर निकलते हैं, एव सरकारी नौकर अथवा उच्च श्रेणी के कुछ आदमी कपड़ों में फैशन का बहुत ध्यान रखते हैं, परन्तु हमसे वास्तविक दशा को अच्छा समझना भ्रम है। उधे जानने के बास्ते तो हमें साधारण आदमियों को साधारण परिस्थिति में देखना चाहिए। भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि यदि कोई हो सकता है, तो वह किसान है। और, वह क्या पहनता है? गर्मियों के दिनों में वह प्रायः 'शर्द्दन-नन' रहता है। एक छोटी-सी, छुट्टी-सी से भी ऊपर तक रहनेवाली धोती, और सिर पर एक मामूली पगड़ी होती है।

उसके बचे बहुधा नगे किरा करते हैं। चड़ी-बड़ी लड़कियाँ भी बहुधा लंगोटी लगाकर अपनो लज्जा निवारण करती हैं। जाड़े के दिनों में बहुत से किसानों या कृषि-अमज्जीवियों के बदन पर केवल एक सूनी मिज़ई या अंगरखा होता है, जिसके बदलने की अवसर प्रायः उसके पट्टजाने पर ही आता है। ऊनी बख्तों का तो अभाव ही रहता है। रात्रि में ओढ़ने के लिए एक मामूली रजाई, और बिछाने को पयाल या फूस मिल जाय तो गनीमत है। बहुत-से आदमियों को खेतों पर पहरा देते समय एक फटी-पुरानी चादर में रात काटनी पड़ती है।

यदि किसान और कृषि-अमज्जीवी अपने अवकाश के समय (जो बहुत काफी होता है) कपास ओट लें, और यह कासूत कातकर कपड़ा बुनवाले नी वह इन्हें सुप्रत्य-सरीखा पहुँ रखता है। इसमें स्थियों के अम का भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। किसानों के अतिरिक्त, गाँवों तथा नगरों के अन्य आदमियों को भी चाहिए कि यथा-संभव खद्र का ही इस्तेमाल करें, जिसे कपास पैदा करनेवाले, ओटनेवाले, सूत कातनेवाले और कपड़ा बुननेवाले—इन सब गरीब माद-बहिनों को सहायता मिले। अस्तु, यदि सर्व-साधारण के लिए कपड़े की समस्या का कुछ इल दो सकता है तो विशेष आशा खद्र के घंघे की उच्चति से हो हो सकती है। इसके सम्बन्ध में आवश्यक बातें पहले लिखी जा चुकी हैं।

(६). चाय—इस पदार्थ का उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा

है, गत बर्षों में इसमें विलक्षण वृद्धि हुई है। इसका शौक पहले नज़्द दर्जे के रहनसहन वाले ही करते थे। धीरे-धीरे सुबक्को और विद्यार्थियों ने इसे अपना लिया। अब तो साधारण मज़दूरों तक में इसका प्रचार स्वूत जोर से हो रहा है। इसका कारण बहुत-कुछ चाय की कम्पनियों की व्यापार-कुशलता और विद्यापनराजी है। जगह-जगह इनके एजन्ट घूमते हैं, और ग्रामोक्तोन के गोत सुनाकर, छिनेमा आदि के

चिन्ह दिल्लाकर, जहाँ तहाँ दीवारों पर, स्वेशनों और चौराहों पर सुन्दर बढ़िया रंगीन चित्रवाले विशापन चिपकाकर, एवं भिज-भिज भाषा के पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराकर, खर्च-साधारण के मन में यह बात ऐटाई जाती है कि ज्ञाय इरेक आदमी के लिए प्रत्येक प्रश्न में स्वास्थ्य-बद्धक है; यह गरमी में ठडक पहुँचाती है, और सर्दी में बदन गरम रखती है। निष्ठन भारतीयानियों को अब गाय का दूध दुर्लभ होता जा रहा है, और वे इस जर्ये हानिकर पदार्थ का शोक करके संतोष प्राप्त करते हैं। अनेक स्थानों में अब यह स्वामन-सत्कार की चौज बन गयी है। कितने ही आदमी तो प्रति दिन कई-कई प्याले उड़ा जाते हैं।

कई डाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक इलाज उत्तेजक पदार्थ है, जो मनुष्य की शक्ति को उसी प्रकार बढ़ाता है, जैसे तुर्बल घोड़े की शक्ति को चाहुँक या हंटर बढ़ाता है। लोगों को चाहिए कि वे मिथ्या या अत्युक्ति-पूर्ण विशापनों के घोसंग में न आव। यदि उन्हें अपनी शक्ति बास्तव में बढ़ानी है, तो दूध, घो, फल, मेवा आदि पीप्तिक पदार्थों का सेवन करें, न कि नाय ऐसे उत्तेजक पदार्थों का।

(७) तम्बाकू—बहुत से लोगों के लिए तम्बाकू एक आवश्यक पदार्थ ही गया है। नवयुवकों अथवा शौकीनों को हुमका अच्छा नहीं लगता; वे तिगरेट या चीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका धुआँ हुक्के के धुएँ से अधिक हानिकारक है। मिलों में काश करनेवाले तथा अन्य नीचे दर्जे के मरीदूर अपने बेनन से जाहे जीवन-रक्षक पदार्थ यदेष्ट मात्रा में न पा सकें, परन्तु इस शौक के लिए तो ऐसे निकाल ही लेते हैं। बहुतेरे आदमी तम्बाकू पीने नहीं, तो सूँघते या खाते ही हैं। निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका चिलकूल ही व्यव-वहार नहीं करते। परन्तु बड़े-बड़े वैद्यी और डाक्टरों का यह मत है कि तम्बाकू खाने, पीने या सूँघने से इन विकारों के होने का मय रहता है—मंद-दृष्टि, मुच्छी, मुँह में बदबू, कलेजे में जलन, छाती में

कफ वहना, दौतों की कमज़ोरी, पित्त की छुट्टि, और शरीर की कमज़ोरी आदि। सभव है, कुछ आदमी तम्बाकू का सेवन किन्हीं विशेष अवस्थाओं में, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए औषधि-रूप में, करते हों, परन्तु इनकी सख्त्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी। अधिकाश आदमी देखा देखो, शौक के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और यार दोतों में प्रचार करते हैं।

देश के जो आदमी इसका सेवन करते हैं, उनके एक दिन के इस उपभोग का औपर यदि एक पैसा माना जाय, तो पाठक अनुमान कर सकते हैं कि देश का कुल किन्हें करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस मद में खर्च हो जाता है। एक लेखक ने तो हिंसाय लगाकर दिखाया है कि इससे प्रति वर्ष कमन्से-कम दो अरब रुपये व्यर्थ जाते हैं; स्वास्थ्य-हानि रहो अलग। सिगरेट बीड़ी पीनेवालों ने देश में दियासलाई का भी खर्च बेहद बढ़ा दिया है।

(c) मादक द्रव्य—बहुत से आदमी भौंग, गौंजा, चरस और अर्फाम आदि का सेवन करते हैं। पश्चिमी सम्यता के संसर्ग से यहाँ शाराबखोरी का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। ऊँची श्रेणी के वे मनुष्य, जो विलायती ढङ्ग से रहने लगे हैं, मद्य-पान से परदेज नहीं करते। मजदूर, विशेषतया कल-कारखानों में काम करने वाले, एक-दूसरे की देखादेखी अपनी बहुत सी गाड़ी कमाई इसमें खर्च कर डालते हैं।

कुछ सजान मादक वस्तु-प्रचार-निरोध ('ट्रैप्रेस') कायम करके मद्यपान आदि के विषद् लोकमत तैयार कर रहे हैं; परन्तु कई स्थानों में, अधिकारियों का यथेष्ट लहयोग न मिलने और विरोध होने के कारण, उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिलती।

सरकार मादक पदार्थों के उपभोग को नियंत्रित करती है। परन्तु खेद है कि वह इनसे हीने वाली आय की छुट्टि को बुरा नहीं समझती। अनेक स्थानों में मादक पदार्थ खुले आम बाजार के बीच

बेचे जाते हैं, कोई तीर्थ-स्थान भी इनसे बचा नहीं। मजदूरी के लिए बहुतों कारखानों और घानों के पाम ही शराब की दुकानों की व्यवस्था रहती है। इससे वे अभागी अकसर अपनी सामाजिक वेतन लेकर, वर पहुँचने से भी पहले अपनी गाड़ी कमाई के पैसे मदिरा देवी की ही भैंट कर देते हैं। सन् १९३७-३८ में, जब अधिकतर ग्रान्टों में काग्रे सी मत्रिमंडल थे, अनेक स्थानों में सरकार मादक बस्तु-नियेष की नीति अमल में लायी थी। वह नीति व्यापक और स्थायी होनी चाहिए।

मोजन-चक्रादि के उपभोग की विधि — उपभोग¹ की वस्तुओं के अतिरिक्त, उपभोग की विधि की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। बहुत से आदमी बढ़िया अम तो खाते हैं, पर उनका खाने का तरीका ऐसा है कि उससे अम के कई आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं, शरीर को उनका यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता। उदाहरण के लिए आज कल शहरों में ही नहीं, अनेक कस्बों में, और कहीं-कहीं तो गाँवों तक में, आठा धीमने के निए मिलें लग गयी हैं। और, साधारण धेणूं के आदमी भी अपने लिए आठा स्वर्य न पी सक, वहाँ पिलवा लाते हैं। मशीन की चक्की की गरमी से आटे के जीवन-तत्व कम हो जाते हैं, और आठा महीन हो जाने से पचने में भारी, तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकर, हो जाता है। अतः आठा हाथ की चक्की का ही पिला हुआ इस्तेमाल करना चाहिए,* तथा उसे हानया या चोकर सहित खाना चाहिए, जिससे वह जब्दी इज्जम हो सके और शरीर को उसके सब पोषक तत्वों का लाभ मिले। बेमन या मैदा बहुत हानिकर बस्तु है।

चावल भी 'पूरा' खाया जाना चाहिए, जो धान का बेवल छिलका

* जो आदमी आठा स्वर्य धीर्घे, उनके पिसाई के बैठे बचें, तथा व्यायाम का लाभ होगा। यह व्यायाम विशेषतः कियों के निर बहुत उपयोगी है। और, जो अवक्षि आठा दूसरों से विस्तैर्णे, वे पीसनेवानों की सहज ही आर्थिक सहायता कर सकेंगे।

निकाल देने के बाद शेष रहता है। परन्तु प्रायः इस चावल को विस कर इसके ऊपर का कुछ हिस्सा घटा दिया जाता है, जिससे चावल बहुत सफेद हो जाय और उसमें चमक आ जाय। प्रायः मध्य तथा ऊँची अण्ठी के आदमी एवं शौकीन सौग इस 'घटाये हुए' चावल का उपभोग करते हैं; इससे बहुत सर पोषक तत्व निकल जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। यही बात दालों के विषय में है। आजकल धोई हुई दाल का प्रचार अधिक हो गया है। छिलके-बाली दाल को, जिसे 'काली दाल' कहते हैं, आदमी कम पसंद करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से छिलके सहित दाल का सेवन करना अधिक उपयोगी है।

तिल या मरमों का तेल ऐसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कोल्हू या धानी में निकाला गया हो। मिल से निकले हुए तेल में मूँगफली आदि का अन्य सहस्रा तेल मिला रहता है; तथा, वह अधिक समय तक पड़ा रहने से खराब न हो जाय, इस आशका से उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य डाले जाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। धानी या कोल्हू से निकाला हुआ तेल धारीकी से न छाने जाने के कारण उतना साफ नहीं होता, पर उसमें जो चीज रहती है, वह उन दालों का ही अंश होता है, जिनसे तेल निकला है, अतः स्वास्थ्य के बास्ते हानिकर नहीं है।^१

१) तली हुई नीजे, अथवा जिनमें खटाई मिर्च मसाले बहुत हो, शरीर के लिए हानिकर होती है। इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शौक या जिहा के स्वाद के बास्ते स्वास्थ्य को तुक्रसान पहुँचाना ठीक नहीं।

बस्त्र के विषय में भी इस प्रकार का विचार रखना आवश्यक है।

* मिल की खत निस्सत्त्व होती है, पर धानी या बोल्हू की खली पशुओं के निए बहुत अच्छा पीठिक मोजन है; इस प्रकार धानी के तेल से यह भी लाभ है। इसके बास्ते से गरीब आदमियों को रोजी सो मिलती हो जाती है।

इम सदर पहनने के आर्थिक लाभ बता चुके हैं। उसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों के रंग बहुत चटकीले-भड़कीले न होने चाहिए; ये ग्रौवों के लिए हानिकारक हैं। वास्तव में हमारे भोजन-बच्चे आदि का मन पर बहुत प्रभाव पहता है, और सातिक रहनसदन का मानसिक उत्तरांत से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 'सादा बीजन और उच्च विचार', एक कहावत ही हो गयी है।

उपभोग के पदार्थों के शुद्ध होने की आवश्यकता— आजकल हम बहुत-सा ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जो बाजार से मोक लायी जाती है; घर पर नहीं बनायी जाती। शहरों में पूरी-कच्चीरी और मिठाई आदि का हो कितना लच्छ हो जाता है। हमारे उपभोग को कितनी वस्तुएँ तो दूर-दूर के नगरों से ही नहीं, अन्य देशों से आती हैं। और, अनेक आदमी अपने लाभ के लिए बहुत पुरानो, घटिया या मिलावट बाली नीजों की अच्छी, ताजी और बड़िया कह कर बेचते हैं। मिलावटवाले तेल, और चमकाये हुए चावल का ब्रिक पहले किया गया है। अनेक स्थानों में हल्दी, -सोट, हलायची और दाल आदि को खात तरह से रंग कर बेचा जाता है। कई मिट्टाद्यों में भी रंग ढाला जाता है। बाजारों में शुद्ध धी-दूध मिलना तो कठिन ही होता है। गेहूं के आटे में अन्य घटिया आदि मिला होना साधारण बात है। कहाँ तक मिनावें, करीब-करीब सभी चीजों में मिलावट की आरंका होने लगी है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्यों को, किसी वस्तु के उपभोग से जितना लाभ या सुख मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। बहुत आवश्यकता है कि उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु को, खूब जाँच करने के बाद लें; बाजार की चीजों का इस्तेमाल ही कम हो। और, कानून से, तथा नागरिकता की शिक्षा हारा, उपभोक्ताओं के हित की नमुनित व्यवस्था की जाय।

भारतवासियों के मकान—भारतवर्ष में श्रीसुतन प्रति शैव मनुष्यों पांचे एक घर है। कस्तों तथा देशालों में, एवं ब्रिटिश भारत

या देशी रियासतों में यह औमत लगभग समान ही है। यह ठीक है कि बम्बई, कलकत्ता और देहली आदि में किटने ही मकान शाही महलों की भाँति भव्य और विशाल है, कुछ देशी गज्जों की राजधानीयों में भी स्वयं राजाओं तथा उनके उच्च कर्मचारियों या कृपा पात्रों आदि के मकान साधारण दर्शक को चकित करने वाले हैं। परन्तु ऐसे मिलाकर, ये भारतवर्ष के कुल मकानों में प्रति सदस्य या प्रति लाख कितने हैं! नगरों में कुछ थोड़े-में सौभाग्यशाली व्यक्तियों को होड़ कर, सर्व-साधारण को मकान की कितनी असुविधा है, यह पत्र जानते हैं। मकानों की सख्ती कम, उनका किराया बहुत अधिक, और अधिकतर आदमियों की आय बहुत मामूली! इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से आदमी तग, और अंधकार वाली गलियों के छोटे छोटे मकानों में रहते हैं; एक कमरे में कहं-कहं आदमियों को रहना पड़ता है; अपवा एक ही कमरे में एक से अधिक परिवारों को गुजर करनी पड़ती है। बड़े-बड़े शहरों में मिलो और कारखानों ने अग्नियों के लिए मकानों की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है। इसमें कुछ सुधार हो रहा है, पर अभी तो वह, दाज़ में नमक के समान भी नहीं।

अब तनिक देहांडों के मकानों की चान लें ; भारतवर्ष अर्थकाश में देहातों का ही देश है। यहाँ कुछ जमीदारों या महाजनों के घर। कुछ बड़े, दुमंजिले और पक्के हैं, मध्य और ऊपरी के आदमी भी कमरा पक्के मकान बनवा रहे हैं। यह होते हुए भी सर्वसाधारण के मकानों की क्या दशा है। बहुत से मकान कच्चे हैं, जिनकी प्रति वर्ष, बरसान से पहले मरम्मत करने की जरूरत होती है, अन्यथा वे टपकते हैं, और दो-तीन साल बाद तो गिरने ही लगते हैं। अधिकांश घरों में रसोई के लिए अलग कोठरी नहीं होती; पशु भी वहाँ ही रहते हैं। इससे होने वाली असुविधा एवं स्वास्थ्य-हानि स्पष्ट है।

हमारे अनेक बन्धु दो पूरे की भोगियों में ही जैसे-तैसे गुजर

करते हैं, जहाँ धूप, सर्दी और वर्षा सभी सहनी पड़ती है। इन भोपङ्गियों के भीतर जाते समय तथा इनसे निकलते हुए आदमियों को सिर नवाना और कमर भुकानी पड़ती है; दुर्भाग्य से इनमें रहनेवालों का सिर समाज में सदैव ही नीचा रहा है। किंतु, शहरी और गाँवों में अनेक आदमी ऐसे हैं जिनका अपना कोई घर या भोपङ्गी नहीं, जो जहाँ तहाँ फिरते रहते हैं, और रात में सहङ्को के किनारे पड़े रह कर अपना समय काटते हैं।

घरों का समान——हमने घरों को दियति देख ली, अब यह भी जान लें कि घरों में सामान कैसा रहता है। कुछ राज्य-महाराजाओं, या पौजीपतियों, सेठ-साहूकारों या जर्मीदारों, तालुकेदारों, बकीलों या उच्च सरकारी नीकरों के घरों के सामान की सूची अवश्य कुछ लम्बी होती है। परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है, इनकी संख्या कुल भारतीय जनना के दिसाब से बहुत ही कम है। मध्य अण्णी के मी कुछ आदमियों की अपने घरों में 'फरनियर' बढ़ाने की किक-होती है। बहुत ने आधुनिक शिक्षा-प्राप्त युवकों के यहाँ मेज, कुर्मी आदि होना साधारण बात है। रसोई के साधारण बरतनों के अतिरिक्त 'कुकर', 'स्ट्रोव' (जिसमें मिट्ठा के तेल की आंच से खाना पकाया जाता है), 'टिफन-कैरियर,' (मोजन रखने का बरतन) भी होते हैं। कपड़े रखने के लिए सन्दूकों की जगह बड़े-बड़े ट्रक, आलमारी, 'हैंड-बैग' तथा सोने के बास्ते साधारण चारपाईयों की जगह लोहे के स्प्रिंगदार बढ़िया 'कोन' (पलंग) होते हैं। दोधनी के लिए लाल-टैन या तरह-तरह के लैंपों का प्रचार हो रहा है, और अब तो बिजली की व्यवस्था हो जाने से, उसके 'बल्ब' रखे जाते हैं। मनोरंजन के लिए बड़े-बड़े रंगीन चित्र, तथा प्रामोकोन या हारमोनिम आदि का उपयोग होता है। फुटकर सामान—आइना, हजामत का सामाज, चायदानी, तश्तरी, एलेट, प्याले या 'कप', कुछ पुस्तकें, पूजा का सामान आदि भी कमशु अधिक परिमाण में रहने लगा है। परन्तु अधिकतर

आदमियों के साधन परिमित होते हैं, और उनका बहुतसा सामान ज्यादहतर दिलावट के लिए होता है।

मास्तीष बनता का अविकाश मात्र गाँवों में रहनेवाले कृषक हैं। इनके यही भेनों के ओजार के अनिरिक्ष, साधारण कोमल की कुछ इगोगिनी वस्तुएँ—चको, चन्वा, यूर, चाराई, या चटाई, और कुछ मिट्टी के घड़े होते हैं, जिनमें अनाज या आदा दाल आदि होता है। भोजन पकाने और खाने के लिए ये कुछ मिट्टी के बरतन, अथवा कुछ दयाओं में पीतल आदि के मामूली बरतन रखते हैं। पानी के बास्ते एक लोहे या टीन का ढोन या बाल्टी, कुछ मिट्टी के घड़े, और कहीं-कहीं एकाध पीतल की टोकनी या इन्हा होता है। आज-कल कुछ आदमी लैंप या लाशटेन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं; अब से कुछ समय पहले तक अविकाश आदमी मिट्टी के दाये से ही काम चलाते थे, जिसमें सरसों का तेल जशता है। अब, कुछ सस्ता होने के कारण, मिट्टी के तेल का प्रचार बढ़ रहा है, जिसका धुआं बहुत हानिकारक होता है। किनने हो घरों में तो किसी भी प्रकार रोगनी करने का साधन नहीं होता। अनेक आदमियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मर्हीने में कुछ पैकों का सेल जला सकें। किंतु, देश में इनसे भी तो अधिक निधन बन्धु रहते हैं।

इन पक्षियों के लेखक ने घनी और सम्पन्न गिने जानेवाले वर्षों कलकत्ता, देहली और इन्दौर आदि नगरों में भव्य विशाल मकानों के बाहों में, या कुचों के नीचे प्रातःकाल अनेक ऐसे घर-दीन दरिद्र व्यक्तियों को देखा है, जिनका कुछ सामान एक फटे पुराने कपड़े की छोटी-सी पोटली में लिपटा होता है। इस सामान के परिमाण या प्रकार का पाठक स्वर्य अनुमान करले।

सामूदिक उपमोग के पदार्थ—अब सामूदिक रूप से उपमोग किये जाने वाले पदार्थों के विषय में विचार करें। कुछ इनें गिने

बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर, जिनकी कुल जनसंख्या बहुत कम है, इमारे कितने कस्बों या ग्रामों में सरकारी या गैर-सरकारी वाचनालय और पुस्तकालय हैं। यह ठीक है कि देश में रिहाया-प्रचार कम है, पर उसके बढ़ाने का भी तो एक उपाय यही है कि स्थान स्थान पर ये संतप्ताएँ कायम को जायें। अब्दा; उसकी बात रहने दें। उद्यान (पार्क), व्यायाम-शाला, कौड़ा-शालाएँ आदि कितने स्थानों में हैं। शहरों में चल-चित्र और बाक-पट ('टाको') बढ़ रहे हैं, पर उनका मुख्य लक्ष्य जनता का द्रव्य खेलना है। और लौजिए, इमारे बात लाल गौदों और कस्बों में से कितनों में चिकित्सालय, दवाखाने या औषधालय हैं। यात्रियों को समुचित आथ्रथ मिलने की व्यवस्था कितने स्थानों में हैं। यह ठीक है कि विशेषतया तीर्थ-स्थानों में कुछ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं; पर इन स्थानों में भी उसको या पर्वों के समय सदस्यों आदमी खुले मैदान में ढेरा ढाले हुए देखे जाते हैं। इन बातों में इस विषय की कुछ जानकारी हो सकती है कि इम कैसे पदार्थों का, और कहाँ तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं।

सुद, और उपयोग का नियंत्रण—नशीली चीजों के नियंत्रण का उल्लेख पहले किया गया है। कभी-कभी, विशेषतया सुद-काल में, सरकार कुछ अन्य पदार्थों के उपयोग को मी नियंत्रित करती है। बात यह है कि सुद के समय सरकार को सेना और सेनिकों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रहता है, और उसके द्वारा कितनी ही चीज़े बहुत अधिक परिमाण में खरीद कर सुरक्षित रख लिये जाने के कारण, जनता के बास्ते उन चीजों का कम रह जाना सम्भव है। यह देख कर धनी लोग या स्टोरिये उन चीजों को अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक संचय करने को लोचते हैं। इसे नियंत्रण करना होता है। नियंत्रण की योजना का उद्देश्य यह होता है कि कोई आदमी उन चीजों का अपनी ज़रूरत से अधिक संग्रह न

करे, और बेजा मुनाफेक्षोरी न हो। इस योनना के अनुसार पदार्थों के वितरण के लिए साधारण तीर में परिवार को ही इकाई माना जाता है। यह निश्चय कर लिया जाता है कि किस पर्वतवार को कोई पदार्थ कितने परिमाण में मिले। इस दृश्याव में भिन्न-भिन्न परिवारों को ग्राम सासाहिक 'कूपन' (मट्टीफिकेट) दिये जाते हैं, जिसमें उपयुक्त विषय की घूचना रद्दती है। 'कूपन' पाने वाला व्यक्ति उसे दिखाकर निर्धारित परिमाण में वह वस्तु निर्दिष्ट दुकान से ले सकता है, जो या तो सरकारी ही होती है, अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित। इस व्यवस्था को 'राशनिंग' कहते हैं। मारतवर्ष में, दूनरे महायुद्ध के समय विशेषतया गोहृं, चावल, चीनी, मिठी के तेज मालगाड़ी के डिब्बों और पेट्रोल तथा कागज के लिए यह व्यवस्था की गयी थी। महायुद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस समय (फरवरी १९४६) कुछ अंश में यह व्यवस्था जारी है।

राशनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि माल अच्छा हो, वह दुकानों पर समय पर और निर्धारित मात्रा में पहुँचता रहे, और उसके वितरण की टीक व्यवस्था हो। मारतवर्ष में अनेक बार दुकानों पर खालकर आदा बहुत खराब मिला, और ग्राहकों को गोहृं न देकर वह आदा लेने के लिए ही बाध्य किया गया। चीनी तो कई बार दुकानों पर रही ही नहीं। और, मिठी के तेज की तो आधी-आधी बोतल के लिए आदमियों को घंटों परेशान होना पड़ा है, और फिर भी कुछ दशाओं में वे निराश होकर घर लौटे हैं। इससे स्पष्ट है कि उचित व्यवस्था न होने से राशनिंग से जिनमी सहूलियत नहीं होती, उससे अधिक कठिनाई हो जाती है। मारतवर्ष में यथेष्ट व्यवस्था न होने का एक लास कारण यह या कि यद्युपरि समय राष्ट्रीय सरकार न थी, और सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का महयोग प्राप्त न किया था।

ग्यारहवाँ अध्याय

रहनसहन और पारिवारिक आय-व्यय

—~—

पिछले अध्याय में उपभोग के पदार्थों का विचार हो चुकने पर, अब यहाँ के आदमियों के रहनसहन का अनुमान अच्छी तरह हो सकता है। लोगों के रहनसहन पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है।

रहनसहन पर प्रभाव ढालनेवाली बातें—किसी आदमी के रहन-सहन का अनुमान करने, और उसको दूसरे आदमी के रहनसहन से तुलना करने के बास्ते यह विचार करना होता है कि उनमें से प्रत्येक ने अपने उपभोग के पदार्थों में कितना इप्पणा व्यय किया। परन्तु इस सम्बन्ध में व्यय को क्य-शक्ति का भी ख्याल रखना आवश्यक है, कारण कि जुदा-जुदा समय और स्थान में, इसमें अन्तर होता है; एक समय या एक जगह वस्तुएँ, दूसरे समय या स्थान को अपेक्षा महँगी या सस्ती होती है। अस्तु, इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातों का रहन-सहन पर असर पड़ता है। क्षे किसी आदमी के लक्षणति अथवा करोड़ति होने पर भी सम्भव है कि उसका रहनसहन निपुणतान्दायक तथा सुख देनेवाला न हो; उसके शरीर की अवस्था, स्वास्थ्य और हाज़मा इतना खराब हो कि वह उपभोग को कई वस्तुओं से कुछ भी आनन्द न प्राप्त कर सके। इसके विपरीत, एक स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट परन्तु गरीब मनुष्य उपभोग के साधारण पदार्थों से ही बहुत आनन्द प्राप्त कर सकता है। असल में आनन्द, उपभोग के पदार्थों में नहीं, स्वयं उपभोक्ता की मानसिक तथा शारीरिक विधति में होता है। आँख,

*. श्री० दुरे और नीशो की 'सम्पत्ति का उपभोग' नाम की पुस्तक से।

कान, त्वचा, आत इत्यादि में खरादी होने अथवा अन्य रोगों से पोड़ित रहने का मनुष्यों के रहनसहन पर बहुत असर पड़ता है। वे उपभोग की वस्तुओं से पर्याप्त तृती और आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते।

बहुत से आदमी योड़ी आमदनी से भी बराबर अथवा उससे अधिक आमदनी वाले लोगों की अपेक्षा अच्छी तरह रहते हैं। ५०) ६० मासिक आय वाले एक क्लर्क का रहनसहन ७०) ८० या इससे भी अधिक आय वाले क्लर्क से ऊँचा हो सकता है। इसका कारण यह है कि सब लोगों में उपभोग की वस्तुओं पर विचारपूर्वक द्रव्य खर्च करने की, तथा उन वस्तुओं के ठीक उपभोग की योग्यता एकत्री नहीं होती।

१९ भारतवासियों का रहनसहन—प्रत्येक समाज में निर्धन, साधारण, और घनबान, सब प्रकार के आदमी पाये जाते हैं। आमी तक अच्छी तरह से जींच कर, यह जानने का प्रयत्न बहुत कम लोगों ने किया है कि भारतवर्ष में कौन सैकड़ा कितने-कितने आदमियों का रहनसहन कैसा-कैसा है। हाँ, कहीं-कहीं पारिवारिक आय-व्यय के सम्बन्ध में कुछ जींच अवश्य हुई है। किन्तु उससे संश्लेषण देश के संबंध में कुछ खास व्योरेवार परिणाम नहीं निकाले जा सकते। इस विषय पर विचार आगे किया जायगा। अस्तु, वर्तमान परिस्थिति में इमें अप्रत्यक्ष आपारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। निम्नलिखित कारणों से मालूम होता है कि यहाँ बहुत नीचे दर्जे के रहनसहन वालों की संख्या बहुत अधिक, संभवतः तीन-चौथाई से भी अधिक, है—

(१) आमदनी का बहुत कम होना। पहले कहा जा चुका है कि "यहाँ के निवासियों की आधारण्य दैनिक औसत आय भिन्न-भिन्न लेवलों के अनुसार छः पैसे से तेरह पैसे तक है। यह औसत आय है; अर्थात् इसमें राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों, पूँजीपतियों तथा उच्ची वेतन पानेवाले उरकारों या गैर-उरकारी पदाधिकारियोंकी आय भी सम्मिलित

है; इसका आशय यह है कि अनेक आदमियों की आय इस औसत आय से भी बहुत कम है। जो पुष्ट ऐमी निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं, उनका रहनसहन नीचे दर्जे का होना स्वाभाविक हो जाता है।

(२) इम पढ़ले बता आये हैं कि यहाँ अनन्वितादि आवश्यक पदार्थों के उपभोग की मात्रा बहुत कम है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ अधिकांश भारतवासियों का रहनसहन नीचे दर्जे का है।

(३) यहाँ मृत्यु-संख्या का सालाना औसत फी हजार २५ है, और एक व्यक्ति की औसत आयु के बीच २३ वर्ष है। इससे भी अधिकांश जनता का रहनसहन नीचे दर्जे का सावित होता है।

रहनसहन के सम्बन्ध में, सरकारी मत— प्रधारी अधिकारी यहाँ के, आगम और विलासित के सामान की आयात के तुलनात्मक अंक उपस्थित करके कहते हैं कि सूता, रेशमी और कनी वस्त्र, मौति-भौति के खिलौने आदि विसातलाने का सामान, साढ़ुन, और औपचियों आदि की आयात के बढ़ते रहने से यह स्पष्ट है कि यहाँ इनका उपभोग अधिक हो रहा है। इसके अतिरिक्त अब बहुत से देहात वाले कच्चे और छप्पर के मकानों को छोड़कर पकड़े मकान बनवा रहे हैं। किसानों के लड़के आगरेबी ढङ्ग को कमोज, कोट तथा जूते पहनने और छुतरी लगाने लगे हैं। कितने ही मामूली नौकर या श्रमजीवी भी विशेष अवसरों पर सोडावाटर या बर्फ़ का पानी पीते हैं। चाय और सिगरेट का प्रचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही बातों से सरकारी अधिकारी यहाँ रहनसहन के दर्जे का कैंचा होना सिद्ध करते हैं।

जनता का मत— इस के विपरीत, इस देश के निवासी मुख्य भोगी सज्जनों का मत कुछ और ही है। ये सरकारी मद का खंडन करते हुए करते हैं कि मुविया, ऐश्य आगम तथा भोग-विलास के पदार्थों के सेवन की ओर झुकना मनुष्य-मात्र की प्रकृति है। इचलिए हमारे दरिद्र

बहु भी कभी-कभी उनमें पैसा लगा देते हैं। यदि वे पदार्थ न होते, तो संभव था कि यह पैसा उन भाइयों के भरण-पोषण में व्यय होता। हम, बहुधा देखते हैं कि मजदूर बालों में तेल लगाये, और भिन्नारियों के लड़के मूँह में सिगरेट दबाये बाजारों में, घूमते हैं। इससे यह अनुमान करना सरासर भूत है कि उनके रहनसहन का दर्जा ऊँचा होता जा रहा है। इसी प्रकार, यदि कुछ मनचले रहेंगे, नवाबों या राजकुमारों की आवश्यकता के लिए कुछ दीमटाम या शानशौकत के सामान को आयात बढ़ती है, तो इनसे भी जन-साधारण को अधिक सुखों होने का सर्टफिकेट नहीं दिया जा सकता।

सम्यता की वृद्धि से मनुष्यों की आवश्यकताओं को मख्ता धीरे-धीरे बढ़ा करती है। इस बात का अनुभव ममी देशों में—भारत में भी—हो रहा है। बहुवा शक्ति-भंग या फैशन-पसन्द आदमों अपने बच्चों के लिए विलायती ढग के कपड़े सिलवाते, उन्हें लूट जूते पहनाते और बिदेशी लिज्जोंने लाकर देते हैं। यदि दो मकता है, तो वे उनके लिए 'ट्राइलिंग' अथवा इश्य से चलायी जाने वाली ल्लोटी बग्धी या नकली मोटर आदि खरीद देते हैं। इन बच्चों में से बहुत से, बड़े होकर, फैशन में कुछ और आगे छदम बढ़ाते हैं। हम प्रकार प्रत्येक अगली पीढ़ी में रहनसहन का दर्जा ऊँचा होता जान पड़ता है, या यो कहिए कि दिल्लावटी सुख बढ़ता जाता है।

इनमें सदैह नहीं कि देश की आतंरिक शांति और पाश्चात्य सम्यता वे संसर्ग से यद्दी कुछ लोगों के घन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, तपा अन्य घनी देशों के रहनसहन का ज्ञान ही जाने के कारण जनता के हृदय में नये विचारों का समावेश हो रहा है। लूटमार का भय हट जाने से अमीर लोगों की अब अपनी अमीरी प्रकट करने का अवसर भिज माया है। इससे भी देश में सुख कुछ बढ़ता नज़र आ रहा है। तथानि, सच्चाई यह है कि यद्दी की जनता को न तो पहले के समान भरपेट और पुस्तिहर भोजन मिलता है, और न काफ़ी

कपड़े ही। इस तरह उनका रहनसहन का दर्जा गिर रहा है, यदि स्वेच्छा है।

रहनसहन के दर्जे के ऊँचे होने की आवश्यकता— यहाँ लोगों के रहनसहन के ऊँचे होने को बहुत आवश्यकता है। हाँ, इसका आशय यह नहीं है कि देश के आदमियों में विलासिता की वस्तुओं, या आराम देने वाले अथवा कृत्रिम आवश्यकताओं के पदार्थों का उपभोग बहुत अधिक बढ़ जाय। वरन् इसका अभिप्राय यही है कि पहले जीवन-रक्त क आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फिर निषुणतादायक पदार्थों का अधिक उपभोग हो। इसके पश्चात् कुछ योग्य से आराम के पदार्थों का उपभोग हो सकता है।

फौ-सदी ऐवल दसवीं आदमियों के रहनसहन के दर्जे के ऊँचे होने से ही जनता के रहनसहन का दर्जा उच्चत नहीं कहा जा सकता। देश के सब आदमियों का बीबन सुखमय होना चाहिए—ऐसे आदमी तो विलक्ष्ण न रहें, जो अपने जीवन-रक्त पदार्थों के लिए ही चिन्ता किया करें। तभी यथार्थ में, देश में रहनरहन के दर्जे का ऊँचा होना, माना जा सकता है।

रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने के साधन— रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने के मुख्य चार साधन हैं—इंद्रिय-नियम, शिक्षा, यात्रा तथा अनुकरण, और प्रवास। (१) इंद्रिय-नियम निवन् अधिक होता है, उन्हीं ही परिवार में जनसंख्या कम होती है, और फल स्वरूप उपभोग के लिए पदार्थ अधिक परिमाण में मिलते हैं। (२) शिक्षित आदमी दूरदर्शी होते हैं, उनमें संतान-वृद्धि कम होती है। इसके अतिरिक्त उनके निषुण होने से उनकी आय अधिक होती है, इससे उनके रहनसहन का दर्जा ऊँचा होना स्वाभाविक है। आय में वृद्धि न होने की दशा में भी उनका रहनसहन ऊँचे दर्जे का हो सकता है; कारण, वे पदार्थों का ऐसी विधि से उपभोग करते हैं, जो

अधिक निपुणता और आराम देने वाली हो। (३) यात्रा से मनुष्य बाहर का अनुभव प्राप्त करते हैं और अच्छी चीजों का उपभीग करने लगते हैं। हम यहुधा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के रहनसहन को देखकर उनका अनुकरण करने लगते हैं; इस से घोरे-घोरे रहनसहन का दर्जा ऊँचा होता जाता है। भारत में यद्यपि रेलो तथा सड़कों की वृद्धि से यात्रा में पहले की अपेक्षा सुविधा हो गयी है, तथापि और भी अधिक होने की गुंजाई है। (४) प्रवास का भी, रहनसहन के दर्जे पर बहुत पड़ता है। यदि किसी जगह एक पेशे के आदमी अधिक हो, और उनकी आय कम हो, तो उनके वहाँ से बाहर, दूसरे अच्छे स्थान में जाकर बसने से उनकी आय बढ़ेगी, और उससे रहनसहन का दर्जा ऊँचा होगा।

युद्ध और रहनसहन का दर्जा—रहनसहन का दर्जा बहुत-कुछ लोगों की आय और पदार्थों की कीमत पर निर्भर है। युद्ध में कीमत प्रायः बढ़ती हो है, और उसका जुदा-जुदा श्रेणी के आदमियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, यह आगे 'कीमत' के अध्याय में बताया जायगा। यहाँ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूँजीपति, वहे व्यापारी, उच्च पदाधिकारी आदि जिन व्यक्तियों की आय बहुत अधिक होती है, और कुछ दशाओं में युद्ध-काल में और भी बढ़ जाती है, उन पर यही हुई कीमत का असर विशेष नहीं होता। उनका रहन-सहन बहुत-कुछ पहले जैसा बना रहता है। मध्य श्रेणी के आदमियो—साधारण उत्तरादकों, व्यापारियों या कर्मचारियों आदि—की आय कुछ बढ़ती है तो यह यहुधा ऐसे अनुपात में नहीं बढ़ती, जैसे अनुपात में पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए इनके रहनसहन का दर्जा कुछ गिर ही जाता है। कम और निर्धारित आय वालों के रहनसहन का दर्जा तो और भी अधिक गिर जाता है। हाँ, जिन सैनिकों, अमज्जीवियों, या सरकारी कर्मचारियों की बेतन या भत्ता बहुत बढ़ जाती है, या जिन बेकारों को युद्ध सम्बन्धी कोई नया काम मिल जाता

है, उनकी दशा अवश्य कुछ सुधर जाती है। पर इनकी कुल संख्या बहुत घोड़ी ही होती है। इस प्रकार युद्ध से अधिकांश जनता का रहन-सहन का दर्जा ऊँचा नहीं होता, गिरता ही है।

पारिवारिक आय-व्यय के ज्ञान की आवश्यकता— विशेषतया भारतवर्ष में समाज का इकाई परिवार ही है। अतः यहाँ मनुष्यों का रहनसहन जानने के लिए परिवारों के रहनसहन का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाटे पारिवारिक आय-व्यय का अध्ययन किया ज्ञाना चाहिए। इससे आदमियों की गरीबी-अमीरी का ठीक-ठीक पता लगता है। पारिवारिक आय-व्यय में यह विचार किया जाता है कि परिवार में कितने आदमी हैं, कितने कमानेवाले, अथवा कमाने में मद्यायता करनेवाले हैं, और कितने उनके आधित हैं, वे कैसे मकान में रहते हैं, प्रत्येक की उम्र, योग्यता शिक्षा, साधन आदि कितने हैं। परिवार को कुल आंय कितनी है, और विविध पदार्थों के उपयोग में कुल स्वर्चं कितना होता है। आय-व्यय का लेखा-जोखा ज्यो-का-त्यो वरावर रहता है, या कुछ बचत होती है, अथवा, कुछ शूण लेकर काम चलाना होता है।

भारतवर्ष में पारिवारिक आय-व्यय-साहित्य— योरप अमरीका आदि में कितने ही विद्वानों ने अपने-अपने चेत्रों की दशा जांच कर अनेक प्रामाणिक प्रन्थ लिखे हैं। भारतवर्ष में यद योड़े से वर्षों से ही इस दिशा में कुछ प्रयत्न दुश्चा है। पंजाब की 'बोहर-आफ-इवानामिक एंकवायरी', और सम्रई तथा सुकमान्व की सरकारी के मजदूर-विभाग आदि संस्थाओं ने, तथा जहाँ-तहाँ कुछ सज्जनों ने योड़ा-बहुत कार्य किया है। विविध कालिजों के दियार्थों भी कुछ पारिवारिक आय व्यय के नक्शे तैयार करते हैं। परन्तु देश के विशाल क्षेत्र और विविध प्रकार की आदादों की दृष्टि से कार्य बहुत कम हुआ है। उत्तमादी नवयुवकों को अधिक संख्या में यह कार्य करना

चाहिए। इसके बिना देशवासियों की दशा सुधारने में विशेष सफलता न होगी।

मारतवर्ष में इस साहित्य की रचना में एक विशेष बाधा यह है कि इसकी सामग्री यहाँ सहज नहीं मिलती। एक तो यहाँ लिखे-पढ़े आदमी कम है। पर, जो शिक्षित है, वे भी अपने आय-व्यय का हिसाब नियमित रूप से नहीं लिखते। बहुत से आदमी अपनी आय-व्यय के ठोक अंक दूसरों को बताना नहीं चाहते। तथापि उद्योग करने पर कुछु जानकारी प्राप्त हो ही सकती है।

व्यय सम्बन्धी कुछु अनुभव—योरप और अमरीका के बहुत से, मिथ्र-मिथ्र स्थिति वे, गृहस्थों के आय-व्यय सम्बन्धी अध्ययन से निम्नलिखित सिद्धात निश्चित हुए हैं—(क) जिस अनुपात से एक कुटुम्ब की आय बढ़ती है, पुस्तकों और भोजन का व्यय उसी अनुपात में नहीं बढ़ता; कम बढ़ता है। (ख) बख्त और मकान-मट्टे का खर्च, आमदनी के अनुपात में, बढ़ता है। (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सामग्री के व्यय का अनुपात, आमदनी के अनुपात से अधिक बढ़ जाता है।

डा० एंजिल ने जर्मनी के हजारों परिवारों के आय-व्यय का अनुभव करके निम्नलिखित सिद्धात निश्चय किये हैं—

- (१) आय जितनी बढ़ती है, उतना ही उसमें निर्बाह के खर्च का अनुपात कम हो जाता है।
- (२) बख्त पर खर्च का अनुपात स्थिर रहता है।
- (३) वही हाल मकान के किराये, रोशनी आदि का होता है।
- (४) आय जितनी बढ़ती है, उतना ही परिवार का सुख के साथनों में, खर्च बढ़ जाता है।

यदि किसी परिवार की मासिक आय ७५) हो, तो डा० कटर एंजिल

के सिद्धांतों के अनुसार, उस परिवार का व्यय इस प्रकार होगा—

मोजन	६२%	अर्थात्	४६()
कपड़े	१६%	"	१२()
मकान का किराया	१२%	"	८()
इधन और नाई-घोबी	५%	"	३()
खुले के साधन तथा दान आदि	५%	"	३()

- पाठकों को स्वयं भिज-भिज परिस्थितियों के परिवारों में इस बात की जाँच करनी चाहिए कि भारतवर्ष में कहाँ तक डा० ऐंजिल के उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार खर्च होता है।

जाँच के लिए नक्शे का नमूना—पारिवारिक आय-व्यय को जाँच करने के लिए हम एक नक्शे का नमूना, पट्टना कालिज की चायक्य-सोसाइटी की वार्षिक-रिपोर्ट के आधार पर, आगे देते हैं—

पारिवारिक आय-व्यय

नाम
जाति
पेशा
गाँव	...	—	...
ज़िला
समय (तारीख, महीना और उन्)
लेखा-वरीचक

	१—आदमियों की संख्या	...
(क) परिवार	{ (अ) काम करनेवाले	...
	{ (आ) काम न करनेवाले	...
	२—जमीन बीघों में	...
	३—जमील का मूल्य	...
(ख) जायदाद	{ ४—मकान का मूल्य	...
	{ ५—पशुओं का मूल्य	...
	{ ६—सब जायदाद का मूल्य	...
(ग) चुरण	{ ७—कुल रकम	...
	{ ८—दूध का उपभोग	...
	{ ९—माट या मछली का उपभोग	...
(घ) भोजन	{ १०—घी का उपभोग	...
	{ ११—सब्जी का उपभोग	...
	{ १२—तेल का उपभोग	...
	{ १३—खोड़ या गुड़ का उपभोग	...
(च) वापिक आय	जिन्स में मिली	नकद मिली
५-जमीन और बगीचे से कुल आय		
१५-पशुओं से कुल आय		
१६-वेतन और दस्तूर		
१७-अन्य आय		
१८-आय का जोड़		
१९-इस वर्ष शुरू लिया		
२०-पूरी आय का योग		

(छ) वापिंक व्यय	जिन्स में दिया	नकद दिया
२१-अद्भुत		
२२-सुबंजी		
२३-नमक		
२४-मसाले		
२५-दूध		
२६-खोड़ या गुड़		
२७-धी (खाने के लिए)		
२८-तेल		
२९-माल-मछली		
३०-पान तंबाकू आदि		
३१-मादक द्रव्य		
३२-तेल (रोशनी का)		
३३-हँडन		
३४-बर्तन		
३५-दान		
३६-दवाई		
३७-अतिथि-सरकार		
३८-विवाह या आदादि		
३९-पूजा आदि		
४०-तीर्थ-यात्रा और सफर		
४१-शिद्दा		
४२-ऋण पर दद		
४३-मकान का किराया-		
४४-मकान की सरम्मत		

४५-कपड़ा		
४६-नाई		
४७-घोवी		
४८-पुजारी		
४९-घर नौकर		
५०-लगान और मालगुजारी		
५१-बीज, ओजार और बैल		
५२-लुहार		
५३-चढ़ाई		
५४-खेती में काम करनेवाले		
५५-खेती-संबंधी अन्य कार्य		
५६-चौधरी टैक्स		
५७-पशुओं के लिए रसद		
८-विविध (मैंड आदि सहित)		

१-खर्च का जोड़
२-इस खर्च प्रयुण चुकाया

-सारे पर्च का जोड़

(ज) वचत या कमी

वचत
कमी

नक्शे का कुछ स्पष्टीकरण—ऐसा नक्शा भरने के लिए कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नक्शे के आरम्भ में सचित प्रस्तावना देनी चाहिए, जिसमें यह भी बतलाना चाहिए कि उसकी सामग्री किस प्रकार एकत्र की गयी है, और जिस धरणी के परिवार का वह आय-व्यय है, उसका नमूना होने का काम वह नक्शा कहाँ तक दे सकता है। इस सम्बन्ध में आगे लिखी बातें स्मरण रखना आवश्यक है।

(क) परिवार—परिवार के हर एक सदस्य का नाम, आयु, रिवेदारी, विवाद, स्वास्थ्य और पेशा लिखना चाहिए। कमनेवाले सदस्यों के बारे में लिखना चाहिए कि उन्होंने कितने इफ्ते, किस दर पर, काम किया। अंत में उसी गैंव के अन्य परिवारों से उस परिवार की तुलना होनी चाहिए। इनके बिंदु जो अन्य बातें लिखने योग्य हों, उन्हें भी लिखना चाहिए।

(ख) जायदाद—जमीन किस प्रकार ली हुई है—मोहरी, गैर-मौहरी, या शिकमी-दर-शिकमी। मकान का व्योरा तथा स्थिति; कमरों की संख्या और आकार; पशु, फलबाले पेड़, औजार, जैवर, कपड़े नकद व्यय, अनाज का मंडार।

(ग) भूगण—कब और कैसे हुआ? उसके बुकाये जाने की सम्भावना।

(घ) भोजन—किस किसम के अन्न का उपभोग हुआ (खो या खराफ) ? कितनी बार भोजन किया जाता है, और हर एक व्यक्ति लगभग कितना-कितना भोजन करता है! नक्शे के ८ से १३ तक की मदों की व्याख्या। किस पदार्थ का उपभोग प्रति दिन होता है, और किसका कभी-कभी, या कभी नहीं।

(च) आय—बजट के हर एक मद की व्याख्या (यह बताते हुए कि ये अंक किस हिसाब से आये)।

(क) व्यय—आथ की भौति, व्यय की मदों की व्याख्या (यह जनाते हुए कि कोई व्यय असाधारण तो नहीं है)। परिवार के इरेक आदमी और नौकरों के कपड़ों को विशेष बातें।

(ज) बचतें या कमी—अगर साल में कुछ बचत हुई हो, तो उसका कैसे उपयोग किया गया? और, अगर साल में कुछ कमी हुई हो, तो उसकी दूर्ति किस तरह की गयी?



बारहवाँ अध्याय

उपभोग का विवेचन

यह ठीक है कि सब घन उपभोग या खर्च किये जाने के लिए ही है। परन्तु उसका उचित समय में और उचित रीति से उपभोग किया जाता है, तभी वह यषेष्ट लाभ पहुँचा सकता है। उपभोग में केवल व्यक्तिगत हाउट न रखकर सामाजिक विचार भी करना चाहिए; कारण, प्रत्येक व्यक्ति समाज का अग है। उपभोग के दो भेद हैं—सदुपभोग और दुष्पभोग।

सदुपभोग—सदुपभोग दो प्रकार कहा जा सकता है:—साधारण, और आदर्श या ऊँचे दर्जे का। साधारण सदुपभोग वह है, जिसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, और समाज या देश को भी। उदाहरण के लिए यदि हम स्वदेश का बना कपड़ा मोहर लें तो उसमें हमें तो लाभ होगा ही, माथ ही उससे हमारे देश के कारीगरों को लाभ पहुँचेगा; अर्थात् ऐसे लोगों का हित होगा, जो आलसी नहीं है, वरन् अपनी जीविका देशी उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के कार्य से प्राप्त करते हैं। ऊँचे दर्जे का या आदर्श सदुपभोग वह है, जिसमें उपभोक्ता अपनी हानि करते हुए भी समाज और देश की भलाई करे। देशोन्नति चाहनेवाले का कर्तव्य है कि जिस उपभोग से वे अपनी हानि की बात स्पष्ट जानते

हैं, उसे भी, जब वह देश के लिए कस्याणकारी हो, यथा-सामव करते रहें। इमें चाहिए कि अपनी-अपनी शक्ति के अनुतार कृति और उद्योग-बधौं आदि को शिक्षा-संस्थाओं की सहायता करें, राष्ट्र-पाठ्यालाप्ति स्थापित करें, गदकारी समितियाँ संगठित करें। यहाँ साहित्य-नृदिन की भी यही आवश्यकता है। घनी मानो सज्जनों को चाहिए कि योग्य लेखकों, शपादकों और कवियों के प्रति उदारता के भाव रखें। इभी तरह अनाधित्य, स्कूल, वाचनालय, व्यायाम-थाला आदि में द्रव्य लगाना, देश-काल और पात्र का विचार करके दानधर्म करना घन कर आदर्श सदुपमोग है।

दुरुपमोग—“अब दुरुपमोग को बात लेते हैं। दुर्भाग्य से प्रत्येक देश में दुरुपमोग काफी होता है, भारतवर्ष में भी इसकी कमी नहीं। कुछ दुरुपमोग ऐसा होता है, जिसमें उपमोक्ष की नियत या उद्देश्य बुरा नहीं होता। वह अपने अज्ञान, अस्वस्था, अथवा लाचारी से अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है। इसके उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, विना अच्छी तरह तोचे समझे किया हुआ दान-धर्म, कुरीतियों में होनेवाला फूलखचर्च, कूटी मुकदमेवाजी, संपत्ति को गाहकर रखना, जेवर बनवाना आदि है। एक गरीब आदमी को कपड़े की खस्त जरूरत है, वह स्वदेशी कपड़े को, कुछ मैंदगा होने की बजाए से खरीदने में असमर्थ है, इसलिए वह सह्ति विदेशी वस्त्र मौल लेकर उसका उपमोग करता है, तो उसका यह कार्य दुरुपमोग की श्रेणी में ही समझा जायगा, यद्यपि वह इसे करने के लिए विवश है।

दूसरा दुरुपमोग यह है, जिसे उपमोक्ष अपने लाभ, सुविधा या शोकीनी के लिए करता है, किन्तु उससे समाज को हानि होती है। उदाहरण के लिए एक आदमी समर्थ होते हुए भी विदेशी वस्त्र इसलिए खरीदता है कि वह वस्त्र स्वदेशी कपड़े की अपेक्षा कुछ सह्ता है। यहुत से शोकीन आदमी विलासिता की विदेशी वस्त्रुओं का सेवन करते हैं। कितने ही आदमी सहक के थीच में कूड़ा या मैली वस्त्रहरू

कीं क देते हैं, नाजियों में टट्टा फिरते हैं, नज से पानी लेकर उसे खुला ही छोड़ दत है, नदी या तालाब में द्वान करते हुए पानी का कुख्ला करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ ही थूकते रहते हैं। ये लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी, तालाब या रेल के डिब्बे आदि का दुष्पर्योग करते हैं, जिसमे समाज को बहुत हानि पहुँचती है। कुछ आदमी अपने किसी मिथ से, या प्राइवेट पुस्तकालय से कोई पुस्तक यद कढ़कर माँग ले जाते हैं कि जरा मा काम है, जब्दो ही लौटा देंगे। यह पुस्तक उनके विश्वास पर दे दी जाती है, इसके संबंध में कोई लिखा-पढ़ी नहीं की जाती। पर पुस्तक बहुत समय तक लौटायी नहीं जाती, अंत में देनेवाले को उसकी याद नहीं रहती और यह सर्दियों के लिए उससे बंनित हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएँ सामने आयी हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक या पत्र-पत्रिका का कोई अश या चित्र फाइकर अपने पास रख लिया। इसका परिणाम यह होता है कि पुस्तक के आदि दिये जाने के नियम मविध्य में अधिक कठोर बनाये जाते हैं, और सबकी असुविधा यह जाती है।

इन दोणों को निवारण करने के लिए नागरिक गिरा के प्रचार को श्रावन्त श्रावश्यकना है। यह बात हरेक आदमी के दिल मे ऐडायो नानी चाहिए कि उसका अन्य नागरिकों तथा समाज के प्रति क्या अचंच्च तथा उत्तरदायित्व है, और उसे किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। दुष्पर्योग की कुछ बातों पर आगे विशेष विचार किया जाना है।

मादक पदार्थों का उपमोग—इमारे यहुत से आदमी तंयाकू, चाय, माँग, मौजा, शराब आदि नशीली चीजें सरीदते हैं, इससे बेवल ऐसे लोगों को लाभ होता है, जो उन हानिकारक वस्तुओं को पेंदा करते हैं। इन चीजों के उपमोग से इमारे अनेक आदमियों की कायदामता को घसा पहुँचना है। इस प्रकार देश की द्रव्योत्पादक

शक्ति का क्रमशः ह्रास होता जाता है। इस लिए मादक वस्तुओं का उपभोग रोकने की बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विशेष पहले लिखा जा सका है।

विदेशी वस्तुओं का उपभोग—भारतवासी बहुत सी विदेशी चीज़ें बरतते हैं। इन में खर्च किया गया रूपया दूसरे देशों को जाता है, इससे विदेशी व्यापारियों को ही लाभ पहुँचता है, हमारे देश की उत्पादक शक्ति में कुछ वृद्धि नहीं होती। बहुत सी विलायती चीज़ें चटकीली-भड़कीली और कमज़ोर होती हैं, जल्दी-जल्दी ढूटती-ढूटती हैं, और हमें उनके लिए बारबार वैसा खर्च करना पड़ता है। किंतु, हमारे अनेक मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ती पर विदेशी पोशाक हो, और महांत, पंडे-पुजारी आदि 'रामराम' या 'राघेश्याम' आदि की छापवाली विलायती मलमझ का उपभोग करें, यह बहुत अफसोस की बात है। विदेशी वस्तुओं का भारत में इतना प्रचार हो गया है कि ऐसा कोई विरला ही वर मिलेगा, जहाँ इन का उपभोग न हो। और तो और, खियों का सौभाग्यचिह्न चूड़ियाँ, और हिङों (बाण्यण, लत्ती, चैर्य) का यज्ञोपवीत भी अब विदेशी होने लग गया है—विदेशी सूत का बनाया हुआ यज्ञोपवीत स्वदेशी नहीं कहा जा सकता।

विदेशी वस्तुओं के व्यवहार की भाँति विदेशी टग का पहनावा भी देश के लिए बहुत अहितकर है। स्वदेशी पहनावे में योड़े से ही बख्तों की झरूरत होती है। एक बार में कुतों, एक घोती, एक सादी—टोपी या पगड़ी, और एक जूतों की बोड़ी से काम चल जाता है, परन्तु विदेशी पहनावे में पूरा 'सूट' चाहिए; कमीज, वास्कट, कोट, फेल्ट-चैर, बनियाइन, मोड़े, पतलून तथा बूट आदि सभी चीज़ें चाहिएं। यह फैशन निर्धन भारत को अविकासिक दरिद्र और कष्ट-भीहित करने में कितना सहायक हो रहा है! हमारे शरीर कैसे सुकूमार हो गये हैं; बहुतों को खदार के करड़े कौटी की तरह लुमते हैं। स्वदेश-प्रेमी बधुओं को अपनी इस दशा का शोम्र मुघार बरना चाहिए।

विदेशी वस्तुएँ सस्ती होती हैं ? भ्रम-निवारण— विदेशी वस्तुओं के उपभोक्ता कह सकते हैं कि विदेशी वस्तु सस्ती है, उनकी जगह हम मैंदगी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाव लें। इस सम्बन्ध में, श्री० गुलजारीलालजी नन्दा एम० ए० ने जो बातें विशेषतया खादी के विषय को लेकर कही हैं, वे अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी विचारणीय हैं। आपने 'नवज्योति' में लिखा था कि खादी को आश्रय देने की हच्छा रखनेवाले खरीददार पूछेंगे कि 'हम कफड़े पर इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करें ? मान लीजिए जहाँ इमारा १००) में काम चल सकता है यहाँ हम दो सौ रुपये क्यों खर्च करें ? दो सौ रुपये से तो हम (विदेशी) वस्तु के अतिरिक्त दूसरी चीजें भी खरीद सकते हैं।'

इसका उत्तर बिलकुल सीधा है। सुमगठित समाज को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह काम देकर अथवा अन्य तरह से उन तमाम लोगों के भरण-बोधण का प्रबन्ध करे, जो उसके कानूनों तथा रीत-रिवाजों का पालन करते हैं। कुछ देशों में जहाँ काफी काम नहीं होता, अन्य साधनों द्वारा प्राप्त राष्ट्र की आय उन लोगों में, बेकार-वृचियों अथवा अन्य सहायता के रूप में, बाँटी जाती है, जिनको काम नहीं दिया जा सकता। समाज में कुछ लोगों को काम और आजीविका मिल जाना और कुछ को न मिलना, बहुधा केवल संयोग की बात होती है; या, उसकी बजह यह भी हो सकती है कि उस समाज के मियम और संत्याओं का संचालन दोष-पूर्ण हो। बेकारों की सहायता के लिए प्रायः राज्य की आय में से ही पैसा जाता है, जो सर्वसाधारण जनता की व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष करों के रूप में एकत्र किया जाता है। परोक्ष करों से उन चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिन पर वे कर लगाये जाते हैं। जहाँ तक वस्तुओं और सेवा-साधनों से होनेवाली आय का सम्बन्ध है, खरीददार की हिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। पर इसमें, और खादी के द्वारा हम जो अधिक कीमत देते हैं उठमें, बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है।

कर एकत्र करने, और उनको वेकारों की सहायता के लिए खर्च करने की व्यवस्था करने में आय का एक बहुत बड़ा दिसपा अनुत्तरादक कामों में, और बड़ी-बड़ी तनखाहों में वर्दी हो जाता है। इसके विपरीत, स्वेच्छापूर्वक खादी को अंगीकार करके आदक जो स्थाग करते हैं, उससे गरीबी और जरूरतमंदी को सीधी और तुरन्त मदद मिल जाती है, और इस तरह राज्य के द्वारा दी गयी सहायता की अपेक्षा हमारे उद्देश्य की पूर्ति अधिक अच्छी तरह होती है। जो लोग नाधारण मणित जानते हैं, वे तत्काल यह समझ जायेंगे कि इस तरीके से जिसका कि खादी एक उदाहरण है, गरीबों को खात इद तक और उचित परिमाण में सहायता पहुँचाने में, उद्योग-प्रधान देशों के परोक्ष तरीकों की अपेक्षा, कौ-आदमी कम ही खर्च पड़ता है। उस हद तक राष्ट्र हित की हाईट से खादी अपनाने योग्य है।

दूसरा, और इससे भी अधिक महत्व पूर्ण मेद इन दोनों तरीकों में यह है कि विदेशों में वेकारों की सहायता करने के जो ढङ्ग प्रचलित है, उनमें वेकारों को कोई उपयोगी काम देने की योजना नहीं है। खादी उपयोगी काम और आजीविका दोनों देती है। इसका नतीजा यह होता है कि पहले तरीके से वेकार हमेशा के लिए निकम्मे बन जाते हैं, उनकी साख घट जाती है, कौशल नष्ट हो जाता है, और काम करने की इतनी ज्ञानता वेकार जाती है। इसके विपरीत, खादी द्वारा कौशल तथा योग्यता दोनों की रक्षा तथा विकास होता है। यदि किसी राष्ट्र की सम्पत्ति का ठीक-ठीक दिसाव लगाया जाय सो उसमें लोगों की काम करने की योग्यता को सदसे अधिक महत्व दिया जायगा। खादी के आर्थिक महत्व को इम वास्तविक रूप से तभी समझ सकेंगे जब इस यह ख्याल करेंगे कि राष्ट्र की सम्पत्ति पर खादी का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है।

यिना सोचे-विचारे दान-धर्म—इम 'हटे-कटे' भित्तारियों
‘या बनावटी साधुओं को जो दान-पुण्य करते हैं, उससे ऐसे मनुष्यों को

लाभ पहुँचता है, जो देशी व्यापार तथा उद्योग धन्यों की कुछ सहायता नहीं करते, और जिनका जरीवन। देश के लिए किसी प्रकार लाभकारी नहीं कहा जा सकता। यदि हम उन्हें मुफ्त में भोजन-ब्यस्त या पैसा न दें, तो वे अपनी गुजर करने के लिए कुछ उत्पादक कार्य अवश्य करें। हमें अपने दान आदि से उन्हें आलसी और निरव्यामी न बनाना चाहिए। अनाथ या अपाहिजों को सहायता पहुँचाना मनुष्य-मात्र का कर्तव्य है। जो साधु-सन्यासी धूम-किरकर देश में धर्म अर्थात् नीति की बातों का प्रचार करे, वे भी यहस्यों की उदारता के अधिकारी हैं। परन्तु आलसी, निखट आदमी केवल गेहूं कपड़े पहन लेने से, दान धर्म तथा प्रतिष्ठा के अधिकारी कहावि नहीं समझे जाने चाहिएँ।

देवालयों और मंदिरों में भी धर्म का खर्च न होना चाहिए। अनेक स्थानों में प्रतिमा या मूर्ति के शुल्क और आमूल्यों में महसूसी रूपया लगा दिया गया है। बहुत से नगर—विशेषतया काशी, मथुरा, वृन्दावन, हरिद्वार आदि तीर्थ-स्थान—ऐसे हैं, जहाँ एक-एक दो-न्दो मंदिरों से काम चल सकता था; पर धनी लोगों ने अपने धर्म-प्रेम को दिखाने के लिए अलग-अलग मंदिर बनवा डाले। अब तो नये मंदिरों का बनना बन्द हो जाना चाहिए। फिर, यह कदापि उचित नहीं है कि शिवालयों या देव-मंदिरों के साथ कुपड़ या दुराचारी लोगों को आवश्य दिया जाय, और देश की गढ़ी कमाई का जो पैसा आरती यु-पुजारे (चढ़ावे) में आये, उसमें मुकुलोंकी संख्या चढ़ायी जाय। आवश्यकता है कि इस सम्पत्ति का अनाथालय, अस्पताल, विद्यालय आदि की उन्नति और वृद्धि के लिए उपयोग किया जाय। भिज-भिज स्थानों के मटो ('अलाहों') की बेकार पड़ी हुई और निरन्तर बढ़ती हुई सम्पत्ति के विषय में भी यही कहना है।

रीति-रस्म आदि में अपव्यय—यहाँ अधिकार्य बनता साधारणतः बहुत सादगी-प्रसन्न और निर्घन है, तो भी कुछ बातों में वह फजूलतर्च भी करती है; उदाहरण के लिए शादी और गमरे का

खर्च, तथा आमूल्य आदि। इमारे बन्धु बहुत सा धन के बल इतिहास खर्च कर डालते हैं कि उसका दिवाज है। वे खर्च की उपयोगिनी अपवा अपनी हितति का विचार नहीं चरते। आजकल समाज-सुधार का अद्वितीय प्रायः प्रत्येक जाति में हो रहा है, परन्तु पुराने विचारों के आदमी सुधारकों की बातें यथा एक चलने नहीं देते। धरो में बहुत-सा अपव्यय हमारी असाक्षात् से भी होता है। किसी समय इस मेहमान घर आनेवाले हुए सो उनके लिए भोजन तैयार करते समय परिमाण का ठीक ध्यान न रखा, इतना भोजन बना डाला जो पन्द्रह-बीष के लिए काफ़ी हो। कहीं-कहीं भोजन इतना परोंपरा जाता है कि बहुत जूठन पड़ती है; इस प्रकार खाने का समान खराब होता है। कुछ आदमी, खासकर नीकर, चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज़ तीन-चार साल चलनेवाली हो, वह एकदो साल में ही रही हो जाती है। यह सब अपव्यय बन्द किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।^१

मुकदमेवाजी—भारतवर्ष में किसानों और जर्मादारों को प्रायः जमीन के, और व्यापारी तथा व्यवसायों को उपयोगदबावी, मुकदमे बहुत खराब करते हैं। दत्तक या गोद के समझों में भी बहुत मुकदमेवाजी होती है। गोद लेने में आदमियों का हेतु यह रहता है कि मरने के बाद भी उनके खानदान का नाम चले। वे भूल जाते हैं कि राम, कृष्ण, खुद, दयानन्द आदि महापुरुषों के नाम, चिरकाल के परचात् भी हमारी ज़मान पर चढ़े हुए हैं; यह उनके पुत्र यीज़ों के कारण नहीं, वरन् स्वयं उनके शुभ कार्यों एवं दया, धर्म, त्याग, वीरता और अन्य ऐसे ही उद्युगों के कारण है। जिन आदमियों को जिन सन्तान मरने की आशंका हो, वे अपने परिवार के गुजारों की व्यवस्था करके, अपनी शेष सम्पत्ति ऐसे रास्तीय कार्यों में लगाने

* यह को गाढ़कर रखना भी एक प्रकार धन का अपव्यय अपरा दुर्घटना है।

की वसीयत कर दें, जिनमें देश में शिक्षा तथा उद्योग-र्घंघों की उन्नति और वृद्धि हो, अनाथों की रक्षा हो, रोगियों का इलाज हो, इत्यादि। इस प्रकार ही उनकी कोर्त्ति अधिक स्थाई होगी, और मातृभूमि का भी कल्याण होगा।

केवल वृद्धिशासन में दीवानी मुकदमे प्रति वर्ष श्रीसतन २० लाख होते हैं। सन् १९३६ में यह सख्त्या १६ लाख थी, इनकी मालिन्यत ४० कोड रुपये थी। मुकदमेवाजी में कितना रुपया नष्ट होता है? 'व्यय' नाम की पुस्तक में बनारस के एक लालची चतुर्वरे का उदाहरण दिया गया है। उस चतुर्वरे के नामकरण का कारण यह है कि उसके लिए दो आदमियों ने मुकदमेवाजी करके अदालती काम में एक-एक लाख रुपए के लगभग खर्च कर डाला। यह चबूतरा मिर्झा ५-६ गज लम्बा और एक गज चौड़ा है, और किसी अच्छे मौके पर भी नहीं है। मुकदमेवाजी में नष्ट होनेवाले अपार धन को साझीय पंचायतों द्वारा बचाया जाना चाहिए।

दुरुपमोग और आदतें—ऊपर दुरुपमोग के थोड़े से कियों पर विचार किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वर्य कर लें। बहुत से दुरुपमोग का कारण, मनुष्यों की आदतें होती हैं। जब दूसरे की देखा-देखी, या गज़तो से एक चार आदमी दुरुपमोग करने लग जाता है, तो कुछ समय बाद उसकी आदत ही पड़ जाती है; पर, उद्योग्यों समय बोतता है, वह आदत पक्की हो जाती है, और उसका छूटना कठिन हो जाता है। हरेक आदमी को चाहिए कि बुरी आदतों का गिराव दोने से बचे, आरम्भ से ही अच्छी संगति में रहे, और सात्त्विक साहित्य का अवलोकन करें।

श्रूत्य लेने या चीज़ें उधार लेने की आदत दुरुपमोग में बहुत महायक होती है। किन्तु ही आदमी, खर्च करते समय अपनी हितनि या हेतु विषय का विचार नहीं करते; ज़रा सा कारण उपरिथित होने पर वे अपनी शक्ति से बाहर खर्च कर हाज़ते हैं इसके लिए उन्हें श्रृंग

लेना होता है। और, शृणु जहाँ एक वार लिया, फिर उसे लेने की प्रवृत्ति बदली जाती है। वार-वात में शृणु लिया जाता है, उसकी रकम तथा व्याज बदला रहता है। हमारे किसानों और मजदूरों को अपनी आमदनी में से खासी रकम व्याज-ही व्याज में चुका देनी होती है।

बहुत से बाबू लोग अच्छी आमदनीवाले होने पर भी शृणु रहते हैं। वे भिज-भिज प्रकार की वस्तुओं के बेचनेवालों से उधार का दिलाय रखते हैं; जब जिस चीज़ की जरूरत मालूम हुई, लेते रहते हैं। महीना समाप्त होने पर जब उन्हें तनखाएँ मिलती हैं, तो उसका बहुत सा हिस्सा विविध दिलों के चुकाने में भट्टट ठिकाने लग जाता है, और, बाबू साहब पन्दर-धीर सारी तमाज़ में ही आगले महीने की तनखाह की राह देखने लगते हैं। बट्ट-काल के लिए कुछ जमा रहने का फिर जिक ही क्या! इरेक गृहरथ को ऐसी आदत ढालनी चाहिए कि यथा-सम्बद्ध कोई बस्तु उधार न ली जाय। इससे उसको अपनी आवश्यकता पर अच्छी तरह विचार करने का अवசर मिलेगा; सम्बद्ध है, उसे कुछ आवश्यकताओं को नियन्त्रित करने में सफलता मिल जाय। ऐसा करने से यहुत सा अवश्यक एवं दुष्प्रभाव बच सकता है।

आवश्यकताओं का नियंत्रण—मौतिक-सम्यता-वादियों का विचार है कि हमारी विविध आवश्यकताओं की तुदि होती रहनी चाहिए, और उनकी पूर्ति का प्रयत्न करने में ही आनन्द और खुश है। परन्तु ऐसा करने से मनुष्य कभी सत्रुष्ट या मुड़ी नहीं रह सकता। हर दम उसे अपनी नित्य बदलनेवाली नयी-नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक धन की जरूरत रहती है, उसको असंतुष्टता बढ़ती जाती है, और वह दिन-रात धन की चिन्ता में रहा करता है। आज-दिन अनेक आदमी लघ्वरति होने हुए भी दुःख में दूँबे रहते हैं। इसका उपाय यह है कि आर्थिक आवश्यकताओं का नियन्त्रण किया जाय। पहले बताया जा चुका है कि उपमोग सिंक जीवन-रस्ते और निष्पुणतादायक पद्धतों का, तथा कुछ अंश में आराम की चीजों का किया जाना चाहिए; कृत्रिम

आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली चीजों का उपभोग वथा-सम्बन्ध कम करना चाहिए, और विलासिना का वस्तुओं के उपभोग को तो बन्द ही करना उचित है।

उपभोग का आदर्श—इस प्रकार कृत्रिम वा विज्ञानिता की आवश्यकताओं का नियन्त्रण करने में पनुष्ठी के पास अपनी आवश्यकता से कुछ बचत ही सकता है, और, उस बचत का उपभोग मेवा, परोत्तार, और राष्ट्र-दित आदि में किया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले किया गया है। निःसंदेह आदमी को अपनी आवश्यकताओं के नियन्त्रण में पहले-पहल कुछ कष्ट मालूम होना है, परन्तु जब वह इस प्रकार बचाये हुए धन से मेवा परोत्तार सम्बन्धी अपनी जीव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उने अनोन्या आनन्दमितता है। भोग-विलास का सुन्न तो निःश्व कोटि का तथा द्विंशिक है।

इस सम्बन्ध में भारतीय आदर्श का ध्यान रखना अत्युपयोगी है। हमारे शास्त्रकारों ने कल्पना-डगत् में रहते हुए यह आदेश नहीं कर द्याया कि सभी आवश्यकताओं को रोको, सामाजिक बन्द कर दो, और शरीर को सुखा दाज़ो। न उन्होंने व्यक्तिगत सुखबाद वा स्वार्थ-बाद की ही पुष्टि की है, जिसका मूल मंत्र यह है कि साक्षों, पाक्षों और मौज़ उड़ाओ, अपने सुख से प्रयोगन है, दूसरों की चिन्ना न को जाय। समाज-दित का प्यान रखना हुआ, दरेक घर्म कहता है कि तुम श्रवनी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करो, साने-नीने की मनाही नहीं है, पर इसमें मर्दादा का प्यान रखो, विलासी न बनो, दूसरों के दित की आवहेलना न करो, किसी दूसरे के हिस्से की वस्तु का उपभोग न कर दालो; समाज में सबको सुखी बनाने का प्रयत्न करते हुए तुम भी सुखी रहो। यही संदेश में उपभोग का आदर्श है। आया है, पाठक इस पर भली-भौति विचार करने तथा इसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे।

चौथा माग मुद्रा और वैंक

तेरहवाँ अध्याय मुद्रा; रुपया-पेसा

घन की उत्तिश्च और उपभोग का बर्णन किया जा चुका है। अब घन के विनिमय का बर्णन करना है। पहले मुद्रा और वैंकों के सर्वधर्म में कुछ शान प्राप्त कर लेना आवश्यक है; क्योंकि आधुनिक सासार में पदार्थों का क्रय-विक्रय (खरीदना बेचना) तथा व्यापार आदि सब कार्य इन्हीं के द्वारा होते हैं।

विनिमय का माध्यम—पहले बताया जा चुका है कि पदार्थों का अदल-बदल किये बिना आदमियों का काम नहीं चल सकता। प्राचीन काल में दो पदार्थों के अदल-बदल के लिए कोई तीसरी वस्तु माध्यम नहीं होती थी। इससे बड़ी कठिनाई होती थी। जो वस्तु दूसरे पास हमारी जरूरत से अधिक होती थी, उसके लेनेवाले, सब समय और सब जगह नहीं मिलते थे। फिर, जिन मनुष्यों को हमारी चीज की जरूरत होती थी, वे नभी हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं दे सकते थे। अतएव हमें ऐसा आदमी हूँ दूना पड़ता था, जिसमें एक-साथ दो याते हो—वह हमारी बनायी हुई वस्तु के सके, और हमारी जरूरत की चीज, बदले में, दे भी सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग वस्तुरूप विनिमय का माध्यम बनायी गयी। मारतवर्ष के देशों में, अब भी, अन्धे के बदले

शाक-माजी, लकड़ी, उपले आदि वस्तुएँ मिलती हैं। एक आदमी अपनो चीज़ बेचकर बदले में अब लेता है, और किर उस अब के बदले में, अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएँ लेता है। इस प्रकार अब, विनिमय के माध्यम वह काम देता है। इसमें संदेह नहीं कि अब की आवश्यकता सबको होती है; परन्तु माध्यम के लिए। इसी वस्तु का उपयोग होना ही काफी गुण नहीं है।

अब से विनिमय के माध्यम का कार्य होडे चेत्रों में ही लेना आसान होता है। जब विनिमय करनेवाले व्यक्ति (या सम्पादक) भिन्न-भिन्न गाँवों के होंगे तो अवश्य ही अधिक कठिनाई उपस्थित होगी। विनिमय करनेवालों के स्थानों में जितना अधिक फासला होगा उतनों ही कठिनाई बढ़ती जायगी। यदि कश्मीर का आदमी अपनी वस्तु का विनिमय हैदराबादवाले से करना चाहे तो अब के माध्यम से काम कैसे चलेगा। फिर, यदि हम अपने देश के बाहर के आदमियों से पदार्थों का विनिमय करना चाहे तो अब के माध्यम द्वारा यह असम्भव ही समझना चाहिए। इस प्रकार अब आदि से माध्यम का काम हम तभी ले सकते हैं, जब न केवल हमारा देश स्वावलम्बी हो, बरन् हम अपनी जरूरत यथा-सम्भव अपने गाँव या नगर के पदार्थों से ही पूरी करें।

अब से, छोटी-बड़ी मात्रा के विनिमय का कार्य अवश्य चल सकता है, परन्तु बड़ी मात्रा के विनिमय में इससे बड़ी-असुविधा होती है। मान लीजिए, यदि सौ मन यह बेचना है, और उसके बदले में पाँच सौ मन गेहूँ मिलता है, तो इतने मारी बजन के पदार्थों को, लाने-ले जाने में किननी कठिनाई पड़ेगी। फिर अब ऐसा पदार्थ है, जो बहुत समय तक अच्छी दशा में नहीं रहता; उसके स्वरूप होने अवश्य चूहे या कीड़ों के द्वारा साये जाने की आशंका रहती है। यदो-ज्यों मनुष्यों में सम्भवा बढ़ती गयी, यह विचार पैदा होता गया कि विनिमय का कोई इससे अच्छा माध्यम निरिचत किया जाय।

माध्यम के ज़रूरी गुण — माध्यम का कार्य वही चीज़ भली माँति कर सकती है, जिनमें ये गुण हो—(१) उपयोगिता, (२) चलन अर्थात् लेजाने का सुभीता, (३) अच्छपशीलता, अर्थात् जलदी खराब या नाश न होना, (४) विभाजकता या टुकड़े हो सकना; (पशु आदि के माम नहीं हो सकते) (५) मूल्य में स्थायित्व होना, अर्थात् शोध परिवर्तन न होना। (६) पहचान (इसमें उस चीज़ की, जिह या अद्वार घारथ करने की, शक्ति भी सम्मिलित है)।

सिक्का—यथेष्ट अनुभव और प्रयोगों के पश्चात् लोगों को धातुओं से माध्यम का काम लेने की सुझी। यदि किसी को रई के बदले में अब लेना हो, तो वह पहले रई के बदले में धातु लेले, और फिर उस धातु के बदले में अब। इस रीति में विनिमय दो बार करना पड़ता है; तो भी, यह रीति सरल है। अतः माध्यम के लिए धोरे-धारे धातुओं का, और उनमें भी खातकर सोने-चांदी का, चलन बढ़ गया। कमशः धातुओं के सिक्के बनने लगे। सिक्के या मुद्रा में कई गुण होते हैं; यह विनिमय का माध्यम है, भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य का मापक है। इसके अतिरिक्त इसका शप्रद्य अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सुविधाजनक है। याद रहे कि मुद्रा अन्य वस्तुओं की तरह एक वस्तु है, और उसके अधिक या कम होने पर उसका मूल्य भी घट-बढ़ सकता है।

सब से अस्त्वा सिक्का यह है, (१) जिसकी नकल न की जा सके, — (२) जिससे यदि कुछ धातु, निकाल ली जाय, ती फौरन पता लग जाय, और (३) जिससे धातु, रगड़ के कारण घिस जाने पर, कम न हो जाय, और (४) जो अपने समय की कला का एक खास नमूना हो।

[म० गांधी का कथन है कि धातु के ठिक्के या कागज के नोट मूल्य का सब्बा माप नहीं हैं, क्योंकि उनकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी वहे पैमाने पर व्यापार करने के लिए यह माप आवश्यक है। प्रामोद्योग के पीछे उलटी छलपना है। इस वहे पैमाने पर व्यापार नहीं चाहते;

हम देहात की स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन चाहते हैं। देहातों में पारस्परिक व्यवहार के लिए कोई ऐसी देहाती चीज होनो चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आहानी से सगड़ हो सकता है, और जिसका दाम हर रोज बढ़ता नहा है। ऐसी वस्तु सूत है। अगर सूत-मात्र हम देहातों में दाखिल कर सकें तो देहातों की बहुत उन्नति कर सकेंगे और शीघ्रता से स्वावलम्बी बन सकेंगे।]

माध्यम का चलन या करेंसी—मिश्र भिन्न देशों में, समय-समय पर, तरह-तरह के मिक्के रह चुके हैं। मिक्कों के चलन के सम्बन्ध में मनुष्य-समाज को विविध प्रकार का अनुभव धीरे-धीरे और इस प्रकार हुआ—

(क) जब विनियम का माध्यम धातु गानी जाने लगी, और यह नश्चिन हुआ कि इतनी अमुक वस्तु के लिए अमुक धातु इतनी मात्रा में दी जाय, तो मनुष्य भिन्न भिन्न वस्तुओं के बदले में यथेष्ट धातु तोमकर देने लगे, और इस प्रकार चलन ('करेंसी') का प्रारम्भिक रूप स्थिर हुआ। यह है माध्यम का चलन, तीन दूरा।

(ख) धीरे-धीरे धातु के तुले-तुलाये टुकड़े गिनकर चलाये जाने लगे। यह है माध्यम का चलन, गिनती द्वारा।

(ग) धातु की शुद्धता तथा तीज में शक्ति न हो, इसलिए इन टुकड़ों पर किसी प्रसिद्ध संस्था या सरकार का निशान बनाया जाने लगा, और मुद्रा या मिक्का प्रारम्भ हुआ। यह है माध्यम का चलन, मिक्के द्वारा।

(घ) बहुमूल्य और अल्प-मूल्य पदार्थों के लिए जुदा जुदा धातुओं के कई सिक्कों का चलन आवश्यक हो गया, और उनकी पारस्परिक परिवर्तन की दर निश्चित कर दी गयी। यह है माध्यम का चलन, दो वा अधिक धातुओं के सिक्के द्वारा।

(च) पीछे एक या अधिक मिक्के अपरिमित संख्या तक, और

शेष सिक्के परिमित संख्या तक, कानून-ग्राह्य नियत किये गये। यह ही माध्यम का सम्मिलित चलन सिक्कों द्वारा। भारत में पैंड और दपये तो अपरिमित कानून-ग्राह्य है, परन्तु अन्य सिक्के परिमित। इस प्रकार अगर हमें किसी के सौ दपये देने हैं, तो हम यह रकम पैंड या दपये में ही छुका सकते हैं; हम किसी को इतनी रकम की इकाई या पैसे आदि लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

प्रामाणिक और साकेतिक सिक्का—सिक्के, उनमें लगी हुई धातु के मूल्य के विचार से दो प्रकार के होते हैं, प्रामाणिक और साकेतिक। 'प्रामाणिक' ('रॉटेंडं') सिक्का उस सिक्के को कहते हैं, जिसकी बाजार कीमत उस सिक्के में लगी हुई धातु की कीमत के लगभग हो। जिस देश में इस सिक्के का चलन होता है उसके आदमी अपनी आवश्यकता के समय धातु तथा ढलाई-खच्च आदि की साधारण कीमत या शुल्क देकर नये सिक्के दलवा सकते हैं, अपवा मोल ले सकते हैं। भारतवर्ष में सन् १८८३ ई० तक ऐसी ही व्यवस्था थी। ऐसे सिक्कों को गलाने में विशेष हानि नहीं होती।

'साकेतिक' सिक्का उस सिक्के को कहते हैं जिसकी बाजार कीमत सिक्के में लगी हुई कीमत से बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए मारतवर्ष में दपया साकेतिक मुद्रा है; इसमें जिननी चाँदी होती है, उसकी कीमत बाजार में पहले प्रायः सात आने से नी आने तक रही है, और इस समय तो चार-पाँच आने ही है, यद्यपि चाँदी का माव पहले से तेज़ है। सरकार ने दपये की कीमत सोनह आने ठहरा रखी है। इन सिक्कों के प्रचलित मूल्य का आधार सरकारी कानून तथा सरकार की साख है। विदेशी में ऐसे सिक्कों का मूल्य बहुत कम—उनमें लगी हुई धातु की कीमत के लगभग—होता है। जब सरकार की साख जाती रहती है, अपवा सरकार बदल जाती है, तो स्वदेश में भी इन सिक्कों की कीमत बहुत गिर जाती है।

साकेतिक बरयों के चलन से, जनसामारण की प्रवृत्ति, चाँदी के उस्ते होने की हालत में, नकली रूपये बनाने की और होती है; और चाँदी के मैंहगे होने की हालत में, रूपये गलाने की और होती है। इस प्रकार साकेतिक मुद्रा प्रणाली से दोनों हालतों में, असुविधा होती है। इस असुविधा को दूर करने का यही उपाय है कि लोगों के, अपनी अपनी घातु के, सिक्के ढलवाने के लिए टकसाल खुली रहे।

भारतवर्ष में मुख्य सिक्का रूपया है, वह अपरिमित कानून-ग्राह्य है। पैमा, अधना, इकड़ों, दुअंशी और छठनी ग्राह्यक सिक्के हैं। ये सिक्के भनमानी सख्ता में नहीं चल सकते; क्योंकि ये एक परिमित सख्ता से अधिक कानून ग्राह्य नहीं है। इन सिक्कों को भारी चूरण में लेने के लिए कोई वाध्य नहीं किया जा सकता। इन्हें कोई जोड़कर भी नहीं रखता।

सिक्के ढालने का अधिकार (१) जन साधारण को, (२) सरकार को, अथवा (३) सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी वैक आदि सदृश्य को ही सकता है।

सिक्कों वे चलन के खर्चे में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है—
(क) जो दौजो सिक्कों में लग जाती है; उस पर व्याज; (ख) सिक्कों के घिसने का नुकसान; और (ग) टकसाल का खर्च। साकेतिक मुद्रा को चलाने में बहुत लाभ होता है। कभी-कभी इस लाभ का लालच पहाँतक बढ़ जाता है कि उन भिक्कों की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ा दी जाती है। इससे देश को बहुत हानि पहुँचती है। इस प्रश्न पर आगे बचार किया जायगा।

भारतवर्ष में प्रामाणिक सिक्के—भिक्कों के सम्बन्ध में साधारण रिद्धीत की यात चलाकर हम अब भारतवर्ष के सिक्कों का व्याप्ति करते हैं। पहले उनका सक्षिप्त इतिहास जानलेना आवश्यक है। मुसलमानों के आने से पहले तथा कुछ समय पीछे तक भारतवर्ष में मुख्य रूप से मोदर आदि रोने के भिक्कों का प्रचार रहा। चाँदी,

ताँवे और लोहे के सिक्के भी बनते थे; परन्तु उनका प्रचार कम था। बहुत कम कीमत की चीजों के लेन-देन में कौड़ियों का व्यवहार होता था। दिल्ली वे सुलतान अल्लमश ने, सन् १२३३ ई० में, १६५४ ग्रेन तौल का टंक-नामक चौंदी का सिक्का जारी किया। सन् १५४२ ई० में बादशाह शेरशाह ने 'टक' के बदले लगभग १८० ग्रेन तौल का 'रुपये' नाम का सिक्का प्रचलित किया। उत्तरी भारत में चौंदी का सिक्का कमशः प्रामाणिक सिक्का हो गया।

सन् १७६६ ई० में ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने दो घातुओं के सिक्कों का चलन स्थापित करने की—अर्थात् सोने और चौंदी के सिक्कों के मूल्य में कानूनी अनुपात स्थिर करने की—कोशिश की। उसकी सोने की मोहरे की कीमत पहले १६ 'सिक्के रुपये' लगायी गई; सन् १७५८ में नयी मोहरे १६ सिक्के रुपये की ठहरायी गयी। आठारहवीं सदी के अन्त में यहाँ अनेक प्रकार के सिक्के काम में आते थे। इससे व्यापार आदि में बड़ी असुविधा होती थी। इसे हटाने के लिए कम्पनी ने अपने अधिकार-क्षेत्र में उस 'सिक्के रुपये' को प्रामाणिक सिक्का स्वीकार किया, जिसे वह कलकत्ते में ढालती थी। सन् १८३५ में चौंदी के रुपये को भारत भर का एकमात्र कानून-आद्य सिक्का कर दिया गया। सन् १८५३ ई० में लार्ड डलहौजी ने यह आशा निकाली कि सरकारी खजाने से मोहरे न भुनने पावें। इससे, भारतवर्ष से तोने के निक्के का प्रचार उठ गया।

भारतवर्ष में सांकेतिक मुद्रा—मुद्रा के प्रश्न पर विचार करने के लिए, यहाँ सन् १८८२ में, लार्ड हरसेन की अध्यक्षता में, एक कमेटी नियुक्त की गई। इसकी सिफारिश से सन् १८८३ ई० में, करेसी-कानून पास हुआ। इससे (१) जन साधारण को यह अधिकार न रहा कि वह अपनी चौंदी टकसाल में ले जाकर उसके रुपये दला सके; मिन्ह सरकार को ही रुपये ढालने का अधिकार रहा। (२) सावरेन का मूल्य १५) रखा गया।

टकसाल बन्द कर देने तथा उपर्युक्त व्यवस्था करने से सांचेतिक मुद्रा-प्रणाली प्रचलित की गयी। सरकार को दपये के विदेश-सम्बन्धी विनियम में तो मुमीता हो गया, परन्तु देश को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। लेज़नी को एक चोट में देश भर की समस्त चाँदी की कीमत में लगभग ३५ पौ-सही की कमी हो गई। टकसाल में नहले सी तोले चाँदी देन से लगभग १०६ रुपये बन सकते थे, किन्तु अब उसकी कीमत केवल ७० रु. के लगभग रह गयी। सन् १८७३ ई० के दुष्काल में करोड़ी रुपये के आभूषण टकसाल में दपये ढालने के लिए भेजे गये थे। परन्तु अब इन नयी व्यवस्था के कारण गहनों के बदले बराबर को तील के रुपये नहीं मिल सकते थे, और कम रुपये मिलने से बाजार में माल भी कम मिलता था। अतएव इस व्यवस्था ने सन् १८७७-८८ ई० के मध्यस्तर अकाल में मरते हुओं को और मारा, और देश के शिल्प, व्यवस्थाय और वाणिज्य को भी भारी झटका पहुँचाया।

३० मारतवर्ष के वर्तमान सिक्के—किसी किसी देशी राज्य को अपने अलग सिक्के ढालने का अधिकार है; उन सिक्कों का व्यवहार उस राज्य में ही परिमित रहता है, जो उन्हें जारी करता है। सब देशी राज्यों को अपने यहाँ अंगरेजी रुपये को बड़ी दृश्यान देना होता है, जो इसे ब्रिटिश भारत में प्राप्त है। ब्रिटिश भारत में रुपया चाँदी का है, इसका वजन १८० ग्रॅम है। यहाँ चाँदी के अन्य सिक्कों अर्थात् अटन्नो, चबन्नी और दुअरन्नी का वज्ञन उत्तरोत्तर आधा है— कमशः ६०, ४५ और साड़े चार्ट्स ग्रॅम। सन् १८३८ तक दोनों हूए रुपयों तथा उन्येंके अन्य सिक्कों ने, वजन के हिसाब से १२ में से ११ हिस्से चाँदी होती थीं, और १ हिस्सा मिलावट। ताके के सिक्कों बड़ाल अदाते में सन् १८३५ के कानून से, और बम्बई तथा मदरासा अदातों में १८४४ के कानून से जारी किये गये थे। ये सिक्के अधन्ना, पैसा, घोला (आधा पैसा), पाई (एक-तिहाई पैसा) हैं। सन् १८०६ के कानून से निकल

की इकन्नी जारी करने की व्यवस्था हुई।

उपर यताया जा चुका है कि भारतवर्ष में जो रूपया प्रचलित है, उठमें लगी हुई धातु का मूल्य शब्दों के सुरक्षित मूल्य से बहुत कम है। सरकार को उसे ढालने में बहुत जाम रहता है। इस लाभ की रकम पहले एक कोप में जमा रहती थी उसे मुद्रा ढलाई लाभ-कोप (गोलड एट-डर्ट रिजर्व) कहते हैं। अब लाभ की रकम सरकारी आमदनी में जमा कर ली जाती है।

युद्ध का प्रभाव—इन्हें योगीय महायुद्ध (मन् १६१४-१५) के समय, दृपये से कम कीमत बाले चाँदी के मिक्को को घटिया धातु में रखने और इस प्रकार नाँदी को बनाने का निश्चय किया गया। इसके कल-स्वरूप निकल की दुश्मनी मन् १६१७-१८ में, और निकल की चबनी तथा अठन्नी १६१९ में जारी की गयी। इसमें से निकल की अठन्नी का नक्ल पीछे बन्द कर दिया गया।

दूसरे महायुद्ध के समय, मिक्को में लगी हुई चाँदी आदि की और अधिक बचत करने का विचार हुआ। मन् १६३६ के बाद दुश्मनी तो चाँदी की ढाली ही नहीं गयी। मन् १६४० से चबनी, अठन्नी और दृपये में आधीं चाँदी और आधीं मिलावट रखने का नियम किया गया। इस प्रकार, जहाँ पहले इनके १२ हिस्से बजन में चाँदी ११ हिस्से रहती थी, अब वह बेबजन ६ हिस्से ही रखी जाने लगी। कुछ समय बाद अधिक नाँदी बाले पहले के मिक्क बानून-प्राप्त न रहे। मन् १६४२-४३ से निकल की इक्की और दुश्मनी में मिलावट बढ़ायी गयी; और, नयी अवन्नी जारी की गयी। जिसमें निकल के साथ कासी मिलावट है। मन् १६४३ में नये दाग का पैमा बलाया गया, जो पहले के रैमें से आकार में छोटा, और बजन में ७१ ग्रैन की जगह ३५ ग्रैन है, और जिसके बीच में गोल मुराख है। इन परिवर्तनों के साथ बेले और पाईं का ढालना बन्द कर दिया गया।

भारतवर्ष के लिए सोने का सिक्का—सन् १९६८ ई० में भारतवर्ष की मुद्रा-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सर हेतरी फ़ाउलेर की अधिकृता में एक बैंडी बैठी। उसके प्रस्ताव के अनुसार सन् १९६८ ई० में सावरेन भारत का प्रचलित मिक्स बना दिया गया। उसी वर्ष भारत के अर्थ-मंत्री ने यह घोषित किया था कि कुछ ही सप्ताहों में, अम्बई में सोने को टकसाल खोल दो जायगी; परन्तु विलायत के कोणार्धिकारियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव सन् १९६० ई० में विलकूल रद्द कर दिया गया।

सन् १९६० में सर जेम्स मेस्टन ने माफ़-माझ शब्दों में स्वीकार किया कि वर्तमान मुद्रा-प्रणाली के दोष सोने की मुद्रा चलाने पर ही दूर हो सकते हैं। सन् १९६२ ई० में सर विट्टुलदास अंकरसोने ने भारतीय व्यवस्थापक समा में प्रस्ताव किया कि इना टकसाली खर्च लिये जन-साधारण के सोने के सिक्के दाले जायें। सर्वे भारतीय मदश्यों ने इसका समर्थन किया। यद्यपि यह पास न हुआ, तो भी भारत-प्रकार ने भारत मंत्री से, भारत में सावरेन दालने की एक टकसाल खोलने का अनुरोध किया। किन्तु भारत मंत्री ने दस रुपये का सोने का नया मिक्स कलाने का प्रस्ताव किया, इसे भारत-प्रकार ने स्वीकार कर लिया। १९६३ ई० में भारत-प्रकार ने, माटेम्यू कम्पनी द्वारा, गुप्त रूप से चार्दी वरीदने पर पार्लिमेंट में एक जोशीली बहस हुई। परिणाम-स्वरूप चैवरलेन-कमीशन की नियुक्ति हुई। इसने फाउलेर-बैंडी के कुछ प्रस्तावों को रद्द कर दिया, और वर्तमान व्यवस्था को हिंदू रत्ने का अनुरोध किया। युद्ध-काल में मुद्रा-मध्यमी आव-श्यकताओं में विवरण होकर सरकार ने स्वयं उपर्युक्त सब आपत्तियों की अवधेलना की, और अपस्त सन् १९६८ ई० में, अम्बई में सोने की टकसाल खोल दी, जो लन्दन की टकसाल की शाखा समझी गयी। पर अप्रैल सन् १९६८ ई० में यह बैंद कर दो गयो।

भारतवर्ष में इस टकसाल के फिर खोलने तथा जारी रखने की अत्यन्त आवश्यकता है। लोगों को अपने सोने के सिक्के ढलवाने का अधिकार होना चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि भारतवर्ष को अन्य देशों के व्यापार की ओर चुकाने, तथा 'होम चार्ड' की रकम इगलेंड भेजने की सुविधा होगी; यद्यु विनिमय की दर दिघर रहेगी, जिसके सम्बन्ध में दिशेंग आगे लिखा जायगा। दूसरे, इस टकसाल के खुलने और सोने के सिक्के जारी हो जाने पर लोगों की, अपना सोना गाढ़कर रखने की, प्रवृत्ति कम हो जायगी। इस समय आदमी सोचते हैं कि देश में नोट ही अधिक हैं, सोना बहुत-सा बाहर चला गया है; उन्हें यह विश्वास नहीं है कि जरूरत के समय यद्यु काफी सोना मिल ही जायगा। टकसाल खुलजाने से लोगों का यह अविश्वास दूर हो जायगा; और उनके द्रव्य का, बनोत्पादन-कार्य में अधिक उपयोग होगा।

नये सिक्के का विचार—भारत-सरकार ने सिक्कों की वर्तमान पद्धति को बदलने और देश में दशमिक या दशमलव पद्धति जारी करने का विचार जाहिर किया है, जिसके अनुसार रपया सोलह आने के बाजाय सौ सेंट का हो। सोट शब्द अर्थात् भाषा का है, और इस नाम के सिक्के का चलन अमरीका में है। भारतीय सिक्के का नाम, स्वरूप और उसपर जिस लिपि में लिखा जाय, सब ऐसी होनी चाहिए, जिसे अधिकाश भारतीय जनता समझे और प्रसन्न करे। वर्तमान देश में रपये का आधा अठनी, अठनी का आदा चवनी, चवनी का आधा दुअच्छी, दुअच्छी का आधा इक्की, इक्की का आधा अष्टनी, और अष्टनी का आधा पैसा होता है। व्यवहार में चीज़ों का आधा हिस्सा करने की ही जरूरत बहुत रहती है। इसीलिए गज में सोलह गिरह, और सेह में सोलह द्वितीय रखी गयी है। निर, एक पैसे की तीन पाई होने से, वर्तमान पद्धति से रपये की तिहाई चीज़ का भी हिसाब आसानी से लग सकता है। सौ सोट का रपया होने पर यह

सुविधा न रहेगी, उसमें आधे, चौथाई और पाँचवें हिस्से का ही हिसाब आकानी से लगेगा, इनमें से भी पाँचवें हिस्से की प्रायः आवश्यकता नहीं होती। इन प्रकार नये सिक्के से कठिनाई बढ़ेगी ही, इसलिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं मालूम होती।

चौदहवाँ अध्याय

(11.) कागजी मुद्रा; नोट आदि

बड़े व्यापार में सोने चाँदी के भारी सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान को लेजाने में बड़ी असुविधा होती है। इन सुविधा को दूर करने के लिए घातु का आधार छोड़कर लोग कागजी रुपयों से ही अपना काम निकाल लेना चाहते हैं। नोट या कागजी मुद्रा वास्तविक विक्री नहीं, ये केवल एखंजी सिक्के ही हैं, जो चलानेवाले के विश्वास या साख पर चलते हैं। ये अपने ही देश (या प्रान्त) में भुनाये जा सकते हैं; विदेश में इनका कोई मूल्य नहीं होता। आवश्यकता से अधिक होने पर तो ये स्वदेश के लिए भी बहुत हानिकर होते हैं।

भारतवर्ष में नोटों का प्रचार—यहाँ के व्यापारियों में हुँडी-मुज़ें का प्रचार चिरकाल से रहा है। परन्तु वर्तमान नोटों का चलन अंगरेजी शासन में ही हुआ। नोटों का प्रचार यहाँ पहले-पहल सन् १८३८ ई० में हुआ, जबकि बंगाल-चैक को नोट निकालने की अनुमति मिली। सन् १८४० ई० में चम्बई के, और सन् १८४३ ई० में मद्रास के प्रेमिडेसी-चैक को नोट निकालने का अधिकार मिल गया। इन नोटों का प्रचार पहले अधिकतर उक्त नगरों में ही हुआ। मद्रास-चैक को एक करोड़ और अन्य दोनों चैकों को दो दो करोड़ तक के नोट निकालने का अधिकार दिया गया था।

सन् १८६१ ई० से इन बैंकों का यह अधिकार छिन गया, और भारत-सरकार ने नोट निकालने का काम अपने हाथ में लेकर इसके लिए एक पृथक् विभाग खोला, और नोट जारी करने के ६ केन्द्र स्थापित किये। इन केन्द्रों से ५), १०), ५०), १००), ५००), १०००) और १०,०००) के नोट जारी किये। उस समय, जो नोट जिस केन्द्र से जारा किये हुए होते थे, वे केवल उसी केन्द्र से अधिकार-पूर्वक भुनाये जा सकते थे।

सन् १८०३ ई० तक नोटों का प्रचार पहुत शीघ्रता से नहीं बढ़ा। इस वर्ष में ५) रुपये के, सभी केन्द्रों से निकले तोट सभी सरकारी खजानों में भुनाये जा सकने लगे; अपार्ट उस समय से ५) के नोट सार्वदेशिक हो गये। सन् १८११ ई० में १००) के नोट का प्रचार भी सार्वदेशिक हो गया। सन् १८१३ ई० के कमीशन ने यह सम्मति दी कि सब नोट भुनाये जाने के लिए अधिक सुविधा कर दी जाय। ऐसा ही जाने पर लोग नोटों को अधिकाधिक प्रसन्न करने लगे, और उनका प्रचार बढ़ता गया। सन् १८१७ ई० में १) और २।।) के नोट मी चला दिये गये। इनके चलाने का विशेष कारण यह था कि युद्ध-काल में, देश में रुपयों की माँग बहुत बढ़ गयी थी, किन्तु चाँदी मौहगी ही बाने से, रुपये अधिक परिमाण में नहीं ढाले जा सकते थे। अतः भारत सरकार ने युद्ध के अन्त तक, युद्ध से पहले की अपेक्षा, दुगने से भी अधिक मूल्य के नोट प्रचलित किये। पीछे १) और २।।) के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया। सन् १८३५ में १) के नोट पुनः प्रकाशित किये गये; ये १८३८ से जारी किये गये।

नोटों की अधिकता से बहुआर्ह मौहगी—प्रत्येक देश को अपन व्यापार व्यवसाय या लेन देन आदि के अनुसार किसी खास समय में मुद्रा की, एक निष्ठारित परिमाण में आवश्यकता होती है। अमर मुद्रा उससे अधिक परिमाण में हो तो उसका मूल्य (चीजों में) गिर जाता है। यह चार विशेषतया कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में

चरितार्थ होती है—सरकार को इसी मुद्रा के बटाने की प्रवृत्ति अधिक होती है।

उदाहरण के लिए पिछले योरपीय मद्दायुद्ध (१९१४-१८) के समय यहाँ सरकार ने नोट अधिक परिमाण में जारी कर दिये। इससे बाजार में नोटों की, उन पर निखी, पूरी कीमत मिलनी कठिन क्या आसानबद्ध हो गयी थी। यद्यपि नोटों पर चट्टा लेना सरकारी कानून से जुर्म है, तथापि बाजार में वह बराबर लिया और दिया जाता था। इससे नोट बालों को बहुत हानि उठानी पड़ी, और सरकार की साख को भी कुछ समय तक भारी आधात पहुँचा; तब्दी-नहाँ लोगों में यह बात ऐसा गई कि सरकार वे खजाने में सोना-चाँदी नहीं रहा, वह कागज के टुकड़ों से काम चलाता है।

अत्यधिक मुद्रा-प्रसार—जब नोटों की तुल्दि, लेन-देन या बाजार की आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है तो उनका मूल्य गिर जाता है; चोरों का दाम बढ़ जाता है, वे महँगी हो जाती हैं। इसका ताजा उदाहरण दूसरे योरपीय मद्दायुद्ध के समय मामने आया। म्वाम्बर ऐनिको को वेतन देने तथा युद्ध-मामग्री म्वरीदने आदि के प्रभाव सरकार ने नोटों को कितना बढ़ाया, यह इससे जहिर हो जाता है कि जबकि सन् १९१६ के अन्त में टाई सो करोड़ रुपये से कम के नोट थे, जून १९४३ में ये ७४६ करोड़ के थे, और सन् १९४५ के अन्त में तो बारह सो करोड़ रुपये से भी अधिक के नोट होने का अनुमान था।^१

मुद्रा-प्रसार का एक नकारा यह होता है कि लोगों में चीजों संग्रह करने या जोड़कर रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब व्यापारी यह देखते हैं कि चीजों के दाम स्थिर नहीं हैं और बेहिसाब बढ़ते जाते हैं तो वे प्रायः अपना मान बेचते नहीं, उसे रोके रखते हैं, उन्हें यह आया रहती है कि पोछे इसे और ऊँचे दाम मिलेंगे, और अधिक

* इस दिसाव में एक-एक रुपये के नोट शामिल नहीं हैं।

मुनाफा होगा। इसके अलावा, कुछ आदमी अपनी ज़रूरत की चीजें पहले से ही इकट्ठी या बड़े परिमाण में खरीद लेते हैं, उन्हें आशका रहती है कि शायद पीछे ये नीज़े न मिलें, या अगर मिलें भी तो न मालूम कितने अधिक दाम देने पड़ें। इन बातों का परिणाम यह होता है कि देश में पदार्थों की कृत्रिम कमी का बातावरण बन जाता है, अर्थात् कितनी ही चीज़े होते हुए भी साधारण आदमियों को बाजार में मामूली दर से नहीं मिलती। जो आदमी बहुत ऊँचे दाम से खरीद सकते हैं, वे मजबूर होकर, उन्हें हुक्का-द्विपक्ष, चोर बाजार में खरीदते हैं। सरकार इसे नियन्त्रण करना चाहे, तो वह इसमें यथेष्ट सफल नहीं होती। वेचारे गरीब बुरी तरह मारे जाते हैं।

इसके दुष्परिणामों से बचने के उपाय—यहाँ सुदूर-काल में पदार्थों की जो मूल्य-वृद्धि हुई, उसका कारण कुछ अंश में यह भी या कि पदार्थों का उत्पादन जनता की अवश्यकताओं के अनुसार नहीं बढ़ाया जा सका; तथापि उसमें सुदूर-प्रसार का बहुत भाग था। निदान, यद्दों बहुत सी चीज़ों के दाम तिगुने-चीगुने ही नहीं, इससे भी ज्यादा हो गये। लोगों का जीवन संकटमय होगया, लाखों आदमी अपने प्राण ही गँवा देठे। जनता में असान्त और अस्थिरता का भाव बढ़ाया गया। इस पर सरकार ने निष्पत्तिवित उपायों से काम लिया—(क) इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, कारपोरेशन टैक्स आदि की वृद्धि। (ख) अतिरिक्त मुनाफा कर। सुदूर से पहले जितना सुनाफा होता था, उससे जितना अधिक मुनाफ़ा हुआ, उसमें से सरकार ने पहले दो-तिहाई तक लिया, पीछे अपना हिस्ता बढ़ाकर अस्ती की सदी ने भी अधिक कर दिया। (ग) डाक, तार टेलीफोन आदि की दरों में इक्किछा। रेल-किराया बढ़ाने का भी प्रस्ताव, अर्थ-मदस्य ने बजट में रखा था, पर मारतीय व्यवस्थापक समा के मारी विरोध के कारण वह प्रस्ताव बायिस ले लिया गया। (घ) बचत के लिए प्रचार करना। लोगों को सुदूर-कोर और सुदूर-प्रश्नाद्वारा देने के निए प्रोत्साहित किया गया।

वह जगह तो अधिकारियों ने अपने भाव का अनुचित और गैरकानूनी प्रयोग भी किया। (च) आयात को प्रोत्साहन। विदेशी बस्तुओं की आयात बढ़ने से यदि मुद्रा-मंडोच में, अर्थात् मुद्रा का परिमाण कम होने में, कुछ सहायता मिली तो इवादेशी कारोबार को दानि भी पहुँचो।

मुद्रा-मंडोच का ग्रायः कोई भी उपाय खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इन विषय में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अच्छा तो यह है कि मुद्रा प्रमार बहुत अधिक होने ही न पावे। जब एक पार अधाधुम्ब कागजी मुद्रा छाप कर उसका प्रचार होने दिया जायगा तो वहाँ उसका दुष्परिणाम रोकना बहुत कठिन है।

कागजी-मुद्रा-कानून—सन् १८६१ ई० में यहाँ नोट निकालने की नीति में मुवार करने के लिए कानून बनाया गया। उस वर्ष में भारत-सरकार उस कानून के अनुसार नोट निकालने लगी। उस कानून का मुख्य मिदान्त यह है कि ब्रिटेन रुपयों के नोट निकाले जायें, उतने ही रुपये का एक कोप अलग रखा जाय। इस कोप को कागजी-मुद्रा-कोप (पेपर-करेनी-रिंगर्ड) कहते हैं। इसका कुछ भाग सोने-चांदी तथा इन्हीं धातुओं के सिफ़ों में, और शेष, सरकारी सिक्यूरिटियों (शुग-वन्डों) में, रखा जाता है। सिक्यूरिटियों को मात्रा के सम्बन्ध में समय समय पर कानून द्वारा परिवर्तन किया गया है। पहले यह नियम बनाया गया कि ब्रिटिश संयुक्त-राज्य की सिक्यूरिटियों, जो दो करोड़ में अधिक न हो, इसमें महिलित कर ली जायें। सन् १८११ ई० में इन सिक्यूरिटियों की सीमा ४ करोड़ कर दी गयी। सुदूर-जाल में इस सीमा को बहुत ही अधिक बढ़ा दी गयी। सन् १८१८ ई० के एकट से ब्रिटिश ट्रेसरी-बिनोक्स की जमानत पर निकले

* इ. ६ या १२ महीने के नियंत्रित सरकार द्वारा जो अधिक निया जाता है, उसका अधिक प्रति द्वेश्री-रिंग कहता जाता है।

हुए नोटों की सीमा ८६ करोड़ निश्चय कर दी गयी। पीछे, सन् १९१६ ई० में वह सीमा १०० करोड़ तक पहुँच गयी। युद्ध के बाद ये सिक्यूरिटियाँ धीरे-धीरे घटायी गयीं।

सन् १९३४ में, यहाँ रिजर्व बैंक स्थापित हुआ, उससे पूर्व नोट निकालने का अधिकार भारत-सरकार को था। बैंक की स्थापना के बाद सेवह अधिकार एकमात्र इस बैंक को है। इस विषय के मुख्य नियम ये हैं:—

१—नोट पौंच, दस, पचास, सौ, पाँच सौ, एक हजार, और दस हजार रुपये के निकाले जायेंगे। कॉमिल-सुक्त गवर्नर-जनरल का आदेश होने पर अन्य रकमों के नोट जारी किये जा सकते हैं, और किसी नोट का चलन बन्द भी किया जा सकता है।

२—जितने रुपये के नोट निकाले जायें, उतने रुपये का सोना, स्वर्ण-मुद्रा, ब्रिटिश सरकार की सिक्यूरिटियाँ, रुपया, या भारत-सरकार की सिक्यूरिटियाँ कागजी-मुद्रा-कोप में जमा रहनी चाहिए। यह कोप रिजर्व बैंक के अधीन रहता है।

३—नोट ब्रिटिश भारत के प्रत्येक स्थान में कानून-ग्राह्य होगे। भारत-सरकार इन्हें भुनाने के लिए जिम्मेवार होगी।

४—प्रत्येक नोट का चलन, उसके जारी किये जाने के समय से चालीस वर्ष तक रहेगा।

५—संपूर्ण कागजी-मुद्रा-कोप का ४० फी सेकड़ा भाग स्वर्ण-मुद्रा, सोने या ब्रिटिश-सरकार की सिक्यूरिटियों में होना चाहिए, जिसमें कम-से-कम ४० करोड़ रुपया स्वर्ण-मुद्रा या स्वर्ण में हो, और इसका ५५ फी सेकड़ा भाग भारतवर्ष में रहे।

* एक रुपये का जो नोट इस समय प्रचलित है, वह रिजर्व बैंक का जारी किया हुआ नहीं है, इसे भारत सरकार ने जारी कर रखा है। यह अपरिवित परिमाण में कानून-ग्राह्य है, परन्तु अविनियमित (इनकनविटिल) है, अधार सरकार इसे खद्ग-मुद्रा में बदलने या भुनाने का आशासन नहीं देती।

विशेष दराओं में कीमिल-सुक्त गवनर जनरल की स्वीकृति से कोप का यह अरा ४० पी सेकड़ा से कम भी रह सकता है। उस आवश्यक में देंक को निर्धारित सूद देना पड़ता है।

६—कोप का शेष भाग रुपये, भारत-सरकार की मिस्ट्रीरिटियों और स्थाफून हुंडियों में होना चाहिए, परन्तु भारत-सरकार की मिस्ट्रीरिटियों सभूल कोप के चौथायी हिस्से से, या चारों करोड़ रुपये से अधिक भी न होनी चाहिए। गवनर-जनरल की पूर्व स्वीकृति से दस करोड़ रुपया, भारत-सरकार की मिस्ट्रीरिटियों में श्री रत्ना सकता है।

७—देंक पर भिज-भिज प्रकार की मुद्रा जारी करने का दायित्व है। इस प्रकार मौगिने पर नोटों के बदले रुपये का निकाल, और सिक्के के बदले नोट जारी करना इसका कर्तव्य है। ज़रूरत होने पर इसे पाँच या अधिक रुपये के नोट के बदले कम मूल्य वाले या कानून-प्राप्त निक्के जारी करना चाहिए।

देंक के मौगिने पर उसे आवश्यक निक्क कीमिल-सुक्त गवनर-जनरल द्वारा दिये जायेंगे।

कागजी-मद्रा-कोप का रूप और स्थान—इहले इस कोप को अधिकतर रुपयों में, और भारतवर्ष में ही रखा जाना या। सन् १८८८ ६० से कोप के रूप और स्थान के सम्बन्ध में परिवर्तन होने लगा। ऊपर चताया गया है मि वर्तमान कानून के अनुसार सम्पूर्ण कागजी-मुद्रा-दोप का चालीस पी सेकड़ा भाग स्वरूप मुद्रा, मोन यानिटिश मरकार की मिस्ट्रीरिटियों में होना चाहिए। भारतवर्ष के कोप का रुपया ब्रिटिश मिस्ट्रीरिटियों के रूप में रखा जाना सर्वथा अनुचित है। यह भारत-सरकार की ही मिस्ट्रीरिटियों में रखा जाना चाहिए।

अब कोप के स्थान की बात लें। इसका बहुत बड़ा भाग भारत-वर्ष में बाहर रखा जाता है। ब्रिटिश मिस्ट्रीरिटियों का रुपया तो इमर्लैंड में रहता ही है। ३० जून १८४३ को इसका ५६८ करोड़ रुपये इन मिस्ट्रीरिटियों में जमाया। इस प्रकार यह देख, अपनी इतनी रकम

के उपयोग से बचिता रहा। यह कोप नोटों के बदले में रखा जाता है। और नोट भारत में चलते हैं; अतएव यह कोप भी यहीं रखा जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त काम आ सके। नोट भुगताने के अतिरिक्त, यदि उसे और भी किसी काम में लाना अभीष्ट हो तो इसका भी लाभ भारत को ही होना चाहिए। इगलैंड की विदित सरकार यरीब भारत के सभ्यों को कम या नाम भाव के सद पर लेकर अनुचित लाभ उठाती है। इधर भारत के उद्योग-घन्थों के लिए पूँजी की अत्यन्त आवश्यकता रहती है; वे इसकी कमी के कारण पनपने ही नहीं पाते। अस्तु, कागजी मुद्रा-कोप की सब रकम भारत में ही रखी जानी चाहिए।

भारत-सरकार के नोट-आर्डिनेन्स—जनवरी १९४६ में भारत-सरकार ने दो नोट-आर्डिनेन्स जारी किये। पहले आर्डिनेन्स से सरकार ने देश मर के सब बैंकों और खजानों से १०० रु० से ऊपर बाले नोटों का कुल हिसाब माया। दूसरे आर्डिनेन्स से पाच रु०, एक हजार, और दस हजार रु० के नोटों का चलन गैर-फानूसी ठहराया गया, आर उन्हें खजानों और बैंकों में जमा करके १०० रु० के नोटों में बदलवाने का आदेश जारी किया गया, जिस में कहा गया कि दस दिन के भीतर इन नोटों के साथ तोन फार्मे भर कर देना चाहिए। इन फार्मों के कुछ लानों का भाव यह है कि नोट कहाँ से, कब, और किस तरह से मिलें; यदि नोट किसी व्यापार से हुए लाभ के रूप में हैं, तो उसका व्योरा देना चाहिए। यदि पूँजी हुई सब बातों का उत्तर संतोषप्रद होगा तो सरकार वह नोटों के बदले में क्षेत्र नोट जो १००) रु० तक के होंगे, देदेगी; अन्यथा नहीं देगी। गलत हिसाब का व्योरा देने वाले को दंड दिया जायगा। सरकार ने घोषणा की कि इन आर्डिनेन्सों का उद्देश्य चोर बाजार ढारा पैदा की हुई वही-वही रकमों की, जो इन बड़े नोटों के रूप में बड़े-बड़े आदमियों के पास है, सरकार और इनकम-टैक्स विभाग के सामने पेश करने वे लिए भजवूर करना

है। सरकार ने यह आश्वासन भी दिलाया कि इस कार्य से साधारण नागरिकों को असुविधा न होगी।

इन आर्डिनेन्सों से देश भर की आर्थिक अवस्था में बहुत खलबली मच गयी। एक तो बहुत सी जनता आशिक्रित, फिर अधिकारियों का सदानुभूति-दीन छल, और इसके साथ जनता का सरकार के प्रति अविश्वास का भाव। कई स्थानों पर लोगों ने एक हजार के नोट के बदले छुः सो से मात्र सौ रुपये तक ही लेकर सतोर किया। कितने ही आदमियों की यह घारणा हो गयी कि सरकार दिवालिया हो गयी है, इसलिए उसने ये आर्डिनेन्स जारी किये गये हैं। जगह जगह व्यापारिक संस्थाओं ने एक स्वर से इन आर्डिनेन्सों का विरोध किया। चौर बाजार की दूर करना तो सभी चाहते थे, पर इन आर्डिनेन्सों की सफलता में लोगों का विश्वास नहीं था। और, नोट बदलवाने की दस दिन की अवधि भी बहुत कम समझी गयी। इसमें सदैद नहीं कि सरकार ने यह कार्यवाही बहुत देर से की, और उसका ढूँग भी जनता के लिए आपत्तिजनक और कष्टदायक रहा।

पन्द्रहवाँ अध्याय

विदेशी विनिमय की दर,

भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेन-देन—पहले यताया जा चुका है कि भारतवर्ष में बहुत सा सामान विदेशों से आता है। माथ ही दूसरे देश भारतवर्ष से कई चीज़ें मौगते हैं। इस आयात-निर्यात के सम्बन्ध में विशेष बातों का विचार अगले खण्ड में किया जायगा। यहाँ पाठकों का प्यान इस बात की ओर दिलाना अभीष्ट है कि भारतवर्ष का दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध है, इसलिए कभी उसे दूसरे देशों को दरया देना होता है,

और कभी उनसे लेना होता है। व्यापारिक सम्बन्ध के आतिरिक्त, अन्य कारणों से भी रुपया लेना या देना होता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष प्रतिवर्ष इंगलैंड को 'होम-चार्जेंज' (इंगलैंड में होनेवाले, भारतवर्ष सम्बन्धी विविध गर्च) की रकम देता है।

भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेन-देन इंगलैंड के पीड़ि नामक सिक्के में होता है। जब भारतवर्ष को किसी देश का रुपया देना होता है, तो पीड़ि के रूप में देता है; इसी प्रकार जब रुपया लेना होता है तो पीड़ि के द्वारा लेता है। सन् १९३१ ई० से इंगलैंड में कागजी पीड़ि का चलन है; परन्तु बिटिया सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए कागजी पीड़ि के बदले में स्वेर्ण-पीड़ि दिये जाने की व्यवस्था कर रखी है। स्वेर्ण-पीड़ि प्रामाणिक सिक्का होने के कारण दूसरे देशों के सिक्कों से बदला जा सकता है; रुपया नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अधिकतर देशों में चांदी के सिक्कों का चलन नहीं है, और चलन द्वी भी तो हमारा रुपया साकेतिक रिक्का होने के कारण अन्य देशवाले उसे यहाँ के साकेतिक मूल्य पर लेना स्वीकार नहीं करते।

भुगतान की विधि; सरकारी हुँडियाँ—भिन्न-भिन्न देशों के लेन-देन का भुगतान बरने के लिए हमेशा सिक्कों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि हमें इंगलैंड के व्यापारियों से माल की कीमत लेनी है, और 'होम-चार्जेंज' आदि के लिए इंगलैंड में भारत मन्त्रा को रुपया देना है तो इन दशा में भारत-मन्त्री इंगलैंड के व्यापारियों के हाथ भारत-सरकार के नाम की हुँडियाँ (कौमिल-विल) बेचकर हमारा रुपया जमा कर लेते हैं। जो लोग हुँडियाँ लवीदते हैं, वे उन्हें यहाँ मेज देते हैं, और यहाँ वे व्यापारी सरकार या वेंकों से हुँडियों का रुपया बख्त कर लेते हैं। इन प्रकार इंगलैंड के व्यापारों भारतीय व्यापारियों को, और भारत-सरकार भारत-मन्त्री को, बहुत छीनकरी मेजने की असुविधा और जोखिम से बच जाती है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फसल अच्छी न होने आदि के

कारण जब यहाँ से इङ्लॅंड को माल कम जाता है, तो इसे इङ्लॅंड की दपया देना रद्दता है। इस दशा में भारत-सरकार भारत-मन्त्री पर को हुई हुंडियों की बेचती है और वहाँ व्यापारियों से दपया लेती है। भारतीय व्यापारी भारत-सरकार से हुंडी व्यापारियों के दपया के पास भेज देते हैं, और इङ्लॅंड के व्यापारी उन हुंडियों के बदले भारत-मन्त्री से मालवेन (पीड) ले लेते हैं। भारत-मन्त्री और भारत-सरकार, जल्दी भुगतान करने के लिए, तार द्वारा भी व्यापारियों का काम कर देते हैं। इसमें तर्चु कुछ अविकृष्ट होता है।

सरकारी हुंडी का भाव—बच विनायत के व्यापारियों का यहाँ अधिक भुगतान करना हाता है, तो सरकारी हुंडी को माँग बढ़ जाती है, अर्थात् अगरेजी सिक्के के दिसाव से भारतीय सिक्के का माल बढ़ जाता है; या यो कह सकते हैं कि हमारे विनिमय का भाव चढ़ जाता है। यदि भाव इसी कदर चढ़ सकता है कि इग्लॅंड के व्यापारियों को नकद दपये भेजने की अपेक्षा हुंडी द्वारा भेजने में अधिक व्यय न करना पड़े। उदाहरण के लिए, इङ्लॅंड के किसी व्यापारी को भारत में १५) ८० का भुगतान करना है और उसके भेजने में दूः आने तर्चु होते हैं, तो यदि भारत-मन्त्री को १५) को हुंडी को १५=) तक में लेने को तेयार हो जायगा।

विनिमय + की दर का आधार—‘विनिमय की दर’ शब्द सभूह का व्यवहार भिन्न-भिन्न देशों के पृथक्-पृथक् रिक्षों के पारस्परिक भाव के लिए होता है। भारतीय टाटि से दपये, आने, पाइयों के जिस भाव ने पीड, शिलिंग, पैस वन सकते हैं, उसे विनिमय की दर कहते हैं। इङ्लॅंड, अमरीका आदि देशों में एक ही यात्रु (सोने) के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित हैं। इनमें विनिमय की दर में घटन्यहूँ

* इन हुंडियों को बच्चे हुंडियों (रिक्ष-बीसिन-रिन) कहते हैं।

† इस अध्याय में ‘विनिमय’ शब्द का प्रयोग ‘विदेशी विनिमय’ के अर्थ के लिया गया है।

नहीं होती, जितनी बोन और भारत जैसे देशों में जदा, चाँदी के सिक्के अवधिमत रूप से कानून प्राप्त है। सोने के भिन्न-भिन्न प्रामाणिक सिक्कों के परिवर्तन में दो बातें का स्थाल रखना होता हैः—१—अगर एक सिक्का दूसरे देश को मेजा जाय, तो रास्ते का खच लगाकर उसकी कीमत क्या होगी ! (जब विनिमय की दर, सिक्के की धातु की कीमत और मेजने के खच से अधिक होती है, तो लोग सिक्के हां पासंल द्वारा, मेजने लगते हैं ।) ; २—प्रत्येक सिक्के की टकसाला दर क्या है ?

टकसाली दर—सोने के प्रामाणिक सिक्के रखनेवाले देशों के उन सिक्कों में लगे हुए असली सोने के परिमाण के पारस्परिक सम्बन्ध को “टकसाली दर” कहते हैं। उदाहरण के लिए यह दर बतलायेगा कि एक पैस्ड (इग्लैशड का सिक्का) में जितना सोना रहता है उतना कितने फ्रैंक (फ्रैंस का सिक्का) में पाया जायगा। जब तक कोई देश अपने प्रामाणिक सिक्के की धातु का परिमाण न बदल दे, उसके सिक्के की, अन्य देशों के प्रामाणिक सिक्कों में टकसाली दर नहीं बदलती; क्योंकि टकसाली दर तो सोने का और दूसरे का चाँदी का हो, टकसाली दर हमेशा बदलती रहती है; कारण, चाँदी की सोने में कीमत बदलती रहती है। यही दशा भारत में सन् १८८३ ई० के बहले थी। इमारा, प्रामाणिक सिक्का (रुपया) चाँदी का था, और इग्लैशड तथा अन्य कई देशों का, सोने का। इसलिए जैसे-जैसे चाँदी की सोने में कीमत बदली, वैसे-वैसे भारत की टकसाली दर भी बदल गयी। परन्तु अब नो भारत में कोई प्रामाणिक सिक्का है ही नहीं। रुपये की शाजास कीमत, उसमें जो चाँदी है, उसकी कीमत से कहीं अधिक है। इसलिए अब भारत और अन्य देशों के बीच में कोई टकसाली दर नहीं हो सकती ।

भारतवर्ष की विनियम-दर; सन् १९१६ है० तक—
 इस देश का प्रचलित मिक्का इयरा है, और विदेशी व्यापार में पीड़ का व्यवहार होता है, अतः इयरे और पीड़ का पारस्परिक मूल्य का विषय अत्यन्त महत्व का है। सन् १९१३ है० में भारत-सरकार ने एक इयरे का कानूनी मूल्य एक शिलिंग चारपस निर्धारित किया। पहले योरपीय मटायुद (१९१८-१९) के प्रारम्भ तक विनियम की दर प्रायः १ शिलिंग ४.२५ पैस से अधिक नहीं थड़ी, और न १ शिलिंग ३.६३ पैस से नोचे हा गिरा।^१

युद्ध-काल में भारत से बहुत-सा अच आदि इज्जलैंड गया, पर वहाँ से यद्दीं यहुत कम समझ आ सका। सार में चाँदों आवश्यकतानुसार ग्रास न होने के कारण, उसका भाव चढ़ता गया। अतः कौमिल-विनो का भाव धोरे-धीरे बढ़ाना पड़ा। १ अगस्त, सन् १९१७ है० को एक इयरे के बदले में १ शिलिंग ५ पैस भिलते थे; १५ अगस्त सन् १९१८ है० की यह दर १ शिलिंग ६ पैस, और १ मई १९१९ है० को १ शिलिंग ८ पैस, हो गयी। (कमशः बढ़ते-बढ़ते यह दर १ फरवरी, सन् १९२० है० को २ शिलिंग ८-५ पैस तक चढ़ गयी।)

सन् १९१६ है० की करेंसी-कमेटी—विनियम में अभूत-पूर्व गड़वड़ी होते देख, मुद्रा-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार न मई, १९१६ है० म एक करेंसी-कमेटी वियत की। इसमें भोयुत दांदीया मिरवानजी दलाल ही एकमात्र हिन्दुस्तानी सदस्य थे, और शेष सब सदस्य अंगरेज। भी० दलाल ने अपना मत अलग प्रकट किया, और, सब अंगरेज सदस्यों का मत अलग रहा।

बहुमत की सलाह—बहुमत (अंगरेजों) की स्वास-व्याप

* आवश्यकतानुसार कौमिल-रिन (भारत-सरकार पर को दुई डूटिया) और रिसें-डूटिया-विन (भारत देशी पर को दुई दूटिया) निकालकर विनियम की यह दर विवर दर्ज की गयी।

सलाह ये थे—(१) सरकार को दपये का भाव सोने में तय करना चाहिए; क्योंकि इडलॉट में नोटों का अविक प्रचार हो जाने के कारण नोने और बागजी पौड़ के पारस्परिक भाव में अब वह स्थिरता नहीं रही। एक दपये का मूल्य १०० रुपये के सोने के मूल्य के बराबर रखा जाय, अर्थात् सावरेन (स्वर्णपौड़) का भाव १५.८० कर दिया जाय। एक दपये की कीमत दो शिलिंग (स्वर्ण) हो, (२) यह भाव स्थिर हो जाने पर नोने के आयात पर भी सरकारी रोक डाया दी जाय। (३) किनके पास सावरेन है, उन्हें कुछ समय तक उन सावरेनों को सरकारी खजाने से पदरह पदरह दपये में भुजाने दिया जाय। (४) यंबई में किर नोने की टकसाल खोली जाय; और जो लोग मोना दें, उन्हें बदले में सावरेन ढालकर दिये जायें। (५) चाँदी के आयात पर से सरकारी रोक, कुछ दिन बाद, डाया जाय, परन्तु उसकी निर्भीत पर जारी रखी जाय। (६) प्रजा को अपनी प्रमुद का सिक्का या नोट मिलना चाहिए, परन्तु अच्छा तो यही होगा कि विदेशी भुगतान के लिए सोना काम में ल या जाय, और देश में नोटों तथा रुपयों का विशेष व्यवहार रहे। (७) सरकार नोटों के बदले में रुपया देने के लिए सदा तैयार रहे।

श्री० दलाल की सलाह—(१) दपये और सावरेन का भाव पहले जैसा ही रखा जाय, १५.८० का एक सावरेन रहे अर्थात् सारल-वर्द की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पैसे हो। (२) प्रजा को, सोना और^१ उम्रके सिफ़े तथा चाँदी मैगाने और बाहर भेजने को बै-रोक-टौक अधिकार दिया जाय। (३) सरकार यम्भई की टकसाल में, चिना कुछ लिये ही, नोने के बदले में सावरेन ढालकर दिया करे। (४) दपये में १६५.३५ रुपये चाँदी रहती है। जब तक न्यूयार्क में चाँदी का भाव परी और सुनै १२ सेंट क्ष्य से ऊपर रहे, तब तक सरकार दपये न ढाले, और एक अन्य

* सारलवर्द में, उस समय के दिसाव से, लगभग साँड़े सुनरह आने में था।

सिक्का जारी करे, जिसका बाजार भूल्य २ छ० हो। यद्ये में अब जितनी चाँदी रहती है, उस नये सिक्के में उससे दुगनी न हो—कुछ कम हो। (५) प्रभा का प्रचलित सिफ्ट ढलवाने का जो अधिकार प्राचीन काल से रहा है, वह पुनः दिया जाय। (६) करेंसी-नोट भारतवर्ष में छूपे। एक दये वाले नोट बद कर दिये जायें, और फिर कभी उन्हें जारी न किया जाय। (७) पैंपर-करे सी रिजर्व का जो घन इंगलैंड में रहता है, वह भारत में रखा जाय।

भारत-सरकार का निर्णय—भारत-मन्त्री ने श्रीयुत दलाल की मलाह न मानकर बहुमत की ही सलाह को स्वीकार किया। और, भारत-मन्त्री के आशानुमार भारत-सरकार ने अपनी गूचनाएँ प्रकाशित की। सावरेन का कानूनी भाव दस रुपये कर दिया गया। सोने का आयात कुछ समय के लिए सरकार ने अपने हाथ में रखा, जिससे यहाँ भोना लाकर उसका भाव गिरा दिया जाय। सावरेन और आधे सावरेन के बदले में इयाया देना बद कर दिया गया। चाँदी के आयात पर का चार आने की-आँसि कर उठा दिया गया, परन्तु नियंत्रित पर कर जारी रहा। सावरेन और रुपये को, सिक्के के मिवा और किसी काम में लाने की निषेधात्मक सरकारी आशा वापस ले ली गयी। यह भी निश्चय किया कि सरकार को खास अपने काम के लिए जितनी हुंडियाँ करना आवश्यक होगी, उतनी ही की जायेंगी।

इसका परिणाम—जिस समय करेंसी कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ किया था, यहाँ रुपये की दर बहुत बढ़ी हुई थी, तथा बढ़ती जा रही थी। परन्तु वह बृद्धि स्थाई नहीं थी। दर बढ़ने का विशेष कारण था, युद्ध-काल में भारत ने इंगलैंड को माल बहुत अधिक गया, तथा यहाँ से यहाँ बहुत कम सामान आ सका। पीछे इस हिति का बदलना अनिवार्य था, और वह बदली। अस्तु, अस्थाई स्थिति लद्य में रखकर उपर्युक्त स्थाई व्यवस्था का किया

जाना अनुचित था। अतः सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध हुआ। साधारण नियम है कि जिस देश की मुद्रा की दर आन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कुछ नीची होती है, उस देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संतुलन उसके पक्ष में होता है, अर्थात् उसकी निर्धात अधिक होती है, और आयात कम होती है। भारत-सरकार का इसके ऊंची दर कायम करने का उपर्युक्त निर्णय इस देश के लिए बहुत हानिकर सिद्ध हुआ, यहाँ का निर्धात-व्यापार बहुत घट गया और व्यापार-संतुलन इस देश के विपक्ष में हो गया। देश को प्रति वर्ष बहुत हानि उठानी पड़ी। विनियम की दर में कमी करने की माँग उत्तरोत्तर प्रवल होने लगी।

हिलटन-यंग कमीशन—आरम्भ में सरकार ने कुछ ध्यान न दिया। जनता का असतोष तथा हानि बढ़ती गयी। अन्त में आगत सन् १९२५ ई० में, जब कि सरकार ने यह समझा कि परिस्थिति काफी स्थाई हो गयी है, मुद्रा तथा विनियम पर विचार करने के लिए एक शाही कमीशन नियत किया गया, जो अपने समाप्ति के नाम से हिलटन-यंग कमीशन कहलाया। इसकी रिपोर्ट अगस्त सन् १९२६ ई० में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में सर पुष्पोत्तमदास टाकुरदास का मत-मेद या।

कमीशन (के बहुमत) ने भारतवर्ष में भोजे के खिलके का प्रचलन उचित नहीं समझा, और न यही कि इये के बदले में भोजे का निर्धारित परिमाण कानून से निश्चित किया जाय। उसकी रिपोर्टों में से मुख्य ये थी :—१—इये को विनियम-दर एक शिलिंग है: रेस ही। २—कागजी-मुद्रा-कोप और मुद्रा-दबाई-लाभ कोप मिलाकर इकट्ठे रखे जायें। ३—रिवर्व बैंक स्थापित किया जाय।

सर पुष्पोत्तमदास टाकुरदास का विशेष विरोध भारतीय विनियम-दर के सम्बन्ध में था। उनका मत था कि सितम्बर १९२४ ई० में इसकी दर लगभग एक शिलिंग चार पैसे थी, और यही दर अधिक उपर्युक्त

एवं स्थाई है, तथा भारतवर्ष के हित की हाइट से उचित है।

सरकार ने कमीशन के बहुमत को रिपोर्ट पसन्द की और उसके आधार पर जनवरी १९२७ में तीन कानूनों के माध्यिके प्रकाशित किये, जिनके उद्देश्य ये थे:—(१) ब्रिटिश भारत के लिए स्वर्ण-पी माल मुद्रा का चलन और रिजर्व बैंक की स्थापना। (२) सन् १९२० ई० के हंपीरियल-बैंक-कानून का संशोधन, और (३) सन् १९०६ ई० के मुद्रा-कानून तथा १९२३ ई० के कागजी-मुद्रा-कानून का संशोधन। नया-मद्रा-कानून अप्रैल सन् १९२७ ई० से अमल में आया; इसके अनुसार सावरेन और अर्द्ध-सावरेन कानून-ग्राह्य मिक्के न रहे। रुपये की दर एक शिलिंग छुः पेस निर्धारित कर दी गयी।

२१ मितम्बर १९३१ ई० से ब्रिटिश सरकार ने इडलैण्ड में सोने के प्रामाणिक सिक्के का प्रचार स्थगित कर दिया। उस समय से कागजी पौंड की दर स्वर्ण-पौंड से मिल ही गयी है। अब एक कागजी पौंड के बदले उतना सोना नहीं मिलता, जिसका मूल्य एक स्वर्ण-पौंड के बराबर हो। भारत की विनियमन्दर भी कागजी पौंड के साथ ही स्थिर की गयी है, वह एक शिलिंग छुः पेस स्टर्लिंग (कागजी पौंड) के बराबर रखी गयी है। भारतीय नेताओं का मत है कि यह दर एक शिलिंग नाम पेस हो।

✓ **विनियमन्दर ऊँची होने का प्रभाव**—भारत-यन्त्री और भारत सरकार की राय में भारतवर्ष की विनियमन्दर ऊँची रहने से इस देश को लाभ है। रुपये का भाव सोने और सावरेन में बढ़ जाने अर्थात् १६ पेस के बदले १८ पेस रहने के पक्ष में यातें कही जा सकती हैं—विलापती माल का भुगतान करने में, रुपया कम देना होता है, विदेशी माल सस्ता पड़ता है, और मरीन आदि मौगाने में कम व्यय होने से यहाँ के व्यवसाय को सहायता मिलती है। (२) होम-चार्ज का भुगतान थोड़े रुपयों में ही हो जाने से प्रति वर्ष कई

करोड़ रुपये की वस्तुत होती है। (३) भारतवर्ष में बहुत-सी विदेशी वस्तुओं का उपभोग होता है; विनिमय दर ऊँची रहने से वे वस्तुएँ यहाँ कम मूल्य में मिलती हैं। (४) जिन भारतीयों को इङ्ग्लियर्ड आदि विदेश में रुपया देना होता है, वे अपेक्षाकृत कम रुपया देकर ही अपने श्रृण से मुक्त हो सकते हैं। (५) अँगरेजों या अन्य देशवालों की वस्तुत या पेशन आदि का रुपया यहाँ से याहर भेजने में उन्हें या उनके परिवारवालों को अपेक्षाकृत अधिक धन मिलता है।

यह तो हुई लाम की बात; अब हानि का विचार कीजिए। (१) भारत की विनिमय-दर यहो होने से जर्मनी आदि योरपीय देश तथा अमरीका भारतवर्ष का माल कम खरीदते हैं, इसका प्रभाव विशेषतया भारत के गरीब आमीशो पर पड़ता है, कारण कि यहाँ से अविकल्प में कचे माल की नियोत होती है, और कचा माल वैदा करनेवाले निर्घन कियान ही हैं। भारतवर्ष के प्रवतित तिक्के का मूल्य यहा तुश्रा होने से विदेशी व्यापारी भारतीय माल के स्थान पर अन्य देशों का माल खरीदते हैं। गत चाहें में यही और चावल के व्यवसाय को मारी जाति पहुँची है। (२) भारतवर्ष में स्वदेशी माल अपेक्षाकृत महँगा पड़ता है, उसका उपभोग करनेवालों को अविक द्रव्य खर्च करना होता है। (३) जिन्हें विदेशवालों से रुपये लेना होता है, उन्हें अपने द्रव्य के बदले कम रुपया मिलता है। (४) विकायती माल सस्ता होने से उसकी खरत यहाँ बढ़ जाती है, और स्वदेशी व्यवसायों को घटका पहुँचता है। इसे वैदा सस्ता माल बनाने का अवसर नहीं मिलता, इससे दमारे उद्योग घन्था को बहुत हानि होती है। (५) जो सावरेन या सोना यहाँ सरकारी कोषों में रखा हुआ है, उसका मूल्य घट जाने से इसे कोई रुपये की हानि होती है।

इस प्रकार यद्यपि विनिमय की दर ऊँची होने से कुछ लाभ भी है, किन्तु उस लाभ की अपेक्षा हानि अविक है। मारतीय नेताओं का मत है कि यहाँ विनिमय की दर कम, अर्थात् एक शिलिंग चार पैस

होनी चाहिए। इससे देश के श्रीयोगिककरण में सहायता मिलेगी और उसकी आर्थिक उन्नति होगी। इसके लिए कुछ लोगों की थोड़ी-बहुत हानि हो तो वह सदृश को जानी चाहिए।

विशेष वक्तव्य—जापान, जर्मनी, फ्रान्स और इगलैंड आदि कई देशों ने अपने यहाँ प्रामाणिक सिक्का बन्द करके, कागजी सिक्के का खूब प्रचार कर दिया है, जिसका मूल्य, सोने में, बहुत कम है। वे देश स्वतन्त्र हैं, उनकी सरकार उनके देश के हित को लक्ष्य में रख कर अपनी अर्थ-नीति में समयानुसार परिवर्तन करती रहती है। भारत-वर्ष में यह बात नहीं। यहाँ सरकार भारतीय जनता के प्रति उत्तरदाद्दि नहीं है, और वह विटिश दित की अवहेलना नहीं कर सकती। उसे विटिश अधिकारियों के रुल को देखकर अपनी नीति स्थिर करनी होती है। यही कारण है कि भारत-सरकार पर भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा वारदार जोर डाले जाने पर भी उसने रूपये का दर अठारह पैस से घटाकर सोलह पैस करना स्वीकार नहीं किया। अधिकारी यही कहते हैं कि वे यहाँ की प्रचलित विनिमय-दर को स्वाभाविक और अषु समझते हैं। परन्तु वे केवल प्रयोग के लिए भी दर को घटा कर अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने को तैयार नहीं हैं। वास्तव में भारतीय हित की दृष्टि से काम होने की आशा, भारत-सरकार के, भारतीय जनता के प्रति, उत्तरदाद्दि होने पर ही, ही सकती है।

युद्ध और विनिमय-दर—युद्ध का विनिमय-दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए तीन दशाएँ विचारणीय होती है—
 —(१) उन दो देशों की विनिमय-दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, और एक-दूसरे के शत्रु होते हैं। इन देशों में पारस्परिक व्यापार बन्द हो जाता है, इसलिए इनकी कोई विनिमय-दर नहीं रहती। (२) उन दो देशों की विनिमय-दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, परन्तु जो एक ही पक्ष के होते हैं, अर्थात् परस्पर में मित्र होते हैं। युद्ध में संलग्न प्रत्येक देश को

अपनी, विशेषतया कागजी मुद्रा बढ़ाने को आवश्यकता होती है। इस मुद्रा का जितना अधिक प्रसार होगा उतनी ही उसकी कीमत अन्य मुद्राओं तथा पदार्थों में कम होती जाती है। इस प्रकार युद्ध में भाग लेनेवाले एक ही पक्ष के दो देशों की मुद्रा को विनिमय-दर घटती-बढ़ती रहती है, और यह घट-बढ़ इस बात पर निर्भर होती है कि उक्त देशों ने अपनी कागजी मुद्रा का प्रसार कहाँ तक किया है, और ऐसा करने से उनकी मुद्राओं की कीमत कहाँ तक घटती है। (३) उन दो देशों की विनिमय-दर जिनमें से एक युद्ध में संलग्न हो और दूसरा तदस्थ हो अर्थात् युद्ध में भाग न ले रहा हो। इन दो देशों की विनिमय-दर युद्ध में संलग्न देश की कागजी मुद्रा की कीमत की घटबढ़ पर निर्भर होती है।

सोलहवाँ अध्याय

वैक

—०—

इस अध्याय में भारतवर्ष के विविध प्रकार के वैकों के सम्बन्ध में विचार करना है। वैकों का काम माल पर निर्भर होता है, इसलिए पहले उसके विषय में लिखा जाता है।

साख का सहस्र——इस कागजी मुद्रा के प्रसंग में यह कहा जाये है कि नोट आदि केवल साख की बदौलत ही सिक्कों का काम देते हैं। साख या निश्वास का मनलय उधार लेने की योग्यता या मामर्द्य से है। जिस आदमी की साख अच्छी है, अर्थात् इष्या बादे पर दे देने का, जिसका विश्वास किया जाता है, उसीको आण आमानी से और कम सूद पर मिल सकता है। इसके विपरीत, जिसकी साख नहीं है, या कम है, उसे आण नहीं मिलता, या बहुत ध्यान पर मिलता

है, क्योंकि शृणु देनेवालों को, रपया वापिस मिलने का भरोसा नहीं होता। कभी शृणु लेनेवाला अपने किसी मिलनेवाले विश्वासी आदमी को जमानत देता है, और कभी वह जमीन, भकान, जेवर आदि चाँजे गिरपी रखता है। कहावत प्रसिद्ध है कि 'जाय लाख, रहे नाख' । व्यवसाय में नाख निस्तदेह एक यड़ी पूँजी का काम देती है। व्यवसायी अपनी साख के बल पर माल खरीदकर, उस पर उतना ही स्वतंत्र या अधिकार प्राप्त कर लेता है, जितना नकद रपया देकर खरीदने ने प्राप्त करता। साख के प्रमाण से सोने-चाँदी के मिकड़ी की जमरत कम हो जाती है; उनका बहुत उत्तम काम नोट और हुड़ी आदि से निकलता है। साख में ही महाजनी और वैंकिङ का काम चलता है।

M⁰ महाजनी—वास्तव में वैंकिंग तो आधुनिक काल की ही चीज है। पहले यहाँ विशेषतया महाजनी का चलन था। महाजनी की देशी ('इडोजीनस') वैंकिंग कहा जाता है। वैंकिंग और महाजनी में अन्तर केवल यही है कि वेक औरो से सूद पर रपया कर्ज लेकर भी सूद पर उठाता है; पर महाजन पहले कर्ज नहीं लेते थे, वे अपने ही अथवा दूसरों के (विना व्यञ्ज पर रखे हुए) रपये को सूद पर उठाते थे। इस प्रकार महाजन सूद लेते थे, पर देते नहीं थे। सब तो सूद देने भी लगे हैं। यहाँ मिज्ज-मिज्ज जातियों के आदमी—विशेषतया मारवाड़ी, भाटिए, पारसी या दक्षिण-भारत के चेटी—लेन-देन करते हैं। महाजन लोग दूसरों का रपया जमा करते हैं, हुँड़ी-पुँजे का व्यवहार करते हैं, जेवर गिरवी रखकर रपया उधार देते हैं, और सोना चाँदी, या इन बातों की चीजें खरीदते हैं। हुँड़ियों का यहाँ प्राचीन काल से ही खूब चलन है। वे महाजनी या सराफ़ी नाम की एक विशेष लिपि में लिखी जाती है। शहरों में वेंकों के कारण महाजनी का काम कम हो गया है, किन्तु छोटे कस्बों और देशों में अब भी बहुत होता है। छोटे व्यापारियों या कृषकों की पहुँच वड़े-वड़े वेंकों तक नहा होती, उन्हें महाजनी द्वारा देश के भीतरी कारोबार में अच्छी उदायता मिलती है।

महाजन की सूद को दर अधिक होती है और कुछ दशाओं में तो बहुत ही ऊँची होती है। उसकी सूदसौरी की ही नहीं, वेर्इमानी करने या हिमाच ठीक न रखने की शिकायतें भी बहुधा प्रकाश में आती हैं। कई प्रान्तों में उस पर प्रतिवन्ध लगाये गये हैं। परन्तु इससे समस्या हल नहीं होती। जब तक किसान की अर्थिक उन्नति तथा साख की उचित व्यवस्था नहीं होती, वह महाजन के आसरे रहेगा ही।

महाजन लेन-देन के अलावा व्यापार का कार्य भी करता है। वेन्दीय वेकिङ्ग कमेटी ने सिवारिश की थी कि महाजन केवल वैकिङ्ग का ही धर्षा करें, हिमाच ठीक ठीक रखें, और रिजर्व बैंक उनके साथ ऐसा हो ब्यवहार करे, जैसा कान्य मिश्रित पूँजी के बैंकों से करता है, अर्थात् उन्हें अपने विश्वास के बैंकों की सूची में सम्मिलित करे, और उनकी सही की हुई हुंडियों को भुजाये तथा कान्य सुविधाएँ दे। ये बातें कार्य में परिणत नहीं हुईं। महाजन के मन्त्रन्ध में कुछ चर्चा आगे सूद के अध्याय में की जायगी।

बैंक—बैंकों का काम रूपया जमा करना, ब्याज पर उधार लेना और देना, तथा हुद्दी-पुँजे, चेक या नोट आदि खरीदना और बेचना है। जो लोग अपनी बचत का कोई कान्य उपयोग नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहते, उनसे बैंक कुछ कम सूद पर रूपया उधार ले लेते हैं, और ऐसे आदमियों को कुछ अधिक सूद पर उधार दे देते हैं, जो उस घन से कोई लाभदायक व्यवसाय चलाना चाहते हो। बैंक में जितने अधिक समय के लिए रूपया जमा किया जाता है, सूद उतना ही अधिक मिलता है; क्योंकि बैंकवाले उस रूपये से उतना ही अधिक लाभ उठा सकते हैं। जमा करनेवाले सब लोग अपना रूपया प्रायः एक ही साथ बांधित नहीं लेते; कुछ आदमी बांधित लेते हैं तो दूसरे जमा भी करते हैं। बैंकवाले अपने अनुभव से यह जान लेते हैं कि उन्हें जमा करनेवालों का सुगतान करने के लिए कितन। रूपया हरवक्त सेवार रखने का प्रवन्ध करना चाहिए। इतना रूपया अपने पास रखकर, शेष रूपया

वे उत्पादक कारों में लगाते हैं।

११ वैंकों के भेद—मारतवर्ष में आधुनिक वैंकों के निम्नलिखित भेद हैं :—

- १—सहकारी वैंक—(क) सहकारी साल-समितियाँ, (ख) सेंट्रल या जिला सहकारी वैंक, (ग) प्रातीय सहकारी वैंक, और, (घ) भूमिन्वयक वैंक।
- २—पोस्ट-आफिस सेविंग वैंक।
- ३—मिश्रित पूँजी के वैंक।
- ४—इपीरियल वैंक।
- ५—रिजर्व वैंक।
- ६—एक्सचेंज वैंक।

सहकारिता—सहकारी वैंकों के विविध भेदों के विषय में शान प्राप्त करने से पहले सहकारिता की उपयोगिता जान लेनी चाहिए। भिन्न-भिन्न कारों के अनुमार सहकारिता के कई भेद हो सकते हैं। अर्थशाला में इसके मुख्य तीन भेद हैं—उत्पादिकों की सहकारिता, उपभोक्ताओं की सहकारिता, और साल की सहकारिता। मारतवर्ष में साल की ही सहकारिता अधिक प्रचलित है, और इस अव्याय का विषय वैंक होने के कारण हमें यहाँ इसी का विचार करना है। अस्तु, जो पूँजी किसी व्यक्ति को, अकेले उसकी साल पर, कभी-कभी बहुत कट उठाने तथा प्रबल करने पर भी नहीं मिल सकती, उसे कई मतुष्य मिलकर, सदकी साल के बल पर, कम व्याज पर, आठानी से और यथेष्ट मात्रा में ले सकते हैं। इस प्रकार साल के सम्बन्ध में सहकारिता का बड़ा महत्व है। भारतीय किसान जैसे निर्धन लोगों के लिए तो साल की सहकारिता बहुत ही उपयोगी है।

सहकारी साल-समितियाँ—यहाँ सहकारी साल-समितियों की स्थापना सब से पहले संयुक्तप्रान्त में, सन् १९०१ में हुई। इनके

सम्बन्ध में, भारत-सरकार द्वारा पहला कानून सन् १९०४ई० में बनाया गया। इसके अनुसार हर एक प्रान्त के लिए एक-एक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को प्रोत्तादन देने के लिए, नियत हुआ। समितियों दो तरह की खोलाँ गयी—(१) किसानों के लिए और (२) शहर में रहनेवाले गरीब लोगों के लिए। यह नियम बनाया गया फिर किसी भवित्व या शहर में एक ही जाति या पेशे के कम-से-कम दस आदमी मिलकर अपनी एक सहकारी समिति बना सकते हैं। समिति के सदस्य वे हों, जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। कृषि साल-समितियों का प्रत्येक सदस्य अपनी समिति का कुल कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार हो, अर्थात् वे समितियों अपरिमित देनदारी के विद्वान्त पर चलायी जायें; और, नगर-साल-समितियों परिमित देनदारी के सिद्धान्त पर।

कुछ अनुमति के बाद सन् १९१२ई० में सहकारी समितियों का दूसरा कानून पास हुआ, जिसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं—(क) देहाती और नागरिक समितियों का मेद दूर कर दिया गया। (ख) सहकारी छाल समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों भी बनायो जाने को योड़ना कर दी गयी। (ग) केन्द्रीय संस्था के लिए परिमित देनदारी का विद्वान्त जारी किया गया, वश्वाने कि उससे कम से-कम एक रजिस्टर्ड समिति सम्बद्ध हो। (घ) सरकार ने मुनाफे के बैंटवारे का नियन्त्रण और नियोजन अपने हाथ में ले लिया। वचत-क्षेत्र में काफी रकम जमा हो जाने पर मुनाफे का कुछ हिस्सा सभापदों को, बाँटे जाने की, और उसकी दस पाँ-साढ़ी तक रकम दान-घर्म में दी जाने की, व्यवहारों की गयी। (च) 'सहकारी' शब्द का प्रयोग बेबल उन्हीं समितियों के सम्बन्ध में किया जाने का नियम हुआ, जिनकी रजिस्ट्री हो सकी हो।

निश्चिय मारत में, और देरी रियासतों में भी, सहकारी समितियों की संख्या कमशु: बढ़ने लगी—जालवार किसानों में इनका अधिक

प्रचार हुआ। सन् १९४५ ई० में सरकार ने सर एडवर्ड मेकलेगन के सभापतिन्द्र में एक कमेटी कायम करके सहकारिता सम्बन्धी विषयों की जांच करायी। सन् १९४७ ई० के शासन-विधान के अनुसार सहकारिता का विषय प्रान्तीय सरकारों को इस्तातरित कर दिया गया। वर्ष १९४८ प्रान्त की सरकार ने सन् १९४८ ई० में, और मद्रास ने सन् १९४९ में अपने प्रान्त के लिए सहकारिता का पृथक् कानून गनाया। विहार, संयुक्त प्रान्त और मध्यप्रदीत की सरकारों ने भी अपने-अपने प्रान्त के लिए सन् १९४९ ई० के सहकारिता-कानून में कुछ संशोधन किया। सन् १९४९ ई० के शाही कृषि कमीशन की विकारिशी से, तथा 'सेंट्रल-बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी' की अधीनता में नियुक्त प्रांतीय कमेटियों की जांच के फल-व्यवरूप भी कुछ सुधार दुए। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कृषि-विभाग भी सहकारिता के उद्दातों के प्रचार में योग दे रहे हैं।

सेंट्रल और प्रांतीय सहकारी बैंक—सहकारी साल समितियों की केंद्रीय संस्था 'सेंट्रल बैंक' कहलाती है। ये बैंक एक ज़िले या उसके किसी हिस्से की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। ये विद्युत भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में हैं। कुछ सेंट्रल बैंक देशी रियासतों में भी हैं। इनका प्रयान कार्यालय चट्ठा जिले के सदर-मुकाम में होता है। ये प्रायः परिमित देनदारी का व्यवहार रखते हैं, और इनकी पूँजी द्वितीय (शेयरों) द्वारा प्राप्त होनी है। इनके सदृश, सहकारी समितियों के अलावा दूसरे आदमी भी हो सकते हैं। ये सर्वसाधारण की आमनतें, मामूली सुद पर जमा करते हैं। ये अपने ज़िले की ग्राम-सहकारी-समितियों को, कुछ अधिक व्याज पर, रुपया उधार देते हैं। इन्हें जो लाभ रहता है, उसे ये निर्धारित नियमों के अनुसार अपने हिस्सेदारों में बांट देते हैं। सेंट्रल बैंक और ग्राम-सहकारी-समितियों के बीच कहीं-कहीं 'गारंटी-यूनियन' होते हैं, जो अपनी विकारिशी से समितियों को सेंट्रल बैंक द्वारा झूण दिलाते हैं। कुछ प्रान्तों में प्रान्तीय सहकारी बैंक

है। ये सेंट्रल बैंकों की सहायता तथा नियंत्रण करते हैं, तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं, जैसे लोगों की, आमूल्य आदि संपत्ति गिरवी रखकर रूपया उधार देना, तथा चेक और हुँडी का मुगवान आदि। इन बैंकों का इमीरियल बैंक, मिश्रित पूँजी के बैंक, तथा रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है; और ये उनसे सहायता लेते हैं।

सहकारी बैंकों का प्रबन्ध प्रायः स्थानीय आदमी करते हैं। वे अपनी सेवाओं के बदले कुछ (धपथा) नहीं लेते। इन बैंकों की आय पर सरकार कोई कर आदि नहीं लेती। यदि कोई किसान किसी सहकारी बैंक का अरुण आदा न कर सके, तो सरकारी लगान दे चुकने पर बैंक का अधिकार किसान की जायदाद पर अन्य कुछ लेनदारों से पहले होता है।

इन बैंकों से कहाँ लाभ है—(१) ये गरीब किसानों को कम सूद पर आवश्यक पूँजी दे सकते हैं। (२) ये बैंक केवल उत्पादक कारों के लिए ही उधार देते हैं, इसलिए इनसे धन लेकर किसान लोग किज़लखची नहीं कर सकते। (३) किसानों और मजदूरों आदि की बचत इन बैंकों में रखी जा सकती है। इनमें व्यावर अधिक मिलता है। (४) इन बैंकों से लोगों का एक दूसरे में विश्वात और सहायता का भाव बढ़ने के साप-ही-साप उनमें दूरदर्शिता और मितव्यविता आदि गुणों का भी विकास होता है।

सहकारी समितियों और बैंकों का प्रधान उद्देश्य है, भारतीय किसानों की कर्जदारी दूर करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना। यद्यपि इनके क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, तथापि ये भारतवर्ष भर की आवश्यकताओं की कहीं तक पूर्ति करती है, यह विचारणोंय है। उन् १९४०-४१ ई० में इनकी संख्या २,४२,५१३ थी, और इनके सदस्यों की कुल संख्या ६४ लाख थी। समिति की सहायता, समाजद के अविरिक्त, कुछ शरण में उसके कुटुम्ब को भी मिलती है। अब यदि एक कुटुम्ब में पांच आदमियों का श्रोतृत माना

वाय तो कुल सहकारी समितियों द्वारा सवा तीन करोड़ आदमियों का पोइंट-वहुत हितमावन होता है। अतः भारतीय किसानों की संख्या देखते हुए अभी इन समितियों और वैंकों की सख्या बहुत कम है। देश के शुभचितकों को इन्हें बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

भूमि-वन्धक वैंक—किसानों को कुछ शृण की, अधिक समय के लिए भी आवश्यकता होती है; उदाहरणवत् पुराना शृण चुकाने के बास्ते, मूमि की चकवंदी करने, उसे उपजाऊ बनाने, और बैल या कीमती यंत्र आदि खरादने के बास्ते। अधिक समय का शृण, सहकारी साझ-समितियाँ या वैंक नहीं दे सकते। इस कार्य के बास्ते भूमि-वन्धक वैंक अधिक उपयुक्त है, जो कृषि योग्य मूमि को रहन रखकर बोस-तोंस वर्ष या इससे भी अधिक अवधि के लिए रखता उधार दें और पीछे उस रकम को, बहुत साधारण ब्याज सहित, छोटो-छोटी किस्तों में बदूल करें।

ये वैंक ऐसी छोटो-छोटी रकमों के डिवेंचरों (शृण-पत्रों) द्वारा पूँजी संग्रह करते हैं; जिन्हें साधारण रियति के आदमों लगाद नहीं। ये वैंक तीन प्रकार के होते हैं (१) सहकारी, (२) अर्द्ध सहकारी, और (३) गैर-सहकारी। ब्रिटिश भारत के सब प्रांतों में, मन् १९४०-४१ में कुल भूमि-वन्धक वैंक और सोमायटियों के बल २५२ थे, इनमें से मी ११६ अकेले मदरास प्राप्त में थे। इनको पूर्णतः सहकारी महा-कृष्ण जा सकता, ये अर्द्ध-सहकारी हैं; कारण, यद्यपि इनके अधिकतर सदस्य इनसे शृण लेनेवाले व्यक्ति होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, जो शृण नहीं लेते। इन सदस्यों को, वैंक के प्रबन्ध में नहायता पहुँचाने तथा पूँजी प्राप्त करने के लिए, उड़े द्वायापारियों आदि में से लिया जाता है। ये वैंक परिमित देनदारों के होते हैं, ये लाम का लद्य रपकर शाम नहीं करते, बरन् सूर्द को दर घटाने का प्रयत्न करते हैं। इन वैंकों का भी कार्य-क्षेत्र मारतवर्ष की कृषक जनता की आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम है।

MP

पोस्ट-आफिस सेविंग-बैंक—यद्यपि जनता की बचत का रुख जमा करने का खाता कुछ दूसरे बैंकों ने भी लोल रखा है, सिर्फ बचत जमा करने का कार्य, विशेषतया डाकखानों के सेविङ्ग-बैंक करते हैं। सरकारी सेविंग-बैंक पहले घम्बई, कलकत्ता और मदरास में थे, ये सन् १८८३ और १८८५ ई० के बीच में स्थापित हुए थे। सन् १८७० ई० में कुछ चुने हुए खजानों से ममन्वित जिला-सेविंग-बैंक खुले। डाकखाने के सेविङ्ग-बैंक सन् १८८८ ई० और सन् १८८९ ई० में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में, खोले गये। तब से ये सरकारी सेविङ्ग-बैंकों का काम करने लगे। सन् १८८६ ई० में इनमें जिला सेविङ्ग-बैंकों का हिसाब मिला दिया गया। सन् १८९६ ई० में प्रेसिडेंसी-सेविंग-बैंकों का काम भी इन्हीं में मिला गया।

इन बैंकों का काम क्रमशः यढ़ रहा है। शहर और कस्बे की तो बात ही क्या, बहुत से बड़े-बड़े गावों के डाकखानों में भी सेविङ्ग-बैंक का काम होता है। इनमें चार आने तक छोटी रकम भी जमा हो सकती है। ३३ मार्च १८९६ ई० को इन बैंकों की संख्या १२,१०८ थी। इन में विवालोध लाल आदमियों का हिसाब था और कुल मिला कर लागभग ८२ करोड़ रुपया जमा था। ३१ मार्च १८९४ को इन बैंकों में २५,६४,००० आदमियों का हिसाब था, और इनका सबा बाबन करोड़ रुपये जमा था। यह ठोक़ है कि अधिकाँश जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से उनकी बचत जमा करने की विशेष, सामर्थ्य नहीं, तथापि इन बैंकों में जमा की रकम बढ़ने की यहुत गुणावश्य है।

मिश्रित पूँजी वाले बैंक—मिश्रित पूँजी को कमनियों के सम्बन्ध में पहले (पौंचवें अध्याय में) जिला जा चुका है। भारतवर्ष में मिश्रित पूँजी के बैंक विशेषतया पिछले पैंतीस वर्षों में ही आविक हुए हैं। सन् १८०५-०७ के स्वदेशी आन्दोलन में यहाँ औद्योगिक कार्थों की ओर विशेष प्यान दिये जाने के कारण इनकी अच्छी

टप्पनि हुई। मन् १८१३ और १६३ में कुछ दैक्षों का दिवाना निकलने से इनके कायं को घरका पहुँचा, परन्तु उसका प्रभाव अस्थाई रहा है। मावारणतया इनकी हुँड़ी हा हुई है।

कम्पनियों का रजिस्टरी की बात पहले बनायी जा चुकी है। मन् १८३६ के नियोगित कम्पनी-कानून के अनुसार अन्य प्रतिक्रिया विभेद-तया नियन्त्रित है:—(१) फिसी वैकिंग कम्पनी का कोई मेनेजिंग एजेन्ट नहीं हान; हाँ, कोई वैकिंग कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए मेनेजिंग एजेन्ट का काम कर सकती है। (२) कोई वैकिंग कम्पनी अपना कारोबार उस समय तक आरम्भ नहीं कर सकती, जब तक कि उसके दिसमी की विक्री में कम-से-कम पचास हजार रुपये की रकम प्राप्त न हो जाय। (३) प्रत्येक वैकिंग कम्पनी को अपने वो प्रिय मुनाफ़े का पांचमीं दिसमा मुरिलन कोष में उस समय तक जमा करने इच्छा होगा, जब तक कि मुरिलन कोष का परिमाण, प्राप्त दिसमा-रुपूँदी तक न हो जाय। (४) प्रत्येक वैकिंग कम्पनी को प्रत्येक शुक्रवार की अपनी लेनी और देनी का दिसाय रजिस्ट्रार के पास हर महीने दस ताराव्य तक भेजना होगा, और उसे अपनी तात्कालिक या दर्शनी देनी का पांच पी सदी, और मुद्रती देनी का ढेड़ पी सदी, दर्शना न कर जमा रखना होगा।

मन् १८३८-३९ में मिथिन पूँजी की कम्पनियों की संख्या दस हजार, और इनकी प्राप्त रुपूँजी पौने तीन करोड़ रुपये थी।

इम्पीरियल बैंक—इस बैंक की स्थापना मन् १८२० के कानून के अनुसार, १८२१ में बगान, वर्मड़ी और मदराग के प्रैंसो-डेनमी-बैंकों की मिला देने से हुई। उन तीनों बैंकों के संचालक-बोर्ड इस बैंक के न्यायीय बोर्ड बन गये। इम्पीरियल-बैंक-कानून का संग्रहालय १८३४ में हुआ और १८३५ में अपने अधिकारों का अधिकार ले लिया। अब इस बैंक का प्रबन्ध करनेवाले संट्रल बार्ट ने नियन्त्रित सदस्य होते हैं:—(क) तीनों स्थानीय बैंकों के समाप्ति, उपर्याप्ति और सेकंटरी, (ख)

तीनों स्थानीय बोर्डों के सदस्यों में से निर्वाचित एक-एक सदस्य, (ग) सेंट्रल बोर्ड द्वारा नियुक्त एक मेनेजिंग डायरेक्टर और एक हिप्टी मेनेजिंग डायरेक्टर, (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य जिन की सख्ता दो से अधिक न हो। स्थानीय बोर्डों के हिप्टी मेनेजिंग डायरेक्टर और सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। केन्द्रीय सरकार एक सरकारी व्यक्ति को सेंट्रल बोर्ड की सभाओं में उपस्थित होने के लिए नामजद करती है, जिसे मत देने का अधिकार नहीं होता।

इम्पीरियल बैंक के मुख्य-मुख्य कार्य अब निम्नलिखित हैंः—

१—रिजर्व बैंक के हिस्सों, सरकार से सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियों के शृणु-पत्रों (सिक्यूरिटियो), और मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के शृणु-पत्रों (हियैचर) को जमानतों पर शृणु देना।

२—हियैचर या अन्य सिक्यूरिटियों वेचना।

३—प्रान्तीय सरकारों की स्वीकृति से कोर्ट-आफ-वार्ड से के कृपि-कार्य के लिए, अधिक से-अधिक नी महीने के बास्ते, शृणु देना।

४—हुंडियों या अन्य साख-नव जारी करना, सकारना, क्रय-विक्रय करना।

५—सोना चाँदी क्रय-विक्रय करना, दूसरों का हथया जमा करना, सुरक्षित रखने के लिए शृणु-पत्र लेना, कृपि के बास्ते नी मास तक छें, लिए और अन्य कार्यों के लिए छः मास तक के लिए उन हुंडियों को खरीदना और जारी करना, जो देश से बाहर मुगतायी जायें।

६—बैंक की समति के आधार पर उधार लेना और प्रायः अन्य सब बैंकिंग कार्य करना, जिनमें विदेशी विनियम का कारोबार भी सम्मिलित है।

बैंक के कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध मी है यह कोर्ट-आफ-वार्ड से के अतिरिक्त, और किसी को अपने ही हिस्सों अथवा अबल समति के

आधार पर कर्ज नहीं दे सकता। यह एक निर्धारित परिमाण से अधिक रुपया उधार नहीं दे सकता। साधारण दशाओं में यह व्यक्तिगत जमानत पर श्रृंखला नहीं दे सकता और साख-पत्र नहीं भुना सकता।

इपीरियल बैंक की, देश के भिन्न-भिन्न भागों में लगभग पौने दो सौ शाखाएँ हैं। सन् १९३४ ई० तक यही भारतवर्ष का सबसे बड़ा बैंक था। यह बैंक सरकार के बैंकिङ्ग कार्य करने का एकमात्र अधिकारी था, यह तमाम सरकारी अमानतों को विना-च्याज जमा करता था; जहाँ-जहाँ इसकी शाखाएँ थीं, वहाँ सरकारी कोषाध्वक्ता का कार्य करता था और सरकार के खाते में जमा होनेवाली रकमें सर्वसाधारण से बदल करता था। यह भारत-सरकार के सार्वजनिक श्रृंखला का प्रबंध करता था।

सन् १९३५ ई० में, यहाँ भारतवर्ष के सर्वोच्च केंद्रीय बैंक के रूप में, रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने पर इपीरियल बैंक विटिश भारत के उन स्थानों में रिजर्व बैंक का एकमात्र एजेंट है, जहाँ रिजर्व बैंक की कोई शाखा न हो और इपीरियल बैंक को शाखा हो। रिजर्व बैंक की हथापना के समय इपीरियल बैंक की जितनी शाखाएँ थीं, उतनी शाखाएँ इन्हे जारी रखनी होती हैं। इन कारों के लिए रिजर्व बैंक इपीरियल बैंक को निर्धारित रुपया देता है। यदि इपीरियल बैंक अपनी किसी शाखा के बदले दूसरी शाखा स्थापित करे तो उसे रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति लेनी होती है।

३५ दिसम्बर १९४३ को इस बैंक में कुल २१४ करोड़ रुपये डमा था, इसमें से १२७ करोड़ तो भारत-सरकार की निक्यूरिटियों में लगा हुआ था, ४० करोड़ रुपया लोगों को उधार दिया हुआ था, और ५४ करोड़ रुपया नकद था। बैंक का रिजर्व फड़ ४८५ लाख रुपया और पूँजी ५६२ लाख रुपये थी।

३६५ रिजर्व बैंक—इस बैंक की स्थापना का विचार कई बर्ष पहले से था, अतएव इसका कानून सन् १९३४ ई० में बनाया गया। यह

जेवरहोलडरों का बैंक है। भारतीय जनता के प्रतिनिधि चाहते थे कि इसे 'स्टेट-बैंक' यनाया जाय, (क्योंकि हिस्सेदारों का बैंक होने में उस पर अधिकाश में विदेशी और बुद्ध धोइंगे में भारतीय पूँजी-पतियों का नियन्त्रण रहेगा), पर उनकी इच्छा पूरी न हुई। इस बैंक की हिस्सा पूँजी पाच करोड़ रुपया है। एक-एक हिस्सा सीमी रुपये का है, पाँच हिस्से लेनेवाले के एक मत का अधिकार होता है और एक हिस्सेदार के अधिक से अधिक दस मत हो सकते हैं। हिस्सेदारों के लिए मारतवर्ष और बर्मा को पाँच चौनों में विभक्त किया गया है, जिनके केंद्रीय स्थान बम्बई, कुलकत्ता, देहली, मद्रास और रंगून हैं। इन पाच स्थानों में इस बैंक के कार्यालय हैं। प्रत्येक कार्यालय में उसके त्रैत्र के हिस्सेदारों का रजिस्टर रहता है। उक्त स्थानों के अनिरिक्त, बैंक की एक शाखा लन्दन में स्थिती गयी है। विदेशी में या, किसी अन्य स्थान में, इस बैंक की शाखा या, एन्डरेन्सरल की स्थीरहस्ति से ही स्थोली जर मनकरी है।

बैंक का नियोजण और सचालन सेन्ट्रल-बोर्ड नाम की कमीटी द्वारा होता है। इसमें नियमित सचालक ('डायरेक्टर') होते हैं:—
 (क) एक गवर्नर और दो डिप्टी-गवर्नर; इनको नियुक्त बोर्ड की सिफारिश पर गवर्नर-जनरल करता है; ये अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष के लिए आमने पढ़ पर रहते हैं। (ख) चार सचालक, जिन्हें गवर्नर-जनरल नाम जद करता है, और (ग) आठ सचालक, जो भिन्न-भिन्न चेत्रों के हिस्सेदारों द्वारा इस हिस्साव से चुने जाते हैं:—वैंचडे २, कलकत्ता २, देहली २, मद्रास १, और रंगून १। बोर्ड के गवर्नर और डिप्टी-गवर्नर के बेतन, भत्ते और कार्य-कान का निश्चय गवर्नर-जनरल करता है। बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास और रंगून में एक-एक स्थानीय बोर्ड, स्थानीय कार्य के लिए रहता है। स्थानीय बोर्ड के सदस्यों में से पाँच को उस त्रैत्र के हिस्सेदार आपस में से, निर्वाचित करते हैं, और तीन सदस्य सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा नामजद होते हैं।

इस बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः—(१) आवश्यकता-नुसार नोट जारी करना (२) भारत-सरकार, प्रातीय-सरकारी और देशी राज्यों तथा हिंमी व्यक्ति के रूपये दिना व्याज जमा करना। (३) निर्धारित नियमों के अनुसार, विशेष दशाओं में अधिक-से-अधिक नी मास की हुंडी सकारना। (४) देशी राज्यों, और स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं को, तथा अन्य बैंकों को सिस्युरिटियों, हुडियों, या सोना-चौदी की जमानत पर, और भारत-सरकार तथा प्रातीय सरकारों को चिना जमानत, तीन मास तक के लिए, रूपया उधार देना। (५) भारत-सरकार, प्रातीय सरकारों, देशी राज्यों, तथा स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के लिए सोना चौदी-खरीदना और बेचना। (६) सार्वजनिक ग्रृहण का प्रबन्ध करना। (७) सरकार का लेन-देन सम्बन्धी कार्य करते हुए ब्रिटिश भारत की आर्थिक स्थिरता और साथ बनाये रखना, लोगों को निर्धारित दर पर रूपये के बदले स्टलिंग (कागड़ी पैंड) और, स्टलिंग के बदले रूपये देना। (८) निर्धारित नियमों के अनुसार देश के बैंकों का रक्षित धन (रिजर्व) जमा रखना। (यह बैंकों का बैंक है, इसमें अन्य बैंकों का रूपया भगा रहता है, जिससे आवश्यकता होने पर यह उनकी सहायता कर सके, और उन्हें आर्थिक संकट से बचा सके)। (९) सहकारी बैंकों को निर्धारित नियमों के अनुसार, तीन मास तक के लिए रूपया उधार देना, और कृषि-माल विभाग रखना, जो कृषि-सहकारी-बैंकों के अधिकारियों और महाजनी सम्बन्धी अन्य संस्थाओं को परामर्श और सहायता दे।

यह बैंक अपना रूपया व्यापार या उद्योग धन्धे में नहीं लगा सकता, अपने या किसी अन्य बैंक के शेयर नहीं खरीद सकता, न उन शेयरों की जमानत पर, अथवा अचल संपत्ति (भूमि, मकान आदि) की जमानत पर, रूपया उधार दे सकता है। यह बैंक मृदतो हुड़ी जारी नहीं कर सकता, और न किसी जमा पर व्याज दे सकता है।

३० जून १९४३ को इस बैंक को नोट-विभाग द्वारा ७४६ करोड़

८० के नोट जारी किये हुए थे, और उनके पदले ५७८ करोड़ ८० की स्टॉलिंग सिक्यूरिटी, और ११२ करोड़ ८० की भारत-सरकार की लिक्पूरिटी थी, और शेष सोना चादी तथा चिक्के थे। उस समय बैंक की पूँजी ५ करोड़, रिजर्व फंड पाच करोड़, और सरकारी जमा १६ करोड़ तथा दूसरे बैंकों की जमा ५८ करोड़ थी।

जनवरी १९४६ में जारी किये हुए आर्डिनेन्स के अनुसार भारत-सरकार रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक के दिसाव और काम काज की जांच का आदेश कर सकती है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पाने के बाद सरकार जिस बैंक के बारे में उचित समझे, उस बैंक को नवी रकम जमा करने के लिए भना कर सकती है, अथवा उसे गैरकानूनी घोषित कर सकती है, या उसे कानूनी या स्वीकृत बैंकों की सूची से हटा सकती है।

रिजर्व बैंक के संगठन में भारतीय हितों को सुरक्षित रखने तथा बैंक पर भारतीयों का (भारतीय व्यवस्थापन समा का) नियंत्रण रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके हिस्सेदार या संचालक अधिकतर भारतीय ही हो ; तथा इस के द्वारा कृपि और उद्योग धनधो को विशेष लाभ पहुँचता रहे, ऐसा नियम होना चाहिए।

एक सचेंज बैंक—एक सचेंज या विदेशी-विनियम-बैंक उसे कहते हैं, जिसकी स्थापना या प्रधान कार्यालय भारत से बाहर हो, और जो भारतवर्ष के विदेशी व्यापार का भुगतान करें। हन बैंकों की स्थापना अस्ती वर्ष से हुई है। पहले योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद भारतवर्ष का कई देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने के कारण, उन देशों को यहाँ अपनी शाखाएँ लोजने में प्रोत्साहन मिला; उनसे यहाँ इन बैंकों की सख्त्या बढ़ी। अब इनकी कुल सख्त्या १७ है, जिनमें में केवल एक भारतीय है। इन बैंकों में से कई-एक का प्रधान कार्यालय संदर्भ में है, और, शेष का अन्य देशों में है। कुछ बैंक तो अपना अधिकारा

लाल पदार्थों की कीमत कुछ ऊँची होने का कारण यह भी है कि विदेशी में जट, रई आदि की भौग अधिक होने से, और वहाँ इनके दाम अधिक मिलने के कारण, भारतवर्ष में इन पदार्थों की पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान रहता है; नतीजा यह होता है कि लाल पदार्थों की पैदावार कम की जाती है।

विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ने का एक कारण उन पर लगने वाला संक्रयन्त्र-कर भी होता है, जो स्वदेशी वस्तुओं के प्रारम्भिक अवस्था वाले उद्योग-बन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए लगाया जाता है। यह कर आवश्यक और उपयोगी होना है, किन्तु इससे कुछ समय के लिए उपभोक्ताओं को विदेशी पदार्थों की कीमत अधिक देनी पड़ती है; हीं, पीछे उन्हें इस कर से अच्छा लाभ होता है।

यातायात के साधनों की वृद्धि का भी पदार्थों की कीमत पर प्रभाव पड़ता है; क्योंकि इससे पदार्थों के बाजार का द्वेत्र बढ़ता है; और, बाजार का द्वेत्र जितना बढ़ता है, उतनी पदार्थों की मौग चढ़ती है, और इससे (यदि उत्पत्ति न बढ़े) कीमत बढ़ती है। कभी-कभी इसका उल्टा परिणाम भी होता है। कल्पना करो, भारतवर्ष का यातायात-सम्बन्ध किसी ऐसे देश से हो जाता है, जहाँ आदमियों की किसी आवश्यकता की पूर्ति करनेवाला कोई पदार्थ सस्ता पैदा या तैयार होता रहे; अब वह पदार्थ यहाँ अधिक परिमाण में आने लगेगा, नतीजा यह होगा कि भारतवर्ष के उस स्वदेशी पदार्थ की कीमत गिर जायगी।

चीजों की कीमत की घटबढ़ में उत्पादन-व्यय का भी बड़ा असर पड़ता है। उत्पादन-व्यय में कचे माल की कीमत, लगान, खद, ^४ बेतन आदि सम्मिलित है। जब किसी पदार्थ की उत्पत्ति में इन मदों का लच्चे बढ़ेगा, तो उस पदार्थ की कीमत भी बढ़ जायगी; इसी प्रकार इन मदों का लच्चे कम होने पर वह पदार्थ कुछ सस्ता हो जायगा। उत्पादन-कार्य में काम आने योग्य किसी नयी बढ़िया मशीन का

आधिकार हो जाने में, अथवा कोई अन्यीं उत्पादन-विधि मालूम हो जाने से भी पदार्थ का उत्पादन-व्यव्य, और, फल-स्वरूप पदार्थ की कीमत घटेगी ।

सब पदार्थों की कीमत एक-साथ घटने-बढ़ने के कारण—कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक-साथ सभी चीजों की कीमत में अंतर हो जाता है । उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध के बाद पहले की अपेक्षा, सब पदार्थों का मूल्य तिग्नान्चीगुना हो गया । इसका कारण यथोपर्याप्ति के परिमाण या चलन-व्यव्य की वृद्धि थी । इसका वर्णन कागजी मुद्रा के अध्याय में किया जा चुका है । क्योंकि आदमी अपनी साल के बल पर माल खरीदकर उस पर बैसा ही स्वतंत्र या अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जैसा नकद यथा देकर खरीदने से होता है, यह स्पष्ट है कि साल तपा यैकिंग कार्य की कमी या वृद्धि से से भी कीमत की पट-चड़ होती है ।

सब पदार्थों की कीमत एक-साथ घटने-बढ़ने का एक कारण विनियमय की दर का चढ़ाव-उतार भी होता है । मिट्टी के हीर पर इस समय यहाँ यथोपर्याप्ति का विनियमय-मूल्य, अगरेजी इंडिया में अटारह पैस (एक शिलिङ्ग द्वारा पेंग) है; यदि भारत-नश्वर कर इसे १६ पैस करदे तो अगरेज व्यापारी हमारा माल अधिक खरीदेंगे । कल्पना करो कि यहाँ गेहूँ यथोपर्याप्ति का छु: सेर मिलता है, तो बत्त मान दशा में अंगरेज व्यापारी को १८ पैस खर्च करने से छु: सेर गेहूँ मिलते हैं । छुँ रुपये की विनियमय-दर १६ पैस ही जाने पर उसे छुँ सेर गेहूँ खरीदने के लिए दो पैस कम खर्च करने होंगे । ऐसी स्थिति में बह स्वभावतः गेहूँ भारत के बाजार, में अधिक खरीदेगा । इसमें यहाँ गावों और कस्तों में गेहूँ की खरीद चट जायगी, उसका भवित्व चढ़ जायगा; गेहूँ यथोपर्याप्ति का छुँ सेर के बजाय

* उदाहरण की स्रोत करने के लिए, यहाँ यथोपर्याप्ति में जाने या मूल मौगाने के सच्च का विचार नहीं किया जाता ।

मम्पर है साड़े धौंच सेर चिकने लगे (इसमें किसानों को लाम होगा, उन्हें अविक दृपदा मिलेगा)।

विनियम की दर गिरने से इडलैंड का माल भारतवर्ष में मैंदगा पड़ने लगेगा। उदाहरण ये निप भारतवर्ष में लक्खायायर का कोई कपड़ा इस समय यहाँ रुपये का चार गज मिलता है, तो अंगरेज व्यापारी अठारह पेंस में चार गज कपड़ा दे रहा है, जब रुपये का विनियम मूल्य सोनह पेंस हो जायगा तो अंगरेज व्यापारी एक रुपये में अर्थात् सोनह पेंस में लगभग साड़े तीन गज कपड़ा दे सकेगा, (इसमें उसके माल की स्वपत यहाँ कम होने लगेगी, और यहाँ के स्वदेशी बछ व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा)।

इसी प्रकार उदाहरण देकर यह चताया जा सकता है कि भारतीय विनियम की दर अंगरेजी चिकने से चढ़ने से यहाँ इंगलैण्ड का माल बस्ता मिलेगा और भारतवर्ष का सामान इडलैंड वालों को मैंदगा पड़ेगा। इसमें स्पष्ट है कि विनियम की दर का चढाव-उत्तर भी कीमत की घट घड़ का कारण होता है।

एकाधिकार में कीमत—अब तनिक इस बात का भी विचार करलें कि एकाधिकार का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर से यह ख्याल किया जाता है कि एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत अधिक-से-अधिक कैंची रखता है। परन्तु कीमत बढ़ाने की भी एक सीमा होती है। एकाधिकारी हमेशा यह चाहता है कि उसे अधिक-से-अधिक लाभ हो। इसलिए वह किसी चीज की कीमत को उसी सीमा तक बढ़ाता है, लहाँ तक वह वस्तु इतनी मात्रा में बिक सके कि उसे अधिक-से-अधिक लाभ हो। इस सीमा के बाद वस्तु की कीमत बढ़ाने से एकाधिकारी को उत्तरालाभ न होगा।

‘जीवन-नश्च पदार्थों’ का एकाधिकार होने तथा उनका मूल्य बढ़ जाने से जन-साधारण को बड़ा कष्ट होता है। पर यदि विज्ञानिता के पदार्थों का (एकाधिकार होने से) मूल्य बढ़ता है, तो योहे से उनी

आदमियों पर ही उसका असर पड़ता है।

नमक यद्यपि एक जीवन-रक्षक पदार्थ है, तो भी भारत में सरकार को इसका एकाधिकार प्राप्त है। मिदान से तो यह ठीक है कि सरकार के हाथ में किसी जीवन-रक्षक पदार्थ का एकाधिकार रहने से देश को हानि नहीं पहुँचती; वयोंकि वह जनता की दितचिन्तक होती है। किन्तु जब सरकार जनता के प्रति यथेष्ट उत्तरदाद्दि न हो, तब नमक आदि किसी जीवन-रक्षक पदार्थ का एकाधिकार उसके हाथ में रहना उचित नहीं है। फिर यह भी नवें या सम्मव है कि आगर दूसरे व्यापारी ऐसे पदार्थ का एकाधिकार पालें, तो वे भी मूल्य बढ़ाकर अनर्थ करने लगें। हस्तिए ऐसे पदार्थ का किसी को भी एकाधिकार न होना चाहिए।

उपर कहा गया है कि एकाधिकार में पदार्थों की कीमत बढ़ने की सम्भावना होती है; हाँ, उसकी एक सीमा है। कीमत बढ़ने से होने-वाली हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी कीमत का नियन्त्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत में स्थानों में सरकार पाल्य युस्तकों की कीमत निश्चित कर देती है, अथवा ऐसा नियम बना देती है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के द्वितीय से रखी जाय।

कीमत की बट-बढ़का प्रभाव—जब कून्न पदार्थों की कीमत बढ़ती है, तो उनका प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जो उन पदार्थों का उपयोग करते हैं। परन्तु जब सब पदार्थों की कीमत में घट-बढ़ होती है, तो सभी मनुष्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। देश में वैद्य प्रकार के आदमी इहते हैं, उनमें से किस प्रकार के आदमियों पर कीमत की घट-घट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी सर्वसाधारण को ठीक करना नहीं होनी। बास्तव में यह विषय बहुत विशद है। स्थानाभाव के कारण इम यहाँ सब श्रेणियों के मनुष्यों का विचार न कर कुछ खाड़-खास का ही विचार करेंगे; और केवल कीमत बढ़ने का ही विषय लेंगे। अन्य श्रेणियों पर कीमत बढ़ने का,

तथा विविध श्रेणियों पर कीमत घटने का क्या प्रभाव पड़ना है, इसका पाठक स्वयं विचार कर लें।

कीमत घटने का प्रभाव; कृपकों पर—प्रायः लोगों की यह धारणा होती है कि खेती के पदार्थों की महँगाई से किसानों को लाभ होता है। किन्तु लाभ उन्हीं किसानों को तो होगा, जिनके पास अपने खाने-खर्चने के उपरीत वेचने की कुछ शेष होगा; और, इनको भी केवल उस दशा में, जब कि जो चीजें इन्हें मोज लेनी हों, उनकी कीमत इस अनुगत से न बढ़ी हो। फिर साधारण किसानों को उत्पन्न पदार्थों की कीमत मिलते मिलते उसमें से दस्ती, दलाली, तुलाई, या घमदि आदि में इतना अंश निकल जाता है, तथा उन्हें खेती में, और बछ आदि को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति में, खर्च इतना अधिक करना होता है, कि पदार्थों की बढ़ी हुई कीमत से उनकी आर्थिक अवस्था में विशेष अन्तर नहीं आता।

जबकि अपनी भूमि में काश्त करनेवालों को, या उन लोगों को जो भूमि दीर्घताल या लम्बी मुद्रत के पट्टे पर लेकर अपने श्रम से काश्त करते हैं, कीमत घटने से उपज वेचने की दशा में लाभ होता है, यह बात उन लोगों के विषय में लागू नहीं होती, जिन्हें लगान देना होता है, जिन्होंने अनाज देने की शर्त पर कुछ रुपया पेशगी ले लिया है, अर्थात् जिनका भूमि का पट्टा योड़े समय का है, या जो मज़दूरों से काम कराते हैं।

देहाती मज़दूरों पर—पदार्थों की कीमत का घटन्याद् का, गाँवों के मज़दूरों की वेतन पर तुरन्त विशेष असर नहीं होता। कुछ समय तक जिसे जितना वेतन मिलता है, उतना ही मिलता रहता है। ऐसी दशा में गाँवों के जो मज़दूर जिन्हें में वेतन पाते हैं—और अधिक-तर व्यक्ति जिन्स में ही वेतन पानेवाले होते हैं—उन्हें महँगी से कुछ लाभ हानि नहीं होती। हाँ, जिनका वेतन नकदी में ठहरा हुआ होता है,

उनके लिए कुछ समय बड़े सकट का बोतला है। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतवर्ष के अनेक छोटे छोटे किसानों के पास भूमि इतनी कम है कि उनकी उपज में उनका निर्वाह नहीं हो सकता; उन्हें किसी जमीदार के यहाँ आम करना होता है। उनपर भी पदार्थों की कीमत बढ़ने का कुछ समय के लिए दैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसा उपर्युक्त मजदूरी पर।

ज़मीदारों पर—लगान आजकल नकदी में लिया जाता है, लगान देनेवाले मौखिकी काश्तकार होते हैं, अथवा गैर-मौखिकी। मौखिकी काश्तकारों पर, पदार्थों की कीमत बढ़ने की दशा में, लगान जल्दी नहीं बढ़ता, अर्थः इनसे लगान लेनेवालों को तकाल कुछ लाभ नहीं होता, बरन् द्यानि ही रहती है। इसके विपरीत, गैर-मौखिकी काश्तकारों पर लगान, पदार्थों की कीमत बढ़ने पर, जल्दी ही बढ़ा दिया जाता है, इससे, जहाँ तक लगान पाने का सर्वंघ है, जमीदार नफे में रहता है।

कस्तों और शहरों के अमियों पर—इन पहले कहा है कि कीमत बढ़ने के साथ कस्तों और शहरों के अमियों का वेतन एकदम नहीं बढ़ जाता, अर्थः इनमें असातोप पैदा होता है; और क्योंकि ऐ अमीं देहाती अमियों की अपेक्षा अधिक बड़े-बड़े समूहों में मिलकर काम करते हैं, तथा अधिक सागरित होते हैं, इनका असातोप व्यापक स्तरप धारण करता है, वेतन वृद्धि का आदोलन बढ़ता है, अनेक स्थानों में हड्डताल होती है, और कहाँ-कहाँ तो लूट मार और उपद्रव के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। कल-कारखानेवाले इनने दूरदर्शी सथा बदार नहीं होते कि पदार्थों की कीमत बढ़ने का आभास पाते ही अमियों का वेतन बढ़ा दें; हाँ, अन्त में तो उन्हें यह करना ही पड़ता है। वेतन काफ़ी बढ़ने का दृश्य में, अमियों की आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार ही होता है।

दस्तकारों पर—शाश से बनी वस्तुओं की, कल-कारखानों में

चने हुए माल से, प्रतियोगिता रहने के कारण, दस्तकारों की दशा ग्रायः अच्छी नहीं रहती। पदार्थों की कीमत बढ़ने से वह प्रतियोगिता बढ़ती ही है; और, इस प्रकार दस्तकारों को पहले की अपेक्षा अधिक कठिनाद्या सद्दन करनो पड़ती है।

कल-कारखाने वालों पर—पदार्थों की कीमत बढ़ने के साथ, उत्पादन-व्यय, जिसका एक भाग अभियों का वेतन है, एक-दम नहीं बढ़ जाता। इनलिए कल कारखाने वालों को कीमत बढ़ने से, कम-से-कम आरभ्म में कुछ दिन लाभ ही रहता है; हाँ, पीछे कमशः अभियों का वेतन आदि बढ़ने लगता है; अगर वेतन पदार्थों की कीमत की वृद्धि के अनुपात से अधिक बढ़ जाय तो उनको हानि होना निश्चित है।

निर्धारित वेतन पानेवालों पर—पदार्थ की कीमत बढ़ने से, सबसे अधिक हानि सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों की, पेन्शन पानेवालों, कलकों, लिक्यूरिटी या शेयर आदि से होनेवाली आय पर निर्धारित करने वालों की, तथा ऐसे व्यक्तियों की होती है जो वधा हुआ या निर्धारित शुल्क, वेतन अथवा मेहनताना पाते हैं। इनको सामूहिक रूप से मध्य श्रेणी का कहा जा सकता है। कीमत बढ़ने से इनका भोजन, वस्त्र, रोशनी-किराये का, और जिनके यहाँ घर नौकर हो, उनके यहाँ इन नौकरों के वेतन का, खर्च बढ़ जाता है। अस्तु, पदार्थों की कीमत बढ़ने पर हन्हें विशेष हानि होती है।

ऋणग्रस्तों और साहूकारों पर—कीमत बढ़ने से ऋण-ग्रस्तों को लाभ होता है, यदि वे निर्धारित वेतन पानेवाले न होकर, पदार्थों के उत्पादक हो; कारण, उन्हें पदार्थों की कीमत अधिक मिलेगी और साहूकार उनसे रुपया और सूद पहले जितना ही लेगा, वह सूद का परिमाण नहीं बढ़ा सकता। इसके विपरीत, साहूकार को, पदार्थों की कीमत बढ़ने से कोई लाभ नहीं, बरन् हानि ही है,

कारण अब उसे जो रुपवा या सूद मिलता है, उसका पदार्थों-में-मूल्य पहले से कम होता है।

विशेष वर्तनव्य—ऊपर हमने कुछ ही शेषियों के आदमियों के सम्बन्ध में विचार किया है। देश में इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के आदमी रहते हैं कि उहसा यह नहीं कहा जा सकता कि पदार्थों की कीमत बढ़ना लाभप्रद है या हानिकर। साधारण तौर से आदमी यही चाहते हैं कि कोमत में स्थिरता रहे, विशेष उत्तार-चढ़ाव न हो। कीमत की घट-बढ़, कीमत घटने के बाद बढ़ना, तथा बढ़ने के बाद घटना, आर्थिक जगत की एक साधारण घटना है; यह धूप के बाद छाया, अपवा दुख के बाद सुख की तरह है। इसे बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि व्यवसाई तथा सरकार चाहें तो कुछ अंश तक इस का नियंत्रण कर सकते हैं।

मनुष्यों को चाहिए कि दोनों प्रहार को स्थिति के लिए तैयार रहें; यदि कीमत की घट-बढ़ से हमारी आय बढ़ती है, तो उसे व्यर्थ के अपव्यय में न ड़ाइं, उसमें से कुछ सकट-हाल के लिए भी रख छोड़ें; और जब हमारी आय घटती हो तो अपनी आवश्यकताएँ कम करके उसी में अपना निर्वाह करने का प्रयत्न करें; व्यर्थ में दुख न मानें।

कीमतों पर युद्ध-समाचारों का प्रभाव—पहले कहा गया है कि चोजों की कीमत उनकी माँग और पूर्ति के अधीन है; माँग बढ़ने से कीमत बढ़ने लगती है, और पूर्ति बढ़ने से कीमत उतरने लगती है। लेकिन यह साधारण सरिस्थिति की बात है। युद्ध-काल में कीमतों पर सब से अधिक असर युद्ध-समाचारों का पड़ता है। दूसरे योरपीय मदापुद (१६३८-४५) की बात लीजिए। युद्ध शुरू होने की संभावना मालूम होते ही, सन् १६३८ में ही, नोने चादी, लोहे, कपड़े, चूने, सीमेंट आदि सब वस्तुओं की कीमत कुछ-न-कुछ बढ़ने लग

गयो। लड़ाई शुरू होने पर तो बाजार में और भी खलबली मच गयो। पांछे तो गुद्रा-प्रसार आदि का भी प्रभाव पड़ने से साधारण चौंजों की कीमतें तिगुनी चौगुनी, और कुछ की तो इससे भी अधिक बढ़ गयीं, और लोगों को भय कर मंकट और अकाल का सामना करना पड़ा। युद्ध-काल में जब-जब मित्र-राष्ट्रों के तेजी से बढ़ने, युद्ध समाप्त होने, या सधि की सम्भावना का समाचार पैला तो बाजार कुछ नीचे उतर आया; और जब धुरी-राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) की ताकत बढ़ने की खबर आयी तो बाजार ऊँचा हो गया। यह अनुमान किया जाता है कि बहुत से बड़े और प्रभावशाली व्यापारी सस्ते भाव से माल खरीदने के लिए अक्सर अपने विशेष सूचों द्वारा सधि को अपवाह केराने की कोशिश किया करते हैं। जो हो; युद्ध-समाचारों का कीमतों पर भारी असर पड़ता है।

युद्ध और कीमत-नियंत्रण——पहले कहा गया है कि एकाधिकार में सरकार पदार्थों की कीमत का नियंत्रण करती है, वह उसे एक सीमा के अंदर नहीं बढ़ने देती। एकाधिकार शान्ति-काल में भी रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि शान्ति-काल में भी कीमत-नियंत्रण होता है, पर वह केवल खास-खास वस्तुओं का ही होता है। दूसरे महायुद्ध से पहले बड़े पैमाने पर कीमत - नियंत्रण केवल रूप में ही था। युद्ध-काल में, युद्ध से प्रभावित सभी देशों में इन का अवसर आ जाता है।

युद्ध-काल में जो राष्ट्र लड़ाई में भाग लेते हैं, उनका तो विशेष ध्यान युद्ध-सामग्री तैयार करने में लगता होता है, अक्सर दूसरे देशों भी उनके लिए युद्ध-सामग्री तैयार करने लग जाते हैं। इस प्रकार अन्य पदार्थों का उत्पादन कम हो जाता है, और इनका बाहर से मौगाना भी कठिन तथा अविकल व्यव साध्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारी अपने स्थाक को, इसलिए रोक रखने हैं कि पोछे खूब मुनाफा ले सकें। बाजार में मान कम होने से कीमत चढ़नेवाली

ठहरी। इसे रोकने के लिए सरकार कीमत का नियंत्रण करती है। जो व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक होता है, वा अपना स्टाक छुपा कर रखता है, उसे दड़ दिया जाता है।

पिछले युद्ध के समय भारतवर्ष में भी सरकार ने कीमत-नियंत्रण सम्बन्धी कुछ वायंवाही की, परन्तु वह सफल नहीं हुई। प्रायः जिस वदार्थ की कीमत नियंत्रित की गयी, उस वदार्थ का बाजार में मिलना ही दुल्हन हो गया। किस प्रकार लोगों को एक-एक वस्त्रे के गोहूं लाने के लिए घड़ी परेशान होना पड़ा, तथा अनेक इथानों में मढ़ों की दुकानें दिन दहाड़े लूटी गयीं, वह साथारण अनुमति की बात है। इससे स्पष्ट है कि कीमत नियंत्रण का कार्य यथेष्ट सोच विचार कर, और सार्वजनिक वायंकर्ताओं के यथेष्ट सहयोग से ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक आवश्यक वस्तु के उत्पादन व्यय का ध्यान रखते हुए उसकी कीमत नियंत्रित की जाय, उस वस्तु की उत्पत्ति बढ़ाने का भी यथेष्ट प्रयत्न किया जाय। इसके बास्ते उत्पादकों को समुचित परामर्श, पथ प्रदर्शन और सहायता दी जाय; और यातायात के साधनों की सुविधा की जाय, जिससे देश भर के उत्पन्न वदार्थों का भिन्न-भिन्न मार्गों की जनता में अच्छी तरह वितरण हो सके। लोकहित की ऐसी आर्थिक व्यवस्था किसी अनुत्तरदाइ सरकार से नहीं हो सकती, हमें केंद्र अधिकारियों को राष्ट्र का विश्वास-प्राप्त होना आवश्यक है।

अठारहवाँ अध्याय व्यापार के साधन

पिछले अध्यायों में सुदूर और कीमत का विचार कर चुकने पर अब व्यापार का विवेचन करना सुनिश्चित है; पहले व्यापार के मार्ग और साधनों का विचार हो जाना चाहिए।

व्यापार के मार्ग—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल-मार्ग, जल-मार्ग और वायु मार्ग। स्थल-मार्ग में कच्चा-पक्का सड़कों पर ठेली, पशुओं, माटरी आदि से, या लोहे की पटरा पर रेल से माल ढाया जाता है। कहीं-कहीं जमीन के नीचे भी रेले जाती हैं। जल-मार्ग पर नाव, स्ट्रीमर और जहाज चलत हैं। गत महायुद्ध के समय जर्मनी ने पनडुब्बिया द्वारा माल ढोने का रास्ता पानी के नीचे-नीचे भी निकाला था। आकाश-मार्ग से काम थोड़े हा समय से लिया जाने लगा है। इवाई जहाजो द्वारा कहा-कहा योड़ा-योड़ा माल आता जाता है।

सड़कों की आवश्यकता और उन्नति—सड़कों की उपयोगिता सर्वविदित है। ये किसानों को खेती की उपज को नजदीक की मंडी तथा रेलवे स्टेशन पर लाने में और इस प्रकार उसके अधिक दाम प्राप्त करने में सहायक हैं। उद्योग-घन्थों के लिए दूर-दूर से कच्चा माल लाने, तथा तैयार माल को दूर-दूर के ग्राहकों तक पहुँचाने का काम रेले करता है; परन्तु सड़कों की सहायता के दिना, रेलों को भी ढोने के लिए, काफी माल नहा मिल सकता। इस प्रकार सड़कों से उद्योग-घन्थों की उन्नति और विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।

शहरों की भौतिकी (म्युनिसिपल) सड़कों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में २ लाख ८५ हजार मील, और देशों रियासतों में ६२ हजार मील, इस तरह भारतवर्ष में कुल मिलाकर ३ लाख ४७ हजार मील सड़कें हैं, जिनमें से पक्की सड़क तो एक-चाहाई से भी कम है। सब से अधिक पक्की सड़क ‘ग्रांड ट्रूक’ रोड है, जो उत्तर भारत में कलकत्ता से इलाहाबाद और देहली होकर, पेशावर जाती है। इसके अतिरिक्त तान अन्य सड़कें भी विशेष उल्लेखनीय हैं। ये कलकत्ता को मदरास से, मदरास को बम्बई से, और बम्बई को दिल्ली में मिलाती हैं। इन चारों सड़कों की लम्बाई लगभग पाँच हजार मील है। यहाँ को सड़कों में से कुछ तो दूर तक गयी है, परन्तु अनेक पास की हा चर्ची में जाकर खत्म हो जाती है। कुछ सड़कें ऊँची हैं, और बारहों महीने खुली रहती

है। कितनी ही सङ्कें वरसात में वेकाम हो जाती है। वरमाती नदियों पर कहीं तो पुल है, और कहीं उन्हें वरमात में नाव से, और खुशकी के दिनों में पैदल ही पार करना पड़ता है। आम तौर से लोग सामान ढोने के लिए पुराने ढङ्ग की पैलगाड़ी टहू, खच्चर, गधे, ऊँट, भैंसे आदि से काम लेते हैं। मोटरों के चलने के लिए अच्छी सङ्कें केवल ७६ हजार मील है; इनमें से दस हजार मील सङ्क मीटेंट आदि की है।

कुछ वर्षों से मोटर द्वारा माल और सवारियों लाने-लेजान के काम में प्रगति करने की ओर सरकार अधिक ध्यान देने लगी है। नवम्बर सन् १९२७ ई० में सरकार ने सङ्क-सुधार कमेटी ('रोड-डिवेलपमेंट-कमेटी') नियुक्त की। इस कमेटी की निकारियों के आवार पर सन् १९२८ ई० के बजट में सरकार ने पेट्रोल का कर प्रति दीनन चार आने से बढ़ाकर छः आने किया; और इस फरवृद्धि से होनेवाली अधिक आय को सङ्कों के काम में लगाने का निश्चय किया। इस विषय के प्रत्यावर में समय-समय पर कुछ सशोधन हुआ है। सङ्क-सुधार के विषय में विचार करने के लिए नेंद्रीय सरकार प्रतिवर्ष एक कानूनेस करती है। यह कई सङ्कें प्रान्तीय कर दी गयी है, उनमें मरम्मत आदि का जो काम मुनिसिपेलिटियों और जिला बोर्डों द्वारा, घनाघाव के कारण अच्छी तरह नहीं होता था, यह प्रान्तीय सरकारे कर रही है। सन् १९४१-४२ के अन्त में सङ्क सम्बन्धी कोप ('रोड फँड') का हिताव इस प्रकार या—पेट्रोल टैक्स से इस वर्ष में प्राप्त वथा गत वर्षों की बाकी का कुल १३ करोड़ २० लाख रुपया जमा या। इसमें २ करोड़ ७४ लाख ८० रक्षित कोप रखा गया; ११ करोड़ ६० लाख निटिश भारत के प्रान्तों को, और ६ करोड़ ८० लाख रियासतों को, पेट्रोल के सर्वे के अनुशार से दिया गया; शेष किसी तात कार्य के लिए निवारित न होकर बाकी रहा। गाँवों की सङ्कों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु देश के विस्तार और विद्युती कई दशाविदियों से होने वाली अवहेलना का विचार करते

हुए कहना होगा कि आभी बहुत काम करने को पड़ा है।

बेन्द्रोय और प्रान्तीय सरकारों ने हजारों मील लम्बी सड़कें बनाने की योजना बनायी है, पर उसका रद्द यह है कि सड़कों द्वारा विदेशी माल देश के भोतरी भागों में पहुँच सके, और यहाँ विदेशी मोठर और उनके पुँज़े आदि की आवाहन को प्रोत्थाहन मिले। लोगों की इस विषय में सतर्क रहना चाहिए।

रेल—यातायात के साधनों में रेलों का स्थान प्रमुख है। इनके द्वारा भारतवर्ष के दूर-दूर के भागों में पदार्थों का व्यापार होने लगा है, और भारतवर्ष का विदेशी सम्बन्ध बढ़ने में बहुत सहयोग मिला है। रेलों में हजारी मन माल इधर से उधर भेजा जाता है। यदि देश में एक जगह अकाल पड़ रहा हो, तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से, जहाँ वे अधिक हो, जल्दी ही लाये जाकर बहुत-से आदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। रेलों के कारण, पदार्थों का बाजार बढ़ जाने से, उत्पत्ति वही साक्षा में होने की अनु-कूलता हो गयी है। अमियों की श्रव, जहाँ अधिक लाभदायक तथा उन्निकर वाम मिलता है, वहाँ जाने की सुविधा बढ़ गयी है।

रेलों से हानियाँ भी हैं। व्यापारी अपने लाभ के लिए बहुत से ऐसे पदार्थों को भी विदेशी में भेज देते हैं, जिनकी यहाँ आवश्यकता होती है, परन्तु जिनके यहाँ इतने दाम नहीं मिलते, जिनने दाम विदेशी द्वारा सकते हैं। निर्यात होने से यहाँ ये पदार्थ महँगे हो जाते हैं। निर, आज-दिन भारतवर्ष के नगरों और कस्बों में जहाँ देनो, वितातखाने, कपड़े और फुटकर सामान की दूकानें विज्ञायती पदार्थों से भरी पड़ी हैं। हमारे उच्चोग-घन्घे या दस्तकारों नष्ट हो गयी हैं। विदेशी पूँजीयति अपनी पूँजी लगाकर, यहाँ के सस्ते कच्चे माल और सक्ती मजदूरी से अपरिमित लाभ उठा रहे हैं, और देश का आर्थिक शोरण कर रहे हैं। इसमें रेलों का साग स्पष्ट है।

उन् १९४२-४३ के अन्त में भारतीय रेलें कुल ४०,५०५

मील थीं। १९ मार्च मन् १९४३ को रेलवे की नौकरी में ८,२६,०४६ आदमी थे। रेलों में ८५० करोड़ रुपये लगा हुआ है। इन्होंने मन् १९४२-४३ में कुल १६७ करोड़ रुपया कमाया, इसमें से ८६ करोड़ रुपया खर्च हो जाने पर, शेष ८१ करोड़ का मुनाफ़ा रहा।

भारतवर्ष ने अधिकतर रेलवे लाइनों की मालिक भरकर है; इनमें से कुछ का प्रबन्ध वह स्वयं करती है, शेष का प्रबन्ध विविध कम्पनियों के हाथ में है। अन्य रेलों में से कुछ, डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों या देशी राजधानी की हैं। स्वयं कर्तनियों की रेलें बहुत कम हैं। प्रबन्ध करनेवाला कंपनियाँ, शर्तनामे के अनुसार, कुछ मुनाफ़ा पाती हैं। याकी मुनाफ़ा सरकार को मिलता है।

रेलें चार तरह की हैं—(१) लंडर्ड माप की—अर्थात् सड़े पौच्छ कुट चौड़ी, (२) मोटर माप की—अर्थात् ३.२६ कुट चौड़ी (३) छोटे माप की अर्थात् ढाई फीट चौड़ी और (४) छोटे लाइन—अर्थात् दो फीट चौड़ी। अधिकाध रेलवे लाइन प्रथम दो प्रकार के ही माप की हैं। अधिक आमदारपत्र वाले स्थानों में ये लाइनें दोहरी हैं—एक लाइन जाने के लिए और दूसरी जाने के लिए। इससे दोनों तरफ की गाड़ियाँ एकसाथ ही आ-जा सकती हैं।

भारतवर्ष की रेलों की व्यवस्था में कई दोष हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य का ही हम यहाँ उल्लेख फरते हैं—

(१) रेलों में विदेशी पूँजी लगी हुई है, जिससे उत्तरका यह दर साल बादर मेज़ना पड़ता है।

(२) कई रेलों का प्रबन्ध विदेशी कंपनियों के हाथों में होने के कारण, बहुत-सा सालाना मुनाफ़ा भी बाहर मेज़ना पड़ता है। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्तियाँ बहुत कम होती हैं, रेलों के भारतीयकरण की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता।

(३) रेलवे कम्पनियाँ देशी उद्योग-धर्घो तथा व्यापार के हास-

अथवा उन्नति का विचार न कर, सिर्फ अविक माल दोने और उसके द्वारा अविक लाभ उठाने का ही ख्याल रखती है। वे बन्दरगाहों से देश के भीतर आनेवाले विदेशी माल पर, तथा भीतर से बन्दरगाहों को जानेवाले (भारतीय) कच्चे माल पर महसूल कम लेती है। यदि यहाँ के कच्चे माल को कोई बाहर न भेजकर देशी कारबानों में ले जाना चाहे तो ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है।

(४) जैपी सुविधा और रियायतें कच्चे माल के नियंत्रित को दी जाती हैं, वैसी तैयार माल के नियंत्रित को नहीं। उदाहरण के लिए टेलहन की अपेक्षा टेल बाहर भेजने में किराया बहुत अधिक देना पड़ता है।

(५) रेलवे कम्पनियों के स्वार्थ अलग-अलग हैं और प्रबन्ध भी पृथक्-पृथक्। इसलिए वे सब अपना-अपना लाभ देखती हैं, देश के लाभ का उन्हें ध्यान नहीं। यदि सबका स्वार्थ और प्रबन्ध एक ही हो तो व्यापरियों की असुविधाएँ कम हो जायें।

(६) लगभग ६६ फी सैकड़े यात्री तो सरे दर्जे में सफर करते हैं। उन्हीं से अधिक आय होती है। परन्तु विदेशी कम्पनियों और सरकार उनके अपार कष्टों की कुछ परवा नहीं करती।

(७) जब रेलों खुलाँ, तो बड़े-बड़े शहरों और व्यापार की मंडियों में होती हुई गयी। उस समय देश के भीतरी भागों का ध्यान नहीं रखा गया। सड़कों और नदियों के पुज्जों का मी तुवार नहीं हुआ। पीछे ब्रॉच (शाखा) लाइनें खुलने लगीं। पर उनमें यथेष्ट बृद्धि नहीं हुई। इसलिए सब घनवे घने शहरों में ही इकट्ठे होने गये।

(८) रेलों की माप अलग-अलग हैं। इसलिए जब माल को एक लाइन से उतार कर दूसरी लाइन पर लाइना पड़ता है, तो बहुत खर्च पड़ता है; साथ ही दूटने और नोटी जाने की जो वित्त भी बढ़ जाती है।

(९) इस देश में रेलवे लाइनें बर्बाद से खुली हुई हैं; किन्तु रेल

के पहिए, एजिन आदि अधिकाश सामान अभी विदेशो में ही आता है। आवश्यकता है कि रेलों का सब सामान यहीं तैयार कराया जाय और उसके लिए करोड़ों रुपया विदेशों न भेजा जाय।

(१०) रेलवे में घूमस्थोरी बहुत बढ़ी हुई है, वह पन्द की जानी चाहिए।

सन् १९३५ ई० के शासन-विधान के अमल में आने से पूर्व रेलवे विभाग पर भारत-सरकार और भारतीय व्यवस्थापक मण्डल की नियन्त्रण था; भारत-सरकार का एक सदस्य रेलवे विभाग का कार्य करता था। उस वर्ष के विधान के अनुसार निश्चय किया गया कि इस विभाग का कार्य 'सघीय रेलवे अपारिटी' के सुपुर्द रहे। इसके सात सदस्य हो, जिनमें से सभापति और कम-से-कम तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल अपनी भर्जी से करे। गवर्नर-जनरल की अनुसति यिन रेलों के माल तथा यात्रियों के किराये-भाड़े आदि के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वेन्ट्रीय व्यवस्थापक मण्डल में उपस्थित न किया जाय। सचेप में, रेलों ने प्रबन्ध और सचालन आदि में जनता के ग्रतिनियतों का कुछ विशेष नियन्त्रण न हो; रेलवे अपारिटी तथा गवर्नर-जनरल जैसा चाहें कर सकें; यद्यपि रेलों में जो लगभग नी सौ करोड़ रुपये लगे हुए हैं, वह मारतीय जनता के हैं, तथा उन पर दी जानेवाली ब्याज की रकम जो ग्रति वर्ष नीस बत्तीस करोड़ रुपये होती है, उसे भारतीय कर-दाता ही देते हैं। रेलवे अपारिटी की योजना बहुत अलंकोपश्च रही। इसकी चाहुं और यहूत निन्दा हुई। यह अभी तक अमल में नहीं आयी है।

मोटर—मोटरों द्वारा यात्रा ही नहीं होती, सामान भी ढोया जाता है। बहुत-से स्थानों में रेलों जारी नहीं हुई है। गाँवों का तो चात ही क्या, अनेक नगर और कस्बे ऐसे हैं जहाँ रेल नहीं पहुँचती, और जो रेलवे स्टेशनों से पचास-पचास या सौ सौ मील तक दूर है। ऐसे स्थानों में यदि सड़क टीक हो तो मोटर अच्छी तरह काम दे सकती है। रेल से दूर के बहुत से स्थानों में डाक पहुँचाने का भी काम मोटर

करती है। जहाँ रेल जाती है, वहाँ भी बहुधा आमदरम् बड़ जाने पर मोटर खूब चलती है। प्रायः इनमें महसूल या किराये की दर रेल के बराबर ही रहती है। इनमें रेलों की तरह भारी पूँजी की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ही व्यक्ति अकेले अपनी पूँजी से कई कई मोटर चलाते हैं; सरकार को ट्रेन्सल सङ्कें ठीक कराने की ज़रूरत रहती है।

मोटरों की सक्तिना गत वर्षों में इतनी अधिक हुई है कि सरकार को रेलों के विषय में चिन्ता हो चली। कई स्थानों में मोटरों की प्रतियोगिता के कारण रेलवे कम्पनियों को रेल का किराया कम करना पड़ा, तथा मोटरों पर तरह-तरह के प्रतिवन्ध लगाये गये। पेट्रोल पर आयान-कर बढ़ाये जाने की बात पहले कही जा चुकी है। कहाँ-कहीं मोटरवालों पर पुलिस की भी धौंत रहती है। इतनी प्रतिकूलताओं के होते हुए भी मोटरवाले कुछ कमाते ही हैं, जब कि रेलों को बहुधा घाटे का रोना रहता है। इसका रहस्य यह है कि मोटरवाले मित्रव्यविता से काम लेते हैं, और रेलों में विशेषतया उच्च पदों के लिए भारी वेतन और भत्ता आदि दिया जाता है, तथा अनेक प्रकार में लापरवाही से खर्च किया जाता है। यदि कहीं मोटरों को उपर्युक्त आधाओं का सामान न करना पड़े, और सरकार इन्हें रेलों का प्रतिद्वंदी न समझकर इन पर भी कृपा-हार्षि रखे तो इनके कार्य में विलक्षण उत्तरि हो।

रेल-रोड योजना—सरकार ने एक रेल रोड योजना यनायी है। देश भर की मोटर लारियों का एक ट्रस्ट हो, सब लारियों इमी ट्रस्ट की ओर से चलायी जायें, दूसरी कोई लारी स्वतंत्र रूप से न चले। हर एक लारी का किसी स्थान से चलने का समय, किसाया तथा उसकी सवारियों की सख्त निश्चित रहे। इस ट्रस्ट के खट प्रतिशत हिस्सेदार पुराने मोटर-मालिकों में ने हो, और शेष हिस्सेदार रेलवे कम्पनियों के या सरकार की ओर से हो। इस ट्रस्ट को जो मुनाफा हो, वह हिस्सेदारों में बट जाया करे।

यह योजना इतनी सचिंती है कि इसमें मुनाफे की कोई आशा नहीं; झारण, इसके प्रबन्ध में इज़ीनियर और डायरेक्टरों को ही इजारों रूपये माहवार चाहिए; फिर मिल्ही, बजर्स, मुन्शी, द्वाइवर, कन्डक्टर आदि को तरफ़ाहँ अलग रही। असल में बात यह है कि रेलवे कम्पनी बहुत कोशिश करने पर भी मोटर-बालों का मुकाबला न कर सकी। वह सरकार द्वारा उन्हें कानूनी प्रतिबन्ध में लाना चाहती है। अधिकारियों ने कुछ खनी मोटर-मालिकों को, डायरेक्टर आदि बनाने का प्रलोभन देकर, इस योजना के पक्ष में कर लिया है। योजना से बड़े-बड़े मोटर-मालिकों को भले ही कायदा हो, अधिकार छोटे-छोटे मोटर बालों के रोजगार को इससे बहुत घटका पहुँचने की आशका है। दौँ; इस बात की आवश्यकता इस तरीकार करते हैं कि मोटरों के मालिक मुमालियों के साथ अच्छा वर्ताव करें, सवारियों की सख्ता निश्चित रहे, उसमें अधिक सवारियों न बैठायो जायें; मोटरों में सामान परिमित परिमाण से अधिक न रखा जाय, और वे दूर जगह से रवाना होने का समय यथा-समय निश्चित रहें। आशा है, इन मुवारों की ओर ध्यान दिया जायगा।

नदियाँ और नहरें—स्थल-मार्ग की अपेक्षा, जल-भाग से माल लेजाने में बहुत कम स्वर्च होता है। नदियों प्राकृतिक साधन हैं, उन्हें बनाना नहीं होता; मामूली सर्वे में उन्हें बनार के लिए ढीक रखा जा सकता है। जल मार्ग से माल लेजाने में शक्ति भी कम लगती है, बदाव की तरफ लेजाने में ही प्रायः कुछ भी शक्ति नहीं लगानी पड़ती। भारतवर्ष में जल मार्ग का उपयोग प्राचीन समय से ही रहा है। यदि भी एक कारण है कि नदियों के निवारे बड़े-बड़े शहर, तीर्थ तथा व्यापार-केंद्र बन गये। सुगल बादगांव के शासन में भी यदौं जल-मार्गों की अच्छी स्थिति रही। परन्तु अहरेजों के शासन में दशा बिगड़ गयी, सरकार ने रेलों पर तो असख्य दरया लगाया, पर ग्रान्तिक जल-मार्गों के उपयोग की ओर ध्यान न दिया। सरकारी

सरक्षण और महायता के अभाव, और रेलों की प्रतिस्थदां ने इन्हें प्रायः नष्ट कर दिया। इधर कुछ वर्षों से इस ओर ध्यान दिशा जाने लगा है, पर अभी विशेष कार्य नहा हुआ। अस्तु, देश को आर्थिक उन्नति के लिए, लाखों नाविकों को काम के लाभ देने के लिए, और मालदुनाई के कार्य को विदेशी पूँजी के प्रमाण से मुक्त करने के लिए, इस कार्य के उदार की बड़ी आवश्यकता है।

भारतवर्ष की नाव चलाने वोगर नदियों में मिथ, गंगा, और ब्रह्मपुत्र मुख्य हैं। इनमें मुद्राने ने लेकर सैकड़ों मील तक प्रायः चारदो महीने नाव चल सकती है। खिंच नदी को महायक चलाव और मनलज्ज में भी साथी दूर तक चारहो महाने नाव चलती है। हुगली, महानदी, गांधारी और कुण्डा नदियों में भी डेल्टा के ऊपर कुछ दूर तक नाव जा सकती है। वर्षा शून्य में तो छोटी नदियों में भी नाव लेजाने की सुविधा रहती है। पूर्वी बंगाल में नावों के लिए मुमीता सबसे अधिक है; इस भाग में अधिकांश जट और घान आदि नाड़ी ने ही ले जाया जाता है।

नहरें यहाँ विशेषतया आवपाशी के लिए बनायी गयी हैं। इनके द्वारा व्यापार बहुत कम होता है। ये बड़े-बड़े शहरों और मुख्य मुख्य महियों में होकर नहीं गुजरती, और न इनका सम्बन्ध समुद्र से ही है। बहुधा नहरों के चक्करदार रास्ते से मान ढोने में रेल की अपेक्षा समय और खर्च भी अधिक पहता है। कुछ नहरें बेवल सामान ढोने के लिए भी बनायी गयी हैं; परन्तु उनकी आमदानी में उनका खर्च और पूँजी वा बेवल खद हो निकलता है। नहरों को, सामान ढोने में उड़ीता, मिथ, मदरास और दर्क्षिण-बङ्गाल के, नदियों वे मुहानेवाले स्थानों में ही सकता मिल सकती है, जहाँ रेलों के लिए पुल बनाना बहुत कठिन, एवं बड़े खर्च का काम है।

जहाज— अति प्राचीन कान से लेकर उज्जीतवीं सदी के मध्य तक मारतवर्ष अपने ही जहाजों तथा जहाज-चलानेवालों से तटीय

(ममुद्र के किनारे का) तथा विदेशी व्यापार करता था। पीछे यह कार्य धीरे-धोरे बन्द हो गया। विणिक-तुदि-प्रधान अंगरेज व्यवसायी भारतवासियों को इस से लाभ उठाते देखना सहन न कर सके। वे यहाँ से जहाजों वे उपयोगी समान अपने देश को लेने और वहाँ ही जहाज बनाने लगे। अब भारतवर्ष का तटीय तथा समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा होता है, इससे हमें करोड़ों रुपया उन जहाजों को देना होता है। यहाँ अधिकतर माल इङ्लॅण्ड और अमरीका के जहाजों से आता-जाता है।

इस परिस्थिति में सुधार करने की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत आदोलन होने के बाद सरकार ने सन् १९२३ ई० में 'इन्डियन-मरकेटाइल-मेरीन-कमेटी' की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य यह जॉन्च करना था कि भारतीय जहाज चलाने, तथा जहाज बनाने के काम में किन-किन उपायों से उचित हो सकती है। इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार डफरिन-नामक बेड़े पर जहाजों के कर्मचारियों तथा इजिनियरों की शिक्षा को व्यवस्था की गयी। परंतु इस शिक्षा का उपयोग ही क्या है, जबकि कोई स्वदेशी जहाजी बेड़ा ऐहा न हो, जिसमें वे काम करसकें।

यहाँ कुछ स्वदेशी जहाज-कम्पनियों को भी पछ प्रतियोगिता महनी पड़ती है। सन् १९२८ ई० में श्री० हाजी जी ने भारतीय व्यवस्थाक सभा में इस विषय का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि मारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित किया जाय; पाद कोई मिथित पूँजी की कम्पनी जहाज चलाये तो उसका संचालन, प्रबन्ध और व्यवस्था अधिकारी में भारतीयों द्वारा हो। सरकार को इस प्रस्ताव में जातीय मेड-भाव की दृष्टि की गंध प्रतीत हुई, और उसने इसे टाल ही दिया।

सन् १९३७ में सर गजनवी का इस आशय का प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया कि तटीय व्यापार में भारतीय जहाजों कम्पनियों

को विदेशी कम्पनियों की किराये आदि की अनुचित प्रतियोगिता न सहनी पड़े। इस प्रस्ताव का कोई अच्छा नतीजा जनता के सामने नहीं आया।

अगर भारतवर्ष अपने आयात निर्यात का काम अपने जहाजोंद्वारा करे, तो उसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये (जो अब विदेशी को जाते हैं) किराये के बचते रहें, और भिन्न-भिन्न श्रेणियों के दज्जारों आदमियों को रोजगार मिल जाय। परन्तु यहाँ भारत-सरकार इस ओर उदानोन है। व्यापारिक जहाज बनाना या इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता देना तो दूर रहा, वह स्वयं अपने लिए जो मामान मौजाती है या अपनी ओर से सामने बाहर भेजती है, उसके भी लाने-लेनाने का अवसर देशी कम्पनियों को नहीं देती। सरकार की बाबाओं और उदासीनता की वर्तमान नीति अत्यत हानिकारक और निन्दनीय है। जब तक इसका परित्याग न होगा, जहाज बनाने के उद्योग का भविष्य अंधकारमय रहेगा, तथा समुद्री व्यापार भारत के लिए धर्षण लाभदायक न हो सकेगा।

बन्दरगाह—भारतवर्ष के आधुनिक व्यापार में बन्दरगाहों का बड़ा महत्व है। अब तो हमारे व्यापार की दशा ही बन्दरगाहों की ओर है। वहाँ पहुँचने वाले माल का परिमाण खूब बढ़ गया है। बन्दरगाहों में माल दो उद्देश्यों से तो जाता हो इसे—वहाँ से जहाजों द्वारा विदेशी में जाना, और दूसरे बन्दरगाहों में जाना। वहाँ माल जाने का एक बारण रेलवे महसूल सम्बन्धी वर्तमान नीति भी है। जैसा कि पहले कहा गया है, यद्दों रेलवे बन्दरगाहों पर जाने वाले कच्चे माल पर जो महसूल लेती है, वह उस माल के महसूल की अपेक्षा कम होता है, जो उस बन्दरगाह के नजदीक किसी दूसरी जगह के लिए भेजा जाय। इस लिए जब किसी व्यापारी को किसी ऐसे नगर के कारखाने के लिए कच्चा माल भेजना हो, जो किसी बन्दरगाह के निकट हो, तो उसे उस माल को कारखाने में सीधा न भेजकर बन्दरगाह के रास्ते भेजने में किशायत

रहती है। अस्तु, आव विविध कारणों से बन्दरगाहों पर माल बहुत भेजा जाता है। फिर, हमारे यहाँ विदेशी माल की खदान बहुत यद्यगाही है, यद माल दूसरे देशों से हमारे बन्दरगाहों पर हो आकर उत्तरला है। माल के इस आने और जाने का काम बहने से बन्दरगाहों का विशेष महत्व हो गया है। बड़े-बड़े जहाजों का चलन हो जाने के कारण प्राचीन काल के बहुत से बन्दरगाह आव व्यापार के लिए उपयोगी नहीं रहे हैं। इसके विपरीत, कुछ नये बन्दरगाहों की बहुत उच्चति हुई है। भारत-सरकार की, विदेशी व्यापार में, विशेषतया इंग्लैण्ड से होने वाले व्यापार में खूब दिनचर्टी है। इस लिए यह बन्दरगाहों की उच्चति में काफी व्यापार होती है।

इवाई जहाज़ — विद्युती सदी तक यातायात तथा आमदारपत्र के प्रायः दो ही मार्ग थे—स्थल-मार्ग और जन मार्ग। आव वायु मार्ग का भी उपयोग होने लगा है, और क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मारतवर्ष में इसकी वृद्धि की बहुत सम्भावना है; कारण, वायु मार्ग के विचार से इस देश की प्रकृतिक स्थिति बहुत अनुकूल है; उस समय को छोड़ कर, जबकि जल वर्षाने वाली इवाई चलती है, यहाँ की जल वायु आदर्श है। इवाई जहाज़, उसके उत्तरने के स्थान तथा ठहरने के स्टेशन, और प्रकाश-भवन आदि बनाने में रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन आदि की अपेक्षा कम खर्च होता है। अभी इवाई जहाजों के लिए कच्चे माल आदि का भारी सामान दोनों कठिन है; परन्तु जब बहुत-से इवाई जहाज़ जाने लगेंगे तो यह कठिनाई न रहेगी। सोने और चांदी का माल ढोने के लिए इवाई जहाज बहुत ही उपयुक्त है। उन पर बहुत कम लोगों के हाथ लगते हैं, इसनिए चोरी का डर कम रहता है। इसी से इवाई टाक से पेटी चीज़ें मेही जाती हैं।

भारतवर्ष के बड़े-बड़े नगर इवाई जहाज़ द्वारा जोड़े जा चुके हैं, बीच में स्थान-स्थान पर इवाई जहाजों के उत्तरने के लिए जगह तैयार की जा रही है। इवाई जहाज़ में यात्रा करने या टाक में ब्रने में समय

की बहुत बनत होती है।

दिसंवर मन् १९४० में श्री० वालचन्द हीराचन्द ने चालीसलाख रुपये की पूँजी से जहाज बनाने के लिए एक कम्पनी बनायी, जिसका नाम 'हिन्दुस्थान एथर-काप्ट कम्पनी' है। कम्पनी ने बगलीर में एक कारखाना खोला, जहाँ कि नस्ती विडली और अच्छे भीलाद मिलने की सुविधा है। कापनों को पूँजी संधे ७५ लाख रुपये की करदी गयी। इस में मैसूर सरकार का भी अच्छा दिलाया है। सुदूर-काल के लिए इस कम्पनी का कारोबार भारत सरकार ने अपने अधीन रखा। इस का पहला जहाज जुलाई १९४१ में उठा था।

डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो—डाक और तार से भी व्यापार की इक्किंच होती है। यह कार्य सरकार द्वारा सुनालित होता है। डाक और तार विभाग आगे काम के लिए द्वारा जहाजा, रेलो, मोटरो, और जहाजों का उपयोग करता है। इस विभाग का सन् १९४२-४३ ई० का काम नीचे लिखे अको से मालूम हो जायगा।—

डाक में मैजी गयी कुल चक्कुओं की सख्त्या १,३७,६० लाख
रजिस्टड चक्कुओं की सख्त्या ४,२३ „

यीमे द्वारा भेजी गयी चक्कुओं की सख्त्या २८ „

मनिशार्डों की सख्त्या ५,१० „

शीमों का मूल्य ८० १,१८,३० „

डाक मदखून ८० १०,४८ „

मनिशार्डों का मूल्य ८० १,१३,६० „

पोस्टल शार्डर विके, उनका मूल्य ८० १३ „

वी० पी० द्वारा संग्रह किया गया ८० १७,५० „

इस विभाग को कुल आय १२ करोड़ ४८ लाख रुपया हुई, और खर्च १८ करोड़ ४८ लाख रुपया हुआ। कुल डाकवानों की सख्त्या २५,६७१ थी। सन् १९४२-४३ के अन्त में मेल लाइन (डाक जाने का मार्ग) १ लाख ४६ हजार मोल थी, और इसमें १ लाख २२

हजार आदमी काम करते थे। वर्ष के अन्त में तार की लाइन एक लाख मीटर से अधिक थी। इस साज देश तथा विदेशों में दो करोड़ उनतालीम लाख तार भेजे गये। डाक और तार से, लच्चे काटकर, इस वर्ष कुल ४ करोड़ ५२ लाख रुपये का मुनाफा रहा।

टेलीफोन का अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों से या कहाँ-कहीं एक ही नगर के भीतर रहता है। यहें-बहु शहरों में एक जगह से दूसरी जाने-आने में काफी समय लगता है; टेलीफोन के द्वारा व्यवसायी अपनी-अपनी दुकान या दफतर में थैठे हुए कई-कई मिनट तक बातचात कर सकते हैं। ३१ मार्च सन् १९४३ को भारतवर्ष में डाक और तार विभाग द्वारा स्थापित टेलीफोन-एक्सचेंज कार्यालय २६३ थे, इनके २६,६०० सीधे सम्बन्ध (कनेक्शन) थे। सरकार को इस भद्र से लगभग एक करोड़ रुपये की आय हुई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कर्नाची और अहमदाबाद में विविध कम्पनियों द्वारा स्थापित टेलीफोन-एक्सचेंज २६ थे और इनकी ६६,२६५ टेलीफोन लगी हुई थीं।

बेतार-के-तार द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में, तथा अन्य देशों के प्रधान नगरों में, समाचार बहुत जल्द आ-जा सकता है। समुद्र-पार के स्थानों में, अथवा समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज पर समाचार भेजने के लिए यही साधन काम में लाया जाता है। सन् १९३६-४० के अन्त में डाक और तार विभाग की ओर से बेतार-के-तार के २२ स्टेशन थे; इनमें से तीन स्टेशन जनसाधारण के तार लेते थे। छः स्टेशन समुद्र में स्थित जहाजों से धातचीत करने का कार्य करते थे, और छः स्टेशन इवाई जहाजों से सम्बन्ध रखने वाले थे।

रेडियो द्वारा दूर-दूर के देशों में समाहार भेजने की व्यवस्था हो गयी है। एक बच्चा का भाषण या गाना-बजाना हजारों मील दूर के आदमी, अपने-अपने घरों में इस चंच के पास बैठकर, अच्छी तरह सुन सकते हैं। रेडियो-कम्पनियों इसके द्वारा चीजों का विशेषण भी करती

है; उदाहरण के लिए कुछ स्थानों में रेडियो द्वारा नयी-नयी पुस्तकों का परिचय दिया जाता है। भारतवर्ष में ऐडियो का केन्द्रीय (अखिल भारतवर्षीय) हेडफ़ार्टर नयी देखनी में है। इसके कुन नौ स्टेशन हैं—देहली, बम्बई, मदरास, कलकत्ता, लाहौर, लग्नमऊ, त्रिचनापुरों, दाक्षिणायी और पेशावर। जनवरी १९४५ के अन्त में १,२१,५६४ व्यक्तियों तथा संत्थाओं ने इसका लेसन्स ले रखा था। लेसन्स डाक और तार विभाग के डायरेक्टर जनरल (नयी देहली) की ओर से यहे डाकघासों तथा छोटे डाकघासों (सब-पोस्ट आफिस) द्वारा जारी हिये जाते हैं।

व्यापार के साधनों की उन्नति और उसका प्रभाव—माल दोनों की उन्नति के कारण, देश के भीतर एक जगह पे दूसरी जगह तथा बन्दरगाहों से माल का आना-जाना बढ़ा है। तो ने नयी लड़कों की मर्मिय बढ़ा दी है, व्यापार के पुराने रस्तों को दून दिया है, और प्राचीन मडियों को बन्द करके नये व्यापार-रेन्ड बोन दिये हैं, जो रेलवे लाइनों के किनारे चले हैं। रेले और माल ट्रैनवाली मोटरें पुराने दफ्तरों वैन-गाड़ियों तथा लद्दू जानवरों का शाम कर रही है। किन्तु देश के भीतरी भागों में अभा उनकी पूरी गहुँच नहीं हुई है। सामान-दुलाई का पर्चं कम हो गया है। जहाजों तथा कुछ अश में वायुयानों ने भारतवर्ष का व्याग्रातिक सम्बन्ध दूर-दूर के देशों से कर दिया है। यहाँ का देशी तथा विदेशी व्यापार लूप बढ़ र्या है। इमारा कच्चा मान विदेशी को चला जा रहा है, और उनका प्रियार माल इमारे बाजारों को पाठ रहा है। स्वदेशी उद्योग धन्दे नष्ट हो रहे हैं। इमारे किमान पदले व्यापकर यहाँ के आदमियों के लिए अवश्यक जीज़ देश करते थे। अब उनका प्यान ऐसे पदार्थ पैदा रने की ओर रहता है, जिनकी कोमत अच्छी मिले, जाहे उनकी तीव्रालों को आवश्यकना न हो, और वे केवल दूसरे देशों में ही जै जाने योग्य हो। आजकल बन्दरगाहों की उन्नति हो रही है,

क्योंकि देश का माल यदी आकर विदेशों को जाता है, और विदेशी माल भी यही आकर देश भर में फैलता है। अस्तु, व्यापार के साधनों की उन्नति तो हीनी चाहिए, परन्तु उसके साथ ही उनके भारतीय जन-प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में रहने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे उनके द्वारा व्यापार को जो दृष्टि हो, वह हमारे लिए हितकर हो।

युद्ध, और व्यापार के साधन—भारतवर्ष में व्यापार के साधन शान्ति-काल के लिए भी कम हैं, फिर युद्ध-काल की बात ही स्या ! वर्तमान युद्ध में युद्ध-कामग्री तथा ऐनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-लेजाने में ही बहुत भी सवारी गाहियाँ, तथा माल-पड़ी के डिव्हे और एक्रिन लग गये। सर्वत्राधारण के बास्ते इनकी कमी पड़ गयी। व्यापारियों को वड़े हुए किराये पर भी मालगाड़ी के डिव्हे काफी सख्ता में न मिल सके, माल के निर्धारित स्थान पर पहुँचने में बहुत अधिक समय लगा, कुछ मान तो राहते में खराय दी हो गया। बहुत सी अच्छी अच्छी मोटर-जारियाँ लड़ाई के काम के बास्ते ले ली जाने से, नथा पेट्रोल का नियन्त्रण होने से मोटर-जारियों से भी माल दौने का काम योग्य रूप में नहीं लिया जा सका। इससे व्यापार अस्त-न्यस्त हो गया। देश में पेहले यातायात का बहुत सा काम बैल गाड़ी, जैट-गाड़ी, लचर, और गधो द्वारा होता रहा है, परन्तु इससे माल बहुत दूरी के स्थानों में ले जाना आमतौर पर नहीं है। फिर, लम्बे फाललों के लिए इनका उपयोग करने का हमें अब अन्याय या आदत भी नहीं रही है। युद्ध-काल में जनता ने इनकी और ज्ञान दिया, और जदौं तदौं इनका उपयोग भी, किया, तथापि अनेक स्थानों के आदमियों के पास यादर के पदार्थ नहीं पहुँच सके और उन्हें मोत्रन-व्यव्हार का भयकर कष्ट उठाना पड़ा। इससे लोगों को उस युग को याद आयी, जब रेल और मोटर का प्रचार न होने पर भी वे आज़क्ल की तरह कष्ट नहीं पाते थे; कारण, उन-

समय प्रत्येक ग्राम और नगर यथा-सुभव स्वावलम्बी या, आदमी अपनी आवश्यकताओं की चीज़े पैदा करते थे, और यातायात का काम अपने ही अधीन साधनों से, यैनगाड़ी, झौंट, गधो आदि से ले सेते थे। अब रेल मोटर आदि बडिया-बडिया साधन है। परन्तु, अफसोस ! वे समुचित रूप से जनता के काम नहीं आते; वे मरकार के नियशण में हैं, जो उनकी व्यवस्था जनहित की इच्छा से नहीं करती। उदाहरण के लिए उन्होंने इस समय भी भारतवर्ष के लिए जहाज़ यदौं न बनवाकर आस्ट्रेलिया में बनवाये। यह परिस्थिति अब असत्य है। इसमें अविलम्ब सुधार होना चाहिए।

उन्नीसवाँ अध्याय देशी व्यापार

पहले बताया जा चुका है कि आजकल अधिकांश दिनिमय-कार्य रूपये-पैसे द्वारा होता है। हम अपनी चीज़ बेचकर रूपया लेते हैं, और किसी चीज़ को खरीदने के लिए रूपया देते हैं। इस खरीद-ज़रोज़ा या क्रय-विक्रय के शर्य को व्यापार कहते हैं। व्यापार खासकर दो प्रकार का होता है—देशी और विदेशी। देशी व्यापार देश की मीमांसा की भीतर भा व्यापार है। विदेश में आनेवाले तथा विदेश को जानेवाले माल के व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं।

देशी व्यापार के भेद—इस अध्याय में देशी व्यापार का वर्णन किया जाता है। इसके दो भेद सुनिय हैं:—(१) आंतरिक या भौतिकी व्यापार, और (२) तटीय व्यापार जो समुद्र के किनारे के स्थानों में होता है।

आजकल सट्टे और तुकड़े का भी, व्यापार में इतना विनिष्ठ सम्बन्ध ही गया है कि कुछ लोग इनमें और व्यापार में कोई भेद नहीं

समझते। उपर जिन व्यवसायों का उल्लेख है, उन्हें छोड़कर जो क्रय-विक्रय केवल तेजी-मन्दी होने की सम्भावना पर, नका होने की आशा से, किया जाता है, उसे सदा ('त्पेक्ष्युलेशन') कहते हैं। इसमें बेचे तथा खरीदे हुए माल को देना लेना होता है, कुछ दशाओं में माल के विनिमय से होनेवाले हानि-लाभ की रकम ही दो या लौ जाती है। जो सीधा बेशुमार लाभ होने की आशा से, हैतियत से अधिक किया जाता है, और जिसमें माल का देना लेना नहा होता, उसे जुआ कहते हैं। इसके लेन देन की सुनवाई अदालत में नहीं होती।

आंतरिक व्यापार और उसके केन्द्र—देशों व्यापार में निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है:—(क) देश में उत्तर या तैयार किये गये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा कर बेचना, या उन्हें विदेशी में बेचने के लिए बड़े-बड़े बन्दरगाहों में पर मेजना। (ख) विदेशी से देश के बन्दरगाहों पर आये हुए माल को देश के भौतिक भागों में पहुँचा कर बेचना।

ज्यो-ज्यो आमदरफत और यातायात के साधनों की उन्नति होती जाती है, मारतवर्ष का भौतिक व्यापार बढ़ता जाता है। लोगों की आर्थिक अवस्था सुधरने पर इसमें और भी अधिक प्रगति होने की आशा है। व्यापार के केन्द्र या महियाँ देश के भिन्न-भिन्न भागों में हैं। कलकत्ता और बंगलौर सुख्य बन्दरगाह होने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण श्रीधोनिक केन्द्र भी है। स्त्री माल की आयात को परिचम भारत में, वितरण करने का कार्य बम्बूर से होता है। यहाँ का व्यापार प्रवान-तैया भारतीयों के हाथ में है, जबकि कलकत्ते में योद्धियों का जोर है। कराची गेहूँ के व्यापार का केन्द्र है। मदरास आदि बन्दरगाहों का भी व्यापार और उद्योग में लाभ स्थान है। बन्दरगाहों के अतिरिक्त, व्यापार के अन्य बड़े बड़े केन्द्र कानपुर, देहली, अहमदाबाद, अमृतसर, अगरा, लाईर, लखनऊ, नागपुर आदि हैं। कानपुर सुचम्पान्त में एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, और बम्बई तथा

कलकत्ते के बीच में होने से यहाँ से देशी तथा विदेशी माल चारों तरफ भेजने में सुविधा रहती है। देहली नौ रेलवे लाइनों का ज़ंकशन है; यहाँ से पंजाब में तथा सयुक्तप्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में खासकर रुइं, रेशम और ऊन के कपड़े का खूब व्यापार होता है। अहमदाबाद, बम्बई प्रान्त में, बम्बई से दूसरे दर्जे का व्यापारी तथा औद्योगिक नगर है। अमृतसर में कालीगं, चमड़े आदि का कारोबर है। आगरे में दरी, कालोन, गोटान्किनारी संगमरमर आदि का काम अच्छा होता है। इसी प्रकार और भी कितने ही नगरों का व्यापारिक तथा औद्योगिक दृष्टि से अपना-अपना महत्व है।

भारतवर्ष के भीतरी व्यापार के महत्व को बहुधा ठीक ध्यान में नहीं लाया जाता। यह व्यापार यहाँ के विदेशी व्यापार की अपेक्षा कई मुना है, तथापि देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अन्य देशों को तुलना में यह बहुत कम ही है। इसका कारण कुछ तो अधिकों लोगों का सादा रहनसहन है, जिससे वे अपने नज़दीक की चीज़ों से ही अपना निर्वाह कर लेते हैं, और कुछ कारण यह भी है कि जनता में इतनी आर्थिक शक्ति ही नहीं कि वे बहुत से पदार्थों को इस्तेमाल के लिए खरीद सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता—भारतवर्ष के देशी व्यापार में रेल आदि की कमों या इन पर लगाये हुए प्रतिवन्धों से जो वाचा होता है, उसका ज़िक पहले किया चुका है। दूसरी बाधा यह है कि बहुधा एक प्रान्त में अनाज की कमी होने पर दूसरे प्रान्त की सरकार वहाँ काफी उदारता से अब आदि नहीं भेजती; यहाँ तक कि कुछ दशाओं में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में खाद्य पदार्थ जाने में भी बड़ी रकाबट-लगादी जाती है। देशी राज्यों में तो माल बाहर जाने की मनाही प्रायः हमेशा ही रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि कभी-कमी एक जगह एक चीज़ की बहुत कमी होती है, और वहाँ से कुछ मील के फ़ासले पर ही वह चीज़ बहुत सही होती है। ये सब

बातें राष्ट्रीय भावना के बिहद है। भारतवर्ष के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रत्येक वस्तु का निर्वाय व्यापार होना चाहिए। इस विचार से भारतवर्ष के शासन विधान में परिवर्तन हो जाना आवश्यक है।

तटीय व्यापार—तटीय व्यापार में वह सब व्यापार सम्मिलित होता है, जो समुद्रन्तट के एक स्थान का, दूसरे स्थान से होता है; चाहे वह व्यापार स्वदेशी वस्तुओं का हो या विदेशी का। इस प्रकार, इसके अन्तर्गत ऐसे पदार्थों के व्यापार का भी समावेश होता है, जिनके क्रय-विक्रय का देश के भीतरी भागों से कुछ सम्बन्ध न हो। परन्तु ऐसे व्यापार का परिपृथ्ये थोड़ा ही होता है। अतः तटीय व्यापार अधिकतर देशी व्यापार का ही भाग माना जाता है। भारतवर्ष के तटीय व्यापार का ६० कीमदी से अधिक व्यापार कलकत्ते से होता है, उसके पीछे का द्वेष बहुत धनी और उपजाऊ है। कलकत्ते के बाद प्रायः बम्बई, कराची और मदरास का नम्बर है। शेष व्यापार छोटे छोटे कई बन्दरगाहों में बढ़ा हुआ है; इनमें चटगाँव प्रसिद्ध है। कुल तटीय व्यापार प्रतिवर्ष लगभग दो सौ करोड़ रुपये के माल का होता है। यदि भारतवर्ष का स्वदेशी व्यापारी बैड़ा ही और उसे सरकार द्वारा यथेष्ट संरक्षण मिले तो यह व्यापार बहुत बढ़ सकता है।

व्यापारी और उनका समाज—हमारे व्यापार की प्रमुख संचालक दृढ़ी-बड़ी एजेंसी-कम्पनियां हैं, जो अंतिकाल में विदेशी हैं। इन कम्पनियों की प्रधान शाखाएँ यहाँ के बड़े बन्दरगाहों में हैं, कुछ ने अपनी छोटी शाखाएँ भिजनभेज शहरों में खोल रखी हैं। इन कंपनियों के नोचे का व्यापार प्रायः भारतवासियों के ही हाथ में है। इस प्रकार के व्यापार में भारवाहियों ने बड़ा भाग लिया है। इनके अंतिरिक्त बम्बई में पारसियों, भाटियों, चोदरों आर लाजा लोगों ने, पजाब में खत्रियों और मुरलमानों ने, उम्रुक्प्रान्त में यनियों (वैश्यों)

ने बड़ाल और विहार में मारवाड़ियों ने तथा मदरास में चेटी और कोमाटियों ने बड़ी प्रवीणता दिखाई है। खेद है कि अधिकौश व्यापारियों को व्यापार का विशेष ज्ञान नहीं होता, वे भले हुए उपायों से पैसा प्राप्त करने को ही व्यापार समझते हैं, और व्यापारी के नाम को लजित करते हैं। व्यापारियों को जानना चाहिए कि जनता की आवश्यकता की कौन-कौनसी बस्तु विदेशों में पैदा या तैयार होती है; वे चीजें यहाँ किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे देश स्वावलम्बी हो। इसी प्रकार व्यापारी इस बात का पता लगाते रहें कि हमारे यहाँ के कौन-कौनसे उपयोगी पदार्थ ऐसे हैं, जो यहाँ बहुत अधिक होते हैं, और विदेशों में नहीं होते, अथवा कम परिमाण में होते हैं। इन पदार्थों को बाहर मेजने की व्यवस्था करने में उनका उद्देश्य न केवल धन पैदा करना, बरन् लोकाद्वित भी होना चाहिए। यहाँ के व्यापारिक समठनों में योरपियन संस्थाएँ प्रमुख और प्राचीन हैं—यथा एसोशिएटेड चेम्बर-आफ-कामर्स आफ इंडिया, तथा चेम्बर-आफ-कामर्स कलकत्ता (सन् १८३४), बम्बई (१८३६), मदरास (१८३६), और कराची आदि। बम्बई की चेम्बर को छोड़कर, अन्य चेम्बरों में अधिकाश सदस्य योरपियन ही हैं। इन चेम्बरों के अतिरिक्त, कुछ संस्थाएँ व्यापार की भिन्न भिन्न शाखाओं से सम्बन्धित हैं, जैसे जूट मिल एसोशिएशन या काटन मिल एसोशिएट यन। मुख्य-मुख्य शहरों में फुटकर बेचनेवालों को भी कुछ संस्थाएँ हैं।

भारतीय व्यापारियों ने बहुत समय तक अपना संगठन नहीं किया था, इससे उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी, और उनकी शिकायतों पर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कमशः उनमें जागृति हुई; उन्होंने अपनी संगठित संस्थाएँ बनायी। अब करीब-करीब हर प्रान्त में उनकी चेम्बर-आफ-कामर्स स्थापित हो गयी है। इनकी सब से पुरानी संस्था चंगाल नेशनल चेम्बर-आफ-कामर्स (१८८७) है। अन्य कुछ संस्थाएँ

निम्नलिखित है :—मारवाड़ी चेम्बर आफ-कामस^१ (१९०७); इडियन मर्चेंट्स चम्बर एंड व्यूरो, बम्बई (१९०७); साउथ इडियन चंग्मर-आफ-कामर्स, मद्रास (१९०८); इडियन चेम्बर-आफ-कामर्स, कलकत्ता (१९२५); और महाराष्ट्र चेम्बर आफ-कामर्स^२ (१९२७)। भारतवर्ष की व्यापारिक और ओडोगिक चेम्बरों का अविल भारतीय सघ (फेडरेशन) भी है। ऐसी संस्थाओं द्वारा भारतीय व्यापार की बहुत उन्नति हो सकती है, और ये सरकार तथा रेलों पर भारतीय हित की हाविट से काम करने के लिए बहुत प्रभाव ढाल सकती है। परन्तु ग्राम्य योरपियन संस्थाओं का ही बोलवाला होने में इसमें सफलता नहीं भिलती। इसका एक कारण यह है कि भारतीय व्यापारियों में एकता नहीं, अनेक व्यापारी परस्पर में देखर्छे और अनुचित प्रतिस्पद्धी करते हैं। ये उधार देकर, माल का दाम गिराकर, या ग्राहकों को बढ़काकर जैसे-भी-वने अपना माल बैचना, नक्का कमाना और दूसरे व्यापारियों को नीचा दिलाना चाहते हैं। ये सब बातें हमारे व्यापार की उन्नति में बही बाधक हैं। इनका निवारण करने की ओर व्यापारिक संस्थाओं की यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। युद्ध-काल (१९३९-४५) में यदों की व्यापारिक संस्थाओं ने अपने सगठन को मज़बूत बनाने की ओर ध्यान दिया, उन्होंने समय-समय पर सरकार को अपने मामूलिक मत से परिचित किया और अपने सदृश्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का ज्ञान कराया।

तील-माप, और सिफकों की विभिन्नता—हमारे अंतर्धानीय व्यापार की बुद्धि में एक बाधा तील माप और सिफकों की विभिन्नता या अलहदगी है। गत वर्षों में इनकी पृष्ठकूला कुछ घटी है, परन्तु अभी यथेष्ट सुधार नहीं हो पाया है। अधिकतर व्यापार में ८० लोले का सेर माना जाता है, तो अनेक स्थानों में कम या ज्वादह वज़न के सेर का भी प्रचार है। मध्यप्रान्त आदि में दाल चावल आदि माप कर दिये जाते हैं, इससे जब वहाँ कोई नया स्तरीददार पहुँचता है

नो ग्राम्यम् में उसे हिताच समझने में कठिनाई होती है। कपड़े आदि के माप में मोलह गिरह या कुर्तास इच्छ के गति का आम जलन है, तथापि कितनी ही जगह भिन्न-भिन्न माप के कच्चे गज़ का ब्यवहार है। मिक्कों में ब्रिटिश भास्त का रूपया देश भर में कानून-प्राप्त है, पन्नु कई देशों राज्यों में उनका अलग-अलग मूल्य का रूपया चलता है। इसमें बहुत असुविधा होती है। राष्ट्र-हितैषियों को इस और समुचित व्यापार देना चाहिए, और अपनी निजी भावनाओं को कुछ अश में त्याग कर भी व्यापारिक एकता और राष्ट्र-निर्माण कार्य में योग देना चाहिए।

क्रय-विक्रय सम्बन्धी असुविधाएँ—मारतीय व्यापार की एक प्रधान समस्या क्रय-विक्रय को जटिलता है। पहले कहा जा सकता है। क्यहाँ अधिकतर किसान अशिक्षित और निर्धन हैं। वे माल खरोदने और वेचने के हानि से वंचित होते हैं, और कल-स्वरूप उन्हें दोनों ओर से बड़ी हानि सहनी पड़ती है। पहले माल खरोदने का विचार करें। किसान को बीज आदि खरीदना होता है, उसे अपने गाँव से बाहर का भाव मालूम नहीं होता, और मालूम भी हो तो क्योंकि उसे माल थोड़े परिमाण में खरीदना होता है, उसके लिए किसी दूर के स्थान में जाकर उसे लाना कठिन होता है। अनेक दशाओं में तो उसके पास नकद दाम ही नहीं होते, उसे अपनी आयश्यकता की बस्तु उधार मोल लेनी होती है। अस्तु, गाँव का महाजन जिस भाव से उसे देता है, उसी भाव से वह लेतेंगा।

इसी प्रकार वेचने की बात है। बहुवा किसान को लगान चुकाने के लिए खेती की पैदा भार वेचने की बहुत जल्दी रहती है। वह उसके अच्छे दाम उठाने के लिए कुछ इंतजार नहीं कर सकता। फिर प्रायः उसे अपनी फसल का माल गाँववाले महाजन को ही बेचना होता है, जिसका वह प्रायः प्रृष्ठी रहता है। अधिकतर किसानों को न बाहर की मंडियों का भाव मालूम होता है, और न उन्हें बाहर जाकर वेचने का सुभीता है, इसलिए उन्हें अपने माल की जो-कुछ कीमत मिलती

है, उसी में सन्तोष करना होता है। कुछ-थोड़े-से किसान ऐसे होते हैं, जिन्हें अधिक पैदावार बेचनी होती है, ये पाप के किसी कस्ते की मढ़ी में जाकर बेचते हैं। यद्दी उन्हें कई प्रकार के शुल्क या मदर्स आदि देने होते हैं। चुंगी (म्युनिसिपल टेक्स) के अलावा, मंडो में गाड़ी ठहराने का शुल्क, दलाल की दलाली, माल की तुलाई, तथा गोशाला और प्याज आदि का चन्दा—न-जाने उनसे क्या-क्या लिया जाता है। वे वारे किसान को बदले तो वही निश्चय नहीं होता कि उसका माल उचित भाव से बिक रहा है, और उसे टीक-ठीक दाम मिल रहे हैं; पिछे, जब दाम मिलने लगते हैं तो उपर्युक्त विविध शुल्क आदि में उस की नासी रकम निकल जाती है।

क्रय-विक्रय सम्बन्धी इस दानि को दूर करने का उपाय यह है कि स्थान-स्थान पर सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ बनायी जायें। समिति के सदस्य को जिस, और जिसने माल की आवश्यकता होती है, उसकी सूचना वह समिति को देता है। समिति बाजार के उत्तार-चढ़ाव का ध्यान रखते हुए इकट्ठा याल योक्ता भाव से खरीद लेती है, और साधारण कमीशन लेकर अपने सदस्यों को, उनकी आवश्यकतानुसार, माल दे देती है। इस से सदस्यों को बहुत किफायत रहती है। यह तो क्रय-सम्बन्धी बात हुई। इसी प्रकार, समिति अपने सदस्यों का माल बेचने का उचित प्रबन्ध कर सकती है; वह बाजार सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त करके माल को अतिम खरीदार के हाथ बेचने का प्रयत्न कर सकती है, जिससे यीच के कई-एक दलालों को दलाली तथा अन्य नाना प्रकार के शुल्क आदि से छुटकारा होकर किसानों को अधिक-से-अधिक दाम मिलें। कुछ स्थानों में ऐसी समितियाँ बन गयी हैं, उनका क्षेत्र क्रमशः बढ़ रहा है।

दलालों की अधिकता—‘मारी’ व्यापार-पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि उसमें दलाल बहुत अधिक होते हैं, चाहे माल का उत्सोग भारतवर्ष में ही हो, या वह विदेश में भेजा जाता हो। उदाहरण

के लिए चावल के व्यापार का विचार करें, इनमें कितने दलाल होते हैं। माधारणतः गर्वि के आदमी चावल अपने गर्वि के ही महाजन के हाथ बेच देते हैं। ये महाजन उसे रेल-किनारे के बाजारों के दुकानदारों या आटतियों के पास पहुँचा देते हैं। ये दुकानदार या आटतिये उस चावल को किसी केंद्रीय मड़ी के व्यापारियों के हाथ बेचते हैं, जो नावल के व्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध हो। ऐसे मंडी के व्यापारियों ने चावल को भिज्ज भिज्ज स्थानों के दुकानदार मँगाकर स्थानीय उपमोक्षाश्रों को पुठकर बेचते हैं। इस प्रकार उत्तादकों से उपर्योक्ताश्रों नफ के आदमी इस व्यापार में भाग लेते हैं, और दलाली खाने हैं।

दलालों की अविकृता का दूसरा उदाहरण पुस्तकों का व्यवसाय है। आजकल कुछ स्थानों में साठ और सचर ही नहीं, गिर्धनर पी सदी तक कमीशन दिया और जिया जाने लगा है। जो आदमी इतना अधिक कमीशन लेते हैं, वे दूरे कमीशन एजेंटों को पतास पी सदी के लगभग कमीशन पर माल बेच देते हैं। ये कमीशन एजेंट छोटे विकेंवाश्रों को प्रायः पचोस पी सदी कमीशन देते हैं। ये पुस्तक-विकेना अपने से छोटे पुस्तक-विकेनाश्रों को, अबवा अव्यापक, पुस्तकाल्यक लाइब्रेरियन या विद्यार्थी आदि किसी विशेष श्रेणी के ग्राहकों को, और दस-पाँच सप्तये की इकट्ठी पुस्तक लेनेवाले माधारण ग्राहक को भी, छः से बारह पी सदी तक कमीशन दे देते हैं। कुछ दुकानदार तो पुठकर ग्राहकों को, चाहे वे आठ आने की ही किताब क्यों न लें, कुछ न-कुछ कमीशन काटते हैं। अस्तु, इस व्यापार में मूल विकेना जिस पुस्तक पर ७५ पी-सदी कमीशन काट कर चार आने मूल्य लेता है, वह अंतिम ग्राहक यानी पाठक को एक सप्तये में मिलती है; वीच

*यदि इस मान का नियंत्रित किया जावा हो तो मंडीबाजे इस की बन्दरगाह पर मेज़बाज़े हैं। फिर, बन्दरगाहबाजे इस मान के बाजान को उस दर्जसी के हाथ बेचते हैं, जो विदेशी दो मान मेज़बाजे का बाजेबाज़ कहती है।

के बारह आने दलालों में बैट जाते हैं। इससे पाठकों को हीने वाली हानि स्पष्ट है। बास्तव में उत्तादक और उपमोक्षा के बीच में कई-कई दलालों का पड़ना अनुचित और हानिकारक है। सहकारी विध्य-समितियों द्वारा इस विकराल दलाली-पथा का निवारण किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे जनता की इस व्यापार के नाम से होनेवाली भयंकर लूट से समुचित रक्षा हो।

पदार्थों का भाव-वाव करने के विषय में— हमारे यहाँ प्रायः 'पदार्थों' के दाम निश्चित नहीं होते; दुकानदार उसके अधिक-से-अधिक दाम मांगता है, और ग्राहक उसके कम-से-कम दाम लगाता है। बहुत देर तक वाद-विवाद और हाँ-ना के बाद उक्त दोनों दामों के बीच के किसी दाम पर सौदा तय होता है। यह हमारे दैनिक जीवन की बात बन गयी है, और प्रायः हम इसे दोप नहीं मानते। पाठक तनिक विचार करें कि इस पद्धति में कितना समय और शक्ति नष्ट होती है। बाजार से सीदा लाना कितना कठिन हो गया है। भोजे-भाले आदमियों की तो बात ही क्या, कभी-कभी अच्छे-अच्छे होशियार भी ढगे जाते हैं। इसे रोकने के लिए वस्तुओं के दाम निर्धारित रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की कीमत सुनिश्चित हो, और, जिन वस्तुओं की कीमत उन पर ज़िखी जानी सम्भव हो, उनको तो लिखी हुई हो हुआ करे। कीमत निर्धारित करने में मुनाफा साधारण ही जोड़ा जाना चाहिए।^{१३}

यह तो एक पक्ष की बात हुई। हम लोग प्रायः 'दुकानदारों के व्यवहार पर आक्रोप किया करते हैं। परन्तु क्या ग्राहक सदा ईमानदारी या नेकनीयता का परिचय देते हैं? क्या जब कभी उन्हें अवसर मिलता है, वे दुकानदार को घोड़ा देने से चूरुदे हैं? अनेक बार ग्राहक कम

* 'दुकानदारों' की वर्ण-सम्बन्ध स्थान भाव रखना चाहिए। निर्धन या मोहता ज आदमियों की उनकी आवश्यकता के प्राप्ति देने समय, कुछ हानि सदृश भी उनमें विशेष रियावत वी जानी चाहिए।

दाम देने, या अपना खोटा मिक्का दुकानदार के सिर मढ़ देने में बड़ी चतुराई समझते हैं। अगर दुकानदार पर कोई ऐसी मुसीबत आजाय कि वह अपना माल सस्ते दामों पर लुटा देने को मजबूर हो तो इस एसे व्यवसर का हवागत ही करते हैं। उदाहरण के लिए याह या आधी आने पर जब कोई आदमी अपने फल या शाक भाजी बहुत कम दामों पर बेचना चाहता है, तो इस उसके बताये दाम से भी कम में सौदा करने के इच्छुक रहते हैं। यदि किसी का माल नीलाम होता हो तो इस कितनी खुशी से अनावश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर लाने को तैयार रहते हैं। अगर किसी के घर में आग लग जाने से उसका सामान बिगड़ जाय तो इस नाममात्र कीमत देकर उस सामान से अपना घर भरने में क्य सकौच करते हैं। विधवाओं और अनाधी की जायदाद या सामान की पूरी कीमत चुकानेवाले दीर इसमें से कितने हैं। इस प्रकार, मानो इसी इन्दियार में रहते हैं कि दूसरों पर मुसीबत आये और इसे खूब लान उठाने का मौसा मिले। दूसरों का घर जले, और इस सेकने का आनन्द ले ! निदान, वर्तमान इथिति में दुकानदार और खरोदार दोनों की भावना बिगड़ी हुई है। प्रत्येक दूसरे को ठाने का प्रयत्न करता है। इसमें सुधार होने की सूचत जरूरत है।

हाट-व्यवस्था—सन् १९३४ ई० में खेती के पदार्थों की विक्री की व्यवस्था करने के लिए भारत-नरकार द्वारा एक वेन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई है। इस के काम ये है :—(१) कुछ खास-खास महत्व के पदार्थों के बाजारों की वर्तमान परिस्थिति तथा भावी उन्नति, की जाँच करे और उनके सम्बन्ध में व्योरेवार रिपोर्ट प्रकाशित करे, और (२) उन पदार्थों के भौतिक तथा राज्यायनिक लक्षणों की जाँच करके उनकी उचित कदा निर्धारित करे। इस विभाग द्वारा यह विचार किया गया है कि किस प्रकार कुछ शीघ्र विगड़नेवाले पदार्थों को ऐसे ढंडे स्थान में सुरक्षित रखा जाये, जिससे ये बहुत समय तक खराब न हो, और दूर दूर के स्थानों में भेजे जा सकें। इसने बहुत-से पदार्थों के

धारारों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। भिज़-भिज़ प्रान्तों में भी इस विषय सम्बन्धी अधिकारी नियुक्त किये जाकर इस दिशा में कुछ काम हो रहा है। इस विसाग की जनता के समर्क में आने की बहुत जरूरत है।

सन् १९३७ई० में बैन्डीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती के पदार्थों की कक्षा निर्धारित करने और नियान लगाने ('ब्रेडिंग और 'मार्किंग') का कानून पास किया गया था। कक्षा-निर्धारण पद्धति के आधार पर होने वाला व्यापार क्रमशः बढ़ रहा है। सन् १९४० में इस प्रकार का २०२ लाख एप्पे का माल बेचा गया, जबकि १९३८ में इस व्यापार का परिमाण ६१ लाख रुपये था। इस व्यापार के पदार्थों में धी का विशेष स्थान है; कुछ अन्य पदार्थ अडे, पशुओं की खाल, तेल, गुड़, चावल, आटा, आलू, तमालू, हड़, सेव और आम आदि हैं।

माल का विश्वापन—विश्वापन आधुनिक व्यापार को जान है। कोई माल कितना ही अच्छा क्यों न हो, जबतक दूसरे आदमियों को उसकी जानकारी न हो, वे उसे कैसे मैंगाएँ। हमारे यहाँ विश्वापन का प्रचार क्रमशः बढ़ रहा है। उसी का यह प्रताप है कि सुख-ए-चारक-कंपनी बम्बई से घड़ियाँ मधुरा मैंगाकर, बम्बई के पाठ के स्थानों तक के माहकों के हाथ बेच रही है। ढोपरे का चालामृत, पड़िन ठाकुर-दत्तजी की अमृतधारा, वारू इरिदाल की 'विकित्वा चद्रोदय' पुस्तक आदि वानाम आज-दिन नगर-नगर ही नहीं, माँवों तक में प्रसिद्ध है। यद्यपि अभी यहाँ विश्वापनवालों बढ़ने की बहुत गुंजाई है, पिछले बर्षों में इस को लासों बृद्धि हुई है; बहुत-से व्यापारी इस यदि में बाफ्ते खर्च करते हैं।

हमारे ज्यादातर अखलाक खातक विश्वापनों को आमदनी के ही भरोसे लल रहे हैं। इससे विश्वापन देनेवालों, और अखलाकों के मालिकों के अलावा अखलाकों के मालकों और पाठकों को भी लाभ है;

उन्हें साधारण कीमत में काफी पढ़ने की नामग्री मिल जाती है। परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। कितने ही व्यापारी अपनी चीज़ का विशेषन देने में भूट-मच का विचार नहीं करते। अपनी चीज़ के गुणों का खलान न्यूर बड़ा-बड़ा कर करते हैं। उसमें बहुता नव्हे पी मदी तक भूठ होता है; हाँ, भाया आकर्षक और लच्छेदार होती है। आइक भूठे प्रलोभन में फस जाते हैं। उनको बहुत हानि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक आदमियों का विशापनों पर विश्वास नहीं होता। वे विशापनों को पढ़ते तक नहीं। अस्तु, यहाँ विशापन-वृद्धि की आवश्यकता है, पर विशापन का अर्थ झूठा प्रचार, और उसका उद्देश्य जैसे भी-नवे लोगों के पैसे ठगना, नहीं होना चाहिए।

व्यापारिक सफलता और ईमानदारी—क्या व्यापारिक सफलता के लिए ईमानदारी भी आवश्यक है? आजकल खाने-पाने के पदार्थों में कौसी हानिकारक मिलावट रहनी है, इसका उल्लेप हम 'उपभोग के पदार्थ' शीर्षक अध्याय में कर चुके हैं। व्यापारी अविक मुनाफा पाने के लिए आइकों को तरह-तरह से घोखा देने हैं। खराब तथा पुरानी चीज़ को अच्छो और नयी कहना तो मामूली बात है। दीजानेवाली चीज़ को कम तो जना और लीजानेवाली को अविक, यह भी व्यापार-कुशलता का लक्षण माना जाता है। हाथ के तुने 'माड़े गारह या पीने चारह गज के धान को चारह गज का कहकर बेचा जाता है। माल ऊपर कुछ-और रहता है, तथा भीतर कुछ-और; सख्ता में कुछ कमी करदी, या बीच में कुछ चीजें दूटी-फूटी या खराब रख दी जाती हैं।

इन बातों से योड़ी देर लाम भले ही हो; अन्त में हानि ही होती है। सफलता वही है, जिसका आधार ईमानदारी और शुद्ध व्यवहार हो। फिर, यदि वैईमानी से व्यापार करके किसी ने कुछ द्रव्य बोड़ भी लिया तो कौन शिवेकशील व्यक्ति इसे अभिनन्दनीय

कहेगा ! द्रव्य के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पड़ती है तो असल में इस धाटे में ही रहते हैं । हमारा कारोबार, हमारा व्यापार उब देश होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो । द्रव्य की अपेक्षा मनुष्यत्व कहों बढ़ कर है, व्यापार मानवी गुणों के विकास का एक साधन मात्र है, स्वयं-साध्य नहीं है । अतः व्यापार वही किया जाना चाहिए, जिसमें हमारा, समाज का, देश का, एवं मनुष्य-मात्र का हित हो ।

युद्ध और देशी व्यापार—युद्ध के समय विदेशी माल का आवायात कम होने से, देश में अधिकतर स्वदेशी माल का ही व्यापार होता है । किसानों एवं कलन-कारखाने वालों का ध्यान देश को आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर रहता है । इससे स्वदेशी माल के व्यापार की प्रोत्तमाहन मिलता है । परन्तु जबकि देश में यातायात के साधनों की कमी होती है, और अधिकतर रेल और मोटर-लाइरिंग सेनिकों या सेनिक सामग्री को ही लाने-न्लेजाने में लग जाती है तो व्यापारियों को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बड़ी असुविधा हो जाती है, और देशी व्यापार बहुत बड़क जाता है । भारतवर्ष में पिछले महायुद्ध में ऐसा ही अनुभव हुआ है । इसका बिक पिछले अध्याय में किया जा चुका है । युद्ध के समय सेनिक सामग्री, रेल, जहाज, मोटर, हवाई जहाज, सेनिकों की बड़ी आदि की आवश्यकता बहुत बड़ जाती है, इससे इन चीजों का व्यापार स्वमावतः अधिक हो जाता है । पर इसमें सरकार की नीति का बड़ा प्रभाव पड़ता है । भारत-सरकार खासकर इमर्लैंड और उसके स्वतंत्र उपनिवेशों के हित-नावन में लगी रहती है, इसलिए यहाँ इनमें से बहुत से पदार्थों का व्यापार बढ़ने का प्रसंग नहाँ आता ।

पिछले महायुद्ध का खास प्रभाव यहाँ सन् १९४५ के अन्त में पड़ने लगा । आयात काम हीने से व्यापारियों ने चीजों के दाम बढ़ा दिये, और वे माल बेकरने लगे । तब सरकार ने मूह्य-नियन्त्रण

शुरू किया और नकालोरी के विषद् कानून बना कर कड़े दंड दिये, और राशनिग तथा स्टॉडर्ड इयाय (करड़े) की 'व्यवस्था' की। बहुत से काम घंथों के लिए लायसेन्स लेना लाजमी कर दिया गया। इससे लायसेन्स देनेवाले अफसरों की धूसलोरी बढ़ी, और जिन लोगों का प्रकट रूप से कोई रोजगार न चला उनमें से बहुत सों ने चोर-बाजार चेतन किया। सरकार ने धूसलोरी और चोर-बाजार को बन्द करने की कोशिश की, परन्तु वह जनता का सहयोग न पा सकने के कारण, इसमें प्रायः असफल रही। मध्य और नीचे की श्रेणी के आदमियों को बहुत कष्ट मोगना पड़ा। अस्तु; सन् १९४२ से अधिकतर व्यापार सरकार के हाथ में, अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित है। यदि सरकार राष्ट्रीय हो तो यह नात इतनी हानिकर नहीं, जितनी इस समय हो रही है।

चीसवाँ अध्याय

विदेशी व्यापार

प्राक्थन—जिस तरह एक देश के निवासी आपस के व्यापार करते हैं, उसी तरह सभ्यता का विकास, आयात-निर्यात करने के साधनों में उन्नति, और आवश्यकताओं की वृद्धि होने पर एक देश के निवासी दूसरे देश वालों से भी व्यापार करने लगते हैं। अपने देश की, जरूरत-से-अधिक चीजें दूसरे देश को देकर बदले में वहाँ की चीजें, अपनी आवश्यकतानुसार, ले ली जाती हैं। इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। इससे एक देश में न होनेवाली चीजें दूसरे देश से मिल जाती हैं।

भारतवर्ष का प्राचीन व्यापार—भारतवासियों ने शिल्प

और उद्योग धंधों की उन्नति, अन्य अनेक देशों की अपेक्षा बहुत पहले की। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भली भाँति सिद्ध हो चुका है कि ईस्टी नन के हजारों वर्ष पहले से लैकर १८ वां सदी तक भारतवर्ष अन्य देशों में विविध बढ़िया और बहुमूल्य सामान भेजता था। चीन, साइबेरिया, फारस, वैविलन, जेनेवा, मिस्र आदि देश अपने वैभव के दिनों में मारतीय कारगरी, व्यापार और संपत्ति से ईर्षा किया करते थे।

जैसा कि श्री० राधाकृष्ण जी भा ने लिखा है, कि ईस्टी सन् के प्रारंभ में भारतवर्ष का विदेशी व्यापार काफ़ी बढ़ चुका था। तभी तो सुप्रसिद्ध रोम-इतिहास का लेखक ग्लिनी इस बात को शिकायत करता है कि कम-से-कम छाड़े पौन करोड़ 'सेस्टर्स' (७० लाख इयरे) का सोना और चौंदी रोम से प्रतिवर्ष भारतवर्ष को जाता है। आठवीं शताब्दी से क्रमशः तुकों का बल बढ़ा, यहाँ तक कि सन् १४५३ ई० में कुस्तुन-तुनिया उनके हाथ आ गया। फिर धोरे-धोरे भूमध्य सागर और मिस्र पर भी इनका अधिकार हो जाने के कारण योरवालों की इस रास्ते से व्यापार करके मनमाना लाभ उठाने में बाधा पड़ने लगी। अत में, सन् १४६८ ई० में पुर्तगाल वालों ने "उत्तम आशा" अंतर्राष्ट्र के रास्ते अफ्रीका के गिर्द होकर, भारतवर्ष आने का रास्ता ढूँढ़ निकाला और पूर्वी व्यापार पर एकाधिशत्र प्राप्त कर लिया। धीरेन्द्रीरे हालैशड इन्हें और फ्रांस वालों ने भी अपनी अपनी कम्पनियाँ खोलीं। इस सब में सूच लडाई-भगड़े होते रहे। अन्त में अंगरेजों की जीत हुई। उन दिनों नड़ों, बन्दरगाह, माल ढोने के साधन आदि उन्नत अवस्था में नहीं थे। सफर लम्हा था, स्वर्चं बहुत पड़ता था। तो भी भारत का व्यापार, (जो अधिकांश गिरजाय पदार्थों का होता था) कम लाभदायक नहीं था। सन् १६८२ ई० में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने १५० प्रति सैकड़े का मुनाफा बटा था।

* 'भारत की साम्पत्तिक अवस्था' के अध्यार पर.

मध्यकाल में इस देश के आनंदिक कलह फूट और आलस्य ने कमशः इसके प्रार्थिक महत्व का नाश कर दिया। तथापि मुगल शासन के अधिकांश समय तक यहाँ के किसान और कारोगर सुख की नोद स्तोते रहे। बादशाहों की सुखचि तथा शौकीनी के कारण, इस देश का कला-कौशल और शिल्प विदेशी के लिए आदरण बना रहा। मतरहबी ही नहीं, अठारहबी सदी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी बढ़ी तथा खाँड़, रंग, मसाले आदि अन्य चीज़ों के लिए सारा योरप लालायित रहता था। किन्तु उन्नीसबी सदी से परिस्थिति पलटने लगी। पाश्चात्य देशों ने भौतिक विज्ञान की उन्नति, एवं कोयले और लोहे का उपयोग, करके भाष्य की शक्ति से कला-कारखाने चलाने शुरू किये। इससे वहाँ धीरे-धीरे उत्पादन-व्यय घट गया, और वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बही बनाने लगे।

सन् १८६६ ई० में स्वेज़ा-नहर खुल जाने के कारण, भारत से योरप का तोन महीने का सकर मिर्फ तीन ही हफ्ते में तय होने लगा। इससे किराये में भी बहुत बचत होने लगी। फिर भारतवर्ष में रेल निकल जाने के कारण, यहाँ के भौतरी भागों का बन्दरगाहों से संबंध हो गया। इससे योरपियन कारखानों के दलाल यहाँ के दूर-दूर के देशों में पहुँचकर, अपने तथा कच्चा माल बन्दरगाहों पर सुगमता से जाकर विदेशी को भेजने लगे। इस प्रकार लगभग सन् १८७० ई० से भारतवर्ष ज्यादहतर कच्चे पदार्थों का निर्यात करनेवाला रह गया।

सन् १८८५ ई० के लगभग, परिस्थिति में कुछ सुधार होने लगा। भारतवर्ष की जूट और रई की मिज़ों को बदौलत पद्यापि हमारे तैयार माल के निर्यात तथा कच्चे पदार्थों के आयात में कुछ थोड़ी-नी वृद्धि हुई, तथापि अभी देश का अधिकांश आयात तैयार माल का, और अधिकांश निर्यात कच्चे पदार्थों का ही होता है।

व्यापार का परिमाण—इस बात पर आगे विचार किया जायगा कि बत्तेनाम परिस्थिति में व्यापार की वृद्धि से भारतवर्ष को

कैसे अधिक हानि हो रही है। यहाँ इम भारतवर्ष के विदेशों से होनेवाले मनुद्री व्यापार के परिमाण के सबध में कुछ बातों का उल्लेख करते हैं। अब से सौ वर्ष पहले विदेशी व्यापार (आयात तथा निर्यात) प्रति वर्ष कुल मिलाकर लगभग पचास करोड़ रुपये के माल का होता था। विगत वर्षों में इस के मूल्य का परिवाण छः सौ करोड़ रुपये तक रह चुका है। यद्यपि किसी-किसी वर्ष उसके पहले वर्ष की अपेक्षा इस परिमाण में कुछ कमी भी हुई है, आमतौर से पिछले योरपांच महायुद्ध के समय तक इसमें बढ़ि ही हुई। उस महायुद्ध के समय यह व्यापार कम रह कर, उसके बाद फिर बढ़ा। जिन्हु कई वर्षों से इसका परिवाण कम हो है, इसका कारण कुछ अश्य में जनता की राष्ट्रीय जागृति है, जिससे स्वदेशी उद्योग-धंधो की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस समय यह व्यापार प्रतिवर्ष तीन-साढ़ेतीन सौ करोड़ रुपये के माल का होता है।

व्यापार का स्वरूप— यह हम यह शब्दाते हैं कि हमारे आधुनिक विदेशी व्यापार का स्वरूप क्या है। (क) पहले भारतवर्ष से खाड़ी, नील, दुश्माले भलभल आदि तेयार माल विदेशोंको जाता था; जिन्हु अब अब या रुई, सन, तेलइन आदि कच्चे माल का, जिसकी विदेशी कारखानोंकी आवश्यकता होती है निर्यात बढ़ रहा है। विदेशों से आनेवाला माल प्रायः तैयार पदार्थों का होता है; इस अधिकतर कच्चा माल मेज़ते हैं, और तैयार माल मँगते हैं। (ख) भारतवर्ष का निर्यात आयात की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत का होता है। हमारे निर्यात और आयात की कीमत में भी अन्तर होता है, उसकी अपेक्षा हमारे व्यापार की बाकी की रकम बहुत कम होती है। [इसका कारण यह है कि हमें इगलैण्ड को सुद को रकम तथा सरकारी (चार्गरेज) कर्मचारियों की पेन्शन आदि का बहुत-सा रुपया प्रतिवर्ष देना होता है।] यह व्यापार की बाकी, कीमती धारुओं के रूप में आती है, जिसकी मात्रा बहुत मालूम पड़ने पर भी भारतीय जनसंख्या की

दृष्टि से बहुत कम होती है। (ग) हमारे आयात का बहुन बहा भाग अकेले इक्कलैएड से ही आता है, जो हमारे निर्वात का अपेक्षाकृत चहुत कम भाग लेता है। (घ) व्यापार का नहा, जहाज का १करण्या तथा रोमे और माहूकारी आदि की अधिकतर आमदनी योरपियनों को मिलती है। खासकर पिछ्ने सत्तर-पिछ्ने वर्षों में विदेशी माल अधिकाधिक मँगाने और विनिमय में उससे भी अधिक कच्चे माल की निकासी करते रहने का परिणाम यद्य हुआ है कि भारतीय जनता को इस बात की ओर ज्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है कि वह अपना निर्वाह खेती पर करे।

आयात की वस्तुएँ—यो तो भारतवर्ष में बहुत-सी चीजों का आयात होता है, परन्तु हमें यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य वस्तुओं के ही आयात के सम्बन्ध में वक्तव्य है। ये वस्तुएँ विशेषतया निम्नलिखित हैं:—इई और सूती माल, रेशमी और ऊनी माल, लोहे और फीलाद का सामान, मशीन, मिली का तथा रेल का सामान, मोटर, चीनी, बागज, रङ्ग, शराब और द्रवाएँ आदि।

रुई और सूती माल—भारतवर्ष की आय में प्रमुख स्थान रुई और सूती माल का है। यहाँ रुई कपड़ी पैदा होती है, तथापि इम कुछ रुई बादर से मँगाते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में जो कपास पैदा होती है, उसमें से अधिकांश को रुई का रेखा छोटा होता है। कुछ वर्षों से यहाँ लम्बे रेशे को रुई भी होने लगी है, पर वह काफी नहीं होती। इसलिए विदेशी से लम्बे रेशे की रुई मँगाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की रेलों की दर सम्बन्धी नीति ऐसी है कि बम्बई की मिली को पंजाब से रुई मँगाने की अपेक्षा कई दूसरे देशों में मँगाने में कायदा रहता है। इसका सुधार करने के लिए आवश्यक है कि देश में लम्बे रेशे की रुई की, काफी उत्तर्ति हो; तथा, रेलों की दरों में, भारतीय उच्चोग-घन्घों की दृष्टि से, समुचित परिवर्तन किया जाय।

भारतवर्ष में क्लोटे रेशेवाली रहि काफी मात्रा में होती है, उसमें से कुछ नो विदेशी में भेजी जाती है। ऐसी दशा में इङ्गलैण्ड आदि से सूती माल मैंगाना बहुत अनुचित और हानिकर है। हमें अपनी रहि से स्वर्य ही अपने लिए आवश्यक परिमाण में बख्त तैयार करना चाहिए। यों तो मिलों में बननेवाले माल को भी बृद्धि हो सकती है, पर हाय में बुने हुए बख्त का परिमाण बढ़ने को तो बहुत ही गुंजाइश है। गतवर्षों में चर्खा संघ ने खादी की उत्पात्ति बढ़ाने का उद्योग किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन से, अन्य विदेशी वस्तुओं में कपड़े के आयात में भी कुछ कमी हुई है, तथापि अभी वह विदेशी से काफी परिमाण में मैंगाया जाता है। इसे कम करने, और भारतवर्ष को अपने बख्तन्यवस्ताय में स्वावलम्बी बनाने में प्रत्येक देश-प्रेमी को मान सेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी बख्त को स्वीकृत चाहे वह विदेशी बख्त को अपेक्षा कुछ मोटा तथा कुछ मर्हदा ही हो।

भारतवर्ष में करोड़ी हजारों के विदेशी सूत को भी आयात होता है; कारण, यद्यपि यहाँ की मिलों ने महीन सूत कातने में पिछ्ले वर्षों में, कुछ उच्चति की है, वे अभी तक यहाँ के महीन सूत की मौत्र पूरी नहीं कर सकती। अखिल भारतीय चरक्षा-पुष्ट के उद्योग से अब यहाँ हाय से महीन सूत भी काता जाने लगा है, और उस सूत के कपड़े भी बुने जाने लगे हैं। परन्तु अभी इस दिशा में और अधिक उद्योग होते रहने की आवश्यकता है।

रेशमी और ऊनी माल—मारतवर्ष में रेशमी और ऊनी माल भी बहुत परिमाण में आता है। पिछ्ले वर्षों में जापान आदि से न कली रेशम का मान बहुत आया। वह देखने में तो चटकोला-भड़कोला होता है, वैसे बहुत कमज़ोर रहता है, जल्दी ही फट जाता है। उसमें उपमोक्षाश्रो की बहुत हानि होती है। आवश्यकता है कि मारतवर्ष में रेशमी और ऊनी बख्तन्यवस्ताय की प्रोत्ताइन दिया जाय। यहाँ रेशम और ऊन दोनों होते हैं, उद्योग करने

पर वे और यदिया हो सकते हैं। सदौ से बचने के लिए उनी कपड़ों की बहुत आवश्यकता है। अखिल भारतीय चलां-उध तपा अन्य सम्पादित और व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं। इसे बहुत बढ़ाया जाना चाहिए।

लोहे और फौलाद का सामान—भारतवर्ष में टाटा का कारखाना तथा अन्य कम्पनियाँ लोहे और फौलाद का सामान तैयार करती हैं। इस कार्य को सरकार मिलने से इसकी व्यासी उन्नति हुई है। पर अभी यहाँ की सब आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं होता। इसके अलावा, सरकार और रेलवे कंपनियाँ बहुत-सा सामान इगलेंड आदि से मिलाता है; यदि ये यदौं के कारखानों को समुचित सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन दें तो हमारी जरूरत को बहुत-सों चौंजे यहाँ हो बन सकती है। मर्शीनें विदेशों से आना, देश के औद्योगिक करण का इष्ट से उपयोगी है, परंतु इस मद में भी हम कब तक अपना शपथा दूसरे देशों को मेजरे रहेंगे ? आखिर, हम कभी स्वावलंभी भी बनेंगे ! विदेशों से मर्शीनें मानने में एक हानि यह है कि अकपर वे लोग ऐसी मर्शीनें देते हैं, जो बढ़िया दर्ज को या कुछ पुराने ढग की होती है, और इसलिए कम उपयोगी होती है। हमें जल्दी ही अपने लिए बढ़िया मर्शीनें बनानी चाहिएँ। भारतवर्ष में घर उद्योग-घन्वों की अनुकूलता के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है, उनका प्रचार तथा उन्नति होने में हमारी मर्शीनों का आयात बढ़ने में भी सहायता मिल सकती है।

चीनी—गत बर्षों में दिशेषतया संरक्षण मिलने से, यहाँ चीनी का आयात घटा है। तथापि यहाँ जर्मनी, जावा, मारिशर आदि से विदेशी चीनी आती ही है। यहाँ अच्छा गुड अधिक परिमाण में बनाया तथा उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह चीनी की अपेक्षा सही होने के अलावा अधिक पुण्यकर भी है। अच्छे गुड का प्रचार बढ़ने पर चीनी का आयात कम होने में सहायता मिलेगी।

मिट्ठी का तेल और पेट्रोल—भारतवर्ष में मिट्ठी के तेल का स्वर्चं ब्रह्मणः बढ़ रहा है। अभी तक इस पदार्थ का अधिकाश आयात अमरीका और रूस आदि से होता था। अब यर्मा के भारतवर्ष से अलग कर दिये जाने के कारण, यर्मा ने आने वाला तेल भी विदेशी समझा जाता है। यहाँ मोटर आदि का प्रचार क्रमणः बढ़ता जारहा। इस लिए पेट्रोल का स्वर्चं एवं आयात मी बढ़ रहा है।

कागज—भारतवर्ष में इहले हाय का बनाया हुआ स्वदेशी ही कागज का माम आता था। अब कागज को मिज्जे भी स्थापित हो गयी है। मिन के कागज के निए बड़ुन-कुचु विदेशी से मैंगाया हुआ 'पल्स' (लकड़ी का गुदा या लुगदी) आदि काम में लाया जाता है। हाथ से, तथा मिज्जों में यदा काफी कागज नहा बनता, अतः विदेशी कागज मैंगना होता है। ज्यो-ज्यो रिज्जा का प्रचार बढ़ेगा, अब यारों तथा किनारों आदि की आवश्यकता अधिक होगी, और परिणाम-स्वरूप कागज की मौग बढ़ेगी। भारतवर्ष के नगजों में यौन काफी होता है, उससे कागज बनाया जा सकता है; उसके लिए योग्य उद्योग हो तो हम विदेशी कागज के आयात ने महज ही मुक्त हो सकते हैं।

आयात की अन्य वस्तुएँ—उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की भोटर, शराब, तमागू (मिङ्गट आदि), रंग, धूशे का सामान, दबाइयँ आदि मापाते हैं। साबुन, स्यादी, कुतरी, घड़ी आदि में भी काफी रुपया विदेशी को जाता है। यदि हम ध्यान दें, तो हम इनमें से कुछ पदार्थों की आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और कुछ पदार्थों को अपने देश में ही तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार एक तो हन वस्तुओं का आयात कम होने से हमारा रुपया बच सकता है, दूसरे नये उद्योग-रन्धों में अनेक आठ मियों को आजीविका का साधन प्राप्त हो सकता है।

अब, उन पदार्थों के आयात का विचार करें, जिनके, इस देश में आने का कारण हमारी विशेष व्यापारिक परिस्थिति है। भारतवर्ष

हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

रुद्धि और सूखती माल—हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में वहस-ना कपड़ा विदेशों से आता है, तो भी इम खासे परिमाण में रुद्धि की नियंत्रित करते हैं। यदि उस रुद्धि का कपड़ा यहाँ ही बना लिया जाया करे, तो हमारा रुद्धि बाहर में जने तथा विदेश से कपड़ा माँगने —इन दोनों से छुटकारा हो, और, हमारे अनेक आदमियों को बख्त व्यवसाय से आज्ञाविका का साधन प्राप्त हो। इस ओर व्यान दिया जाने लगा है, पर अभी बहुत उद्योग होना शेष है।

वद्यरि भारतीय मिलों से बना हुआ कपड़ा, विलायती कपड़े से, कुछ मैंहगा होता है, तथापि वह माटा और मजबूत होने से, उसकी बाहर के कुछ देशों में मौग रहती है। यहाँ से कपड़ा विशेषतया लगा, मलाया प्रायद्वीप, ईरान, ईराक और पूर्वी अफ्रीका में जाता है। यह नियंत्रित और बढ़ाया जा सकता है।

खाद्य पदार्थ—भारतवर्ष से 'खाद्य पदार्थों' में विशेषतया येहु का नियंत्रित होता है। 'खाद्य पदार्थों' का नियंत्रित होना उस दशा में तो बुरा नहीं है, जबकि यहाँ ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक उत्तम होते ही, परन्तु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ के किसान अपनी निर्धनता के कारण जी, चना, ज्वार, मकई बाजरा आदि घटिया अच्छों पर निर्भाइ करते हैं, और कुछ दशाओं में तो उन्हें ये घटिया अन्न भी काफी परिमाण में नहीं मिलते। हमारे व्यापारी खाद्य पदार्थों का नियंत्रित इसलिए नहीं करते कि ये पदार्थ इस देश की आवश्यकता से अधिक है वरन् इसलिए करते हैं कि उन्हें इन पदार्थों की जो कोमत यहाँ मिल सकती है, उसकी अपेक्षा विदेशों से अधिक मिलती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों का आयात भारतवासियों की निर्धनता आजीता-जागना सबूत है।

तेलहन—भारतवर्ष से कुछ तेज़ भी बाहर जाता है, पर उनकी

अपेक्षा तेलहन की निर्यात कहीं अधिक होती है। इसमें तीसी, तिल, अड़ी, सरसों और बिनौला आदि मुख्य हैं। यह निर्यात अधिक होता देश के लिए हानिकर है; कारण, इसमें खली यहाँ से चली जाती है जो खेती के खाद तथा पशुओं के भोजन के लिए यहुत उपयोगी हीनी है। यदि तेलहन का निर्यात कम करके उस से यहाँ ही तेल निकालने का धन्या बढ़ाया जाय तो एक तो उससे यहाँ के अनेक वेकार आदमियों को काम मिले; दूसरे, खली यहाँ रहने में खेती को, तथा पशुओं को भी लाभ हो।

चाय—चाय की खेती यहाँ रूप विशेष से सी वर्ष से होने लगी है। इसका व्यवसाय अधिकतर विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। वे इसकी उत्पत्ति बढ़ाने और यहाँ इसका प्रचार करने में खूब प्रयत्नशील रहती है। चाय विदेशी में भेजने के लिए, डिव्वे बाहर से मैंगाये जाते हैं। भारतवर्ष में होनेवाले इसके उपभोग के सम्बन्ध में हम अपना विचार पढ़ते प्रगट कर चुके हैं।

चमड़ा और खाल—भारतवर्ष से चमड़े और खाल का निर्यात होने का कारण यह नहीं है कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, वरन् यह है कि यहाँ अनेक आदमी निर्धन होने के कारण जूते आदि का उपयोग नहीं कर पाते; दूसरे, यहाँ चमड़े के काम को घटिया दर्जे का समझ जाता है। इसलिए बहुत से चमड़े को बाहर भेज दिया जाता है, और उसका सेपार सामान मैंगाया जाता है। कुछ समय से यहाँ चमड़े के अगरेजी ढङ्ग के कारखाने खुलने लगे हैं। यदि यहाँ चमड़े का कुशलता-रूपक और काफी उपयोग किया जाय, और रवड आदि के जूतों का इस्तेमाल कम हो तो हमें न तो चमड़े की इतनी निर्यात करने की आवश्यकता दो, और न बहुत-सा चमड़े का सामान बाहर ने मैंगाना पड़े।

ऊन—पढ़ते कहा जा चुका है कि हम बहुत-सा ऊनों माल विदेशी से मैंगते हैं, ऐसी दशा में हमारा ऊन का निर्यात करना

अनुचित है। हमें चाहिए कि ऊन से यहाँ ही कपड़े तैयार करें; यदि हमारा तैयार किया हुआ ऊनी कपड़ा हमारी आवश्यकता से अधिक हो तो हम ऊनी वस्त्र का नियंत्रित करें। यहाँ पर कहों से बुने ऊनी वस्त्र की चिरकाल से तैयार होने हैं, और यहाँ के शाल, कालीन आदि दूर-दूर के देशों तक प्रसिद्ध हैं। कुछ समय से ऊन की मिलों ने भी खासी उन्नति की है। ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है।

धातुएँ—भारतवर्ष में, खानो से धातुएँ निकालने का अधिकतर काम विदेशी कम्पनियाँ करती हैं, और यहाँ धातुओं के विविध पदार्थ न बनाये जाकर, वे धातुएँ ही विदेशी को मेज दी जाती हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष लोहा ढानने तथा धातुओं की विविध वस्तुएँ बनाने के लिए सासार भर में प्रसिद्ध था; पर गिरुली सदी से यह देश साधारण चीजों के लिए भा दूसरों का मुँह ताकनेवाला बन गया। अब कुछ समय से टाटा कम्पनी तथा बगाल-स्टील-कम्पनी आदि के उद्योग से कुछ सामग्री यहाँ बनने लगा है। परन्तु, अधिकांश में गार्डर, छुइ, रेलिंग आदि ही बनाये जाते हैं; देश में नाना प्रकार की भी मर्यादाने काम में साधी जाती है, वे अब भी प्रायः सभी विदेशी हैं। मर्थीनों के अनेक छोटे-छोटे पुजों को भी यहाँ नहीं बनाया जाता। आवश्यकता है कि धातुओं का, विदेशी में नियंत्रित न किया जाय, उनका यहाँ ही अधिक-से-अधिक उपयोग हो।

व्यापार की बाकी—दो देशों के आयात और नियंत्रित की कीमतों के अंतर को “व्यापार की बाकी” कहते हैं। इसका भुगतान करने के लिए सोना-चांदी या लिंकका मैगाना, अथवा मेजना पड़ता है। इसलिए सब देशों की इच्छा रहती है कि व्यापार की बाकी अपने नाम न निकले; दूसरों के नाम निकले। हम ऊपर लिख आये हैं भारत के आयात की अपेक्षा यहाँ का नियंत्रित बहुत अधिक होता है; परन्तु हमारी लेन-देन की बाकी की रकम दृगलैंड, आदि देशों

के नाम, नाममात्र ही निकलती है। इनके कहे बारण है—(१) भारतवर्ष को होम-चाजेज या इंडिया-आक्सिस आदि के स्वर्च, तथा यहाँ ने लीटे हुए अमरीकी पेन्शन देनी पड़ती है। (२) अपने जहाज न छोने के बारण विदेशी व्यापार के लिए अन्य देशों के जहाजों का किराया देना पड़ता है। (३) विदेशों में जिये हुए अमर वर पर सूद देना पड़ता है। (४) विदेशी व्यापारियों का मूनाफा मेजना पड़ना है। (५) विदेशी में गये हुए मारतीय विद्यार्थियों अथवा वापियों आदि का स्वर्च मेजना होता है। (६) मारतवर्ष में रहनेवाले अमरेज अपने परिवारों के लिए दूसरा मेजने रहते हैं।

लेन-देन की दाढ़ी का भुगतान सरकारी हुंडियों द्वारा किया जाता है; इसके सम्बन्ध में पहले 'विदेशी विनिमय की दर'—यीरंक अध्याय में लिखा जा चुका है।

सीमा की राह से व्यापार—अब तक ब्रिटिश भारत के उसी विदेशी व्यापार का वर्णन हुआ, जो ममुद्र की राह से होता है, इसके अलावा भारतवर्ष का कुछ व्यापार सीमा-पार के निकटवर्ती राज्यों से भी होता है। इस व्यापार को उन्नति में मार्ग की कठिनाइयाँ, अगली आदमियों और चोरों का डर, उन देशों की आर्थिक अवनति, शासकों की कर आदि से होनेवाली व्यापारिक घटावटें आदि बाधक हैं। यदि होने हुए भी १९२४-२५ में सीमा की राह से तेईन करोड़ रुपये का मात्र भारतवर्ष में आया था, और १६ करोड़ का यहाँ से बाहर गया था। उम वर्ष के बाद सीमा के कुछ सासन्नास स्टेशनों पर निर्धारित पदार्थों का ही आयात नियंत्रि का हिसाब रखा जाने लगा, और वह भी उनके परिमाण का, न कि मूल्य का। पश्चिमीतर सीमा पर अन्गनिस्तान, दीर, स्वात, बजौर, मध्य शियां और ईरान में भारत का व्यापार होता है। उत्तर और उत्तर-मध्य में नेपाल, तिब्बत, सिङ्गम और भूटान से तथा पूर्वी सीमा पर यान-नाराज, पश्चिम-चीन, और श्याम ने भारत का व्यापारिक सम्बन्ध है। सबसे अधिक

व्यापार नेपाल से होता है। उसके बाद शान-राज्य और अफगानिस्तान का नम्रवर है। नेपाल से विशेषकर चावल, तेलदान, धी, बैल, मेड़, बकरे आते हैं, और बदले में कपड़ा, चीनी, नमक, धातु के वर्तन इत्यादि जाया करते हैं। शान-राज्यों से धोड़े, टटू और लधर; श्याम से लहड़ी; तिब्बत से पश्चम और ऊन; तथा अफगानिस्तान से ऊन और फल इत्यादि सामान आते हैं, और बदले में सूती कपड़ा, चाय, चीनी, नमक, मसाला, धातु के वर्तन आदि आते हैं।

आयात-निर्यात सम्बन्धी विशेष वक्तव्य—इसने यहाँ आयात और निर्यात के कुछ मुख्य-मुख्य पदार्थों के सम्बन्ध में ही विचार किया है। इससे बहु साफ जादिर है कि भारतवर्ष अविकाश में ऐयार माल अन्य देशों में मौजूदा है; इसके विपरीत, यहाँ से निर्यात अधिकतर कच्चे पदार्थों का होता है। यदि भारतवर्ष में घरु उद्योग-धन्यों तथा बन-कारबानी को यथेष्ट उन्नति हो जाय तो कच्चे पदार्थों का यहाँ अधिक उपयोग होने लग जाय, उन्हें इतने परिमाण में बाहर मेझने की आवश्यकता न रहे, यहाँ का निर्यात कम हो जाय, और साथ ही हमारी नैयार माल की आवश्यकता यहाँ के बने पदार्थों से पूरी होने लगे, इसे इतने आयात की आवश्यकता न रहे; इस प्रकार श्रीयोगिककरण से हमारी निर्यात और आयात दोनों का ही परिमाण घट जाय। विदेशी व्यापार के परिमाण का घटना कोई चिंताजनक बात नहीं है। कारण, किंक व्यापार के अद्वौ के बढ़ने से ही किसी देश की मुख समृद्धि विद्ध नहीं होती। यह बात भारतवर्ष के विषय में विशेष रूप से लागू होती है। ही वर्ष पहले की अपेक्षा अब हमारे विदेशी व्यापार का परिमाण कितना अधिक है, यह पहले बताया जा सुका है। पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से अधिक सुन्दी हैं। हम अबना क्या माल सहने मात्र ने विदेश में देते हैं और उस माल की तैयार की हुई मैदानी वस्तुएँ दूसरे देशों से खरीदते हैं। इससे हमारे अनेक शादी साल में कई-कई महीने बेकार

रहते हैं, उन्हें अपने गुजारे के बहुती भी काफी सामान नहीं मिलता; यह हम उपभोग के प्रसङ्ग में बता चुके हैं।

अत्यु, वर्त्तमान विधि में हमें अपना आयात एवं नियंत्रित दोनों ही कम करने चाहिए। इसके लिए देश में उद्योग धंधों की वृद्धि करने के नवध में तो पहले ही लिखा जा चुका है; इस के अलावा, हमें चाहिए कि विशेष दशाओं को तथा विशेष आवश्यकता के पदार्थों को छोड़कर विदेशी बस्तुओं के बहिष्कार का उपाय काम में लायें। भोजन वस्त्रादि रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विदेशी पदार्थ न लें, इन्हें हम अपने यहाँ ही उत्पन्न करें और बनावें। विशेष दशाओं में हमें दूसरे देशों का माल लेने अथवा अपना माल देने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, दूसरे देशों से हमारा व्यापारिक सम्बन्ध इस प्रकार का होकि उससे हमारा और उनका, दोनों का, हित हो; हिसी का आर्थिक शोषण न हो।

विदेशी बहिष्कार और विश्ववन्धुत्व—विदेशी बहिष्कार की बात कुछ लोगों को बहुत अतिरेकी, वे हमें विश्ववन्धुत्व के आदर्य का उपदेश करेंगे। हम भी उसे भूलते नहाँ हैं। यदि संकार के विविध देश एक दूसरे के साथ एक परिवार के सदस्यों की मात्रि प्रेम और उदारता का व्यवहार करें तो कितना अच्छा हो ! कोई देश दूसरे पर आकर्षण क्यों करे; कोई किसी को अपने अधीन क्यों रखे ? हर जगह स्वाधीनता और स्वतंत्रता की पताका क्यों न फहराए। इस समय जो राष्ट्र दूसरों को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नोच प्रयत्न कर रहे हैं, उनका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन देशों में अपना तैयार माल बराने, तथा उनका आर्थिक शोषण कर सकने की आया है। जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हें विश्वास हो जायगा कि प्रत्येक देश स्वायत्तस्वी है और विदेशी माल का बहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तार की लालचा भी कम हो जायगी। सबार से बहुतसी सून-खराची और जोर-जुरम

हट जायगा। इस प्रकार विदेशी बहिकार में पराधीन देशों की मुक्ति का सन्देश है।

यदि हम विदेशी बस्तुओं के सम्पर्क के लोभ में न पड़े और स्वदेशी बस्तुओं से ही काम चलाने लगें—चाहे वे कुछ महंगी बयों न हो—तो इस संसार को युद्ध-मङ्गल से दूर करने में भी बहुत सहायक हो सकते हैं, और स्वयं मोशान्ति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्ववन्धुत्व का आदर्श चरितार्थ करने का यही मार्ग है।

विदेशों में भारतवर्ष का गौरव—वह इतिहास-प्रसिद्ध है कि किसी देश का भंडा इतना तलबार के पाछे नहीं चलता, जितना व्यापार के पाछे चलता है। भारतवर्ष में अग्रेज व्यापार करने आये थे, पीछे उनका यहाँ राज्य स्थापित हो गया। इस समय भी ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य आधार व्यापार ही है। नेपोलियन ने नो कहा है कि अग्रेज जाति दुकानदारों की जाति है। खेद है कि भारतवर्ष में व्यापार के लिए, शिक्षित और योग्य व्यक्ति आगे कम आते हैं। हम पिछले अध्याय में लिख चुके हैं कि व्यापार में ईमानदारी आदि सद्गुणों को बहुत आवश्यकता है। यदि हम विदेशों में भारतवर्ष का गौरव स्थापित करना चाहते हैं तो यह हमारी ईमानदारी और सद्व्यवहार भे ही हो सकता है। हमें ऐसा व्यापार करना चाहिए कि भारतवर्ष में बने हुए ('मेड-इन इंडिया') का अर्थ शुद्ध, खरा, चेमिलाइट का, और दिया ही जाय। जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए बाहर खरब और घटिया, अथवा बजन या सख्त्या में कम माल भेजते हैं, वे अपनी साख नो खोते ही हैं, देश को भी बहनाम करते हैं। हमारी देशमक्कि का तकात्वा है कि हम अपने शुद्ध और निष्कपट व्यवहार से देश-देशान्तर में भारतवर्ष का गौरव बढ़ानेवाले हों।

युद्ध और विदेशी व्यापार—हमारे विदेशी व्यापार की दृष्टि से युद्ध दो प्रकार का हाता है:—(१) जब उसका चेत्र परिमित हो, उससे यहाँ के आयात-निर्यात में बाधा न दो; और (२) जब उसका

चेत्र इतना व्यापक हो कि आयात-निर्यात में बहुत बाधाएँ होते हैं। इनमें में पहले प्रकार के युद्ध के समय अन्य देशों को, जो युद्ध का सामान बनाने में बहुत संलग्न होते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों आदि की बहुत जरूरत होती है। इसमें हमारा निर्यात बढ़ता है, और उसके बदले में कुछ तो उन देशों का सामान आता है, और बहुत-कुछ उनकी कीमत द्रव्य-रूप में यहाँ आती है। इस प्रकार भारतवर्ष को बहुत आर्थिक लाभ होता है। पहले योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८५) में ऐसा ही हुआ। उस समय इज्जलैंड और मित्र-राष्ट्र जर्मनी को धेर लेने में बहुत सफल हो गये थे, और भारतवर्ष के कच्चे माल का बाजार प्रायः पूर्ववत् बना रह सका था। जर्मन पनडुब्बियों के होते हुए भी उन समय सभी महत्वपूर्ण जल-मार्गों पर श्रंगरेजों का प्रभुत्व था, इसलिए इमारे निर्यात में विशेष बाधा नहीं हुई थी।

परन्तु युद्ध का दूसरा रूप भी हो सकता है, जबकि उसका चेत्र व्यापक हो, सभी और के अनेक देश उसमें ग्रस्त हो, और भारतवर्ष के निर्यात-काव में भयकर बाधा उपस्थित हो। दूसरे योरपीय महायुद्ध (१६३८-४५) में पीछे जाकर ऐसा ही हो गया। आरम्भ में यह बात न थी। यद्यपि युद्ध के प्रथम वर्ष में योरप के कुछ देशों में हमारा माल जाना बन्द रहा, अन्य देशों में वह पहले से अधिक गया; उदाहरण के लिए इज्जलैंड, ब्रिटिश उपनिवेशों, अमरीका, और मिश्र ने यहाँ का माल अधिक भरीदा। स्विटजरलैंड, स्पेन, टर्की, अरब, इराक, ईरान, याइलैंड, और अफ्रीका में भी भारतीय माल अधिक मौजाया गया। अन्य पदार्थों की अपेक्षा जूट, लोहा, दबाइयों, रसर, रुई, सूत, कोयला, फल, चमड़ा, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थों का निर्यात अधिक हुआ। निदान, कुल मिला कर १६३८-४० (युद्ध के प्रथम वर्ष) में भारत का निर्यात २०३ करोड़ रुपये का हुआ था, जबकि इससे पूर्व १६३८-३८ में वह १६३ करोड़ रु० का हुआ था। इसप्रकार उसमें ४० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उन १६३८-४० में यहाँ के अयात में भी

वृद्धि हुई, पर इतनी अधिक नहीं। इस वर्ष यहाँ १६५ करोड़ रुपये का माल आया, जबकि इससे पहले के वर्ष में १५२ करोड़ रु० का आया था। इस प्रकार यह वृद्धि २३ करोड़ की हुई, और क्योंकि नियर्ति की वृद्धि ४७ करोड़ की हुई थी, व्यापार की वाही हमारे पक्ष में २७ करोड़ की अधिक हुई।

किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक न रही। धीरे-धीरे जर्मनी ने लगभग समस्त योरपीय महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, इससे यहाँ हमारे माल का चाजार न रहा। साथ ही विशेषतया भूमध्य मार्गर में अंगरेजों का प्रभुल कम हो जाने से उस ओर का समुद्री मार्ग खतरे में खाली न रहा। इसके अतिरिक्त, जापान के युद्ध-चेत्र में आजाने से, प्रशान्त महासागर में से भी माल जाने आने में बहुत जोखम पैदा हो गयी। इन सब कारणों से नियर्ति व्यापार बढ़ने के स्थान पर घट गया। यहाँ कपास, जूद, तेलहन आदि का हटाक बढ़ गया। सन् १९४०-४१ में नियर्ति १८७करोड़ के ओर आयात १८७करोड़ रु० के माल का हुआ। सन् १९४१-४२ में आयात और नियर्ति बढ़े, पर फिरे १९४२-४३ में ये कम हो माल के हुए। कुल मिला कर, महायुद्ध हमारे विदेशी व्यापार को हानि पहुँचाने वाला ही हुआ। इसका एक तास कारण यह था कि भारत-सरकार ने पहले से यहाँ के व्यापार की उचिति के लिए येष्ट तैयारी नहीं की थी, और युद्ध आरम्भ हो जाने पर भी उसने भारतीय हित से विशेष कार्य न किया।

युद्धोत्तर व्यापार—युद्ध का समय निकल गया, अब आवे की यात बोच। भारतवर्ष के लगभग चौदह सौ करोड़ रु० की रकम इगलैंड में जमा होने की यात पहले कही जा सकती है। इगलैंड इस रकम को नक्दी में तुक्काने के विजकुल तैयार नहीं; वह वहीं मंहरधानी करके अपनी पुरानी मशीनें, या उपभोग अथवा सामत की जींज़ मारत्वर्ण के मत्त्वे मढ़ता। पुरानी मशीनों से होनेवाली हानि साफ़ जाहिर है।

और, अगर हमें विदेशी सामान मिलता है, तो वह यहाँ स्वदेशी सामान को परास्त करके अपना बाजार बनायेगा। हम चाहते हैं कि स्टॉलिंग पावना डालर में बदल दिया जाय, जिससे अमरीका से मशीनरी या ऐसी चीज़ें ली जा सकें, जो बहुत ज़रूरी हो, और भारतवर्ष में न बनती हों। विटिश सरकार को यह प्रसन्न नहा है। यद्यपि वह अमरीका में बिगाइना नहा चाहती, पर उसकी यह इच्छा तो ही है कि भारतवर्ष अधिक-से-अधिक सामान इंग्लैंड से खरीदे। उधा अमरीका भी अपना मान्य भारतवर्ष में खपाना चाहता है। सम्भव है कि इंग्लैंड और अमरीका दोनों इस विषय में कुछ समझौता करलें; इस प्रकार दोनों देशों का माल यहाँ काफी परिमाण में खपने का रास्ता निकल आने की आश़का है।

भारतवर्ष के चतुर चलाक व्यापारी विदेशी माल की एजन्सी प्राप्त करने के लिए लिखा-पढ़ो ही नहीं, यथा-सम्भव दीड़धूप कर रहे हैं। यदोही विदेशी माल यहाँ आने लगेगा, ये लोग एजन्ट का काम धूमधाम से करने लगेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहा कि उनका यह काम अपने स्वार्थ के लिए देश को हानि पहुँचाने का है। इसी तरह एक सात और भी विचार करने की है। कुछ विदेशी व्यापारी भारतवर्ष में अपने शारखाने खोल रहे हैं, यह आश़म है कि कितने ही भारतीय पूँजीपति उनसे कुछ सामेदारी का समझौता कर लेंगे। यदि ऐसा हुआ तो इससे देश की पराधीनता बढ़ेगी। आवश्यकता है कि विदेशियों को इस देश के शोषण करने में सफल न होने दिया जाय; और भारतीय पूँजीपति उनके इस धानक कार्य में 'कुत्ताड़ी बेटा बन कर' सहयोग न दे। इन बातों में सावधान रहने से ही इस सुदोत्तर व्यापार को देश के लिए योग्य सामकारी बना सकेंगे।

इककोसदाँ अध्याय

विदेशी व्यापार की नीति

इस अध्याय में विदेशी व्यापार की नीति के सम्बन्ध में विचार करना है। व्यापार-नीति कहने से भी विदेशी व्यापार की ही नीति का आशय लिया जाता है। इसके मुख्य दो भेद हैं—(१) संरक्षण-नीति, और (२) मुक्त द्वार-व्यापार या वेरोक्टोक व्यापार करने की नीति।

संरक्षण नीति—संरक्षण-नीति यह है, जिसमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगा कर वे इतनी मौहरी करदी जाय कि उनकी खरीद न हो सके, अथवा बहुत कम हो सके; और, इस प्रकार इवदेशी उद्योग-घन्थों की उन्नति में सहायता पहुँचे। इस नीति के समर्थकों का मत है कि उन्नत विदेशी व्यापार के सामने इवदेशी उद्योग-घन्थे नष्ट हो जाते हैं, और देश के निवासी सस्ती विदेशी चीज़ें उत्तरने के आदी हो जाने के कारण साहस्रहीन हो जाते हैं। इसका इलाज राष्ट्र की संरक्षण-नीति से ही हो सकता है। इस नीति से स्वदेशी उद्योग-घन्थोंवाले उत्साहित होकर आवश्यक माल तैयार करते हैं, और वह, कुछ समय बाद जमशुः सस्ता भी पड़ने लगता है। फिर स्वदेशी माल के व्यवहार में राष्ट्र स्वावलम्बी हो जाता है—उसे परमुत्तमपेक्षी नहीं रहना पड़ता।

मुक्तद्वार-व्यापार-नीति—इन नीति का अर्थ यह है कि आवात-नियंत्रित पर कर लगाने में स्वदेशी-विदेशी का भेद-भाव न रहे। जैसे अपना माल अन्य देशों में स्वतंत्रता पूर्वक जाने दिया जाय, वैसे ही दूसरे देशों का माल अपने देश में वेरोक्टोक आनंद दिया जाय। इस नीति के पक्षवालों का कहना है कि मुक्तद्वार व्यापार होने की दशा में

ध्यापारी विदेशी व्यापारियों से प्रतियोगिता करते हैं। इससे उनमें अपना माल सह्सा तंयार करने की शक्ति और योग्यता आ जाती है। सरक्षण-नीति में यह बात नहीं होने पाती। फिर, प्रकृति ने प्रत्येक देश को नभी आवश्यक सामग्री नहीं प्रदान की है; यदि हम अन्य देशों से आनेवाले माल पर अधिक कर लगावेंगे, तो दूसरे देशों ने यहाँ जानेवाले हमरे माल पर वैसा ही कर लगाकर हमसे बदना लगे। इससे हमारी उनकी आपने में तनातनी रहेगी।

इन नीतियों का व्यवहार—ये बातें तो केवल सिद्धान की हैं। बास्तव में प्रत्येक स्वाधान देश अपना व्यापार-नीति, अपनी परिस्थिति के अनुसार स्थिर करता है, और उसे आवश्यकतानुसार बदलता भी है। बहुत-से राष्ट्र जो अब मुख्दार-व्यापार की तारीफ कर रहे हैं, वे ही कुछ समय पहले तक अपने व्यापार की, सरक्षण-नीति से से, रक्षा करते थे। महायुद्ध के समय में उन्होंने फिर सरक्षण-नीति में लाभ उठाया। उदाहरण के लिए, अमरीका के समृद्धियाजी होने को बात कीन नहीं जानता! योरन के प्रायः सब बड़े-बड़े राष्ट्र उसके कर्जादार हैं। फिर भी वह विदेशी माल को अपने यहाँ बेरोकन्डोक मही आने देता। आवश्यकता होने पर वह अपने आयात पर १० से लेकर ४० की-से कड़ेतक कर ऐठा देता है। इसके मिला, वह अपने यहाँ स्थापित और रजिस्ट्री-शुदा व्यापारिक कम्पनियों को, विदेशी में माल लेजाने के लिए, बहुत ही सहते दाम पर जहाज देता है। फिर, जिस जहाज से जितना माल जाता है, उसे उसी अनुमात में नकद इनाम भी मिलता है। संरक्षण-नीति को, यह एक औन्ते खोलनेवाली बात है।

भारत की व्यापार-नीति पराधीन देशों की कोई नीति नहीं हो सकती। उन्हें अपने स्वाभी की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है। भारतवर्ष अन्य यातों की तरह व्यापार-विषय में भी स्वाधीन नहीं। उसे हानि उठाकर भी स्वार्थी अधिकारियों की आशा स्वीकार करनी पड़ती है। जब इन्होंने कलन्कारखानों से अच्छा माल तैयार

नहीं होता था, और वह सरक्षण-नीति का समर्थक था, तब उसकी उस नीति से भारत का तैयार माल वहाँ जाने से रुका, और यहाँ के उद्योग-घन्घ नष्ट हुए। पौछे, जब वहाँ विविध प्रकार का ओद्योगिक माल तैयार होने लग गया, उसका मुच्छारन-व्यापार नीति से भारतवर्ष के कम उच्चत उद्योग-घन्घों को घसका पहुँचा। इस प्रकार हर हालत में पराधीन भारत घाटे में ही रहा। पहले योरपीय महाशुद्ध के बाद सरकार ने भारतीय हित की ओर कुछ ध्यान दिया। सन् १९२१ ई० की आर्थिक बैंच-समिति की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ टेरिफ-बोर्ड का नियुक्ति होने, तथा उसकी सिक्कारिश के श्रतुसार लोड, पौलाद व सामान, कागज, कपड़े, सीमेंट और चीजों की आयात पर सरक्षण-कर लगाये जाने की बात इम उद्योग-घन्घों के प्रशंग में कह आये हैं।

भारतवर्ष में कच्चा माल यथेष्ट होता हो रहा है, और एवं उद्योग तथा साहस से यहाँ विविध प्रकार का सामान नैयार भी हो सकता है। पिछली सदी में कई देशों ने कल-कारखानों में उच्चति कर ली है। वे अब भारतवर्ष पर आनंदिक हमले कर रहे हैं; उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भारतवर्ष को इस समय सरक्षण-नीति के शरू की बड़ी आवश्यकता है।

निर्यात-कर—अब यह विचार करना चाहिए कि हमें अपने निर्यात पर कर लगाना चाहिए या नहीं, तथा इस कर का क्या परिणाम होगा। भारत से विदेशों को तैयार माल के बल जूट का जाता है, इसके सिवा बाहर जानेवाला हमारा और सब माल कच्चा ही होता है। यह स्पष्ट है कि तैयार माल के निर्यात को उत्तरित करने से देश में उद्योग-घन्घों की वृद्धि होती है। इसलिए उनपर कर न लगना चाहिए। अब दम कच्चे माल के निर्यात का विचार करते हैं।

इगलैण्ड का स्वार्थ इस बात में है कि भारतवर्ष में कच्चे माल की उत्पत्ति एवं निर्यात यहूँ। वह और दूसरे ओद्योगिक देश यहाँ के कच्चे माल को ऐसे ऊँचे भाव पर मोज ले सकते हैं, जिस पर यहाँ उसकी

उतना चिना नहा हो सकती। इवर, जिनना दूसरा हमें विदेशी के हाथ अपना कच्छा माल बेचने से मिलना है, उसमें कहीं अधिक हमें उनका नीयार माल बरीदने में देना पड़ता है। इस प्रकार इस देश को बहुत हानि होता है। इसके अलावा आदि पदार्थों के बाहर जाने से अफ्फाल या दुर्भिक्षा की मदकरता और भी बहुत होती है। इनसे बचने की निए यह आवश्यक है कि कच्चे पदार्थों के नियांत पर यथोच्च कर नगाया जाय। अन्य पदार्थों में अन्न, खड़े और तेजहन पर तो कर नगाया यहुत हा आवश्यक है। अन्न के नियांत पर कर लगाने से यह महेंगी कम होगी। खड़े के नियांत पर कर लगाने ने हमारे स्वदेशी वस्त्र के व्यापार की उत्तर दोगी, चर्वा चलानेवालों की काली परिमाण में कच्छा सामान (खड़े) तथा कार्य मिलेगा, असम्भव अनाधी, विधाशी और दरिद्रों की आजीविका चलेगी, देश के हुनादो और अन्य कारीगरों का स्वतन्त्रता पूर्वक नियांद करने का साधन प्राप्त होगा, तथा विदेशी करड़ों में मन्द होनेवाला घन स्वदेश ही में रटकर यहाँ के निवासियों की सुख-समृद्धि में महायक होगा। इसी प्रकार तेलदन की विदेश में बद्दल वहाँ से तेल मिलाने में हमें इस समय जो हानि हो रही है, वह उसके नियांत पर यथोच्च कर लगाने ने दूर हो सकती है।

दुःख की बात है कि इस समय ग्रामीणों के अनावा हमारे बहुतन्में व्यापारी भी देश के प्रति अपना कर्तव्य भूले हुए हैं। कच्छा साल विदेशी को जाने देने में जहाँ सरकार उत्तेजना देती है, वहा हमारे व्यापारी भी, अपने स्वार्थ के बल, इनका विरोध नहीं करते; वरन् स्वयं इस धातक कार्य में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अनें नक्के के निए देश के अधिक पतन में महायक न हो। पर्दि हमारे आदमी राजी ब्रदर्स आदि विदेशी कम्पनियों की नौकरी या दलाली करने, और, गर्म-गर्भव में घृष्णकर अन्न और खड़े आदि की कराची, या बम्बई में जेने का बीड़ा उठाने से हमारा दर दें, तो हमारी अधिक उन्नति का मार्ग साक्ष होने में

विशेष विलम्ब न लगे। आशा है, जागृति के इस होनहार युग में वे जननी-जनमभूमि के लिए स्वार्थ स्वार्थ करने से मुँह न मोड़ेंगे।

साम्राज्यान्तर्गत रियायत—कुछ अर्थशास्त्री (अधिकाँश अंगरेज) साम्राज्यान्तर्गत रियायत ('इपीरियल प्रेफरेंस') के पक्ष में रहते हैं। उनका अभिप्राय यह होता है कि निटिश साम्राज्य भर में, साम्राज्य के देशों में वनी हुई चीजों पर कर विलक्ष्ण न लगे, अथवा अन्य देशों की चीजों पर लगनेवाले कर की अपेक्षा कम लगे। संकेत में यह, साम्राज्य के लिए मुकद्दमा व्यापार-नीति, और बाहर के लिए संतच्छण-नीति है। इस नीति के विद्वांत सन् १८०२ ई० की उपनिवेश-परिषद् में निश्चित हुए थे। तब से इमलैंड की नियन्तर यह कोशिश रही कि उपनिवेशी और भारतवर्ष में जर्मनी, जापान और अमेरिका के माल को खपत न होने पावे। पिछले महायुद्ध के पश्चात् उसकी यह इच्छा और भी प्रवल हो गयी, और भारतवर्ष को इस नीति से जकड़ देने का प्रयत्न किया गया।

ओटावा (केनेडा) में होनेवाली सन् १८३२ ई० की साम्राज्य-परिषदकी बात लीजिए। उसमें तीन घर्ष के लिए यह समझौता हुआ कि जो वस्तुएँ भारत से इमलैंड अथवा किसी उपनिवेश को मेजी जायें, उन पर कर में कुछ प्रतिशत के हिसाब से, अन्य (अर्थात् साम्राज्य से बाहर के) देशों की अपेक्षा, रियायत दी जाय। इसी प्रकार इमलैंड और उसके उपनिवेशों से जो चीजें भारत में आवें उन पर भारत-सरकार कुछ रियायत किया करे। इस समझौते के अनुसार

* इलैंड भीर साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त मामों के प्रधान मन्त्री, परन्तर उपनिवेशों की ओर से नियित सरकार का उपनिवेश-मंत्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत मन्त्री इस परिषद के सदस्य होने हैं। इलैंड का प्रधान मन्त्री इसका समाप्ति होता है। परिषद में स्वराज्य-प्राप्त मामों के मन्त्री अपने-अपने देशाविषयों के प्रति उत्तरदार्दी होने के बारेय उनका मत प्रकट करते हैं; अर्थ-मन्त्री भारतवर्षियों के प्रति उत्तरदार्दी न होने के कारण भारतीय जनता का मत प्रकट नहीं करता।

आयात-नियोंत-न्कर में जो परिवर्तन किये गये, वे जबनरी १६३३ ई० में अमन में आये। प्रायः लोकमत इनके विवद ही रहा; मार्च १६३६ में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने इस समझौते की जारी रखने के विरोध में प्रस्ताव पास किया। तदनुसार मई १६३६ में छः महिने का अग्रिम सूचना दे दी गयी। परन्तु पांच सरकार वे वास्तिश्य विभाग की ओर ने यह सूचना प्रकाशित की गयी कि अगला समझौता होने तक भारतवर्ष और इङ्लॅण्ड की सरकारें, मन् १६३२ के समझौते को उस समय तक जारी रखने के लिए सहमत हैं, जब तक कि कोई नया समझौता न हो जाय। इसने स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतवर्ष ने साम्राज्यार्थगत-रियायत-नीति के आधार पर व्यापार करने की अत्यन्त इच्छुक रहती है।

साम्राज्य-सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप—साम्राज्यान्वयन रियायत-नीति के प्रभाव को समझने के लिए भारतवर्ष के आयात-नियोंत के मूल्य और स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। प्रायः ब्रेट-ब्रिटेन ही नहीं, समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को मारतवार्ण ने जिनने मूल्य का माल जाता है, उसकी अपेक्षा यहाँ ब्रिटिश माल अधिक मूल्य का आता है। इसके बिपरीत, साम्राज्य ने बाहर के देश अपना माल यहाँ भेजने का, और हमारा माल लेते अधिक है। इस प्रकार इन, साम्राज्य ने बाहर के, देशों के साथ व्यापार करने में भारतवर्ष को विंगम लाया है।

जो देश अधिक क्षमा माल बाहर भेजता है, उसे विदेशी व्यापार ने मुकाबले का ढर नहीं रहता। कारण, क्यों माल की आवश्यकता सब को रहती है। इस प्रकार मुकाबला न होने से कोई देश उस पर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कर नहीं लगा सकता। परन्तु यहाँ हुआ माल भेजनेवाले देश को क्षदा ही यह भय बना रहता है कि कोई उनके माल पर बहुत कर न बैठा दे। मारतवर्ष देश देश है, जहाँ में व्यादृतर क्षमा माल ही बाहर जाता है। अतः भारत को प्रतियोगिता

या विरोध का भय नहीं हो सकता।

साम्राज्यात्मक रियायत में भारतवर्ष का सम्बन्ध इङ्गलैण्ड और उसके अधीन देशों से ही है। उपनिवेशों से भारत का व्यापार बहुत कम होता है, इसीलिए उसमें हानि-जाह्न भी विशेष नहीं। इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात की वस्तुएँ ऐसी हैं कि भारतवर्ष विशेष हानि उठाये चिना ही उपनिवेशों से स्वेच्छानुसार व्यवहार कर सकता है।

साम्राज्यात्मक रियायत से भारतवर्ष की हानि—यदि भारतवर्ष साम्राज्यात्मक रियायत की नीति मान ले, तो—

(क) कर कम लगाने से यहाँ इंगलैण्ड का माल अन्य देशों के माल से सस्ता पड़ेगा, और यहाँ का का बाजार पूर्ण रूप से इंगलैण्ड के हाथ चला जायगा।

(ख) यहाँ जो माल बाहर से तैयार होकर आता है, उसमें बाहर के देशों में बदावदी है, जिसके कारण इसमें चीज़ें मस्ती मिलती हैं। पर 'रियायत' की नीति से इंगलैण्ड को बदावदी का ढर नहीं रहेगा, और इसमें उसकी चीज़ें अधिक दाम पर खरीदनी पड़ेंगी।

(ग) सबसे अधिक भय यह है कि जिन देशों के माल पर, इंगलैण्ड के लाभ के लिए, इस अधिक कर लगावेंगे, वे भी इससे बदला लेने पे लिए, भारत के निर्यात-व्यापार पर अधिक कर लगा देंगे, या हम अपना माल इंगलैण्ड के व्यापारियों को उनको मनचाही कीमत पर बेचा करेंगे। इस प्रकार हमारी हानि, और इंगलैण्ड का लाभ होगा।

(घ) इस समय हमारी आयात का बड़ा भाग यहाँ इंगलैण्ड से ही आता है। कर कम हो जाने पर यह और भी अधिक आने लगेगा और, तब आयात-कर की कमी से भारत-मरकार की आमदनी में बहुत घटा होगा, और वह जनता पर अधिक कर-भार लादने का विचार करेगी।

(च) भारतवर्ष में कच्चे माल की प्रधानता होने के कारण, इंगलैण्ड

तथा उपनिवेश भारतवर्ष को अपने कब्जे मान का गादाम समझेंगे, और भारत-सरकार की लाचारी भारतीय उद्योग-धर्वों को कभी पुष्ट न होने देगी। इस प्रकार राजनीतिक सुधार होने हुए भी भारत को आर्थिक स्वावीनता नहीं मिलेगी।

व्यापारिक समझौते—साम्राज्यात्मक रियायत व्यापारिक समझौते का ही एक रूप है। अतः व्यापारिक संविधयोंके सम्बन्ध में भी कुछ विचार किया जाना आवश्यक है। बहुधा कोई देश भिन्न-भिन्न देशों में ऐसा समझौता किया करता है कि अगर तुम अमुक परिमाण में मेरा इतना मामान खरीदोगे तो मैं अमुक परिमाण में इतना माल तु-द्वारा खरीदूगा। ऐसी बातें स्वतन्त्र देशों में ही होती हैं। भारतवर्ष की भी व्यापारिक विषय में कुछ स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी है, अतः भारतवर्ष की, दूसरे देशों से इस प्रकार की संधि होने लगी है। दूसरे योरपीय महायुद्ध से पहले के दस-वारह वर्षों में यहाँ भारतवर्ष में जापान के कपड़े की आयात का बढ़ना, और इगलैड के कपड़े की आयात घटना ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत चिन्ना का विषय रहा है। वह चाहती है कि भारतवर्ष में जागन आदि के वस्त्र की अपेक्षा ब्रिटिश कपड़े को तरजीह दी जाय। इसी हृष्टि से ब्रिटिश व्यापारी भारतवर्ष के प्रमुख व्यापारियों से तथा भारत सरकार में समझौता करने की विकास में रहते हैं। बहुधा समझौते की रूप-रेखा से भारतवर्ष की जनता तथा यहाँ के नेता विलकुल अनज्ञान रखे जाते हैं। समझौते करने के टड़के तथा उनके इस प्रकार गुप्त रखे जाने की बात बहुत सन्देह तथा असंतोष पैदा करनेवाली होती है। आवश्यकता है। समझौते सम्बन्धी मध्य बातों पर, अन्तिम निर्णय से पूर्व, भारतीय व्यवस्थापक सभा वा मत लिया जाया करे। भारतीय व्यापारियों का भी कर्तव्य है कि लोकमत की उपेक्षा कर किसी गुप्त समझौते में भाग न ले।

व्यापार-नीति और अंतर्राष्ट्रीयता—व्यापार-नीति-सम्बन्धी

इन वातों को पड़ कर कुछ लोग इस पर विश्ववन्धुत्व-विरोधी होने का आक्षेप कर सकते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि हमें किसी भी सुन्दर शब्द वे मोह-जाल में न पड़कर, गम्भीर विचार करना चाहिए। हमें वह विश्ववन्धुत्व या अन्तर्राष्ट्रीयता अभीष्ट नहीं है, जो हमें परावलम्बी बनाये। प्रत्येक व्यक्ति की भावित राष्ट्र को भी जीवित जायत रहना चाहिए और इसलिए अपने जीवन-निर्वाह के आवश्यक पदार्थ स्वयं उत्पन्न तथा तैयार करने चाहिए; विशेषतया, जबकि उस देश में आवश्यक कच्चे पदार्थ काफी उत्पन्न होते हैं, या उत्पन्न होने की अनुकूलता हो। कोई भी राष्ट्र अपने जीवन-निर्वाह के लिए परावलम्बी रहकर अन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में विशेष उपयोगी नहीं हो सकता।

इम किसी को दानि पहुँचाना या किसीका शोपण करना नहीं चाहते इम यह भी नहीं चाहते कि दूसरे राष्ट्र हमें अपने स्वार्थतो या पूँजीवाद का शिकार बना कर हमारे विकास को रोकें और किर हमें शरम्य और अवनत कहने का अवசर प्राप्त करें। अन्य देशों की भावित, व्यापार-देश में भी हमारी नीति 'जोओ, और जीने दो' की होनी चाहिए।

छठा भाग वितरण

चाइसवाँ अध्याय लगान्

वितरण किसे कहते हैं, और उसमें किन-किन विषयों का विचार होता है, यदि हम पढ़ते भाग में बता लुके हैं। यदौ उन विषयों की छोरेवार चर्चा करने के लिए 'लगान' से आरम्भ करते हैं। भूमि, खेत जगत या खान आदि को व्यवहार में लाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके स्वामी को जो रकम या अनाज आदि दिया जाता है, उसे लगान कहते हैं। प्राचीन-काल में भनुष्य कम थे, और भूमि उनकी आवश्यकता से अधिक। उस समय प्रत्येक आदमी उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। किसी आदमी का किसी भूमि पर अधिकार नहीं था। जनसंख्या को बृद्धि के साथ भूमि की मौग भी पड़ती गयी। परन्तु उसका क्षेत्र परिमित ही रहा। अतः जिसके अधिकार में जो भूमि आगयी, वही उसका स्वामी रहने लगा। अब अगर किसी के पास आवश्यकता से अधिक भूमि होगयी तो उसने उसके उपयोग का अधिकार दूसरे को देकर उसके बदले में उपज का कुछ दिस्ता, जिसे लगान कहते हैं, लेना आरम्भ किया। इस प्रकार लगान लेने की रीत निकली।

लगान के भेद— अर्थात् की दृष्टि से लगान के दो भेद हैं—
(१) कुल लगान, जिसे बोलचाल में केवल लगान ही कहते हैं;
(२) आर्यिक लगान। कुल लगान में आर्यिक लगान के अलावा

भूमि में लगे हुए मूलधन का सद, और जमीन के मालिक का विशेष लाभ मिला रहता है। किसी खेत के आर्थिक लगान का दिमाव इस प्रकार लगाया जाता है कि खेत की संपूर्ण उपज के मूल्य में से उसकी खेती के सब प्रकार के लागत-खच्च निकाल दिये जाते हैं; तदुपरात जो रकम शेष रहती है, वह उस खेत का आर्थिक लगान मानी जाती है।^१

भारतवर्ष में कुल लगान आर्थिक लगान से अधिक लिया जाता है, और इसके तीन भेद हैं—(१) बन्दोबस्त के सभय सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ लगान; यह नकदी में होता है। (२) जमीन का मालिक इकारारनामे द्वारा, दूसरे आदमी को जमीन जोतने के लिए देहेता है, और लगान नकदी में निश्चित करता है। (३) बटाई प्रथा से मिलनेवाला लगान। बटाई प्रथा संक्षेप में इस प्रकार है—जमीन का मालिक अपनी जमीन में दूसरे आदमी को एक कसल बौने देता है, जो अपना बीज बोना है, और अपने बैलों से तथा अपने परिवर्म में खेती करता है। अगर उसके पापु अपने बीज या बैल नहा होते तो वह इन्हें जमीन के मालिक से या दूसरों में लेकर उनकी व्यवस्था करता है। निदान, खेती करने का सब भार उसी पर रहता है। जब कसल तैयार होनेपर अनाज इकट्ठा किया जाता है तो वह जमीन के मालिक और खेती करनेवाले में, उनके किये हुए समझौते के अनुसार बँट जाता है। प्रायः दोनों आधा-आधा अनाज लेलेते हैं, और भूमि को खेती करनेवाला लेता है। इसी तरह, अनाज के अलावा दूसरी, चीज़ों की खेती में बटाई की रीति बर्ती जाती है।

दस्तूर, आवादी और स्पद्धि का प्रभाव—भूमि के पात-

* 'भारतवर्ष' में, जमीदारों प्रभावाले प्रातों में, किसान भूमि के उपयोग के नियंत्रण को रक्षण जमीदार को देता है, वह लगान कहलाती है, और सरकार जो रकम जमीदार से लेता है, उसे मालगुबारी कहते हैं। ऐसतारों प्रातों में विशान का सम्बन्ध सीधा सरकार से होता है, और वह जो रकम मरकार को देना है, उसे मालगुबारी कहते हैं।

पास के दी दुकड़ों में भिज्ञ-भिज्ञ गुण हो सकते हैं। गुणों के अनुसार, दो समान चेत्रवाने दुकड़ों का लगान अलग-अलग होता है। लगान में प्रतियोगिता पौछे जाकर होनी है। जब आवादी या कारम्बानों की छुटि या रेल आदि के कारण जमीन की मौज़ बढ़ती है, तो लगान भी बढ़ता है; और जब कारम्बाने टूटने लगते हैं, आवादी कम होने लगती है, तो लगान कम हो जाता है। भारतवर्ष में, जब तक कोई कृषक दस्तूर के माफिक लगान देता रहता था, तब तक वह अपनी इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं कराया जा सकता था। पौछे, समय-समय पर युद्ध, महँगी और दीमारियों के कारण भारतवर्ष के उपजाऊ भागों की आवादी कम हो गयी, और जमीदारों को दूर-दूर के किमानों को अपनी भूमि की ओर आकर्षित करने के लिए, आपस में घर्षण और कृषकों के साथ रिशायत करनी पड़ी। इत प्रकार लगान-सम्बन्धी दस्तूर टूटने लगा। आजकल एक अन्य कारण से भी दस्तूर टूट रहा है। जनता की बुद्धि होने और उपज के बाजार का चेत्र बढ़ने से भूमि की मौज़ बढ़ गयी है। और, जमीन ऐसी चोत है, जिसका परिमाण या गुर्ति नहीं बढ़ सकती। यिन्हीं नदी से लगान या तो कानून से निश्चित होता है, अथवा किमान और जमीदार के आपसी समझौते से।

जमीदारी प्रथा की उत्पत्ति—भारतवर्ष के कई भागों में, 'आजकल भूमि को उपज के तीन दिसेदार होते हैं—किमान, जमीदार, और सरकार। इनमें से किमान और सरकार तो अति प्राचीन काल में हैं, परन्तु इन दोनों के बीच में जमीदार कब और कैसे आ गये, यह विषय बहुत विवारणीय एवं महत्वपूर्ण है। सुदीर्घ हिन्दू शासन में जमादार नाम के व्यक्ति की चर्चा किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में—वेद, अुत्ति, ईमृति, पुराण आदि में—नहीं मिलती। 'जमीदार' शब्द का प्रयोग मुसलमानों के शासन-काल में आरम्भ हुआ। उस समय जमीदार एक सरकारी कर्मचारी होता था, जो मालगुजारी बमूल

करके सरकारी खजाने में दायिता करता था। उसे अपने इस काम के लिए गड़व से वेतन मिलती थी। मुगल साम्राज्य का हाथ होने पर ये कर्मचारी कमशुः स्वतंत्र होते थे। यीछे इनका अधिकार पैत्रिक हो चला। ये लोग सरकार को निर्धारित रकम देते और जनता में मनमाना द्रव्य बसूल करते। इन्होंने भूमि पर अपना अधिकार और गाँव में अपना प्रभाव जमा लिया। यह जमीदारी प्रथा विशेषतया बंगाल में पेटा हुई, पीछे अन्य प्रान्तों के सरकारों के कमज़ोर पड़न पर यह दूसरे भागों में भी पैलती गयी। अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से में ईस्ट-इंडिया कम्पनी यहाँ को परिस्थिति से लाभ उठाकर राजनीतिक विषयों में भी प्रमुख प्राप्त करने लगी। सन् १७६५-६० में लाड़ बलाहव ने दिली के बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इससे कम्पनी को यह अधिकार मिल गया कि वह इन प्रान्तों की मालगुजारी बसूल करे, और केवल उसका एक निर्धारित अंश (छुब्बी से लाख रुपये) शाहग़ालम को दे दिया करे। यह व्यवस्था हो जाने पर उक्त प्रान्तों के प्रत्येक जिले के किसी प्रधान नगर में नीलाम द्वारा जमीन का बन्दोबस्त किया जाने लगा; जो व्यक्ति नीलाम में मालगुजारी की उच्च-से-अधिक बोली बोलता, उसे किसानों से लगान बसूल करने का अधिकार मिलने लगा। यह अधिकार केवल एक साल के लिए होता था। आगे साल फिर नये सिरे से जमीन का नीलाम होता था। इस प्रकार किसानों से लगान बसूल करने का अधिकार कुछ दैसेवालों के हाथ चला गया, जो 'जमीदार' कहलाने लगे। किसानों के सिर पर जमीदार-नामक बर्द लाद दिया गया। क्षमा

* मम्बवतः इसका एक मुख्य दैत्य यह थी कि सर्वसाधारण पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सरकार भूमि पर कुछ लोगों का विशेष अधिकार द्विकार बरना अवश्यक समझती थी, जिससे यह लोग अपने विशेष स्वार्थों के कारण सरकार का सहाय दें, एवं 'मारनवर्ष' में अगरेजी राज्य की जट जमाने में सहायता हो।

बंगाल में स्थाई बन्दोवस्त—इस व्यवस्था में जमीदारों ने किसानों से लगान बख़ल करने में खूब ज्यादतियाँ कीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जमीन परती पड़ी रहने लगी, काश्तकार भूखो मरने लगे। तब अधिकारियों की यह खाल आया कि यह हिति अच्छी नहीं; जब जमीन जोती ही न जायगी, तो मालगुजारी कहों से ली जायगी। अत मैं लाड़ कारंबालिल ने सोचा कि जब तक जमीदारों को यह विश्वास न हो जायगा कि उनकी जमीन से आगे जो फायदा होगा, उसका सब अशु उन्होंने को मिलेगा, तबतक वे जमीन का सुधार न करेंगे, और जमीन जोतने या जुटवाने में भी उत्पाद न दिखाएँगे। इसलिए उन्होंने बंगाल में (जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे) सन् १७८३ ई० में मालगुजारी का स्थाई बन्दोवस्त कर दिया। सरकार को इतनी मालगुजारी मिलने का कानून बन गया, जो उस समय बख़ल किये जानेवाले लगान का ६० पक्के सेकड़ा भी। यह निश्चय हो गया कि जमीन के सुधार से अधिक आमदनी होने दें, यह निश्चय हो गया कि जमीन पर सरकार का दिस्ता बढ़ाया न जा सकेगा; उसका सब लाभ जमीदारों को होगा। इसमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बन्दोवस्त जमीदारों से किया गया, जब कि वास्तव में हीना चाहिए या किसानों से।

जहिंस फील्ड के शब्दों में 'रेयत को बाध्य किया गया कि वे अपने अधिकार स्वाग दें; या यदि उन अधिकारी की रक्ता करना चाहें, तो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली और विवेकहीन लोगों (जमीदारों) से खर्चाली मुकदमेवाजी करें। बंगाल के किसानों को अपना अधिकार लो देना पड़ा, क्योंकि वे बहुत ही गरीब और हम लोगों की (अंग्रेजी) कानूनी कारंबाइयों के अनुसार सबूत पहुँचाने के तरीकों से सर्वपा अनज्ञान में। उनके इक सायित करनेवाले कागजात जिन पटवारियों के हाथ में रहे थे, उनका पद तोड़ दिया गया था; और जिन जमीदारों के हाथ में थे, उन्होंने उन कागजात को दबा दिया था।'

स्थाई बन्दोवस्त के गुण-दोष —स्थाई बन्दोवस्त के पक्ष में ये बातें कही जाती हैं:—(१) इससे सरकार को निश्चित और स्थाई आय हो जाती है, तथा उसे बारबार लगान निश्चित करने तथा वहूल करने का आवश्यकता नहीं होती। (२) सामाजिक दृष्टि से जमीदार रैयत के स्थाभाविक नेता बनने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्यों में सहायता करने योग्य हो गये हैं। (३) आर्थिक दृष्टि से इससे कृषि सम्बन्धी उन्नति और जनता की सुख-समृद्धि की वृद्धि हुई है; इससे ग्रामी अकाल आदि के सकट का सामना करने में अधिक क्षमतावान हो गये हैं। (४) इससे, अस्थाई बन्दोवस्त को दरा में होनेवाली बुराइयाँ दूर हो गयी हैं, उदाहरण के लिए नये बदोवस्त में होनेवाला बेशुमार खर्च और किसानों की परेशानी, बदोवस्त का अवधि के अंतिम दिनों में लगान-नमूदि से बचने के लिए किसानों की उदासीनता के कारण होनेवाली खेती की हानि, मालगुजारी-विभाग के कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता आदि।

अब स्थाई बन्दोवस्त के विषय की बात लीजिए:—

(क) इससे सरकार को मिलनेवाली आय स्थाई और निश्चित तो रहती है, पर कृषि से होनेवाली आय बढ़ने के सापे उरकार अपने हिस्से को नहीं बढ़ा सकती, जैसा कि वह दूसरी आमदनी के सम्बन्ध में करती है। इस प्रकार उरकार बहुत-सी आय से बचत रहती है, और सार्वजनिक उपयोगिता के कामों में भी उस सीमा तक खर्च करने में असमर्पण रहती है।

(ख) यद्यपि कोई-कोई जमीदार उदार और परोपकारी होता है, परन्तु स्थाई बन्दोवस्त से जो यह आशा की गयी थी कि जमीदार सामूद्रिक रूप से समाज का नेतृत्व, और सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करनेवाले होंगे, वह आशा पूरी नहीं हुई।

(ग) बंगाल की सुख नमूदि का श्रेष्ठ स्थाई बन्दोवस्त को न होकर दूसरी बारों को है, जैसे किसानों को, काश्तकारी (टिनेशी) बानूनों

दारा रक्षा; जलवायु का बहुत कुछ निश्चित होना; आमदरदफ्तर के माध्यमों का होना; जट का प्राप्ति; एकाविकार, और छलकच्चे से होने-वाला व्यापार-न्यवसाय आदि।

(ष) अब इतने वर्षों के अनुभव और कार्य के बाद नया बन्दोबस्त करने में पहले की तरह बेदर खर्च, तथा किसानों को उतनी असुविधा नहीं होती। स्थाई बन्दोबस्त की दशा में लगान जितना कड़ाई से लगाया जाता है, अस्थाई बन्दोबस्त की दशा में उतनी सख्ती नहीं की जाती।

सरकार को राष्ट्र-द्वित सम्बन्धी नये-नये कार्य करने हैं, और उनके बास्ते अधिकाधिक धन को आवश्यकता होती है। इसलिए किसने ही विद्वानों का मत है कि जनता पर कर-भार उचित मात्रा में होने के लिए, और सरकार को यथोप्त आय प्राप्त होने के लिए, आवश्यकता इस बात की है कि स्थाई बन्दोबस्त का सशोधन कर नया बन्दोबस्त किया जाय। यद्यपि ऐसा करने में सरकार की पूर्व प्रतिशा की बात बाधक है, तथापि किसी धंघों विशेष के स्वार्थ के जिए जनसाधारण के हितों की निरकाल तक बलि नहीं दी जा सकती।

सन् १९३६-४० में सरकार ने एक कमीशन मालगुजारी-प्रधान के विविध पहलुओं पर, विशेषतया स्थायी बन्दोबस्त के समरूप में, विचार करने के लिए नियुक्त किया। इसके बहुमत की रिपोर्ट यह रही कि सरकार सब जमीन को लरीद ले; और स्थाई बन्दोबस्त के आधार पर भूमि स्वत्व न रहे।

अस्थाई बन्दोबस्त — पहले कम्पनों का विचार था कि बंगाल की तरह अन्य प्रान्तों में भी स्थाई बन्दोबस्त कर दिया जाय। यसनु पीछे उसने कोचा कि जमीन की उपज दिन-दिन बढ़ती जाती है, और उसके साथ सरकारी मालगुजारी भी बढ़ायी जा सकती है। इसलिए उसने अस्थाई प्रबन्ध ही जारी रखा। उत्तर-भारत में यह निरचय किया गया कि जमीन से मालगुजार को लगान के रूप में जो

आमदनी हुआ करे, उसका ८३ फी-सदी सरकार ले, और शेष के बल १७ फी-सदी जमीदार को मिले। जब जमीदार इतनी व्यादा माल-गुजारी देने में असमर्थ रहे, तो सरकार ने अपना हिस्सा कमशः घटाकर, सन् १८५५ ई० में ५० फी-सदी ठहराया। सन् १८६४ ई० में यही नियम भारतवर्ष के कुछ अन्य प्रान्तों में कर दिया गया। इस समय सरकार लगान की रकम का ४० से ५० प्रतिशत तक मालगुजारी के रूप में लेती है।

मालगुजारों का परिमाण निश्चित होने से लाभ जमीदारों को, और उनमें भी केवल चड़े-चड़े जमीदारों को, हुआ। क्षु श्रव, किसानों के बारे में सुनिए। कमशः जनसंख्या-हृदि और औद्योगिक द्वास के कारण अधिकाधिक भूमि में खेती होने लगी, और भूमि को मौग बढ़ती गयी। परन्तु भूमि को मात्रा परिमित ही थी। जमीदारों ने अपनी भूमि का लगान बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे किसान बहुत कष्ट पाने लगे। सरकार ने इस विषय की ओर पहले-पहल सन् १८५६ ई० में ध्यान दिया। सन् १८६८ में बंगाल टिनेंसी (काश्तकारी) एकट पास हुआ। इससे काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की गयी। यह व्यवस्था ही गयी कि जो किसान किसी भूमि में १२ वर्ष तक काश्त करले, उसे उस भूमि पर भौतिकी अधिकार प्राप्त हो जायें। पश्चात् विविध कानूनों से इसमें आवश्यक संशोधन किया गया; लगान के बहुत अधिक न बटाये जाने को भी व्यवस्था की गयी। अन्य प्रान्तों में भी समय-समय पर काश्तकारी-कानून बनाया गया। अस्थाई बन्दोबस्त वाले प्रान्तों में सरकारी मालगुजारी एक बार केवल तीस, बीस या इससे कम सालों के लए निश्चित की जाती है। इस अवधि के उपरान्त नया बन्दोबस्त होता है, जिसमें बहुत मालगुजारी का भार बढ़ता ही रहता है।

* बड़े जमीदारों की अपनी आय में से ४०-५० प्रति शत देना बहिन नहीं होता, परन्तु छोटे जमीदारों को इनमें परिमाण में मालगुजारी देना बहुत असुरक्षा है।

अस्थाई बन्दोबस्तु दो प्रकार का है—

(क) जमीदारी, तालुकदारी या प्राप्ति—इसमें जमीदार या तालुकदार अपने हिस्मे की, अथवा गौवाले मिज कर कुल गौव की, मालगुजारी सरकार का चुकाने के लिए उत्तरदाई होने हैं।

(ख) रेयतवारी—इसमें सरकार भीष्ये काश्तकारी में सम्बन्ध रखती है।

बन्दोबस्तु का हिसाब—बन्दोबस्तु की भिन्न-भिन्न प्रणालियों का सौधा हिसाब इस प्रकार है :—(१) स्थाई बन्दोबस्तु; पश्चात् में, विदार के ५/६ माग में, एवं आसाम के आठवें और संयुक्तप्रान्त के दसवें माग में। (२) जमीदारी या प्राप्ति बन्दोबस्तु; संयुक्तप्रान्त में ३० वर्ष और पंचायत तथा पश्चिमान्त में ३० वर्ष के लिए यालगुजारी निश्चित कर दी जाती है। गौवाले मिज कर इसे चुकाने के लिए उत्तरदाई होते हैं। (३) रेयतवारी बन्दोबस्तु; वम्बड़ी, मिञ्च, मदरास, और आसाम में, एवं विदार के कुछ माग में। इन स्थानों में सरकार भीष्ये काश्तकारी से सम्बन्ध रखती है। वम्बड़ी, और मदरास में ३० वर्ष में, तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी-जल्दी बन्दोबस्तु होता है।

सरकारी यालगुजारी नहीं में लो जानी है, जिस (उपन) के न्य में नहीं। वर्षों न होने या बहुत अधिक होने में, या किसी दूसरे परलू ने दमन लगाव हो जाने पर लव वेदावार कम हो जानी है, (१) मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ने का नियम है। परन्तु प्राप्ति: यह गुजारात रहती है कि टूट तुक्सान के हिसाब में कम होती है; और, वें मी मालगुजारी खालविक उपन की हाई से अधिक ही लो जानी है। मासनीय हिसाबों की दखिता और कर्जदारी का एक मुख्य कारण यही माना जाना है।

मालगुजारी और लगान निर्धारित करने की विधि—भारतपर्य के अस्थायी बन्दोबस्तु वाले भागों में मालगुजारी और लगान निर्धारित करने के तीन तरीके हैं। (१) संयुक्तप्रान्त में मोम्बो काश्तकारी

का लगान उस लगान के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो गैर-मौलिकी काश्तकार पिछले बन्दोबस्त में जमींदारों को दिया है। लगान का करीब आधा भाग मालगुजारी ली जाती है। (२) मध्यप्रात में लगान का निश्चय भूमि के गुण और स्थिति की जाँच करके किया जाता है; और, मालगुजारी लगान की करीय आधो होती है। (३) बम्बई प्रान्त में बन्दोबस्त-अफसर यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि प्रत्येक खेत में पिछले बन्दोबस्त के समय जो उपज हुई, उसकी कीमत क्या थी, और उसमें लागत-खर्च क्या हुआ था। उपज को कीमत में से लागत-खर्च निकाल देने पर जो रकम शेष रहती है, साधारणतया उसका लगभग आधा भाग आगामी बदोबस्त तक के लिए मालगुजारी निश्चित की जाती है।

भारत के सब प्रान्तों में गालगुजारी की दर एक ही प्रकार से निश्चित होना टीक है, और उसके लिए अतिम अर्पात् वंवई प्रानिवाली विधि सर्वोत्तम है। परन्तु उसमें भी कुछ सुधार होना आवश्यक है।

वर्तमान समय में अनेक स्थानों में खेती बेमुनाफे की होती है। किसानों को मालगुजारी अपनी मजदूरी में से देनी पड़ती है, इसलिए उनको कई महीनों तक भूखे रहना पड़ता है।* उन् १६२६ ई० की कर ज्ञान-समिति ने यह स्वीकार किया है कि 'खेती के लागत-खर्च में किसान और उसके कुटुम्ब के उन लोगों की मजदूरी शामिल नहीं की जाती, जो खेती, पर काम करते हैं।' क्षेत्रादिल लागत-खर्च टीक लगाया जाय तो यहूत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी आमदनों लागत-खर्च से कम होगी। इस प्रकार के खेत जो तनेबालों से दो मालगुजारी या लगान लिया जाना किसी दशा में उचित नहीं

* ऐसी दशा में किसान भूमि को रखने ही क्यों है? इसहा उत्तर यह है कि उनके पास स्थाई आजीविका का और कोई साधन नहीं में वे भूमि के गोड़े-बद्रुत सहारे को छोड़ना नहीं चाहते। निलकूल भूखे रहने से जायेन्ट रहना ही अच्छा है। पर, भूमि के, पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण भी किसानोंको उसका मोहर रहता है।

कहा जा सकता। पुनः किसानों से (रेयतवारी प्राप्ति में) मालगुजरी लो जाना, और सब जमीदारों से (जर्मादारी-पथा वाले प्राप्ति में), जिना उनकी ईमियत का विचार किये, लगान का लगभग ५०% माल-गुजारी लिया जाना भी अनुचित है।

बन्दोबस्त की अवधि—अर्थात् बन्दोबस्त कितने समय के लिए हुआ करे, इस विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोगों का मत है कि दस साल के बाद नया बन्दोबस्त हो जाया करे; दूसरे लोग चाहते हैं एक बार जो बदोबस्त ही, वह सी साल तक कायम रहे। योड़े समय के पक्ष में ये बातें हैं:—(१) राज्य और समाज को उक्त बढ़ी हुई आम-दनी का उचित हित्ता मिल जाता है, जो साधारण उचिति के कारण ही जाती है जिसके लिए किसी को खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। साध ही, इससे समय-समय पर लगान को घोड़ी-घोड़ी वृद्धि होने से, किसानों का भार विशेष नहीं बढ़ता। (२) उत्पत्ति का परिमाण या उमसका मूल्य कम हो जाने को देखा में, लगान की दर कम करना, और इस प्रकार, किसानों का भार हल्का करना आसान होता है।

इसके विरोध में यह कहा जाता है कि सुदीर्घ काल के लिए बन्दोबस्त हो जाने की दशा में, लगान देनेवाला चारचार के परिवर्तनों से बच जाता है, वह अपने साथनों की वृद्धि कर सकता है। वह लगान-वृद्धि की आशका से मुक्त रहते हुए कृषि की उचिति करता है। ऐस्तु, यदि लगान वि-रख्वर्क वैशानिक पद्धति से निश्चित किया जाय तो बन्दोबस्त की अवधि उपर्युक्त दोनों प्रकार के मेन पर निर्भर रहेगी। साधारण तौर से तीस चालीस वर्ष में नया बन्दोबस्त होने रहना ठीक हो है।

संयुक्तप्रान्त का नया लगान कानून—समय-समय पर विविध प्राप्ति में किसानों की दशा सुधारने के लिए कानून बनाये गये हैं। उदादरण-स्वरूप, इस यहाँ संयुक्तप्रान्त के उन लगान-कानून की मुख्य बाजे आगे देते हैं, जो अनवरी १६४० में सागू किया गया। स्मरण रखे कि

यह कानून उस समय बनाया गया था, जबकि यहाँ कांग्रेस मन्त्रिमण्डल पदारूढ़ था। अब आगरा और अवध प्रदेश की लगान-प्रथा में कोई अन्तर नहीं रहा है। इस कानून के अनुसार—

(१) किसी या सीर के काश्तकारों को छोड़कर प्रत्येक काश्तकार मीरमी काँकुरार होगा।

(२) किसी जमीदार को ५० एकड़ से अधिक सीर रखने का अधिकार न होगा। सीर के काश्तकार को पाँच साल के पद्धते वेदखल नहीं किया जायगा।

(३) काश्तकारों को अपने खेत में पेंड लगाने और मकान, कुआँ, या पक्की नाली आदि बनवाने का अधिकार होगा।

(४) यकाया लगान के लिए वेदखल किये जाने के सम्बन्ध में काश्तकार को दो साल का समय दिया जायगा; यदि काश्तकार इस बीच में पिछला शेष तथा उस समय का लगान अदा कर देगा तो वेदखल नहीं किया जायगा।

(५) जमीदार किसानों से नजराना, भेट, बेगर आदि न ले सकेगा। उसका सम्बन्ध उनसे दैसा ही होगा, जैसा सरकार का उससे है।

(६) लगान पेदावार के पांचवें दिसंसे से अधिक न होगा। लगान सीधे जमीदार को दिया जा सकता है, मनिश्राहर द्वारा भेजा जा सकता है, या तद्दील में जमा कराया जा सकता है। यह लगान जमीदार को दिया जायगा, तो किसान को उससे उसकी रक्षीद लेने का अधिकार होगा।

(७) मीरमी काश्तकार का लहका अपने पिता की जमीन का अधिकारी होगा।

इस कानून से किसानों को बहुत सी सुविधाएँ मिल गयी हैं, जिनमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इसके अनुसार उन किसानों को भी लगान से मुक्त नहीं किया गया है, जिनकी जमीन से खेत लागत-खर्च दी निकलता है, या वह भी नहीं निकलता, अर्थात् जो

वेमुनाके की निर्मती करते हैं। उन्हें लगान से मुक्त रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है।

क्या जमीदारी-प्रधा उठादी जानी चाहिए ?— जमीदारों में यह आशा की गयी थी कि वे किसानों को अपने और का अग समझेंगे और देश-हित के लिए समाज का नेतृत्व प्र-चुक्त करनेवाले होंगे। ऐसा है कि अधिकारी जमीदारों ने अपनी उपयोगिता को परिचय नहीं दिया। प्रायः वे आरामतलवी और कुछ दशाओं में तो विलासिता का जीवन चिताते हैं। किनने ही जमादारोंगाँवों को छोड़कर, अपने शोक पूरा करने के लिए नगरी में आवश्यकता है। इनसे ग्राम-सुधार की क्या आशा की जाय ! इस प्रधा के सम्बन्ध में ये चारों विवार, करने योग्य हैं :—

(१) जमीदार चिना अम किये घन पाते हैं; और, उड़का उपयोग वे अपने व्यक्तिगत मुल के लिए करते हैं, समाज-हित के विचार से नहीं।

(२) वर्तमान अवस्था में हितान लगान के भारी बोझ से दबे रहते हैं। तो भी, सरकार को राष्ट्र-निर्धारण के कार्यों के लिए इस्ये की कमी रहती है, और वह आरकारी आदि हानिकारक उपायों से हीनेवाली आप का सहारा लेती है।

(३) जमीदार गैर-भौमिकी किसानों से मनमाना लगान बरून करते हैं, और उन्हें पहा दोने के समय बेदखल करने की घमकी देते हैं।

(४) जमीदार स्पोदारों तथा विवाद-चादी के अवसर पर किसानों से नश्राना तथा अन्य अनेक कर लेते हैं।

(५) वे किसानों से रक्षद और बेगार लेते हैं। उनके झारिन्दे आदि उन्हें बहुत बंग करते हैं।

(६) प्रायः किसान जमीदारों के अत्याचारों के खिलार हीते हैं, तथा उन्हें मुकदमेयाजी आदि में फैसला होता है। इस प्रधा को इटाने से किसानों को इन पाठों से हुटकारा मिलेगा; दूसरे शब्दों में भारतीयी

जनता के बड़े हिस्से की मुख्य शान्ति बढ़ेगी।

(७) बहुत से जमीदार विटिश सम्प्राज्यवाद के समर्थक और भद्रायक हैं, तथा जनता के राष्ट्रीय आनंदोलन में वाधक हैं; जैसा कि बेन्द्रीय और ग्रान्तीय व्यवस्थापक समाजों के निवाचनों में तथा अन्य अवसरों पर जाहिर होता रहा है।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि जमीदारी प्रथा बहुत दानिकर है। यह इटादी जाना चाहिए।

मुआवजे का सवाल; श्री० सम्पूर्णनिन्द का मत—

अब प्रश्न यह है कि जमीदारी प्रथा को हटाने की विधि क्या हो— क्या जमीदारों को मुआवजा दिया जाय, मुआवजे की रकम कितनी हो, और वह किस प्रकार दी जाय। इन विषयों का निश्चय जुदा-जुदा तरह की जमीदारियों के सम्बन्ध में अलग-अलग करना होगा। पाठकों के विचार के लिए इम यदौ संक्षेप में श्री० सम्पूर्णनिन्द जी का मत देत है। आपने लाभकर संयुक्तप्राप्ति का विचार करके कहा है कि जमीदारों प्रथा के लोग के परचात्, जमीदारों को इस समय के कुल लगान का दस पीछी सदी मुआवजा दिया जाय। जब सन् १७८५ में जमीदारी प्रथा कायम की गयी, तो जमीदारों को लगान के दस पीछी सदी से अधिक नहीं मिलता था। पीछे समय-समय पर जमीदारों का हिस्सा बढ़ाया गया, इसका कारण यह नहीं था कि जमीदारों को अधिक आय का अविभार था, बरन् इसका कारण गंभीर परिवृत्तियाँ थीं। विदेशी सरकार की स्वभावतः यह इन्द्रा रहती है कि कुछ आदमियों को प्रलोभन देकर अपना समर्थक बनाये रखें। निदान, जमीदारों को मुआवजे के हप में, लगान की उत्तरे अधिक प्रतिशत रकम पाने का अधिकार नहीं है, जितनी थी उन्हें जमीदारी प्रथा आरम्भ होने के समय लेने का अधिकार था।

जमीदारों को यह 'मुआवजा' सरकारी कोष से तिमाही या छुट्टादी क्रित के रूप में मिलता रहे। अभिप्रायः यह है कि बदलनेवाली

नहीं है। कृपक तथा जनता के हिंटिकोण से, जमीदार के स्थान पर, राज्य के अनुपस्थित भूत्वामी घन जाने से कोई भलाई नहीं होनेवाली है। ऐपतवारी प्रणाली में सरकार अनुपस्थित भूत्वामी से किसी भी प्रकार कम नहीं है, जिसका बेबल लगाने बहुन करने तथा अवतर पड़ने पर उसे बढ़ा देने में ही स्वार्थ रहता है। किमान की, लगान नकद अपवा जिन्स के रूप में चुकाने की जिम्मेदारी के बिना, निर्वाह-बेतन दिया जाना चाहिए। अब तक राज्य भूमि के, जिसका कि वह स्वामी होने का दावा करता है, मुशारने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेता तथा स्वयं शौष्ठम तथा खेती की पराची का उत्तरदायित्व बहन करते हुए किमान की, उसकी भूमि का वास्तविक ध्यान न करते हुए, उसका निर्वाह-बेतन नहीं दिलाता, वह अनुपस्थित भूत्वामी से किसी भी इलात में अच्छा नहीं है, यहिं उससे भी दुरा है; कारण कि यह तो एक अव्यक्तिगत लालकीताशाही यासन हो तो है।^{१५४}

लगान की मावी व्यवस्था—जमीदारी प्रथा समाप्त होने पर हमारे सामने दो रास्ते होते—(१) जमीन पर किमानों का अधिकार हो; और जिस तरह नगरों में लोग आय-कर देते हैं उसी तरह किमान भी अपनी खेती की आय पर राज्य-कर दें; (२) सारी जमीन का राष्ट्रीकरण हो, अर्थात् उस पर राज्य का अधिकार हो; राज्य उस पर लोकोत्त को हिंटि से खेती करने का प्रबन्ध करे। ये तो पीछे की बातें रहीं। अब हम ये मुश्तर बतलाने हैं, जो अमी, जमीदारी प्रथा के रहते हुए ही असल में आज्ञाने चाहिए^{१५५}:

(१) वेमुनाफे की खेती करनेवालों से कोई लगान न लिया जाय। इस विषय पर पहले लिखा जा चुका है।

(२) किमान अपनी जमीन पर खुद ही खेती करे; न तो वह उसे किसी दूसरे आदमी को काशत करने के लिए दे और न किसी को चटाई पर ही दे। हाँ, नाशलिय या विधवा को दूसरों के द्वारा खेती कराने

* लोक जीवन से पक्षादिव यक्ष से नमनित।

का अधिकार रहे।

(३) जिस खेती में किसान की और उसके परिवार के लोगों की मज़दूरी आदि लागत-खर्च निकल आने पर मुनाफ़ा रहे, उस पर लगान लिया जाय। वह, अधिक लगान से अधिक न हो। जैसे-जैसे मुनाफ़े की आय का परिमाण बढ़े, लगान की दर अधिक हो।

(४) रेयतवारी प्रान्तों में किसान मालगुजारी देने से मुक्त किये जायें। किसी किसान के पास औसत दर्जे की पाँच एकड़ से कम जमीन न हो। इतनी जमीन को खेती की आय से किसान और उसके परिवार का निर्बाह होने की आशा की जाती है। जिन किसानों को आय अधिक हो, उनसे इनकमटेक्स की तरह कर लिया जाय, जिसकी दर आय के परिमाण के अनुसार बढ़ती हुई हो।

रेयतवारी प्रान्तों में अधिकतर किसानों की, और जमीदारी प्रान्तों में कितने ही जमीदारी की खेती बेमुनाफ़े की होती है। इनसे लगान था कर न लिये जाने की दाज़त में सरकार का इन विभाग का काम और इच्छा यहुत घट जायगा। लगान सम्बन्धी नयी योजना से सरकारी आय में एक तरफ कमी होगी तो दूसरी ओर, अधिक आमदनी बालों पर अधिक कर लगाने से उसकी सहज ही पूर्ति भी हो जायगी। इसके अलावा, लाभ यह होगा कि मामूली आमदनी बाले यहुत से प्रामाणियों की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होने से उनका ज्ञोबन अधिक नुस्खमय होगा, उन्हें स्वराज्य आया हुआ मालूम होगा; यहुत से गरीब आदमियों के लिए करभार का कम होना ही स्वराज्य है।

तेइसवाँ अध्याय

मज़दूरी

अम या मेदनत करनेवाले को उसके अम के बदले में जो धन दिया जाता है, उसे 'मज़दूरी' कहते हैं। मात्रिक मज़दूरी प्रायः वेतन या तनखाह कहलाती है। सर्वसाधारण में मज़दूरी को श्रेष्ठा 'वेतन' शब्द अधिक आदरन्पूर्चक है; परन्तु अर्थशास्त्र में ऐसा कोई भेद नहीं। अपनी भूमि पर, अपने ही श्रीजारों से काम करनेवाले बढ़दै, लुहार आदि को जो मज़दूरी दी जाती है वह सब अक्षत में मज़दूरी ही नहीं होती, उसमें उनकी भूमि का लगान तथा उस मूलधन का यह भी मिला होता है, जो इन कारोगों का अपने श्रीजार खरीदने में लगा है।

नकद और असली मज़दूरी—आजकल अमजीवियों को उनके अम का प्रतिकृति प्रायः वये पैसे में चुकाया जाता है। इसे नकद मज़दूरी कहते हैं। यदि मज़दूरी अम-वज्र आदि पदार्थों में दी जाय, तो 'पदार्थों' के परिमाण को मज़दूरों की अखली मज़दूरी कहा जाता है। इसमें मकान, शिला, या मनोरज्जन आदि वे विशेष सुविधाएँ भी मिलती होती हैं, जो मज़दूरों को उनके मालिकों की ओर से प्राप्त होती हैं। नकद मज़दूरी से अमजीवियों को दणा का ढोक अनुपान नहीं होता। उदाहरण के जिए अगर मोहन को रोजना ॥) मिलते हैं और उसके नगर में गेहूँ का भाव दस सेर का है, तथा सोहन को रोजना ॥=) आने मिलते हैं और उसके नगर में गेहूँ का भाव छः सेर का है, तो सोहन की नकद मज़दूरी अधिक होने पर भी असली मज़दूरी मोहन को ही अधिक मिलती है। इसी तरह अगर दोनों को अपनी विविध आवश्यकताओं का सामान बराबर मिलता है, परन्तु मोहन को रहने

का मकान आदि सुप्तन मिलता है, अथवा काम करने के घटों के बीच में अवकाश या मनोरञ्जन का ऐसा अवसर मिलता है, जो सोहन को नहा दिया जाता, तो भी मोहन की ही असली मजदूरी अधिक मानी जायगी। यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों में, जिसे असली मजदूरी अधिक मिलती है, उसकी दशा दूसरे से अच्छी होगी।

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अब में चुकायी जाती थी। आचार्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और अपल दोनों प्रकार के वेतन को व्यवस्था की है। वह साधारण तौर से प्रत्येक ऐसे श्रमी के लिए जो एक ही व्यक्ति या संस्था का कार्य करे, कुछ नकद वेतन निश्चिन्त करता है, वो साय ही कुछ भोजनादि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार, श्रमी अपने खानेबीने की आवश्यकता से निश्चित रहता था, और नकद वेतन से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था। इस दशा में, पदार्थों के मूल्य के घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों की आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बहुत-से देशों में अब भी यही दशा है। कृषि-श्रमजीवी अपनी मजदूरी अब के रूप में ही पाते हैं। परन्तु आधुनिक सभ्यता के विकास से, नगरों या औद्योगिक मर्गों में मजदूरी नकद या घपये पैसे के रूप में ही दो जाती है। इससे श्रमजीवियों पर जीवन-रक्षक पदार्थों की तेजी-मंदी का बहुत प्रभाव पड़ता है।

* नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का दिचार किया जाता है कि वह श्रमजीवी के गुजारे के लिए पर्याप्त है या नहीं, और न इसी बात का कुछ नियत्रण रहता है कि श्रमजीवी अपने वेतन के द्वय का किस प्रकार उपयोग करता है; वह उससे भोजन-बख्त खरीदता है या विलासिता की वस्तुएँ। अनेक मजदूर सबेरे से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक से कुछ गिने-गिनाएँ पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते; फिर, वे उन में से भी काफी पैसे शराब आदि में खर्च कर डालते हैं।

मजदूरी की दर—हम पहले बता आये हैं कि पदार्थों का मूल्य मौग और पूर्ति के नियम के अनुसार निश्चित होता है। यह नियम मजदूरी के सम्बन्ध में भी लागू होता है। उदाहरण लीजिए। अंगरेजों ने जब भारतवर्ष में व्यापार करना आरंभ किया, तो यद्दृ अंगरेजी जाननेवालों का अभाव था। उस समय जो भारतवासी मामूली अंगरेजी सीख लेता था—मिडिज़ भी पास कर लेता—उसे ७०-८० रु० मासिक बेतन मिलना आसान था; तरक्की भी सूख होती थी। पाँछे अंगरेजों जाननेवालों की सखरा कमशः बड़ी। अब यह दर्शा है कि मिडिल-प्रास की तो बात ही क्या, कितने ही बी० ए०-प्रास भी शान्ति-काल में ४०-५० रु० मासिक नहीं पा सकते। महायुद्ध से पहले कभी-कभी तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि ग्रेजुएट के बल ३०-३५० रुपये की नीकरी पाने को तरसते रहे।

[रुपये का मूल्य पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गया है। इसलिए यदि अब नकद बेतन पहले के समान भी हो तो वह असली बेतन के विचार से बहुत कम माना जायगा।]

मौग और पूर्ति के व्यवहार की विधि से मजदूरी और अन्य पदार्थों में महत्वपूर्ण अन्तर है। प्रथम तो यह स्पष्ट है कि अनेक पदार्थों की तुलना में मजदूरी बहुत ही शोषण क्षम होनेवाली बस्तु है। अमीजीबो का जो समय व्यर्थ चला जाता है, वह चला ही जाता है। इसलिए निर्धन भमजीबो अपने अम को जिस कीमत पर बने, वेच देना चाहता है। उसकी यह उत्सुकता मजदूरी की दर घटाने में सहायक होती है। फिर, मजदूरों की पूर्ति में जल्द परिवर्तन नहीं होता। मौग होने पर अनेक पदार्थ प्रायः शोषण ही बाजार में पहुँचाये जा सकते हैं। उनकी दर बहुत समय तक चढ़ा नहीं रहती; परन्तु अमजीबियों को अपना घर और गाँव (या नगर) दुर्लभ होइने की इच्छा नहीं होती; पूर्ति होने में बहुधा देर लग जाती है। इसलिए नये कन्ज-कारखाने खुलनेके समय, आरम्भ में कभी-कभी बहुत समय तक मजदूरी की

दर, अन्य स्थानों की अपेक्षा, चढ़ी रहती है। हमी के साथ यह भी बात है कि जो अमज्जीवी एक बार वहाँ आकर रहने लग जायेंगे, वे महसा वहाँ में जायेंगे भी नहा। इसलिए अगर बाद में, किसी घटना-बश, अमज्जीवीयों की माँग कम रह जाय, तो वहाँ उनको पूर्ति जलदी न घटने से मजदूरी की दर का, अन्य स्थानों की अपेक्षा, बहुत समय तक कम रहना सभव है।

अनुमवन्हीन और अशिक्षित अमज्जीवियों के संबंध में तो यह बात और भी अधिक लागू होती है! उन वेचारों को अक्सर यह मालूम ही नहीं होता कि किस जगह उनके अम की माँग अधिक है, उन्हें अपने अम के बदले कितनी अधिक मजदूरी मिल सकती है। जब ठेकेदार आदि के द्वारा अमज्जीवियों को उनके अम की माँग का समाचार मालूम भी होता है, तो उन्हें परिस्थिति का यथेष्ट परिचय नहीं मिलता। इसलिए मजदूरों को उनको कार्य-ज्ञानता के लिहाज से प्रायः कम मजदूरी मिलती है (और ठेकेदार आदि प्रायः इस परिस्थिति से लाभ उठाते हैं)। यहुधा ऐसा हो सकता है कि एक मजदूर किसी कार्य के लिए एक स्थान में जितनी मजदूरी पाता है, उसमें कहीं अधिक मजदूरी पास के दूसरे स्थान में, वैसे ही कार्य के लिए मिल रही हो। मजदूरनियों के संबंध में यह बात और भी अधिक टीक है। अशान, और स्थानातर-गमन की कठिनाइयाँ उनके मामं में, मजदूरों की अपेक्षा, बहुत अधिक होती हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि यदि सब अमज्जीवियों में स्वतन्त्र रूप से प्रतियोगिता हो सके—अशान और स्थानातर-गमन आदि की बाबाएँ न हो—तो मिश्र-मिश्र स्थानों में ही एक काम के लिए असली मजदूरी में विशेष अन्तर न रहे।

अलग-अलग व्यवसायों के बेतन में फरक क्यों होता है?—किसी व्यवसाय में, दूसरे व्यवसाय की अपेक्षा मजदूरी की दर

कम या अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं :—

- (१) व्यवसाय की प्रियता ।
- (२) व्यवसाय की शिक्षा ।
- (३) व्यवसाय की स्थिरता ।
- (४) व्यवसाय में विश्वसनीयता आदि किसी विशेष गुण की आवश्यकता ।
- (५) निश्चित वेतन के अलावा, कुछ और मिलने की आशा ।
- (६) व्यवसाय में सफलता का निश्चय ।
- (७) मज़दूरों की संख्या ।
- (८) मज़दूरों का संगठन ।

अब हम इन कारणों में से एक-एक पर विचार करते हैं। याद रहे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन कारणों में दो या अधिक का प्रभाव एक साथ इकट्ठा भी पड़ जाता है।

१—जिस व्यवसाय को लोग अच्छा समझते हैं, जिसके करने से समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसके करनेवाले बहुत मिल जाते हैं। इसलिए उन्हें कम वेतन मिलता है। कुछ अदमी सरकारी दफ्तरों की नौकरी इस विचार से अच्छी समझते हैं कि लोग उन्हें 'बाबूजी' कहा करें, और वे कुसी यर वैठकर काम करनेवाले 'कम्ब्य मुद्दों' की गणना में आ सकें। उन्हें वेतन कम मिलता है। इसके विपरीत, महाजनों या साहूजारों के यही काम करने से, जनसाधारण में तिथा कम होने के कारण, उनके यहाँ लिखा-पढ़ा करनेवाले अधिक वेतन भांटते हैं।

[टट्टी साफ करना, नालियाँ धाना आदि कार्य बहुत पृथिव एवं अप्रिय हैं। उद्घान में ऐसे कार्य के लिए बहुत अधिक वेतन मिलना चाहिए। परन्तु इसमें भारतवर्ष का जाति-मेंद चाहक है। समाज में दूसरे अधिकारी को ऐसी विशेष छोड़कर और काम नहीं करने देता। इसलिए उनकी दूसरे अधिकारीयों से कोई प्रतियोगिता नहीं रहती, और

उन्हें कम वेतन पर ही संतोष करना पड़ता है।]

२—जिस काम की शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अथवा खर्च अधिक होता है, उसे भीखनेवाल बहुत कम होते हैं। इसलिए उन कामों के करनेवाले अधिक वेतन पाते हैं। उदाहरण के लिए डाक्टरी, एजिनियरी आदि का काम सीखने में कई-कई खर्च लग जाते हैं, और रूपया भी बहुत खर्च होता है। किन्तु बहुत कम आदमियों की नियति ऐसी होती है कि इतने समय बे-रोजगार रहकर और इतना खर्च करके ऐसा काम सीख सके। यही कारण है कि डाक्टर, एज़िनियर आदि का वेतन बहुत होता है।

३—आखानों में बहुत से कारीगर ३०-३५ रु० मासिक पर काम करते हैं। परन्तु यदि कोई गृहस्थ उन्हें (या उनकी योग्यतावालों को) दो-चार दिन के लिए अपने यहाँ काम करने को रखे, तो वे उस अनुपात से वेतन लेना कदापि स्वीकार न करेंगे। समझ दें, सबा या डेट रूपया रोजाना मांगे। कारण स्पष्ट है। उन्हें निरन्तर ऐसा काम मिलने का निश्चय नहीं होता, इस विचार से वे अधिक वेतन लेते हैं।

४—डाकखाने, बैंक या खजाने आदि का काम ऐसा है, जिसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती; हो. विश्वसनीयता आदि गुणों की बहुत जरूरत होती है, और ये गुण बहुत कम लोगों में मिलते हैं। अतः इन कार्यों के करनेवालों में जैसी योग्यता चाहिए, वैसी ही योग्यता के अन्य कार्यकर्ताओं की अपेक्षा खजानाची आदि को अधिक वेतन मिलता है।

५—देहाती की, अथवा शहरी की, पुरानी परियाटी से चलनेवाली पाठशालाओं में अध्यापक अपेक्षाकृत कम वेतन पर कार्य करते हैं। कारण, उन्हें समय समय पर विद्यार्थियों के यहाँ से “भीषण” (कुछ आदा, दाल, नमक और धां आदि) तथा मौसमी फल या अन्य पदार्थ मिलते रहते हैं। शहरी क, आधुनिक शैला के स्कूलों में माईरों को ऐसी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये अपेक्षाकृत अधिक

वेतन लेते हैं। पुलिस-विभाग के निम्न पदाधिकारियों (कास्टेवल) आदि का वेतन प्रायः कम होता है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि जनसाधारण का इससे काम पड़ेगा, उन पर इमारा रोब-दाब रहेगा, और समय-समय पर 'जपर को आमदनी' (जो भेट या रिश्वत का एक सुंदर नाम है) मिलने के अवसर आते रहेंगे। इसलिए वे बहुधा अन्य काम में ४०-५० रु० मासिक की जगद छोड़ कर पुलीस की ३०-३५ रु० की नीकरी स्वीकार कर लेते हैं।^१ कहावत प्रचलित है 'छः के चार करदे, पर नाम दरोगा घर दे।'

६—बहुत-से आदमी ३०-३५ रु० मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। ये लोग उद्योग छरे, तो समझ है किसी व्यापार में लग कर अपनी आमदनी बहुत बढ़ा सकें। परन्तु इसका कोई भरोसा नहीं, यह जीखिम की बात है; व्यापार चले या न चले। इसलिए उसके खेड़े में न पड़कर ये कम, परन्तु वैव हुए निश्चित वेतन पर ढी सतोग करते हैं।

७—मजदूरी की दर का देश की आवादी से घनिष्ठ सम्बन्ध है। लम्बे सुद या नये उपनिवेशों को छोड़कर साधारण मनुष्यों की सख्ता जितनी अधिक होती है, मजदूरी की दर उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए विदिष देशों में समय-समय पर, जनसंख्या कम करने के उपाय किये जाते हैं। अविवाहित रहकर, बड़ी उमर में विवाह करके, जानवृकर सतान कम पैदा करके, अथवा कुछ आदमी विदेशों में मेज़कर जनसंख्या की वृद्धि रोकी जाती है। शिक्षा, सम्यता और सुख की वृद्धि से सतानोत्पत्ति कम होती है। भारतवर्ष की जनसंख्या के सम्बन्ध में विशेष विचार पहले किया जा चुका है।

८—मजदूरों के संगठन का भी उनके वेतन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रायः कारखाने वालों या अन्य मालिकों की यह इच्छा रहती है

* इनानदारों से काम बरनेवाले इनसे वेतन से अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर सकते, इसलिए बड़ुन से सउमन ऐसी नीति एसन्द नहीं करते।

है कि वेतन कम-से-कम दिया जाय। मजदूरों को अपनी निर्धनता के कारण मालिक की दी हुई वेतन स्वीकार करनी होती है, अत्यधा उन्हें बेकारी और भूखे मरने की आशा का रहती है। परन्तु जब मजदूर अपना सगड़न कर लेते हैं, सध बना लेते हैं, तो वे अपने चन्दे आदि से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मालिक का विरोध कर सकें, और यदि बेकारी का प्रसंग आये तो उन्हें भूखा न रहना पड़े। मजदूरों का सगड़न जितना प्रबल होता है, उतना ही वे मालिक पर अधिक प्रभाव डालने और अच्छा वेतन पाने में सफल होते हैं। भारतवर्ष के मजदूर-सबों के विषय में पढ़ले लिखा जा चुका है :

कृषि-श्रमियों की मजदूरी—अब हम भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रमियों की मजदूरी के सम्बन्ध में विचार करते हैं। कृषि-श्रमियों के विषय में कुछ बातों का उल्लेख तीसरे अध्याय में हो चुका है, इन्हें मजदूरी अधिकतर जिन्स में मिलती है; और प्रथमः फसल के दिनों में कुछ अच्छी मिलती है। परन्तु कुछ मजदूरों को तो उन दिनों में भी इतनी मजदूरी नहीं मिलती, जिससे वे अपना निर्बाह अच्छी तरह कर सकें। दूसरे दिनों में तो इनकी दशा बहुत ही खराब हो जाती है। बेकारी की हालत में उन्हें जो-भी काम मिल जाय, उसे करने की ये तैयार रहते हैं। इनमें से कुछ को पास की मिलों या कारखानों में साधारण श्रम का कार्य मिल जाता है; कुशल श्रम की आवश्यकता वाले कार्य करने की इनमें योग्यता नहीं होती। अस्तु, साल भर का कुल हिसाब लगाने पर इनकी ओसत मजदूरी बहुत ही कम रहती है। इनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ग्राम-उद्योग-घंडों की वृद्धि की-जाय, जिससे ये लोग अवकाश के समय का, अपने घर पर रहते हुए भी समुचित उपयोग कर सकें, और कुछ और आय प्राप्त कर सकें।

खानों और कारखानों के श्रमजीवियों की मजादूरी—भिन्न भिन्न खानों तथा कारखानों में, और एक ही न्यान या कारखाने

संवंधो भिन्न-भिन्न कामो में मज़दूरी का परिमाण भिन्न-भिन्न होता है। इमारे अधिकतर अमी अकुशल होते हैं, उनसे इतना काम नहीं होता, जिनना व्यौद्योगिक देशों के कुशल अमी कर सकते हैं। फल-स्वरूप इन्हें वेतन भी साधारण ही मिलता है; हाँ, कृषि-अभियों की तुलना में, नकदी के विचार से, इनकी मज़दूरी बहुत अधिक होती है। परन्तु शहर के रहनतहन तथा मकान-किराये आदि का खर्च भी बहुत अधिक होने से (एवं निष्ठ श्रेणी के वातावरण के कारण शराबखोरी आदि के व्यवसन में कैस जाने से) उन्हें उतना लाभ नहा होता। इन की मज़दूरी बढ़ाने के लिए इनकी कार्य-कुशलता का यदाना बहुत आवश्यक है। इसके बास्ते इनके काम के घटे कम करने के साथ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे अपना कुछ समय व्यावहारिक तथा मानसिक और नैतिक ढान बढ़ाने में लगा न कें।

कारीगरों या स्वतन्त्र श्रमियों की मज़दूरी— देश में अधिकतर लोगों की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण यहाँ उनको आवश्यकताएँ कम हैं। फिर उन आवश्यकताओं में से अधिकांश का पूर्ण मरणों से बने उस्ते माल से ही जाती है। इसलिए कारीगरों का वस्तुओं की मांग कम है। इससे कारीगरों की मज़दूरी कम होनेवाला ठहरी। फिर अनेक कारीगर भी ऐसी हीन आवश्यकता में हैं कि वे अच्छी-नैतिक कारीगर चौड़ा तैयार करके उनके दाय उठाने की फिल में रहते जावी अपनी चौड़ा तैयार करके उनके दाय उठाने की फिल में रहते हैं, इससे उनकी कार्य-कुशलता का यथेष्ट उपयोग तथा विकास नहीं होता। देश की आर्थिक आवश्यकता में सुधार होने तक कारीगरों की हो पाता। देश की आर्थिक आवश्यकता में सुधार होने तक कारीगरों की मज़दूरी बढ़ने की विशेष आशा नहीं है। हाँ, राजा-मदाराजाओं या रहस्यों का आश्रय मिले तो वर्तमान आवश्यकता में भी इमारे कारीगर अपनी दशा कुछ सुधार सकते हैं।

शिक्षितों का वेतन—यहाँ शिक्षित आदमियों को सरकार नोकरी या दफ्तर आदि का काम अधिक पठन्द होता है, और इसका

चेत्र वहुत परिमित होने से नौकरी चाहनेवालों में वहुत प्रतियोगिता होती है। एक साधारण सी जगह खाली होने की सूचना निकलने पर उसके लिए सैकड़ों आदमी उम्मेदवार हो जाते हैं। ऐसी दशा में बेतन कम हो तो क्या आश्चर्य। कुछ सरकारी पद ऐसे हैं; जिनका वार्षिक बेतन कानून में निर्धारित और वहुत अधिक है, उदाहरण के लिए गवर्नर-बङ्गरल २,५०,८००), कमाडरन-चीफ १,००,०००), गवर्नर ६६,०००) से १,२०,०००) तक, चीफ-कमिशनर ३६,०००) परन्तु इनमें से अधिकोंश की नियुक्तियाँ करने में जाति और रंग का विचार किया जाता है। सरकारी नौकरियों की संख्या प्रत्येक देश में परिमित ही रहा करती है, किन्तु स्थानीय देशों में प्रत्येक नागरिक के लिए यथेष्ट योग्यता प्राप्त करने पर, उच्च से-उच्च सरकारी पद प्राप्त करने का मार्ग खुला रहता है। अस्तु, भारतवर्ष में शिक्षितों का बेतन बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि देश स्वराज्य-भोगी हो, और शिक्षा का दङ्ग इस तरह का हो कि शिक्षित व्यक्ति एकमात्र नौकरी के आसरे न रहकर विविध कार्य कर सके।

घरेलू नौकरों का बेतन—धरों में नौकरी अधिकतर ऐसे आदमी करते हैं, जिन्होंने किसी विशेष कार्य करने की शिक्षा न पायी हो। इनमें से कुछ कार्य करनेवालों ने, कहीं-कहीं उनकी योग्यता के अनुपात से अधिक भी मिलता है। बात यह है कि अभी तक यहाँ 'जातियाँति' का भेदभाव वहुत है, धरों के काम के लिए नौकर रखने समय आदमी उनकी जाति का विचार विशेष रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन बनाने के लिए हिन्दुओं में अधिकतर ब्राह्मण रमोद्या रखने का चलन है; दूसरा आदमी कुछ कम बेतन पर भी रमोद्या बनाने को तैयार हो तो उसे न रखकर, ब्राह्मण को कुछ अधिक बेतन पर भी रखना पसन्द किया जाता है। इसी प्रकार भाङ्ग-बुद्धारी करने या पानी भरने के लिए प्रायः कहार या अहीर आदि रखा जाता है; कोई हरिजन चाहे कम बेतन पर ही काम करना स्वीकार करे, उसे

अनेक घरों में इस काम के लिए नौकर नहीं रखा जायगा। अस्तु, अधिकारा घरेलू नौकरों की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, और जैसा कि भारतीय अम के सम्बन्ध में बताया जा चुका है, कितने ही नौकरों का तो एक ही जगह काम करने से गजरा नहीं हो सकता; वे दो-दो तीन-तीन जगह काम करके अपना निवाह करते हैं। उन थोड़े-मे ध्यक्षियों को छोड़कर, जिन्हें किसी रईस या सेठ-साहूकार के पहाँ नौकरों मिल जाती है, और जो समय-समय पर इनाम, उपहार, या कपड़ा आदि पाते रहते हैं, दूसरे घरेलू नौकरों की कुल वतन बहुत कम ही है।

न्यूनतम मजदूरी—श्रीयोगिक देशों में मजदूरी का बाजार सुन्दरत्वित है। खालकर जदा मित्र-मित्र प्रकार के धन्धों में काम करनेवालों के संघ बन गये हैं, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता है, वहाँ एक धनधेर के मजदूर एक नियत घेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते। कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तय ही गया है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले। इसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। कुछ समय हुआ 'दि धमन नीड्स आफ लेवर'—नामक एक अमेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उससे मालूम होता है कि इन्हीं के राउंटी महाशय ने वहाँ, याकं नगर में, नोचे लिखे नियमों के अनुसार मजदूरों निश्चित की थी—

(१) यह मान लिया गया कि प्रत्येक कुटुम्ब में प्रायः एक पुरुष, एक लड़ी और तीन बालक रहते हैं।

(२) मजदूरी इतनी चाहिए कि मजदूर उससे अपने कुटुम्ब का साधारण रीति से पालन-पोषण कर सके। (राउंटी महाशय लड़ी और बच्चों की मजदूरी को कुटुम्ब की आपदनी में शामिल नहीं करते। उनका कहना है कि कुटुम्ब के बड़ने पर जियों को अपने घरों का काम करने के बाद, न तो समय ही रहता है, और न युक्त ही। इसलिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी चाहिए। और, लड़कों

सं तो स्कूलों में पढ़ने के अलावा मजदूरी कराना बहुत ही अनुचित है।)

(३) मजदूरों का निवास-स्थान काफी हवादार होना चाहिए, और उसमें एक कुदुम्ब के लिए कम से कम एक बड़ा कमरा, तीन सोने के कमरे और एक रसोई-घर होना चाहिए।

(४) मजदूरों के अन्य आवश्यक खर्चों का भी विचार किया जाना चाहिए।

इन प्रकार उन्होंने, सन् १९१४ ई० में, एक मजदूर की मजदूरी पौंच शिलिङ्ग या लगभग तीन रुपये नौ आने निश्चित की थी। इस समय रुपये की कीमत अपेक्षाकृत कम होने से अब उक्त छिसाव से मजदूरी को दर अधिक होगी। भारतवर्ष में विशेषतया शामों में रहन सहन का दर्जा निम्न अण्णी का है। जैसा कि आगे बताया जायगा, यहाँ योरपीय महायुद्ध से पहले एक अमी के साधारण भोजन-बच्च का न्यूनतम खर्च तीन आने अनुमान किया गया था। उसके परिवार के (उनके आश्रित) अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं में कुछ भेद होते हुए भी उनके कुल परिमाण के मूल्य का अनुमान उतना ही अर्थात् तीन-तीन आने किया जा सकता है। इस प्रकार पौंच व्यक्तियों के कुदुम्बवाले आदमी के भोजन-बच्च के लिए पन्द्रह आने की आवश्यकता थी। यदि अन्य आवश्यकताओं के लिए केवल एक आना भी और रखा जाय, तो राउटी महाशय के पूर्वोक्त नियमों के अनुसार ग्रामवासी भारतीय अमी की दैनिक मजदूरी योरपीय महायुद्ध से पहले कम से कम एक रुपया, और नगर-निवासी की इससे अधिक होनी चाहिए थी।

ग्राम-उद्योग-संघ और चर्खा-संघ का प्रयोग—
मजदूरों के न्यूनतम वेतन की ओर, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की यहाँ प्रायः उपेक्षा ही रही है। ऐसे बातावरण में किसी का इस

दिशा में कदम बढ़ाना निस्मन्देह बड़े साइर का काम है। अखिल-भारत ग्राम उद्योग-संघ और चर्चा-संघ ने सन् १९३५ ई० में म० गांधी की प्रेरणा से 'कम-से-कम मजदूर' के प्रश्न का न केवल विचार करके, बरन् उसे व्यावहारिक स्वरूप देकर अपनी नीति में जो परिवर्तन किया, वह परिमाण में कम दिखाया देने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम उद्योग-संघ के २२ अगस्त १९३५ के प्रस्ताव के ये शब्द यह माके के हैं कि 'संघ की सरकारता में तैयार होने या बेची जाने वाली तमाम नीजों के लिए हर कार्यकर्ता को आठ घंटे के पूरे काम के दिनाव पर कम-से-कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी राज्यों (वैशानिक) खुराक के लिए काफी हो।.....जैसे-जैसे और जब परिस्थिति अनुहूल हो, तब मजदूरी की दर में उस दर्जे तक वृद्धि होती जानी चाहिए, जिससे कुटुम्ब के कार्यक्रम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुटुम्ब की ठीक तरह से गुजर हो सके।' इसी आशय का प्रस्ताव अ० भा० चर्चा-संघ ने कर्तिनी के सम्बन्ध में स्वीकार किया।

इस योजना के अनुभार काम करने के लिए चार बातें आवश्यक थीं :—(१) यह मालूम करना कि सावरणतया किसी व्यक्ति के लिए कम-से-कम आवश्यक भोजन क्या है, और, भिन्न-भिन्न, प्राग्ती में उसकी कीमत क्या है। (बछ की आवश्यकता का अनुमान करना कुछ कठिन नहीं होता)। (२) ऐसी व्यवस्था करना कि असी अपनी मजदूरी के पेसो को कल्पलखनों में न उड़ाये, बरन् उनसे आवश्यक भोजन, आरोग्य और शक्ति प्राप्त करें। (३) मजदूरी यद्देसे सहर का दाम बढ़ाना, और फल-स्वरूप सहर की माँग बढ़ाना स्वाभाविक या, इसका उपाय सोचना। (४) दूसरी ओर तीव्री बात के लिए, अन्यान्य उपायों में, कर्तिनों को खादी का व्यवहार करने के लिए तैयार करना।

पहले यह मालूम किया गया कि कहाँ-न्देश में रहनेवाली जनता की किस प्रकार का भोजन अनुहूल होगा। पर, इसके आधार पर योग्य दाक्टरों के साथ सलाह-मण्डप बनके कम-से-कम आवश्यक भोजन का

परिमाण निश्चित किया गया। एक आदमी के साधारण आवश्यक दैनिक भोजन के मूल्य का, आठार की वस्तुओं के स्थानीय मूल्य के अनुसार हिसाब लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी की कीमत के नाप जोड़कर, दैनिक आठ घण्टे के सेवाप्रतिक कार्य की कम-से-कम मजदूरी निश्चित की गयी। यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने वाले लोगों के आवश्यकीय आहारों में काफी अन्तर है तो भी यह मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाब करके कम-से-कम दैनिक मजदूरी =) से ५) तक होनी चाहिए। पहले कताई की रोजाना मजदूरी छु:-सात पैसे हो थी, और बहुतसी लियों को इतनी मजदूरी का काम भी नहीं मिलता था। नये आधार पर गिने हुए कताई के नये दर पहले के दर से २५ से ७५ फोसदी तक बढ़ गये। यह बड़ा हुआ दरखादा-जुदा सबों में जारी कर दिया गया।

कुछ केन्द्री में प्रारंभ में कत्तिनों को खादी का व्यवहार करने के लिए राजी करना कठिन था। किन्तु मजदूरी की तुदि ने इन कठिनाइयों को दर करने में मदद की और प्रयत्न संख्यक कत्तिनों ने नये कार्य-क्रम के अनुसार काम करने के लिए भग्गति दी। कताई की मजदूरी में तुदि होने के कारण प्रायः खादी का दाम दर्द फो-सैकड़ा बढ़ गया। परन्तु खादी-प्रेमी जनता ने खादी की विकी यथा सम्भव करने होने दी। इसके अतिरिक्त कत्तिनों की मजदूरी बढ़ने से उनके काम की उम्मत हुई और खादी खरीदनेवाली जनता पर बहुत अधिक भार नहीं पड़ा। पिछले बर्षों में कताई की मजदूरी प्रायः छुः आने रोज़ रही है।

सरकार और न्यूनतम मजदूरी—पौच्छे अध्याय में यह घताया जा चुका है कि सन् १९३५ के कारखाना-कानून के अनुसार बारह मासी कारखानों में काम रहने का अधिक-से-अधिक ५४ घण्टे का सप्ताह, और मौसमी कारखानों में काम करने का अधिक-से-अधिक ६० घण्टे का सप्ताह नियत किया गया था। शब्द (१९४६ में) सरकारने क्रमशः

४८ और ५४ घटे का सप्ताह नियत किया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की भी योजना बनायी है, उसके अनुसार हर एक स्थान में खुदा-खुदा धंधो के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी, नियत होगी। यह यात्रा 'न्यूनतम मजदूरी' के सिद्धान्त के विशद है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी उतनी मजदूरी होनी है, जिससे निम्न श्रेणी के लोगों का निर्वाह हो सके। यह खुदा-खुदा स्थानों में तो अलग-अलग हो सकती है, पर एक ही स्थान में खुदा-खुदा धंधो के लिए अलग-अलग नहीं होनी चाहिए।

वेतन सम्बंधी समस्या—किसी प्रकार का थम करनेवाले को कितना वेतन मिले, भिन्न-भिन्न अभियों के वेतन में क्या अनुपात रहे, यह समस्या बहुत जटिल है, और इस पर प्रायः बहुत कम विचार किया जाता है। यदौं भारतवर्ष में वायसराय को मासिक वेतन बीस हजार रुपये से अधिक मिलता है (भत्ते और मार्ग व्यय आदि की रकम अलग रही); उससे नीचे उत्तर कर भिन्न-भिन्न पदबालों को कमशः कम वेतन मिलता है, यहाँ तक कि अनेक निम्न कर्मचारियों को पन्द्रह-बीस रुपये महीने में सतीष करना पड़ता है। इस प्रकार यदौं एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की अपेक्षा ग्यारह बारह सौ गुने से अधिक वेतन पाता है। अन्य देशों में निम्न पदाधिकारियों का वेतन इतना कम, और उच्च पदाधिकारियों का वेतन इतना अधिक, नहीं होता।

अच्छा, शासन के अतिरिक्त अन्य देश की बात सोचें। मिल का मेनेजर दो-दो, तीन तांन इत्यार रुपये मासिक वेतन क्यों पाता है, जब कि वहाँ ही दिन भर सख्त मेहनत करनेवाले अनेक मजदूरों को योस-याईंस रुपये महीना, या इस से भी कम मिलता है। यह टीक है कि मेनेजर की योग्यतावाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, इस योग्यता को प्राप्त करने में कई वर्ष का समय और इनारों रुपये की रकम राहरं होती है; इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते हैं, यदौं तक कि वितने द्वारा मजदूरों को इच्छा भी काम नहीं मिल पाता।

इसलिए, मौंग और पूर्ति के नियम के अनुसार वेतन बहुत अविक, और मजदूर की बहुत-कम होती है। किन्तु क्या वेतन की इतनी विषमता उचित है? क्या वेतन में मनुष्यों की आवश्यकताओं का कुछ विचार न रहे? और, क्या दो व्यक्तियों की, मोड़न-बच्चा आदि की मूल अर्थात् प्राकृतिक आवश्यकताओं में इतना अन्तर होता है? निपुणतादायक पदार्थों तथा कृतिम या सामाजिक आवश्यकताओं का भी विचार करे तो भी वेतन में इतना अतर न होना चाहिए।

वेतन का आदर्श—भिजनभिज अमियों के वेतन का आधार क्या हो? आयिक जगत में मौंग और पूर्ति का नियम चल रहा है। क्या वह नीति-सुरक्षा है? इमारी आदत ऐसी पड़ गयी है कि जिस बात को नियंत्रित होते देखते हैं, वह हमें कुछ अनुचित नहीं जान पड़ता। हम कह देते हैं कि श्रमी को काम करने की स्वतंत्रता है, यदि उसे अपना वेतन कम जनता है तो वह काम छोड़ सकता है। इस कथन में सत्यता है, पर निष्ठुरता भी कम नहीं। उपर्युक्त श्रमी अवश्य ही अपना कार्य छोड़ने में स्वतंत्र है, पर वह अपनी उदर-पूर्ति की बात से, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिन्ता से, किस प्रकार मुक्त हो सकता है? अगर एक वेकार और मूले मजदूर को कोई पैसेवाला यह कहता है कि तू दिन भर काम कर, तुम्हें दस पैसे दिये जायेंगे, तो श्रमी यह जानते हुए भी कि यह वेतन उसके निर्वाह के लिए नितात कम है, उससे कैसे इनकार कर सकता है! वह सीचता है, कि कुछ न मिलने से तो जो-कुछ मिल जाय, वही अच्छा है। इस प्रकार यदि वह लान्चारी से दस पैसे स्वीकार करता है तो क्या उसका यह वेतन उचित है? क्या वेतन-सम्बन्धी वर्तमान विषमता ही आधुनिक अर्थात्, अल्टोप और समाजवाद आदोलन का एक मुख्य कारण नहीं है?

पाठकों के विचार के लिए वेतन सम्बन्धी आदर्श के विषय में हम

कुछ बावें नीचे देते हैं। ये बातें तुरन्त ही पूर्ण रूप से अमल में आनी कठिन हैं, तथापि इन्हें आदर्श मानकर इस दिशा में कमशः कदम बढ़ाया जाना हम उचित और आवश्यक समझते हैं।

१—जो व्यक्ति दिन मर में अधिक-से-अधिक आठ घन्टे के और सप्ताह में छुः दिन के ईमानदारी से परिअम-पूर्वक कोई कार्य करे, उसे इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे उसका तथा उसके आश्रित (काम न कर सकनेवाले) व्यक्तियों का साधारणतया निवाह हो सके। [यह वेतन नकदी में कितना ही, इसका विचार स्थानीय परिस्थिति, बाजार-भाव आदि के अनुसार होना चाहिए।]

२—कार्य करने के एच्चुक प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी क्षमता के अनुसार, काम दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए; जिसे काम न खिल सके, उसके निवाह को व्यवस्था राज्य की ओर से रहनी चाहिए।

३—छमाज में जिस-जिस कुशल भ्रम को आवश्यकता होती है, उनके कम-में-कम वर्ग यना दिये जाने चाहिए। प्रत्येक वर्ग में निर्धारित समय काम करनेवाले का वेतन समान होना चाहिए। नीचे से नीचे और ऊचे से ऊचे वर्ग के पदाधिकारी के वेतन में वर्धा-समता विप्रमता कम करने का प्रयत्न किया जाय। किसी भी दशा में उनके वेतन में एक और दस से अधिक का अनुसार न हो। [महायुद्ध से पहले कार्यमाला प्रस्तुत था कि छाथारण तौर पर किसी पदाधिकारी को मासिक वेतन (प५०) अर्थात् वार्षिक ६०००) रु० से अधिक न होना चाहिए।]

४—जिन बालक-बालिकाओं वे संरक्षक समर्थ या जीवित न हों उनकी शिक्षा-दीक्षा को व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए।

* अनेक देशों में अमियों के काम करने के बड़ों और दिनों की भी सठ इससे कम है, अथवा कम करने का आदोनन चल रहा है। इस बाबतांत्रे में अभी अधिकारित बनता के विचार से, इस दी उचित समझते हैं।

५—देश में कोई भी वद किसी रंग, जाति या धर्म विशेष के अधियों के लिए सुरक्षित न होना चाहिए। प्रत्येक वद प्राप्त करने का मार्ग प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहे।

६—निम्न श्रेणी के अधियों को, विशेषतया जिनके विषय में यद आशका हो कि वे अपने जीवन-निर्बाद को वस्तुओं को खरीदते में कमी करके भी वेतन का काफ़ी भाग मादक द्रव्य आदि प्रियामिता की वस्तुओं में खर्च कर देंगे, उन्हें वेतन का निर्धारित भाग जिन्हा में, अर्थात् उन वस्तुओं में दिया जाय, जो उनके जीवन-निर्बाद के लिए आवश्यक हों।

युद्ध और वेतन—युद्ध-काल में सुदूर-सामग्री तैयार करने की आवश्यकता बहुत बड़ी जाती है; शब्दाल, तोप घूँक, हथाई जहाज, टैक, टारपीढ़ी, लैज, रेल, मोटर, सैनिकों की चर्ट, ऐरे, ऐले आदि अनेक चीजें चाहिएँ। इनके बनाने के लिए कारखानों का उत्पादन बढ़ाया जाना है, या नये कारखाने खोले जाते हैं। इनमें येष्ट मज़दूरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता है। जो आदमी सुदूर सम्बन्धी दलों में भाग लेते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो पइले वेचार थे, उन्हें अब रोजगार मिल जाता है। इनके अतिरिक्त, बहुत-से आदमी दूसरे वन्दों को छोड़ कर सुदूर सम्बन्धी कारखानों में आ जाते हैं। जिन घन्घों के आदमी काम छोड़ कर नैयहाँ आते हैं, उनमें नये आदमियों की मणि चढ़ती है। इस प्रकार, विविध घन्घों में अमर्जीवियों की मौग में, और उसके साथ ही वेतन में बढ़ि होती है।

जैसा कि पहले कहा गया है, युद्ध के फल-स्वरूप पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। बड़ी हुई कीमतों का समाज की मिथ्य-भिन्न श्रेणियों के आदमियों पर कैम्प-जैसा प्रभाव पड़ता है, इसका विचार पहले किया जा सकता है। बहुधा लोगों का वेतन उस अनुपात

से कम बढ़ती है, जिन अनुशत् ने पदाधों को कीमत बढ़ा करती है। इसने मर्वनाधारण जनता का बढ़ बढ़ जाता है। प्रायः प्रत्येक दीर्घ-कालीन सुद के कुछ समय आगे-जीके मजदूरों के असंतोष की सूचना देनेवाली घटनाएँ अनिवार्य रूप से आती हैं।

चौबीसवाँ अध्याय

सूद

सूद का व्यवहार—पूँजी का व्यवहार करने-देने से बदले में पूँजीवाले को द्रव्य आदि दिया जाता है, उसे सूद या व्याज कहते हैं। कुछ आदमी अपने उत्तराध धन में से सब खर्च न कर, यथा-राक्षि कुछ जमा करते जाते हैं। इस सचित धन से वे धनोत्पादन का कार्य, अपवा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध करते हैं। असमर्थता, अशान या अराजकता आदि को दरण में बहुधा आदमी अपना धन जमीन में गाहकर रखते हैं। परंतु जब ऐसी अवस्था न हो, और पूँजीवाला आदमी व्यापार-व्यवसाय की जोखिम भी न उठाना चाहे, तो वह अपनी पूँजी दूसरे लोगों को व्यवहार करने के लिए दे सकता है। ऐसा करने में उसे अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की तत्कालीन पूर्ति से मिलनेवाले सुख का त्याग करना पड़ता है। इसके प्रतिफल-स्वरूप, उसे पूँजी का सूद मिलता है।

सूद पर व्यवहार देना साधारण तौर उतना लाभदायक नहीं होता, जितना उसे व्यापार-व्यवसाय में लगाना। परंतु यह इससे तो अच्छा ही है कि वह व्यर्थ पड़ा रहने दिया जाय। सूद पर व्यवहार देने-वाला दूसरों की धन-संपत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे उसका धन (सूद दारा) बढ़ता है, और जिन्हें वह उधार देता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

सूद के दो मेद—अथगाढ़ी की दृष्टि से व्याज के दो मेद हैं—कुल सूद, और वास्तविक सूद। कुल सूद में अखली व्याज के अतिरिक्त (क) पूँजीवाले के जानिम ठटाने का प्रतिफल, (ख) शृणु का व्यवस्था करने का सर्व और (ग) पूँजीपति की असुविधाओं का प्रतिफल मिला होता है। 'कुल सूद' को व्यावहारिक भाषा में प्रायः 'सूद' ही कहते हैं। इसकी दर उच्चीय-धर्घो के मेद के अनुसार घटाती-बढ़ती रहती है।

शृणु-दाता—प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में सूद का विरोध किया गया है। इसका कारण यह मालूम होता है कि वडे-घडे उच्चीय-धर्घो के चलने के पहले, बहुत दुःखी और लाचार आदमी ही शृणु लेते थे, और उनसे सूद लेना निर्दयता या वेरहमी का कार्य समझा जाता था। मारतवर्ष में सूद का एकदम निपेव न करके सूद की दर नियमित करने की और ध्यान दिया गया है। गिरवी आदि से मुरक्कित शृणु पर मनुजों ने प्रतिमान शृणु के अस्तीवे माग, अर्थात् १५ की सदी सालाना सूद की अनुमति दी है, और अरक्कित शृणु के लिए दो की-मदी माइवार भी अनुचित नहीं ठहराया है। सूद की दर, शृणु लेनेवाले की जाति पर भी निर्भर रहती थी। नीच जानिवाली में सूद अधिक लिया जाता था।^{*} कुछ शास्त्रकारों ने सूद की रकम बढ़ाने की सोमा यह नियत कर दी है कि यह मूलधन के दुगने तक हो सके, उससे अधिक नहीं। सूदखोरी अर्थात् अत्यन्त अधिक व्याज का, धार्मिक दृष्टि से, यहाँ बहुत निपेव है। मुसलमानों के यहाँ तो सूद की विनकुल मनाई ही है। परन्तु अब आर्थिक सुग है। कितने ही अच्छी स्थिति के मुसलमान भी व्याज की कमाई से परहेज

* इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इन लोगों से रपवा वस्त्र होना अधिक कठिन होता है।

नहीं करते ।

अस्तु, अब हम भिन्न-भिन्न शूण्य-दाताओं के विषय में विचार करते हैं। वैको के विषय में पढ़ले जिखा जा चुका है। यहाँ प्रामो में वैको की व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे वहाँ वालों को कम सह पर रूपया उधार मिल सके। यदि मिथिर पूँजी की कम्पनियों का ऐसा संयठन हो जाय कि वे गाँववालों के जेवर आदि गिरवी रखकर उन्हें महाजनों की तरह रूपया उधार दे सकें तो बहुत उत्तम हो।

देहातों में बनिये या महाजन खेती के लिए पूँजी उधार देते हैं। कभी-कभी अनुत्पादक कार्य या फजूलखर्चों के बाहते भी उनसे शूण्य ले लिया जाता है। महाजन के खिलाफ बहुत-सी बातें कही जाती हैं। इसमें सदैह नहीं कि उसकी कार्य-प्रणाली में कई दोष हैं, पर वह सर्वथा गुणहीन भी नहीं है। उसमें गुण-दोष दोनों का सिद्धांश है। प्राचीन काल में महाजन ने प्रामो के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कृषि के घनघे को समय-समय पर पूँजी की आवश्यकता होती है, और महाजन ने इसकी विविध प्रकार से पूर्ति की है। वह निरा निर्देश भी नहीं होता था। पहले वह किसान की सुख-समृद्धि में ही अपना हित समझता था। पर कमशः स्थिति बदलती गयी। सरकारी लगान जिम्मे की जगह नकदी में लिया जाने लगा। विगत शताब्दी की राजनैतिक उथल-पुथल में लगान का परिमाण बहुत बढ़ गया, और उसे बख़त करने में सहाद्यता का भाव कम रह गयो। अन्य सरकारी कर भी बढ़ गये। उद्योग-धर्घे नष्ट हो गये। आर्थिक आवश्यकताओं और पूँजीबाद के भावों ने महाजन को जोभी बना दिया। इसके अलावा मालगुजारी और लगान चुकाने की जिम्मेवारी सब से अधिक मानी जाने से, और इसके बाद सहकारी समितियों के शूण्य को मुख्य स्थान दिये जाने के कारण, महाजन को अपना रूपया दूबने का भय बना रहता है। इसलिए भी वह सह अधिक लेनेलगा, तथा हितात नहने और सूठा जमालचं करने, आदि के और भी बुरे-भले

उपायों से अपनी आय बढ़ाने कगा।

शहरों में सेठ-साहूकार जायदाद रहने के अपवा जेवर गिरवी रखकर श्रूण देते हैं। ये लोग बहुधा अपने पास रहने रखी हुई जमीन को मोल लेकर जमादार बन गये हैं। ये कभी-कभी व्यापारियों और दस्तकारों को भी रुपया उधार देते हैं। बहुत से जमीदार, महन्त आदि भी सूद की आमदनी पैदा करते हैं।

शृणदाताओं में काबुली पठान का भी जिक करना ज़रूरी है। यह सौदागरी के साथ सूदखोरी करता है। उसके खिकार अधिकतर शहरों के मज़बूर तथा हरिजन आदि होते हैं। इनकी दशा प्रायः ऐसी रहती है कि महीना पूरा हीने से पहले ही, इनका इतना खर्च हो जुकता है कि वेतन मिलने पर वह जहाँ-तहाँ ठिकाने लग जाता है। फिर आगे के लिए इन्हें रुपये की ज़रूरत होती है तो प्रायः अन्य कोई व्यवस्था न होने के कारण इनकी नजर काबुली पठान पर ही जाती है। वह इन्हें एक आने, दो आने, या इस से भी अधिक फी-रुपया प्रति मास सूद पर श्रूण देता है, और अनेक बार सूद की रकम को मूलधन के साथ मिलाकर उसका पक्का काग़ज लिखा लेता है। उसकी रकम खूब बढ़ती रहती है। काबुली पठानों का लोगों पर इतना आतंक रहता है कि वे उसका रुपया जैसे-भी-बने जुकाते रहते हैं। फिर, पठान कानूनी कार्रवाई से अधिक अपने ढंडे का भरोसा रखता है; मार-पीट आदि क्रूर उपाय काम में लाने में उसे कुछ संकोच नहीं होता। काबुली पठानों का संगठन भी बहुत व्यापक है, और ये जनता के दीन-हीन लोगों का भर्यकर शोषण करते हैं। इनका नियन्त्रण किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

सरकार अकाल के समय बहुधा किसानों को भूमि की उच्चति करने और पशु, बीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए, सन् १८८३ के एकट के अनुसार, 'तकावी' देती है, और इस रुपये को अच्छी फसल के अवसर पर बम्बन कर लेती है। किन्तु राजकर्मचारियों का

मसुनित व्यवहार न होने के कारण इस तरीके में विशेष सफलता महीं हो रही है। किर रकम भी, कृपको की सख्ता और आवश्यकता को देखते हुए, यहुत कम दी जाती है।

सूद की दर—सूद की दर 'माँग और-पूति' के नियमानुसार निश्चित होती है। किसी स्थान में एक व्यवसाय के लिए आवश्यक पूँजी की दर वही होगी, जिस पर पूँजीपति उतना रुपया उधार दे सके, जितने की माँग है। किसी वास समय में भिज्ञ-भिज्ञ व्यवसायों की पूँजियों के कूल सूद की दर, सुरक्षा और जमानत आदि पर निर्भर रहती है। बहुत-मे आदमी जमीन, मकान या जेवर आदि गिरवी रखकर रुपया उधार देते हैं। इसमें रुपया हूँचने का डर नहीं रहता, इसलिए कुछ कम सूद पर ही संतोष कर जिवा जाता है। दस्ती दस्तावेज लिखकर दिये हुए शूण का रुपया बदून होने में खतरा जान पड़ता है। खतरा जितना अधिक होगा, उतना ही सूद अधिक लिया जायगा। सुरक्षा या हिफाजत के विचार से कुछ आदमी अपना रुपया सरकारी अधिकारी सार्वजनिक संस्थाओं को उधार दे देते हैं, अपवा डाकखाने के सेविंग बैंको में जमा कर देते हैं। इनमें सूद कम मिलता है।

देश में पूँजी अधिक होने पर सूद की दर घटती है, और कम होने पर दर बढ़ती है। अमरीका में इतना धन है कि वहाँ विविध व्यवसायों में खर्च होने पर भी यच रहता है, और दूसरे देशवाले ऐसे व्यवसायी उसे सूद पर ले लेते हैं, जिन्हे अपने देश में अधिक सूद देना पड़ता है। इंग्लैंड में भी, पूँजी होने के कारण, सूद की दर कम है। इसके विपरीत भारतवर्ष में सूद की दर, पूँजी बहुत कम होने के कारण, अधिक है। साधारण उत्पादक के पास अपनी निजी पूँजी नहीं होती। उसे सूद की भयकर दर पर रुपया उधार लेना पड़ता है। अनेक स्थानों में अधिक रुपये (प्रतिमास) का साधारण नियम है। यह सूद ३७॥) सेकड़ा सालाना पड़ता है। बहुत-से महाजन दस के

वारह करते हैं। वे दस रुपये उचार देकर प्रतिमास एक-एक रुपये की किम्त तय करते हैं, जिसे वे माल-भर तक लेते रहते हैं। यदि किसी महीने में किसी न चुकायी जाय, तो उसका सूद अलग लेते हैं। यह सूद भी बहुत अधिक बैठता है। सूद-दर-सूद (चकवृद्धि व्याज) से से तो कमा-कभी, दो-चार साल में ही सूद की रकम असल के बराबर होकर मूलधन को दुगना कर देते हैं। इस दशा में किसी ग्रृणी का ग्रृण-मुक्त होना कभी-कभी असंभव ही हो जाता है। महाजनों का रुपया मार्य जाता है, वे नालिश करते किरते हैं। इससे ग्रृणी की साल जाती है, पर महाजन को भी विशेष धन प्राप्त नहीं होता। खेद है, महाजन लोग लोभ-वश अधिक सूद लेने की आदत नहीं छोड़ते। उपर, ग्रृणी किसानों या व्यवसाइयों की साल गिर जाने के कारण, सूद की दर गिरने में बाधा होती है।

जान-माल की स्थान, शिक्षा-प्रचार और महाजनी, तथा येंको के विस्तार के कारण यहाँ, गत कुछ वर्षों से, सूद की दर साधारणतः धीरे-धीरे गिरने लगी है। सूद की दर पटने का एक फारण मह है कि यहाँ ब्रिटिश पूँजी की मात्रा बढ़ रही है। सहकारी-साप समितियों की स्थापना से भी इस कार्य में सहायता मिली है। तथापि अन्य अनेक ग्रीष्मोगिक देशों की अपेक्षा यहाँ सूद की दर अधिक ही है। भिज्ञ भिज्ञ स्थानों में, तथा पृथक्-पृथक् परिस्थितियों में, यहाँ किसानों और मज़दूरों से प्रायः ६० फी सदी से लेकर ३०० फी सदी तक वार्षिक सूद लिया जाता है।

युद्ध-काल में सूद की दर—पहले कहा जा सुकाहै कि युद्ध-काल में सैनिक सामग्री आदि बनाने का काम बढ़ता है, इसके लिए पूँजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इससे सूद की दर चढ़ने की सम्भावना रहती है। फिर, युद्ध के समय पदार्थों की कीमत बढ़ने से लोगों का खर्च बढ़ जाता है, अनेक आदमियों का अपनी आमदनी से

गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें शृणु लेने की आवश्यकता होती है, उधर शृणु देनेवाले साहूकार आदि ऐसे समय में रपया उधार देने में जोखम अधिक समझते हैं, इसलिए वे सूद अधिक ले रहे हैं।

युद्ध में प्रस्त राष्ट्रों का सैनिक व्यय बढ़ जाने से उन्हें कभी-कभी अन्य देशों से भी रपया उधार लेने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। शत्रु-पक्ष के देशों से शृणु मिलता नहीं है, इससे शृणु मिलने का चेत्र परिमित हो जाता है; रपया पहले के समान गतिशील नहीं होता। इसलिए कभी-कभी सरकारों को भी शृणु अधिक सूद पर मिलता है।

कर्जदारी या शृणुग्रस्तता—भारतवासियों की शृणु-प्रस्तता पर विचार करने से पहले यह जान लेने टीक होगा कि शृणु-प्रस्तता हमेशा बुरी हो नहीं होती। एक समय ऐसा अवश्य या कि जब शृणु लेना बहुत बुरा समझा जाता था; कारण उस समय वे ही आदमी कर्ज लेते थे, जो आर्थिक हाप्ठि से बहुत हीन अवस्था में होते थे। अब वह बात नहीं। अब तो अच्छे-अच्छे घनवान और पूँजीपति शृणु लेते हैं। अनेक संस्थाएं, कम्पनियाँ और सरकार तक शृणु लेती हैं; इसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं जाती। प्राचीन काल और आधुनिक काल के शृणु-सम्बन्धी इस मेद का रहस्य यह है कि अब आदमी अपने जीवन-निर्वाद के अलावा घन कमाने के लिए भी शृणु लेते हैं। व्यवसाय-कुशल आदमी अपनी ही पूँजी से संतोष न कर व्यक्तिगत या लामौहिक रूप में, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से रपया उधार लेते हैं, कल-कारखानों की स्थापना करते हैं, जिनमें कुछ समय शाद वे अपना सब शृणु चुका देते हैं, तथा घन कमाते भी हैं। इसी प्रकार अनेक देशों की सरकारें अपने-अपने चेत्र में ओद्योगिक उन्नति करने के लिए करोड़ों रुपये का शृणु लेने में संकोच नहीं करती। यह रपया धीरे-धीरे चुकाया जाता है, और कुछ दशाओं में इसके लिए कहाँ-कहाँ दशानियों तक सूद देते रहना लाभदायक ही समझ जाता।

है। इस प्रकार ऋण लेना न सदैव अच्छा ही है, और न सदैव बुरा ही। यह तो बहुस कुछ परिहिति पर निर्भर है।

यदि भारतीय कृषकों आदि की कर्जदारी को बुग समझा जाता है तो इसका कारण यह है कि किसान उस ऋण से अपनी आर्थिक उन्नति नहीं करता; ऋण के सूद से उसका जन्म-भर कुटकारा नहीं होता; वह उसका खून सुखाता रहता है। अनेक किसान तथा अन्य व्यक्ति ऋण के कारण दासता का जीवन विताते हैं। प्र० राधाक मल मुकर्जी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि कुछ किसान प्रेरणी रूपया लेकर जमीदारों से समझौता कर लेते हैं, और जन्म-भर उनके दास बने रहते हैं। यो तो ऐसे दास बम्बई, मद्रास आदि में भी है, पर बिहार और छोटा नागपुर में इनकी हालत बहुत बुरी है, वे अपनी बेतन के लिए कोई शर्त पेश नहीं कर सकते; उन्हें काम मिलने की कोई गारंटी नहीं दी जाती, और उन पर 'नीओ' लोगों के जैल कड़ा निरीक्षण रहता है। वे किसी दूसरे जमीदार के यहाँ शरण नहीं ले सकते; और, कहो-कहो तो उनको खरीद-परोखत तक होती है। 'यह बात उन लोगों के सम्बन्ध में और भी अधिक लागू होती है, जिनकी अपनी कुछ भी जमीन नहीं होती, जो आजीविका के साधनों से सर्वथा वंचित तथा दूसरों के ही आसरे रहते हैं।

/ **किसानों का कर्ज-भार**—भारतवर्ष में जनता का अधिकांश भाग किसानों का है, अतः यहाँ की ऋण-समस्या का विचार करने के लिए पहले उनकी ही कर्जदारी का विचार करते हैं। सन् १९२८ ई० में शाही कृषि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, 'ये लोग कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में पलते हैं, और कर्ज में जीवन ब्यतीत कर देते हैं, और आखिर में उसे अपने वंशजों के लिए विरामत में छोड़ जाते हैं।' कमीशन ने यह भी कहा था कि यह स्थिति देश की, राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। यह होते हुए भी किसानों की

कर्जदारी दूर करने के लिए कुछ गमोर प्रयत्न नहीं किया गया।

सन् १९३० ई० तक तो यहो मालूम न था कि भारतीय किसानों पर कुल ऋण-भार कितना है। उच्च वर्ष केन्द्रीय बैंकिंग-बौच-कमेटी ने बौच आरम्भ की, उसके साथ सहयोग करनेवाली प्रान्तीय कमेटियों ने अपने-अपने बांत के कर्ज के जो आकड़े उपलिखित किए, वे असूं हैं; और अनेक दशाओं में केवल अनुमान के आधार पर होने के कारण यदेष्ट विश्वविद्यालय भी नहीं है। परन्तु अभी तक उससे अच्छा कोई अन्य हिसाब सामने नहीं आया। इसनिए उसीसे काम चलाया जाता है। उसके अनुमान विदिशा भारत के किसानों का कुल लगभग ४०० करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया था। सन् १९३१ ई० के बाद, फरवरी की कोमत में कमो हो जाने के कारण यह ऋण बहुत बढ़ा है। सन् १९३१-४० से खेतों की पैदावार की कोमत यही है। अब उत्तर्युच्च क्षण २८,००० करोड़ रुपये होने का अनुमान है, अर्थात् प्रति वर्षनिः ७५ रुपये से भी अधिक।

अब देशी राज्यों की बात लीजिए। इनके अंक वैसे असूं रूप में भी प्राप्त नहीं हैं, जैसे विदिशा-भारत के हैं। हाँ, यह सर्व-विदित है कि देशी राज्यों के गाँववालों की दशा विदिशा-भारतवालों की अपेक्षा अच्छी कदाहि नहीं है। यदि उनके ग्राम-ऋण को विदिशा-भारत के ऋण का एक तिहाई भान लें तो भारतवर्ष का कुल ग्राम-ऋण जौवान ही करोड़ रुपये से अधिक होगा।

प्रातीय कमेटियों ने यह मालूम करने का भी प्रयत्न किया था कि पी-सी-इडा कितने व्यक्ति कर्जदार नहीं हैं। भिज भिज जिलों के ऋण-मुक्त किसानों की औषत-सख्ता भिज-भिज होने से यह नहीं ज्ञात होना कि वास्तव में कुल मिलाकर कितने किसान कुल-भार से छुक हैं। कुछ विदानों के मतानुसार ७५ प्रतिशत किसान ऋण-ग्रस्त हैं।

कर्जदारी के कारण और उनका निवारण—अब हम यह बतलाते हैं कि कर्जदारी के मुख्य कारण क्या है; और उन्हें

किस प्रकार दूर किया जा सकता है। शृणु का पहला कारण यह है कि देश में उद्योग-धन्धों की कमी है, और जनसख्या कमशः बढ़ती जा रही है, इस प्रकार खेती के काम में अधिकाधिक आदमी लगते जा रहे हैं। एक-एक आदमी के हिस्से में भूमि बहुत कम परिमाण में आती है, उसमें खेती करने से औरत-लागत-खर्च बहुत बैठता है; आय कम होती है। आवश्यकता है कि देश में उद्योग धन्धों की उन्नति की जाय और जनसख्या भी यथा-समव कम रहे। इन दोनों बातों के सबध में विशेष पहले लिखा जा चुका है।

शृणु का दूसरा कारण यह है कि पंचायतों की पुरानी प्रथा न रहने से उनका शृणु-सम्बन्धी मामलों में नियंत्रण नहीं रहा। पहले पंचायतें यह जानती थीं कि शृणु लेनेवाले और देनेवाले की स्थिति कैसी है, उनके दबाव के कारण शृणु आवश्यक कार्य के लिए ही लिया जाता था, और यह की दर पर प्रतिबन्ध रहता था। उस समय शृणु-सम्बन्धी मामलों का निपटारा अच्छी तरह, बिना खर्च के ही हो जाता था। अब अदालतों की कार्रवाई बहुत लटिल और खर्चांली है। महाजनों में पहले जैसी सहृदयता और सद्भावना नहीं है, और उन पर शृणु के दर सम्बन्धी नियंत्रण भी नहीं रहा है। इधर गत वर्षों में शृणु-ग्रस्तों की रक्षा के लिए कानून बने हैं, उनके सम्बन्ध में, आगे लिखा जायगा। इन कानूनों से किसानों को शृणु मिलना कठिन हो गया है। जब तक कि किसानों को इस्या उधार देने की कोई दूसरी समुचित व्यवस्था न की जाय, इन कानूनों से विशेष लाभ नहीं हो सकता। ‘तकावी’ सहकारी साख-समितियों और भूमि-बंधक बैंकों से किसानों को छुट्ट महायता मिलती है, जैसे पर उनका कार्य ‘समुद्र में बून्द’ की तरह है।

शृणु का तीसरा कारण किसानों की साख और हैसियत कम होना, तथा उनसे व्याज अधिक लिया जाना है। यहाँ किसानों को ज़रूरत

‘तकावी’ के सम्बन्ध में इसी अध्याय में, और सहकारी-साख समितियों तथा भूमि-बंधक बैंकों के विषय में ‘बैंक’-शीर्षक अध्याय में लिखा जा चुका है।

के समय कम दर पर, यथेष्ट मात्रा में, और समुचित व्यवसि के लिए रूपया उधार देने की व्यवस्था नहीं। दूसरे देशों में सरकार किसानों को चिना व्याज, अरबा नाममात्र के व्याज पर, बड़ी-बड़ी रकमें पचास-छाठ साल तक के लिए उधार देती है। क्या भारतवर्ष में भी कभी अधिकारी ऐसी व्यवस्था करने की बात सोचते हैं?

शूण का चौथा कारण किसानों का, अनुत्पादक कार्यों के लिए रूपया उधार लेना चाहा जाता है; परंतु यह कहाँ तक ठीक है? प्रायः फसल तैयार होते ही, और कुछ दशाओं में उससे भी पहले, किसान पर महाजन और जमीदार या सरकार का भार लदा रहता है, और फसल में से उसके निर्वाह के बास्ते कुछ बचने नहीं पाता। इस प्रकार उसे अन्न या रूपये के रूप में शूण लेना पड़ता है। यह शूण अनुत्पादक कार्यों के बास्ते लिया जानेवाला नहीं कहा जा सकता; कारण, खेती करने का, किसान वैसा ही आवश्यक साधन है, जैसा बैल, इल, यीज आदि; बरन् किसान का महत्व अन्य सब साधनों की अपेक्षा अधिक है।

शूण का पाँचवां कारण किसानों की 'फज्जलखचों' है। कुछ किसान विवाह-शादी या जन्म-मरण संबंधी सामाजिक रीति-व्यवहार में अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं। निःसदेह इसमें यथा-सभव मुधार होने की आवश्यकता है; परन्तु मनुष्य की प्रहृति और सामाजिक आवश्यकताओं का विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे खर्च से पूर्णतया बचा नहीं जा सकता। इसके प्रकार कभी-कभी त्योहार आदि मनाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; यदि अपने चिताप्रस्त जीवन में वह कभी कभी आनन्द-प्रमोद के लिए कुछ खर्च कर द्याता है, तो इसके लिए उसे विशेष दोष नहीं दिया जा सकता।

कर्जदारी और सरकार—ऊपर जो कारण किसानों के कर्जदार होने के बताये गये हैं, उनकी जिम्मेवारी बहुत-कुछ यहाँ की शाखनगदति पर है, यह बात ही समझ में आ सकती है।

उदाहरण के लिए यहाँ के घटोग-घबो के नष्ट होने का (जिससे आदमी अधिकाधिक संख्या में कृपि के आश्रित हो गये है), मुख्य कारण मरकारी नीति है। इस समय भी सरकार उच्चोग-घबो की ठग्गति के लिए यथेष्ट उपाय काम में नहा ला रही है। प्रचीन पंचायतें विजुस होने, नवीन पंचायतों के अधिकार बहुत कम होने तथा उनमें जनना के यथेष्ट प्रतिनिधि न होने, और अदालतों की खर्चली पद्धति प्रचलित करने का दाइत्य वर्तमान शारन-प्रणाली पर हो रहा है। फिर, झट्ट्य ग्रस्तता का एक कारण सरकार की लगान और मालगुजारी सम्बन्धी नीति है। इस विषय में पहले लिखा चुका है। सरकार को, किसानों को दशा मुधारने की अपेक्षा, जैसे भी नने अपनी सेना आदि को बड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक चिन्ता रहती है। यदि वह लगान और मालगुजारी के परिमाण में कमी करे, और उनको चुकाने के लिए किसानों को काफी सुविधाएँ दे तो उनकी कर्जदारी बहुत कम होने में, अथवा बढ़ने से रुकने में, बड़ी सहायता मिले। इसके लिए सरकार को सेनिक तथा सिविल शासन सम्बन्धी व्यय में काफी कमी करने की आवश्यकता है। परन्तु सरकार इसके लिए शान्ति-काल में भी तैयार नहीं होती, फिर युद्ध के समय की तो बात ही क्या !

कर्जदारों की रक्षा—उन् १९१८ ई० में भारतीय व्यवस्था-पक्ष सभा ने एक कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य यह था कि यदि क्षण उधार देनेवाले ने सुद की दर अधिक ठहरायी हो, तो अदालतों को अधिकार हो कि वे उसे कम करके किर से सूद का हिसाब लगवावें। भिन्न भिन्न प्रांतों में स्पानोंद परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून बना कर महाजनों द्वारा निर्वाचित की हुई सूद की दर नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कानून बनाये गये। इन कानूनों से किसानों को यथेष्ट लाभ नहीं होता। प्रथम तो खर्च बहुत होने के कारण, अदालतों में मामले बहुत कम जाते हैं। फिर, जैसा कि पहले

कहा जातुका है, ऐसे कानूनों के कारण, किसानों को मदाजनों से इपया उधार मिलना कठिन होता है। और, किसानों को इपया मिलने को दूसरी कोई समुचित व्यवस्था है नहीं।

कुछ प्रान्तों में शृण्यदाताओं के लिए लेसेन्स-कानून बनाया गया है। इसके अनुसार, लेनदेन का काम करनेवाले मदाजन को सरकार से लेसेन्स लेना होता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह नियमानुसार हिसाब रखे, और प्रत्येक कर्जदार को छठे महीने (या साल भर में) उसके शृण्य का दिसाव लिखकर दे, तथा, जब-जब कोई कर्जदार कुछ शृण्य अदा करे तो उसे उसकी रकीद देवे। यह व्यवस्था अच्छी है, पर इससे लोगों की शृण्य-अस्तिता में विशेष कमी नहीं होती।

भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में 'कर्ज-समझौता बोर्ड' इधापित किये गये हैं। ये बोर्ड शृण्य के मूलधन और व्याज का विचार करते हुए, साहूकार और कर्जदार की सहमति से शृण्य की ऐसी रकम निर्धारित करते हैं, जिसका दिया जाना उचित है। फिर, किसान की हैसियत, तथा आय व्यय और वचत के लिहाज से इस रकम की किस्तें ठहरादी जाती हैं। इन बोर्डों से कृषक जनता को कुछ लाभे हो रहा है। परन्तु बहुधा खेती की पैदावार दैवी कारणों से नष्ट हो जाने से तथा पैदावार की कीमत घटने से, किसान जमीन की मालगुलारी ही देने में असमर्थ रहते हैं। फिर, वे अपनी कर्ज की किस्त किस प्रकार अदा करें। इसके लिए तो उनकी आय ही बढ़नी चाहिए; इसके विविध उपायों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है।

रिजर्व बैंक की सिफारिशें—रिजर्व बैंक के कृपि-साल-विभाग की प्रथम रिपोर्ट में गौड़ी की कर्जदारी के भारी बोझ की विस्तृत आलोचना की गयी है, और इसे इत करने के लिए विविध उपाय सुझाये गये हैं। उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१—जहाँ कर्ज इतना अधिक हो गया हो कि कर्जदार उसे

अदा करने में असमर्थ हो, वहाँ कर्ज के मूलधन या सूद में कमी कर देना चाहिए।

२—ऐसा कानून बनना चाहिए जिनसे लम्बी मियाद के कर्ज छोटी-छोटी किट्ठत में चुकाये जा सकें।

३—तीस वर्ष से अधिक के पुश्टीनी कर्ज के निपटारे के सम्बन्ध में रियायती बताव होना चाहिए।

४—उन कर्जों के लिए जो पावनेदारों की स्वेच्छा से कम करने पर भी कर्जदारों से चुकाये न जा सकें, आसान किसान-निवालिया-कानून बनाये जायें।

५—कठल स्वरीद-विक्री के लिए छोटी मियाद पर पेशगी देना चैकिंग कारोबार का एक मुख्य आग समझना चाहिए। इस विषय में रिजर्व बैंक 'शिक्षूलड' (स्वीकृत) बैंकों की पूरी सहायता करेगा।

किसानों की ऋण-मुक्ति—किसानों का ऋण-भार और अधिक न बढ़े, उन्हें सूद की चिन्ता से छुटकारा मिले, और उनका, जीवन अधिक सुखी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके, पुराने ऋण से मुक्ति पाने के उपायों का विचार किया जाय, और उन को अच्छी तरह अमल में लाया जाय। स्थूल रूप से ऐसी योजना की रूप-रेखा कुछ इस प्रकार हो सकती है—प्रत्येक प्रान्त में प्रातीय व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित कुछ व्यक्तियों की एक कमेटी रहे, जिसके निरीक्षण और नियन्त्रण में प्रत्येक ज़िले के कुछ सरकारी और नैर-सरकारी अनुभवी आदमी अपने-अपने ज़िले के गाँवों के प्रत्येक किसान के विषय में यह मालूम करें कि उस पर कुल ऋण कितना है, उसमें कितना भाग मूल ऋण है, और कितना व्याज; तथा व्याज महे कितनी रकम दी जा चुकी है। जिस-जिस ऋण के मूलधन या व्याज के महे कुल रकम, मूलधन के दूने के बराबर, दी चुकी है, वे सब ऋण पूरे तौर से चुकाये हुए समझे जायें। शेष ऋणों को व्याज

बी रकम में, और एक निर्धारित अवधि से अधिक के शूलों के मूलधन को रकम में भी काफी कमी की जाय; और वह रकम निर्धारित का जाय, जो बास्तव में दो जानी उचित है। जो किसान इस कम का हुई रकम को न दे सकें। (और इनकी संख्या अवश्य ही काफी अधिक होगी) उनका शूल एकदम या घोरे-घोरे चुकाने का दाहत्व सरकार अपने ऊपर ले, और किसानों से मालगुजारी के साथ छोटी-छोटी किस्तों में बदल करें। इस स्मरण रहे कि इस व्यवस्था का एक आवश्यक अंग यह है कि सरकार मालगुजारी में काफी कमी करे; इसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

मजदूरों के शूल की समस्या—मजदूरों की शूल-प्रस्तता, उनके शूलों होने के कारण, तथा उन कारणों के दूर किये जाने के सम्बन्ध में कुछ बातें बही हैं, जो किसानों के विषय में ऊपर कही जा सकी हैं। ऐसा भार की चिन्ता के कारण मजदूर का स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं होता, उसका कौशल भी क्षीण होता जाता है; वह अपनी विकास नहा कर पाता। शूल चुकाने के लिए वह अपनी शक्ति से अधिक समय, तथा कठिन अम करता है, इससे वह चीमार पड़ता है; और शूल सुक होने के बजाय, और अधिक कर्जदार बनता जाता है। ग्राय: उससे, किसानों की अपेक्षा, अधिक ब्याज लिया जाता है, कारण, उसके पास भूमि या जैवर आदि कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं होती, जिसे वह रहन या गिरवी रख सके।

मजदूरों का शूल-भार कम करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें वेतन मालिक के बजाय, साताहिक दिया जाय, जिससे उन्हें अपने मरण-पोतण को चल्लुएँ खरीदने में सुभीता हो, और शूल लेने की आवश्यकता कम रहे। सेद है कि भारतवर्ष में इस मानूनीशी बात को

* मावनगर राज्य ने इसी प्रकार महाराजों द्वारा इकट्ठी रकम देकर विसानों दो दसके शूल से मुक्त करने का अच्छा उदाहरण उपरिषित किया है।

भी, नरकार ने व्यवस्था नहीं की। इस सम्बन्ध में शोश्र यथोचित कानून बनजाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मजदूरों की आवश्यकताओं का विचार करके उन्हें आवश्यक शृणु अच्छी गति पर और साधारण व्याज दर मिलने की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही मजदूरों की दर बढ़ाने की वहुत आवश्यकता है, इसके लिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

अन्य ऋण-ग्रस्तों का विचार—किसानों और मजदूरों के अनिरिक्त देश में और भी वहुत से आदमी ऋण-प्रस्तुत है। इनमें मध्य श्रेणी के आदमियों का दण्ड विशेष चिन्तनोय है। यदि वे लोग अपनी आवश्यकता कम रखें, किनायत में काम लें, दूसरों के देखा-देखी, माजाजिक रीति-दरबार में, अथवा अपनी 'प्रतिटा' बनाये रखने के भ्रम में अपनी हैमियत से अविक लच्चे न करें, तो इनमें से वहुत सो का महज ही उद्धार हो सकता है। गिराव-प्रबार, मिनव्ययिता, बैंकों, महाकारा समितियों, और मिशन और लौंगवाली कम्पनियों की वृद्धि से सभी ऋण-ग्रस्तों को रक्षा में सहायता मिलेगी।

सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है?—आजकल आदमी प्रायः सूद लेते हैं; इसलिए प्रायः उसके उचित होने में कोई शक्ता नहीं की जाती। तथापि समय-समय दर कुछ सज्जनों ने ऐसा मत प्रकट किया है कि सूद लेना उचित नहीं है। सुमलमानों के बहाँ इसकी मनाही है, इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। दूसरे भी किनने ही सज्जन सूद लेने के विकद हैं। मिलान के तौर पर श्री० कियोल्लाल मशूदाजा ने, 'लोकबीवन' में कहा है—“‘इयंके का कोई व्याज न होना चाहिए, क्योंकि इया स्वयं कुछ उत्तर नहीं कर सकता। इया श्रीयोगिक्ता को प्रोत्साहन देने का एक मात्र अथवा मुख्य सावन नहीं है, और न ही उसे बनाया जाना चाहिए।”

आम तौर से यह कहा जाता है कि अगर वर्षे का सूद न मिले

को कोई आदमी इपया उधार देगा ही नहीं; और बत्तेमान दशा में बहुत से आदमी आवश्यक पूँजी न मिलने से, अपनी आजीविका का काम भी न कर सकेंगे। अस्तु, आवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो कि साधारण तौर से आदमियों को इपया उधार लेने को ज़रूरत न रहे; और, विशेष कायों के लिए इपये का प्रबन्ध सरकार को और से हो। ऐसी दिक्षिति कद आयेगी, यह नहीं कहा जा सकता, तथापि यह दृष्टिकोण विचार करने योग्य है।

पचीसवाँ अध्याय

मुनाफे

मुनाफे का अर्थ—किसी पदार्थ की कीमत से उसके उत्पादन का सब खर्च—कच्चे माल का मूल्य, सचालक शक्ति का व्यय, यथों की घिसाई, विशेषन, चीमा-खर्च, लगान, मजदूरी, और सूद—निकाल देने पर जो रोप रहता है, वह मुनाफा है। यह व्यवस्था का प्रतिकल है; व्यवस्था में प्रबन्ध और साइम, दोनों शामिल हैं, यह पहले बताया जा चुका है। कुछ मदाशय प्रबन्ध की कमाई^{*} का विचार पृष्ठक् रूप से करते हैं। इस दशा में मुनाफा बेबल साहस करने पा जोतिम उठाने का प्रतिफल रह जाता है। रेल, नदर आदि कुछ कामों की प्रारम्भिक अवस्था में मुनाफे का सहसा हिसाब नहीं लग सकता। कभी-कभी तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बर्यं या इससे भी अधिक समय के आव व्यय का हिसाब लगाने पर मुनाफे की मात्रा मालूम होती है।

“प्रबन्धक या मेनेजर का कार्य खनोटादन में एक आवश्यक अंग है। वह अन्य अमज्जीवियों के काम को देख-माल करता है। उसकी भाव ये, जो बहुधा निविच्छ होती और प्रति मास मिलती है, अवशास्त्रमें मबद्दी नहीं कहते: ‘प्रबन्ध की कमाई’ कहते हैं।

फिर यह भी आवश्यक नहीं कि हर एक काम में मुनाफा होता हो। बहुतेरे कामों में हानि भी होती है। परन्तु जब हानि होती है, तो उन काम की पद्धति में परिवर्तन किया जाता है, अथवा यह बिलकुल बन्द कर दिया जाता है। निश्चन्द्र ऐसा करने में समय लगता है।

मुनाफे के दो भेद—श्रथशास्त्र की दृष्टि से मुनाफे के दो भेद हैं—वास्तविक मुनाफा, और कुल मुनाफा। कुल मुनाफे में बहुता वास्तविक मुनाफे के अलावा (क) साइरी की निवी पूँजी का सद, (ख) उसका अपनी जमीन का किराया, (ग) योगे आदि का खर्च और (घ) साइरी की विशेष सुविधाओं से होनेवाला लाभ सम्मिलिन है। साधारण बोलचाल में कुल मुनाफे को प्रायः मुनाफा ही कहते हैं।

मुनाफे की कमी-वेशी के कारण—कुल मुनाफे का कम ज्यादा होना कई बातों पर निर्भर है—

(१) उत्पादन-न्यय जितना कम होगा, उतना ही मुनाफा अधिक रहेगा। उत्पादन-न्यय कम होने के ये तीन कारण मुख्य हैं—(क) काम करनेवालों के काम की मात्रा बढ़ जाने पर उनकी मजदूरी का पहले जैसी बना रहना। (ख) काम की मात्रा और खाने-पीने वगैरह की चीजों की कीमत पहले जितनी बनी रहने पर काम करनेवालों को मजदूरी की दर का घट जाना। (ग) खाने-पीने की चीजें मस्ती हो जाना।

पदार्थों की कीमत बढ़ने या देश में महंगी होने से मुनाफा ही होगा, यह समझा मूँ न है। जनसंख्या को बढ़ाने अथवा विदेशी मांग के कारण अन्न आदि की खपत बढ़ने से घटिया जमीन में खेती करनी पड़ती है। यह बात मजदूरी आदि का खर्च बढ़ाये बिना नहीं हो सकती, और उत्पादन-न्यय बढ़ने से चीजों की

* ४० महाराष्ट्रप्रसादजी दिवेशी के 'संपत्ति-शास्त्र' के अधार पर।

कीमत का बढ़ना तथा देश में महंगी का होना स्वाभाविक ही है। इसमें काश्तकारी को लाभ थोड़ा ही होता है; उनका तो खर्च ही मूल्यिक ज से निकलता है। जो चीजें कलों की महायता से बनती हैं, उनकी खपत बढ़ने से प्रायः मुनाफ़ा अधिक होता है; क्योंकि एक सीमा तक, माल जितना अधिक तैयार होगा, वर्चं का अनुपात उतना ही कम पड़ेगा। इस प्रकार कीमत कम आने पर भी मुनाफ़ा अधिक हो सकता है।

(२) मुनाफे का समय से भी गहरा सबध है। माल विकार मुनाफ़ा मिलने में जितना ही कम समय लगेगा, मुनाफे की दर उतनी ही अधिक होगी। और, जितना ही समय अधिक लगेगा, मुनाफे की दर उतनी ही कम होगी।

(३) मजदूरी की दर कम होने से मुनाफ़ा अधिक, और मजदूर बढ़ने से मुनाफ़ा कम हो जाता है। [कारखानेवाले अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा बरहते हैं; और, मजदूर अधिक-से-अधिक मजदूरी। इसलिए उन दोनों में बहुधा पारस्परिक द्वित-विरोध रहता है। इसका धर्णन अन्यत्र प्रबंगानुसार किया गया है।]

(४) कारखानेवालों की बुद्धिमत्ती, दूरदेशी और प्रचंध करने की योग्यता पर भी, मुनाफे की कमी-वेशी बहुत-कुछ निर्भर है। देश में अयोग्य कारखानेवालों की संख्या अधिक होने से चतुर कारखाने के मालिकों के मुनाफे की दर बढ़ जाती है। यिन्हा और कनाकीशल की बुद्धि के साथ-साथ अयोग्य कारखानेवालों की संख्या कम होती है, और चतुर कारखानेवालों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे उनके मुनाफे की दर दिनोदिन घटती जाती है। एक चात और भी है। यिन्हा और सम्यता के प्रत्यार से मनुष्य दूरदेश होता जाता है। इससे देश की पूँजी बढ़ती है। और, पूँजी बढ़ने से मुनाफे की दर कम होती ही चाहिए।

(५) मुनाफे की दर कुछ विशेष सुविधाओं पर भी निर्भर रहती

है—जैसे भूमि का अच्छा होना, पूँजी का सस्ता (कम व्याज पर) मिल जाना, आवासी का समय पर तथा अच्छा हो जाना, नजदीक में ही मढ़ी बन जाना या रेल की लाइन निकल जाना आदि।

(६) मुनाफे पर प्रतियोगिता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंजकल बहुत से व्यवसायों में चढ़ा-जपरी है। जिस व्यवसाय में अधिक मुनाफा होता है, उसे दूसरे व्यवसायों भी करने लगते हैं। वे उसमें अधिक पूँजी लगाकर माल कम खर्च में तैयार करते और सस्ता बेचने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले व्यवसायों को भी कीमत की दर घटानी पड़ती है; और, मुनाफे की मात्रा कम हो जाती है। किंतु योड़ी पूँजीवाले योड़े मनाफे पर बहुत दिन तक प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इसलिए वडे वडे पूँजीपतिशों या कंपनियों का ही व्यवसाय चलता रहा सकता है।

किसानों का मुनाफा—भारतवर्ष में कृषि-कार्य की अधिकता है। बहुत से आदमों अपनी भूमि पर अपनी ही मेहनत नया पूँजी से कुछ पैदा कर लेते हैं। इस दशा में ‘प्रवंच की कमाई’ और याहस का फल अर्थात् मुनाफा अनग-अलग नहीं प्रतीत होते। बहुत-से मारतीय किसानों को लाभ बहुत कम होता है। यासकर जिनके बेत छोटे-छोटे और दूर-दूर हैं, ग्रथवा गैर-मौसमी या शिकमी-दर-शिकमी है, उन्हें तो बहुत खिलकुल ही मुनाफा नहीं होता। पर उन बेचारों की खेती का काम छोड़कर कोई दूसरा लाभकारी कार्य करने को सुविधाएँ नहीं होती। इमारे अनेक किसानों की पूँजी प्रायः नहीं के बराबर होती है। बहुतेरे तो ऋण प्रस्तु रहते हैं। यिन्हा का अभाव और संकुचित विचार तथा अंघ-विश्वास उनकी उत्थापिता में बहुत वाघक होते हैं। इसलिए वे वर्षों और बहुधा पोड़ी-दर-पीड़ी तक विना मुनाफे के ही कृषि-कार्य करते रहते हैं, जिसमें उन्हें अपने अम की मारूची-नी मजदूरी मिल सके। किसी उद्योग-रूपवे के करने की योग्यता न होने के कारण, वे अन्य कामों में उतनी भी मजदूरों पाने की आशा नहीं रखते।

कुपि साहूकार का मुनाफा— यहाँ महाजन या बनिये किसानों को रुपया उधार देते हैं, और उसके बदले में, फसल तैयार होने के समय, बाजार से कुछ मूल्य भाव पर, अब आदि लेते हैं। इसी में उनका सूद भी आजाता है। यहूधा ऐसा भी देता है कि शहर देत समय ही पदार्थ का यह भाव टहर जाता है, जिस पर किसान अपना माल महाजनों को बेचते। इस माल को महाजन अपने यहाँ जमा रखते हैं, और फसल के बाद जब उनका भाव चढ़ जाता, तब धोरणी भी बेचते हैं। यही दिसान अपनी खेती मम्बन्धी आवश्यकताओं या विवाह संगाई आदि की रीति-रसमों के बास्ते और सरकारी लगान आदि सुकाने के लिए, प्रायः इतना माल बेच डालते हैं कि कुछ समय के बाद स्वयं उन्होंने को कुछ माल बनिये से, महँग भाव पर, खरीदना पड़ जाता है। अस्तु, इस क्षय-विक्रय से महाजन को काफी मुनाफा होता है।

शिल्प-साहूकार का मुनाफा— यहले छोटो मात्रा की उत्पत्ति की दशा में बहुत से कारीगर अपनी-अपनी पूँजी से स्वतंत्र कार्य करते थे। उनके ये स्वयं ही निरोक्षक या व्यवस्थापक भी होते थे। उनके मुगाके में पूँजी का सूद भी होता था। कुछ बड़े-बड़े नगरों में पूँजीपति कारीगरों को रुपया उधार देते और बदले में उनका माल खरीदते थे अपनी इच्छातुरार माल बनवालेते थे। इस प्रकार वे बहुत-सा माल इकट्ठा करके, उसे उसी नगर में बेचकर, अपवा बाहर, भेजकर, नक्का करते थे। इन लोगों का निरोक्षण या व्यवस्था से कोई मम्बन्ध न होता था।

आजकल मरीनों के माल की स्वपत बढ़ जाने से स्वतंत्र कारीगरों का महत्व कम हो गया है। मैदान भजदूरी करनेवालों की सख्त्या बढ़ती जा रही है। प्रायः कारीगर अपने माल को स्वयं बेचते हैं, उसकी लागत तथा उसमें लगी हुई पूँजी का सूद बाद करके जो उन्हें बचता है, वह उनका ही मुनाफा होता है।

दुकानदारों का मुनाफा—बहुत से दुकानदार या सौदागर विदेशी माल बेचते हैं। वे कभी-कभी घोड़ा सा माल इस देश के कारोगरों का तैयार किया हुआ भी, मोल लेकर, विक्रयार्थ रख लेते हैं। अब स्वदेशी माल का क्य-विक्रय बढ़ता जा रहा है। 'देशी व्यापार' शीर्षक अध्याय में यह यताया ला चुका है कि यहाँ अधिकांश दुकानदार अपनी बस्तुओं की कीमत निर्धारित करन नहीं रखते, वे आहक को देखकर कीमत बताते हैं। उदाहरण के लिए उसी बस्तु के एक से छः आने, दूसरे से सात आने और तीसरे से आठ आने या इससे भी अधिक माँग लेते हैं, और किर, जैसा जिस प्राहक से तय हो जाय, वैषा दाम ले लेते हैं। यह बस्तु बास्तव में पाँच आने या इससे भी कम की होती है, इसके विषय में आहक को जानकारी जितनी कम होती है, दुकानदार का मुनाफा उतना ही अविक होता है। इस प्रकार, जब बाजार में कोई नयी बस्तु बिकने आती है, तो क्योंकि उसकी लागत से अधिकांश आहक अपरिचित होते हैं, इसके बेचनेवाले को लाभ अधिक होते की संभावना होती है। इस प्रकार भारतवर्ष में अधिकांश दुकानदार जितना माल बेचते हैं, उसके अनुपात से, उनका औसत मुनाफा बास्तो होता है; परन्तु यहाँ सर्वसाधारण के प्रायः निर्घन होने के कारण, पदार्थों की विक्री का परिमाण कम होने से, बहुधा दुकानदारों का कुल मुनाफा मामूली ही रहता है।

आढ़तियों का मुनाफा—भारतवर्ष में बड़े-बड़े आढ़तिये प्रायः ईई, सन, अनाज या कुछ अन्य पदार्थों का व्यापार करते हैं। इनका काम बनियों या बड़े-बड़े किसानों से, फसल के अवसर पर, माल लेकर बड़ी मंडियों अथवा बंदरगाहों में भेज देना होता है। ये बड़ई, कलकत्ता, करौंची; मद्रास, रंगून आदि के निर्यात करनेवाले सौदागरों से पहले ही यह तय कर लेते हैं कि अमुक समय पर इतना

माल इस भाव पर उन्हें देते। ये लोग असने कारोबार में आफी नतुर डोते हैं, और बहुधा किमानों या दुकानदारों के भोलेपन या नासमझी से अनुचित लाभ भी उठाते हैं। भारतवर्ष के दूसरे लोगों की तुलना में इनका मुनाफ़ा कासी अधिक रहता है।

आयात-निर्यात करनेवालों का मुनाफ़ा—भारतवर्ष के आयान निर्यात करनेवाले कुछ बड़े-बड़े सौदागर हर एक प्रात में हैं। ये सामार की मुख्य-मुख्य मडियो से बराबर तार द्वाया बाजार-भाव का समाचार मेंगाते रहते हैं। इसलिए जब विदेशी में किसी ऐसी चीज़ का भाव चढ़ता है, जो भारतवर्ष ने जाती हो, या ऐसी चीज़ का भाव उत्तरवा है, जो भारतवर्ष में आती हो, तो अधिकांश मुनाफ़ा हन्दा सौदागरों को होता है। [भारतवर्ष के उत्तादकों तथा उपभोक्ताओं को अक्सर बहुत समय पीछे विदेशी के भाव का पता लगता है।]

कल-कारखाने वालों का मुनाफ़ा—इनके मुनाफ़े की मात्रा लूप होती है। मजदूर बहुया इनके हाथ को कठपुतली ही रहते हैं; उन्हें साधारण बेतन पर कार्य करना होता है। यदि मजदूर कभी इड़ताल भी करे तो पूँजीपति भूले नहीं मरेंगे, 'चाहे उनका कारखाना दस-पन्च दिन बन्द हो क्यों न रहे। पर वेचारे मजदूर क्या करेंगे? उनके पास इतनी पूँजी कहाँ कि दो-चार रोज़ भी बेचार रहकर बाल-यचों-सहित मजे में खाते-पाते रहें। इसलिए उनका कठट बहुत अधिक होता है। कारखानेवाले अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा सुमर्गित करने के लिए समितियाँ बना सेते हैं। तब वे और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। वे सदा यही लोचा करते हैं कि अधिकाधिक मुनाफ़ा पावें और धनी बनें।

पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफ़ा—अँगरेज़ी तथा देशी भाषाओं की पुस्तकें प्रकाशित करनेवाले मदाशय भारतवर्ष के प्रायः

प्रत्येक मुख्य नगर में है। व्यापक देशी भागाओं के लेखक बहुत निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने अपने का प्रतिफल पाने के लिए बेहद आतुर रहते हैं। उनकी रचनाओं की माँग कम और पूर्ति अधिक होने से, उनको कामन कम रहनेवालों टहरा। इटलिए प्रकाशकों की मनचाही गतों को वे स्वाकार न करें तो क्या करें? हमारे देखते-देखते कई प्रकाशक साधारण पूँजी में काम शुरू करके अब बड़े पूँजीपति हो गये हैं। उनके मुनाफे का कुछ भाग अवश्य ही उनके भारी साधन या जोखिम, तभी पूँजी के दूर आदि का फल है; तो भी यदि स्वीकार करना पड़ेगा कि उस मुनाफे का बड़ा हिस्सा उनके लेखकों के परिअम का फल है, जिन्हें बाजार-दर से दाम चुकाये जाने पर भी यथेष्ट प्रतिफल नहीं मिला है। हाँ, सभी लेखक ऐसे नहीं, जो चुपचाप प्रकाशकों की सब बातें शिरोधार्य कर लें, अथवा एक ही बार कुछ भतिजन लेकर उन्हें अपनी रचना के प्रकाशन का पूर्ण अधिकार दे दें। याय ही कुछ प्रकाशक भी ऐसे हैं, जो कुछ ऐसी रचनाएँ प्रकाशित करते हैं, जिनसे उन्हें लाम होता है, तो वे निर्धन, और संकट-ग्रस्त लेखकों का भी समुचित आदर-मान करने तथा साहित्य के नये-नये अगों की पूर्ति करने से पीछे नहीं हठते। तो हो, साहित्य में अप और पूँजी का यहां संवर्प है।

रिक्लें घरों में जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने, तथा सरल और जल्दी हजम होनेवाला साहित्य बाजार में अधिक परिमाण में आने तथा यिकने वे कारण अच्छी और गम्भीर विषयों की पुस्तकों की खरत कम रही है। इटलिए उनके प्रकाशकों का मुनाफा भी कम रहने वाला टहरा। 'देशी व्यापार' शोरंक अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कुछ प्रकाशकों ने पुस्तकों को कीमत तथा कमीशन की दर बहुत अधिक बढ़ा दी है, दलालों भी संख्या बढ़ गयी है, और मुनाफा बहुत अधिक होने पर भी वह कई व्यक्तियों में बैठ जाता है; किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक मुनाफा नहीं होता।

मुनाफे का नियंत्रण—पिछले अध्यायों में लगान, मजदूरी और सूद के संबंध में लिखते हुए हमने बतलाया है कि भारतवर्ष में प्रायः लगान और तूद की दर तथा उच्च रद्दों के वेतन बहुत अधिक हैं; इनका नियंत्रण होना चाहिए। इस अध्याय में यह कहा गया है कि कल-कारखानेवालों का तथा आयात-निर्यात करनेवालों का मुनाफा प्रायः बहुत अधिक होता है। अनेक दुकानदार भी चीजों के दाम निर्धारित करने में बड़ी मनमानी करते हैं, अथवा ग्राहक को देखकर, एक ही चीज के भिन्न भिन्न दाम लेते हैं। समाज हित के लिए इसका नियंत्रण होना आवश्यक ही है। सरकार कुछ दराओं में तो मुनाफे का नियंत्रण करती भी है। उदाहरण के लिए बहुत से व्यापारों में सरकार पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य निर्धारित कर देती है, अथवा ऐसा नियम बना देती है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इसने पृष्ठ के हिसाब से रखी जाय। इस प्रकार इन पुस्तकों में मुनाफा बहुत नियंत्रित रहता है।

कल-कारखानों अथवा मिश्रित पूँजी खाली कंपनियों के मुनाफे का नियंत्रित करने की विधि यह है कि निर्धारित प्रतिशत से अधिक मुनाफा होने की दशा में सरकार उन पर ऐसा अतिरिक्त कर लगा दे, जो मुनाफे की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाय। इस प्रकार सरकार मुनाफे में से खासा भाग लेलेती है, और इसे विविध कार्यों में लगाती है।

ऐसा भी हो सकता है कि मुनाफे का नियंत्रण, विना उरकारी कारबाई के ही हो जाय। कहीं-कहीं कारखाने के मालिक और मजदूर आपस में यह निश्चय कर लेते हैं कि वी-सदी अमूक मुनाफे से अधिक जितना मुनाफा होगा, वह सब, या उसका निर्धारित अंश मजदूरों को बौठ दिया जायगा। इससे मजदूरों का उत्साह बढ़ जाता है, उनका मेहनत और अधिक उत्पादक हो जाती है, और मुनाफा भी अधिक होने लगता है। यह अधिक मुनाफा मजदूरों के अधिक दिल लगाकर काम करने का फल होता है। इसे मजदूरों को देने से पूँजीवालों की

दार्दि नहीं होती; उलटा, उनका और मजदूरी का सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है।

ये, मुनाफे के नियंत्रण के थोड़े-मे उदाहरण हूए, जिनका सम्बन्ध देश के थोड़े मे ही आदमियों मे है। मुनाफा लेनेवालों की कुल संख्या को कहा बड़ा है। उन सब के मुनाफे का नियंत्रण किस प्रकार हो? समस्या यहाँ बहुत जटिल है।

पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ यह बताया जाता है कि अब से भवा दो इवार वर्ष पूर्व मीर्यूँ-झाल में यहाँ क्या व्यवस्था थी। आचार्य कौटल्य के विचार से व्यवसाय द्वारा अवरिमित या ऐहद मुनाफा लेना और घनवान बनना चोरी और छैती के बगवर था। इसलिए उसने ऐसे व्यवसायों को 'चोर न कहे जानेवाले, चोर' कहा है। वह तैयार बस्तुओं की खिक्की मे होनेवाला लाम साधारण तौर से उनकी लागत का पौँच प्रति-डिकड़ा निश्चित करता है। कुछ दशाओं मे वह इसका परिमाण दस प्रति डिकड़ा तक उचित समझता है। व्यापारी निश्चित मुनाफे से अधिक न लें, इसके लिए वह कई नियम बनाता है; उदाहरण के लिए उसका आदेश है कि शुल्काध्यक्ष शुल्क अर्पात् चुंगी बदून करने के पदार्थों के पारमाण और गुण का निरीक्षण करे, और प्रत्येक पदार्थ को कोमत निश्चित हो नाय। इस कोमत को व्यापारी गुत न रखे, वह इसकी धोषणा करे। इस दशा मे वह मनमाना मुनाफा ले ही नहीं सकता था।^१

अब अधिक-भै-अधिक मुनाफा लेना व्यवसाय-कुशलता का लक्षण माना जाता है; स्वतन्त्रा के नाम पर, व्यापार मे किये जानेवाले सुरक्षारी इस्लेप का विरोध होता है तथापि लोकहित के लिए मुनाफे का नियंत्रण है बहुत आवश्यक। जहाँ तक सभय हो इसके लिए कानून का आधार लिया नाय। अब्जातो यह है कि लोकमत ही ऐसा होजाय कि आदमी साधारण मुनाफे से संतोष किया करे। आजकल उपभोग के

^१इसारे 'कौटल्य के आधिक विचार' के भाषार पर।

पदार्थों की संख्या बहुत अधिक होने से, सब वस्तुओं के लिए मुनाफे की दर एक-बा निर्बाधि करना उचित न होगा, तथापि यह तो सहज मालूम हो सकता है कि सर्वशाशारण को दृष्टि से किस वस्तु पर अधिक्षेत्रे अधिक कहीं तक मुनाफा लिया जाना ठीक है; जो व्यक्ति उस सीमा को उल्लंघन करे, वह समाज में निष्दा-योग्य या दुरा माना जाना चाहिए, उसको बदनामी हो।

मुनाफा और आदर्श—आज-इल आदमों जितने व्यापार-व्यवसाय आदि करते हैं, सब में उनका उद्देश्य कुछ मुनाफा कमाना रहता है। क्या किसी व्यार्थ की उपयोगिता की कसीटी उसके द्वारा मिलनेवाला द्रव्य है, और उपयोगिता का माप मुनाफे के अनुसार समझ जाना उचित है? क्या मानव जीवन की उपयोगिता केवल यह है कि किसी भी प्रकार मुनाफे के रूप में द्रव्य दाग़द किया जाय?

यह ठीक है कि मनुष्य का उद्देश्य सुख-शाति प्राप्त करना है, और मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन-वस्त्र आदि विविध पदार्थों की जरूरत होती है, और जहाँ तक द्रव्य में ये चीजें सहीदेह की ज़मता है, वह बहुत ज़रूरी है। परंतु क्या द्रव्य ही मनुष्य की सुख शाति प्रदान करता है, अर्थात् क्या अपना निर्वाह करनेवाले सभी आदमियों में मध्यम अधिक सुख वह व्यक्ति है, जिसके पास मध्यसे अधिक धन है? ऐसा तो देखने में नहीं आता। इसके विपरीत, बहुधा वे आदमी कहीं अधिक सुख और शाति प्राप्त करते हैं, जिनका जीवन अपने ही सुख-दुःख की चिंता में व्यतीन न होकर दूसरों की सेवा और परोपकार में लगा रहता है; अपवा यो कहलें कि जिनका विचार-क्षेत्र अधिक विस्तृत है, जो अपने शरीर की अपवा अपने परिवार की सीमा में आगे बढ़कर अपने ग्राम या नगर, अपवा राष्ट्र के व्यक्तियों में अपनेपन का अनुभव करते हैं, 'वसुर्वेव-कुदुम्बकम्' वा आदर्श रखते हैं। इसलिए अपवाय में सुख्य लद्द लोकहित होना चाहिए। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री आचार्य कोट्ल्य भी व्यापार-प्रवक्ष्य का उद्देश्य

धनोराज्ञन करना या मुनाफा कमाना नहा, सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना समझता है।

इस जगाने में रूप में धनोत्पत्ति के जो कार्य किये जाते हैं, उनका उद्देश्य मुनाफा नहीं होता। वहाँ सब आदमी समाज-हित के विचार से उत्पादन-कार्यों में मार्ग लेते हैं। इनलिए वहाँ किसी आदमी या समूह के मुनाफे का सवाल नहीं रहता। वहाँ हरेक सब के लिए, और सब हरेक के लिए का भाव है। इमें अपने कारोबार में यही भाव रखना चाहिए, और मुनाफे को प्रधानता न देनी चाहिए।

युद्ध और मुनाफा —पहले चताया जा चुका है कि युद्ध-काल में पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। इसका एक मूल्य कारण यह होता है कि व्यापारियों की इच्छा बहुत अधिक लाभ कमान की इच्छी है। इसके जिए वे अपने माल के स्टाक को छुग कर रख लेते हैं, और बाजार में पदार्थों की कमा को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं। सरकार इसे यथा संभव रोकने काप्रयत्न करती है, फिर भी कुछ व्यापारा उसकी पकड़ में नहीं आते। वे अपना माल धारे-धारे निकाल कर चढ़े हुए दाम पर बेचते हैं। यद्यपि युद्ध-काल में सरकार द्वारा कीमत नियन्त्रित कर दी जाती है; अनेक व्यापारी इसकी अवहेलना कर पदार्थों को अधिक से-अधिक मुनाफा लेकर बेचते हैं। कल-कारखाने वालों को तो युद्ध में खूब चाँदी होती है। उन्हें मुनाफा कमाने का इससे अच्छा अवसर बहुत ही कम मिलता है। यद्यपि सरकार उनके चढ़े हुए मुनाफे पर कमी-कमी मत्तृ-अस्ति फो-सदी तक 'अतिरिक्त-मुनाफा-कर' (एक्सेस प्राफिट टेक्स) लगा देती है, तथापि उन्हें कुछ दशाओं में मुनाफे की काफी आमदनी हो जाती है।

यही नहीं कि व्यापारीया कल-कारखाने वाले युद्ध से उत्पन्न रिप्ति में खूब मुनाफा कमाते हैं, अनेक चार मुनाफा कमाने के लिए ही

युद्ध शुरू कराये जाते हैं। इस में विशेष भाग उन कल-कारखानों के मालिकों का होता है, जो युद्ध-ग्रन्थी—तोप, बन्दूफ़, हवाई जहाज़, मशीनगन, टैंक आदि—यनाते हैं। पिछले महायुद्ध के बाद अमरीका और इंग्लैंड आदि के कई ऐसे कारखानों का यता या जिन्होंने मुनाफ़ा कमाने के लिए गौण रूप से युद्ध को प्रोत्तमाहन दिया था। इस प्रकार युद्ध आरम्भ होने तथा जारी रहने में व्यापारियों की मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति का बड़ा भाग है। युद्ध और मुनाफ़े का एक-दूसरे से अदृट् सम्बन्ध है। संसार को युद्धों से छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक है कि आदमी अपने मुनाफ़े की बात में ही न लगे रहें, बल्कि लोकहित या समाज-सेवा का कानून ध्यान रखें।

छत्तीसवाँ अध्याय

वितरण और असमानता

असमानता का जन्म और वृद्धि—पहले, प्राचीन काल में, समानता का विचित्र युग था; गरीब और अमीर का, किसान और जमीदार का, या मजदूर और दूँजीपति का कोई भेद-भाव न था। लोगों में स्वामित्व या मिलकियत का विचार न था। आदमी अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि खोते और उसकी पैदावार का उपभोग करते थे; जमीदार का उपभोग कोई दखल न था; जमीदार उस समय था ही नहीं। दस्तकार और कारीगर अपने हाथों से वस्तुएँ तैयार करते थे और उनके बदले में अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ दूसरों से ले लेते। अपने काम लायक साधारण पूँजी उनके पास होती थी; उसके लिए वे किसी दूँजीपति का आसरा नहीं तकते थे।

धीरे वीरे परिहिति बदली। आचादी बढ़ी, सम्यता का विकास हुआ, जल्लरते बढ़ी, लोगों में स्वामित्व का भाव आया। जिसका जहाँ तक बरा चला, उसने उतनी मूमि पर अधिकार कर लिया, वह उसका स्वामी बन चैठा जिस किसी ने 'भू स्वामी' से जीनने बोने के लिए जमीन नी, उससे लगान लिया जाने लगा। 'मूमिति' को घट-घेठे आमदनी होने लगी और किसान को पछीना चहाने पर भी काफी भोजन बख्त मिलने का निश्चय न रहा। यह कृपि सम्बन्धी उत्पादन की बात हुई। कुछ इसी प्रकार का परिवर्तन उद्योग-धरों में हुआ। वही मात्रा की उत्पत्ति होने और मशीन या यन्त्रों का उपयोग होने की दशा में दस्तकारियों का हास हो गया, कल कारखाने वाले ही उत्पन्न माल के अधिकारी होने जागे, मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करने पर भी मामूली मजदूरी पानेवाले रह गये। सब मुताफ़ का पूँजीपतियों की जेव में जाने लगा। इस प्रकार सम्भासि का वितरण असमान रूप से होने लगा। इस समय भिन्न भिन्न देशों में एक और तो मुट्ठी-भर आदमी जमीदार या पूँजी-पांत हैं, जिन्हें यही विन्ता रहती है कि इतने धन का क्या करे?; दूसरी ओर, उनके लाखों करोड़ों देश-धु और परिभ्रम करने पर भी पेटभर भोजन अथवा शारीरिक रक्त के लिए आवश्यक बख्त नहीं पाते; फिर उनकी योग्यता का विकास होने की तो बात ही क्या! इसीलिए नो रंगार में तरह-तरह के आनंदोलन हो रहे हैं।

मजदूरी से पूँजी और राज्य का झगड़ा—इस युग में किसानों और जमीदारों का, तथा मजदूरों और पूँजीपतियों का झगड़ा मुख्य है। भारतवर्ष इस समय कृषि-प्रधान है, इसलिए यहाँ आधिक विवरमता यदुत-कुछ किसानों और वडे जमीदारों में मिलती है। तथापि कुछ समय से कल-कारखानों का विस्तार हो रहा है, इससे मजदूरों और पूँजीपतियों का भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उचत औद्योगिक देशों में तो मजदूरी और पूँजी का ही झगड़ा प्रमुख होता है। प्रत्येक अपने को उत्पन्न धन में से अधिक-से-अधिक का अधिकारी मानता है।

राज्य की सहानुभूति बहुधा पूँजी के माय होती है, इसलिए वह भी इस भगाडे में शामिल हो जाता है। इनमें से प्रत्येक का दावा सदैप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि—

मन्त्रदूर कहता है—“सब धन मैं पैदा कहता हूँ। शरीर (और दिमाग) को पूरी तरह यका देने पर भी मुझे और मेरे कुड़म्ब को न्याने पहनने के लिए, काफी धन नहीं मिलता। मेरे परिधम से पूँजी-पति मौज उड़ाता है। मेरी ही बदोलत उसे देश के कानून बनाने का अधिकार मिला है, और वह ऐसे कानून बनाता रहता है जिससे वह तो अधिकाधिक सुखी हो, और मैं ज्यादह-ज्यादह दुखी होना जाऊँ। कारबाने का बनानेवाला अखल में मैं हूँ। यह ठीक है कि पूँजीपति ने उसमें बड़े-बड़े वैशानिक लगाये हैं, परन्तु, उसे उनको वैतन देकर रखने की शक्ति भी तो मुझने ही मिली है। उन वैशानिकों के दिमाग से निरुलो हुई यातों को अमल में मैं ही लाता हूँ। तभी व्यवसाय में सफलता होती है। पिर भी मैं भूता मरता हूँ, मेरी मानसिक उन्नति नहीं होने पाती। मैं भी अपने देश का वैशा ही नागरिक हूँ, जैसा पूँजीपति। पूँजीपति राज्य को ऐसे कार्य में इशों सहायता देता है, जिससे मेरा बन्ध-सिद्ध अधिकार मारा जाता है ! क्या मैं देश के घनोत्थादन में दिन-रात पसीना नहीं बहाता ? ”

उधर पूँजीपति कहता है—“मेरे कारबाने में शारीरिक कार्य सब से घटिया दर्जे का काम है, और मैं उसका वैशा ही प्रतिफल (मन्त्रदूरो) दे देता हूँ। मन्त्रदूरी की सहायता से बने हुए माल के लिए उत्पुक्त भंडी मैं ही तलाश करके उसे बहाँ ले जाता हूँ। (पूँजीपति यहाँ यह भूल जाता है कि माल लेजाने के लिए रेल, जहाज आदि सब साधन मन्त्रदूरों के सहयोग से ही चलते हैं)। मैं वैशानिकों को अपने काम में लगाता हूँ। मैं पहले मन्त्रदूरों की मन्त्रदूरी चुकाता हूँ,

उसके बाद मुनाफ़ा मेरी जेव में आता है। बाजार के उत्तर-चबाब, समार को बड़ी बड़ी घटनाएँ, स्वदेश या विदेश की माँग, नये फेयन और नयी आवश्यकताएँ आदि के कारण मुझे मुनाफ़ा मिलता है। इसमें मजदूर कुछ नहीं करते। इसलिए उन्हें मेरे लाभ का कोई हिस्सा पाने का क्षमा अधिकार। फिर भी मैं समय-समय पर उनको मजदूरी बढ़ाता रहता हूँ। लेकिन उनकी माँग हद से ज्यादा बढ़ी हुड़ है। मैं जितना ही ज्यादा दबना हूँ, उतना ही वे इन्हाल की धमको अधिक देते हैं। मजदूरों के नेता शांति से विचार करें। उनको उचित शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने को मैं नहीं तैयार हूँ। लेकिन वे वृप्ता ही मुझ से देप करें, तो इसका क्या हलाज !”

और, अब राज्य कहता है—“हमने मजदूरों के काम करने के घटे कम कर दिये हैं। उनके सघो और सम्मेलनों के संगठित होने की अनुमति दे दी है। उनकी खियो और चबों की सुविधा के नियम बना दिये हैं। मजदूरी को उचित दर निश्चित कर दी है। उन्हें दुर्घटनाओं में चचाने के लिए कानून भी बना दिए हैं, व्यवस्थापक समाजों में उनके प्रतिनिधि ले लिये हैं। परन्तु हम पूँजीपतियों को इन बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वे उन्हें मुनाफ़े में अधिक हिस्सा दें। गवर्नर का आवार देश का धन है। जब धन थोड़े-से आदमियों के हाथ में होता है, तो उससे यहे वडे काम आनानी से हो सकते हैं। अगर देश का धन अवैर्य जनता में बँटा हुआ हो, तो वडे-वडे काम करने में उतनी सुविधा नहीं होती। पूँजीपतियों के रहने में ही राज्य और देश को सुख है। इसलिए हमारा पूँजीपतियों से घनिष्ठ संबंध होने में मजदूरों को बरा न मानना चाहिए।”

असमानता का निवारण—असमानता का निवारण करने के लिए उसके निदानों की आवश्यकता है। हमें विचार करना चाहिए कि असमानता ज्यादहर किन कारणों से पैदा होती है। कल्पना करो, एक आदमी के किसी अप में कोई विकार है; वह लगड़ा लूँचा है, या

उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर सकता। ऐसा आदमी तनुष्टि आदमी ने यरावरी नहीं कर सकता। दो व्यक्तियों की असमानता का दूसरा कारण यह ही सकता है कि एक को अच्छी परिस्थिति या अनुकूल अवसर मिला है, और दूसरा उससे बचित रहा है। उदाहरण के लिए एक आदमी अच्छी स्थिति के परिवार में जन्म लेने के कारण भली-भीति इच्छा-दोच्छा प्राप्त कर सका है, या किसी उत्तराधिकार्य के लिए अच्छी पूँजी लगाने में समर्थ है। अपवा, वह जैसे खानदान का माने जाने के कारण समाज में सहज ही अच्छा पद या प्रतिष्ठा पा लेंगा है। भला, ऐसे व्यक्ति से वह आदमी कैसे तुलना कर सकता है, जो इन बातों से रहित है।

इस प्रकार असमानता दो तरह की होती है। एक तो कुदरती, जन्म-बात या स्वामानिक होती है। इसे दूर करने के प्रयत्नों में विशेष सफलता नहीं मिल सकती। परन्तु दूसरी प्रकार की असमानता को (जिसका मूल कारण ग्राम्य आर्थिक होता है), बहुत अंश तक दूर किया जा सकता है, और किया जाना आवश्यक है। इस असमानता को पैदा करने वा दायित्व समाज या राज्य पर होता है। समाज कुछ व्यक्तियों, बातियों, या अंगियों को कुँचा मान लेता है, और दूसरों को नोच। इसी प्रकार राज्य आनंद द्वारा कुछ अंगियों का पद्धरात करने लगता है, और दूसरों के हित की ओर कम ध्यान देता है। इससे असमानता पैदा होती तथा बढ़ती है। इस असमानता को मिथा देने के लिए समाज और राज्य दोनों को भरतक प्रयत्न करना चाहिए।

घन-वितरण की पद्धति में सुधार—पहले बताया जा चुका है कि घन को उत्तर्ति के चार धाधन हैं—मूमि, भन, पूँजी, और व्यवस्था। जो घन पैदा होता है, उसमें से इन चारों के स्तामियों को उनका प्रतिकूल अर्थात् लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफा दिया जाता है। इस घन-वितरण में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, यह पहले लिखा गया है। यहाँ उसे न दोहरा कर पढ़ी

कहना है कि समाज तथा राज्य को निरन्तर हम और प्यान देते रहना चाहिए कि बोई वर्ग जमीदार, मदाजन, या पूँजीपति आदि जनता का शोषण करनेवाला न हो। याद रहे कि देश की शासनपद्धति भी ऐसी ही सकती है कि वह जनता की असमानता बढ़ाने में सहायता हो। कुछ सरकारें न केवल जमीदारी प्रथा या पूँजीवाद को आश्रय देती हैं, वरन् देश का बहुत-मा धन कर या टेक्स द्वारा लेकर स्वयं हड्डप जाती है। इसके अलावा ये कुछ उच्च पदाधिकारियों को बहुत अधिक वेतन और भत्ता आदि देती हैं, और हजारों हजारों कर्मचारियों को माधारण निर्बाह योग्य या उससे भी कम। उदाहरण ने लिए हम भारत-सरकार की यात पहले कह चुके हैं। आवश्यकता है कि ऊँचे अधिकारियों ये वेतनादि में भारी कमी करके और हजारों हजारों कर्मचारियों का वेतन और भत्ता काफी बढ़ा कर आर्थिक विषमता घटायी जाय।

समानता का उद्योग—श्रीघोषिक देशो के बहुत से आनंदोनों की तह में मुख्य प्रश्न यही है कि वहाँ धन का असमानता दूर हो जाय, और निर्धनों पर धनवानों या व्यवसायपतियों के अस्थाचार न हो। किन्तु यमी तक कोई संतोषजनक मार्ग नहीं निकला। यदि देश के सारे धन को वहाँ की जनता में वरावर वरावर चौट दिया जाय, और उससे होनेवाली साधारण कुब्यवस्था और कठिनाइयों का सामना किया जाय, तो भी कुछ समय के बाद भिन्न-भिन्न मनुष्यों की कार्यक्षमता में अंतर होने के कारण, उनकी अधिक अवस्था में भी असमानता हो जाना स्वाभाविक है।

कुछ सबनों का विचार है कि, विरासत, या पैतृक सम्पत्ति मिलने का नियम उठा दिया जाय। प्रत्येक आदमी के मरने पर, उसकी जायदाद की मालिक (गप्टीय) सरकार हो, और वह उसके उत्तरा धिकारियों के निर्बाह की समुचित व्यवस्था कर दिया करे। यह बात भी कहाँ तक उपयोगी तथा व्यावहारिक है, इस सम्बन्ध में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहा कहा जा सकता। सभव है इससे

लोगों में ज्यादाह धन संग्रह करने और पूँजीपति धनने की अभिलाषा कम हो जाय, और समाज में कुछ अधिक समानता आ जाय। भारतवर्ष में गैर-काश्तकाशी जायदाद पर विरामत-कर या मृत्यु-कर लगाने का विचार हो रहा है।

प्राचीन व्यवस्था—आर्थिक असमानता दूर करने के आदोलन आजकल क्यों इतने तीव्र होते जाते हैं, और पहले क्यों नहीं उठते थे? हमका एक कारण तो यही है कि यह शिल्प या स्तोषी-होटी दस्तकारियों की दशा में धन के वितरण में उतनी असमानता नहीं होती, जितनी आधुनिक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति वाले कल-कारखानों में। दूसरा कारण यह मालूम होता है कि पहले पूँजीपतियों और निर्धनों की एक दूसरे के विशद दलचन्दी नहीं थी, वरन् एक बड़ी शृहस्थी के मदस्यों की मौति वे आपस में यथेष्ट सहानुभूति और प्रेम रखते थे। धनियों को अपने धन का अभिमान नहीं था। वे अपने धन को सर्वसाधारण के उपयोग में लगाते थे। उनके बगीचे, पुरतकालय, अजायबघ, घर्मशालाएं आदि अबके लिए खुली थीं।

प्राचीन भारत का विचार—भारतवर्ष की ही बात लीजिए। बड़े-बड़े नगर, लम्बे चौड़े बाजार बहुत कीमती जैवर, तथा पुष्टक विमान आदि के वृत्तान्त से यह सिद्ध है कि यहाँ प्राचीन काल में मौतिक उत्पत्ति काफी हो गयी थी। थोड़े समय में बहुत सा माल तैयार करनेवाले विशाल यन्मों का धन सकना असम्भव नहीं था। परन्तु कई नीतिकारों ने उनके निर्माण और प्रचार आदि का स्पष्ट नियेद किया है। निरान, यहाँ बड़ी मात्रा की उत्पत्ति पर प्रतिचन्द्र लगा हुआ था। कौटल्य के अर्थशा न में मालूम होता है कि यद्यपि उस समय भिन्न-भिन्न व्यवसाय-संघों में बहुत-से आदियों के मिलकर काम करने की व्यवस्था थी, परन्तु वहाँ उनके पास अपने-अपने श्रीजार होते थे; सब अपने-अपने काम के स्वयं निरीक्षक होने थे। उसका प्रतिफल वे अपनी योग्यता के अनुसार पाते थे। काम करने

याले व्यक्ति अमजीबी होने के माध्य-साथ छोटेन्हुटे पूँजीपति भी होते थे। इस प्रकार देश का अधिकारी घन मुट्ठा-भर पूँजापतिया के हाथ में जाना, और वेशुमार आदमियों का मजदूर अथवा वेकार रनना रोका गया था।

फिर, प्राचीन भारत में कानून किसी आदमी को अपनी सपत्ति का मनमाना उपभोग नहीं करने देता था। आचार्य कौटल्य ने लिखा है कि 'जो पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला हो, अथवा अहितकर काय करनेवाला हो, उसकी सूचना 'गोर' अथवा स्पानीय अधिकारी को दी जाय।'^१ इससे स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ, ऐश्वर्य या भोग-विलास आदि में अधिक व्यय करने को कौटल्य ने अपराध समझा है। अस्तु, प्राचीन काल में पढ़ले जो आर्थिक असमानता बहुत होने न पाती थी दूसरे, जो थोड़ी-बहुत होती थी, उसका परिणाम समाज के लिए अहितकर न होता था।

हिन्दुओं की प्राचीन रीति रस्मों में इस बात का बहुत विचार रखा जाता था कि घनवान और निर्धन मुख-दुख में, हर्ष एवं शोक में, एक-दूसरे से योष्ट सहयोग करें; निर्धनों को कभी भी अपनी निर्धनता के कारण विशेष कष्ट न पाना पड़े। जन्म-मरण, विवाह-शादी, तीज-त्योहार—प्रत्येक अवसर पर एक विरादरी के सव आदमियोंमें, आर्थिक स्थिति के खेद-भाव विना, कुछ बस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। घनवानों की महायता और दान-पुरुण से निर्धनों की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होनी थी, और, निर्धनों की मावारण भेंट स्त्रीकार कर घनवान इस बात का परिचय देते थे कि उनमें अहकार या थमड नहीं है। परन्तु अब आदमी अनेक बातों का अमली रक्षण भून गये हैं, कुछ बातों की धुंधली यादगार कुरीतियों के रूप में बनी हुई है।

वर्णाश्रिम धर्म और आर्थिक व्यवस्था—आजकल हिन्दुओं में जो बात वर्ण माने जाते हैं, ये पढ़ले अम-विभाग या मनुष्यों की

धर्मादिक पहुँचि के अनुसार ये । कुछ आदमी बुद्धि-प्रधान होते हैं, दूसरे तेज-प्रधान, वापना-प्रधान या सेवा-प्रधान होते हैं । प्राचीन भारत में बुद्धिमान मनुष्यों (वाक्षणी) का, धन-हीन होने पर भी, बहुत आदर-मान था । उन्हीं का परामर्श लेकर राजा अपना कार्य करता था । छन्त्रिय धनवान न होने पर भी शक्तिशाली ये और वे उसी में सुखी थे । वैश्य धनवान होते थे; परन्तु जब वे अपने धन से दूसरों का उपकार करते रहते थे, तो उनसे ईर्षा क्षमा होती है । शूद्र शारीरिक अम करते थे; परन्तु अपने भोजन-वस्त्र आदि के लिए आजकल की तरह तरहते न रहकर पूर्ण रूप से निश्चन्त रहते थे । इस प्रकार प्राचीन काल में, समाज के एक अग को दूसरे से ईर्षा या ढाह नहीं होती थी । परन्तु अब वह आदर्य लुप्त-सा हो गया है । जाति-प्रणा में कैच-नीच का माव आ गया है, धनी प्रनृष्ट दूसरों के द्वित या भलाई की चिन्ता नहीं करते । लोगों में वैश्य-हृति प्रधान है; और वह भी बहुधा बड़े खराच रूप में ।

इसी प्रकार आध्रम-धर्म की यात्रा लीजिए । पहले यहाँ चार आध्रम थे—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । इनमें से पहला आध्रम विद्या प्राप्त करने के लिए था । लड़के और लड़कियाँ जब गुहाकुल में रहते थे, उनमें घनी-निर्धन का कोई मेद-भाव नहीं माना जाता था । राजा और रंक दोनों को संतान से एकपा व्यवहार होता था; सबका खानपान, रहन-सदन आदि समान था । पाठक जानते हैं, कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुह के यहाँ शिक्षा पायी थी । अस्तु, इसी प्रकार वानप्रस्थ और सन्यास में भी आर्थिक असमानता न होती थी । निदान, चार आध्रमों में से तीन आध्रमों में आर्थिक मेदभाव न था । जो कुछ मेद भाव हो सकता था, वह केवल एक आध्रम में, गृहस्थाध्रम में, हो सकता था । परन्तु अब तो इम जल्दी ही गृहस्थी बन जाते हैं, और भरने तक इसी में बने रहते हैं । इस प्रकार इम लोग अपना जीवन ज्यादतर उस आध्रम में व्यतीत करते हैं, जिसमें

आधिक भेद भाव आधिक होने को संभावना होती है, फिर आधिक विषमता का चोलबाला क्यों न हो ?

समाजवाद क्या है ?—आधिक विषमता और पूँजीवाद से ममाजवाद को लद्दर आगयी है। यह विशेषतया रूस में प्रचलित है। इसके अनुपार, भुख्य आधिक वात यह है कि उत्तरति और विनियम के सब साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, और राज्य का समाजन इस प्रकार किया जाता है कि शामन एवं व्यवस्था में अमज्जीवियों अर्थात् मज्जदूरों का प्रभुत्व रहता है। समाजवादियों का मत है कि उत्तरति के चार साधनों में से भूमि तो प्रकृति को ही देन है, पूँजी अम से ही मन्चित होती है, और व्यवस्था एक प्रकार का अम ही है। इस प्रकार घन को उत्तरति का केवल एक ही साधन रहता है, वह है अम। इसलिए अमज्जीवियों का ही, उत्तरति घन पर स्वामित्व रहना चाहिए। समाजवादियों के मतानुपार व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेगी, खेतों और कल-कारखानों की मालिक सरकार होगी, प्रथेक व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता के अनुपार मेहनत करेगा; और, उनके परिभ्रम से जो घन पैदा होगा, वह सरकार द्वारा, उनकी आवश्यकतानुसार वितरण किया जायगा। आजकल मुद्रा में पदाधों को खरीदने की शक्ति है, इसलिए कुछ आदमी इससे मूर्म लरीद कर या कल-कारखाने आदि चला कर अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं, अपवा घन को जोड़ कर रखते हैं। उनके लड़के दिना परिभ्रम लखति और करोड़पति बनते हैं, जबकि दूसरों को उनकी अधीनता में घोर अम करते हुए भी यदेष्ट भोजन यज्ञ नहीं मिल पाता। समाजवादी व्यवस्था में ऐसा न होगा। सब की आवश्यकताएँ सरकार द्वारा पूरी होगी और सब ही परिभ्रम करनेवाले होंगे। फिर, यह आधिक विषमता तथा इससे होनेवाले हानिकारक परिणाम भी न होंगे।

भारतवर्ष और समाजवाद—समाजवाद को आधिक विषमता ने जन्म दिया है। और, आधिक विषमता इस समय भारतवर्ष में भी

है, और निरंतर चट्टी जा रही है। तनिक विचार कीजिए कि जमीदार, महाजन, कल-कारखाने के मालिक, और उच्च राजकर्मचारियों आदि का जीवन कैसा है, और उसकी तुलना में किसान, मजदूर आदि का रहनसहन कैसा है! जमीन-आमदान का अंतर है। एक और मुट्ठी-भर राजा महाराजाओं, वायसराय और गवर्नरों तथा कुछ पूँजीपतियों के इद-पक्ष है, दूसरी और असह्य लोगों की धाम-कूम के दूटी-पूटी भोपड़ी है, या उनका भी अभाव है। एक और तरह-नरह के पकवान आदि से इतनी तृतीय होती है कि उसकी जूठन कुत्तों या चील-कब्बों के लिए फैंकी जाती है; दूसरी और गाय मैंस के गोबर में मैं दानेनिकाल-निकाल कर खानवालों के उदाहरण है। एक और एक आदमी के पास दिन-भर में बदलने के लिए कई-कई वहुमूल्य पोशाक हैं, दूसरी और अनेक दिग्बर-धेय वाले हैं, और अर्धनामों की तो कुछ मीमा ही नहीं। कहाँ तक कहें? पाठक स्वयं विचार करलें।

यह विषयता कब तक रहेगी? यह ठीक है कि यहाँ अधिकाँश आदमी अपनी हीनावस्था के कारण का विचार न कर, उसको अपने भाग्य का दोष समझते हैं। वे अपनी स्थिति मुश्वारने के लिए शादीलन करने को सहस्र तैयार नहीं होते। पर, आविर कब तक? रोटी-कपड़े की जरूरत मार्यादियों को भी क्रातिवादी बना देती है। एक और भारत का प्राचीन आदर्श है, दूसरी और आधुनिक समाजवाद। इमरें लिए वर्तमान काल में दोनों का मिश्रण उपस्थित होगा। इमं वेवन दूसरों की नकल के भरोसे क्यों रहें? अन्य देश जिस चात के लिए खून-खराबी करते हैं, उसे इमं अद्विता द्वारा ही क्यों न प्राप्त करें! इमें समाजवाद का स्वागत करने से भिन्न न हा, हाँ, उस पर इमारी संस्कृति की छाप हो; वह इमारों अपनी चीज़ बन जाय। मारतीय समाजवाद मारतीय जनता का हित तो करे ही, अपने अहिंसा और प्रेम-भाव के कारण, वह संसार के लिए भी शिक्षामद और कल्याण-कारी हो। शुभम्

परिशिष्ट

कांग्रेस की आर्थिक नीति

यह आशा की जाती है कि राष्ट्र-मभा काग्रेस शीघ्र ही शासन-पूर्व प्रदायण करेगी, और देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने में लगेगी। उसकी इन विषयों में क्षेत्र नीति है, यह बनाने के लिए यद्दा कांग्रेस के प्रान्तीय जुनाव सम्बन्धी घोषणापत्र का आवश्यक अश दिया जाता है; घोषणा पत्र १० दिसम्बर १९४५ को कलहत में कांग्रेस बैंकिंग कमेटी अर्थात् कार्य मिति ने प्रकाशित कराया था। उसमें कहा गया है—

दरिद्रता कैसे दूर हो ?—जनना पर से दरिद्रता का आप किस प्रकार इटाया जाय और उसका जीवन-मान किस प्रकार ऊचा उठाया जाय, यही भारतवर्ष की सब से मुख्य और आवश्यक समस्या है। जनता के इत्याया के लिए ही कांग्रेस अनना दिशेष ध्यान देती रही है और उसी के लिए रचनात्मक कार्य भी करती रही है। उसी के हित और विद्यास की क्षमोटी पर उसने मारे प्रस्तावों और परिवर्तनों को कमा है और यह घोषित किया है कि नोकुछ भी देश की उचिति में वाचक निद दूर हो, उसे रास्ते से इटा दिया जाय।

देश के धन-धन्य सेवन करने के लिए, और उसे दूसरों पर निर्भर रहे बिना ही स्वतः विकसित होने की चमता प्रदान करने के लिए, उचोग-घोग्य, कृपिश्चौर सामाजिक तंत्रों सार्वजनिक लाभ के साधनों आंदि भी प्रो-धार्हन देना, उन्हें नये ढाचे में ढालना चाहिए और सीम गति के साथ पैलाना चाहिए। किन्तु ये सब काम जनना की जाम

पहुँचाने, उसके आर्थिक, साकृतिक और आतिथक स्तर को ऊंचा उठाने, बेकामी दूर करने और व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के उद्देश्य से ही किये जाने चाहिए।

इस वार्ष के लिए यह अवश्यक है कि सभी भिन्न भिन्न जगतों में सामाजिक उन्नति की योजना बनायी जाय और उसका संगठन किया जाय, किसी एक व्यक्ति और दल के पास घन और अधिकार को वेन्डिट न होने दिया जाय, समाज के विरोधियों को बढ़ने से रोका जाय। और, धारुओं और यातायात के साधनों पर, और भूमि, उद्योग तथा राष्ट्रीय कार्य कम के सभी दूसरे जगतों में उत्पादन और वितरण की मुख्य प्रणालियों पर सामाजिक प्रमुख प्राप्त किया जाय, ताकि स्वतन्त्र मारत सहकारिता की प्रणाली बाला गाढ़ बन सके।

इसलिए शासन-समस्या को सभी बुनियादी और मुख्य उद्योगों और नौकरियों, धारु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समुद्री रास्तों और बड़ाओं तथा यातायात के दूसरे साधनों पर आधिकार या अधिकार प्राप्त करना चाहिए। मुद्रा, विनियम, वैकल्पिक और बीमे को राष्ट्रीय दित वे अनुकूल समिति करना चाहिए।

कृषि में वैज्ञानिक सुधार—वैज्ञानिक सुधार का दरिद्रता सारे भारतवर्ष में है, परन्तु इसकी समस्या मुख्यतः गाँवों में है। दरेदाता का प्रबल कारण भूमि को कमी और दूसरे घनोत्पादक साधनों का अभाव है। विटेश अधिकार में इसे हुए भारतवर्ष कमशुः एक ग्रामीण देश बना दिया गया है, उसके कारबाह के अनेक रास्ते बद कर दिये गये हैं और एक विश्वाल जन-समुदाय खेती पर आधित कर दिया गया है। खेतों के लगातार ढुकड़े किये जाते रहे हैं, यहाँ तक कि अब आधिकारिय खेत आर्थिक हाथ से बेमुनाफे के हो गये हैं। इसलिए वह यह आवश्यक है कि भूमि सम्बन्धी समस्या पर सभी पहलुओं से ध्यान दिया जाय। कृषि को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत बनाने और उद्योग को उसके बड़े, मस्तों और छोटे सभी रूपों में बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि

केवल घन का ही उत्पादन न हो सके, बल्कि कृषि पर शास्त्रिय रहनेवाले व्यक्ति भी उनमें ज्ञान जाए जा सके।

ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन—यह-उद्योगों को पूर्ण और आशुव दोनों पेशों के रूप में ज्ञान तोर से प्रोत्साहन देना प्रयोजनीय है। यह आवश्यक है कि उद्योगों की व्यवस्था बनाने और उसे विकसित करने में जहाँ एक और अधिक से अधिक घन के उत्पादन का ध्यान रखा जाय, वहाँ दूसरी ओर यह मीं याद रखा जाये कि ऐसा करने से नई बेकारी न पैदा हो जाय। योजना के बनने से, अधिक-मे-अधिक लोगों को, और निष्कन्देह सभी पुष्ट व्यक्तियों को, काम मिलना चाहिए।

भूमि-प्रणाली में सुधार—भूमि सम्बन्धी मुद्दार के लिए जिसकी मारतवर्ष में धोर आवश्यकता है, किसानों और शासन-संस्था के बीच के (मध्यस्थ) व्यक्तियों को हटा देना चाहिए और उनके अधिकारी को, चराहर का मुआवजा देकर, सरोद लेना चाहिए; व्यारक्तगत खेती और किसानों को मिल्हक्यत की प्रथा चलती रहना चाहिए. लेकिन उन्नतिशाल कृषि और नई सामाजिक प्रणाली आदि के निर्माण के लिए मारताव इधितियों के अनुकूल सदकारी दृग की व्येती की ओर प्रणाली होनी चाहिए। ये परिवर्तन कृपयों की महमति और सहानुभूति ने ही होने चाहिए।

इसलिए यह बहुतनोय है कि सदकार को सदायना से मारतवर्ष के अभिन्न-भिन्न भागों में प्रयाग रूप से सदकारिता की प्रणाली पर फार्म (रेन) बनाये जायें। प्रदर्शन और प्रयोग के लिए रडेन्चडे सरकारी फार्म में होने चाहिए।

कृषि और उद्योगों का विकास—इसके लिए ग्रामीण और नागरिक अर्थव्यवस्थाओं में समुचित संगठन और संतुलन होना चाहिए। अवश्यक ग्रामीणों को आर्थिक ज्ञान ही उठानी पड़ी है और उनसे ज्ञान उठाकर नगरों और कस्बों वालों ने उचाति की है। इस स्थिति में संशोधन

की आवश्यकता है। देहाती तथा कस्ती के निवासियों के जीवन-मान को यथास्थ्य बराबर बरने की चेष्टा करनी चाहिए। उद्योगों का कि किसी एक प्राग्त में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए ताकि सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति में समूलन स्थापित किया जा सके। ग्रन्डेन्ड्रीकरण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक समव हो किसी की विशेषता पर आधार न पहुँचे।

कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए और सामन्ही-सामनेता के स्वास्थ्य तथा हित के लिए भी हमें उम महान शक्ति पर अधिकार करना और उपका उचित प्रयोग करना चाहिए जो हमें भारत की विशाल नदियों के रूप में उपलब्ध है और जो अधिकतर न केवल बरबाद हो जाती है, बल्कि भूमि के बास्ते और भूमि पर निवास करने वालों के लिए बहुधा भीषण स्थिति का कारण बनती है। इस काम को करने के लिए नदियों से सम्बन्ध रखने वाले कमीशन बनाये जाने चाहिए, ताकि वे बिंचाई के काम को प्रोत्साहन प्रदान कर सकें और इस बात की व्यवस्था कर सकें कि लोगों को बिंचाई के बास्ते लगातार और समान रूप से पानी मिलता रहे। इसके अतिरिक्त उनका साम उहारक बाढ़ को रोकने और जमीन को कटने से बचाने का भी होना चाहिए; उन्हें मलेरिया को रोकने, जल विद्युत-शक्ति को बढ़ाने और दूसरी सुक्षियों द्वारा विशेषतः ग्रामवासियों के जीवन-मान को बढ़ाने का काम सौंपना चाहिए। उद्योग और कृषि के विकास के लिए आवश्यक आदान-प्रदान करने के अभिप्राय से इस देश के, शाचालक शक्ति के साधनों की दूर रूप से बढ़ाना प्रयोजनीय है।

शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न—जनता के वैदिक, आर्थिक, सास्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊचा उठाने के लिए और उसे अपने सामने आनेवाले नवे कामों और व्यवसायों के योग्य यनाने के लिए शिक्षा का पर्यात प्रबन्ध होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कामों की, जो राष्ट्र की उप्रति के लिए है, अधिक-से-अधिक

व्यवस्था होनी चाहिए और इस बात में, दूसरी बातों की तरह ही, प्रामोल्यों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रथमति और शिशुरानन्द सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाएँ भी सम्मिलित होनी चाहिएँ।

इस प्रकार इसे ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करनी चाहिए, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को दूर राष्ट्रीय कार्यक्रेत्र में उच्चति करने का समान अवसर मिले, सब के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध हो। विश्वान अपने असंख्य लोगों में मनुष्य-जीवन को प्रभावित और परिवर्तित करने में सदा से अधिकाविक माग लेता रहा है, और भविष्य में इससे भी अधिक मात्रा में भाग लेता रहेगा। आद्योगिक, कार्य-सम्बन्धी और सांस्कृतिक उच्चति—यहाँ तक कि राष्ट्रीय रक्षण का छाया भी इसी पर निर्भर है। अन्त वैश्वानिक अन्वेषण का कार्य शासन-व्यवस्था का बुनियादी और आवश्यक कार्य है, और उसको व्यापक रूप में समर्ठित और प्रोत्साहित करना चाहिए।

मजदूरों के हितों की रक्षा—जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, शासन-व्यवस्था आद्योगिक भ्रमजीवियों के हितों की रक्षा करेगी और इस बात को व्यवस्था करेगी कि उन्हें एक निश्चित सोमा से कम मजदूरी न मिले; देश की आर्थिक अवस्था को टॉप्ट में रखते हुए वहाँ तक सम्भव हो उनके जीवन का मान, अन्तर्राष्ट्रीय मान की तुलना में, उचित हो। उनके लिए रहने का यथेष्ट प्रबन्ध हो और काम के लिए भर्ते और मजदूरी को यहाँ भी ठीक हो। इसके अतिरिक्त शासन-व्यवस्था मजदूरों और मालिकों के भगड़ों को तय करने और मजदूरों के बुड़ागा, चीमारी तथा बेकारी के आर्थिक दुष्परिणामों से बचने के लिए उचित व्यवस्था करेगी। मजदूरों को अपने द्वितीय को रक्षा के लिए संघ बनाने का अधिकार होगा।

सदकारी कृषि पर बोर—शूल ने किसानों को कुचल रखा है। यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले दिनों उनके शूल का बोझ कुछ इत्यादि हो गया है, तथापि वह अब भी है, उन्हें दूर करना आवश्यक

है। इसके लिए किसानों को सहकारी संस्थाओं द्वारा कम सूद पर व्यया उधार दिलवाना चाहिए।

सहकारी संस्थाओं का दूसरे कामों के लिए भी, गोंदों और शहरों दोनों स्थानों में निर्माण होना चाहिए। औद्योगिक सहकार-संस्थाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि प्रजावादी आधार पर छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिए वे विशेष रूप से उपयोगी होती हैं।

पिछली जातियों का उद्धार — इसके अतिरिक्त शासन संस्था की ओर से, पिछली हुई या दलित जातियों की रक्षा और उच्चति के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे, ताकि वे शीघ्रता-पूर्वक उच्चति कर सकें और राष्ट्रीय जीवन में पूरा और समान भाग ले सकें। विशेष रूप से कबीले वालों को अपनी योग्यता के अनुमार उच्चति करने और परिवर्गित (दरिजन आदि) जातियों को शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक तथा आर्थिक विकास प्राप्त करने में सहायता दी जायगी।

कुण्ड्यवस्था का निवारण — यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष की तत्कालीन और आवश्यक समस्याओं का इल राजनीतिक, आधिक, कृषि-सम्बन्धी औद्योगिक और सामाजिक सभी दिशाओं से एक साथ सम्मिलित प्रयत्न करने पर ही हो सकेगा, तथापि कुछ आवश्यकताएँ आज यहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की निपट अयोग्यता और दुर्बल्यवस्था के कारण भारतीय जनता पर विपदा का पहाड़ या टूट पड़ा है। लाखों लोग भूलों मर चुके हैं और अब तथा कपड़े का आज भी व्यापक अभाव है। सभी नीकरियों में और जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यक पदार्थों के नियन्त्रण आदि के मामलों में बड़ी वेर्ष्यानी और घूमलोरी चल रही है, जो हमारे लिए अस्त्य ही गयी है। इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर कोरन ही ध्यान देने की आवश्यकता है।